द्वादश माला, खंड 9, अंक 13

शुक्रवार, 12 मार्च, 1999

21 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

60
16/11/99



(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती किरण साहनी
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे०एस० वत्स
सम्पादक

श्री प्रेमलाल बमराड़ा
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 13, शुक्रवार, 12 मार्च, 1999/21 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	242, 245, 246 और 252	1-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	241, 243, 244, 247 से 251 और 253 से 260	27-57
अतारांकित प्रश्न संख्या	2509 से 2738	57-296
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नियुक्ति के बारे में दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3251 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		297
सभा पटल पर रखे गये पत्र		297-309
राज्य सभा से संदेश		310
समितियों के प्रतिवेदन		
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
तीसरा प्रतिवेदन		310
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
नौवां प्रतिवेदन, कार्यवाही सारांश और दौरा प्रतिवेदन		310-311
पेटेंट (संशोधन) विधेयक पर विधि आयोग की सिफारिशों के बारे में		311-324
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा, 1999 में बैठने हेतु अवसरों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रशेखर साहू	345
(दो)	सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु शारदा नदी के दोनों किनारों पर तटबंध का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र	346
(तीन)	मकान किराया भत्ते के प्रयोजन से जामनगर को बी-2 का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्देश पटेल	347
(चार)	ग्राम स्वास्थ्य रक्षकों को दी जा रही मानदेय राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	श्री दादा साहूराव पराजपे	347
(पाँच)	उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में पलिया कस्बा के पास बने हवाई अड्डे को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	348

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(छह) बिहार के वैशाली में भगवान बुद्ध का अस्थिकलश स्थापित करने हेतु भवन के निर्माण के लिए बिहार राज्य सरकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भूमि तथा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह . . . 348

(सात) चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर लगी रोक को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री टी०आर० बालू . . . 349

(आठ) देश में परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी०सी० थामस . . . 349

(नौ) असम के हेलाकांडी जिले में रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आवंटित धन राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री नेपाल चन्द्र दास . . . 350

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए०वी०एस०एम० . . . 351

श्री मोहन सिंह . . . 360

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह . . . 366

श्री इन्द्रजीत गुप्त . . . 369

श्री वीरेन्द्र सिंह . . . 378

श्री हीरा लाल राय . . . 383

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद . . . 385

श्री मुख्तार नकवी . . . 392

श्री टी०आर० बालू . . . 395

श्री मोहन रावले . . . 400

श्री एन० डेनिस . . . 405

श्री बी०एम० मेनसिंकाई . . . 408

प्रो० सैफुद्दीन सोज . . . 411

श्री किशन सिंह सांगवान . . . 416

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह . . . 420

श्री दादा बाबूराव परांजपे . . . 424

श्री ई० अहमद . . . 426

श्री जोवाकिम बखला . . . 431

श्री मोतीलाल वोरा . . . 432

प्रो० ए०के० प्रेमाजम . . . 437

श्री परमशिवम राजा . . . 441

श्री शैलेन्द्र कुमार . . . 444

श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी . . . 447

विषय	कॉलम
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	448
श्री विजय हान्दिक	449
श्री नकली सिंह	450
श्री के०डी० सुल्तानपुरी	452
श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या	454
डा० शफीकुर्रहमान बर्क	456
श्री बासवराज पाटील सेडाम	463
श्री रवि प्रकाश वर्मा	463
श्री नेपाल चन्द्र दास	466–468

लोक सभा

सोमवार, 12 मार्च, 1999/21 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

डा० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, 34 हजार हाजी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآدآباد) : اسپیکر صاحب، ۳۴ ہزار حاجی ہیں جو ہوائی جہاز کی ٹکٹ کے لئے پریشان ہیں۔ ہوائی جہاز کی ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں۔...(مداخلت)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चाँयल) : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर सवाल है। मैंने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, आपने नोटिस दिया था और मैंने उसे अनुमति नहीं दी है। आप यह मामला शून्य काल में या किसी दूसरे समय उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइये। यह क्या है? हमेशा आप इसी तरह करते हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाइये। आप हर दिन सभा की बैठक में बाधा डालते हैं।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, हमने सूचना दी है। 34 हजार हाजी यहां दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, मैंने आपसे कहा कि आपने नोटिस दिया था और मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। आप यह मामला शून्य काल में या चर्चा के समय उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लि० की धोवनशाला में आग लगने के कारण हुई क्षति

*242. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० की कोयला धोवनशालाओं में आग लगने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आग लगने के कारण क्या थे;

(ग) भारत कोकिंग कोल लि० की मधुबन कोयला धोवनशाला में आग लगने के कारण कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच कराई है;

(ङ.) यदि हां, तो जांच किस स्तर पर कराई जा रही है;

(च) क्या प्रारंभिक आकलन के आधार पर मधुबन कोयला धोवनशाला में मार्च, 1995 में कार्य शुरु होना था लेकिन इस कोयला धोवनशाला का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सका;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या ठेके के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) उक्त कोयला धोवनशाला के निर्माण के कब तक पूरा होने की संभावना है और उसकी लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ञ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विवरण पिछले तीन वर्षों के दौरान भा.को.को.लि. की कोयला वाशरियों में आग लगने की दो घटनाएं हुई हैं। आग लगने की घटनाओं के कारण और उनके ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

(1) दिनांक 6.5.98 को, भोजूडीह वाशरी में इलेक्ट्रिकल नियंत्रण कक्ष के स्टार्टर बोर्ड में आग लगी। स्टार्टर बोर्ड के नियंत्रण पैनल में शार्ट सर्किट के कारण आग लगी।

(2) मधुबन वाशरी में कच्चे कोयले की मुख्य फीड कन्वेयर (902 ए एण्ड बी) में दिनांक 10.12.1998 को रात को साढ़े दस बजे के बाद आग लगी। इस आग के कारण बेल्ट कन्वेयर 902 ए एण्ड बी पूरी तरह से जल गए तथा कन्वेयर ढांचे के मुख्य भाग गिर पड़े। आग लगने के मामलों की जांच करने वाली समिति ने यह पाया है कि आग लगने के संभावित कारण रॉलरों के जाम होने से रॉलर और कन्वेयर बेल्ट के बीच होने वाले घर्षण से उत्पन्न गर्मी है।

(ग) अनुमानित हानि, जिसमें सिविल, ढांचागत, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरण सहित ढांचों के पुनर्निर्माण समाहित हैं, 166 लाख रु० की अनुमानित राशि है।

(घ) और (ङ.) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भा.को.को.लि. द्वारा दिनांक 11.12.1998 को गठित निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति के माध्यम से कंपनी स्तर पर जांच की गई है :

(1) श्री एस.पी. सिंह, निदैशक (तकनीकी पी. एण्ड पी., भाकोकोलि) अध्यक्ष

(2) श्री आर. खन्ना, वाशरी प्रमुख, भाकोकोलि सदस्य

(3) श्री एस. चट्टोपाध्याय, सी.जी.एम. (सी.पी./डब्लू.सी./सी), भाकोकोलि सदस्य-सचिव

(4) श्री एस.सी. ब्रेहन, सी.जी.एम. (एम. एम.), भाकोकोलि सदस्य

(5) श्री बी.के. भट्टाचार्य, जी.एम. (वित्त), भाकोकोलि सदस्य

(6) श्री ए.पी. सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, आर. I-II., केखाआडिसंलि सदस्य

(7) श्री एस. घोष, जी.एम. (सेफ्टी), भाकोकोलि, (दिनांक 25.12.1998 से सहयोजित) सहयोजित सदस्य

(च) और (छ) एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मेसर्स माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि॰ (एम.ए.एम.सी.) को दिसम्बर, 1985 में टर्न-की आधार पर मधुबन वाशरी के निर्माण के कार्य सौंपे गए और यह माना जाता था कि एम.ए.एम.सी. दिसम्बर, 1998 तक वाशरी के निर्माण का कार्य पूरा कर देगी। आर.सी.ई. (93) के अनुसार इसे मार्च, 1995 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निम्नलिखित कारणों से संशोधित निर्धारित समय के अंदर कार्य पूरा नहीं किया जा सका :

(1) एम.ए.एम.सी. द्वारा आयातित और देशी उपकरण के लिए आर्डर देने में हुए विलंब।

(2) एम.ए.एम.सी. द्वारा जी.ए. माननित्र को प्रस्तुत करने में हुए विलंब।

(3) एम.ए.एम.सी. द्वारा संयंत्र निर्माण कार्य पूरा करने और उन्हें चालू करने में हुए विलंब।

(4) वन-भूमि को प्राप्त करते हुए विलंब, जिसके कारण क्रास कंट्री कन्वेयर के कार्य प्रभावित हुए।

(5) मेसर्स एम.ए.एम.सी. और उसके उप-अनुबंधकर्ताओं द्वारा पर्याप्त संसाधन न जुटाया जाना।

(6) एम.ए.एम.सी. की गंभीर आर्थिक स्थिति और एम.ए.एम.सी. द्वारा अपेक्षित श्रमशक्ति के साथ पर्याप्त मात्रा में अभिकरणों को नियोजित न करना।

(7) वन विभाग बिहार सरकार अक्तूबर, 1985 में भा.को.को.लि. को कुछ व्यक्तियों के भू-स्वामित्व संबंधी दावों के मामले सौंपे हैं। मामले न्यायालय के न्यायाधीन हैं।

(ज) से (ञ) एम.ए.एम.सी., जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तथा मुख्य अनुबंधकर्ता है, कुछ समय से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। चूंकि उन्होंने वाशरी पर काफी काम किया है, अत: बीच में अनुबंधकर्ता में परिवर्तन से और ज्यादा बिलंब होता। उन्हें परियोजना को पूरा करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया और अंतत: फरवरी, 1998 से भाकोकोलि द्वारा मधुबन वाशरी से कोयला संसाधित करने का काम लेना शुरु किया गया और 10 दिसम्बर, 1998 तक 1.10 लाख टन कच्चा कोयला संसाधित किया गया। क्षतिग्रस्त कन्वेयरों के पुनर्निर्माण के बाद वाशरी पुन: कोयला पुन: संसाधित कर पाएगी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधकर्ता से देर से डिलीवरी दिए जाने से संबंधित निर्धारित हरजाने की ही वसूली की जा सकती है तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार संयंत्र के प्रतिग्रहण के बाद हरजाने की वसूली भाकोकोलि के पास जमा धनराशि से की जाएगी। 71.90 करोड़ रु॰ की लागत की इस परियोजना को फरवरी, 1984 में स्वीकृति दी गई। विलंब के कारण परियोजना की लागत में अक्तूबर, 1993 को 194.18 करोड़ रु॰ तक संशोधन किया गया। संशोधित लागत अनुमान के भीतर ही परियोजना को पूरी कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब आया है, वह सब की आंखें खोल देने के लिए काफी है। हमारे देश में ऐसे अक्षम, निकम्मे पब्लिक सैक्टर्स अपनी धांधलियों और गलतियों के चलते दूसरे पब्लिक सैक्टर का अस्तित्व खतरे में डाल देते हैं। खासकर हमारे सी.पी.एम. के साथी हर पब्लिक सैक्टर के लिए खड़े हो जाते हैं चाहे एम.ए.एम.सी. जैसी निकम्मी कम्पनी ही क्यों न हो। इस कम्पनी के कारण बी.सी.सी.एल. को जितना नुकसान हुआ है, उसकी हिस्ट्री सुन लीजिये। इसके लिए दिसम्बर, 1985 में कांट्रेक्ट मिला जिसे दिसम्बर, 1988 तक बनाना था लेकिन नहीं बना सके। इसके लिए फिर 1995 तक टाइम एक्सटेंड किया गया लेकिन मार्च, 1995 तक भी नहीं बन सका। लोगों ने हल्ला कर-करके और इसके पीछे लग-लगकर बनवाया जिसे लगभग 13 साल के बाद फरवरी, 1998 में कमीशनिंग किया गया। जब कमीशनिंग किया गया तो 8 महीने ठीक से वाशरी नहीं चली क्योंकि इसमें घटिया और पुराने पुर्जे लगाये गये थे। यह काम खुद न करके उन्होंने शेडी कांट्रेक्टर को सब-कांट्रेक्ट करके व घटिया और पुराने पुर्जे लगा-लगाकर जैसे-तैसे खत्म किया। उसमें बी.सी.सी.एल का ऑरिजनल एस्टिमेटेड कॉस्ट 71.90 करोड़ रुपये था जो पूरा होते-होते 194.18 करोड़ रुपये का हो गया। इसके बाद भी वह वाशरी एक साल तक नहीं चल सकी। मंत्री जी ने रीजन्स में बताया है कि रोलर्स जॉम हो गये थे इसलिये रोलर्स कन्वेयर बैल्ट के बीच में फ्रिक्शन बढ़ गई। इस कारण से आग लग गई और 194.18 करोड़ रुपये का काम स्वाहा हो गया। कन्वेयर बैल्ट जल जाने के कारण वाशरी अभी भी बंद है। पता नहीं कितने रुपये में फिर से रिपेयर होगी। इतने मैन डेज का लॉस हुआ, इतने प्रोडक्शन का लॉस हुआ और फिर भी हमारे सी.पी.एम. के साथी हमेशा खड़े रहते हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ सकती हैं, सदस्यों से नहीं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : मैं पूछ रही हूं कि इस तरह के निकम्मे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम.ए.एम.सी. को ब्लैकलिस्ट करने का क्या मंत्री जी ने कोई प्रयास किया है या नहीं? यदि नहीं किया है तो कब इसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं और कब ऑर्डर जारी कर रहे हैं ताकि ऐसे निकम्मे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज को कोल कंपनियों में कोई काम न मिले? . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार इसका संचालन नहीं कर रही है। आप धन उन्हें दीजिए। आप सी.पी.आई. (एम) पर क्यों दोष मढ़ रही हैं? हम सरकारी क्षेत्र के पक्षधर हैं। . . . *(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप प्रश्न समझ रहे हैं?

श्री दिलीप राय : महोदय, दि माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन जिसे एम.ए.एम.सी. के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार का उपक्रम है। माननीय सदस्य ने जो कहा वह सही है। यह कार्य एम.ए.एम.सी. को 1985 में दिया गया था और इस कार्य को पूरा करने में लगभग 13 वर्ष लगे।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : वह भी कंप्लीट नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : करार के मुताबिक हम कंपनी से 'लिक्विडेटेड डैमेज' की वसूली कर सकते हैं जो हम कर चुके हैं। हमने उन्हें भा.को.को.ली. या को.इं.लि. की किसी भी अनुषंगी इकाई में कोई काम नहीं देने का फैसला किया है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, इसके अलावा सिर्फ एम.ए.एम.सी. ही नहीं, दूसरी भी ऐसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने शुरु से कोल कंपनियों का शोषण किया है। खासकर कांग्रेस के 50 साल के शासन में बहुत सारी ऐसी शार्क खड़ी कर दी गई जिनको ये बचाते रहते हैं। अब तो कांग्रेस और सी.पी.एम. एक हो गए हैं। कांग्रेस ने शार्क खड़ी कर दी और ये उनको बचाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप मंत्री से प्रश्न पूछ सकती हैं, माननीय सदस्य से नहीं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं छोटा सा प्रश्न पूछ रही हूं कि ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों, अगर वे कहीं भी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर कहीं वे घटिया और पुराने पुर्जे या केबल सप्लाई करें . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो॰ एन॰के॰ प्रेमाचन्द्रन : फिर आप विनिवेश क्यों कर रहे हैं?

श्री सुनील खां : यह सरकार की नीति का प्रश्न है। आपकी सरकार सरकारी क्षेत्र का पुनरुद्धार करने में पूरी तरह से विफल रही है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : क्या ऐसी शेडी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों की कोई लिस्ट बनाई जा रही है जिनको किसी भी कोल कंपनी में काम न मिले, चाहे कभी भी उन्होंने घटिया पुराने पुर्जे या केबल सप्लाई किये हों या घटिया काम किया हो? क्या ऐसी कोई कंप्रिहेन्सिव लिस्ट पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की आप बना रहे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और कोल कंपनियों में इनको काम न दिया जाए और कब तक ये कोल वॉशरीज बनकर तैयार हो जाएंगी?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, हमारी दो या तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जो हमारे लिए कार्य कर रही हैं जैसे एम.ए.एम.सी., एच.सी.एल. और एच.एस.सी.एल.। हमें उनके साथ थोड़ी कठिनाई है। हम लोग अपने साथ कार्य कर रहे गैर-सरकारी ठेकेदारों के कार्यकरण की भी समीक्षा कर रहे हैं। समय पर काम पूरा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम कड़े उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : हमने उन्हें भा.को.को.लि. या को.इं.लि. के किसी भी एकक में कोई काम नहीं दिया है। मधुबन वाशरी में आग लग गई थी। हम इसे सितम्बर 1999 में चालू करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : यह बिहार का मामला है। बिहार को अलग कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? . . . *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मधुबन वाशरी के चालू किए जाने में देरी हो रही है। इस देरी के लिए एम.ए.एम.सी. के अलावा, जैसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी है, मुआवजा के भुगतान तथा जमीन पर कब्जा देने इत्यादि जैसे भी अनेक कारण रहे हैं जोकि जिम्मेदार हैं। जब आग लगी थी तो मैं स्वयं मधुबन वाशरी गया था। मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ 1.10 लाख रुपए की क्षति हुई थी। यह उससे कई गुनी अधिक थी। यदि आप उत्पादन ठप हो जाने के कारण हुए नुकसान को भी जोड़ लें तो यह नुकसान 20 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। इस दुर्घटना के बाद उत्पादन ठप पड़ गया। अब एक समिति गठित की गई है।

इस समिति जिसमें सिर्फ अनुषंगी भा.को.को.लि. के अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हैं के बारे में मुझे संदेह है। इस विषय की जांच एक स्वतंत्र निकाय के द्वारा कराई जानी चाहिए। जब एम.ए.एम.सी. द्वारा वाशरी भा.को.को.लि. को सुपुर्द नहीं की गयी थी तो उत्पादन क्यों शुरु किया गया? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है? यह एक नयी वाशरी की जिसमें आग लगने की दुर्घटना हुई और इस कारण से उत्पादन ठप पड़ गया तथा कम से कम 20 करोड़ रुपए की क्षति हुई। जब एम.ए.एम.सी. ने भा.को.को.लि. को वाशरी सुपुर्द नहीं की थी तो किसने उत्पादन शुरु करने का निर्णय लिया? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या स्वतंत्र निकाय जैसे सी.बी.आई. से इसकी जांच कराई जाएगी।

श्री दिलीप राय : महोदय, सबसे पहले मैं यह कहता हूं कि इसमे परीक्षण के तौर पर उत्पादन किया जा रहा था न कि नियमित रूप से। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं एम.ए.एम.सी. इस आग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है जब कि हमें भी कुछ कठिनाइयां थीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सीधा प्रश्न यह है कि क्या इसकी स्वतंत्र जांच के आदेश दिए जाएंगे।

श्री दिलीप राय : महोदय, मैं इस विषय पर आ रहा हूं। यह प्रश्न का एक भाग था। हमने अपनी ओर से उत्तरदायी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। लागत के संबंध में यह सच्चाई है कि इस एकक की मरम्मत के लिए 1,66,00,000 रुपए की आवश्यकता है तथा इसमें बेकार गए श्रम दिवसों तथा उत्पादन क्षति को नहीं जोड़ा गया है। स्वतंत्र निकाय के द्वारा जांच कराने के सुझाव की हम जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर में लिखा है कि निर्धारित हर्जाने की ही वसूली की जा सकती है तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार संयंत्र के प्रतिग्रहण के बाद हर्जाने की वसूली भारतीय कोकिंग कोल लि. के पास जमा धनराशि में से की जाएगी तथा 71.90 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना फरवरी 1984 में स्वीकृत की गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 1984 में जब यह योजना स्वीकृत हुई, तब इसकी लागत 71.90 करोड़ रुपये थी फिर आपने 1993 में उसको स्वीकृत किया, तब लागत बढ़कर 194.18 करोड़ रुपये हो गई। इसकी जवाबदेही किस पर है और जवाबदेह व्यक्ति पर सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है। यह मैं सरकार से स्पष्ट जानना चाहता हूं। . . . *(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया कब तक वसूल होगा, इसमें कब से काम प्रारम्भ किया जाएगा और इसके लिए दोषी व्यक्तियों पर सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय : महोदय, 1985 में जब यह कार्य एम.ए.एम.सी. को दिया गया था उस समय परियोजना की कुल लागत 72 करोड़ रुपए थी। बाद में 1998 तक संशोधन के बाद यह लागत 190 करोड़ रुपए हो गई। उस पर सिर्फ ब्याज का अतिरिक्त भार 40 करोड़ रुपए का पड़ा और इसके अलावा लागत में भी वृद्धि हो गई। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया है। अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा एम.ए.एम.सी. को काली सूची में डाल दिया गया है। हम लोग इस एकक को सितम्बर 1999 में चालू करने जा रहे हैं।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : महोदय, प्रश्न सं. 242 और 243 एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रश्न सं. 242 मधुबन कोल वाशरी से संबंधित है और प्रश्न सं. 243 कोल वाशरी की स्थापना से संबंधित हैं। आन्ध्रप्रदेश में सिंगरेनी कोलियरी है। वहां कोई कोल वाशरी नहीं हैं। यहां के कुछ खदानों में पाया जाने वाला कोयला अत्यन्त ही निम्न गुणवत्ता वाला है। क्या सरकार का वहां कोल वाशरी स्थापित करने का कोई विचार है? यदि नहीं, तो सरकार अभी इनकी स्थापना पर विचार क्यों नहीं करती है?

श्री दिलीप राय : महोदय, सिंगरेनी कोलफील्ड का कार्य संचालन मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके शेयर में राज्य और केन्द्र का अंश 51:49 के अनुपात में है। हम इस पर निगाह रख रहे हैं। यदि उस ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

गुणवत्ता वाले रेशम केन्द्र की स्थापना हेतु समयबद्ध कार्यक्रम

***245. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों को रेशम उत्पाद व रेशम बुनकर बहुल क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले रेशम केन्द्रों की स्थापना करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार विशेष रूप से बिहार में ऐसी इकाइयों की संख्या कितनी है, विशेष रूप से जिनका अब तक आधुनिकीकरण किया जा चुका है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने उत्कृष्ट रेशम केन्द्रों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरु करने के लिए किसी भी राज्य सरकार को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं। तथापि, गुणवत्ता में सुधार लाने सहित रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए योजनाएं शुरु करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नौंवीं योजना के दौरान सरकार ने उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 36 उत्प्रेरक विकास योजनाओं का अनुमोदन किया है। अभी तक लगभग 82.47 करोड़ रु० की लागत से 206 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड का योगदान 42.32 करोड़ रु० है। बिहार राज्य के संबंध में, राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 0.46 करोड़ रु० की लागत से 7 योजनाओं का अनुमोदन किया गया है जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड का योगदान 0.26 करोड़ रु० है। उत्प्रेरक विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित राज्य-वार प्रस्तावों के संक्षिप्त विवरण अनुबंध में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान और विस्तार एककों के अपने नेटवर्क द्वारा राज्य सरकारों को अनुसंधान व विकास संबंधी सहायता भी प्रदान करता है।

अनुबंध

नौंवी योजना के दौरान राज्यों में क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अब तक अनुमोदित उत्प्रेरक विकासात्मक योजनाओं के संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित योजनाएं		
		संख्या	कुल लागत	के.रे.बो. का योगदान
1	2	3	4	5
(क)	**परंपरागत राज्य**			
1.	कर्नाटक	12	2859.66	1239.73
2.	तमिलनाडु	11	557.24	324.44
3.	जम्मू व कश्मीर	8	730.10	310.96
4.	आंध्र प्रदेश	14	872.00	570.34
5.	पश्चिम बंगाल	12	238.09	136.19.
	उप योग (क)	57	5257.09	2581.66
(ख)	**गैर-परंपरागत राज्य**			
6.	महाराष्ट्र	4	62.45	57.45
7.	मध्य प्रदेश	16	300.80	185.22
8.	उड़ीसा	19	362.15	220.83
9.	बिहार	7	46.25	26.20
10.	उत्तर प्रदेश	10	495.86	154.36
11.	केरल	6	335.19	107.65
12.	गुजरात	1	3.00	3.00
13.	पंजाब	2	4.05	4.05
14.	हरियाणा	5	8.38	6.88
15.	सिक्किम	10	166.68	85.21
	उप योग (ख)	80	1784.81	850.85
(ग)	**पूर्वोत्तर राज्य**			
16.	असम	17	607.65	407.27
17.	अरुणांचल प्रदेश	9	40.37	28.82
18.	मणिपुर	5	61.46	38.27
19.	मेघालय	7	100.71	84.97
20.	मिजोरम	13	163.56	100.06
21.	नागालैंड	10	174.75	105.46
22.	त्रिपुरा	8	56.20	34.42
	उप योग (ग)	69	1204.70	799.27
	कुल योग : क+ख+ग	206	8246.60	4231.78

टिप्पणी : जिन कुल 24 राज्यों को योजनाओं की पेशकश की गयी थी उनमें से 22 राज्यों से लघु परियोजनाएं प्राप्त हुई थी तथा उनका अनुमोदन संप्रेषित कर दिया गया था। दो राज्यों अर्थात् राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि – "केन्द्रीय सरकार ने उत्कृष्ट रेशम केन्द्रों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरु करने के लिए किसी भी राज्य सरकार को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं।" मेरा कहना है कि रेशम केन्द्रों के आधुनिकीकरण करने और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है जबकि भारत विश्व में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा स्थान रखता है फिर भी भारत में 5 हजार टन सिल्क आयात होता। भारत में 60 लाख गरीब परिवार इस उद्योग से जुड़े हुए हैं फिर भी आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण सिल्क केन्द्र देश के बुनकर बहुल क्षेत्र में नहीं खोले जा रहे हैं जिसके कारण

वैध और अवैध तरीके से 10 लाख टन रेशम आयात होने से देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बहुत बड़ी मात्रा में बर्बाद हो रही है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में आधुनिक सिल्क केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर स्थापना करेगी ताकि देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सांसद ने कही है, वह बिल्कुल सही है। हमारे यहां जो सिल्क का प्रोडक्शन है वह हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम है। हमारी रक्विायरमेंट 24-25 हजार टन रेशम की है और हमारा उत्पादन लगभग 15 हजार टन है। सरकार सेंट्रल सिल्क बोर्ड के थ्रू रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है। उसमें बहुत सारी योजनाएं भी सम्मिलित हैं। जैसे कि हमने सी.एस.बी. के तहत देश भर में रिसर्च नैट वर्क भी शुरु किया है और सिल्क कंडीशनिंग एंड टैस्टिंग हाउसेस भी शुरु किए हैं। नैशनल सैरीकल्चर प्रोजैक्ट की भी हमने सारे देश में शुरुवात की है और इसके साथ-साथ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ टैक्नीकल सर्विस सेंटर्स फॉर कोकून टैक्नालौजी और रीलिंग के लिए हमने कोशिश की है। हमारे रॉ-सिल्क कंडीशनिंग और टैस्टिंग सेंटर्स भी इस संबंध में बहुत सारे उपाय कर रहे हैं जिससे देश में रेशम का उत्पादन बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने बताया कि आयात के पीछे हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह जो सिल्क की जो शार्टेज है, उसको लीगल तरीके से इम्पोर्ट करके जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं वे सही हैं। अब सरकार ने एस. आई.एल. के तहत् रिपोर्ट करने की छूट दी है। यह सब हमने शार्टेज को मिटाने के लिए किया है।

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के "ख" भाग का जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। उत्तर के अनुसार बिहार में दी जाने वाली राशि बहुत ही कम है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में ऐसी यूनिटों की संख्या कितनी है जिनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है? मैं बताना चाहता हूं कि भागलपुर जिले में 25 हजार परिवार सिल्क उद्योग से जुड़े हुए हैं। भागलपुर से 1000-1200 करोड़ रुपए का सिल्क निर्यात होता है। भागलपुर से 4 से 6 टन सिल्क सूत की तस्करी चीन, कोरिया, नेपाल और बंगलादेश के रास्ते से होती है। भागलपुर में 3000 टन रॉ-सिल्क का उत्पादन होता है फिर भी भागलपुर में अब तक एक्सपोर्ट हाउस या लाइसेंसिंग जोन देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। इसलिए में सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिहार के भागलपुर जिले में आधुनिक रेशम केन्द्र की स्थापना करने का इरादा रखती है या नहीं?

केन्द्र सरकार के सिल्क कंडीशनिंग तथा परिष्कृत रेशम गुणवत्ता का टैस्टिंग केन्द्र – एक परीक्षण प्रयोगशाला बंगलौर में काम कर रही है। इसके अलावा वाराणसी, भागलपुर तथा जम्मू में इस प्रकार की परीक्षण प्रयोगशालाएं सरकार के विचाराधीन हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी परीक्षण प्रयोगशालाएं भागलपुर में कब तक स्थापित होंगी?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, बिहार में टस्सर सिल्क का उत्पादन होता है और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है। जहां तक भागलपुर की एक्टिविटी के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, वहां एक सर्टिफिकेशन सैंटर भी है जहां से गुड्स एक्सपोर्ट होता है। इसके बारे में भी हम सर्टिफिकेट देते हैं। रॉ मैटीरियल बैंक का सब डिपो भी हमने सेटअप किया है। टेक्नीकल सर्विस एंड ट्रेनिंग सैंटर भी चल रहा है। इतना ही नहीं इको टैस्टिंग लेबोरेट्रीज की भी हमने वहां स्थापना की है। भागलपुर में वैसे भी सी.एस.बी. की ओर से एक प्रौजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत वहां की रीलिंग एक्टिविटीज भी चले और टस्सर का भी प्रोडेक्शन बढ़े।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : अनुबंध से यह पता चलता है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केरल में अब तक छ: योजनाएं अनुमोदित की हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में रेशम उत्पादन उद्योग का विकास हुआ है और यह बड़े पैमाने पर उन्नति कर रहा है। परन्तु कठिनाई यह है कि कोई भी इसके तैयार उत्पाद को नहीं ले रहा है। क्या आप इसकी कताई की व्यवस्था कर सकते हैं त.कि केरल में रेशम का कपड़ा तैयार किया जा सके? आप केरल में ही रेशम उत्पाद के उपयोग के लिए एक योजना क्यों नहीं बनाते? क्या आप कोई सुझाव देंगे अथवा केरल में सारे रेशम उत्पाद को लेने के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं को आरंभ करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को आदेश देंगे?

श्री काशीराम राणा : माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अनुदेश देगी।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि वाराणसी से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में रेशम उत्पादन के लिए भूमि बहुत उपजाऊ है? क्या सरकार उत्तर प्रदेश के इस एरिया में रेशम के उत्पादन को बल प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि हमने भागलपुर और वाराणसी में परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का निश्चय किया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वाराणसी में परीक्षण प्रयोगशाला कब तक प्रारंभ हो जायेगी?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक 206 प्रपोजल्स इम्पलीमैंट हुए हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश के 10 प्रपोजल्स थे, जो 495.86 लाख की कॉस्ट पर इम्पलीमैंट हुए। इसमें सी.एस.बी. का शेयर 154.36 लाख है। जहां तक वाराणसी का सवाल है, तो वाराणसी सिल्क का कन्ध्यूमिंग करने का बड़ा सैंटर है इसलिए यहां पर सिल्क प्रोडैक्शन की एक्टिवटीज पर हम कंसेन्ट्रेट कर रहे हैं। माननीय सांसद ने अभी जो सुझाव दिया है, उस पर हम जरूर विचार करेंगे।

श्री चमन लाल गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने आठ स्कीम्स एप्रूव की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रीजनवाइस लद्दाख के लिए कितनी स्कीम्स हैं, जम्मू के लिए कितनी स्कीम्स हैं और कश्मीर के लिए कितनी स्कीम्स हैं? इसके

साथ-साथ एक विशेष चीज वहां पर है, जिसे मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो किसान या छोटा आदमी रेशम के कीड़े को पालता है, खुड्डियां तैयार करता है, उसके बाद बहुत सारे ठेकेदार जाकर पूल करके जो वाजिब मूल्य उसे मिलना चाहिए, वह मिलने नहीं देते। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इसे रोकने के लिए क्या करने वाले हैं और क्या जम्मू में कोई आधुनिक सिल्क केन्द्र खोलने वाले हैं, इसकी जानकारी दीजिए?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सांसद ने बताया, वहां अभी तक आठ प्रपोजल इम्प्लीमैंट हुए हैं। जैसा माननीय सांसद चाहते हैं, यदि सिल्क के लिए वहां क्लाइमेट अच्छा है, सी. एस.बी. के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर भी इन्क्लूडेड है। जो आपने अलग-अलग ब्रेक-अप मांगा है कि जम्मू कश्मीर में कहां-कहां वे स्थान हैं, उसकी पूरी डिटेल मैं हाउस के टेबल पर रख दूंगा।

श्री चमन लाल गुप्त : ठेकेदार जो गड़बड़ करते हैं, किसान को मूल्य नहीं मिलने देते, उसके बारे में भी बताएं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से असम में अधिकांश गरीब परिवार रेशम उद्योग से जुड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पाद के विपणन और रेशम उद्योग के विकास में कठिनाइयां हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार गरीब किसानों की सहायता करने और रेशम उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की भरण-पोषण और भौगोलिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एक पायलट प्रोजैक्ट आरंभ करने के बारे में विचार करेगी?

श्री काशीराम राणा : जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, सरकार रेशम उत्पादन गतिविधियों पर भी ध्यान दे रही है क्योंकि यहां कुछ कठिनाइयां हैं। परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद सरकार माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर भी ध्यान देगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सिल्क से संबंधित नहीं है लेकिन यदि आप ऐलाव करेंगे तो मुझे एन.टी.सी. के बारे में प्रश्न पूछना है।

मुम्बई और पूरे देशभर की एन.टी.सी. मिलों को आप कपास, रॉ-मैटीरियल और फाईनैंस नहीं देते जिसकी वजह से वे मिलें बंद हो रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास एन.टी.सी. मिलों को रिवाइव करने के लिए कोई पैकेज है और यदि है तो उसे कब तक लागू करने वाले हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, देशभर में जितनी एन.टी.सी. मिलें हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल की ओर से रिवाइवल पैकेज तैयार किया गया है और उसे हमने कैबिनेट की ऐप्रूवल के लिए भेजा है।

[अनुवाद]

डा॰ असीम बाला : महोदय, यह प्रश्न गुणवत्ता वाले रेशम केन्द्रों के बारे में है। गुणवत्ता वाले रेशम केन्द्रों में गुणवत्ता नियंत्रण करने वाले कर्मचारी की आवश्यकता होगी और सरकार देश के विभिन्न भागों में केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाने जा रही है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कार्यरत वैज्ञानिकों के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। वे नाम से वैज्ञानिक हैं परन्तु आई.सी.ए.आर. अथवा सी.एस.आई.आर. में कार्यरत वैज्ञानिकों की तुलना में उनके वेतमान और ग्रेड उपयुक्त नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे माननीय मंत्री महोदय और सरकार इन वैज्ञानिकों को वही वेतनमान और ग्रेड देने जा रही है जो कि हमारे देश में कार्यरत अन्य वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं।

श्री काशीराम राणा : वैज्ञानिक संघ ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है और वस्त्र मंत्रालय ने संघ द्वारा दिए गए सुझावों की जांच भी की है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने वित्त मंत्रालय को एक सिफारिश भी की है।

पेटैंट प्रणाली का पुनर्गठन

+

***246. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-मंडलीकरण के पश्चात् प्रक्रिया और उत्पाद पेटैंटों, कापीराइट और ट्रेड मार्क संबंधी मामलों को निपटाने के लिए विश्व गानक संबंधी संस्थागत और संगठनात्मक सुधारों को स्थापित करने व प्रोत्साहित करने, युक्तिसंगत एवं सुदृढ़ बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठनों के प्रावधानों, विशेषत: अंतर्राष्ट्रीय मानकों, परिचालन के कंप्यूटरीकरण मानव संसाधनों तथा बुनियादी संरचना के विकास तथा बकाया पेटैंट आवेदन पत्रों की मंजूरी संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए की गई आरंभिक तैयारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय पेटैंट कार्यालय में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) बढ़ते हुए एवं विशेष स्वरूप वाले कार्य की मात्रा से निपटने हेतु कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए गठित पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के पेरिस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ड.) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ख) सरकार ने 75.59 करोड़ रु० की लागत से पेटेंट कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है जिसका कार्यान्वयन नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाना है। इस परियोजना के प्रमुख अवयवों में, नई दिल्ली में विद्यमान कार्यालय को उन्नयन करके एक राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय की स्थापना करना, शाखा कार्यालयों को सुदृढ़ करना, प्रौद्योगिकी के विद्यमान तथा उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा दक्ष कर्मी उपलब्ध कराना, कम्प्यूटरीकरण तथा अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना, वित्तीय तथा परिचालन स्वायतता, प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरुकता प्रदान करने संबंधी सेमीनार, आदि आयोजित करके जागरुकता लाया जाना शामिल है।

ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में एक परियोजना पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 प्रमुख समझौतों/संधियों के साथ व्यापक रूप में संगतता रखता है तथा इसका प्रशासन औपचारिकता मुक्त है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के करार के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं पर करार में निहित भारत के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से, जिससे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, हमारे दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करने हेतु अन्तर-मंत्रालयीय परामर्श किया जा रहा है।

(ग) अप्रैल, 1998 से फरवरी, 1999 की अवधि के दौरान प्रक्रिया तथा उत्पाद का पेटेंट प्रदान करने के लिए पेटेंट कार्यालय में 8427 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। ये आवेदन-पत्र जांच किए जाने हेतु लम्बित हैं।

(घ) पेटेंट कार्यालय के आधुनिकीकरण परियोजना में पेटेंट कार्यालय के कर्मियों को प्रशिक्षण देने तथा उनमें जागरुकता उत्पन्न करने का प्रावधान शामिल है। आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए उपयुक्त कार्यक्रम बनाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में प्रदान की गई प्रशिक्षण की सुविधाओं का भी लाभ उठाया जाता है।

(ड.) औद्योगिक सम्पदा अधिकारों तथा पेटेंट सहयोग सन्धि की सुरक्षार्थ भारत द्वारा पेरिस सम्मेलन को स्वीकृत किए जाने के पश्चात्, इसके उपयोगकर्ताओं के लिए नवम्बर-दिसम्बर, 1998 में कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसके अतिरिक्त, पेटेंट अधिनियम, 1970 के संबद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत पेरिस सम्मेलन के सदस्य देशों तथा पी सी टी को सम्मेलन देशों के रूप में घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी, पेटेंट नियमावली, 1972 में प्रावधान किए गए थे ताकि पेटेंट कार्यालय पी सी टी के अन्तर्गत दायर आवेदन-पत्रों को प्राप्त कर सके तथा उक्त पर कार्यवाही कर सके। अमरीकी, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, चीन के पेटेंट कार्यालयों तथा यूरोपियन पेटेंट कार्यालय को भारत में दायर पी सी टी आवेदन-पत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जांच तथा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक जांच प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया। पेटेंट कार्यालय के स्टाफ को भी कार्य का निपटारा किए जाने के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैंने अपने प्रश्न का जो उत्तर चाहा था, वह अभी भी अपूर्ण है और पूरी तरह से नहीं दिया गया है तथापि क्या माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि अप्रैल 1998 से फरवरी 1999 तक जितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कुछ सैटल भी हुए हैं, अब तक उनके सैटल न होने का क्या कारण है? क्योंकि, आपने बताया कि हमारे पास स्टाफ की भी कमी है। क्या स्टाफ की कमी से सैटल नहीं हुए अथवा अन्य कोई कारण हैं, जिससे अब तक आप उनका निराकरण नहीं कर सके?

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, जवाब बहुत ही साफ लिखा है कि अप्रैल, 1998 से फरवरी, 1999 के दौरान 8427 एप्लीकेशंस मिली हैं और ये आवेदन जांच के लिए लंबित हैं।

एग्जामिनेशन न होने की वजह बहुत ज्यादा है। हमारे यहां चार पेटेंट आफिसेज दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में हैं और मॉडर्न गेजेट्स वहां मौजूद नहीं है जिससे वे एफीशिएण्टली काम कर सकें, इसलिए एक-एक एप्लीकेशन को क्लियर करने में तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच साल लगते हैं।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैंने यही बात कही थी कि इतने लम्बे समय से लम्बित पड़े रहने का कारण क्या यह भी है कि वहां स्टाफ की कमी है। जैसा कि आपने बताया, पेटेंट कार्यालय की आधुनिकीकरण परियोजना में पेटेंट कार्यालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने तथा उनमें जागरुकता उत्पादन करने का प्रावधान है। साथ ही आपने यह भी लिखा है कि सरकार ने 75.59 करोड़ रुपये की लागत से पेटेंट कार्यालय में आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है। क्या अब तक इन कमियों के कारण प्राप्त आवेदनों को इनको आप स्वीकृत नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमारे जो पेटेंट वाले हैं, उनको अत्यधिक कठिनाई हो रही है और इस कारण जो नई चीजें लाना चाहते हैं, वे नहीं आ पा रही हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे ऑनरेबिल मैम्बर की शिकायत का पूरा एतगफ है, जो दुरुस्त है। अनफोर्चुनेटली इस तरफ तवज्जह नहीं दी गई। पेटेंट आफिसेज को बहुत एफीशिएंट आर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब वह कोशिश की जा रही है। एक नया पेटेंट आफिस दिल्ली में सैट-अप करने की कोशिश की जा रही है। 75 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा उसके सैट-अप करने के लिए रकम मुकर्रर कर दी गई है और वहां बिल्कुल काम्पीटेंट और प्रोपरली एजुकेटिड वर्कर्स को भी अवेयरनैस प्रोग्राम और ट्रेनिंग वगैरह के लिए बाहर भेजा जा रहा है। वे आयेंगे तो जो हमारे मुख्तलिफ शहरों में पेटेंट आफिसेज हैं, उनको भी अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है। इसलिए अब मैं समझता हूं कि यह काम आइंदा तेजी से चलने की उम्मीद है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पेटेंट का कानून परसों संसद में पास हो गया। उस कानून में एक धारा 37 है और एक धारा 90 है। मेरी जानकारी है कि वह धारा 37 और धारा 90 उस पेटेंट कानून से बाहर कर दी गई है। उसके बाहर करने से. . . *(व्यवधान)* क्वैश्चन से सम्बन्धित विषय है। उसके बाहर करने से

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आधिपत्य कृषि के क्षेत्र में और दवा के क्षेत्र में मेरी जानकारी में बढ़ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इस तरह के अधिकार बढ़ाने के पीछे मूल कारण, प्रभावी कारण यह है कि जो अधिकारी सरकार को इस पेटेंट के बारे में सलाह देते हैं, वे और उनसे सम्बन्धित लोग उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में नौकरी करते हैं, आई.एम. एफ. में नौकरी करते हैं, अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं में नौकरी करते हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे अधिकारी, जो लोग कम्पलसरी रिटायरमेंट लेकर या सार्वजनिक पैसे से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, चाहे सेना के अधिकारी हों या ज्यूडिशियरी के अधिकारी हों या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हों, इन धाराओं के हटा दिये जाने से विदेशी कम्पनियों में काम करते हैं, क्या भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा कानून बनने जा रहा है कि इन लोगों पर कोई रोक लगाई जा सके, जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में मोटी रकम प्राप्त करते हैं, उस पर रोक लगाई जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, यह प्रश्न पेटेंट प्रणाली के पुनर्गठन से संबंधित है। क्या आप यही पूछना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिससे देश का आन्तरिक और बाह्य खतरा बढ़ता जा रहा है, उसे रोका जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जवाब देंगे?

श्री सिकन्दर बख्त : पूरक प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, पेटेंट कानून तो 1970 का बना हुआ है। उसमें सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनीज की सुविधा के अनुसार संशोधन कर दिया है, हमारी आपत्ति इसी बात पर है। अभी भारत के विधि आयोग ने भारत सरकार को इस संशोधन के सम्बन्ध में कुछ राष्ट्रवादी सुझाव दिए, जिनको इस संसद से छिपाया गया और संसद के सामने नहीं लाया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विधि आयोग द्वारा सुझाए गए उन संशोधनों के अनुसार और आज जो विश्व व्यापार समझौता है, उन दोनों में तालमेल बिठाते हुए क्या भारत सरकार इस पेटेंट अधिनियम में नए संशोधन करने पर विचार करेगी?

श्री सिकन्दर बख्त : सवाल का स्कोप बुनियादी तौर पर कनेक्टिड है फंक्शनिंग आफ दि पेटेंट आफिसिज से, इसका पेटेंट कानून से कोई ताल्लुक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, यदि आप बैठ जाएं तो आपको मौका मिल सकता है।

श्री एन्सी॰ जोस : आप उस पक्ष की ओर नहीं देखें, यही कारण है कि मैं सामने वाली पंक्ति में आकर बैठ गया हूं। खैर, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : पेटेंट्स (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित करते समय कई बातें कही गई थीं। मैं इन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पेटेंट प्रणाली के पुनर्गठन में सरकार अनुसन्धान तथा विकास की घरेलू तथा स्वतंत्र पद्धति का विकास करने में समर्थ रहेगी।

श्री सिकन्दर बख्त : जी, महोदय, ऐसा माना गया है कि हमारे पेटेंट कार्यालय अत्याधुनिक हैं तथा वे उपलब्ध आधुनिक तकनीकों की बुनियाद पर कार्य करते हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैं मंत्री जी के विचार से सहमत नहीं हूं। ऐसा नहीं हो सकता . . . *(व्यवधान)*

श्री एन्सी॰ जोस : यदि आप मेरा नाम इस तरह से पुकारते हैं तो मैं तो स्थान पर बैठा ही रह जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर बैठना सदैव श्रेयस्कर है।

श्री एन्सी॰ जोस : अब, मैं भी अपने सीट पर बैठना पसन्द करूंगा। मैं इस पूरक प्रश्न को पूछने हेतु अनुमति दिए जाने के लिए आपका कृतज्ञ हूं।

इस देश में अत्यन्त गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। अपने सभी मतभेदों के बावजूद हमने पेटेंट्स (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है। इस देश में पेटेंट आवेदनों की बाढ़ सी आ गई है। माननीय मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि वह पेटेंट कार्यालयों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 75 करोड़ रुपए की योजना तैयार कर रहे हैं। यह अत्यन्त ही अस्पष्ट उत्तर है। मुझे नहीं पता कि दिल्ली में ही सिर्फ एक कार्यालय है अथवा विभिन्न राज्यों में शाखा कार्यालय भी हैं। दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है। यहां तक कि वकीलों को भी यह ठीक-ठीक पता नहीं है कि किन-किन स्थानों पर इसके शाखा कार्यालय हैं। क्या मंत्री जी हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के किन-किन स्थानों में पेटेंट शाखा कार्यालय मौजूद हैं? यदि शाखाएं पर्याप्त संख्या में नहीं हैं तो मंत्री जी को कम से कम प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों की मंजूरी देनी चाहिए। मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में बताया है कि ट्रेडमार्क आवेदनों के अतिरिक्त 8000 पेटेंट आवेदन भी लंबित पड़े हैं। मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है जहां वे आवेदन चार या छः वर्षों से लंबित पड़े हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मंत्री जी को तत्काल तथा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालय खोलेगी। मेरी जरूरत है कि केरल में कम से कम एक क्षेत्रीय कार्यालय हो। सरकार को इन कार्यालयों के बारे में पर्याप्त प्रचार करना चाहिए।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, आज कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई में पेटेंट कार्यालय स्थित हैं।

श्री राजो सिंह : बिहार की क्या स्थिति है?

श्री सिकन्दर बख्त : मै जो है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। मैंने जब बिहार का नाम नहीं लिया तो इसका तात्पर्य यह है कि बिहार में पेटेंट कार्यालय नहीं हैं। हमने दिल्ली में अत्याधुनिक कार्यालय की योजना बनाई है। जमीन की निशानदेही कर ली गई है तथा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन आबंटित कर दिया गया है। स्टाफ की जानकारी और प्रशिक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस आधुनिकीकरण की परियोजना में 20 करोड़ की अनुमानित लागत पर लंबित पेटेंट आवेदनों के निपटारे की बात भी शामिल है। इस उद्देश्य से समयबद्ध सीमा में निपटने के लिए आवश्यक पर्यवेक्षकीय स्टाफ सहित लगभग 200 परीक्षकों की विशेष तकनीकी जांच टीम का गठन किया गया है। इस टीम को आवश्यक सुविधाएं, 'सर्च टूल्स', और कम्प्यूटर उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे।

[हिन्दी]

डा० विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से पेटेंट कार्यालय के आधुनिकरण की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है कि इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया जाएगा। आगे मंत्री जी का उत्तर है कि इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स के करार में, व्यापार संबंधी पहलुओं पर हुए करार में निहित भारत के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से, जिस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, हमारे दायित्वों को पूरा करने के लिए, आवश्यक उत्तरदायित्वों पर विचार करने हेतु अंतर-मंत्रालयीन परामर्श किया जा रहा है। यह प्रश्न मैंने एक बार इसी महान सभा में पूछा भी था परंतु उस बार भी मुझे इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

भारत के पास एक ग्रन्थ है जो ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी नोहाउ इत्यादि सारी जानकारियों से भरा पड़ा है, जिसमें आयुर्वेद, आयुर्वेदिक उत्पादन इत्यादि का पूरा जिक्र किया गया है और ऐसे ग्रन्थ का नाम 'वेद' है। यह एक महान ग्रन्थ है जो भारत का अपना है। आज वह स्थान जहां यह ग्रन्थ लिखा गया था, हमारे देश के पास नहीं है फिर भी जिस देश में यह ग्रन्थ लिखा गया था, वे लोग भी इसे अपना नहीं हमारा ही मानते हैं कि यह भारत का ग्रन्थ है। पिछले दिनों हमारे उत्पादनों को किस तरह से लूटा गया था, यह किसी से छिपा नहीं है। नीम को जर्मनी ने लूट लिया, बासमती को अमरीका ने लूट लिया, यह बहुत गंभीर मामला है। यह प्रश्न मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, इसलिए इसकी थोड़ी सी भूमिका स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि वेद जैसे ग्रन्थ का कॉपीराइट कराया जाए ताकि पेटेंट की सारी समस्याएं दूर हो जाएं और पेटेंट के मामले में दुनिया भारत की आज्ञा और स्वीकृति के लिए मोहताज रहे, भारत के कदमों में रहे। वेद की कुल 1153 शाखाएं हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० सोनकर शास्त्री, मैं आपके पूरक प्रश्न को अस्वीकार कर दूंगा।

[हिन्दी]

डा० विजय सोनकर शास्त्री : मैं पूछना चाहूंगा कि इसके कॉपीराइट के बारे में सरकार क्या कोई विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं?

डा० विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने पूछा था कि इस बारे में अभी तक विचार क्यों नहीं हुआ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं मोहतरम सदस्य के जजबातों की बहुत कद्र करता हूं, जो काबिल-ए-तारीफ है।

डा० विजय सोनकर शास्त्री : महोदय, पिछली बार भी मेरे प्रश्न की सिर्फ कद्र की गई थी लेकिन उस पर कुछ कार्यवाही नहीं की गई थी। मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ कार्यवाही करने के लिए माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पेटेंट (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रीय सहमति तक अब तक नहीं पहुंच सके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो दिन पहले पारित किए गए पेटेंट अधिनियम के संशोधन के बारे में राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है।

महोदय, पेटेंट कार्यालयों में अप्रैल 1998 से फरवरी 1999 के बीच पेटेंट के प्रक्रिया तथा उत्पादों के पेटेंट की अनुमति के लिए 8427 मामले लंबित पड़े हैं।

इन आवेदनों पर विचार करने तथा निपटारा करने में आपको कितना समय लगेगा? क्या इन आवेदनों को निपटाने के लिए कोई मापदंड है?

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : जो मौजूदा बेनूलअकवामी आबोहवा है उसमें हमारे यहां के पेटेंट आफिसेज का बहुत एफिशिएंटली और जल्दी पेटेंट एप्लीकेशंस को क्लियर करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मुखतलिफ कदम उठाए गए हैं। पहला कदम एक नया आफिस सेटअप करने के लिए है। दूसरा कदम यह है कि जो चारों शहरों में. . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन्सी० जोस : महोदय, हमारे पेटेंट कार्यालय सबसे अकुशल कार्यालय हैं किंतु वह कह रहे हैं कि हमारी प्रणाली कुशल है। हमारी प्रणाली कुशल नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे खेद है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं खाली यह कहना चाहता हूं कि बेहद कदम उठाए जा रहे हैं। हम नये लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अवेयरनैस के प्रोग्राम्स चला कर, उन्हें माडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। यह दिक्कत कतई तौर पर है, मैं मानता हूं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : आवेदनों का निपटारा करने की निर्धारित समय सीमा क्या है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी पूरी बात कहने दीजिए।

श्री सिकन्दर बख्त : आधुनिकीकृत प्रणाली में औसत समय को 51 महीनों से घटाकर 33 महीने करने का प्रस्ताव है। हम लोग इस समय सीमा को घटाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हम सब तैयारियां कर रहे हैं लेकिन जो पुराने आफिसेज हैं, जैसे मुम्बई का आफिस है वहां बहुत से आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। महोदय, अभी पेटेंट का बिल पास किया है। फारेन कम्पनियां आ रही हैं। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी नीचे के लेवल से शुरु हो रहा है। इसे रोकने के लिए जल्दी से जल्दी डिस्पोजल की क्या आप कोई टाइम लिमिट करेंगे ताकि एप्लीकेशन आने के बाद कितने दिन, महीने और साल में इस पर कार्यवाही पूरी हो और उसमें कोई भ्रष्टाचार न करे। जो भ्रष्टाचार करे, क्या उस पर कार्यवाही करने का सरकार का इरादा है?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं माननीय सदस्य के जजबातों की कद्र करता हूं। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो बैकलॉग है वह लम्बे अर्से का है। मैं इससे भी वाकिफ हूं कि मुम्बई के पेटेंट आफिस को अपग्रेड करने की जरूरत है। इस वक्त चारों शहरों में निजी आफिसेज मौजूद हैं, उन सब को अपग्रेड करना है। गवर्नमेंट ने इसके प्रोग्राम बना लिए हैं। इन एडीशन एक नया पेटेंट आफिस खोला जा रहा है। हमने अपने सामने जापान का नमूना रखा है।

[अनुवाद]

जापान ने छः महीनों में एक हजार से ज्यादा पेटेंट आवेदनों का निपटारा किया, और चूंकि हम भी उतने ही कुशल हैं। हमारी दृष्टि में हम भी वैसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : महोदय, मंत्री जी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : महोदय, पेटेंट अधिनियम संशोधित किया जा चुका है। इसलिए बौद्धिक अधिकारों के अनाधिकार प्रवेश का अत्यधिक खतरा हो गया है। इस स्थिति में, घरेलू प्रतिभा और बौद्धिकता को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट कार्यालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। किंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि पेटेंट कार्यालयों का पुनर्गठन करने के बदले कलकत्ता स्थित पेटेंट कार्यालय को वहां से स्थानान्तरित किया जा रहा है। उस स्थिति में चूंकि कलकत्ता पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है कलकत्ता में हमारे घरेलू क्रियाकलापों का कैसे विकास होगा? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कलकत्ता स्थित कार्यालय को वहां से क्यों स्थानान्तरित किया जा रहा है।

श्री सिकन्दर बख्त : कलकत्ता स्थित पेटेंट कार्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 247 - डा॰ एस. वेणुगोपालाचारी अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 248 - श्री विजय गोयल - अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 249 - श्री सुशील कुमार शिंदे - अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 250 - श्री चंदू लाल अजमीरा - अनुपस्थित।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी - अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 251 - डा॰ चिन्ता मोहन - अनुपस्थित।

श्री भगवान शंकर रावत - अनुपस्थित।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि॰ का कार्यनिष्पादन

*

252. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
श्री एस॰एम॰ ओवेसी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के घाटे में चल रहे प्रभागों की संख्या कितनी है;

(ख) लगातार घाटे में चलने के कारण सरकार द्वारा प्रभाग-वार और स्थान-वार कितने प्रभागों को बंद कर दिया गया है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इन एककों के विशेषकर हैदराबाद में कितने कर्मचारियों का पुनर्वास किया गया अथवा सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया;

(घ) क्या एच॰ एम॰ टी॰ लिमिटेड के टैक्टर और मशीन टूल्स प्रभाग ने पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है जिस पर 420 करोड़ रुपये व्यय आएगा;

(ङ) यदि हां, तो पुनर्गठन योजना की मुख्य बातें क्या हैं और पुनर्गठन योजना की लागत किस प्रकार पूरी की जाएगी

(च) इसके संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(छ) 1997-98 और 1998-99 के दौरान आज तक इस प्रभाग से कुल कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) एच॰ एम॰ टी॰ लिमिटेड के पांच व्यवसायिक समूह अर्थात् मशीन टूल्स, औद्योगिक मशीनरी, इंजीनियरिंग उपस्कर, घड़ी तथा ट्रैक्टर हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान औद्योगिक मशीनरी, इंजीनियरिंग उपस्कर तथा घड़ी व्यवसाय समूह ने घाटा उठाया है।

(ख) और (ग) हैदराबाद स्थित लैम्प यूनिट तथा सेन्ट्रल मेटल फोर्मिंग इंस्टीटयूट बंद हो गए हैं। लैम्प यूनिट से 425 कर्मचारी और

सेन्ट्रल मेटल फोर्मिंग इंस्टीट्यूट से 3 कर्मचारियों को कंपनी की अन्य इकाइयों में स्थानान्तरण करके पुनर्नियोजित किया गया है। 1997-98 के दौरान लैम्प यूनिट से 307 कर्मचारियों और सेन्ट्रल मेटल फोर्मिंग इंस्टीट्यूट से 15 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाया है।

(घ) से (च) एच.एम.टी. ने पूरी कंपनी के लिए एक टर्न अराउण्ड प्लान तैयार किया है जिसमें ट्रैक्टर तथा मशीन टूल डिवीजन भी शामिल है। इस प्लान पर लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। टर्न अराउण्ड प्लान की मुख्य बातें हैं : (1) मशीन टूल्स, घड़ियां और ट्रेक्टर के लिए 3 नई सहायक कंपनियों के गठन सहित संगठनात्मक पुनर्गठन, (2) वीआरएस के जरिए कार्मिकों का युक्तिकरण और (3) वित्तीय पुनर्संरचना। पुनर्संरचना में वी आर एस के लिए निधियों सहित नई निधियां जुटाना, भारत सरकार द्वारा ऋणों को इक्विटी में बदलना, साहूकारों (डेट होल्डर्स) से माफ कराना तथा छूट और कंपनी द्वारा फालतू परिसंपत्तियों तथा साज सामान को बेचना शामिल है। टर्न अराउण्ड प्लान को अद्यतन बनाया जा रहा है और कंपनी द्वारा संशोधित किया हुआ सरकार को प्रस्तुत करना है।

(छ) 1997-98 के दौरान कंपनी के 829 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाया है और 1998-99 (फरवरी, 99 तक) में कंपनी के 545 कर्मचारियों ने वीआरएस के लाभ उठाए हैं।

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : महोदय, अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि 1997-98 के दौरान कंपनी के 829 कर्मचारियों ने और 1998-99 के दौरान कंपनी के 545 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को अभी सेवानिवृत्त किया जाना है।

श्री सिकन्दर बख्त : मशीन टूल्स, औद्योगिक मशीनरी समूहों के संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं। जहां कहीं भी कुछ कठिनाई हैं, हम उन्हें पुनर्संगठित और फिर से चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री वी०वी० राघवन : अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को हमारे औद्योगिक मानचित्र के ताज का रत्न कहा था। यह अन्य उद्योगों की तरह समृद्ध हो रहा था। यह अधिक लाभ अर्जित कर रहा था। तत्पश्चात् उदारीकरण आया। 1991 से सस्ती मशीनरी को आयात करने की अनुमति दी गयी है। हमारी बढ़िया स्तर की एच.एम.टी. मशीनरी को बेकार पड़ा रहने दिया गया। पहले सीमा शुल्क 85 प्रतिशत था और अब यह 13 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राघवन, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री वी०वी० राघवन : इन सब बातों के होते हुए अब एच.एम.टी. की स्थिति दयनीय और यह संकट में है। पहले एच.एम.टी. की विभिन्न इकाइयों में 26,000 कर्मचारी कार्य करते थे। अब उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा रही है और वे बेरोजगार हो रहे हैं। क्या सरकार पंडित जवाहर लाल नेहरु के शब्दों को ध्यान में रखते हुए एच.एम.टी. इकाइयों को पुनर्जीवित करने लिए कुछ कदम उठाएगी?

श्री सिकन्दर बख्त : एक साधारण बात यह है कि मैं सहमत हूं कि हम एच.एम.टी. इकाइयों को बन्द करने की अनुमति देने नहीं जा रहे हैं। यहां पर कुछ कठिनाइयां हैं। हम इन पर विचार कर रहे हैं। हम इसे पुनर्जीवित करने जा रहे हैं।

श्री के०एस० राव : यह दुःखद है कि एच.एम.टी. जिसे पहले देश की अच्छी इकाइयों में से एक माना जाता था, वह पूरे देश में लगभग बन्द होने की स्थिति में आ गई है। एच.एम.टी. की हैदराबाद में भी इकाइयां हैं, जिन्होंने पहले बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। अब दुर्भाग्यवश जिन लोगों ने एच.एम.टी. पर उम्मीदें रखी हैं, वे भिखारी बन गये हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। अब उन्हें चण्डीगढ़ जैसे दूरस्थ और राज्य से बाहर अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसे धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। केवल एक प्रस्ताव मांगा जा रहा है और मंत्रालय द्वारा कुछ भी स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय, अपने उत्तर में आपने बताया है कि इस टर्न अराउण्ड प्लान में 400 करोड़ रु० की लागत आने की संभावना है। प्रस्ताव अभी भी प्रस्ताव के रूप में बेकार पड़ा है। आपने सदन को सूचित नहीं किया है कि क्या आप उस धनराशि को देने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय अथवा सरकार इसके गौरव को पुनर्जीवित करने हेतु इस इकाई को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है अथवा नहीं। कम से कम वह यह कहने के लिए तैयार है कि इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता और इसे एक प्राईवेट पार्टी को दे दिया जाए।

दोनों में से कोई भी निर्णय यथाशीघ्र ले लिया जाए क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सिकन्दर बख्त : वास्तव में इसे छोड़ने का हमारा इरादा नहीं है। एच.एम.टी. के पुनर्जीवित करने के प्रश्न को छोड़ने का भी हमारा इरादा नहीं है। एच.एम.टी. हमारी श्रेष्ठ इकाइयों में से एक है। हम सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

श्री के०एस० राव : समय के बारे में क्या?

श्री सिकन्दर बख्त : मेरे लिए यह संभव नहीं है क्योंकि यहां पर विभिन्न पहलू हैं जिन पर कार्य किया जाना है और आवश्यक कदम उठाए जाने हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की तरह देश के अन्य बंद हो रहे उद्योग धंधों से जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं या खाली बैठे हैं, क्या सरकार ने उनका पुनर्वास करने की कोई योजना बनायी है?

श्री सिकन्दर बख्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का जिक्र पहले सवाल के जवाब में किया था कि जहां कहीं वर्कर्स ऐसे खाली बैठे हैं, उनको एम.आर.एफ. स्कीम के मातहत किसी दूसरे काम की तालीम देकर, अगर दूसरे काम में लगाया जा सकता है तो उनका रिडिप्लायमैंट होता है। यह कमजोर यूनिट को जीवित करने का एक हिस्सा है।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : समय निर्धारित किया जाना चाहिए। छः महीने अथवा एक साल अथवा दो साल। अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं होगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरा प्रश्न एच.एम.टी. के संबंध में है। प्रश्न का उत्तर देते समय विकल्प दिये गए हैं, अर्थात् मशीन उपकरणों, घड़ियों और ट्रैक्टरों के लिए तीन नई अनुषंगी कंपनियों के निर्माण के साथ संगठन का पुनर्गठन। कंपनी के पुनर्गठन के लिए यह एक पहलू है।

मेरा प्रश्न है कि उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देना केवल एक विकल्प है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कंपनियां रुग्ण क्यों हो गई हैं। यदि आप इसका पुनर्गठन करना चाहते हैं तो आप क्या सकारात्मक और प्रभावी प्रयास करने जा रहे हैं और आप कितना धन निवेश करने जा रहे हैं और कब?

श्री सिकन्दर बख्त : दुर्भाग्यवश, वी.आर.एस. और एम.आर.एफ. के प्रश्न को मिलाना नहीं चाहिए। सभी प्रयास जिन्हें किया जाना अपेक्षित है . . .

श्री मधुकर सरपोतदार : स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर हम बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : यह दूसरी बात है। इन्हें मिलाने न दें। अर्थात् मैं एक विशेष इकाई के पुनरूद्धार के लिए कह रहा हूं। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों पर भी ध्यान दिया जाये। यदि आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या को कम किया जाता है तो यह इस विशेष इकाई के पुनरुद्धार के लिए उठाया गया एक कदम होगा। परन्तु वी.आर.एस. और एम.आर.एफ. विशेष रूप से एम.आर.एफ. कर्मचारियों की पुनः तैनाती का एक तरीका है। हम इसे कर रहे हैं। हम कर्मचारी को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हम केवल उस मामले में वी.आर.एस. अपनाएंगे जहां एक कर्मकार एम.आर.एफ. टिप्पण को आरंभ करने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया गया है। दूसरे भाग के बारे में क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के एक भाग को पूछ सकते हैं, दो भाग नहीं।

श्री मधुकर सरपोतदार : हमें उत्तर चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने हमारे देश के औद्योगिक विकास में बुनियादी भूमिका निभायी है। आज उसके रिवाइवल की गम्भीर समस्या खड़ी हो गई है। हमारे देश की आन-बान-शान बढ़ाने के लिए क्या सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की रिवाइवल के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रही है?

श्री सिकन्दर बख्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने ठोस कदम से आगे की बात कही है। हम एच.एम.टी. की बिगड़ती स्थिति को नहीं देखना चाहते हैं। हम लिहाजा हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एच.एम.टी. अपनी पुरानी आन-बान-शान के मुताबिक चले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. थामस, एक सार्थक अनुपूरक प्रश्न पूछिए। अन्यथा, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

श्री पी०सी० थामस : एच.एम.टी. के औजार भी एक सार्थक प्रश्न हैं।

जब तक एच.एम.टी. में औजारों को आधुनिकीकरण नहीं किया जाता तब तक अच्छे परिणाम मिलने संभव नहीं हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

एच.एम.टी. का आधुनिकीकरण करने और इसके उत्पादों को अत्याधुनिक बनाने के लिए मंत्री महोदय की क्या योजनाएं हैं?

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, आधुनिकीकरण भी एच.एम.टी. की पुनर्गठन योजना का एक भाग है। जैसाकि मैंने पहले कहा है, हमें वर्तमान स्थिति का पता है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर संभव प्रयास किये जायेंगे ताकि एच.एम.टी. की स्थिति न बिगड़े।

श्री एस० सुधाकर रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। परन्तु हमें यह भी अधिकार है कि मंत्री उचित उत्तर दें। मंत्री महोदय अधिकांश प्रश्नों के उचित उत्तर देने से बच रहे हैं। परन्तु यह बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे एच.एम.टी. और अन्य घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों के संबंध में सदन में पूरी चर्चा कराने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कार्य मंत्रणा समिति से जुड़ा हुआ है, मंत्रालय से नहीं।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, धन्यवाद। इस मामले में आपको निर्णय देना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय करेंसी नोट

*241. **श्रीमती भावना कर्दम दवे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी जी, पंडित नेहरु और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सेवाओं को मान्यता देने के लिए उनके चित्र वाले भारतीय करेंसी नोट और सिक्के जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बल्लभभाई पटेल की स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सेवाओं और स्वतंत्रता के बाद के उनके योगदान को मान्यता देने के लिए ऐसे ही करेंसी नोट व सिक्के जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सिक्के/नोट कब तक जारी किये जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने गांधी जी (वर्ष 1969 में); पं॰ नेहरु (1964 और पुन: 1989 में); सरदार बल्लभ भाई पटेल (1996 में) और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (1997 में) पर स्मारक सिक्के जारी किए हैं।

तथापि, सरकार ने निर्णय लिया है कि महात्मा गांधी के अलावा अन्य किसी हस्ती का चित्र युक्त कोई करेंसी नोट जारी नहीं किया जाएगा। नोट का डिजाइन तैयार करना एक पेचीदा कार्य है और इस प्रक्रिया में एक से दो वर्ष का समय लग जाता है इसलिए डिजाइन को बार-बार बदलना संभव नहीं है। जालसाजी से बचने के लिए डिजाइन में सुरक्षा विशेषताओं का समावेश भी करना होता है और इसलिए इसमें बार-बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के चित्र छपने से कई तरह के नोट परिचालित हो जाएंगे जिससे लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा होगा। इसलिए सभी मूल्यवर्गों के करेंसी नोटों में महात्मा गांधी का चित्र प्रयोग किया जाएगा।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशालाओं के कार्य-निष्पादन की जांच करने संबंधी समिति

*243. **श्री रामशकल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कोयला धोवनशाला संगठन के अंतर्गत कोयला धोवनशालाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने हेतु पूर्व कोयला सचिव श्री सी.के.एस.आर. चारी की अध्यक्षता में "समेकित कोयला नीति" संबंधी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ङ) इस प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और रसायन एवं खान और खनिज मंत्रालय के अंतर्गत खान एवं धातु विभाग द्वारा कोयला वाशरियों के विस्तृत रूप से प्रचालन अध्ययन हेतु श्री के.एस.आर. चारी, तत्कालीन कोयला खनन सलाहकार, खान एवं धातु विभाग की अध्यक्षता में मई, 1970 को एक समिति का गठन किया गया था।

वर्ष 1970 में गठित इस समिति के संघटन और विचारार्थ विषय नीचे दर्शाए गए हैं :

1.	श्री के.एस.आर. चारी, कोयला खनन सलाहकार, खान एवं धातु विभाग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री हरी भूषण, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार, इस्पात एवं हैवी इंजीनियरिंग मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री के.के. राय, कोयला नियंत्रक, कलकत्ता	सदस्य
4.	श्री सी.एस.एन. राजू, महाप्रबंधक, केन्द्रीय कोयला वाशरी संगठन, धनबाद	सदस्य
5.	श्री सी. बलराम, निदेशक (तकनीकी), एनसीडीसी	सदस्य
6.	श्री जी. रामाराव, निदेशक (टीपीसी), सी डब्लू एण्ड पी सी, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री जी.जी. सरकार	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(क) चालू अथवा चालू किए जाने के लिए तैयार वाशरियों के प्रचालन योग्य क्षमताओं का निर्धारण, उनके कार्य में त्रुटियों को विनिर्दिष्ट करना और निवारक उपायों को सुझाना।

(ख) गिडी वाशरी के उपयोग की संभावना का अध्ययन।

(ग) जब तक संयोजित खान से उत्पादन न हो, तब तक बाहर से कोयले की प्राप्ति के साथ केन्द्रीय वाशरी के रूप में चासनाला वाशरी के प्रचालन की संभावना का अध्ययन।

(घ) धुले कोयले की मांग के अनुरूप धोवन क्षमता की आर्थिक उपयोगिता के लिए उपायों को सुझाना।

(ङ) जहां तक कोयले को धोया जाना है, उन स्तरों का अध्ययन और सिफारिश करना।

(च) तापीय विद्युत गृहों के साथ वाशरी मिडिलिंग्स के संयोजन और उपयोग हेतु उपाय सुझाना।

तथापि योजना आयोग द्वारा वर्ष 1995 में एकीकृत कोयला नीति हेतु श्री के.एस.आर. चारी की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1970 में गठित समिति विशिष्ट रूप से केवल कोयला वाशरियों के लिए थी।

(ग) और (घ) जी, हां।

इस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं।

(ङ.) विभिन्न वाशरियों के संबंध में समिति की सिफारिशों पर कोयला कंपनियों द्वारा की गई कृत कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

सिफारिशें

1. 1973-74 हेतु धुले कोयले के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्यमान वाशरियों के डिजाइन संबंधी त्रुटियों में सुधार करने तथा जहां कहीं भी स्लरी परिष्करण यूनिट की व्यवस्था नहीं है, वहां उक्त की व्यवस्था करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

2. इस्पात संयंत्रों के लिए मिश्रण में अरगाडा-सिरका धुले कोयले की उपयुक्तता की पुष्टि हेतु वाणिज्यिक जांच की जाए। अन्यथा, गिडी स्थित बेकार पड़ी हुई वाशरियों को इसके फीड कोयले की पुनर्योजना द्वारा अथवा कोककर कोयला उत्पादक के आस-पास के क्षेत्रों में वाशरी की पुनर्स्थापना के द्वारा, प्रभावशाली तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा।

3. फीड कोयला और/अथवा धुले उत्पादों के नियमित प्रेषण हेतु वैगनों के समय से (दैनिक आधार पर) उपलब्ध न करवाए जाने के कारण निर्धारित प्रचालन घंटे में कोई भी वाशरी खाली न पड़े रहें अथवा हानि न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर संयुक्त कदम उठाए जाएं।

4. यथासंभव रेलवे को खानों से उसी कोलफील्ड में अवस्थित केन्द्रीय वाशरियों तक कोयले के लघु दूरी के हॉलेज के बोझ से मुक्त किया जाए ताकि वे कच्ची सामग्रियों/अथवा उत्पादों के लंबी दूरी के परिवहन के मामले पर अधिक ध्यान दे सकें।

5. उपर्युक्त की प्राप्ति के लिए और धुले कोयले के उत्पादन में मितव्ययता बरतने के उद्देश्य से सेंट्रल वाशरियों को कच्चे कोयले के प्रेषण हेतु केन्द्रीय वाशरियों और कुछ एकीकृत हॉलेज प्रणाली से सटे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बड़े खनन यूनिटों का विकास किया जाए तथा रेत भराई से संबंधित सामग्री (रेत वाशरी अवशिष्ट और/अथवा विद्युत गृह राख) के खानों की आपूर्ति हेतु निर्माण कार्य करवाए गए।

6. कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के साथ कोयला उत्पादन और कोयला वाशिंग यूनिटों के क्रियाकलापों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जाए।

7. जहां तक विद्यमान वाशरियों का संबंध है, उपयुक्त आवश्यक कलपुर्जों की निर्माताओं से प्राप्ति हेतु अत्यधिक तरजीही दी जाए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो आयात प्रतिबंधों को भी उदार किया जाए।

8. देश में कलपुर्जों की आपूर्ति के संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए तथा आयातित कलपुर्जों के बदले में देशी कलपुर्जे को प्रोत्साहन देने के लिए संबद्ध संगठन के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए। यह प्रकोष्ठ मांग के सही विशिष्ट मात्रा के साथ आवश्यक कलपुर्जों की सूची को समय-समय पर एकत्र करने विज्ञापित करने, उन्हें मिलाने के कार्य के साथ ऐसे कलपुर्जों की कमी के कारण उत्पादन की हानि के संबंध में किसी उत्पादन यूनिट को भी सहयोग और मार्गनिर्देश करें।

9. प्रत्येक वाशरी संगठन के पास कुछ इन्स्ट्रूमेंट अनुभवी इंजीनियर का होना आवश्यक है ताकि स्व-चालित उपकरणों अथवा क्लिष्ट उपकरणों का अनुरक्षण उपयुक्त तरीके से किया जा सके तथा वे सावधानीपूर्वक अनुरक्षण करने के लिए आपरेटरों को मार्गनिर्देश कर सके। वैकल्पिक तौर पर ऐसे उपकरणों और नियमित सर्विसिंग की जिम्मेदारी के साथ कुछ विशेषज्ञता प्राप्त फर्मों अथवा देश के फर्मों को कार्य सौंपे जाएं, और उनके प्रचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

10. समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी विद्यमान द्वि-उत्पाद वाशरियों (जहां विद्युत गृहों को मिड्लिंग्स स्वीकार्य नहीं हैं, उन्हें छोड़कर) को कम से कम विलंब के साथ त्रि-उत्पाद वाशरियों में बदला जाए और भविष्य की सभी वाशरियां त्रि-उत्पादक हों।

11. मिडलिंग की राख की मात्रा 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और विशेष ग्रेड 1.80 से ऊपर की भारी सामग्रियों को अनुमेय सीमा से अधिक रखे जाने की अनुमति न दी जाए। यह अनुमेय सीमा विद्युत गृह प्राधिकारियों और वाशरियों के बीच परस्पर सहमति से निर्धारित हों। यह मुख्यत: उन सामग्रियों से भी मुक्त हों, जिससे स्लैगिग की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

12. सभी तापीय विद्युत गृहों को सीडब्लूपीसी/सीईए के साथ परामर्श करके स्थापित संयोजनों के अनुसार कच्चे कोयले के बदले में मिड्लिंग्स की खपत किया जाना अपेक्षित है।

13. विद्युत गृह, जो एक से अधिक स्रोतों से कोयला और/अथवा मिड्लिंग्स का उपयोग करते हैं, को मिश्रित फीड के तर्कसंगत मिश्रण की व्यवस्था करें।

14. टेरिफ आयोग और भारत के ऊर्जा सर्वेक्षण समिति द्वारा यथा अनुशंसित, मिड्लिंग्स को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाए।

15. उन खानों, जहां भूमिगत भराई हेतु रेत और/अथवा विद्युत गृह राख के साथ मिश्रित वाशरी अवशिष्टों का उपयोग करते हैं, को कोयला बोर्ड द्वारा उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जाएं।

16. ग्रुप "ए" और "बी" के सभी कच्चे कोककर कोयले जो अब इस्पात संयंत्रों को सीधे भेजे जाते हैं, उन्हें वाशरियों

के माध्यम से संसाधित किया जाए, जब तक कि वाशरियां उन्हें संसाधित करने की स्थिति में हों। यह कदम वाशिंग की आर्थिकी में सुधार लाने, कोककर कोयले के सर्वेक्षण में सहयोग देने, अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करने और इस्पात संयंत्रों हेतु कोयले के संचलन को सुप्रवाही बनाने के लिए आवश्यक है।

17. वर्तमान में लगभग 3 मिलियन टन कच्चे कोककर कोयले का उपयोग घरेलू खपत के लिए साफ्ट कोक के निर्माण में किया जाता है। जहां तक व्यवहार्य हो, मिड्लिंग्स/सिंक से अपेक्षित मात्रा में घरेलू कोक के निर्माण किए जाने के प्रयास किए जाएं, जिससे उत्पादित प्रत्येक टन कच्चे कोककर कोयले का धातुकर्मीय प्रयोजन से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे धातुकर्मीय कोयले के अत्यल्प संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा।

18. किसी विशेष क्षेत्र अथवा इलाके में अवस्थित वाशरियों को की जा रही कोयले की आपूर्ति में संभावित स्रोतों के ऊपर और नीचे के संस्तर के उत्पादन पैटर्न सामान्यत: उत्खनन योग्य भंडारों के अनुपात का अनुसरण करें।

19. कोककर कोयला खानों के पुनर्योजना में प्रत्येक (ग्रुप ए अथवा ग्रुप बी) के अंदर उनको वाशरियों में संसाधित करने से पूर्व कोयले के घटक के मिश्रण हेतु व्यवस्था की जाए।

20. झरने को प्रदूषण से बचाने के लिए और निस्सारी के रूप में वाशरियों से जल और साफ कोयले की हानि को कम करने के लिए बंद जल सर्किट में सभी वाशरियों के प्रचालन हेतु आवश्यक विनियमन को अधिनियमित किया जाए।

21. प्रत्येक वाशरी का विशेषज्ञता प्राप्त सक्षम दल द्वारा आवधिक रूप से कार्य-निष्पादन अध्ययन करवाया जाए।

22. किसी अपेक्षित गुरुत्व स्तर (जैसे 1.50) तक संभावित साफ कोयले के उत्पादन के मूल्यांकन हेतु और निकटवर्ती विश्लेषण के साथ-साथ यथा-प्राप्त साफ कोयले के केकिंग इंडेक्स के रिकार्ड के लिए महीने में कम से कम एक बार, किसी वाशरी को प्रत्येक स्रोत से आपूर्ति किए जाने वाले कोयले के नमूने की जांच की जाए। इसी प्रकार वाशरी को आपूर्तित प्रतिदिन के नमूने का भी विश्लेषण किया जाए।

23. कम से कम प्रत्येक छह महीने में सप्ताह अथवा पाक्षिक रूप से एकत्रित औसत साफ कोयले के नमूने को कार्बनीकरण परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाए। मिडलिंग्स अथवा अवशिष्टों के विस्तृत गुणवत्ता मूल्यांकन कम से कम महीने में एक बार किया जाए।

24. वाशरियों, इस्पात संयंत्रों और विद्युत गृहों में सामान्य गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इस उपाय से न केवल उपरोक्त अवरतता की गारंटी दी जा सकती है अपितु विचारणीय आर्थिकी को भी प्राप्त किया जा सकता है।

25. वाशरी में विभिन्न कार्यों में अपेक्षित कार्यशील कार्मिकों के राष्ट्रीय स्तर के मानकों को तैयार करने के लिए उपयुक्त कार्य - अध्ययन किया जाए।

26. प्रत्येक बड़े वाशरी संगठन हेतु एक समन्वय ग्रुप का गठन किया जाए, जिसमें बी.सी.सी., रेलवे, कोयला नियंत्रक संगठन, संबद्ध इस्पात संयंत्र और विद्युत गृहों के साथ-साथ वाशरी संगठन और सी.एफ.आर.आई. के प्रतिनिधि शामिल हों। यह ग्रुप समस्याओं की आवधिक समीक्षा करेगा और उनके हल के लिए उपाय सुझाएगा।

27. चूंकि वाशरियों का कार्य-निष्पादन इस्पात संयंत्रों और विद्युत गृहों द्वारा खपत किए गए धुले उत्पादों के शीघ्र उठान के साथ भी परस्पर संबंधित हैं, इन समस्याओं के विश्लेषण के लिए संबद्ध उपभोक्ताओं के पास दौरा किए जाने के लिए उसी समन्वय ग्रुप को प्राधिकृत किया जाए अथवा वैयक्तिक उपभोक्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से इसी प्रकार के समन्वय ग्रुप का गठन किया जाए और उनके निष्कर्षों की रिपोर्ट का आवधिक रूप से आदान-प्रदान किया गया है।

28. यदि दो दक्षिणी इस्पात संयंत्र पूरी तरह से घरेलू कोयले पर निर्भर हों तो कच्चे कोककर कोयले के कुल उत्पादन और देश में कुल धोवन क्षमता क्रमश: लगभग 45 और 37 मिलियन टन तक 1978-79 (अथवा कम से कम कुछ वर्षों में) तक पहुंच जाएं। इसे सुनिश्चित करने के लिए समय से कदम उठाए जाएं।

29. इस्पात संयंत्र यह सुनिश्चित करें कि कोककर कोयला के युक्तिसंगत और समान वितरण पर समिति (1969) द्वारा यथाप्रस्तावित चयनित क्रशिंग और मिश्रण संबंधी सुविधाओं को शीघ्र स्थापित किया जाए ताकि प्राइम कोककर ग्रुप "ए" कोयले पर निर्भरता को धीरे-धीरे अनुशंसित स्तर तक कम किया जा सके। यदि यह कार्य न किया गया तो इस्पात संयंत्र द्वारा 78-79 से बहुत पहले ही ग्रुप "ए" कोयले की कमी की समस्याओं का सामना करेगा।

30. इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले में उपयुक्त मिश्रण की संभावना के उद्देश्य से रेलवे झरिया कोलफील्ड के अंतर्गत कच्चे और धुले कोयले के संचलन संबंधी लचीलेपन की व्यवस्था करे।

31. उपर्युक्त यथा प्रस्तावित नई वाशरियों के लिए उपयुक्त स्थलों के चुनाव करने के उद्देश्य से जी.एस.आई., कोयला बोर्ड, सी.एफ.आर.आई., बी.सी.सी. और एन.पी.डी.सी. के साथ परामर्श करके इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा समय से आवश्यक जांच प्रारंभ किए जाएंगे।

32. नई वाशरियों के लिए उपकरण मानक क्षमता और डिजाइन के हों और उनका निर्माण देश में हों। इस मानकीकरण से दीर्घावधि में बड़ी मात्रा में कलपुर्जों की आवर्ती आवश्यकता को हल करने में मदद मिलेगी।

विवरण-2

सी.सी.डब्लू.ओ. वाशरियों के संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट

चारी समिति में वाशरियों में सुधार किए जाने के लिए सुझाई गई योजनाओं का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

क्र.सं.	योजना का नाम	कृत कार्रवाई
1	2	3
(1) दुग्दा कोयला वाशरी		
1.	-6 मि.मी. कोयले को साफ करने के लिए दुग्दा-1 के छोटे कोयला सर्किट में सुधार करना।	अक्तूबर, 83 में पूर्ण
2.	दुग्दा वाशरी में वॉक्स वैगन टिपलर की स्थापना।	जून, 75 में पूर्ण
3.	टिपलर को कोयले के अबाध फीडिंग हेतु कच्चे कोयले के परिवहन के लिए द्वितीय चरण के परिवहन।	जून, 75 में पूर्ण
4.	दुग्दा-1 के बंकरों के कच्चा कोयला क्षमता और डिस्चार्ज दर, बंकर के निचले भाग के लाइनिंग में सुधार करना।	पूर्ण
5.	एच.एम. बाथ के विशिष्ट गुरुत्व के रिकार्डिंग-सह नियंत्रण।	पूर्ण
6.	पाथरडीह और दुग्दा-II वाशरियों में फिल्टरों की स्थापना।	मई, 76 में पूर्ण
7.	कम से कम साफ कोयले के एक दिन के उत्पादन के रख-रखाव के लिए साफ कोयले के भंडार का प्रावधान और साफ कोयला बंकरों से कोयले का मुक्त प्रवाह।	बंकरों में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वाईब्रेटर की व्यवस्था की गई।
8.	बंद जल सर्किट पर कार्य करने के लिए संयंत्र की स्थापना की जाए।	पूर्ण
9.	सी.टी.पी.एस. प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 35 प्रतिशत राख से कम मात्रा वाले मिडलिंग के नियमित रूप से प्रेषण किए जाएं और यह अपने संयंत्र में खपत कर लिए गए।	इस संबंध में नियमित रूप से कार्य किए जा रहे हैं।
10.	वाशरी के विभिन्न स्थलों पर सभी स्वचालित भारितों को प्रचालित, अनुरक्षित और उपयुक्त रूप से उनकी सर्विस की जाए।	- वही -
11.	किसी प्रकार की क्षति से बचने के लिए ट्रैम्प आयरन को हटाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर इसकी व्यवस्था एवं अनुरक्षण किया जाए।	- वही -
12.	कच्चे कोयले और साफ कोयले दोनों के लिए बाक्स वैगनों की आपूर्ति रेलवे से सुनिश्चित की जाए।	कार्रवाई की जा रही है।
13.	संयंत्र के निर्धारित लदान पर साफ कोयले के पूर्ण उत्पादन को समायोजित करने के लिए संयंत्र के लदान विभाग में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाए। यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त बंकरों का निर्माण किया जाए।	पूर्ण
14.	वाशरी को फीड किए जा रहे कच्चे कोयले की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आने तथा रेत के भूमिगत स्टोर से बढ़ते हुए उच्च प्रदूषण के कारण चूंकि स्लरी राख में अब वृद्धि की प्रवृत्ति है अत: कच्चे स्लरी के परिष्करण में आवश्यक प्रावधान किया जाना लाभकारी होगा और वास्तविक राख की मात्रा के आधार पर केवल मिडलिंग अथवा अवशिष्टों के साथ सुधार किए गए स्लरी को मिलाया जाना। इस पहलू पर सी.एफ.आर.आई. के साथ परामर्श करके एच.एस.एल. द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जाए।	स्लरी में सुधार किए जाने के लिए फ्लोटेशन संयंत्र को 86 में पूरा किया गया।

1	2	3
(2)	**पाथरडीह कोयला वाशरी**	
1.	कोयले को छोटा होने से बचाने के लिए बड़े आकार के कोयले (+0.5 मि.मी.) को रोकने के लिए एक जांच स्क्रीन की आवश्यकता है।	पूर्ण
2.	फिल्टरों की स्थापना	1976 में पूरे किए गए।
3.	टिपलरों की स्थापना।	पूर्ण
4.	एच.एम. बाथ से स्क्रैपर डिस्चार्जिंग सिंक ऊपरी लदान के कारण अक्सर रुक जाते हैं, एच.एम. बाथ फीड का नीचे के तल के आकार में 13 से 18 मि.मी. तक परिवर्तन करने के लिए एच.एस.एल. द्वारा कदम उठाए जाएं।	पूर्ण
5.	रेलवे परिवहन में स्पष्ट रूप से कठिनाई होने के कारण मिडलिंग की नियमित लदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, अबाध प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए वाशरी में कुछ अतिरिक्त बंकर अथवा डम्पिंग स्थान की व्यवस्था की जाए।	पूर्ण
6.	कोयले को साफ करने के लिए लदान विभाग को संयोजित करने और बंकर स्टौर के अंतर्गत खराब स्टाक को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।	पूर्ण
(3)	**भोजूडीह कोयला वाशरी**	
1.	रेलवे खुले वैगनों के बदले में चार पहियों वाले खुले वैगनों में वृद्धि करें।	चार पहियों वाले वैगन बी.ओ.बी. आर. वैगनों से बदले गए हैं और यह व्यवस्था पूरी कर ली गई है।
2.	कच्चे कोयले के लिए एच.एस.एल. बाक्स वैगन टिपलर की स्थापना करें।	- वही -
3.	साफ कोयले के लदान के लिए नियमित आधार पर बाक्स वैगनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।	नियमित रूप से क्रियान्वित।
4.	वाशरी को दो उत्पादों से तीन उत्पादों तक जोड़ा जाए।	पूर्ण
5.	सीएफआरआई द्वारा फाइन के विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन।	पूर्ण

एल.सी.डी.सी. वाशरियों के संबंध में (अब सेकोलि वाशरियां) चारी समिति की सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट

क्र. सं.	प्रश्न के भाग (घ) के संबंध में सिफारिश सं.	सिफारिश	कृत कार्रवाई
1	2	3	4
1.	1	स्तरी परिष्करण यूनिट को जोड़ा जाना।	विद्यमान वाशरी में प्रावधान।
2.	2	इस्पात संयंत्र हेतु मिश्रण में अरगाडा, सिरका धुले कोयले की उपयुक्तता।	चूंकि रेलवे द्वारा आसपास के क्षेत्रों में मीडियम कोककर कोयले के उत्पादन शुरू होने के साथ धुले अकोककर कोयले को स्वीकार करने से मना कर दिया। अत: 1970 में चालू की गई गिड्डी वाशरी 1973 तक बेकार पड़ी रही। धुले अकोककर कोयले की बाजार में मांग और प्रौद्योगिकी आर्थिक विचारों से 1973 में गिड्डी वाशरी को लाभकारी उपयोगिता के लिए प्रचालित किया गया। से.को.लि. ने जून, 1998 से गिड्डी वाशरी में अकोककर कोयले के धोने के कार्य को शुरू कर दी है।

1	2	3	4
3.	3	वैगनों की समय से उपलब्धता न होने के कारण वाशरी बेकार न पड़े रहे।	वैगनों की समय से आपूर्ति के लिए रेलवे के साथ नियमित समन्वय किया जा रहा है।
4.	5	वाशरियों के नजदीक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत खनन यूनिटों का विकास।	नई वाशरियों को लगभग राजरप्पा पिपरवार आदि जैसी खनन परियोजनाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया।
5.	6	कोयला उत्पादन और कोयला धोवन यूनिट के कार्य में बेहतर समन्वय।	वाशरी के प्रभारी और कोयला उत्पादक यूनिट के बीच नियमित रूप से अंतर कार्रवाई की जाती है।
6.	7	महत्वपूर्ण आवश्यक पुर्जों की प्राप्ति पर अत्यधिक तरजीही देना।	कलपुर्जे सामान्यत आ.ई.एम. पार्टी से प्राप्त किए जाते हैं।
7.	9	वाशरी संगठन के पास अनुभवी इन्स्ट्रूमेंट इंजीनियर हों।	उपकरण आपूर्ति करने वाले फर्मों के साथ सेवा संबंधी अनुबंध किए गए हैं और इसके साथ-साथ वाशरियों में योग्य अभियंताओं की तैनाती की गई।
8.	10	दो उत्पादों वाली वाशरियों को तीन उत्पाद वाली वाशरियों में बदला जाना।	सभी वाशरियां तीन उत्पाद वाली हैं।
9.	11	मिडलिंग में राख की मात्रा 35 प्रतिशत तक न हो और 1.8 के एस.पी.जी.आर. संबंधी भारी सामग्री को अनुमेय सीमा से अधिक की अनुमति न दी जाए।	वाशरियों के तीन उत्पाद के पृथककरण के साथ भार सामग्री और मिडलिंग से 1.8 के एस.पी.जी.आर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
10.	12	मिडलिंग की खपत के लिए तापीय विद्युत गृह।	तापीय विद्युत गृह मिडलिंग की खपत कर रहे हैं।
11.	14	मिडलिंग को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाए।	वर्तमान में केवल कच्चे कोयले के प्रेषण पर धराई उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है।
12.	15	रेत और/अथवा राख के साथ मिश्रण में भूमिगत धराई के लिए वाशरी अवशिष्ट।	धराई सामग्री के रूप में वाशरी अवशिष्टों की तकनीकी उपयुक्तता की स्थापना किया जाना शेष है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन के साथ वार्ता

*244. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत नई सहस्राब्दि वार्ता में शामिल हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व व्यापार संगठन के समक्ष अपने विचार रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) "स्वर्णिम दौर" की वार्ता के बारे में डब्ल्यू टी ओ में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) सरकार डब्ल्यू टी ओ के समक्ष भारत की अपनी प्राथमिकताओं को हमेशा सकारात्मक रूप में दर्शाती रही है। भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बारे में अपनी चिन्ताओं को उजागर किया है कि मौजूदा डब्ल्यू टी ओ करार को इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्यान्वित किया जाए और डब्ल्यू टी ओ करार में विकासशील देशों के लिए किए गए विशेष एवं अधिमानी व्यवहार संबंधी प्रावधानों को लागू किया जाए ताकि विकासशील देशों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में विकासशील देशों का, उनके आर्थिक विकास के अनुरूप एक भाग सुनिश्चित हो सके।

इस्पात पर उत्पाद शुल्क में कटौती और आयात शुल्क में वृद्धि

*247. **डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग ने केन्द्र सरकार से इस्पात क्षेत्र में मंदी खत्म करने के लिए इस्पात की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने और आयात शुल्क में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उक्त मांगों से इस्पात उद्योग को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों का अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एकीकृत इस्पात संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता में सुधार हेतु अनेक उपाय किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :

(1) संयंत्रों का आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन;

(2) प्रौद्योगिक-आर्थिक घटकों में सुधार करना अर्थात् कोक दर, ऊर्जा खपत में कमी करना; और

(3) संयंत्र और मशीनों का प्रभावी रख-रखाव।

भारतीय इस्पात उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार ने भी हाल ही में अनेक उपाय किए हैं जिनके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोगिता के बेहतर होने की आशा है। इन उपायों में, इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय अभियान शुरु करना, कतिपय कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी करना, पाटनरोधी शुल्क लगाना और कतिपय चपटे उत्पादों के आयात पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना तथा इस्पात के निर्यात में वृद्धि हेतु ड्यूटी एनटाइटलमैंट पास बुक (डी ई पी बी) दरों को युक्तिसंगत बनाना आदि शामिल हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

*248. **श्री विजय गोयल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अनिवासी भारतीयों द्वारा आज तक किये गये कुल निवेश (रुपयों में) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न निवेश योजनाओं के जरिए भारतीय कंपनियों में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए कुल निवेशों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

करोड़ रुपए

	1996	1997	1998	1999 (फरवरी तक)
अंतर्प्रवाह	2062	1039.61	359.65	21.59

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 1998 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए रिसर्जेन्ट इंडिया बाण्डों ने अनिवासी भारतीयों से लगभग 4.2 बिलियन अमरीकी डालर (18,051 करोड़ रु० के समतुल्य) की राशि जुटाई।

(ख) सरकार ने निरन्तर आधार पर देश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल को सुधारने तथा प्रस्तुत करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। हाल में किए कुछ उपायों में ये शामिल हैं :

1. पोर्टफोलियो निवेश सीमा में वृद्धि :

(1) द्वितीयक बाजार के जरिए किसी कंपनी में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत पोर्टफोलियो निवेश को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है;

(2) सभी अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/समुद्रपारीय कार्पोरेट निकायों द्वारा द्वितीयक बाजार के जरिए किसी कंपनी में कुल पोर्टफोलियो निवेशों को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है; और

(3) सभी अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/समुद्रपारीय कार्पोरेट निकायों द्वारा 10% की कुल पोर्टफोलियो निवेश सीमा विदेशी संस्थागत निवेशक से अनन्य और पृथक होगी ताकि विदेशी संस्थागत निवेशक अनिवासी भारतीयों का स्थान न ले लें।

2. भारतीय रिजर्व बैंक के दो चरणों वाले अनुमोदन तंत्र का स्थान एक चरण वाली सामान्य अनुमति ने ले लिया है।

3. अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/समुद्रपारीय कार्पोरेट निकायों द्वारा किए जाने वाले पोर्टफोलियो निवेश के मामले में अनुमोदन की वैधता के विस्तार हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के बजट में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है :

(1) सभी मदों के लिए अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय कारपोरेट निकायों द्वारा 100 प्रतिशत तक के निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक के स्वत: अनुमोदन मार्ग की सुविधा का विस्तार, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

- अधिसूचित एफ.डी.आई. इक्विटी सीमाओं को आकर्षित करने वाली मदें;
- अनिवार्य लाइसेंस की उपेक्षा रखने वाली मदें;
- सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें; और
- लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें।

(2) भारतीय पूंजी बाजारों में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए निवेशों में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के कारोबार टर्मिनल खोलने की अनुमति देना।

(3) भारतीय म्यूचुअल फण्डों में अनिवासी भारतीय निवेशों के लिए मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन तंत्र को सरल करके कार्योत्तर रिपोर्टिंग तंत्र बनाना।

(4) एफ.डी.आई. अनुमोदनों का तुरन्त वास्तविक अंतर्प्रवाहों में रूपान्तरण सुनिश्चित करने के लिए उद्योग मंत्रालय में विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण का सृजन।

(5) जहां कहीं एफ.आई.पी.बी. समाशोधन की आवश्यकता हो, निर्णय 30 दिनों के अन्दर दिया जाए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के शेयर

*249. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरम्भ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का 10/- रु० का प्रत्येक शेयर 120 रु० प्रति शेयर प्रीमियम के साथ कुल 130 रु० प्रति शेयर पर जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले इश्यू के तुरंत बाद इनका बाजार मूल्य गिर गया था;

(ग) यदि हां, तो इन शेयरों का निर्गम मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन कारकों को ध्यान में रखा गया और क्या-क्या मानदण्ड अपनाए गए और उनके बाजार मूल्य में गिरावट आने के क्या कारण थे;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के शेयरों को उचित बाजार मूल्य न मिल पाने के संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां। आई.डी.बी.आई ने जुलाई 1995 में 130 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर इक्विटी शेयरों का जनता में प्रारम्भिक वितरण (आई.पी.ओ.) किया था।

(ख) और (ग) आई.डी.बी.आई. ने सूचित किया है कि शेयर की कीमत सार्वजनिक निर्गम के अग्रणी प्रबंधकों से विचार-विमर्श करके निर्धारित की गई थी। शेयर का मूल्यांकन आई.डी.बी.आई. के पिछले कार्य-निष्पादन, प्रति शेयर आय (ई.पी.एस) और प्रति शेयर अंकित मूल्य (बी.वी.पी.एस.) जैसे मूलभूत कारकों, प्रचालित कीमत आय (पी/ई) गुणजों तथा समान संस्थाओं एवं बैंकों के मूल्यांकनों पर आधारित था। आई.डी.बी.आई. शेयर सितम्बर, 1995 में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किये गए थे और 125/- प्रति शेयर पर खुले। सूचीबद्ध करने के तुरन्त बाद बाजार कीमत में कोई गिरावट नहीं आई थी और आई.डी.बी.आई. शेयरों की बाजार कीमत मार्च 1996 के अन्त तक 111/- रुपये के आसपास बनी रही। बाजार कीमत में बाद के बदलाव, पूंजी बाजार की मंदी की दशाओं का परिणाम रहे हैं न कि आई.डी.बी.आई. के सुदृढ़ आधारभूत कारकों एवं कार्य-निष्पादन के कारण।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठते।

यूरोपीय संघ द्वारा "बेड लिनन" पर पाटन-रोधी शुल्क

*250. **श्री चंदू लाल अजमीरा**
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान "बेड लिनन" का कुल कितनी मात्रा में यूरोपीय संघ को निर्यात किया गया;

(ख) क्या भारत ने "बेड लिनन" के निर्यात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाये जाने पर यूरोपीय संघ के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन में अपना विरोध दर्ज किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या योरोपीय संघ ने किसी समझौते/समाधान की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस विवाद के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1998 के दौरान यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों को किए गए बेड लिनेन के निर्यात की मात्रा 20,144 टन थी जिसका मूल्य 529.87 करोड़ रु० था।

(ख) से (ड.) भारत से काटन टाइप बेड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में भारत ने विवाद निपटान के शासित करने वाले नियमों एवं क्रियाविधियों संबंधी ज्ञापन के अनुच्छेद 4, टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 और गैट 1994 के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन संबंधी करार के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में यूरोपीय आयोग (ई.सी.) के साथ परामर्श किए हैं। तथापि, यूरोपीय आयोग ने इस मामले में अब तक किसी निपटान/समझौते की कोई पेशकश नहीं की है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार

*251. **डा० चिन्ता मोहन**
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इन उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उन में कुल कितने कर्मचारी नियोजित हैं;

(घ) क्या औद्योगिक/और आर्थिक अनुसंधान केन्द्र ने सरकारी उपक्रमों की रुग्णता के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ड.) यदि हां, तो निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) 31-12-1998 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 65 उपक्रम पंजीकृत किए गए थे। औद्योगिक एवं

वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने अब तक सरकारी क्षेत्र के 22 उपक्रमों के लिए नवीकरण पैकेज अनुमोदित किया है, जिन में से सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रम रुग्ण नहीं रहे। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के 2 उपक्रम अर्थात् भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को उनकी परिसम्पत्तियां धनात्मक हो जाने के कारण छोड़ दिया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपे गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची, जिसमें कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है, संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के लिए नवीकरण/पुनर्स्थापन योजनाएं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्वीकृत योजनाओं के अनुसार तैयार की जाती है। लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 1997-98 के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 5,33,700 थी।

(घ) और (ड.) सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) द्वारा प्रारम्भ औद्योगिक एवं आर्थिक अनुसंधान केन्द्र (सी.आई.ई.आर.) ने "केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों से सम्बन्धित कार्रवाई के लिए रणनीतिओं" पर अध्ययन किया है। रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों से सम्बन्धित समस्याओं तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में ऐसे मामलों को निपटाने के लिए प्रणाली पर ध्यान देने के लिए कुछ विशेष तथा सामान्य उपायों का सुझाव दिया गया है।

(च) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्वीकृत योजनाओं तथा सरकार द्वारा औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए किए गए कुछ सामान्य उपायों में वित्तीय/पूंजी पुनर्गठन करना, प्रौद्योगिकी सम्युन्नयन के लिए अथवा उपलब्ध बाजारों के विस्तार के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण करना, संयंत्र तथा मशीनरी का आधुनिकीकरण और जनशक्ति का पुनर्गठन करना शामिल हैं।

विवरण

31.12.98 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल को सौंपे गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	उद्यम का नाम	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लि॰	247
2.	प्रागा टूल्स लि॰	1635
3.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो॰॥ लि॰	248
	असम	
4.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि॰	74
	बिहार	
5.	भारत कोकिंग कोल लि॰	134792
6.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि॰	3728
7.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो॰ लि॰	9653
8.	इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इंसूलेशन कं॰ लि॰ (उ. क्षे.)	0
9.	माइका ट्रेडिंग कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰ (उ. क्षे.)	0
10.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि॰	2310
	गुजरात	
11.	नेटेका (गुजरात) लि॰	10068
	हरियाणा	
12.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	7276
	कर्नाटक	
13.	भारत गोल्ड माइन्स लि॰	4170
14.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि॰	633
15.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं गोवे) लि॰	8321
16.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि॰	208
	मध्य प्रदेश	
17.	नेपा लि॰	2549
18.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि॰	9708
	महाराष्ट्र	
19.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि॰	2569
20.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	269
21.	नेशनल बाईसिकल कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	667
22.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि॰	14232
23.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि॰	18031
24.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि॰	1368
	मणिपुर	
25.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	32
	नागालैण्ड	
26.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि॰	748

1	2	3
	उड़ीसा	
27.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि॰	84
	राजस्थान	
28.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि॰	2975
	तमिलनाडु	
29.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु॰ कारपो॰ लि॰	2744
	उत्तर प्रदेश	
30.	भारत इम्युनोलॉजीकल एण्ड बायोलॉजीकल कारपो॰ लि॰	123
31.	भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि॰	1707
32.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो॰ लि॰	4711
33.	कानपुर टेक्सटाईल लि॰	997
34.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि॰	3085
35.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि॰	13389
36.	स्कूटर्स इण्डिया लि॰	2009
37.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	1400
38.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि॰	1380
39.	यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि	341
	पश्चिम बंगाल	
40.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	1090
41.	बंगाल इम्युनिटी लि॰	1024
42.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि॰	427
43.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि॰	472
44.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि॰	470
45.	बीको लॉरी लि॰	857
46.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि॰	3118
47.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि॰	9275
48.	साईकिल कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	1447
49.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि॰ (उ. क्षे.)	0
50.	इस्टर्न कौलफील्ड्स लि॰	153154
51.	इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कं॰ लि॰ (उ. क्षे.)	0
52.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं॰ लि॰	27154
53.	जेसप एण्ड कंपनी लि॰	3645
54.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो॰ लि॰	4040
55.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि॰	844
56.	नेशनल जूट मैन्यु॰ कारपो॰ लि॰	23292
57.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि॰	6234
58.	आर बी एल लि॰	216
59.	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	540
60.	टायर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	1765
61.	वेबर्ड (इण्डिया) लि॰	181
	दिल्ली	
62.	सीमेंट कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	5255
63.	भारतीय उर्वरक निगम लि॰	7231
64.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो॰ लि॰	8205
65.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि॰	5283

[अनुवाद]

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खनन परियोजना

*253. **श्री अमन कुमार नागरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक विशेष खनन परियोजना शुरु करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग और इसके आस-पास के क्षेत्र में अनपेक्षित धातुएं, खनिज और ऐसे ही अन्य भंडार पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपने देश की छिपी संपदा का पता लगाने के लिए ऐसी कोई परियोजना शुरु न करने के कारण क्या हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार देश में पाई गई नई खानों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त "क" को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जवाहर सुरंग (टनल) के आस-पास कोई महत्वपूर्ण धातु भंडार नहीं पाए गए हैं। तथापि, जवाहर सुरंग के उत्तर में वेरिनाग क्षेत्र में, चूनापत्थर तथा जवाहर सुरंग के दक्षिण में रामबान क्षेत्र में, जिप्सम के निक्षेप पाए गए हैं।

(घ) चूंकि आर्थिक महत्व का कोई धातु भंडार नहीं पाया गया है, अत: धातु भंडारों के खनन का प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर सुरंग के आस-पास जिप्सम तथा चूनापत्थर भंडारों का राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विदोहन किया जा रहा है।

(ङ.) वर्ष 1996-97 तक, तीन वर्ष के दौरान, खोली गई खानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान (20.2.1999) तक नवीन खनन पट्टे देने के बारे में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मंजूर की गई खनन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

मार्च, 1997 को समाप्त तीन वर्षों में खोली गई खानों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	खानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	53
2.	बिहार	25
3.	गुजरात	31
4.	हरियाणा	01
5.	हिमाचल प्रदेश	04
6.	कर्नाटक	15
7.	केरल	29
8.	मध्य प्रदेश	40
9.	महाराष्ट्र	13
10.	उड़ीसा	12
11.	राजस्थान	17
12.	तमिलनाडु	30
13.	उत्तर प्रदेश	06
14.	पश्चिम बंगाल	02
	कुल	277

विवरण-2

पिछले तीन वर्ष के दौरान, नवीन खनन पट्टे देने के बारे में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मंजूर की गई खनन योजनाओं की राज्यवार संख्या

राज्य	1998-99 (20.2.99 तक)	1997-98	1996-97
असम	3	0	0
आंध्र प्रदेश	90	80	53
बिहार	4	5	6
गोआ	1	0	0
गुजरात	29	36	37
हिमाचल प्रदेश	0	0	2
हरियाणा	5	0	42
जम्मू व कश्मीर	0	1	0
कर्नाटक	15	26	35
केरल	7	7	23
मध्य प्रदेश	81	95	73
महाराष्ट्र	3	4	3
मेघालय	0	2	0
उड़ीसा	13	21	14
राजस्थान	43	78	90
तमिलनाडु	28	45	54
उत्तर प्रदेश	1	4	11
पश्चिम बंगाल	1	0	2
मणिपुर	0	1	0
कुल	324	405	445

अल्पसंख्यकों को बैंक ऋण

*254. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों से विशेष तौर पर अनिर्दिष्ट अल्पसंख्यकों को दिये गए ऋण/अग्रिम दर्शाते हुए नियमित विवरणियां प्राप्त होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ बैंकों ने इस मामले में चूक की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे बैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों को ऋण देने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ड.) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणियां सामान्यत: नियमित तौर पर प्राप्त होती हैं। तथापि, विवरणियों के देरी से प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) संबंधित बैंक के साथ मामले को तुरंत उठाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) आदि जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित बैंक ऋणों से जुड़े कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व महिलायों के लिए उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आर.बी.आई. ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :

- प्रत्येक बैंक में अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना।
- जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों की बैठकों में प्रगति की नियमित समीक्षा करना।
- अल्पसंख्यक बहुल 41 अभिज्ञेय जिलों में विशेषकर सरकार के विभिन्न खरीदी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में बेहतर प्रचार।
- उक्त सभी 41 जिलों में शीर्षस्थ बैंक द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति जो अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह से संबंधित समस्याओं को देखेगा।
- शाखा प्रबंधकों से परामर्श करके अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रवाह के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना; और
- शीर्षस्थ बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हित में उद्यम विकास कार्यक्रम का आयोजन।

[हिन्दी]

अमेरिकी टीम का भारत दौरा

*255. **श्री मोतीलाल वोरा :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी अधिकारियों के एक दल का भारतीय वस्त्रों के निर्यात को मंजूरी देने से पहले वस्त्र उद्योग में बाल श्रम घटक की पुष्टि करने हेतु भारत का दौरा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों को भारत दौरे की अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस दल के कब तक भारत आने की संभावना है और उनके द्वारा जांच की जाने वाली संभावित मदें कौन सी हैं; और

(घ) ऐसे दल का इस यात्रा के पीछे क्या औचित्य है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) भारत सरकार के अनुमोदन पर, 3 अमेरिकी सीमाशुल्क अधिकारियों के एक दल ने फरवरी, 1999 में भारत का दौरा किया। उनके आने का उद्देश्य भारत के हाथ से बुने कालीन उद्योग में बलकृत/करारबद्ध बालश्रम पर जानकारी प्राप्त करना था।

लघु उद्योगों का विकास

*256. **श्री शान्तिलाल चपलोत :**
श्री सोहनवीर सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशन की फैडरेशन ने केन्द्र सरकार से लघु उद्योगों के स्वस्थ विकास हेतु अनेक नये प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। 9वीं योजना के दौरान लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्यनीति में योजनाओं/कार्यक्रमों तथा अन्य सहायक सेवाओं को जारी रखना शामिल है। महत्वपूर्ण योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

- ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना।
- राज्यों में छोटे-औजार कक्षों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रबंध कार्यक्रम में लघु उद्योगों की सामूहिक आधार पर सहायता करना।
- लघु उद्योग सेवा संस्थानों से संबद्ध 42 कार्यशालाओं का उन्नयन।

– औजार कक्षों और परीक्षण केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन करना।

– पी.एम.आर.वाई. के तहत सूक्ष्म उद्यमों के विकास को सुगम बनाना।

– वित्त मंत्री द्वारा यथा घोषित राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम के तहत 100 ग्रामीण समूहों की स्थापना करना।

(ग) 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए आबंटित राशि क्रमश: 1629.55 करोड़ रु० तथा 4303.85 करोड़ रु० की है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशन की फेडरेशन ने अपने अभ्यावेदन में सरकार से लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए नये प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिसमें लघु उद्योगों विशेषतया अति-लघु एककों के लिए ऋण तक सुनिश्चित पहुंच, एक जीव्यक्षम ऋण गारंटी योजना का सृजन और लघु औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के लिए रियायती दरों पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निधियां निर्धारित करना शामिल हैं।

(च) इन प्रोत्साहनों पर सरकार द्वारा किये गये उपाय :

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्ध हो भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक योग्य एककों की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को सलाह दी है। लघु उद्योगों के सभी क्षेत्रों के लिए ऋण की सुनिश्चित पहुंच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये हिदायतें जारी की हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सामान्य रूप में उपलब्ध निधियों में से संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक निवेश वाले लघु औद्योगिक एककों हेतु 40%, 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की बीच की राशि के निवेश वाले एककों के लिए 20% और 25 लाख रुपये से अधिक राशि के निवेश वाले लघु औद्योगिक एककों के लिए शेष 40% निधियां निर्धारित की जाये।

(2) सरकार ने केन्द्रीय बजट 1999-2000 में एक नयी ऋण बीमा योजना शुरु किए जाने की घोषणा की है।

(3) लघु औद्योगिक एककों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए सिडबी एक प्रौद्योगिक विकास आधुनिकीकरण निधि योजना चलाती रही है, जिसके तहत लघु उद्योगों को ऋण मूल ऋण दर पर ही दिया जाता है।

(4) लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने केन्द्रीय बजट 1999-2000 में मिश्रित ऋण की सीमा 2.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये करने, कार्यशील पूंजी की सीमा 4.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.00 करोड़ रुपये करने, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल किए जाने वाले अति-लघु क्षेत्र को "ऑन-लेंडिंग" के प्रयोजन हेतु बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अथवा अन्य वित्तीय मध्यवर्तियों को ऋण देने की घोषणा की है।

(5) लघु औद्योगिक एककों के लिए ऋण प्रवाह को और आसान करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तदर्थ ऋण सीमा मंजूर करने, आवेदन-पत्रों को सरल बनाने, अपेक्षित ऋण की राशि के लिए अपने स्वयं के मानदण्ड निर्धारित करने तथा अधिक विशिष्ट लघु उद्योग शाखाएं खोलने के लिए शाखा प्रबंधकों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने की सिफारिश की है।

(6) लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं (सावधिक ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों) को पूरा करने के लिए सिडबी की एकल खिड़की योजना के क्षेत्र को सभी जिलों के लिए बढ़ा दिया गया है।

सिक्कों के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

*257. **श्री मोहन सिंह :**
श्री पी० शंकरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से सिक्कों के आयात/ढलाई पर कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या भविष्य में भी सिक्कों के लगातार आयात किए जाने की संभावना है अथवा सिक्कों की ढलाई के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने की कोई योजना है;

(ग) क्या करेंसी नोट भी विदेशों में ही छापे जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम सहित उनका मूल्य क्या है;

(ङ.) क्या करेंसी नोटों की विदेशों में छपाई का मुख्य कारण देश में घटिया किस्म के कागज की उपलब्धता है; और

(च) यदि हां, तो कम से कम नोटों की छपाई के लिए अपने देश में कागज की गुणवत्ता में सुधार लाने के क्या तरीके बनाए गए हैं और इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) :

वर्ष	सिक्कों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा (मिलियन अमरीकी डालर में)
1997-98	19.59
1998-99	12.69 (अनन्तिम)
1999-2000	35.29 (अनुमानित)

(ख) सिक्कों के आयात संबंधी कोई भी निर्णय जरूरत पर आधारित होता है। सरकार ने वर्ष 1999-2000 में 1000 मिल्यिन अद्द (1 रुपए = 300 मिलियन अदद सिक्के, 2 रुपए = 300 मिलियन अदद सिक्के और 5 रुपए = 400 मिलियन अदद सिक्के) सिक्कों का आयात करने का निर्णय लिया है। कलकत्ता और मुम्बई स्थित सरकारी टकसालों

का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और हैदराबाद के बाह्यांचल में स्थित चेरलापल्ली में एक नई टकसाल स्थापित की गई है। नई टकसाल का 20.8.97 को उद्घाटन किया गया। भारत सरकार टकसाल, नोएडा को दो पारियों में चलाने का भी प्रस्ताव है। इन सभी उपायों से सिक्कों का घरेलू उत्पादन 1999-2000 से काफी बढ़ जाएगा। 2375 मिलियन अदद सिक्कों के वर्तमान उत्पादन की तुलना में 1999-2000 से यह उत्पादन 4700 मिलियन अदद सिक्के प्रतिवर्ष होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) एकबारगी उपाय के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रित करेंसी नोटों का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया आयात निम्नलिखित है :

वर्ष	मूल्यवर्ग	मात्रा (मि॰ अदद सिक्के)	व्यय (मि॰ अमरीकी डालर)
1997-98	100 रु॰	1415	33.58
1998-99	100 रु॰	585	13.88
1997-98	500 रु॰	572.4	17.11
1998-99	500 रु॰	1027.6	30.71
	जोड़	3600	95.28

आयातित नोटों का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए (मूल्य-वार) है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	फर्म का नाम	मूल्य-वर्ग	मात्रा (मि॰ अ॰ सि॰)
1.	डी॰ ला॰ रयु करेंसी एण्ड सिक्युरिटी प्रिंट, यू.के.	100	1092
2.	डेबडन सिक्युरिटी प्रिंटिंग लि॰, यू.के.	100	273
3.	अमरीकन बैंक नोट क॰, यू.एस.ए.	100	635
	जोड़		2000
4.	गेसेकी एण्ड डेब्रिंट जी.एम.बी.एच., जर्मनी	500	787
5.	फ्रैंकॉयस चार्ल्स आबेरथर, फ्रांस	500	482
6.	बी.ए. बैंक नोट, कनाडा	500	331
	जोड़		1600
	कुल जोड़		3600

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऋणों की वसूली

*258. **श्री संदीपान थोरात :**
डा॰ विजय सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर बढ़ रही बैंक धोखाधड़ी और घोटालों को देखते हुए केन्द्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग प्रणाली और बैंक कानूनों की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो बैंक ऋणों और उन पर ब्याज की त्वरित वसूली के लिए नियम, विनियम बनाने के लिए उठाये गये/उठाये जाने वाले नये कदमों का ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰ आर॰ जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। तथापि, एक गैर सरकारी संगठन ने उच्चतम न्यायालय में दायर की गई एक याचिका में याचिकादाता ने एक रिट, आदेश या निदेश जारी करने के लिए कहा है जिसमें प्रतिवादी से यह कहा जाए "ऋणों और अग्रिमों तथा उन पर लगने वाले ब्याज, जिन्हें बैंक की अनुपयोज्य आस्तियां माना जाता है, की वसूली के बारे में एक सुस्पष्ट नीति बनाए जिसमें पद्धति निर्धारित की गई हो।"

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों ने सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) आर.बी.आई. सरकार के निर्देश पर बैंकों ने अपनी-अपनी ऋण नीति और ऋण वसूली नीतियां तैयार की हैं।

(2) बैंकों ने अपने-अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। शाखावार वसूली लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वसूली प्रकोष्ठों में वसूली पर निगरानी रखी जाती है। बैंकों में ही विभिन्न स्तरों पर वसूली के कार्य की समीक्षा की जाती है।

(3) बैंक समझौता-वार्ताओं के माध्यम से अनुपयोज्य अग्रिमों की वसूली करते हैं जिसमें इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि न्यूनतम व्यय करके तथा कम से कम अवधि में अधिकतम वसूली हो सके।

(4) सरकार ने 9 ऋण वसूली अधिकरण और 1 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण की स्थापना की है।

(5) बैंकों की पर्यवेक्षण प्रणाली में सुधार करके उसे मजबूत बनाया गया है जिससे बैंक स्थल पर निरीक्षणों के अतिरिक्त स्थलेतर निरीक्षण भी कर सकेंगे।

(6) बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को भी अधिक मजबूत बनाया गया है।

(7) अनुपयोज्य आस्तियों को रोकने के लिए ऋण मूल्यांकन निपुणताओं में लगातार सुधार किया जा रहा है।

लघु बचत योजनाएं

*250. **श्री सतनाम सिंह कैंथ :**
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र सहित सभी प्रमुख लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह आलोचना की है कि उनके परामर्श के बिना यह निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ड.) इससे आम आदमी की बचत और राज्य सरकारों की वार्षिक योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) सरकार ने आम आदमी की बचत के अपेक्षित आर्थिक संरक्षण और उसकी समुचित वापसी के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दरों में संशोधन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लघु बचतों के मुद्दों की जांच के लिए श्री आर.वी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सदृश योजनाओं पर प्रचलित दरों के अनुरूप लाने की अनुशंसा की थी।

(ग) और (घ) कतिपय राज्य सरकारों ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दरों में कमी के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया सूचित की है। कुछ राज्य सरकारों ने लघु बचतों पर ब्याज दरों के संशोधन के लिए राज्यों के साथ पहले हुए परामर्श के मुद्दे को उठाया है। लघु बचत योजनाएं भारत सरकार का प्रपत्र है तथा इसके लिए पूर्व परामर्श की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में कभी भी राज्य सरकारों के साथ परामर्श नहीं किया गया था।

(ड.) (1) लघु बचत प्रपत्रों पर आम आदमी को सरकारी क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित दरों के अनुरूप तुल्यांकित दरों पर ब्याज मिलेगा।

(2) राज्य सरकारों की वार्षिक योजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(च) लघु बचत योजनाओं पर आकर्षक प्रतिलाभ, महत्वपूर्ण कर रियायत, सहज भुगतान शर्तें तथा भारत सरकार की गारंटी बरकरार हैं। ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित देश भर में फैले डाकघरों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विस्तृत नेटवर्क लघु बचत-कर्ताओं के लिए उपलब्ध इन योजनाओं में पूरे वर्ष सहज पहुंच सुनिश्चित करता है।

विवरण

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज

क्रम सं.	योजना का नाम	प्रति वर्ष ब्याज दर	
		दिनांक 1.1.99 से पूर्व	दिनांक 1.1.98 से
1.	डाकघर बचत खाता	5.50	4.50
2.	डाकघर आवर्ती जमा (5 वर्ष)	12.50	11.50
3.	डाकघर मासिक आय योजना (6 वर्ष)	13.00	12.00
4.	डाकघर आवधिक जमा		
	(क) 1 वर्ष जमा	10.50	9.00
	(ख) 2 वर्ष जमा	11.00	10.00
	(ग) 3 वर्ष जमा	12.00	11.00
	(घ) 5 वर्ष जमा	12.50	11.50
5.	राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र 8वां निर्गम (6 वर्ष)	12.00	11.50
6.	राष्ट्रीय बचत योजना 1992 (4 वर्ष)	11.00	11.00
7.	इन्दिरा विकास पत्र	13.43	12.25
8.	किसान विकास पत्र	13.43	12.25
9.	लोक भविष्य निधि योजना (15 वर्ष)	12.00	12.00

पाटन-रोधी शुल्क

*260. **श्री नरेश पुगलीया :**
श्री शकील अहमद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1999 के "स्टेट्समैन" "जापान में ड्रेग इंडिया टू डब्ल्यूटीओ आवर एंटीडम्पिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के विरोध में जापान ने भारत को विश्व व्यापार संगठन में ले जाने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, जापान ने भारत स्थित अपने दूतावास के जरिए सरकार को एक नोट भेजा है जिसमें औद्योगिकी सिलाई मशीन की सुइयों और स्टेरीन बुटाडीन रबड़ की पाटनरोधी जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(ग) भारत द्वारा पाटनरोधी मामलों से संबंधित बहुपक्षीय करारों के किसी प्रावधान का उल्लघंन नहीं किया गया है। भारत में पाटन-रोधी कार्रवाई समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क), (ख) तथा (ग) और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है जोकि पाटनरोधी मामलों संबंधी डब्लू०टी०ओ० करार के अनुसार है।

[हिन्दी]

भेल के ठेके पर काम करने वाले कामगारों के संबंध में विवाद

2509. **श्री सुशील चंद्र वर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), भोपाल के ठेके पर काम करने वाले कामगारों के संबंध में लंबे समय से विवाद जारी है;

(ख) कामगारों और प्रबंधकों के बीच वर्तमान विवाद किस बात पर है; और

(ग) प्रत्येक विषय के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) दि ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समय-समय पर विभिन्न मुद्दों से संबंधित मांगों को उठाता रहा है।

(ख) और (ग) मोर्चे के नेताओं और प्रबंधकों के बीच बातचीत हुई है। प्रबंधन ने संगत मामलों को उपयुक्त रूप से सुलझा लिया है और मोर्चे के नेताओं को अन्य मुद्दों का स्पष्टीकरण दे दिया है।

[अनुवाद]

काजू की खेती और निर्यात

2510. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काजू की खेती और निर्यात हेतु कोई सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान काजू के उत्पादन एवं इसकी उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से 5800 लाख रुपए के परिव्यय के साथ काजू के एकीकृत विकास के बारे में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना लागू की गई थी। यह योजना सहायता की अनुमोदित प्रणाली के अनुरूप वर्ष 1997-98 के दौरान 16 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ और 1998-99 के दौरान 2000 लाख रु० के परिव्यय के साथ जारी रखी गयी थी। उपरोक्त के अलावा, काजू विकास निदेशालय, कोचीन क्षेत्रीय पौधशालाओं, मॉडल क्लोनल काजू के बगीचों की स्थापना करने और कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है। उपरोक्त के अलावा, आईसीएआर की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के तहत इसके सात क्षेत्रीय केन्द्रों के जरिए काजू के बारे में अनुसंधान संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं। काजू के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शिनियों में भाग लेने, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने, प्रकाशनों एवं परिपत्रों के जरिए सूचना का प्रसार करने, जांच सुविधाओं की स्थापना करने, निर्यात के लिए काजू की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नवीनतम पैकेजिक प्रणाली का अर्जन करने और आईएसओ 9000 एचएसीसीपी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अपना-कर काजू गिरी के गुणवत्ता मानकों में सुधार लाने और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण/प्रक्रिया उन्नयन/काजू प्रसंस्करण एककों का आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी से ताप विद्युत परियोजना

2511. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी से एक ताप विद्युत परियोजना आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ''ई.सी.एल.'' ने इस परियोजना के लिए 18 करोड़ रुपये व्यय किए थे;

(ग) क्या 18 करोड़ में से 8 करोड़ रुपये विशेषज्ञों की फ्रांस यात्रा पर व्यय किए गए थे;

(घ) क्या ''ई.सी.एल.'' परियोजना के कार्यान्वयन में बुरी तरह विफल रही है क्योंकि फ्रांस से खरीदा गया ''गैस टरबाइन'' 1 मैगावाट बिजली का उत्पादन भी नहीं कर सका;

(ङ.) क्या ''गैस टरबाइन'' के अधिकांश अतिरिक्त पुर्जे चोरी हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं। को.ई.लि. ने सूचित किया है कि ई.को.लि. द्वारा फ्रांस की प्रौद्योगिकी से कोई तापीय विद्युत परियोजना शुरु नहीं की गई थी तथापि फ्रांस की प्रौद्योगिकी से ई.को.लि. द्वारा एक गैस टर्बाइन परियोजना शुरु की गई थी।

(ख) ई.को.लि. द्वारा गैस टर्बाइन परियोजना को प्राप्त करने, स्थापित करने और चालू करने पर 11.20 करोड़ रु० खर्च किए गए।

(ग) ई.को.लि. द्वारा प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों द्वारा फ्रांस की यात्रा करने के संबंध में 3.46 लाख रु० (2.85 लाख रु० विदेशी मुद्रा में) खर्च किए गए।

(घ) जी, नहीं। गैस टर्बाइन 3636 घंटे की कुल अवधि के लिए प्रचालित किए गए और 39.30 मि. यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया, जिसमें 5 मे. वा. की निर्धारित क्षमता के अधिकतम लोड का प्रेषण किया गया।

(ङ.) जी, नहीं।

(च) उपर्युकत ''ङ.'' में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए लागू नहीं होता।

भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड का बंद होना

2512. श्री विकास चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड को बंद करने के लिए केन्द्र सरकार ने 25 करोड़ की राशि आवंटित की थी जबकि यह काम 20 करोड़ रुपये से ही हो सकता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.ओ.जी.एल. को बंद करने से 1500 मैट्रिक टन करोड़ ग्लास का आयात किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) बीआईएफआर, जिसको बीओजीएल एसआईसीए के तहत् एक रुग्ण कंपनी के रूप में संदर्भित है, ने न तो कंपनी के लिए अभी तक काई योजना तैयार की है और न ही इसने इसकी जैव्यता के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं और न ही कंपनी के बारे में और कुछ कहा है। कंपनी में उत्पादन कार्यकलापों के निम्न स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प अपनाने के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के तहत निधियां आबंटित की हैं।

(ग) और (घ) ग्लासों को आयात, निर्यात आयात-नीति के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है और अन्य बातों के अलावा संबंधित लागतों तथा आयात और घरेलू उत्पादन के मूल्यों पर निर्भर करता है।

साधारण बीमा निगम

2513. श्री चेरु लाल मीणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) का विचार इस उद्योग की यूनियनों की संख्या निर्धारित करने हेतु ''चेक आफ सिस्टम'' शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के समाधान हेतु यूनियनों को वार्ता हेतु आमंत्रित करने के लिए वर्तमान समय में किन मानदण्डों का पालन किया जाता है;

(घ) क्या कर्मचारियों में ''चेक ऑफ सिस्टम'' के विरुद्ध रोष है और उन्होंने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या ''चेक ऑफ सिस्टम'' यूनियनों की संख्या का पता लगाने का एकमात्र तरीका है;

(छ) यदि नहीं, तो इस प्रणाली को जबरदस्ती थोपने के क्या कारण हैं; और

(ज) सभी यूनियनों को स्वीकार्य व्यवस्था तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जानर्दनन) : (क) से (ग) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि परम्परानुसार कर्मचारियों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श के लिए कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह यूनियनों/एसोसिएशनों को आमंत्रित करने की प्रथा रही है। हाल में, अधिकाधिक नए ग्रुप ऐसे विचार-विमर्शों में प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। साधारण बीमा निगम का प्रबंधन ऐसे सभी अनुरोधों को पहले यह सुनिश्चित किए बगैर कि उनकी संख्यात्मक क्षमता कितनी है, समायोजित कर पाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। इसलिए, साधारण बीमा निगम का एक ''चेक ऑफ सिस्टम'' आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारियों को यह विकल्प होगा कि वे उस यूनियन/एसोसिएशन का नाम निर्दिष्ट करें जिसके वे सदस्य हैं और प्रबंधन को उन यूनियनों के वार्षिक चंदों को अपने वेतन से काटे जाने के लिए प्राधिकृत करें। ऐसे विकल्पों के आधार पर यूनियनों के प्रतिनिधियों की क्षमता सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव है। केवल वही यूनियन/एसोसिएशन जिनमें निर्धारित न्यूनतम प्रतिनिधियों की क्षमता होगी, उन्हें ही भविष्य में कर्मचारियों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) प्रस्तावित प्रणाली को अपनाने से पूर्व साधारण बीमा निगम के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की विद्यमान यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ-साथ नए कर्मचारी समूहों के साथ गहन परामर्श/विचार-विमर्श किया गया था। गहन परामर्शों के बावजूद भी कुछ यूनियनों/समूहों ने प्रस्तावित ''चेक ऑफ सिस्टम'' के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं।

(च) सभी प्रबंधित यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ गहन परामर्श करने के पश्चात् प्रबंधन द्वारा अपनायी गयी ''चैक ऑफ सिस्टम'' ही अधिमान्य विकल्प पाया गया है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अकलतारा इकाई

2514. डा० महंत चरण दास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नवनिर्मित जिले जंजगीर चम्बा में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अकलतारा सीमेन्ट फैक्टरी का वाणिज्यिक उत्पादन किस तारीख को आरम्भ किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादन क्षमता उपयोग और लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस इकाई का उत्पादन किस तारीख को बंद किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसे रुग्ण इकाई घोषित करने का मामला 'बी.आई.एफ.आर.' को किस तारीख को भेजा गया;

(ड.) क्या इसे 'बी.आई.एफ.आर.' के समक्ष रखने से पहले इसकी बिक्री हेतु विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई थी;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या उक्त इकाइयों के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है; और

(ज) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) अकलतारा संयंत्र में 1 अप्रैल, 1981 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरु हो गया था।

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान वर्ष-वार उत्पादन, क्षमता उपयोगिता तथा निवल हानि-लाभ निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन (लाख मी० टन)	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)	निवल लाभ/हानि (लाख रु० में)
1995-96	0.52	13	(2011.47)
1996-97	0.43	11	(2993.7)
1997-98	*	—	(1095.81)

*दिनांक 9.12.96 से उत्पादन अस्थगित कर दिया गया।

(ग) इकाइयों में उत्पादन दिनांक 9-12-96 से अस्थगित कर दिया गया था क्योंकि यह इकाई अजैव्य हो गई थी और परिवर्तनीय (अस्थिर) लागत से भी उबर पाना संभव नहीं था।

(घ) सीसीआई दिनांक 25.4.96 को बीआईएफआर को संदर्भित कर दी गई थी और बीआईएफआर ने इसे दिनांक 8.8.96 को रुग्ण घोषित कर दिया था।

(ड.) और (च) जी, नहीं। तथापि, मैसर्स एसबीआई कैपीटल मार्केट लिमिटेड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निविदायें 30 सितम्बर, 1996 को आमंत्रित की गई थी।

(छ) और (ज) सीसीआई नकदी (रोकड़) की समस्याओं का सामना करती आ रही है जिससे कर्मचारियों को वेतन व मजदूरी का समय पर भुगतान होने में विलम्ब हुआ है। जैसे ही नकदी (रोकड़) की स्थिति में सुधार हो जायेगा वैसे ही कम्पनी द्वारा वेतन का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हाइड्रोकार्बन मुक्त जूट के थैले

2515. श्री सुरेश चरपुडकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में प्रयुक्त पर्यावरण-अनुकूल हाइड्रोकार्बन मुक्त जूट के थैलों पर 10% बाह्य बाजार सहायता (ई.एम.ए.) देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बाह्य बाजार सहायता उपलब्ध कराए जाने योग्य हाइड्रोकार्बन मुक्त जूट के थैलों की विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान हाइड्रोकार्बन मुक्त जूट के थैलों के निर्यात हेतु क्या अनुमान लगाया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) एच.सी.एफ. पटसन बोरों, जिन पर बाह्य बाजार सहायता प्रदान की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय पटसन परिषद के अनुबंध के दस्तावेज आई.जे.ओ./सी.पी. (29)/2 संयोजन तथा 1 और अंतर्राष्ट्रीय कोको संगठन दस्तावेज ई.डी. एम.ई.एम. 763 अनुबंध 1 दिनांक 6 मई, 1998 में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों के अनुरूप होंगे।

(ग) चालू वर्ष के दौरान खाद्य ग्रेड के पटसन उत्पादों का अनुमानित निर्यात 10,000 मी. टन है। अगले दो वर्षों के दौरान एच.सी.एफ. पटसन बोरों का निर्यात बढ़कर 30,000 मी. टन तक होने तथा वर्ष 2001-2002 तक 50,000 मी. टन तक होने का अनुमान है।

नेवेली लिग्नाइट निगम की विस्तार योजना

2516. श्री मदन पाटील : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट निगम की लिग्नाइट खनन क्षमता को तिगुना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्तार कार्य हेतु धनराशि का स्रोत क्या है;

(घ) क्या नेवेली लिग्नाइट निगम और राज्य बिजली बोर्ड के बीच वित्तीय कार्य-निष्पादन के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की विद्यमान लिग्नाइट खनन क्षमता के साथ-साथ 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित क्षमता का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

वर्तमान परियोजना	क्षमता मि. टन प्रति वर्ष में
खान-I	7.5
खान-II	10.5
जोड़	18.0
कार्यान्वयनान्तर्गत परियोजना	
खान-I विस्तार	3
खान-I ए	3
आयोजित परियोजनाएं	
खान-II विस्तार	4
खान-III	12

(ग) आयोजित परियोजनाओं को बजटीय सहायता आंतरिक संसाधन और ने.लि.का. द्वारा बाजार से प्राप्त ऋण से वित्त पोषित किया जाना है।

(घ) और (ङ.) ने.लि.का. द्वारा दक्षिण राज्य विद्युत बोर्ड को आपूर्तित बिजली के संबंध में ने.लि.का. और उक्त बोर्डों के बीच कई विद्युत खरीद करार प्रचालन में हैं। करारों में विद्युत टैरिफ के निर्धारण, छूट दिए जाने तथा अधिकार लगाने संबंधी फार्मूले समाहित हैं। विद्युत टैरिफ में ने.लि.का. के इक्विटी/आंतरिक संसाधनों पर विहित लाभ का प्रावधान है।

पुष्प और सब्जियों का निर्यात

2517. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान देश-वार पुष्प और सब्जियों की कितनी मात्रा निर्यात की गई और उसका मूल्य क्या था;

(ख) क्या आर्थिक और दूसरे पुष्पों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केरल के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा अप्रैल-नवम्बर 1998 के दौरान निर्यातित फूलों एवं सब्जियों की मात्रा एवं मूल्य इस प्रकार हैं :

वर्ष	ताजी सब्जियां		फूल*	
	मात्रा मी.टन	मूल्य रु.करोड़	मात्रा मी.टन	मूल्य रु.करोड़
1996-97	498863	341.16	उपलब्ध नहीं	62.47
1997-98	उपलब्ध नहीं	319.45	वही	78.59
1998-99 (अप्रैल-नवंबर)	वही	193.96	वही	64.63

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता/एपीडा)

*शुष्क फूलों एवं रोपण सामग्री सहित।

निर्यातों का देश-वार ब्यौरा डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता द्वारा मुद्रित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक बुलेटिनों में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी हैं।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना से कृषि एवं सहकारी विभाग, वाणिज्यिक पुष्पकृषि के विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इसमें आदर्श पुष्पकृषि केन्द्रों की स्थापना तथा क्षेत्र प्रसार शामिल है। आदर्श पुष्पकृषि केन्द्र, क्षेत्र में पुष्पकृषि के विकास के लिए तथा क्वालिटी रोपण सामग्री की जानकारी गुणन एवं वितरण उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं फसल पश्चात् प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की व्यवस्था हेतु प्रमुख इकाई के रूप में कार्य करेंगे। आठवीं योजना के दौरान अनुमोदित केन्द्रों में से केरल भी एक है। केरल में विकास के लिए पहचाने गए दो प्रमुख फूल ट्रापिकल ऑर्किड तथा एंथूरियम है। इस स्कीम के तहत, वर्ष 1992-97 से 1998-99 तक, केरल को 87.50 लाख रुपये मुहैया कराये गए हैं।

[हिन्दी]

पांचवा वेतन आयोग

2518. **श्री माधव राव पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में कार्य कर रहे आयकर राजभाषा संगठन के सहायक निदेशकों के संघ ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण हुई विसंगतियों को समाप्त करने के लिए आयकर (प्रशासन) के महानिदेशक को एक अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सहायक निदेशक (राजभाषा) पांचवे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित और उनको पहले से ही दिए जा चुके 6500–10,000 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 7500–12,000 रुपये के उच्च प्रतिस्थापन वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा

सकता क्योंकि इसका इसी प्रकार के अन्य संवर्गों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

प्रति व्यापार करार

2519. श्री सी०डी० गामीत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया की सरकार ने प्रति व्यापार व्यवस्था के लिए भाग के रूप में राज्य स्वामित्व वाले इरकान इन्टरनेशनल द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाली रेल परियोजना के बदले में भारत को पामोलीन बेचने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) इरकान इन्टरनेशनल लि०, जिसने के.टी.एम.बी., मलेशियायी रेलवे प्रणाली, के लिए विभिन्न रेलवे लाइन तैयार की हैं, ने पाम तेल उत्पादों के प्रति व्यापार पर तानजुंग पेलीपस स्थित नए पत्तन को के.टी.एम.बी. नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए तानजुंग पेलीपस रेलवे परियोजना के निर्माण के लिए सितम्बर, 1998 में एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मलेशिया सरकार ने हाल ही में मार्च, 1999 में इरकान इन्टरनेशनल लि० से एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इरकान इन्टरनेशनल लि० द्वारा इस संबंध में अभी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) भारत सरकार सामान्य संतुलित द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहित करने की इच्छुक है जिसमें प्रति व्यापार तंत्र का जरिया भी शामिल है।

निजी इस्पात कंपनियों को एस.डी.एफ. द्वारा वित्तीय सहायता

2520. श्री अजय कुमार एस० सरनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्टील एक्जेक्यूटिव्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया" ने केन्द्र सरकार से वित्तीय पुनर्गठन हेतु भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है जिसमें प्राथमिक रूप से इस्पात विकास निधि से प्राप्य ऋणों और "सेल" के माध्यम से "इस्को" को देय सरकारी ऋणों का समायोजन सम्मिलित है;

(ख) क्या इसने इस्पात विकास निधि (एस.डी.एफ.) के माध्यम से निजी इस्पात कंपनियों को संकट से उबारने की मांग करने हेतु निजी कंपनियों द्वारा सरकार को दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने पर भी आपत्ति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि० जैसे प्रमुख उत्पादकों को आधुनिकीकरण/विस्तार योजनाओं के लिए इस्पात विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए हैं। मुख्य उत्पादक अर्थात् सेल, टिस्को, आर.आई.एन.एल. और इस्को पहली पीढ़ी के इस्पात उत्पादक थे जिनसे अधिभार (एस.डी.एफ. शुल्क) एकत्रित किया गया था जिससे इस्पात विकास निधि का संग्रह बन गया। निजी क्षेत्र के इस्पात उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात और आयात किए गए इस्पात पर एस.डी.एफ. शुल्क नहीं लगाया गया था। हाल ही में कुछ कंपनियों ने इस निधि से ऋण हेतु संपर्क किया है। तथापि, 1997 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार केवल प्रमुख उत्पादकों को ही इस्पात विकास निधि से ऋण का पुनःचक्रण जारी रहेगा।

[हिन्दी]

गुजरात को सहायता

2521. श्री जयसिंहभाई चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकार और निजी क्षेत्र में अलग-अलग कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) क्षेत्रवार कितने लोग इनमें काम कर रहे हैं;

(ग) राज्य में वित्तीय संकट के कारण कितनी मिलें बंद हो गई हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 31.12.1998 की स्थिति अनुसार, गुजरात राज्य में सरकारी, निजी एवं सहकारी क्षेत्र में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या क्रमशः 28, 111 और 5 हैं।

(ख) 31.12.1998 की स्थिति अनुसार, सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्र में कामगारों की संख्या क्रमशः 32249, 132880 और 5299 है।

(ग) 31.12.1998 की स्थिति अनुसार गुजरात राज्य में वित्तीय कठिनाइयों के कारण बंद मिलों की संख्या 38 थी। राज्य में एन.टी.सी. की किसी भी मिल को बंद नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने एन.टी.सी. मिलों के संबंध में सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है।

उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग को गुजरात सरकार से निम्नानुसार दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(1) गुजरात राज्य वस्त्र निगम लि॰ (जी.एस.टी.सी.) को राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर.एफ.) से सहायता संबंधी प्रस्ताव।

(2) गुजरात सरकार का बंद वस्त्र मिलों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता इस समय केवल केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए तथा परामर्श देने, पुनर्गठित कामगारों को पुन: प्रशिक्षित करने के लिए उपलब्ध है।

[अनुवाद]

उत्तरी बंगाल में भूटान के करेंसी नोटों और सिक्कों की भरमार

2522. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री 5.6.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1508 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मांगी गई अपेक्षित जानकारी को एकत्र कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक यह सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने सूचना एकत्र करने और इसे सभा पटल पर रखने के लिए 4.6.1999 तक का समय मांगा है।

गृह निर्माण संबंधी ऋण

2523. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वित्त मंत्री विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए गए गृह-निर्माण संबंधी ऋण के बारे में 29 मई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 556 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रति विवरण I से III के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

बारहवीं लोक सभा का दूसरा सत्र, 1998

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) पूर्ति की तारीख

प्रश्न सं०, तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
श्री मोहम्मद अली अशरफ अली फातमी और श्री महेश कनोडिया द्वारा पूछा गया दिनांक 29 मई, 1998 का अतारांकित प्रश्न संख्या 556	**आवास ऋण** जिनमें पूछा गया था कि : (क) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए जाने वाले भवन निर्माण ऋण प्राप्त करने संबंधी पात्रता मानदंड क्या हैं; (ख) इन विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जा रही ब्याज-दर का संस्था-वार ब्यौरा क्या है; (ग) क्या यह सच है कि ये वित्तीय संस्थाएं आसानी से ऋण मंजूर नहीं करती हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और (घ) क्या सरकार भवन निर्माण ऋण मंजूरी की प्रक्रिया में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि माध्यम और एवं कमजोर वर्गों को लाभ प्राप्त हो सके ?	(क), (ख), (ग) और (घ): सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि ऐसे व्यक्तियों, जिसके स्थायी तथा सत्यापन योग्य आय स्त्रोत हैं तथा जो ऋणों को वापस कर सकते हैं, को आवास वित्त निगमों द्वारा आवास ऋण प्रदान करने के सामान्यत: योग्य समझा जाता है। ऋण मंजूरी की शर्तें और आवास ऋणों की मंजूरी के लिए आवेदनों के चयन का मानदण्ड प्रत्येक आवास वित्त निगम के लिए भिन्न-भिन्न होता है जैसा कि बड़े आवास वित्त निगमों के बारे में अनुबंध-I में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने आगे सूचित किया है कि आवास वित्त निगमों के भिन्न-भिन्न स्लैबों के अपने ब्याज दर हैं। दिनांक 25 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार, अनुमोदित आवास वित्त निगमों के संबंध में प्रत्येक आवास ऋणों का ब्याज दर ढांचा अनुबंध-II में दिया गया है। आवास वित्त निगमों द्वारा आवास ऋणों की मंजूरी में देरी के बारे में जनता से शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबद्ध एजेंसी को सौंप दिया जाता है। (घ) जी, नहीं।	सूचना एकत्र करने तथा उस पर कार्रवाई करने में देरी हुई।

विवरण-II

आवास निर्माण संबंधी ऋण की मंजूरी के लिए आवास वित्त निगम के मानदण्ड

संख्या	आवास वित्त निगम	पात्रता मानदण्ड	पात्र उधारकर्ता
1	2	3	4
1.	पीएनबी आवास वित्त लि० (पीएनबीएचएफएल)	(क) स्थाई सेवा वाले या अपना कारोबार करने वाले।	(क) वेतनभोगी वर्ग, व्यवसाइयों समेत व्यापारीगण एवं स्वरोजगार वाले व्यक्ति।
		(ख) आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेतनभोगी आवेदक के मामले में अधिवार्षिता की आयु के बाद और स्वयं अपना रोजगार करने वालों के मामले में 65 वर्ष की आयु के बाद वापसी अदायगी करने की अनुमति सामान्यत: नहीं दी जाएगी।	(ख) प्रतिष्ठित निजी बिल्डर्स/निगमित निकाय।
		(ग) पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार आय, आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा व्यवसाय आदि को ध्यान में रखते हुए, ऋण राशि की पात्रता, वापसी अदायगी की क्षमता पर आधारित हैं। परिवार के अन्य सदस्यों के अर्णक होने की स्थिति में, उनकी आय की संगणना भी ऋण राशि की पात्रता निर्धारित करने में की जा सकती है।	(ग) विकास प्राधिकरण/आवास बोर्ड।
2.	जीआईसी आवास वित्त लि०	ऐसे व्यक्ति जो आवासीय इकाइयों को बनवाने/खरीदने के इच्छुक हैं। यह सहायता संपत्ति के कीमत के 80% तक सीमित होगी तथा आय व किस्त का अनुपात सामान्यत: 50% तक सीमित होगा।	सभी भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों को भी ऋणों की वापसी हेतु आय के स्थायी स्त्रोत सहायता के पात्र होंगे।
3.	उड़ीसा ग्रामीण आवास एवं विकास निगम लि०	(क) कार्यरत युगल समेत व्यक्ति, व्यापारीकरण स्वरोजगार वाले व्यक्ति, व्यवसायी आदि।	(क) कार्यकारी युगल व्यापारीगण, स्वरोजगार वाले व्यक्ति व्यावसायी आदि।
		(ख) निगमित निकाय/सांविधिक निकाय/सोसाइटी/सहकारी समितियां/न्यास।	(ख) निगमित निकाय सांविधिक निकाय/सोसाइटी/ सहकारी समितियां/न्यास।
4.	देवन आवास वित्त निगम लि०	आवेदक की वापसी अदायगी की इच्छा तथा वापसी अदायगी करने की क्षमता बड़े निर्णायक कारक हैं। **मात्रात्मक कारक** (क) सामान्य योजना के अंतर्गत कीमत ऋण का अनुपात 78% से कम या उसके बराबर होगा तथा विशेष ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत यह 66.66% होगा। कीमत में, क्रय के मामले में समझौता लागत तथा स्वयं निर्माण के मामले में निर्माण लागत + भूमि लागत शामिल होगी। (ख) आय व किस्त का अनुपात 33.33 से कम या उसके बराबर होगा। **गुणात्मक कारक** आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, रोजगार स्थायित्व जॉब प्रोफाइल, बचत/खर्च करने की आदत, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आस्तियां, देयता व्यक्तिगत गुण।	ऐसे व्यक्ति जिनमें वेतनभोगी कर्मचारी व्यावसायी, स्वरोजगार एवं व्यापारी वर्ग आदि शमिल।

1	2	3	4
5.	ग्लोबल आवास वित्त निगम लि० (जीएचएफसीएल)	55 वर्ष तक की आयु वाले ऐसे व्यक्ति जिनके स्थायी तथा सत्यापन योग्य आय स्त्रोत हैं तथा जो कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों को वापस कर सकते हैं, आवासीय ऋण के योग्य हैं। सामान्यत: कंपनी की नीति निवल मासिक आय के किस्त आय के 33% अनुपात का है।	जीएचएफसीएल के उधारकर्ताओं में अधिकांश शहरी, वेतनभोगी, मध्य वर्ग, कार्यकारी युगल तथापि ऐसे स्वरोजगार व्यापारियों को भी देते हैं जिनका व्यवसाय आय स्थायी है तथा आयकर दस्तावेजों से सत्यापित किया जा सकता है।

विवरण-III

अनुमोदित आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के संबंध में 25 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत आवास ऋणों की ब्याज दरें संरचना

स्लैब/एचएफसी	10000 से	10001 से 25000	25001 से 50000	50001 से 100000	100001 से 200000	200001 से 300000	300001 से 500000	500001 से 1000000	1000001 से 1500000	1500001 से 2000000	2000001 से 2500000	2500001 से 3000000	3000001 से 5000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार०लि०	12.50%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.50%	14.50%	15.50%	15.50%	15.50%	15.50%	15.50%	–
दीवान हाउसिंग फाइनेंस कार०लि०	12.00%	12.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	16.00%	–	–	–	–	–
केन फाइनेंस होम्स लि०	12.25%	12.25%	12.25%	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	16.00%	16.50%	16.50%	16.50%	–	–
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि०	12.00%	12.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.25%	15.25%	15.75%	16.25%	16.25%	16.25%	16.25%	16.25%
गृह फाइनेंस लि०	12.50%	12.50%	12.50%	15.00%	15.00%	15.00%	15.50%	16.50%	18.00%	18.00%	18.00%	–	–
जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि०	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	16.00%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%	–
उड़ीसा ग्रामीण हाउसिंग डेवलपमेंट कार.	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	16.00%	16.00%	16.50%	–	–	–	–	–
ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस कार०लि०	12.25%	12.25%	14.50%	14.50%	14.50%	15.00%	15.25%	16.25%	–	–	–	–	–
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि०	–	–	–	14.50%	14.50%	14.50%	14.50%	15.25%	15.25%	%	16.00%	16.00%	16.00%
विजया होम्स लोन्स लि०	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%	17.50%	17.50%	18.00%	18.50%	18.50%	–	–	–
इंड बैंक हाउसिंग लि०	12.25%	12.25%	12.25%	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	16.00%	16.50%	16.50%	16.50%	–	–
साया हाउसिंग फाइनेंस लि०	13.00%	13.00%	13.00%	17.00%	17.00%	18.00%	18.00%	18.50%	–	–	–	–	–
वैश्य बैंक हाउसिंग फाइनेंस लि०	12.25%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	16.00%	17.00%	17.50%	17.50%	17.50%	17.50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बीओबी हाउसिंग फाइनेंस लि०	12.25%	12.25%	12.25%	14.25%	14.25%	14.25%	14.25%	15.50%	15.50%	16.00%	16.00%	–	–
जीएलएफएल हाउसिंग फाइनेंस लि०	12.00%	12.00%	12.00%	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	16.50%	17.50%	17.50%	17.50%	–	–
लाइववेल होम फाइनेंस लि०	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%	17.00%	17.50%	18.00%	19.00%	–	–	–	–	–
वैजमान होम्स लि०	12.25%	12.25%	12.25%	16.00%	16.00%	16.00%	16.50%	17.00%	–	–	–	–	–
मर्केन्टाइल हाउसिंग फाइनेंस लि०	14.75%	14.75%	14.75%	14.75%	14.75%	14.75%	14.75%	15.25%	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%
पीयरलेस अबसोन फाइनेंस लि०	12.00%	12.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.50%	16.50%	17.00%	–	–	–	–	–
एसबीआई होम फाइनेंस लि०	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	16.00%	–	–	–	–	–
होम ट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस लि०	13.50%	13.50%	13.50%	14.50%	14.50%	15.50%	15.50%	16.50%	–	–	–	–	–
एबी होम्स लि०	12.50%	12.50%	12.50%	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	16.00%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%
वीआई बैंक हाउसिंग लि०	12.50%	12.50%	12.50%	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	16.00%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%
कैन्ट बैंक होम फाइनेंस लि०	12.50%	12.50%	12.50%	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	16.00%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%

टिप्पणी : ऋण की शर्त के आधार पर कुछ एचएफसी उपर्युक्त स्लैबों के मामले में ब्याज दर में घट-बढ़ करते हैं।

अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के पदों का अनारक्षण

2524. **प्रो० जोगेन्द्र कवाड़े** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बैंक ऑफ महाराष्ट्र" के प्रबन्ध वर्ग ने अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों-पदों को अनारक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकिंग प्रभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) बैंक आफ महाराष्ट्र ने स्केल 5 में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के एक रिक्त पद का अनारक्षित करने के लिए सरकार से सम्पर्क किया है क्योंकि इस पद हेतु दो बार विज्ञापन देने के बावजूद बैंक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कोई उम्मीदवार पाने में विफल रहा है। सरकार ने बैंक से कहा है कि वह इस विषय पर मार्ग-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से "अनापत्ति" प्राप्त करें। बैंक आफ महाराष्ट्र ने मामले को आयोग को भेज दिया है। अभी आयोग से "अनापत्ति/टिप्पीणयां प्राप्त नहीं हुई है।

वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु कृतिक बल

2525. **श्री विट्ठल तुपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र, पूंजी बाजार, प्रशासनिक और वैधानिक सुधार और अन्य क्षेत्रों के लिए कृतिक बलों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कृतिक बलों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इन कृतिक बलों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उच्च वृद्धि पर प्राप्त करने के लिए इन रिपोर्टों के आधार पर सरकार द्वारा तैयार की जा रही कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) व्यापार और उद्योग संबंधी प्रधानमंत्री परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर परिषद के सदस्यों में से टास्क फोर्सों के स्वरूप में छः विशेष समूह (स्पेशल सबजेक्ट ग्रुप) गठित किए गए। इन समूहों का गठन छः भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अर्थात् खाद्य और कृषि उद्योग, आधारढ़ाचा, पूंजी बाजार और वित्तीय क्षेत्र, सुविज्ञता पर आधारित उद्योग, सेवा उद्योग और प्रशासनिक एवं विधिक सरलीकरण, में कार्यान्वित की जा सकने वाली कार्य योजनाओं पर विचार करने एवं उनकी सिफारिश करने के लिए किया गया है।

(ग) और (घ) विशेष विषय समूहों ने प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिशें 14.12.1998 को प्रस्तुत कीं। सभी समूहों ने संबंधित क्षेत्रों पर व्यापक सुझाव दिए हैं जिनमें उत्पादकता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

(ङ) विशेष समूहों की सिफारिशों का सार जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्रवाई की मदें निर्दिष्ट की गई हैं, अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित किया गया है।

नीलांचल इस्पात निगम

2526. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नीलांचल इस्पात निगम द्वारा इस्पात संयंत्र के निर्माण के कारण कितने व्यक्तियों के विस्थापित होने की संभावना है;

(ख) क्या इन व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास हेतु कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार 634 परिवारों को विस्थापित किया गया है। 503 परिवारों ने स्वयं पुनर्वास सहायता लेने का विकल्प दिया है। शेष 131 परिवारों ने पुनर्वास कालोनी में भूमि का पट्टा लेने का विकल्प दिया है। जिन परिवारों ने सरकारी पुनर्वास कालोनी में बसने का विकल्प दिया था, उन्हें 20 डेसीमल भूमि आबंटित की गई थी तथा उन्हें नए मकान बनाने के लिए उनके पूर्व मकानों की लागत के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया था। जिन्होंने कहीं और बसने का विकल्प दिया था और बस गए थे उन्हें एकमुश्त 50,000 रुपए और उनके पूर्व मकानों की लागत दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त बेदखल परिवारों में से 17 पात्र उम्मीदवारों को भी कटक में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा सम्पूर्ण लागत कंपनी द्वारा वहन की जा रही है तथा 285 व्यक्ति परियोजना निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कंपनी में रोजगार दिया जाएगा, बशर्ते उनका कार्य-निष्पादन उपयुक्त हो और कार्य में उनकी अभिरुचि हो।

हथकरघा इकाइयों द्वारा झेला जा रहा संकट

2527. श्री टी. गोविन्दन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संकट का सामना कर रही तथा बंद होने वाली हथकरघा इकाइयों को राजसहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन इकाइयों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है :-

1. बाजार विकास सहायता।
2. निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनके विपणन की स्कीम।
3. राष्ट्रीय/मिनी हथकरघा एक्सपो।
4. शिल्प मैले, जिला स्तर के मेले तथा त्यौहार।
5. कार्यशाला-सह-आवास-योजना।
6. थ्रिफ्ट फंड स्कीम।
7. समूह बीमा स्कीम।
8. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम;
9. प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम।
10. अनुसंधान एवं विकास स्कीम।
11. स्वतंत्र डिजाइनर स्कीम।
12. विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम।
13. मिल गेट कीमत पर यार्न की आपूर्ति।

राज्यों में आयकर/उत्पाद शुल्क का संग्रह

2528. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आयकर एवं संघ उत्पाद शुल्क के राज्यवार संग्रह की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं और आठवीं योजना के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किन आधारों पर आयकर, मूलभूत और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का राज्य-वार वितरण किया जाता है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। सूचना आयुक्तालयवार/मंडलवार एकत्रित की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बांटे जाने वाले कर और शुल्क अर्थात् आयकर मूल उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। आयोग द्वारा निर्धारित कुल वसूली के प्रतिशत के अनुसार प्रत्येक राज्य का हिस्सा वितरित किया जाता है।

बॉक्साइट भण्डारों का दोहन

2529. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापूत और रायगढ़ जिलों में बाक्साइट भण्डारों के संबंध में केन्द्र सरकार और उड़ीसा सरकार ने क्या पहल की है;

(ख) क्या इन जिलों में निजी क्षेत्र में एल्युमिना-एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सभी संबंधित एजेन्सियों द्वारा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त उद्योग हेतु कितनी भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है और जनजातियों तथा अन्य लोगों से कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किए जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात से समुद्री उत्पादों का निर्यात

2530. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गुजरात से कितनी मात्रा में, कितने मूल्य के और किस-किस प्रकार के समुद्री उत्पादों का उत्पादन हुआ और देश-वार निर्यात किया गया; और

(ख) गुजरात से वर्ष 1999-2000 के दौरान उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यत: गुजरात राज्य से प्राप्त और गुजरात राज्य में स्थित पत्तनों से प्रमुख बाजारों को निर्यातित मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की विभिन्न किस्मों की मात्रा और उनका मूल्य निम्नानुसार है :

मद-वार निर्यात

मा० : मात्रा मीट्रिक टन में
डा० : मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

मद		1995-96	1996-97	1997-98
प्रशीतित श्रिम्प	मा० :	5295	6329	6275
	डा० :	28.24	28.23	32.80
प्रशीतित लोबस्टर	मा० :	516	389	380
	डा० :	5.98	4.29	3.86
प्रशीतित कटलफिश	मा० :	6417	7451	7630
	डा० :	11.16	12.70	15.19
प्रशीतित स्क्विड	मा० :	10577	14186	9432
	डा० :	17.42	20.90	13.83
प्रशीतित ताजी मछली	मा० :	59223	91803	97195
	डा० :	61.74	88.50	103.72
अन्य	मा० :	530	3055	4649
	डा० :	0.95	4.98	6.56
कुल	मा० :	82558	123213	125561
	डा० :	125.49	159.60	175.96

बाजार-वार निर्यात

मा० : मात्रा मीट्रिक टन में डा० : मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

देश/बाजार		1995-96	1996-97	1997-98
यू.एस.ए.	मा० :	4130	4616	4152
	डा० :	9.10	10.44	12.82
जापान	मा० :	3229	5491	7032
	डा० :	23.49	25.10	27.79
यूरोपीय संघ	मा० :	12459	12163	4972
	डा० :	29.99	25.81	9.89
दक्षिण-पूर्व एशिया	मा० :	61110	98421	105940
	डा० :	58.13	93.35	118.02
मध्य-पूर्व	मा० :	1432	1158	1854
	डा० :	4.27	3.26	5.03
अन्य	मा० :	198	1364	1611
	डा० :	0.51	1.64	2.41
कुल	मा० :	82558	123213	125561
	डा० :	125.49	159.60	175.96

स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।

(ख) भारत सरकार द्वारा भारत से विभिन्न बाजारों को किए जाने वाले मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के जरिए अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभ गुजरात सहित भारत के विभिन्न राज्यों में सभी पात्र एककों या लोगों द्वारा उठाए जा सकते हैं। कुछेक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं :

(1) निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए प्रारंभिक सीमा को 20 करोड़ रु० से घटाकर एक करोड़ रु० करना; (2) मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए शुल्क हकदारी पास बुक (डी.ई.पी.सी.) दरों की अधिसूचना; (3) ई.पी.सी.जी. के अधीन शून्य सीमा शुल्क योजना के तहत मौजूदा निर्यातोन्मुख एककों को डिबांड करने की अनुमति; (4) गुणवत्ता आश्वासन संबंधी जोखिम विश्लेषण एवं निर्णायक नियंत्रण बिन्दु (एच.ए.सी.सी.पी.) प्रणाली रखने वाली इकाइयों को 5% अतिरिक्त एस.आई.एल. (विशेष आयात लाइसेंस की हकदारी); (5) पूंजीगत इमदाद प्रदान करने के अतिरिक्त प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों पर 7% की मूल दर के अतिरिक्त ब्याज के अधिकतम 7% तक ब्याज इमदाद प्रदान करना; (6) एच.ए.सी.सी.पी और बेहतर विनिर्माण प्रक्रिया (जी.एम.पी.) में प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना; और (7) मत्स्य पालन कृषकों को रोग मुक्त सततधारणीय मत्स्य पालन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

होटल लीला वेन्चर्स लिमिटेड

2531. श्री गंगाराम कोली : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल लीला वेन्चर्स लिमिटेड ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक/संस्थावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या होटल लीला वेन्चर्स लिमिटेड ने स्वीकृत ऋणों को अन्य उद्देश्यों हेतु अपनी संबद्ध कम्पनियों पर लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या प्रत्येक बैंक को ऋण और ब्याज की अदायगी समय पर प्राप्त हुई है;

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधीकरण

2532. श्री जयराम आई०एम० शेट्टी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी.ई.जी.ए.टी.) की विभिन्न पीठों की स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) उक्त कितनी पीठें किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(ग) कितनी पीठें कार्यरत नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बंगलौर और अहमदाबाद में दो नई पीठ बनाने का कोई प्रस्ताव था; और

(ड.) यदि हां, तो ये पीठें कब तक कार्य करना शुरु कर देंगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) महोदय, इस समय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण (सीगेट) की नौं स्वीकृत पीठे हैं।

(ख) स्वीकृत सभी नौं पीठें कार्य कर रही हैं जिनमें से पांच दिल्ली में, दो मुम्बई में और एक-एक चेन्नई एवं कलकत्ता में कार्यरत् है।

(ग) शून्य।

(घ) जी, हां।

(ड) विस्तृत जांच के पश्चात् यह पाया गया कि निपटान की दर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पीठों में बकाया दो अतिरिक्त पीठों के सृजन का आधार प्रस्तुत नहीं करता।

"सीईजीएटी" का प्रशासनिक नियंत्रण

2533. श्री सी० कुप्पुसामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी.ई.जी.ए.टी.) का कोई अध्यक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सी.ई.जी.ए.टी. का अध्यक्ष कब तक नियुक्त कर दिया जाएगा;

(घ) क्या आर.के. जैन बनाम भारत सरकार (सी.ई.जी.ए.टी. सदस्यों की भर्ती और सेवा शर्तें नियम 1987) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि "सी.ई.जी.ए.टी. का प्रशासनिक नियंत्रण विधि मंत्रालय के पास होना चाहिए; और

(ड.) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) महोदय, वर्तमान में श्री एस.के. भटनागर, उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार सम्भाले हुए हैं।

(ग) एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

2534. डा० सुशील इन्दौरा :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1998 के "डैली बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "पी.एम. एडवोकेट्स एकाउन्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व साफ सुथरे प्रशासन की प्राथमिक आवश्यकता है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई करने हेतु कोई निर्णय लिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकारी व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए (सामान्य वित्तीय नियमावली इत्यादि के अंतर्गत सरकारी निर्णयों के रूप में) संवैधानिक तथा अन्य पूर्वोपाय पहले से ही विद्यमान हैं।

[अनुवाद]

कृषि रसायन उत्पादों का विशेष विपणन अधिकार

2535. श्री के० चैरी मोहन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ड्रग्स और कृषि रसायन उत्पादों को विशेष विपणन अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सही है कि पीपुल्स कमीशन ऑन इन्टिलकचुअल प्रोपर्टी राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विशेष विपणन अधिकार के अंतर्गत दवा गरीब जनता की पहुंच से और बाहर हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन समझौते के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर करार के अनुच्छेद 70.8 और 70.9 के प्रावधानों के अनुसार, भारत भेषजीय और कृषि रसायनों के क्षेत्र में उत्पाद संबंधी पेटेंट आवेदन प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्था करने और कुछ शर्तें पूरी करने पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा पेटेंट मंजूर या नामंजूर किए जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने के लिए बाध्य है।

(ग) इस संबंध में पीपुल्स कमीशन आन इन्टिलकचुअल प्रोपर्टी राइट्स से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 में और पेटेंट (संशोधन) विधेयक 1998 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सरकार जनहित में और लिखित में बताये जाने वाले कारणों के आधार पर किसी ऐसी वस्तु को, जोकि किसी अनन्य विपणन अधिकार का विषय है, ऐसे मूल्य पर बेचने का निर्देश दे सकती है जो किसी ऐसे उचित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो इस कार्य के लिए नियत किया गया हो।

जी-8 देशों की सिफारिशें

2536. श्री तारिक अनवर :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी-8 देशों का समूह भारत को बहुपक्षीय सहायता पुन: देने की आवश्यकता पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जी-8 देशों के कुछ सदस्य देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबन्धों को हटा लेना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत को विश्व बैंक की सहायता के मुद्दे को लेकर जी-8 देशों में मतभेद हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(च) जी-8 देशों के निर्णय से भारत को अपना वित्तीय संकट कहां तक दूर करने में सहायता मिलेगी; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (छ) जून, 1998 में, जी-8 के देशों ने ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया था जो पहुपक्षीय संस्थाओं से जुड़ते हुए बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की ओर ध्यान देती हैं। ऐसी 7 परियोजनाओं को 1.245 बिलियन डालर का कुल ऋण अब तक विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। हाल ही में, दो ऐसी

परियोजनाओं को, जिन्हें बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, विश्व बैंक समूह द्वारा स्वीकृत किया गया है। जी-8 के कुछ देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया जबकि अन्य देशों ने या तो मतदान में भाग नहीं लिया अथवा उसका विरोध किया, उन देशों द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों से उनकी विभिन्न अवधारणाओं तथा रुचियों का पता चलता है। भारत सरकार किसी वित्तीय संकट में नहीं फंसी है। तथापि, भारत सरकार ऐसी सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में निधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सभी हरसम्भव कदम उठा रही है जो विभिन्न संस्थाओं के समक्ष हमारे द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं।

चीनी का निर्यात

2537. **श्री रामदास आठवले :**
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक देश-वार कितनी मात्रा और कितने मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चीनी की उत्तम गुणवत्ता बनाए रखने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
1995-96	434320	59734.00
1996-97	667274	86080.03
1997-98	175081	24060.24
1998-99 (अप्रैल-नवंबर)	4744	649.86

(स्रोत : डी.जी.सी.आई एंड एस, कलकत्ता)

निर्यात के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई एंड एस), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत का विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ख) और (ग) चालू निर्यात-आयात नीति के अनुसार ई.ई.सी. और यू.एस.ए. को अधिमानी कोटा के अधीन और नेपाल को द्विपक्षीय व्यापार भारत-नेपाल संधि के अधीन निर्यात को छोड़कर चीनी का निर्यात प्रतिबंधित है। निर्यातित चीनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करती है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिए लक्ष्य

2538. **श्री रामानन्द सिंह :**
श्री सत्य पाल जैन :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्वरोजगार हेतु लक्षित शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या थी;

(ख) जनवरी, 1999 तक राज्य-वार कितने शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान लक्ष्य को प्राप्त किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) लक्ष्य प्राप्ति हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में प्रत्येक वर्ष के लिए सहायता दिये जाने वाले लाभभोगी व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में योजना लक्ष्य 2.20 लाख लाभभोगी व्यक्तियों का रखा गया है। तथापि, राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने की सुनिश्चितता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च लक्ष्य आवंटित किया जाता है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को आवंटित लक्ष्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 (दिसम्बर 98 तक) की अवधि के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया गया, उनकी संख्या का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि रोजगार सृजन बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण के मामलों की संख्या का 1.5 गुणा है।

(ग) से (ङ.) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान बैंकों द्वारा स्वीकृतियां लक्ष्य के 125% थी तथा वितरण योजना लक्ष्य के 95% थी। वितरण में कमी का कारण उधार ग्राहियों द्वारा प्रशिक्षण पूरा न करना, स्वीकृति के पश्चात् की औपचारिकताओं को पूरा करने में उधार ग्राहियों की असमर्थता, बैंक शाखाओं द्वारा वितरण में विलम्ब, उधार ग्राहियों को अन्यत्र रोजगार मिलना, स्वीकृति आदि के बाद भी ऋण का लाभ उठाने में उधार-ग्राहियों की अनिच्छा, वितरण में कमी के कारण थे। भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने समय पर प्रशिक्षण पूरा करने तथा समयबद्ध रूप में ऋण की स्वीकृति तथा वितरण किए जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 की अवधि के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	31900	31900	34200
2.	असम	9900	15000	13400
3.	बिहार	22150	22150	21500
4.	दिल्ली	4550	4550	4700
5.	गोवा	550	550	600
6.	गुजरात	8500	8500	12600
7.	हरियाणा	7200	7200	6300
8.	हिमाचल प्रदेश	2100	2100	2300
9.	जम्मू और कश्मीर	3100	3500	3500
10.	कर्नाटक	17700	17700	22000
11.	केरल	15000	15000	16000
12.	मध्य प्रदेश	27050	27050	31500
13.	महाराष्ट्र	35900	35900	42600
14.	मणिपुर	4000	3000	1300
15.	मिजोरम	250	375	400
16.	उड़ीसा	8250	8250	9250
17.	पंजाब	15000	8600	9000
18.	राजस्थान	10400	10400	14300
19.	तमिलनाडु	21800	21800	27700
20.	त्रिपुरा	1300	1950	1300
21.	उत्तर प्रदेश	35813	35813	45200
22.	पश्चिम बंगाल	22900	22900	23000
23.	अंडमान तथा निकोबार	100	100	100
24.	अरुणाचल प्रदेश	300	450	300
25.	चंडीगढ़	150	150	200
26.	दादरा और नगर हवेली	150	150	50
27.	दमन और द्वीव	100	100	50
28.	नागालैंड	300	450	450
29.	लक्षद्वीप	50	50	50
30.	मेघालय	550	550	550
31.	पांडिचेरी	500	500	500
32.	सिक्किम	200	200	100

विवरण-2

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 (दिसम्बर 98 तक) जिन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया गया उनकी संख्या

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
	उत्तरी क्षेत्र				(दिसम्बर '98 तक)
1.	हरियाणा	7220	6548	4438	1032
2.	हिमाचल प्रदेश	2350	2220	1967	663
3.	जम्मू और कश्मीर	1694	1243	1825	523
4.	पंजाब	12355	7618	7468	1627
5.	राजस्थान	7024	7962	8804	1769
6.	चण्डीगढ़	152	118	116	30
7.	दिल्ली	2568	776	583	183
	पूर्वोत्तर क्षेत्र				
8.	असम	7484	7757	3185	677
9.	मणिपुर	1147	1479	100	255
10.	मेघालय	391	374	140	27
11.	नागालैंड	293	421	304	21
12.	त्रिपुरा	674	543	127	233
13.	अरुणाचल प्रदेश	226	239	31	17
14.	मिजोरम	215	139	4	9
15.	सिक्किम	144	110	30	9

1	2	3	4	5	6
	पूर्वी क्षेत्र				
16.	बिहार	12557	15322	9296	1979
17.	उड़ीसा	5724	5744	3121	254
18.	पश्चिम बंगाल	7256	5522	2997	821
19.	अंडमान और निकोबार	71	37	44	41
	सैंट्रल क्षेत्र				
20.	मध्य प्रदेश	23108	22640	16954	3067
21.	उत्तर प्रदेश	28729	29089	28584	10633
	पश्चिमी क्षेत्र				
22.	गुजरात	8879	8093	13528	5451
23.	महाराष्ट्र	31853	30935	28699	8476
24.	दमन और द्वीव	29	22	30	13
25.	गोवा	409	397	253	98
26.	दादरा और नागर हवेली	117	91	67	13
	दक्षिणी क्षेत्र				
27.	आंध्र प्रदेश	24345	21716	17533	4667
28.	कर्नाटक	13364	12171	11251	2374
29.	केरल	12763	13306	11236	2842
30.	तमिलनाडु	15003	14215	11356	2577
31.	लक्षद्वीप	35	36	40	7
32.	पांडिचेरी	347	260	274	83
	उल्लेख नहीं किया गया	11	13		
	अखिल भारत	228597	217156	184385	50471

[अनुवाद]

आवासीय योजनाओं हेतु वित्त व्यवस्था

2539. श्री आर०एस० गवई :
श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आवासीय योजनाओं के लिए वित्त को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों हेतु आवास उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्तीय संस्थानों द्वारा घरेलू संसाधनों और अन्तर्राष्ट्रीय स्त्रोतों द्वारा संसाधन जुटाने हेतु क्या तरीके अपनाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकार की वित्तीय स्थिति

2540. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दस महीनों में भारत सरकार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए किन-किन देशों से बातचीत हुई थी, और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले दस महीनों के दौरान विभिन्न स्तरों पर विभिन्न देशों के साथ बातचीत की हैं। इनमें फ्रांस, जापान और यूरोपीय समुदाय के साथ विचार-विमर्श शामिल है। इन विचार-विमर्शों के संक्षिप्त ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

(1) वर्ष 1998 के लिए भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकोल को अंतिम रूप देने के लिए भारत-फ्रांस द्विपक्षीय वार्ताएं 16.11.98-17.11.98 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुई जिनमें प्रोटोकोल के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए 68.8 मिलियन फ्रांसिसी फ्रांक मूल्य की परियोजनागत वचनबद्धताओं को अंतिम रूप दिया गया। अन्ततोगत्वा, उक्त राशि के लिए भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकोल पर 23.11.98 को हस्ताक्षर हो गए थे।

(2) वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारित चल रही परियोजनाओं हेतु छः अतिरिक्त ऋण खेपों पर स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास में जनवरी, 1999 से ही भारतीय पक्ष और जापान पक्ष के बीच विभिन्न आधिकारिक स्तर पर वार्ताएं हुई हैं।

(3) भारत-यूरोपीय उप-आयोग की एक बैठक जनवरी, 1999 में आयोजित हुई थी जिसमें यह सहमति हुई थी कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त नए केन्द्रीय क्षेत्र के रूप में पर्यावरण सहित क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

पुष्पोत्पादन निर्यात

2541. श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुष्पोत्पादन और उसकी निर्यात क्षमता की वर्तमान स्थिति पर भारतीय आयात-निर्यात बैंक द्वारा किये गये अध्ययन की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पुष्पोत्पादन को प्रोत्साहन देने के मार्ग में मुख्य रूप से आने वाली कठिनाइयों को रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार पुष्पोत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। पुष्पोत्पाद के उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी मंचों, गुणवत्ता जांच उपकरण की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था करना।

(2) एपीडा, एनएचबी इत्यादि द्वारा विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद (रीफर कंटेनरों), पूर्व-प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की संस्थापना इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(3) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(4) संवर्द्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकें और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, फ्लावर शो तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता का आयोजन।

(5) पुष्पोत्पादन और बागवानी उत्पादों जैसी नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के रखरखाव के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चलते-फिरते शीतागार और एकीकृत कार्गो, हैंडलिंग तथा शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना; चलते-फिरते शीतागार सुविधाओं की स्थापना गुवाहाटी और कलकत्ता हवाई-अड्डों पर की गई है। एकीकृत शीतागार और कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंगलौर हवाई अड्डे पर की गई है। चेन्नई, हैदराबाद और तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डों पर भी इसी प्रकार की सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

(6) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, परिवहन आदि के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने सहित व्यापार और उद्योग को तकनीकी परामर्शी सेवाएं और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना।

(7) पुष्पोत्पादों के निर्यात पर हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी।

(8) संभाव्यता अध्ययनों, सर्वेक्षणों इत्यादि के लिए सहायता का प्रावधान। पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातोन्मुख पुष्पोत्पादों के विकास, संवर्द्धन और फसल पश्चात् रख-रखाव के लिए यूएनडीपी समर्थित संभाव्यता अध्ययन 1995 में किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों के संगठनों को यह रिपोर्ट भेज दी गई है ताकि ऊपजकर्त्ताओं/निर्यातकों को इसकी सिफारिशों से अवगत कराया जा सके।

(9) आदर्श पुष्पोत्पादन केन्द्रों की स्थापना और क्षेत्र विस्तार के लिए वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन के संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता का प्रावधान। आदर्श पुष्पोत्पादन केन्द्रों का निर्माण, पुष्पोत्पाद के संवर्द्धन और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की जानकारी, वृद्धि और वितरण, उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं फसल पश्चात् प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए मुख्य एककों के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से किया गया है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन की बैठक

2542. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी विश्व व्यापार संगठन की बैठक में कार्य सूची के विभिन्न मुद्दों के संबंध में ग्रुप 15 के देशों द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा क्या निश्चित प्रस्ताव पेश किया गया तथा करने का विचार है; और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर ग्रुप 15 के अन्य देशों का क्या रुख है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) फरवरी, 1999 में मोनटेगो बे, जमाइका में आयोजित नौवें जी-15 शिखर सम्मेलन से जुड़ी बैठकों में भारत ने इस वर्ष के अंत में आयोजित किए जाने वाले विश्व व्यापार संगठन के तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में बहुपक्षीय व्यापार के मुद्दों के बारे में जी-15 की स्थिति को समन्वित और समेकित करने की जरूरत पर बल दिया था।

जी-15 देशों ने दिसम्बर, 1998 में नई दिल्ली में आयोजित इस विषय पर एक अंतर-सरकारी विचार गोष्ठी के जरिए ऊरुवें दौरे के विभिन्न करारों में विशेष और विशिष्ट व्यवहार संबंधी उपबंधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। नौवें जी-15 शिखर सम्मेलन में भारत ने सुझाव दिया था कि जी-15 को यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इन करारों के कार्यान्वयन से डब्ल्यूटीओ के विकासशील सदस्य देशों को वे लाभ मिले हैं जिनका आश्वासन दिया गया था अथवा नहीं, विशिष्ट मुद्दों पर आम समझदारी कायम करने और विभिन्न देशों के अनुभवों का विश्लेषण करने की जरूरत है। भारत ने यह प्रस्ताव रखा था कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में व्यापार नीति संबंधी मुद्दों के बारे में विकसित देशों की सौदाकारी शक्तियों और बेहतर जागरुकता के संतुलन के लिए इन देशों की विशेषज्ञता को एकजुट करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ के तीसरे मंत्रीस्तरीय सम्मेलन की तैयारी में नई दिल्ली में जी-15 देशों की एक बैठक आयोजित किए जाने के भारत के प्रस्ताव का जी-15 के देशों ने स्वागत किया है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों की स्थिति

2543. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा॰ अशोक पटेल :
डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें वही दर्जा और सुविधाएं प्रदान की जाएं जो विदेशी तथा घरेलू निवेशकों को प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अप्रवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विदेशी निवेशकों की तुलना में अप्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के व्यक्ति बेहतर दर्जे तथा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने अप्रवासी भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा उत्कृष्ट रूप से स्वामित्व वाली विदेशी कार्पोरेट निकायों को निम्नलिखित रियायतें प्रदान की हैं :

(1) एन.आर.आई/ओ.सी.बी. औद्योगिक नीति तथा प्रक्रिया नियमावली के अनुबंध-3 में सम्मिलित उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में शामिल उद्योगों/मदों में 100% तक निवेश कर सकते हैं;

(2) स्थायी सम्पदा तथा आवासीय क्षेत्रों में 100% तक एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति है;

(3) घरेलू एयरलाइन क्षेत्रों में 100% तक एन.आर.आई/ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति है;

(4) एन.आर.आई./ओ.बी.सी. को बैंकिंग क्षेत्र में 40% तक निवेश करने की अनुमति है; और

(5) अप्रवासी भारतीय प्रथम चरण में लघु उद्योगों में 24% से ऊपर निवेश कर सकते हैं बशर्ते कि किसी दूसरे औद्योगिक उपक्रम में उनका कोई दावा न हो।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति आयु

2544. डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति आयु साठ वर्ष से घटाकर अठावन वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शुरु की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की समीक्षा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वर्ष 1998 में तैयार आदर्श स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अभी भी चल रही है। अभी तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की सामान्य समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सरकार से विशेष आवश्यकता पर आधारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से सम्बन्धित अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयन्ती समारोह

2545. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाने के लिए मार्गनिदेश देने हेतु उनके मंत्रालय के अधीन समस्त विभागों से युक्त कोई समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अवसर पर उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में प्रकाशित किए जा रहे पत्र और पत्रिकाओं का एक ऐसा विशेष अंक प्रकाशित करने का है जिसमें हिन्दी में किए गए कार्यों का विशेष हवाला दिया गया हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) प्रश्न की विषयवस्तु गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है, जिन्होंने संकेत दिया है कि दिनांक 14 सितम्बर, 1999 से शुरु होने वाले राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह के मनाये जाने का मामला उनके यहां विचाराधीन है।

[अनुवाद]

भारतीय आर्थिक सेवा की संवर्ग समीक्षा

2546. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा की संवर्ग समीक्षा सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या चालू संवर्ग समीक्षा में पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है;

(ग) क्या भारतीय आर्थिक सेवा के 36 पदोन्नति प्राप्त ग्रेड 4 अधिकारियों की ग्रेड-3 में पदोन्नति में पद रिक्त होते हुए भी विलम्ब किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

समेकित अवसंरचनात्मक विकास योजना

2547. **श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन :**
श्री अजीत जोगी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र समेकित अवसंरचनात्मक विकास योजना में शामिल किए गए हैं जिसके अन्तर्गत लघु औद्योगिक क्षेत्र का विकास केन्द्रीय सरकार के निर्देश और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त ऋण के माध्यम से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीकृत योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपयुक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृति देने हेतु मामले विचाराधीन हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना को स्वीकृति दिए जाने के बाद भी शिवनी जिले में बंडोल औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना हेतु ''सिडबी'' ने ऋण देने से इन्कार कर दिया है; और

(ङ.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपर्युक्त योजना को किस प्रकार लागू किया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1994 में एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास (आई.आई. डी.) योजना शुरु की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक केन्द्र के लिए 2 करोड़ रुपये तक केन्द्रीय अनुदान और 3 करोड़ रुपये तक सिडबी से ऋण उपलब्ध है। राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे उपयुक्त स्थल का चयन करें, प्रस्तावों को सुनिश्चित करें और प्रौद्योगिकीय-आर्थिक जीव्यक्षमता के लिए इनका मूल्यांकन सिडबी से करवायें। मध्य प्रदेश राज्य में दो एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं जिनमें सिर्फ सतना जिले के नदनतोला में दूसरा सैनोनी जिले के बंदोल में है।

(ग) उपलब्ध सूचनानुसार, सिडबी ने अभी हाल ही में निर्माणी (जिला खडगोन), शामगढ़ (जिला मंदसौर) और जग्गाखेड़ी (जिला मंदसौर) में एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए तीन और प्रस्ताव प्राप्त किये हैं जिन पर कार्यवाही हो रही है।

(घ) और (ङ.) उक्त योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वे अच्छे ट्रैक रिकार्ड और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाला क्रियान्वयन अभिकरण नियुक्त करें। बंदोल में स्थित एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र के प्रस्तावित क्रियान्वयन अभिकरण–मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम जबलपुर की वित्तीय स्थिति संजोषजनक नहीं पाई गई। यह अभिकरण आई.डी.बी.आई. का चूककर्ता है और इसको हानियां हुई हैं। अत:, सिडबी इसे ऋण स्वीकृत करने का इच्छुक नहीं है। राज्य सरकार को विकल्प दिया गया था कि वे या तो सिडबी के ऋण के बदले में अपनी निधि का निवेश करें अथवा क्रियान्वयन अभिकरण को बदल लें। राज्य सरकार ने अपनी निधियों का निवेश करने में असमर्थता प्रकट की है। नदनतोला (जिला सतना) में स्थित दूसरे एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र के लिए 89.00 लाख रुपये केन्द्रीय अनुदान पहले ही जारी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रेजिन तारपीन और कपूर का उत्पादन

2548. **श्री संदीपान थोरात :**
डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्यत: वन-आधारित मूल कच्चे माल 'ओलियो पाइन रेजिन'/की कमी और चीन द्वारा अपनाई गई अनुचित व्यापार प्रणाली के परिणामस्वरूप रेजिन तारपीन और कपूर का उत्पादन हाल के वर्षों में तेजी से गिरा है;

(ख) यदि हो, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संस्थापित उत्पादन क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग के साथ-साथ बंद की गई इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त उद्योगों से उनकी समस्याओं के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त उद्योगों के पुनरुद्धार और विकास हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहनों का पैकेज क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में रेजिन और तारपीन के उत्पादन में कुछ कमी होने की सूचना मिली है। तथापित, रेजिन तारपीन और कपूर के कुल उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आयी है। कपूर के उत्पादन में 1995-96 से वृद्धि होते रहने की प्रवृत्तियां देखी गयी हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर ओलियो पाइन रेजिन (ओ.पी.आर.) का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं और इनमें रेजिन, तारपीन और कपूर का उत्पादन करने के एकक विद्यमान हैं। यद्यपि ओलियो पाइन रेजिन जो कि उन उत्पादों के लिए मूल कच्चे माल के रूप में है, का घरेलू उत्पादन इसकी वर्तमान मांग स्तर से कम है लेकिन इसकी कमी को ओ.जी.एल. के अधीन अनुमति देकर आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। ओलियो पाइन रेजिन पर आयात शुल्क भी कम करके 15% के स्तर तक नीचे ला दिया गया है।

(ग) और (घ) ओलियो पाइन रेजिन से सीमा शुल्क समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में मामले पर विचार किया गया है। तथापि, वर्तमान बजट प्रस्तावों में भी सीमा शुल्क को उसी स्तर पर रखा गया है, जोकि पिछले वर्ष था।

ऑटोमोबाइल (मोटर उद्योग) क्षेत्र के विकास में गिरावट

2549. श्री यू०वी० कृष्णमराजु :
श्री जयराम आई०एम० शेट्टी :
श्री रंजीब बिस्वाल :
श्री विट्ठल तुपे :
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998 के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास एवं बिक्री में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास को बल प्रदान करने के लिए दुपहिया वाहनों के विशेष संदर्भ में कोई कारगर उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) आटोमोबाइल क्षेत्र ने कुल मिलाकर अप्रैल-दिसम्बर, 1998 के दौरान वर्ष 1997 की इसी अवधि की तुलना में 4.6% की बिक्री में वृद्धि दर्शायी है। तथापि, दुपहिया वाहनों के अलावा, अन्य क्षेत्रों में निम्नानुसार बिक्री में कुछ गिरावट दर्शायी गयी है :

श्रेणी	अप्रैल-दिसम्बर, 97	अप्रैल-दिसम्बर, 98
वाणिज्यिक वाहन	1,13,776	90,205
यात्री कार	3,05,917	2,89,858
विविध उपयोगी वाहन	98,065	79,349
दुपहिया	22,40,685	24,61,903
तिपहिया	1,76,145	1,49,749
योग :	29,34,588	30,71,064

अवस्थानापरक उद्योग में तथा अर्थव्यवस्था में समग्र रूप में सामान्य मंदी के कारण मांग में रुकावट होने और आटो उद्योग में विश्वव्यापी मंदी की प्रवृत्तियों का होना बिक्री में गिरावट का प्रमुख कारण बताया है।

(ग) और (घ) आवास तथा अवस्थानापरक क्षेत्र पर दिया गया बल तथा वर्ष 1999-2000 के बजट में सड़क क्षेत्र में निवेश के लिए की गई पहलों से आटोमोटिव क्षेत्र के लिए अपेक्षित मांग में वृद्धि हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक वाहनों के लिए उच्च मूल्य ह्रास दर माडवेट प्रतिबंधों का 100% तक बनाए रखना तथा दिल्ली में 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने से भी इस उद्योग को मदद की संभावना है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सम्बंध में दीपक पारेख समिति

2550. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू० एस०-64 योजना के पुनर्गठन के संबंध में बनी दीपक पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) योजना के पुनर्गठन के संबंध में निर्णय लिए जाने की अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यू.एस.-64 योजना के पुनर्गठन के संबंध में गठित दीपक पारेख समिति ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट 25 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) से (घ) यू.एस.-64 अर्थात् यू.एस.-64 पोर्टफोलियो के पुनर्गठन और इक्विटी निधियों से प्राप्त आय को कर-छूट के संबंध में की गई कुछ सिफारिशें बजट, 1999 में कार्यान्वित कर दी गई हैं। अन्य सिफारिशें भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

सूती उत्पादों का निर्यात

2551. श्री एन० के० राठवा :
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यात किये गये सूती उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान सूती उत्पादों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) कौन-कौन से देश भारत से मुख्यतः सूती उत्पादों का आयात कर रहे हैं;

(घ) सूती उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है; और

(ङ) सूती उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कौन-कौन सी संवर्धनात्मक योजनाएं बनाई गई हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यातित सूती उत्पादों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सूती उत्पाद	करोड़ रु० में	अमरीकी मिलियन डालर में
1.	सूती फैब्रिक्स और मेड-अप (मिल निर्मित/विद्युतकरघा)	6526.12	1838.40
2.	सूती फैब्रिक्स और मेड-अप (हथकरघा)	1758.89	495.48
3.	सूती यार्न	5330.17	1501.50
	कुल	13615.18	3835.38

(ख) चालू वर्ष 1998-99 के दौरान सूती उत्पादों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	सूती उत्पाद	अमरीकी मिलियन डालर में
1.	सूती फैब्रिक्स और मेड-अप्स (मिल निर्मित और विद्युतीकरघा)	1975
2.	सूती फैब्रिक्स और मेड-अप्स (हथकरघा)	600
3.	सूती यार्न	1600
	कुल :	4175

(ग) भारत से सूती उत्पादों का आयात करने वाले प्रमुख देश हैं—मिश्र, आस्ट्रेलिया, बांग्ला देश, बेल्जियम, कनाडा, चीन, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इजराईल, इटली, जापान, कोरिया, मारीशस, नेपाल, नीदरलैंड, रूस, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्वीटजरलैंड, ताईवान, यू.के. और यू.एस.ए.।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व कपास व्यापार में भारत का प्रतिशत अंशदान निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यात	आयात
1995-96	2.0%	0.14%
1996-97	4.7%	0.08%
1997-98	1.2%	1.20%

(ङ.) सरकार का कपास के विकास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरु करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देना व अनुसंधान करना तथा विपणन अवस्थापना में सुधार लाना और कपास की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिनिंग और प्रैसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करना है। अपरिष्कृत कपास के निर्यात, निर्धारित वार्षिक उच्चतम सीमा के अध्यधीन होते हैं जिनके लिए किसानों के हितों, स्थानीय कीमत की स्थिति, विश्व की मांग आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। मौजूदा (कपास) वर्ष 1998-99 के लिए उच्चतम सीमा 5 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) है।

खाद्य वस्तुओं का निर्यात

2552. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वस्तु-वार कितनी मात्रा में खाद्य वस्तुएं निर्यात की गई हैं; और

(ख) स्वदेशी बाजार में इनकी उपलब्धता और मूल्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) खाद्य उत्पाद के निर्यात की अनुमति देने से संबंधित सरकार की नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखना, आय को अधिकतम बनाना और विदेशी मुद्रा का अर्जन करना है। खाद्य उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, खाद्य निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से उसमें तदनुसार नीति संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं।

विवरण

खाद्य मदों का निर्यात

मात्रा : टन में
मूल्य : लाख रुपए में

मद	अप्रैल-मार्च 1995-96		अप्रैल-मार्च 1996-97		अप्रैल-मार्च 1997-98	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
दालें	61355	13181.45	55216	13157.78	160183	35474.39
चावल बासमती	373314	85066.86	523157	124763.58	581791	167434.74
चावल गैर बासमती	4543699	371740.81	1989040	192471.98	1721798	160038.21
गेहूं	632468	36676.23	1145898	69845.18	1561	42.45

1	2	3	4	5	6	7
अन्य अनाज	28097	1696.53	71042	4864.06	14916	1323.76
मसाले	203729	79352.37	222086	120214.03	241229	140770.41
काजू गिरी	70068	123570.44	68856	128548.39	76323	138392.67
तिल एवं राम तिल	84142	25726.34	103800	27528.03	118672	33419.63
एचपीएस मूंगफली	118908	23068.58	148780	32584.38	225221	55716.14
चीनी	434320	59734.00	667274	86080.03	175081	24060.24
मांस एवं मांस से बनी वस्तुएं	-	62700.28	-	70891.11	-	80272.18
कुक्कुट एवं दुग्ध उत्पाद	-	5875.98	-	12378.52	-	10733.01
ताजे फल	-	23019.24	-	24439.07	-	25929.15
ताजी सब्जियां	-	29740.77	-	33438.13	-	30633.52
प्रसंस्कृत फल एवं रस	-	20456.14	-	20944.25	-	28152.99
प्रसंस्कृत सब्जियां	-	14274.62	-	11678.68	-	10888.35
विविध प्रसंस्कृत मदें	-	54045.36	-	76407.02	-	25365.05
समुद्री उत्पाद	327368	338112.97	394548	400762.63	387831	431270.54
चाय	158752	117111.39	179553	103707.74	171469	150507.22
काफी	156089	150293.74	163025	142658.60	147851	162168.51
कुल कृषि, समुद्री उत्पाद इत्यादि	-	1485150.36		1697364.54		1712593.61

पृथक एफ० डी० आई० मंत्रालय

2553. श्री ए० गणेशमूर्ति :
श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन :
श्री के० एस० राव :
श्री ए० सी० जोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जनवरी, 1999 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एन० आर० आई० बॉडी 'सीक्स' सेपरेट एफ.डी.आई. मिनिस्ट्री गोल्डएमनेस्टी स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। उल्लिखित समाचार अनिवासी भारतीयों के एक दल द्वारा प्रस्तुत बजट-पूर्व ज्ञापन से संबंधित है जिसमें भारत में निवेश माहौल में और सुधार हेतु सरकार द्वारा उपाय किए जाने की मांग की गई है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के बजट में सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी निवेश हेतु अनुमोदन को शीघ्रता से वास्तविक निवेश अंत:प्रवाहों तथा परियोजनाओं का रूप दिया जाए, उद्योग मंत्रालय में एक विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण का गठन करने के अपने निर्णय की घोषणा की है जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु लिया जाने वाला समय भी घटाकर 30 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

बजट में एक स्वर्ण जमा योजना का प्रस्ताव भी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचालित की जाने वाली इस योजना के अनुसार, चुनिन्दा बैंकों को स्वर्ण जमा स्वीकार करने और ब्याज धारक पत्र अथवा बांड जारी करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें परिपक्वता पर स्वर्ण के रूप में वापस प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ण जमा बांडों/पत्रों को आयकर मुक्त रखने का प्रस्ताव है तथा योजना के तहत जमा परिसंपत्तियों के मूल्य को धन कर से मुक्त रखा जाएगा। तथापि, योजना को छूट प्राप्त नहीं होगी।

बहीखाता रख-रखाव प्रभार

2554. **श्री वैको :**
श्री ए. गणेश मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक उपभोक्ताओं से बहीखाता रखरखाव प्रभार वसूल कर रहा है जबकि यह, बैंक के संस्थापना व्यय का अभिन्न अंग है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंक इसी प्रकार से वसूली कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन प्रभारों को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की लागत को ध्यान में रखते हुए खाता-बही पन्ना शुल्क लगा रहा है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक खाता-बही पन्ना प्रभार लगाते हैं।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक का खाता-बही पन्ना प्रभार वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

चमड़ा उद्योग परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

2555. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यवहार्य चमड़ा उद्योग परियोजनाओं के आधुनिकीकरण हेतु परिवर्तनीय आर्थिक सहायता आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है/प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सरकार को यह जानकारी है कि चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण में एक बाधा वित्त की उपलब्धता व पूंजी की लागत है और इन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में इसके द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं। चमड़ा परिष्करण, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का आगमन, चमड़ा क्षेत्र में लघु उद्योग विकास तथा रोजगार कार्यक्रम (एस.आई.डी.ई. – एन.एल.डी.पी.), भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.) और चमड़ा प्रौद्योगिकी मिशन (एल.टी.एम.) के तहत सफाई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, आदि के लिए परिस्थिति-अनुकूल-प्रौद्योगिकी अपनाने सहित उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु उपाय पहले ही शुरु कर दिए गये हैं।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के कारण हुई बचत

2556. **श्री गोरधनभाई जादवभाई आवीया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिए जाने के कारण 1998-99 के दौरान सरकारी व्यय की कितनी बचत हुई; और

(ख) केन्द्र सरकार के सकल बजट का कितना प्रतिशत व्यय सरकारी कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि के भुगतान पर होता है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) वर्ष 1998-99 के दौरान देय अंतिम लाभों के संबंध में अनुमानत: 4300 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

(ख) चालू वर्ष (1998-99) में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (रक्षा सेवा कार्मिकों को छोड़कर) पर किया गया व्यय सरकार के कुल बजट व्यय का 10.14% है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर होने वाला खर्च संघ सरकार के बजट से संबद्ध नहीं होता है।

जम्मू और कश्मीर में उद्योग

2557. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के कारण उद्योगों को हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) आतंकवाद का प्रभाव अलग-अलग कार्यकलापों पर अलग-अलग है। मंत्रालय आतंकवाद के कारण हुई हानियों के ब्यौरों का केन्द्रीय रूप से निगरानी नहीं करता है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने जम्मू और कश्मीर के उन छोटे ऋणियों के लिए बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से एक ऋण राहत योजना तैयार की है। जो व्यापार, परिवहन, पर्यटन और लघु उद्योगों में लगे हुए हैं और जिनका ऋण 50,000 रुपये से कम है। उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए 150.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत जहां विद्युत, पानी दूरसंचार, बैंकिंग जैसे मूलभूत सुविधाएं संबंधित राज्य सरकार अपने संसाधनों और संस्थागत वित्त के उपयोग के माध्यम से विकसित करती है, वहां जम्मू-कश्मीर राज्य को दो विकास केन्द्र नामत: साम्भा (जिला जम्मू) और ओमपोडा-लस्सीपोडा (जिला बुदगम-पुलवामा) आबंटित किये

गये हैं। इसके अतिरिक्त, एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में लघु एककों के विकास के लिए जिला उधमपुर (जम्मू-कश्मीर) के बतल बल्लियन गांव में। एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र को स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार की मई, 1998 को नई औद्योगिक नीति में रुग्ण एककों को 30 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 1% ब्याज दर पर सुलभ ऋण सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

बाजार विकास सहायता समाप्त किया जाना

2558. **श्री पंकज चौधरी :**
डा० अशोक पटेल :
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :
डा० ए० सी० जोस :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना "राज्यों में प्राथमिक हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों को बाजार विकास सहायता" समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर केरल सरकार ने सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) बाजार विकास सहायता (एम०डी०ए०) स्कीम 1 अप्रैल, 1998 से समाप्त की जानी थी। यद्यपि, भारत सरकार को केरल सहित विभिन्न सरकारों से इसको जारी रखने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। भारत सरकार ने अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों सहित विभिन्न हथकरघा संस्थानों के लिए एम०डी०ए० योजना को कुछ संशोधनों सहित मार्च, 2000 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। केरल राज्य सहित, राज्य सरकारों को इसके संबंध में पहले ही सूचना भेज दी गई है।

विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों के समाधान के लिए अलग विभाग की स्थापना

2559. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री नादेन्दला भास्कर राव :
श्री विट्ठल तुपे :
डा० उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री मोहन रावले :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार के मुद्दों के समाधान हेतु वाणिज्य मंत्रालय में एक अलग विभाग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) डब्ल्यू टी ओ और बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग की स्थापना करने के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयले की मूल्य वृद्धि के कारण इस्पात उत्पादन लागत में वृद्धि

2560. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 और 1997-98 के दौरान "सेल" का कुल कारोबार कितना रहा;

(ख) क्या कोयले की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "सेल" और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अन्य इस्पात संयंत्रों के घाटे को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ.) क्या सरकार का इनकी कोयला खपत के लिए रक्षित कोयला खानें बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) 1996-97 और 1997-98 के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) का कुल कारोबार क्रमशः 14131 करोड़ रुपए और 14624 करोड़ रुपए था।

(ख) और (ग) सेल में इस्पात का उत्पादन लागत पिछले दो वर्षों में विभिन्न कारणों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयले के मूल्यों में वृद्धि शामिल है, की वजह से बढ़ा है। पिछले दो वर्षों के दौरान कोयले के मूल्य में हुई औसत वृद्धि नीचे दी गई है :

वर्ष	कोयले के मूल्य में हुई वृद्धि
1996-97	12 प्रतिशत
1997-98	7 प्रतिशत

(घ) निष्पादन में सुधार करने के लिए सेल ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- लागत नियंत्रण उपायों पर अधिक बल देना।
- कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) शुरु करना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन और उत्पाद मिश्र।

- प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों में सुधार।
- उद्यमशील और ग्राहकोन्मुखी विपणन के माध्यम से बिक्री में वृद्धि।
- व्यापार पुनर्संरचना कार्यकलापों के माध्यम से संसाधनों की कमी को पूरा करने के नए तरीके खोजना।

सरकार ने इस्पात उद्योग की लाभप्रदता में सुधार करने और मौजूदा समस्याओं पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरु किया है।

(2) इस्पात उत्पादन के लिए आदान लागतों में कमी करने हेतु कई आदानों जैसे कोककर कोयला (12% से कम राखांश), अकोककर कोयला (12% से कम राखांश), धातुकर्मीय कोक, फैरो निकेल, चार्ज निकेल, और निकेल ऑक्साइड सिन्टर, न्यून सिलिकायुक्त चूना-पत्थर और ग्रेफाइट इलैक्ट्राड (28'' से अधिक) पर विशेष आयात शुल्क पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

(3) यूक्रेन और रूस से आयातित तप्त बेल्लित क्वायलों पर पाटन रोधी शुल्क लगाया गया है।

(4) निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात के निर्यात के लिए ड्यूटी इंटाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) दरों को युक्ति-संगत बनाया गया है।

(5) निर्यात की अड़चनों का समाधान करने के लिए इस्पात के निर्यातकों की सहायता करने हेतु एक इस्पात निर्यातक मंच बनाया गया है।

(6) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्पात क्षेत्र को वर्धित परियोजना सहायता देने और ई.सी.बी. मानदण्डों में छूट देने की सिफारिश की गई है।

(7) भारतीय इस्पात की इस्पात निर्माण की प्रौद्योगिकी में सुधार करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की जांच करने और सहायता देने के लिए सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

वित्तीय रूप से आर.आई.एन.एल. को व्यवहार्य बनने में सहायता देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. की वित्तीय पुनर्संरचना करने को मई, 1998 में अनुमोदित कर दिया और आर.आई.एन.एल. को एक विस्तृत पुनरुद्धार योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इस समय पुनरुद्धार योजना पर अन्तर-मंत्रालय स्तर पर विचार किया जा रहा है।

(ङ.) और (च) कोयले की आंशिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अक्तूबर, 1995 में सेल के निजी उपयोग हेतु बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में चार कोककर कोयला खंडों, नामत: परबतपुर, महल, बिटनाला और तसरा का सेल द्वारा विकास करने की पेशकश की थी। इन चार खंडों में से केवल तसरा खंड को ही प्रौद्योगिक-आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया।

सेल ने सेंटर फॉर माइन्स प्लानिंग डिजाइन इंडिया लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.), सी आई एल को तसरा खंड की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विदेशी ऋण

2561. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्रीमती रीना चौधरी :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान और अब तक सरकार ने विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/दूसरे देशों से किन उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों और दूसरे देशों से ऋण के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई;

(ग) जिन कार्यों के लिए ऋण राशि का उपयोग किया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्षवार उपर्युक्त एजेन्सियों से लिए गए ऋण के रूप में ली गई राशि पर कितना ब्याज दिया गया; और

(ङ.) इस ऋण का भुगतान कितनी किश्तों में करने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) सामान्यत: सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास, कोयला, विद्युत, उद्योग और वित्त, पर्यावरण और वन, रेल, सड़क, पत्तन, सिंचाई, सामाजिक क्षेत्र तथा शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में विकास संबंधी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों/अन्य बाहर के देशों से ऋण लिया था।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ग) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए जिन परियोजनाओं के संबंध में ऋण राशियों का उपयोग किया गया, उसे संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 1996-97 के सम्बन्ध में सूचना विदेशी सहायता नामक पुस्तिका में उपलब्ध है जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ.) विभिन्न दाता देशों से प्राप्त ऋणों की पुन: अदायगी ऋण करारों के शोधन अनुसूची के अनुसार की जाती है। पुन: अदायगी की शर्तें दाता-दर-दाता देश के आधार पर भिन्न-भिन्न होती हैं।

विवरण-I

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान विदेशी ऋणों (केवल सरकारी खाता) के उपयोग का स्रोतवार विवरण

(करोड़ रु० में)

क्र.सं.	देश/संस्था का नाम	1996-97	1997-98	1998-99 (जनवरी, 99 तक)
1	2	3	4	5
बहुपक्षीय				
1.	ए.डी.बी.	1772.08	741.01	1112.56
2.	आई.बी.आर.डी.	1681.15	1279.91	543.08
3.	आई.डी.ए.	3379.61	3063.67	1944.08
4.	आई.एफ.ए.डी.	48.42	59.08	32.91
5.	ओ.पी.ई.सी.	2.41	11.12	13.16
	जोड़ :	6883.67	5155.06	3647.23
द्विपक्षीय				
6.	आस्ट्रेलिया	1.85	3.94	0.84
7.	डेनमार्क	0	14.23	0
8.	फ्रांस	127.99	209.22	30.78
9.	जर्मनी	178.05	176.03	146.92
10.	जापान	1613.33	2004.22	1666.76
11.	कुवैत फंड	22.24	8.97	2.69
12.	नीदरलैंडस	0	0	77.55
13.	सऊदी फंड	25.95	4.88	6.65
14.	स्वीडन	108.85	0	0
15.	स्विटजरलैंड	4.09	0	0
	जोड़ :	2082.08	2421.49	1932.19
	कुल जोड़ :	8966.47	7577.09	5579.42

विवरण-II

वर्ष 1997-98 और 1998-99 (दिनांक 31.1.1999 तक) के दौरान उपयोग में लाए गए ऋणों का दाता देशवार दिखाने वाला विवरण

(दाता देश की मुद्रा मिलियन में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	करार की तिथि	ऋण राशि	बकाया उपयोग में लिया गया
1	2	3	4	5
आई.बी.आर.डी. (अमरीकी डालर)				
1.	राष्ट्रीय कृषि तक. परियोजना	22.6.98	96.80	96.80
2.	उ.प्र. विविधिकृत कृषि सहा. परि.	30.7.98	79.90	79.90
3.	हरियाणा विद्युत पुनर्नि. परि.	16.1.98	60.00	45.91
4.	आ.प्र. राज्य राजमार्ग परि.	30.7.97	350.00	327.32
5.	कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना	19.3.98	515.00	500.00
6.	आ.प्र. विद्युत क्षेत्र की तैयारी हेतु अग्रिम	24.12.97	2.00	2.00
आइ.डी.ए. (अमरीकी डालर)				
1.	आ.प्र. आपद शमन तथा आपाती चक्रवात	9.7.97	100.00	75.87
2.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिक परियोजना	22.6.98	100.00	100.00
3.	उ.प्र. विविधिकृत कृषि सहा. परियोजना	30.7.98	50.00	45.81
4.	उ.प्र. वानिकी परियोजना	30.12.97	52.94	46.95
5.	केरल वानिकी परियोजना	13.8.98	39.00	36.01

1	2	3	4	5
6.	कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना	19.3.98	2.00	2.00
7.	आ.प्र. सिंचाई-3	3.6.97	150.00	86.85
8.	प्रजनक तथा बाल-स्वास्थ्य परियोजना	30.7.97	248.30	237.84
9.	डी.पी.ई.पी.-3	23.2.98	152.00	146.26
10.	उ.प्र. बुनियादी शिक्षा-2	3.3.98	59.40	43.72
11.	उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परि.	13.8.98	75.35	75.35
12.	ग्रामीण महिला विकास परियोजना	14.9.98	19.50	19.50
13.	केरल वानिकी परियोजना	23.12.97	0.56	0.22
जर्मनी (ड्यूश मार्क)				
1.	सिग्नल व्यवस्था का आधुनिकीकरण	1.8.97	185.00	185.00
2.	उर्वरक क्षेत्र परियोजना-6	10.11.97	70.00	35.37
फ्रांस (फ्रांसीसी फ्रैंक)				
1.	मिश्रित परियो. (वित्तीय प्रोटो. संलग्न है)	25.1.98	125.00	125.00
जापान (जापानी येन)				
1.	सिमहाद्री और विजाग परि. व्यवस्था	12.12.97	10629.00	10629.00
2.	श्रीसेलम लेफ बैंक पावर स्टेशन परियोजना	12.12.97	14499.00	12626.40
3.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र-2	12.12.97	34151.00	26887.00
4.	पंजाब वक्षाऐषण परियोजना	12.12.97	6193.00	5899.30
5.	मध्य प्रदेश रेशम उत्पादन परियोजना	12.12.97	2212.00	2161.20
6.	मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना	12.12.97	3962.00	3841.10
7.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	12.12.97	7760.00	7110.30
नीदरलैंड (ड्यूश गिल्डर)				
1.	गुजरात स्वा. देखभाल हेतु ओरेट प्रोजेक्ट	27.11.97	59.74	24.39
ओपेक (अमरीकी डालर)				
1.	शिमला मलव्ययन परियोजना	21.8.97	10.00	9.90

विवरण-III

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (जनवरी, 1999 तक) के दौरान भुगतान किए गए ब्याज अदायगी का स्रोतवार विवरण

(करोड़ रु०)

क्र. सं.	देश/संस्था का नाम	1996-97	1997-98	1998-99 (जनवरी, 99 तक)
1	2	3	4	5
बहुपक्षीय				
1.	ए.डी.बी.	409.61	465.03	442.07
2.	आई.बी.आर.डी.	1950.36	1759.07	1426.59
3.	आई.डी.ए.	465.21	482.52	451.86
4.	आई.एफ.ए.डी.	8.6	7.43	8.46
5.	ओ.पी.ई.सी.	2.2	1.69	1.72
	जोड़	2835.98	2715.74	2330.7

1	2	3	4	5
द्विपक्षीय				
6.	आस्ट्रेलिया	4.02	3.57	3.87
7.	बेल्जियम	1.37	1.12	1.29
8.	कनाडा	0.02	0.02	0.01
9.	चैक और स्लोवाक गणराज्य	0.91	0.8	0.37
10.	डेनमार्क	0.03	0.71	0
11.	ई.ई.सी. (एस.ए.सी.)	1.17	1.07	0.79
12.	फ्रांस	152.41	131.81	141.89
13.	जर्मनी	206.71	175.87	171.98
14.	इटली	12.51	12.08	12.82
15.	जापान	703.09	703.58	655.93
16.	कुवैत फंड	16.11	15.41	9.58
17.	नीदरलैंड्स	67.47	59.4	33.2
18.	सऊदी फंड	4.11	3.07	2.66
19.	स्पेन	3.23	3.32	4.79
20.	स्वीडन	2.06	1.71	1.91
21.	स्विटजरलैंड	14.45	11.83	11.02
22.	यू.एस.ए.	176.53	175.09	147.58
23.	रुसी परिसंघ	20.6	94.14	0.19
24.	आस्ट्रेलिया	0.63	0.66	0.79
	जोड़ :	1387.43	1395.26	1200.67
	कुल जोड़ :	4223.4	4111	3531.37

टिप्पणी : उक्त आंकड़ों में प्रतिबद्धता प्रभार शामिल हैं।

पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर को लाइसेंस

2562. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कंपनियों को सरकार ने पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर (पी.एस.एफ.) और पी.एफ.वाई के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किया है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान पी.एस.एफ. और पी.एस.वाई. का कुल उत्पादन कितना था और इसकी मांग कितनी थी;

(ग) क्या घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पी.एस.एफ. के आयात करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) उदारीकरण की प्रक्रिया शुरु करने से ही पेट्रोरसायन उद्योग में धीरे-धीरे लाइसेंस समाप्त किया गया है। मौजूदा स्थिति ऐसी है कि पी.एफ.वाई. और पी.एस.एफ. सहित अधिकांश उत्पाद विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं। पी.एफ.वाई. और पी.एस.एफ. के विनिर्माताओं के नामों को दर्शाने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान पी.एफ.वाई. और पी.एस.एफ. का घरेलू उत्पादन क्रमशः 7 लाख और 5 लाख मी. टन होने का अनुमान है जिससे कुल मिलाकर के घरेलू मांग के पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) पी.एस.एफ. का आयात ओ.जी.एल. के अंतर्गत किया जाता है। पी.एस.एफ. का आयात विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमतों तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तों के आकर्षक होने पर निर्भर है।

विवरण

पी.एफ.वाई. और पी.एस.एफ. के विनिर्माताओं की सूची

क्र.सं.	पोलिएस्टर फिलेमेंट यार्न (पी.एफ.वाई.)
1	2
1.	बड़ौदा रेयन कार्पो. लि.
2.	सेंच्युरी ऐंका लि.
3.	डी.सी.एल. पोलिएस्टर लि.
4.	गरवारे नाइलोन लि.
5.	हरियाणा पेट्रोकेमिकल्स लि.
6.	जिंदल पोलिएस्टर एंड स्टील लि.
7.	इंडिया आर्गनिक्स केमिकल लि.
8.	जे.के. सिंथेटिक लि.
9.	मोदीपन लि.
10.	निरलन लि.
11.	ओर्के पोलिएस्टर लि.
12.	संघी पोलिएस्टर लि.
13.	पेट्रोफिल्स कार्पो. लि.
14.	रिलायंस इंडिया लि. (गटलगांव)

1	2
15.	रिलायंस इंडिया लि॰ (हजारिया)
16.	एस्टर (इंडिया) लि॰
17.	श्री सिंथेटिक्स लि॰
18.	जे.सी.टी. लि॰
19.	रेमंड सिंथेटिक्स लि॰
20.	उड़ीसा सिंथेटिक्स लि॰
21.	राजश्री पोलिएस्टर लि॰
22.	पराग बोसीमी सिंथेटिक्स लि॰
23.	पेरासरामपुरिया इंडिया लि॰

क्र.सं.	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर (पी.एस.एफ.)
1.	बोंगाई गांव रिफायनरी तथा पेट्रोकेम लि॰
2.	टेरेना फाइबर इंडिया लि॰
3.	इंडिया पोलिएस्टर लि॰
4.	इंडिया ऑरगेनिक केमिकल्स लि॰
5.	जे.सी.टी. फाइबर्स लि॰
6.	जे.के. सिंथेटिक लि॰
7.	उड़ीसा सिंथेटिक लि॰
8.	रिलाइंस इंडिया लि॰ (पटलगंगा)
9.	रिलाइंस इंडिया लि॰ (हजारिया)
10.	स्वदेशी पोलिटेक्स लि॰
11.	इंडो रामा सिंथेटिक (इंडिया) लि॰

रत्न और आभूषण उद्योग का विकास

2563. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष रत्न और आभूषण उद्योग से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है;

(ख) इस उद्योग के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं/विचाराधीन हैं;

(ग) सरकार का विचार इस उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कुछ विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के जनवरी, 1999 के अंत तक रत्न तथा आभूषण के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

(मूल्य अमरीकी मिलियन डालर)

वर्ष	मूल्य
1995-96	5275.44
1996-97	4752.84
1997-98	5116.01
1 अप्रैल, 1998/31 जनवरी, 99	469429

स्रोत : 1995-96, 1996-97, 1997-98 के वर्षों के लिए वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता तथा 1 अप्रैल, 98 - 31 जनवरी, 99 के लिए रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, मुंबई।

(ख) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए निर्यात संवर्धन योजनाएं एक्जिम नीति के अध्याय-8 में दी गई हैं। इस अध्याय में दी गई योजनाओं को विश्व के बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। उक्त 6 निर्यात संवर्धन योजनाएं ये हैं : (क) विदेशी क्रेता द्वारा सोने, प्लैटिनम अथवा चांदी की आपूर्ति के बदले निर्यात, (ख) प्रदर्शनियों/निर्यात संवर्धन दौरों/प्रदर्शनों के जरिए निर्यात, (ग) ब्रांड वाले आभूषणों की बिक्री सरकार द्वारा नामित अधिकरणों अथवा आरबीआई के प्राधिकृत बैंक की शाखाओं द्वारा सोने, प्लेटिनम अथवा चांदी की आपूर्ति के बदले निर्यात, (घ) सोने, प्लेटिनम अथवा चांदी के आयात के लिए अग्रिम लाइसैंस के आधार पर निर्यात, (ङ.) निर्यात अभिमुख इकाइयों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों से निर्यात, और (च) प्लेटिनम सोने अथवा चांदी के आभूषणों के निर्यात के आधार पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस।

(ग) और (घ) रत्न तथा आभूषण क्षेत्र का अधिकांश कच्चामाल जैसे अपरिष्कृत हीरे, रंगीन पत्थर, मोती, सिंथेटिक पत्थर, प्लेटिनम, सोना, चांदी का आयात करना पड़ता है। विश्व बाजार में हमारे रत्न तथा आभूषण को और प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए निर्यातकों को उपर्युक्त कच्ची सामग्री की शुल्क मुक्त प्राप्ति के लिए कई सुविधाएं दी जाती हैं। अपरिष्कृत हीरे, रंगीन पत्थर, मोती, सिंथेटिक पत्थर, सोना प्लेटिनम चांदी आदि को एक्जिम, नीति के पैरा 8.2 और 8.37 के तहत जारी प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के तहत शुल्क मुक्त प्राप्त किया जा सकता है। हीरे के निर्यातकों के लिए डायमैंड इम्प्रैस लाइसैंस की अतिरिक्त सुविधा है जिससे किसी भी स्रोत से पहले से ही अपरिष्कृत हीरे प्राप्त करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मैसर्स हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी लि॰, एमएमटीसी तथा निश्चित शर्तें पूरी करने वाले अन्य श्रेणी के निर्यातकों/कंपनियों को बल्क लाइसैंस जारी करने का भी प्रावधान है जिससे कि वे हीरों का आयात करके घरेलू बाजार में आरईपी/डायमंड इम्प्रैस्ट लाइसेंस धारकों को हीरे की आपूर्ति कर सके। हीरों, कीमती तथा अर्द्ध-कीमती पत्थरों के लिए भारत को एक व्यापारिक केन्द्र बनाने की दृष्टि से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में गैर-सरकारी बाण्डेड भंडागारों की स्थापना करने के लिए एक्जिम नीति (1997-2002) में पैरा 8.3 पर एक उपबंध शामिल किया गया है। निर्यातकों को सोने तथा चांदी की आपूर्ति सरकार द्वारा नामित चार अधिकरणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत 13 बैंकों के माध्यम से की जाती है।

[अनुवाद]

न्यू इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी में भ्रष्टाचार के मामले

2564. श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओरियंटल इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड में निगरानी विभाग का संगठनात्मक ढांचा क्या है;

(ख) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान निगरानी विभाग द्वारा जांच की गई आय स्रोतों के भ्रष्टाचार, बेईमानी और असमानुपातिक परिसम्पति के कंपनी-वार कितने मामलों की जांच हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान संबंधित कंपनियों के दिल्ली स्थित कार्यालय में जांच की गई भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखेबाजी और अवैध वेतन की शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जनवरी, 1999 के स्थिति के अनुसार निगरानी विभाग के पास वर्ष-वार और कंपनी-वार कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) इंश्यूरेंस कंपनियों के सतर्कता प्रभागों द्वारा कार्यवाही करने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) इन कंपनियों के सतर्कता विभागों का मुखिया "मुख्य सतर्कता अधिकारी" होता है और जिसका रैंक सहायक महाप्रबन्धक का होता है। उसे भारतीय जीवन बीमा निगम से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और मुख्यालय स्तर पर उसकी सहायता प्रबन्धक और अन्य अधिकारियों और स्टाफ तथा कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सीधे ही कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक को रिपोर्ट करता है।

(ख) अननुपाती परिसम्पत्तियों से संबद्ध मामलों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाती है न कि कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा। इन कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी द्वारा जांच किए गए भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की संख्या इस प्रकार है :

कंपनी का नाम	वर्ष 1997 में जांच किए गए मामले	वर्ष 1998 में जांच किए गए मामले
ओरियंटल	186	164
न्यू इंडिया	85	103
नेशनल	64	109

(ग) दिल्ली में जांच किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

कंपनी का नाम	वर्ष 1997 में जांच किए गए मामले	वर्ष 1998 में जांच किए गए मामले
ओरियंटल	24	13
न्यू इंडिया	41	40
नेशनल	3	7

उक्त जांच किए गए मामलों में से ओरियंटल ने वर्ष 1997 और 1998 के दौरान क्रमश: 7 और 10 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जबकि इन दो वर्षों के दौरान क्रमश: 17 और 3 मामलों को बन्द कर दिया गया। न्यू इंडिया ने वर्ष 1997 और 1998 के दौरान क्रमश: 10 और 16 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जबकि इन्हीं दो वर्षों के दौरान क्रमश: 31 और 24 मामलों को बन्द कर दिया गया।

नेशनल द्वारा जांच किए गए मामलों के सम्बन्ध में, दो कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की गयी, चार कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति कार्रवाई की जा रही है तथा एक कर्मचारी के विरुद्ध छोटी शास्ति कार्रवाई की जा रही है।

(घ) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

कंपनी का नाम	1996	1997	1998
ओरियंटल	6	15	52
न्यू इंडिया	52	53	51
नेशनल	12	16	52

(ङ) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि कुछ मामलों में विलम्ब न्यायालय द्वारा स्थगनादेश देने, जांच अधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के स्थानान्तरण आदि के कारण होता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में इस्पात कारखानों की स्थापना

2565. श्री बलीराम कश्यप : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के बस्तर डिवीजन में एक इस्पात कारखाने की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन" ने लोहे का एक बड़ा कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार का मध्य प्रदेश के बस्तर डिवीजन में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) नेशनल मिनरल डैवलपमेंट कारपोरेशन (एन.एम.डी.सी.) के निदेशक मंडल ने बैलाडिला लौह अयस्क चूरे से कच्चा लोहा बनाने के लिए मध्य प्रदेश के दंतिवाड़ा जिले के गिदाम में 3 लाख टन वार्षिक क्षमता के एक कच्चा लोहा संयंत्र की स्थापना हेतु संभाव्यता रिपोर्ट को अक्तूबर, 1998 में अनुमोदित किया। 298.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना हेतु धन की व्यवस्था भारत सरकार के विज्ञान एवं औद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा 40 करोड़ रुपए के ऋण के माध्यम से तथा शेष आंतरिक संसाधनों से किए जाने का प्रस्ताव है। एन.एम.डी.सी. ने परियोजना-पूर्व के व्यय के लिए एक प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन हेतु अक्तूबर, 1998 में प्रस्तुत किया था। जिसके अनुमोदन की सूचना सरकार द्वारा पहले ही दे दी गई है। एन.एम.डी.सी. ने 40 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी की पूंजी पुनर्संरचना

2566. **श्री नादेन्दला भास्कर राव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको) की पूंजी पुनर्संरचना को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार को किस हद तक सहायता मिलेगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 644.31 करोड़ रु० के अंकित मूल्य की प्रदत्त इक्विटी, जो नालको की 1288.62 करोड़ रु० की मौजूदा प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 50% है, के 14.5% वार्षिक दर पर ब्याज वाले ऋण में परिवर्तन द्वारा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको) की पूंजीगत पुनर्संरचना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस ऋण के सरकारी अंश के बाद में बाजार में बिक्री की जाएगी।

(ग) पूंजीगत पुनर्संरचना से इक्विटी में की गई कमी के तदनुरूप प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.) में सुधार होगा। भारत सरकार को, जो सबसे बड़ी शेयर धारी है, इससे लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा, इस ऋण के सरकारी अंश की बिक्री से 561 करोड़ रु० प्राप्त होने की संभावना है।

लघु उद्योगों के लिए निवेश-सीमा

2567. **श्री के० कृष्णमूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आबिदहुसैन समिति की सिफारिशों के विपरीत लघु उद्योगों के लिए निवेश-सीमा में कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कमी के विरोध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। 29 अप्रैल, 1998 को आयोजित लघु उद्योग भारती समारोह में, माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि लघु उद्योग एककों के लिए निवेश की सीमा 3 करोड़ रु० से घटाकर 1 करोड़ रु० कर दी जाएगी।

(ग) से (ङ) निवेश सीमा को बढ़ाने और इसे घटाए जाने के संबंध में दोनों स्वरूप के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निवेश सीमा को 3 करोड़ रु० की राशि से घटाकर 1 करोड़ रु० की राशि कर दी जाये। सरकार द्वारा इस बारे में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

पूर्वी तट पर एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिना संयंत्र

2568. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी तट पर एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिना संयंत्र लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) पूर्वी तट पर, सार्वजनिक क्षेत्र में कोई ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिना संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बांग्लादेश के साथ निर्यात/आयात

2569. **श्रीमती शीला गौतम**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998-99 के दौरान आज तक बांग्लादेश को निर्यात की गई वस्तुओं और बांग्लादेश से भारत में आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बांग्लादेश के साथ व्यापार संतुलन हितकर है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने व्यापार संतुलन में मौजूदा अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) अप्रैल-नवम्बर, 98 के दौरान भारत से बंग्लादेश को किए गए निर्यातों का मूल्य इसी अवधि के दौरान इस देश से किए गए 134.04 करोड़ रु० के आयातों की तुलना में 2247.21 करोड़ रु० का था। भारत से बंग्लादेश को निर्यात की गयी मदों में शामिल हैं : चावल (बासमती को छोड़कर), कॉटन यार्न, फैब्रिक्स, मशीनरी और यंत्र, ग्लास/ग्लास के बर्तन/सेरामिक, सीमेंट, कोयला, औषधि, भेषजीय एवं परिष्कृत रसायन, परिवहन उपकरण, प्राथमिक एवं अर्ध-परिष्कृत इस्पात, रबड़ विनिर्मित उत्पाद, धातु विनिर्माण

इत्यादि। बंग्लादेश से आयातित प्रमुख मदें हैं - वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स, निर्मित वस्तुएं, अकार्बनिक रसायन, अपरिष्कृत जूट, चर्म एवं कच्ची एवं अपशिष्ट कपास।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

2570. श्री चन्द्रशेखर साहू :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े की वस्तुओं का निर्यात घटा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां सबसे ज्यादा मात्रा में चमड़े की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है;

(घ) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। तथापि विभिन्न अन्य चमड़े के उत्पादों के निर्यात की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जर्मनी, यू.एस.ए., यू.के., नीदरलैंड और आस्ट्रेलिया उन देशों की सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन देशों को भारी मात्रा में चमड़े की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से 259.66 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी। अप्रैल-नवम्बर 1998-99 की अवधि के दौरान चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में 1997-98 की इसी अवधि की तुलना में 65.46% की वृद्धि दर्ज हुई है।

(अप्रैल-नवम्बर)

1997-98	170.42 मिलि. अमरीकी डालर
1998-99	281.97 मिलि. अमरीकी डालर

(ङ) शुल्क रियायतों के रूप में वित्तीय उपायों सहित विभिन्न उपाय शुरु किए गये हैं। पूंजीगत सामानों पर आयात शुल्क में कमी की गई है। चमड़ा सामान उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुछ निविष्टियों पर शुल्क में भी कमी की गई है। निर्यात संवर्धन के लिए लघु निर्यातकों को बाजार विकास सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

चर्म एवं चमड़ा उत्पादों के निर्यात का विवरण पत्र

मिलियन अमरीकी डालर में

क्र.सं.	उत्पाद	1997-98	1997-98 अप्रैल-नवम्बर	1998-99 अप्रैल-नवम्बर	% परिवर्तन
1.	प्रसंस्कृत चमड़ा	287.50	202.53	172.52	-14.82
2.	चमड़े की वस्तुएं	232.84	170.42	281.97	65.46
3.	चमड़े के परिधान	412.84	299.20	254.55	-14.92
4.	चमड़े के फुटवियर	271.46	193.25	130.77	-32.33
5.	चमड़े के संघटक	238.29	167.22	162.03	-3.10
6.	सैडलरी एवं हारनैस	26.82	18.94	18.16	-4.12
	कुल	1469.75	1051.56	1020.01	-3.00
		37.1648	36.1236	41.8592	

कोयला खानों में आग लगने की घटना

2571. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री सी०पी० राधाकृष्णन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान विभिन्न कम्पनियों की कोयला खानों जिनमें आग लगने की घटना हुई, का ब्यौरा क्या है और इनमें आग लगने के क्या कारण हैं;

(ख) किन कोयला खानों में आज तक आग बुझाई नहीं जा सकी है;

(ग) प्रत्येक कंपनी की आग की इन घटनाओं से कोयले और राजस्व की कुल कितनी क्षति हुई; और

(घ) भविष्य में आग लगने की घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं अथवा किये जाने का विचार है और उक्त अवधि के दौरान आग बुझाने के लिए कितनी राशि व्यय की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) क्षेत्रों से फंसे कोयले, जिन्हें आक्सीजन की आपूर्ति बंद करने के लिए कर दिया गया है अथवा सील कर दिया गया है, को आग के शमन के बाद पुन: प्राप्त किया जाएगा।

(घ) कोल इंडिया लि० की खानों में स्वत: उत्पन्न ऊष्मा को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. भूमिगत खानों के संबंध में कोयला खान विनियमन, 1957 में दिए गए प्रावधानों और खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा

की गई सिफारिशों को एकत्र किया जाता है जो समय-समय पर जारी तकनीकी परिपत्रों के अंतर्गत होते हैं। उपयुक्त आकार के पैनलों में सीमों के खदान में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है : प्रतीक्षाधीन अवधि, कार्बनमोनोक्साइड, कार्बन-डायआक्साइड का नियमित प्रबोधन, ऊष्मा का पहले पता लगाने के लिए पिल्लर रहित क्षेत्रों में तापमान, गिरे हुए कोयले की सफाई, पुराने खदानों का निरीक्षण एवं जहां से कोयले का उत्खनन किया गया है, उस स्थल से वायु के आवागमन को रोकने के लिए सतह आच्छादन और कार्यदिवस से अतिरिक्त दिनों को डिपिल्लर क्षेत्र आदि।

2. ओपनकास्ट खानों में किसी प्रकार की स्वत: ऊष्मा का प्रशमन किया जाता है और कोयले का उत्खनन किया जाता है।

आग को बुझाने पर किए गए खर्च नियमित राजस्व व्यय का एक भाग है जो पृथक भराई के निर्माण, आग की भराई, जल का छिड़काव, पत्थर कर्षित करने आदि पर किए गए व्यय हैं।

विवरण

खान, जहां 1997-98 और 1998-99 के दौरान स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा उत्पन्न हुई, के नाम एवं ऊष्मा की स्थिति

कंपनी	वर्ष	खान के नाम	कारण	स्थिति
1	2	3	4	5
ई.को.लि.	1997-98	बांकोला	बांकोला सीम पैनल 5 में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	क्षेत्र को पृथक कर दिया गया है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी गई है। यह कहना संभव नहीं है कि ऊष्मा बुझा दी गई है।
		पांडवेश्वर ए	डोबराना सीम पिल्लर	
		पिट	32 एल और 33 एल 42 में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा से आग बढ़ गई।	
		कुमारडीह बी	बोनबहल सीम पैनल 16 बी में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		नार्थ सीयरमोल	कॅडा टॉप सील पुरान गोफ में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		पारासकोल वेस्ट	जामबाद सीम ओल्ड सील्ड ऑफ पैनल संख्या 1 में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		कोट्टाडीह	सामला सीम एल-डब्ल्यू पैनल 3 में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		मोइरा	जामबाद टॉप सीम पुराने खदान में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		पारासकोले वेस्ट	जामबाद सीम खदान पैनल 230 में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		बहुला	जामबाद सीम पुराने सील्ड पैनल में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
	1998-99	बांसरा	कॅडा सीम डिपिल्लरिंग पैनल बी एण्ड डी में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		खोजरा बाद	पुराने ढेर में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		ढालूर बंद	ढालूर बंद सीम डी पिल्लर पैनल में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	

1	2	3	4	5
		बेजडिह	आरवी/वीडी संयुक्त सीम-पैनल ए 29 में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		मेधायपुर	सामला सीम पैनल जेड में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
		साउथ सामला	सामला सीम पिल्लर आग, 8 ई एल ऑफ 22 डीप में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	
भाकोकोलि	1997-98		भाकोकोलि में कोई नहीं	लागू नहीं।
	1998-99		आग की दुर्घटना नहीं हुई है	
सेकोलि	1997-98	सौंदा डी ओ का प	ओपेन कास्ट पद्धति से लिए जा रहे विकसित पिल्लरों में स्वत: प्रवर्तित ऊष्मा	जल प्रक्षेपण द्वारा ऊष्मा को बुझाया जाता है और कोयले निकाले जाते हैं।
	1998-99		शून्य	लागू नहीं।
नाकोलि	1997-98		कोई नई आग उत्पन्न नहीं हुई है। झिंगुर्दा के ऊपरी सीम के झिंगुर्दा परियोजना में जिसमें ओपनकास्ट पद्धति से कोयले निकाले जाते हैं, आच्छदन/प्रशमन के बाद आग विद्यमान है।	लागू नहीं।
	1998-99			
वेकोलि	1997-98	नंद गांव इन्कलाइन	प्रारंभिक चरण में स्वत: परिवर्तित ऊष्मा पाई गई उसे सील कर दिया गया और बाद में कोयले प्राप्त किए गए।	बुझा दिया गया।
		झुगुस ओका बेल्लोरो ओका माजरी ओका	यंत्रीकृत ओका द्वारा पुराने विकसित पिल्लरों को निकाला जा रहा है। कुछ स्वत:परिवर्तित ऊष्मा खुले गैलरियों में होती है।	बुझाए और आच्छादित किए जाने के बाद कोयला निकाला जाता है।
	1998-99	बेल्लारपुर 3 और 4 भू.ग.	स्वत: परिवर्तित ऊष्मा जिसे प्रारंभिक चरण में पता लगा लिया गया है, क्षेत्र को सील कर दिया गया है।	ऊष्मा समाप्त हो गई और क्षेत्र को डिपल्लर के लिए प्राप्त कर लिया जाएगा।
		चांदा रैयतवाडी, भू.ग.	-वही-	ऊष्मा समाप्त हो गई और क्षेत्र को प्राप्त कर लिया गया है एवं कोयले का उत्खनन पुन: शुरु हो गया।
		झुगुस ओका बेल्लोरा ओका माजरी ओका	यंत्रीकृत ओका द्वारा पुराने विकसित पिल्लरों को निकाला जा रहा है। खुली गैलरियों को कुछ स्वत: परवर्तित ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है।	बुझाने और आच्छादन के द्वारा कार्रवाई की गई। जिसके बाद कोयला निकाला जाता है।
साईकोलि	1997-98	बालगी खान	पैनल 5-ए में 7.4.97 को स्वत: परिवर्तित ऊष्मा पाई गई।	विश्लेषण परिणामों के आधार पर यह अनुमानित है कि ऊष्मा बुझा दी गई है। खान के खोले जाने पर विचार किया जा रहा है।
	1997-98		शून्य	लागू नहीं।
मकोलि	1997-98	हिंगिर रामपुर	पुराने खदानों के गिरे हुए कोयले में स्वत: परवर्तित ऊष्मा।	बुझा दी गई।
	1998-99	शून्य		लागू नहीं।
नाईको	1997-98	शून्य		लागू नहीं।
	1998-99	लिडो कोलियरी	स्वत: परवर्तित ऊष्मा।	बुझा दी गई।

बोकारो इस्पात संयंत्र को उपलब्ध कराई गई राशि

2572. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिकता आधारित विकास और अन्य विकास योजनाओं के अंतर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और अब तक आज की तारीख तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) उक्त आवंटित राशि में से प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की गई और कितना विकास कार्य किया गया; और

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र के अंतर्गत स्थानीय विकास हेतु निगमों के नाम क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रत्येक वर्ष परिसरीय विकास और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र को आबंटित निधि और विकास कार्यों पर हुए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
आबंटित निधि	170.00	190.00	160.00	115.00
खर्च की गई राशि	170.03	190.02	127.12 (28.2.99 तक)	40.18

विकास कार्यों का ब्यौरा

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
स्कूल भवनों का निर्माण	09	08	03	-
रिंग बोर हैण्ड पम्प	123	50	50	50
सामुदायिक/सिंचाई कुओं का निर्माण/जीर्णोद्धार	04	22	03	-
नदी के किनारे पर रास्तों का निर्माण	02	01	-	-
सड़कों का निर्माण/मरम्मत	24 किमी०	40 किमी०	20 किमी०	7 किमी०

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई निगम नहीं है। तथापि स्थानीय क्षेत्रों का विकास बोकारो इस्पात संयंत्र के नगर प्रशासन विभाग के अधीन परिसरीय विकास अनुभाग द्वारा देखा जाता है।

[अनुवाद]

औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय संस्थाओं से सहायता

2573. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए किसी क्षेत्र को अग्रिम ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृत ऋणों के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं और स्वीकृत ऋणों की मदद से परियोजनाओं की स्थापना करने का विस्तृत तरीका क्या है;

(घ) क्या इन उद्योगों को गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि सभी सावधि ऋणदात्री संस्थाओं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) ने गुजरात में गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। पिछले तीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा मंजूर एवं संवितरित सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रु० करोड़ में)

वर्ष	संस्था	मंजूर सहायता	संवितरित सहायता
1995-96	आई.डी.बी.आई.	2085	1456
	आई.सी.आई.सी.आई.	2239	1299
	आई.एफ.सी.आई.	1925	622
1996-97	आई.डी.बी.आई.	2187	1523
	आई.सी.आई.सी.आई.	3321	1893
	आई.एफ.सी.आई.	881	1107
1997-98	आई.डी.बी.आई.	3120	2637
	आई.सी.आई.सी.आई.	6072	4364
	आई.एफ.सी.आई.	1180	1311

(ग) औद्योगिक परियोजनाओं का वित्त पोषण करते समय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के बारे में टिप्पणी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) संस्थाएं परियोजनाओं के वित्तीय तकनीकी आर्थिक एवं प्रबंधकीय पहलुओं का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के पश्चात् उद्योगों को सहायता प्रदान करती है और आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं सहित सभी अर्थक्षम परियोजनाओं को सहायता की जाती है।

विवरण

औद्योगिक परियोजनाओं का वित्त पोषण करते समय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई सामान्य शर्तें

* प्रत्येक परियोजना का प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि, प्रबंधकीय सक्षमता, तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय सुदृढ़ता, वाणिज्यिक संभावनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता और आर्थिक औचित्य के सन्दर्भ में मूल्यांकन किया जाता है।

* प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि, पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड, साधन सम्पन्नता और समान परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुविज्ञता का मूल्यांकन किया जाता है।

* कम्पनी के पिछले कार्यनिष्पादन का इसके वित्तीय विवरणों, अर्थात् लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अन्तर-फर्म तुलनाएं की जाती हैं। अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं के लिए वित्तीय और लाभप्रदता संबंधी संकेतकों तथा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता के स्तर पर विचार करके भविष्य के वित्तीय अनुमान से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है।

* 2-3 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित परियोजना ऋण की वापसी अदायगी सामान्यत: 5-10 वर्ष की अवधि के भीतर की जानी होती है।

* उधारकर्ता एककों की अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर तथा कार्यशील पूंजी उधार के लिए विनिर्दिष्ट चल सम्पत्तियों पर बैंक के पक्ष में प्रभार के अध्यधीन इसकी अन्य आस्तियों पर चल प्रभार लगा कर इन ऋणों को प्रतिभूत किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ समझौता

2574. **श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ब्रुसेल्स में भारतीय-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग (इंडो-यूरोपियन यूनियन ज्वाइंट कमीशन) की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा की गई बातों का सारांश क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि यूरोपीय संघ ने भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक 14-15 जनवरी, 99 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था उनमें शामिल हैं – भारत-यूरोपीय संघ व्यापार संबंध, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे और बहुपक्षीय ढांचे के अंतर्गत व्यापार संवर्धन से जुड़े व्यापक नीतिगत मुद्दे/द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यदल का गठन करने हेतु एक संयुक्त कार्य-योजना तैयार भी की गई है।

(ग) से (ङ) यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ विवाद दायर किया है जिसमें (1) भारत की ऑटो नीति; (2) गेट के अनुच्छेद xx और xxi के तहत भारत द्वारा आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध; और (3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न सीमाशुल्क लगाए जाने के बारे में डब्ल्यूटीओ के तहत भारत के दायित्वों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यह विश्वास दिलाने के उद्देश्य से कि भारत डब्ल्यूटीओ के तहत अपने दायित्व पूरे कर रहा है, इन मुद्दों पर यूरोपीय संघ के साथ परामर्श किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

2575. **श्री कांतिलाल भूरिया :**
श्री मोहन रावले :
श्री रामशैठ ठाकुर :
श्री टी० गोविन्दन :
श्री मोतीलाल वोरा :
श्री अजीत जोगी :
श्री टी० आर० बालू :
श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री जॉर्ज ईडन :
श्री भर्तृहरि मेहताब :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों ने अपने व्यवसाय/उद्योग धंधे शुरु करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण हेतु आवेदन किया;

(ख) इस मद में प्रत्येक बैंक द्वारा भुगतान की गई और आंबटित राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने युवक हैं जिन्हें यह ऋण मुहैया कराये गये;

(ग) राज्यवार कितने आवेदन लम्बित हैं और इनमें विलंब के कारण क्या हैं; और

(घ) ऐसे लम्बित आवेदनों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.

बी. आई) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों के संबंध में प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत प्राप्त हुए, मंजूर किए गए और संवितरित आवेदनों की संख्या विवरण 1, 2 और 3 में दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण राशियों की मंजूरी और संवितरण का कार्य सतत् प्रक्रिया है। प्रायोजक एजेंसियां उसी वर्ष के 31 दिसम्बर तक बैंकों के लक्ष्यों के 150 प्रतिशत तक आवेदन पत्र बैंकों को भेजती हैं और इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति के बाद भी वर्ष के अंत तक संवीक्षा के लिए कुछ आवेदन पत्र बैंकों के पास लंबित रह जाते हैं। दिनांक 31.3.98 की स्थिति के अनुसार, लंबित राज्य-वार आवेदन पत्रों की संख्या को विवरण 4 में दर्शाया गया है। बैंकों को आगे यह भी कहा गया है कि वे अगले कार्यक्रम वर्ष के प्रारंभ में ऐसे लंबित आवेदनों को संवीक्षा के लिए लें। वे आवेदन जिन्हें इस योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार पात्र नहीं पाया जाता है अथवा जिन्हें अर्थक्षम नहीं पाया जाता है, बैंक उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों को 25,000/- रुपए तक के ऋणों की मंजूरी के लिए आवेदनों को एक पखवाड़े के अंदर और 25,000/- रुपए से अधिक के आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अंदर निपटा देना होता है।

विवरण-1

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम वर्ष 1995-96 दिनांक 31 मार्च 1996 के समाप्त वर्ष के लिए संचयी स्थिति दर्शाने वाली रिपोर्ट

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं.	मंजूर कुल ऋण		संवितरित कुल ऋण	
			सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान एवं निकोबार	100	157	92	57.64	71	43.91
आंध्र प्रदेश	31900	44998	29855	16475.2	24345	13872.31
अरुणाचल प्रदेश	300	305	256	190.81	226	139.07
असम	10125	11868	8784	6773.43	7484	5466.71
बिहार	22150	39095	17100	12571.35	12557	8690.01
चण्डीगढ़	150	307	168	138.27	152	116.57
दादर एवं नगर हवेली	150	276	188	128.05	177	116.58
दमन एवं दीव	100	81	44	27.81	29	16.79
दिल्ली	4550	15795	4358	2331.89	2568	1303.85
गोवा	550	740	514	386.69	409	276.15
गुजरात	8500	18974	10455	4499.29	8879	4009.97
हरियाणा	7480	16956	9003	4741.25	7220	3662.97
हिमाचल प्रदेश	2100	4503	2570	1476.44	2350	1252.89
जम्मू एवं कश्मीर	3152	4802	2658	1810.52	1694	1070.85
कर्नाटक	17700	28316	15867	8795.88	13364	7265.5
केरल	16000	30170	14204	7404.31	12763	6586.97
लक्षदीप	50	62	35	24	35	23.86
मध्य प्रदेश	27050	60443	30592	20360.76	23108	13682.48
महाराष्ट्र	35980	67210	40067	19381.58	31853	14773.22

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	4000	1974	1272	1113.24	1147	834.4
मेघालय	550	601	534	415.77	391	211.67
मिजोरम	250	350	250	230.99	215	162.04
नागालैंड	300	312	296	229.78	293	212.91
उड़ीसा	8310	20676	7941	5881.7	5724	3623.51
पाण्डिचेरी	500	752	411	173.64	347	145.7
पंजाब	15000	27945	15312	9088.77	12355	7177.11
राजस्थान	14000	20795	9938	5232.32	7024	3274.75
सिक्किम	200	236	161	81.86	144	73.76
तमिलनाडु	22870	35391	18283	9941.53	15003	8297.23
त्रिपुरा	1300	1799	1407	964.85	674	433.67
उत्तर प्रदेश	42613	75758	34477	20151.46	28729	16082.65
पं. बंगाल	25950	25384	11540	6970.37	7256	4220.66
उल्लेख नहीं किया गया		21	13	6.66	11	4.71
अखिल भारत	321360	557052	288645	168058.1	228597	127126.03

विवरण-2

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम वर्ष 1996-97 दिनांक 31 मार्च 1997 के समाप्त वर्ष के लिए संचयी स्थिति दर्शाने वाली रिपोर्ट

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं.	मंजूर कुल ऋण		संवितरित कुल ऋण	
			सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान एवं निकोबार	100	93	45	51.08	37	23.73
आंध्र प्रदेश	31900	40876	28158	16314.21	21716	12414.82
अरुणाचल प्रदेश	450	440	405	276.01	239	133.7
असम	15000	14020	10241	8027.67	7757	5728.05
बिहार	22150	41844	18083	13964.93	15322	11352.31
चण्डीगढ़	150	238	147	115.81	118	84.75
दादर एवं नगर हवेली	150	215	140	83.98	91	47.04
दमन एवं दीव	100	48	27	18.75	22	14.19
दिल्ली	4550	5390	1172	613.77	776	393
गोवा	550	724	460	351.29	397	287.74

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	8500	17388	9926	4493.43	8093	3384.17
हरियाणा	7200	15440	8201	4442.96	65748	3463.32
हिमाचल प्रदेश	2100	4252	2392	1322.79	2220	1185.67
जम्मू एवं कश्मीर	3500	3986	1840	1378.44	1243	858.5
कर्नाटक	17700	28249	15536	8888.33	12171	6861.78
केरल	15000	27063	14724	8199.63	13306	7094.91
लक्षदीप	50	75	36	29.27	36	29.27
मध्य प्रदेश	27050	66715	31213	21159.29	22640	14077.05
महाराष्ट्र	35900	63234	37130	19315.89	30935	16253.16
मणिपुर	3000	2439	2075	1609.92	1479	1176.92
मेघालय	825	482	425	331.48	374	231.83
मिजोरम	375	602	217	200.78	139	110.4
नागालैंड	450	459	428	292.51	421	350.74
उड़ीसा	8250	14312	7642	5426.68	5744	3799.55
पाण्डिचेरी	500	677	355	149.93	260	112.66
पंजाब	8600	19403	9389	5704.21	7618	4550.71
राजस्थान	10400	20644	10241	5627.51	7962	3929.01
सिक्किम	200	224	110	49.32	110	50.99
तमिलनाडु	21800	20571	16329	9428.07	14215	7670.88
त्रिपुरा	1950	2677	1569	1089.18	543	317.05
उत्तर प्रदेश	35813	73307	33928	20579.59	29089	17208.84
पं. बंगाल	22900	21893	6813	4429.5	5522	3455.21
उल्लेख नहीं किया गया		33	18	11.55	13	8.26
अखिल भारत	307163	513013	269415	163974.8	217156	126660.21

विवरण-3

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम वर्ष 1997-98 दिनांक 31 मार्च 1998 के समाप्त वर्ष के लिए संचयी स्थिति दर्शाने वाली रिपोर्ट

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं.	मंजूर कुल ऋण		संवितरित कुल ऋण	
			सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान एवं निकोबार	100	114	61	47.51	44	28.09
आंध्र प्रदेश	34200	38518	25574	14393.18	17533	9697.96

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	300	275	222	80.12	31	20.33
असम	13400	12849	7880	6762.45	3185	1852.07
बिहार	21500	33311	12997	10304.46	9296	6759.59
चण्डीगढ़	200	274	167	125.86	116	79.52
दादर एवं नगर हवेली	50	111	75	48.55	67	45.3
दमन एवं दीव	50	44	31	19.19	30	17.88
दिल्ली	4700	5852	1104	595.7	583	330.49
गोवा	600	462	313	236.46	253	184.33
गुजरात	12600	17917	17883	8272.5	13528	6273.01
हरियाणा	6300	11049	6137	3335.74	4438	2385.11
हिमाचल प्रदेश	2300	3763	2341	1351.65	1967	1081.26
जम्मू एवं कश्मीर	3500	4915	2812	2257.95	1825	1276.87
कर्नाटक	22000	29868	17235	9949.51	11251	6395.9
केरल	16000	26195	13881	7751.98	11236	6131.52
लक्षदीप	50	89	47	38.53	40	31.47
मध्य प्रदेश	31500	58719	30569	19918.74	16954	10310.11
महाराष्ट्र	42600	68896	38843	20326.77	28699	15093.83
मणिपुर	1300	751	294	240.59	100	65.08
मेघालय	550	548	440	265.24	140	97.63
मिजोरम	400	276	217	194.12	4	3.32
नागालैंड	450	443	420	366.35	304	224.12
उड़ीसा	9250	13797	7506	5884.88	3121	1681.69
पांण्डिचेरी	500	779	413	171.71	274	111.61
पंजाब	9000	17281	9239	5640.54	7468	4159.91
राजस्थान	14300	22625	12598	6596.38	8804	4184.48
सिक्किम	100	105	62	31.53	30	15.68
तमिलनाडु	27700	32070	15322	8107.5	11356	5879.75
त्रिपुरा	1300	2127	912	587.67	127	72.4
उत्तर प्रदेश	45200	73323	37434	22980.52	28584	16308.89
पं. बंगाल	23000	14951	4682	2957.22	2997	1811.39
उल्लेख नहीं किया गया	12					
अखिल भारत	345000	492297	267711	159841.1	184385	102610.59

विवरण–4

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम वर्ष 1997-98

दिनांक 31 मार्च 1998 के समाप्त वर्ष के लिए संचयी स्थिति दर्शाने वाली रिपोर्ट

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या
1	2
अण्डमान एवं निकोबार	40
आंध्र प्रदेश	5923
अरुणाचल प्रदेश	58
असम	401
बिहार	5590
चण्डीगढ़	20
दादर एवं नगर हवेली	8
दमन एवं दीव	6
दिल्ली	478
गोवा	18
गुजरात	1248
हरियाणा	139
हिमाचल प्रदेश	129
जम्मू एवं कश्मीर	376
कर्नाटक	3730
केरल	2232
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	4589
महाराष्ट्र	6471
मणिपुर	367
मेघालय	81
मिजोरम	8
नागालैंड	178
उड़ीसा	3242
पाण्डिचेरी	21
पंजाब	1987
राजस्थान	2002
सिक्किम	14
तमिलनाडु	2809
त्रिपुरा	887
उत्तर प्रदेश	4195
पं. बंगाल	3698
उल्लेख नहीं किया गया	2986
अखिल भारत	57512

[अनुवाद]

प्याज और आलू का निर्यात

2576. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री मोहन रावले :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में प्याज और आलू के निर्यात पर प्रतिबंध उठाने के पश्चात् कितनी मात्रा में प्याज और आलू का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) आलू के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को 22 जनवरी, 1999 को हटा दिया गया था और प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध 1 फरवरी, 1999 को आंशिक रूप से हटा दिया गया था और 12 फरवरी, 1999 को इसमें पुन: आगे और ढील दी गई थी। चूंकि निर्यातों के प्रभावी होने के पश्चात् वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से निर्यात के आकड़ों की उपलब्धता में कम से कम चार महीनों का अंतर है, इसलिए जनवरी और फरवरी, 1999 में किए गए आलू और प्याज के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नेफेड और महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एम.एस.ए.एम.बी.) से उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार, प्याज के निर्यात के लिए निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं :-

(4.3.1999 की स्थिति के अनुसार)

	मात्रा (मी॰ टन में)	एफ.ओ.बी. मूल्य (लाख रु॰ में)
1. नेफेड		
2. कृष्णापुरम एवं बंगलौर रोज प्याज	11045	1932.0
3 श्रीलंका को निर्यात	750	61.84
4. एम.एस.ए.एम.बी.	25,000एम.टी.एस.	—

वानस्पतिक वसा का निर्यात

2577. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री फ्रांसिस्को सारदीना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ यूरोपीय देशों द्वारा चाकलेट निर्माण में वसा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कारण वानस्पतिक वसा निर्यात संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य राज्य अर्थात् बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड तथा स्पेन उपभोक्ताओं द्वारा वांछित गुणवत्ता के बारे में भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय दृष्टिकोणों की वजह से गुणवत्ता संबंधी चिन्ताओं के कारण चॉकलेट के विनिर्माण में वनस्पति वसा के प्रयोग की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

(ग) जब कभी स्थापित मानकों का हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो भारत की चिन्ताओं के बारे में विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से संबंधित सरकारों को अवगत कराया जाता है।

निजी बैंक

2578. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सतर्कता आयोग के जांच क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निजी बैंकों को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निजी बैंकों द्वारा किए गए गलत कार्यों की जांच करवाने के लिए केन्द्रीय जांच आयोग को निर्देश देने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का निजी बैंकों को किस प्रकार अनुशासित करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

परियोजनाओं को त्वरित स्वत: स्वीकृति सम्बन्धी नियम

2579. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री रामपाल सिंह :
श्रीमती लक्ष्मी पनवार :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने में असाधारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सभी क्षेत्रों की परियोजनाओं को शीघ्र स्वत: स्वीकृति देने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त नियमों को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने का प्रस्ताव है;

(च) इससे निवेशकों को किस हद तक सहायता मिलने की सम्भावना है; और

(छ) नियमों के उल्लंघन के बारे में प्राप्त हुए मामलों तथा सरकार द्वारा इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (छ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के निपटान के लिए 6 सप्ताही अवधि सीमा का अनुपालन करता रहा है। बजट भाषण में 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। अधिकांश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव समय सीमा के भीतर निपटा दिए जाते हैं सिवाय उन प्रस्तावों के जहां क्षेत्रीय नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित न किया गया हो। सरकार अनुबंध-3 में स्वत: अनुमोदन के लिए अर्हक उद्योगों की सूची को विस्तारित कर रही है। हाल ही में सरकार ने विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण हेतु विद्युत क्षेत्र में तथा सड़कों तथा राजमार्गों पत्तनों तथा बंदरगाहों और यानीय सुरंगों तथा पुलों के लिए स्वत: माध्यम के अन्तर्गत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी है बशर्ते कि विदेशी इक्विटी की राशि 1500 करोड़ रु० से अधिक न हो।

[अनुवाद]

चुंगी घर से चुराए गये हीरे

2580. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 98 में मुम्बई के चुंगी घर के कोच-कक्ष से 60 लाख रुपये के मूल्य के हीरे, जिनकी नीलामी की जानी थी, चुरा लिये गये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां। जून, 1998 में प्राप्त एक सूचना के आधार पर आरंभ की गई जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप मुम्बई सीमा शुल्क गृह के स्ट्रांग रूम में पड़े कुछेक बढ़िया किस्म के हीरों की जगह घटिया किस्म के हीरे रखे जाने का एक मामला ध्यान में आया है, जिनके मूल्य में 60 लाख रु० से अधिक का अन्तर होने का अनुमान है। उन्हें बदले जाने की अवधि के बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर दो सीमा शुल्क अधिकारियों – एक अधीक्षक और एक निवारक अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया जो कि उस समय स्ट्रांग रूम के अभिरक्षक थे। मामले को अगस्त, 98 में मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया था जिसने जांच के दौरान संदिग्ध अभिरक्षकों को हीरों के बदलने की वारदात में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने पर नवम्बर, 1998 में गिरफ्तार कर लिया था। जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। जांच पड़ताल पूरी होने पर, सरकारी सम्पत्ति के आपराधिक दुरूपयोग में शामिल पाए गए विभागीय अधिकारियों और बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कठोर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश की मदद से उद्योग लगाना

2581. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री मदन पाटील :
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में उद्योग लगाने के लिये विदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है·

(ग) राज्य-वार अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार देश में विदेशी सहयोग से लगाये गये विदेशी अथवा संयुक्त उद्यम उद्योगों की संख्या क्या है;

(ङ) इनमें नियुक्त स्थानीय व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(च) क्या किसी विशिष्ट क्षेत्र में उद्योग लगाने की संभावना के संबंध में विदेशी कम्पनी द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (छ) महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा स्वीकृत विदेशी अथवा संयुक्त उद्यम संबंधी प्रस्तावों की क्षेत्रवार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और 2 में दिया गया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से विशेषत: संबद्ध रोजगार सृजन के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। रोजगार लिंकेज औद्योगिक स्वीकृतियों अर्थात् आशय पत्र (लाइसेंसीकृत क्षेत्र के लिए) और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (लाइसेंस मुक्त क्षेत्रों के लिए) से संबंधित होता है। ऐसे अनुमोदनों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसलिए, आशय पत्रों/औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में प्रक्षिप्त रोजगार विदेशी निवेश संबंधी सरकार की नई औद्योगिक नीति, 1991 के परिणामस्वरूप सृजित होने वाले रोजगार का संकेतक है। नीति के बाद की समूची अवधि (अर्थात् अगस्त 1991 से दिसम्बर 1998 तक) के दौरान 41,220 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन/आशय पत्र/निर्यातोन्मुख एकक दायर किए गए थे जिनमें 81,5057 करोड़ रु० के निवेश और 72.89 लाख व्यक्तियों से अधिक के लिए रोजगार के अवसरों की परिकल्पना की गई थी।

अनेक परामर्शदायी एजेंसियां अपने ग्राहकों की ओर से निवेश की क्षमता के बारे में सामान्य तथा विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण करती हैं। तथापि सरकार ने किसी विदेशी कंपनी अथवा विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण आरंभ नहीं कराया है।

विवरण-I

(1.1.1996 से 31.12.1998 तक) की अवधि के दौरान अनुमोदित सहयोग के क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	उद्योग का नाम	जोड़			अनुमोदित एफ. डी.आई. की राशि (करोड़ रु०)	अनुमोदित कुल राशि का %
		जोड़	तकनीकी	वित्त		
1	2	3	4	5	6	7
1.	**धातुकर्मी उद्योग**					
	लौह	146	77	69	4018.29	3.30

1	2	3	4	5	6	7
	अलौह	3	1	2	2.75	0.00
	विशेष अलोय	17	10	7	119.34	0.10
	खनन सेवा	22	6	16	1776.62	1.46
	विविध (अन्य मद)					
	धातुकर्मी	39	6	33	1135.94	0.93
	जोड़	227	100	127	7052.94	5.79
2.	ईंधन					
	विद्युत	127	12	115	22128.82	18.16
	तेलशोधक कारखाना	100	44	56	13862.82	11.38
	विद्युत (अन्य)	36	3	33	4874.50	4.00
	तेलशोधक कारखाना अन्य	41	21	20	3911.98	3.21
	अन्य (ईंधन)	52	15	37	1298.86	1.07
	जोड़	356	95	361	46076.97	37.81
3.	बायलर और वाष्प जनित्रण संयंत्र	18	9	9	21.43	0.02
4.	प्राइम मूवर इलैक्ट्रिकल के अतिरिक्त	32	20	12	73.78	0.06
5.	वैद्युत उपकरण					
	वैद्युत उपकरण	513	242	271	2798.62	2.30
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर					
	उद्योग	449	29	420	2266.83	1.86
	इलैक्ट्रोनिक्स	144	46	98	1620.87	1.33
	कम्प्यूटर हार्डवेयर	2	0	2	0.19	0.00
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	13	1	12	56.16	0.05
	जोड़	1121	318	803	6742.67	5.53
6.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	126	24	102	8021.53	6.58
	रेडियो पेजिंग	14	3	11	811.14	0.67
	सैल्यूलर मोबाइल बेसिक टेलीफोन सेवाएं	42	8	34	4187.27	1.44
	दूरसंचार (आई. एण्ड बी)	41	2	39	994.60	0.82

1	2	3	4	5	6	7
	अन्य दूरसंचार	15	1	14	707.40	0.58
	योग	238	38	200	14721.94	12.08
7	परिवहन उद्योग					
	ऑटोमोबाइल उद्योग	290	146	144	2644.13	2.17
	वायु/समुद्री परिवहन	60	5	55	1059.98	0.87
	यात्री कारें	20	3	17	3090.98	2.54
	ऑटो सहायक/पुर्जे समान	100	51	49	382.84	0.31
	पत्तन	7	0	7	520.50	0.31
	अन्य (परिवहन)	51	8	43	533.56	0.44
	योग	528	213	315	8231.96	6.76
8.	औद्योगिक मशीनरी	407	210	197	523.88	0.43
9.	मशीन औजार	69	26	43	216.45	0.18
10.	कृषि मशीनरी	11	7	4	278.71	0.22
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	15	7	8	70.37	0.06
12.	विविध मकैनिकल और इंजीनियरी	322	121	201	868.25	0.71
13.	वाणिज्यिक कार्यालय और घरेलू उपकरण	24	3	21	690.61	0.57
14.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	33	33	20	71.18	0.06
15.	औद्योगिक उपकरण	58	32	26	55.23	0.05
16.	वैज्ञानिक उपकरण	7	3	4	14.69	0.01
17.	गणितिय, सर्वेक्षण और ड्राइविंग	4	1	3	38.25	0.03
18.	उर्वरक	22	19	3	243.24	0.20
19.	रसायन/उर्वरकों को छोड़कर	512	184	328	7670.79	6.30
20.	फोटोग्राफी रॉव फिल्म और पेपर	10	6	4	196.57	0.16
21.	डाईस्टक	8	1	7	80.99	0.07
22	औषध और भेषज	147	80	67	392.24	0.32
23.	वस्त्र (रंगे हुए, प्रिंटेड सहित)	254	39	215	1243.30	1.02
24.	कागज और लुग्दी, पेपर उत्पाद सहित	69	14	55	1854.47	1.52
25.	चीनी	5	1	4	947.25	0.78
26.	किण्वन उद्योग	15	4	11	337.48	0.28
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	229	30	199	5936.21	4.87

1	2	3	4	5	6	7
	समुद्री उत्पाद	6	2	4	5.92	0.00
	विविध (खाद्य उत्पाद)	1	0	1	2.12	0.00
	योग	236	32	204	5944.24	4.88
28.	वनस्पति तेल और वनस्पति	9	0	9	150.14	0.12
29.	साबुन, कास्मेटिक और टॉयलेट प्रेपरेशनज	27	9	18	234.18	0.19
30.	रबड़ की वस्तुएं	72	30	42	940.24	0.77
31.	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	57	10	47	137.03	0.11
32.	कांच	40	9	31	962.22	0.79
33.	सेरेमिक	52	7	45	412.73	0.34
34.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	40	13	27	304.87	0.25
35.	टिम्बर उत्पाद	5	1	4	9.45	0.01
36.	रक्षा उद्योग	2	1	1	3.47	0.00
37.	परामर्श सेवाएं डिजाइन और इंजिनियरिंग सेवाएं	109	19	90	702.87	0.58
38.	प्रबंधन	90	10	80	400.07	0.33
	विपणन	25	3	22	47.77	0.04
	निर्माण	6	0	6	7.95	0.01
	अन्य (परामर्शी सेवाएं)	16	3	13	371.43	0.00
	जोड़	246	35	211	1530.08	1.26
39.	सेवा क्षेत्र					
	वित्तीय	137	5	132	5906.23	4.85
	गैर वित्तीय सेवा	125	11	114	1891.10	1.55
	बैंकिंग सर्विस	8	0	8	57.23	0.05
	अस्पताल और डायग्नोस्टिक केन्द्र	37	7	30	402.88	0.33
	अन्य सेवाएं	12	2	10	146.37	0.12
	योग	319	25	294	8403.73	6.90
40.	होटल व पर्यटन					
	होटल व रेस्टोरेंट	152	56	96	934.65	0.77
	पर्यटन	29	6	23	705.57	0.58
	अन्य (होटल व पर्यटन)	8	2	6	17.50	0.01
	योग	189	64	125	1657.72	1.36

1 2	3	4	5	6	7
41. प्रशिक्षण	192	16	176	1089.73	0.89
42. विविध उद्योग					
बागवानी	38	12	26	96.53	0.08
कृषि	35	9	26	62.39	0.05
पुष्प खेती	48	24	24	187.03	0.15
हीरा	3	0	3	34.56	0.03
आभूषण और सोना	3	0	3	3.01	0.00
निर्माण कार्यकल्यप	12	0	12	15.15	0.01
चाय/कॉफी	2	2	0	0.00	0.00
सिगरेट	2	1	1	7.35	0.01
कॉयर	2	0	2	2.43	0.00
अन्य (विविध उद्योग)	271	134	137	953.26	0.78
योग	416	182	234	1364.71	1.12
कुल योग	6414	1998	4816	121854.70	

विवरण-2

(जनवरी, 1996 से दिसम्बर 1998) के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों का राज्यवार विवरण

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक की राशि (रुपये करोड़ों में)	कुल का प्रतिशत
	जोड़	तकनीकी	वित्त		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	267	62	205	6387.66	5.24
असम	1	1	0	0.0	5.24
बिहार	61	35	26	146.66	0.12
गुजरात	332	154	178	7330.24	6.02
हरियाणा	269	116	153	1626.59	1.33
हिमाचल प्रदेश	20	11	9	48.05	0.04
जम्मू और कश्मीर	5	2	1	8.01	0.01
कर्नाटक	518	127	391	11565.07	9.49
केरल	67	19	48	504.05	0.41
मध्य प्रदेश	91	25	66	6635.63	5.45

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	1030	347	383	12004.66	10.59
मणिपुर	1	0	1	3.19	0.00
मेघालय	4	0	4	52.96	0.04
नागालैंड	2	1	1	3.68	0.00
उड़ीसा	49	10	39	5836.87	4.79
पंजाब	63	16	47	1154.04	0.95
राजस्थान	87	29	58	1759.17	1.44
तमिलनाडु	648	197	451	9382.32	7.70
त्रिपुरा	1	1	0	0.00	7.70
उत्तर प्रदेश	274	97	177	2112.75	1.73
पश्चिम बंगाल	196	74	122	3233.30	2.65
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0	2	12.80	0.01
चण्डीगढ़	7	0	7	65.64	0.05
दादर और नागर हवेली	20	12	8	24.88	0.02
दिल्ली	391	69	322	9059.28	7.43
गोवा	58	17	41	371.49	0.30
पांडिचेरी	29	11	18	157.14	0.13
दमन और द्वीव	13	4	9	14.82	0.01
अन्य	1910	561	1359	41453.74	34.02
कुल	6414	1998	4416	121854.69	

[अनुवाद]

सुरक्षा संबंधी श्रेणी-निर्धारण

2582. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी कम्पनी/औद्योगिक इकाई को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा श्रेणी-निर्धारण प्रणाली (आई.एस.आर.एस.) से ब्रिटेन की एक ऐजेंसी ''डैट नॉस्की वैरिटास'' द्वारा सुरक्षा संबंधी श्रेणी-निर्धारण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हमारे देश में प्राप्त की गई उच्चतम श्रेणी कौन सी है; और

(घ) इस श्रेणी का स्तर सुधारने के लिए किए गए प्रयासों का, इन्हें प्रोत्साहन देने के उपायों सहित ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बीमा व्यापार में निजि क्षेत्र का प्रवेश

2583. श्री कमल नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा व्यवसाय में निजी क्षेत्र के प्रवेश से उत्पन्न होने वाली प्रतियोगिता का सामना करने में अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के अधिकारियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक की बातचीत का क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम तथा अनुषंगी कम्पनियों के साथ समय-समय पर उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए विचार-विमर्श किया जाता है और जब कभी इस क्षेत्र को खोला जाएगा तो वैसी स्थिति में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए इसे और सुदृढ़ बनाने के उपायों का विकास करना होगा। बीमा क्षेत्र को खोलने सम्बन्धी सरकार की मंशा पहले ही वित्त मंत्री के बजट भाषण 1998-99 में घोषित की जा चुकी है। इस घोषणा के परिणामस्वरूप, बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक लोक सभा में दिनांक 15.12.98 को पेश किया गया था इस विधेयक की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों में बीमा कारोबार निष्पादित करने में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों के अनन्य विशेषाधिकार को हटाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करना शामिल है। चूंकि इस विधेयक को वित्त से सम्बन्धित स्थायी समिति को भेजा गया है और जिसने हाल में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों के श्रम संघों तथा प्रबन्धनों से मौखिक साक्ष्य लिया है सिमें अन्य बातों के साथ-साथ बीमा क्षेत्र को खोले जाने की स्थिति में पब्लिक क्षेत्र की कम्पनियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार रहने का प्रश्न भी शामिल है। स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगी।

भारी उद्योगों को सहायता

2584. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आर्डरों की कमी के कारण, भारी घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब इन उपक्रमों को कोई सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो किन उपक्रमों को सहायता दिए जाने की सम्भावना है और प्रत्येक उपक्रम को कितनी मात्रा में सहायता दी जाएगी; और

(ड.) इन उपक्रमों के लिए क्रयादेश प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम क्रयादेशों की कमी सहित विभिन्न कारणों की वजह से घाटा उठाते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों जिन्होंने 1997-98 में घाटा उठाया है, सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ड) यह विभाग उपभोक्ता मंत्रालयों/विभागों अर्थात् रेलवे, संचार, पेट्रोलियम इत्यादि के साथ नियमित रूप से आपसी तालमेल बनाये रखता है और उत्पादन बढ़ाने तथा जैव्यता को उभारने के लिए उनके क्रयादेश में सुधार लाने में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की सहायता करता है। सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात् हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के मामले में सरकार, दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लि० के टेलीकम केबल्स की वार्षिक जरूरत के क्रयादेश के आरक्षण के लिए एच०सी०एल० के पक्ष में पहले वर्ष में 30% और दूसरे वर्ष 25% के लिए और उसके बाद आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए सहमत हो गई है।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जिन्होंने 1997-98 में घाटा उठाया है

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम	शुद्ध हानि (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	बी.एस.सी.एल.	-88.78
2.	आर.बी.एल.	-1.42
3.	जेसप	-39.54
4.	बी.पी.एम.ई.	-23.57
5.	डबल्यू आई एल	-4.54
6.	लगन जूट	-1.04
7.	टी.एस.एल.	-6.46
8.	टी.एस.पी.	-2.47
9.	सी.सी.आई.एल.	-37.29
10.	एच.सी.एल.	-174.80
11.	एच.ई.सी.	-71.97
12.	एच.एम.टी.	-29.14
13.	पी.टी.एल.	-26.36
14.	आई.एल.के.	-39.42
15.	एमएएमसी	-144.80
16.	एनबीसीआईएल	-17.05
17.	एलआईएल	-28.66
18.	बीओजीएल	-24.00
19.	एमएनपीएम	-31.96
20.	एनपीपीसी	-7.60
21.	एचपीएफ	-231.67
22.	एचएसएल	-2.11
23.	नेपा	-20.16
24.	आरआईसी	-81.13
25.	टेफको	-28.29
26.	टीसीआईएल	-49.71

1	2	3
27.	बीएलसी	-2.65
28.	ईपीआई	-35.74
29.	एनआईडीसी	-2.03

स्वर्ण पर आयात शुल्क

2585. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
डा० उल्हास वासुदेव पाटील :
डा० संजय सिंह :
श्री मोहन सिंह :
श्री एस०एस० ओवेसी :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
डा० शकील अहमद :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री अभयसिंह एस० भोंसले :
श्री प्रसाद बाबू राव तनपुरे :
श्रीमती भावना कर्दम दवे :
श्री नरेश पुगलीया :
श्री ए० सी० जोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण आयात शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान भारत में कितना स्वर्ण आयात किया गया;

(ङ) यह शुल्क बढ़ाने से सरकार द्वारा कितनी धनराशि अर्जित किए जाने की संभावना है;

(च) वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल कितने स्वर्ण का आयात किए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या अनुमान लगाया है;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयात शुल्क बढ़ाने से तस्करी को बढ़ावा मिलेगा; और

(ज) यदि हां, तो तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ख) जी, हां। सोने पर आयात शुल्क 250/-रुपए प्रति 10 ग्राम था दिनांक 4-1-1999 की अधिसूचना सं० 2/99-सी.शु. द्वारा 5-1-99 से बढ़ा कर 400/- रुपए प्रति 10 ग्राम कर दिया गया है। शुल्क में वृद्धि होने के कारण सोने के घरेलू मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है।

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान भारत में सोने का कुल आयात 442.18 मी०टी० (जनवरी, 1999 तक) हुआ है।

(ङ) सरकार को इस वृद्धि से 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

(च) वर्ष 1999-2000 के दौरान लगभग 650 टन से 700 टन सोना आयात किए जाने की संभावना है। तथापि, इस संबंध में कोई सही अनुमान लगाना कठिन है।

(छ) और (ज) आयातित सोने की मात्रा की प्रवृत्ति को देखते हुए और सोने के आयात को कम करने तथा साथ ही कुछ अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए सोने पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया। सरकार ऐसा नहीं समझती है कि आयात शुल्क बढ़ाने से तस्करी में वृद्धि होगी, तथापि, क्षेत्रिय कार्यालयों/निवारक एजेंसियों को तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि होने के प्रति कड़ी निगरानी रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट

2586. **श्री डी०एस० अहीरे :**
श्री अभयसिंह एस० भोंसले :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश चीन की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) महोदय, विश्व निवेश रिपोर्ट, 1998 के अनुसार 1995-97 के वर्षों के लिए अन्त:प्रवाह के आंकड़े इस प्रकार हैं। चीन की तुलना में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्त:प्रवाह में निरंतर वृद्धि होती रही है।

राशि अमेरीकी डालर मिलियन में

वर्ष	चीन	पिछले वर्ष की अवधि के साथ विकास %	भारत	पिछले वर्ष की समान अवधि के साथ विकास %
1995	35849	6.10	1964	101.84
1996	40800	13.81	2382	21.28
1997	45300	11.03	3264	37.02

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्त:प्रवाहों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आवेदनों का समयबद्ध निपटान, स्वत: मार्ग में और विस्तार, अनिवासी शेयर धारकों को शेयरों का आबंटन करने की प्रक्रिया का

सरलीकरण, प्रशुल्क निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विनियमनकारी प्राधिकरणों की स्थापना आदि शामिल हैं।

कुद्रेमुख आयरन ओर लिमिटेड में रक्षित विद्युत संयंत्र

2587. **श्री के०सी० कोंडय्या** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुद्रेमुख आयरन ओर लिमिटेड में रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत और उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इसे किसी प्रकार की सहायता करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो यदि अब तक कोई धनराशि जारी की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० (के.आई.ओ.सी.एल.) का कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख में एक निजी विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० ने इस संयंत्र की लागत 275 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है। संयंत्र की क्षमता 62 मेगावाट विद्युत सृजित करने की होगी।

(ग) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० ने सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रॉयल्टी की बकाया राशि

2588. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार को भुगतान हेतु कोल इंडिया लिमिटेड की कितनी रायल्टी बकाया है;

(ख) कम्पनी उक्त राशि का भुगतान कब तक कर देगी; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार को.इं.लि. की तीन अनुषंगी कोयला कंपनियों नामत: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.को.लि.), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (से.को.लि.) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.को.लि.) द्वारा 30.11.98 की स्थिति के अनुसार बिहार सरकार को भुगतेय कोयला रायल्टी की राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

	करोड़ रु० में
ई.को.लि.	शून्य
भा.को.को.लि.	1.91
से.को.लि.	21.29
जोड़	23.20

दिसंबर, 1998 के दौरान कोयला कंपनियों द्वारा 30 नवंबर 1998 तक की कोयला रायल्टी की उपर्युक्त देय बकाया राशि बिहार सरकार को दे दी गई है।

[अनुवाद]

सुजाता टैक्सटाइल्स मिल्स, नंजनगढ़ का राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण

2589. **श्री ए० सिदरामू** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी वस्त्र मिलें हैं;

(ख) क्या सुजाता टैक्सटाइल्स मिल्स, नंजनगढ़ का राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) की कर्नाटक राज्य में चार मिलें हैं, जो कि एन.टी.सी. के एक सहायक निगम एन.टी.सी. (ए.पी.के.के. एण्ड एम.) के अंतर्गत है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कल्याणकारी और पुनर्वास योजनाओं के लिए निधियां

2590. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला खानों के आसपास की आबादी के लाभ के लिए इन क्षेत्रों के विकास हेतु प्रति वर्ष कल्याणकारी और पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो निधियां प्राप्त करने हेतु पात्र राज्य कौन-कौन से हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) योजनाओं के अनुसार उन स्थानों पर वास्तव में क्या कार्य किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोयला खानों को बन्द करना

2591. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री के० येरननायडू :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की 64 कोयला खानों को बंद करने के संबंध में अपने पूर्व में लिए गए निर्णय पर पुन: विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 64 कोयला खानों, जिन्हें बन्द करने का प्रस्ताव है, को पुन: चालू करने के लिए नीति तैयार करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.को.लि.) के बोर्ड ने प्रचालन के अपने क्षेत्र में 64 कोयला खानों को बंद करने का निर्णय लिया था। अत: सरकार द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) से (ङ.) प० बंगाल सरकार ई.को.लि. बोर्ड के द्वारा लिए गए इस निर्णय के संबंध में स्वाभाविक रूप से चिंतित है और उसने को.इं.लि. और ई.को.लि. से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में उपयुक्त पुनरुद्धार रणनीति तैयार करें। किसी भी प्रकार की पुनरुद्धार नीति पर ई.को.लि. के प्रबंधन और मजदूर संघों को संयुक्त रूप से सहमत होना आवश्यक है और इस संबंध में इन दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श जारी है। भारत सरकार किसी सहमत हुए पुनरुद्धार पैकेज की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में "ओवर बर्डन"

2592. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वैस्टर्न कोलफील्ड्स से कितना "ओवर बर्डन" किया गया;

(ख) क्या सरकार ने डंप किये जाने वाले क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सदुपयोग करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में हटाए गए ऊपरी मलबे (ओ.बी.) की कुल मात्रा का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	(मिलियन घन मीटर में) (डाटा अनंतिम)
1995-96	59.39
1996-97	70.81
1997-98	85.30

(ख) और (ग) जी, हां। सभी ऊपरी मलबा डंपों को ढंकने के लिए डंप क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रारंभ करने के लिए कोयला कंपनी ने वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष लगभग 12 लाख पेड़ों के रोपने का प्रस्ताव किया गया है।

पुराने खान स्थलों के उपयोग किए जाने हेतु अनुसंधान एवं विकास योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(1) विद्यमान बल्लारपुर ओ.का.प. की अवक्रमित खान भूमि का जैविक पुनरुद्धार।

(2) विद्यमान धूपतला ओ.का.प. (सेक्टर ए एण्ड बी) की अवक्रमित खान भूमि का जैविक पुनरुद्धार।

(3) सेठिया ओ.का.प. के बंद पड़े हुए पिट का जैविक पुनरुद्धार।

(4) शुरु की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(क) एन.ई.ई.आर.आई. द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी से आर्गेनिक कचड़े का उपयोग करते हुए बेकार डंपों का सुदृढ़ीकरण।

(ख) पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, इंस्टीच्यूट ऑफ सांइस, नागपुर के सहयोग से बल्लारपुर ओपन-कास्ट खानों में वे.को.लि. द्वारा उत्खनित क्षेत्रों को कृषि योग्य भूमि में बदलना।

(ग) रूट ट्रेनर प्रौद्योगिकी।

(घ) घास के बीजों के निक्षेपण के सहयोग से ऊपरी मलबा डंपों के ढलानों का सुदृढ़ीकरण—परीक्षण आधार पर एक विभागीय प्रयोग।

(ङ.) पदमपुर ओपनकास्ट परियोजना में जैवीय-विविधता का पुनरुद्धार।

(च) जैवीय-प्रौद्योगिको को अपनाकर सास्ती ओ.का. परियोजना के उत्खनित क्षेत्रों का पुनर्नवीकरण।

तम्बाकू उद्योग में प्रत्यक्ष निवेश

2593. **श्री एन०आर०के० रेड्डी :**
श्री एस० सुधाकर रेड्डी :
श्री सोडे रमैया :
श्री गिरजला वेंकट स्वामी नायडू :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिगरेट/तम्बाकू उद्योग 100% विदेशी निवेश के लिए मै. मेरिस और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के विरुद्ध अखिल भारतीय बीड़ी सिगार और तम्बाकू कामगार संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ.) इसके परिणामस्वरुप बीड़ी कामगार किस प्रकार प्रभावित हुए हैं; और

(च) बीड़ी कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सरकार को सिगरेट/तम्बाकू उद्योग में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु मैसर्स एफ टी आर होल्डिंग्स (मै. फिलिप मोरिस की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) तथा मै. रोथमांस आफ पाल माल (इंटरनेशनल) लिमिटेड यू.के. से दो अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

(ग) से (च) जी, हां। सरकार को अखिल भारतीय बीड़ी, सिगार तथा तम्बाकू श्रमिक संघ से सिगरेट/तम्बाकू उद्योग में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के विरुद्ध इस आधार पर दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह बीड़ी बाजार को अपने अधिकार में ले लेगा तथा बीड़ी श्रमिकों को रोजगार से दूर कर देगा।

बीड़ी तथा सिगरेट सामान्यत: विभिन्न मार्किट खंडों की जरूरतों को पूरा करती है जैसा कि बीड़ी उद्योग पहले से ही बढ़ते हुए सहवर्ती घरेलू सिगरेट उद्योग से विदित है। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश से बीड़ी श्रमिकों के बुरी तरह से प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि यह केवल सिगरेट क्षेत्र में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनर्गठन

2594. श्री वी०वी० राघवन :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों का पुनर्गठन करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी, ''सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्गठन प्राधिकरण'' की स्थापना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) द्वारा प्रारंभ औद्योगिक एवं आर्थिक अनुसंधान केन्द्र ने ''केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के संबंध में कार्रवाई से सम्बन्धित रणनीतियों'' पर अध्ययन किया है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र पुनर्गठन प्राधिकरण/अभिकरण (पी.एल.आर.ए.) की स्थापना की जाए, जिसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :

- आरम्भिक रुग्णता के परिवीक्षण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना;
- रुग्ण उद्यमों को परामर्श तथा सहायता प्रदान करना;
- औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत मामले को प्रायोजित करना तथा उन पर कार्रवाई करना;
- आवश्यकता अनुसार परिसमापन कार्यवाही करना;
- उपक्रमों के प्रबन्धन की रणनीतिक बिक्री करना; और
- आवश्यकतानुसार परिसम्पत्तियों की बिक्री करना।

(ग) रिपोर्ट में शामिल सुझाव नोट कर लिए गए हैं।

जूट (पटसन) मिलों को पुन: चालू करना

2595. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जूट मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से बंद मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उनके बन्द होने के मिलवार, राज्यवार कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का इन बन्द मिलों को पुन: चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) देश में 73 पटसन मिलें हैं जिनमें से 59 मिलें प० बंगाल में, 4 मिलें आंध्र प्रदेश में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश प्रत्येक में 3 मिलें तथा मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा प्रत्येक में 1 मिल है।

(ख) दो पटसन मिलें अर्थात् उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर पटसन उद्योग लि० तथा बिहार में स्थित कटिहार पटसन मिल काफी समय से बंद पड़ी है।

(ग) खराब प्रचालनात्मक परिणाम के कारण दोनों मिलें 1987 से बंद पड़ी हैं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार/प्रबंधन/कामगारों से कानपुर पटसन उद्योग लि० को पुन: चालू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कटिहार पटसन मिल लि० के संबंध में, भारत सरकार ने मिल को एन.जे.एम.सी. को सौंपने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए 1984 में एक अध्ययन दल गठित किया था। अध्ययन दल ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया क्योंकि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। तदनन्तर, जनवरी, 1991 में एक बैठक आयोजित की गई थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि एन.जे.एम.सी. इस एकक का लीज लेगी तथा राज्य सरकार, कटिहार पटसन मिल लि० को राहत उपक्रम के रूप में घोषित, बिजली की बकाया राशि को माफ, पूर्व मजदूरी देयताओं व बिक्री कर तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई अन्य आर्थिक सहायता से किश्त में भुगतान की जाने वाली कामगारों की बकाया राशि को स्थिर कर देगी। तथापि, चूंकि बिहार सरकार ने कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है, इस मामले में एन.जे.एम.सी. द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

चाय पर आयात शुल्क में वृद्धि

2596. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय की कीमतों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उसके आयात शुल्क में वृद्धि करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 के बजट में चाय पर आयात शुल्क को 15% से बढ़ाकर 16.5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चाय का थोक में आयात करने पर उस पर 28-2-1999 से 2/- रुपए प्रति किलो की दर से प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।

कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

2597. **श्री पी०एस० गड्वी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा देश में हस्तशिल्प उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) भदोही में एक कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। परियोजना की स्वीकृत लागत लगभग 18.04 करोड़ रुपये है और यह परियोजना तीन वर्ष में पूरी हो जाएगी। तदनुसार, संस्थान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए हैं।

(ग) देश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में, प्रशिक्षण, विपणन विकास, डिजाइन विकास, नये एम्पोरियमों की स्थापना व मौजूदा एम्पोरियमों का नवीकरण, शिल्प विकास केन्द्रों और वर्कशेड सह हाऊसिंग की स्थापना आदि शामिल है।

बी० आई० एफ० आर०

2598. **श्री रामवंशी महतो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बी.आई.एफ.आर." बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इसकी ऐसी स्थिति है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि वर्ष 1998 के दौरान (1.1.1998 से 31.12.1998 तक) रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों से 483 संदर्भ प्राप्त हुए थे। इनमें से रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सीका) के प्रावधानों के अंतर्गत बाइफर के पास 370 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां दर्ज की गई थी वर्ष 1998 के दौरान बाइफर द्वारा कुल 141 मामलों का निपटान किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

टर्मिनेटर जीन प्रौद्योगिकी संबंधी प्रस्ताव

2599. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल**
श्री माधवराव पाटील :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में टर्मिनेट जीन प्रौद्योगिकी के प्रवेश को स्वीकृत प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों से किसानों और गैर-सरकारी संगठनों ने उक्त प्रौद्योगिकी को देश में प्रवेश देने पर आपत्ति उठायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ड.) सरकार ने टर्मिनेटर जीन प्रौद्योगिकी के भारत में प्रवेश को कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं की है और भारत में टर्मिनेटर जीन सीड के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के उपाय पहले ही शुरु कर दिये हैं। कृषि मंत्रालय ने अनेक एहतियाती उपाय किए हैं और एक आदेश जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बात भी शामिल है कि जब भी देश के "आयात की अनुमति जारी करने वाले प्राधिकरणों" को बीजों के आयात करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हों तो वे इस पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

चाय बोर्ड

2600. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चाय बोर्ड ने प्रतिवर्ष कितनी चाय बेची;

(ख) क्या चाय बोर्ड का अपने बिक्री सेवा नेटवर्क को बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार क्षेत्र क्या है, जहां चाय बोर्ड अपनी नई शाखायें खोलना चाहता है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) चाय बोर्ड को सामान्यतया वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए चाय की खरीद और बिक्री के कार्य में शामिल नहीं किया जाता है। तथापि चाय बोर्ड के भारत में विभिन्न स्थानों पर संवर्धनात्मक/पी.आर. केन्द्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जापान द्वारा ऋण सहायता अनुदान

2601. **श्री अभय सिंह एस० भोंसले :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को ऋण सहायता अनुदान के रूप में 6.9 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) उक्त अनुदान राशि को किन-किन योजनाओं/परियोजनाओं पर खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त अनुदान राशि कब तक मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में 11 फरवरी, 1999 की टिप्पणियों के आदान-प्रदान के रूप में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) से (ङ) यह अनुदान वस्तुओं की सम्मत सूची के आधार पर मशीनरी, उपस्कर और सामग्री के आयात के जरिए उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाता है और राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके प्रस्तावों की संवीक्षा के बाद आवंटित किया जाता है।

नारियल जटा और नारियल उत्पादों का निर्यात

2602. **श्री एस० अजय कुमार : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में नारियल जटा और नारियल उत्पादों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी गिरावट आई; और

(ग) सरकार ने नारियल जटा और नारियल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई नारियल जटा एवं नारियल जटा उत्पादों और नारियल उत्पादों का कुल मूल्य निम्नानुसार है :

मात्रा : मीट्रिक टन में

मूल्य : लाख रु० में

वर्ष	नारियल (ताजा, विखंडित और सुखा हुआ)			नारियल जटा और नारियल जटा उत्पाद		
	मात्रा	मूल्य	मूल्य के रूप में % वृद्धि	मात्रा	मूल्य	मूल्य के रूप में % वृद्धि
1995-96	174	44.49	236	48276	206.85	20
1996-97	381	146.45	229	46369	212.59	3
1997-98	182•	88.22•	(-)40•	49850	238.93	12

(•आंकड़े अप्रैल, 1997-फरवरी, 1998 से संबंधित हैं।)

(स्त्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता और कायर बोर्ड, कोचीन)

(ग) निर्यात मुख्यत: नारियल जटा उत्पादों के क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक रुख प्रदर्शित हुआ है। नारियल का उत्पादन एवं उत्पादकता एवं नारियल जटा उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण;

(2) नारियल की जोतों में एकीकृत खेती का संवर्धन;

(3) क्षेत्र विस्तार;

(4) पत्ता खाने वाली सूंडी के एकीकृत नियंत्रण का कार्यान्वयन;

(5) भारतीय नारियल जटा की खपत को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश और जर्मन कायर एसोसिएशन के साथ संयुक्त प्रचार कार्यक्रमों को चलाना;

(6) महत्वपूर्ण व्यापार मेलों/प्रदर्शिनियों में भागीदारी; और

(7) कायर-जिओ-टैक्सटाइल्स के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सेमिनारों का आयोजन।

खनन क्षेत्र हेतु विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव

2603. **डा० सरोजा वी० :**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन क्षेत्र में निवेश हेतु इच्छुक विदेशी कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने प्राप्त प्रस्तावों में से कतिपय प्रस्ताव मंजूर कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु खनिजवार और धातुवार पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों के अंतर्गत कितनी धनराशि के निवेश किए जाने की संभावना है; और

(ङ.) 31 दिसम्बर, 1998 तक राज्यवार कितनी विदेशी कंपनियों द्वारा खनन कार्य शुरू किया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ.) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने खान विभाग के साथ विचार-विमर्श करके सितम्बर, 1992 से 6 मार्च, 1999 तक खनन/धातुकर्मीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी 52 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन प्रस्तावों में लगभग 3285 करोड़ रु० के निवेश की संभावना है। इनमें से अधिकांश प्रस्तावों में सिर्फ उनकी निवेश योजनाओं के बारे में बताया गया है परन्तु उस खनिज या क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिनमें वे कार्य करना चाहती हैं। आवेदक कंपनी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे उस खनिज या क्षेत्र/राज्य के बारे में बताए जहां वे कार्य करना चाहती हैं। एफ.आई.पी.बी. द्वारा दी गई मंजूरी भारत में निगमित कंपनी में विदेश इक्विटी भागीदारी के लिए ही है और इससे कंपनी को किसी प्रकार से भी पूर्वेक्षण/खनन कार्य करने का अधिकार नहीं मिल जाता। एफ.आई.पी.बी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद इन कंपनियों को संबंधित राज्य सरकारों को, जोकि अपने संबंधित प्रादेशिक क्षेत्राधिकारों में खनिजों की मालिक हैं, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन खनिज रियायतों के लिए आवेदन करना होता है। केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन इस अधिनियम की पहली अनुसूची में दिए गए खनिजों और हवाई पूर्वेक्षण के लिए ही अपेक्षित है। इस अधिनियम की धारा 5(1)(क) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उप-धारा (1) में यथा परिभाषित कोई कंपनी या भारतीय नागरिक ही देश में खनन कार्य कर सकता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को विदेशी सहायता

2604. श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कुछ विकास परियोजनाओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से आर्थिक सहायता के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ परियोजनागत प्रस्ताव विदेशी सहायता हेतु भेजे हैं, जैसे कि, मुम्बई नगर परिवहन परियोजना-II, मुम्बई नगर सुधार परियोजना, महाराष्ट्र राज्य राजमार्ग परियोजना (विश्व बैंक से सहायतार्थ), नवी मुम्बई में 'कम्प्यूटर' रेलवे परियोजनाएं, कोंकण क्षेत्र के विकृत आवासों का जीर्णोद्धार (ओईसीएफ से सहायतार्थ) और महाराष्ट्र में जलगांव, नासिक तथा धूले जिलों के लिए एकीकृत ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई परियोजना (यू०के० से सहायतार्थ)। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विविध अवस्थाओं में हैं। परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही ऋण/उधार राशि जैसे ब्यौरों का पता चल पाएगा।

[अनुवाद]

जापान के साथ व्यापार वार्ता

2605. श्री एम० राजैया :
श्री रवि सीताराम नायक :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु परीक्षण किए जाने के पश्चात् भारत-जापान व्यापार को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध में सुधार लाने के लिए भारत और जापान वार्ता के लिए सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) 1999 से दोनों देशों के बीच व्यापार में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। हाल ही में दिनांक 5 फरवरी, 1999 को संपन्न हुई भारत-जापान व्यापार वार्ता के 14वें दौर में दोनों देशों ने विभिन्न उपायों के जरिए अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने का संकल्प लिया है जैसे व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा उठाए गए कदमों की परस्पर जानकारी बढ़ाना, एक दूसरे के देशों में व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, आकर्षक निवेश वातावरण का सृजन करना और वाणिज्यिक एवं आर्थिक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना। वर्ष 1999 के दौरान भारत और जापान के बीच व्यापार में सुधार विभिन्न गतिविधियों पर निर्भर करेगा जिसमें जापान की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत भी शामिल हैं।

सी०टी०ई०पी० द्वारा सूती वस्त्रों का निर्यात

2606. श्री अमर पाल सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद सी.टी.ई.पी.सी. द्वारा कितनी मात्रा में सूती वस्त्रों का निर्यात किया गया; और

(ख) इस अवधि के दौरान मूल्यवर्धित निर्यात और सूती कच्ची सामग्री के निर्यात की मात्रा और उसकी कीमत का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद स्वत: किसी प्रकार की वस्त्र मदों का निर्यात नहीं करती है लेकिन पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्यातित सूती वस्त्रों की मात्रा का मूल्य निम्नानुसार है :

(आंकड़े मिलियन में)

वर्ष	रुपए	डालर
1998	142160.22	3443.80
1997	130282.04	3585.09
1996	110453.98	3118.41

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(आंकड़े मिलियन में)

उत्पाद	मात्रा इकाई	1998		1997		1996	
		मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा	मूल्य (रु.)
ग्रे यार्न	कि.ग्रा.	439.09	54384.23	488.56	57214.85	216.08	23669.31
संसाधित यार्न	कि.ग्रा.	34.45	4365.08	25.91	3427.46	187.73	23930.47
सिलाई धागा	कि.ग्रा.	0.42	133.80	0.26	59.27	0.21	60.04
ग्रे फैब्रिक्स	वर्ग मी.	1213.41	16937.80	990.33	15102.53	966.57	14135.43
ब्लीच्ड फैब्रिक्स	वर्ग मी.	113.97	2423.85	65.35	1491.57	66.65	1418.74
प्रिंटिड फैब्रिक्स	वर्ग मी.	362.85	8418.81	354.61	7411.99	313.22	6513.02
रंगे हुए फैब्रिकों के नग	वर्ग मी.	197.24	9428.41	178.28	7479.83	182.15	7043.00
रंगे हुए यार्न फैब्रिक्स	वर्ग मी.	140.03	6015.22	136.75	5301.14	175.68	6122.35
कशीदाकारी फैब्रिक्स	वर्ग मी.	0.25	34.47	0.28	55.79	0.27	20.08
निटिड़ फैब्रिक्स	वर्ग मी.	103.42	3008.07	120.73	3245.27	124.13	3338.74
मेड-अप्स		141.36	37010.48	127.48	29492.34	104.81	24202.78
कुल		—	142160.22	—	130282.04	—	110453.98

पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं

(मात्रा लाख गांठ में—प्रत्येक 170 कि.ग्रा.)

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु०)
1996-97 (अक्टूबर-सितम्बर)	16.822	1655.00
1997-98 (अक्टूबर-सितम्बर)	3.4647	313.60
1998-99 (अक्टूबर-सितम्बर)	0.059	4.456

(17.2.99 के अनुसार)

[हिन्दी]

छोटे निवेशक

2607. श्री हरिभाई चौधरी :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और व्यक्तिगत निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ और कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान सेबी ने इस सम्बन्ध में क्या भूमिका निभायी और उसने इसके लिए क्या प्रयास किये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इस्पात उद्योग का कार्यनिष्पादन और उत्पादन

2608. श्री अरविंद कांबले : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार भारतीय इस्पात उद्योग का वास्तविक वित्तीय कार्यनिष्पादन और उत्पादन कितना है;

(ख) देश के इस्पात क्षेत्र को सार्वजनिक तथा गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने किस हद तक सुदृढ़ किया है;

(ग) भारतीय इस्पात उद्योग से प्रतिवर्ष कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार इस्पात की मांग तथा उत्पादन के अंतर में किस हद तक कमी की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादकों का वास्तविक वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लाभ (+) हानि (-)
1	2	3
	सरकारी क्षेत्र	
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	(+) 149
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	(-) 419•
	निजी क्षेत्र	
1.	मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	(+) 322.08
2.	मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड	(+) 24.70
3.	मैसर्स लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज	(-) 58.81
4.	मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	(+) 55.17
5.	मैसर्स जिन्दल आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	(+) 31.24
6.	मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	(+) 73.31

• सरकार द्वारा 27.5.98 को दी गई वित्तीय राहतों से पूर्व।

1997-98 के दौरान हुआ परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :–

(मात्रा दस लाख टन)

सरकारी क्षेत्र	=	8.538
निजी क्षेत्र	=	14.834
योग	=	23.372

देश में इस्पात उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :–

(1) उत्पादन संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियां शुरू करना।

(2) उत्पादन-मिश्र में सुधार करना।

(3) प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों में सुधार करना।

(4) मांग उन्मुखी उत्पादन।

(5) उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना।

(6) उद्यमशील और ग्राहकोन्मुखी विपणन के जरिए बिक्री बढ़ना आदि।

(ग) लोहा और इस्पात उद्योग से पिछले दो वर्षों के दौरान अर्जित कुल राजस्व निम्नानुसार था :–

(करोड़ रुपए)

	1996-97	1997-98
उत्पादन शुल्क	3894.80	3894.34 (संशोधित अनुमान)
सीमा शुल्क	1759.40	1649.14 (संशोधित अनुमान)
कुल राजस्व	5654.70	5543.48

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की मांग और उत्पादन नीचे दिया गया है :–

(दस लाख टन)

वर्ष	मांग	उत्पादन
1996-97	22.12	22.72
1997-98	22.63	23.37

इस समय इस्पात की अधिकांश मदों की कोई कमी नहीं है। नीति के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए इस्पात की सभी मदों का निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

राज्यों में जीवन बीमा निगम की शाखायें

2609. श्री ए०सी० जोस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर केरल में जीवन बीमा निगम की कितनी शाखायें हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में जीवन बीमा निगम की और शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सभी शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) विभिन्न राज्यों में भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है। केरल राज्य में शाखा कार्यालयों की स्थिति संलग्न विवरण-II और III में दी गई है।

(ख) और (ग) नए शाखा कार्यालयों को खोलने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों पर भारतीय जीवन बीमा निगम कारोबार को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्रवाई के रूप में विचार करता है।

(घ) और (ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 2048 शाखाओं में से 1880 शाखाओं में फ्रण्ट एण्ड आपरेशन (पूर्ण कम्प्यूटरीकरण) हो गया है। शेष 168 शाखाओं के जून, 1999 तक कम्प्यूटरीकृत हो जाने की आशा है।

विवरण-I

भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों का राज्यवार वितरण

राज्य	शाखाओं की संख्या	योग
1	2	3
दिल्ली	70	
हरियाणा	31	
राजस्थान	110	
हिमाचल प्रदेश	23	
पंजाब	69	
जम्मू और कश्मीर	17	
		320
उत्तर प्रदेश	247	
		247
मध्य प्रदेश	140	
		140
असम	66	
बिहार	101	
उड़ीसा	56	
पश्चिम बंगाल	140	
		363
आंध्र प्रदेश	176	
कर्नाटक	138	
		314
केरल	85	
तमिलनाडु	176	
		261
गोआ	11	
गुजरात	142	
महाराष्ट्र	250	
		403
ऑल इण्डिया		2048

विवरण-II

डिविजन का नाम (डिवि० कोड) राज्य का नाम	शाखा/स्थिति
1	2
अर्नाकुलम (877) केरल	अलाथुर
	अलुवा
	अंगमाली
	चलाकुंडी
	चित्तूर
	अर्नाकुलम (सीएबी)
	अर्नाकुलम-I
	अर्नाकुलम-II

1	2
	इरिजल कुड़ा
	कलोर सीबीयू
	कुची
	कुन्दूनगलुर
	कुन्नाकुलम
	मन्मीकाड
	हुर्वातुपुजा
	नार्थ परावूर
	ओट्टापलम
	पालाकाड-I
	पालाकाड-II
	पेरम्बदूर
	थ्रिस्शूर-I
	थ्रिस्शूर-II
	त्रिपुनीथुरा
	बडाक्काचारी
कोट्टायम (839) केरल	अदिमली
	अदूर
	अलप्पुझा-II
	अलप्पुझा-I
	चनगानाचेरी
	चेनगानुर
	चेरीथाला
	कायामकुलम
	कोट्टायम-I
	कोट्टायम-II
	कोट्टायम-III (सीएबी)
	हवेलीकारा
	हुवाकयम
	नेदुकदम
	पाला
	पथानमिथिट्टा
	रीनी
	थिरुवल्ला

1	2
	थोडपुझा
	वाइकेम
	यानडीपेरियार
कुझिकोड (879) केरल	कालीकट (सीएबी)
	कलपेटिआ
	कनहणगाड
	कन्नूर-I
	कन्नूर-II
	कासकोड

विवरण-III

डिविजन का नाम (डिवि० कोड) राज्य का नाम	शाखा/स्थिति
1	2
	कोइलान्डी
	कोझिकोड-II (कालीकट)
	कोझिकोड-I (कालीकट)
	कोझिकोड-III (कालीकट)
	नानझेरी
	हट्टनूर
	निलकुटुर
	निलेश्वर
	पायन्नुर
	पेराहरा
	पेरिनअलक्कन
	राइनातुकारा
	सुल्तान बेटरी
	तली परम्बा
	इहल्लाशेरी
	थलाशेरी-II
	थहराशेरी
	थिरूर
	वडाकरा

1	2
त्रिवेन्द्रम (870) केरल	एत्तिनाल
	छायुनुर
	करूनागपल्ली
	किलिहाहुर
	कोलम-I
	कोलम-II
	कोट्टाराकारा
	हेडुआगाड
	नेयत्तीकारा
	पुहलुर
	त्रिवेन्द्रम-1
	त्रिवेन्द्रम-2
	त्रिवेन्द्रम-3
	त्रिवेन्द्रम-4 (सीएबी)
	त्रिवेन्द्रम-5

[हिन्दी]

भारत के निर्यात पर मुद्राओं के मूल्यों में गिरावट का प्रभाव

2610. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्राजील और पड़ोसी एशियाई देशों की मुद्राओं के मूल्यों में गिरावट का भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जुलाई 1997 में वित्तीय संकट के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में मूल्यह्रास और जनवरी 1999 से खासतौर पर ब्राजील की मुद्रा के मूल्यह्रास जैसे मुद्राओं के मूल्यह्रास से अन्य देशों की वस्तुओं के निर्यात प्रभावित हुए हैं। किन्तु इससे पर्यटन जैसी सेवाओं के निर्यात, और थोक व्यापार, वस्तुओं के आयात एवं मूल्य ह्रासकारी देशों की ऋण संबंधी स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों के घटनाक्रमों पर कड़ी एवं लगातार निगरानी रखी जाती है। व्यावहारिक विनिमय दर नीति, उत्पादकता बढ़ाने और लागत मितव्ययता में सुधार लाने के लिए संरचनागत सुधारों के जरिए भारत की वाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता को सुरक्षित रखने और उसमें सुधार करने के उपाय किये गए हैं।

[अनुवाद]

एल०के० झा समिति

2611. श्री गिनगी एम० रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसम्बर करने के एल०के० झा समिति के प्रस्ताव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) एल०के० झा समिति की रिपोर्ट पर सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके सरकार द्वारा विचार किया गया था। राज्य सरकारों ने चार को छोड़कर किसी परिवर्तन का पक्ष नहीं लिया। यहां तक कि इन चार राज्यों के बीच भी अपनाए जाने वाले वैकल्पिक वित्तीय वर्ष के संबंध में सहमति नहीं थी। इसे और साथ ही इस तथ्य को भी देखते हुए, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बजट कई विचारों से प्रभावित होता है, जो दक्षिण-पश्चिमी मानसून (जो वित्तीय वर्ष में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए समिति द्वारा किए गए मुख्य कारणों में से एक है) के व्यवहार पर निर्भर नहीं है; अपितु सांख्यिकीय श्रंखला में एकरूपता बनाए रखने में आने वाली कठिनाइयों, कर कानूनों में आवश्यक संशोधन; पंचवर्षीय योजनाओं में परिवर्तन को शामिल करने की समस्याओं और वित्त आयोग की सिफारिशों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि विद्यमान वित्तीय वर्ष को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर सरकार के निर्णय भी अप्रैल, 1986 को सदन के पटल पर रखे गए थे।

उड़ीसा कपास मिल

2612. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा कपास मिल की अधिष्ठापित कताई (स्पिंडल) क्षमता कितनी है;

(ख) सी०आई०टी०आर०ए०. अथवा बी०आई०टी०आर०ए० के मानदण्डों के अनुसार इस मिल में स्थायी कामगारों की संख्या कितनी है;

(ग) कामगारों का ब्यौरा क्या है तथा उस मिल में वे कब से काम कर रहे हैं;

(घ) क्या इन अस्थायी कामगारों को उस मिल के स्थायी कामगारों के बराबर वित्तीय लाभ मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री कश्मीराम राणा) : (क) और (ख) समझौता ज्ञापन-1991 के अनुसार 50% कोन्स और 50% हैंक वाले 32 से 35 तक के बीच के काउंटों के लिए 24,668 रिंग तकुओं के साथ-साथ

1,600 डबलिंग तकुओं के लिए सितरा के मानदण्डों के अनुसार सहमत संशोधित जनशक्ति 615 थी। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (अतिरा) के अध्ययन-1993 के अनुसार अपेक्षित क्षमता प्रतिदिन 494 निर्धारित थी।

(ग) 31.12.1998 तक की स्थिति के अनुसार उड़ीसा काटन मिल्स की नामावली में 79 स्थाई कामगार और 318 बदली (प्रतिस्थापित) कामगार थे। इन बदली कामगारों को 1.7.1997 से 1.1.1983 तक की अवधि के बीच भर्ती किया गया था।

(घ) मिलों के स्थाई कामगारों की ही भांति इन सभी बदली कामगारों को वित्तीय लाभ मिल रहे हैं।

(ङ) बदली कामगार भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, महंगाई भत्ते, परिवर्तनीय महंगाई भत्ते, अर्जित अवकाश, बोनस आदि के लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों हेतु बैंकों द्वारा ऋण

2613. श्री विक्रम केशरी देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को राज्य-वार कितना ऋण प्रदान किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दोनों क्षेत्रों से ऋण की अलग-अलग वसूली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों से ऋण प्राप्त करने के फिलहाल राज्य-वार कितने आवेदन लंबित है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु बैंक ऋण

2614. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु संवितरित किए गए ऋणों का बैंक-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु संवितरित किए गए कारणों में मामूली वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंकों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान दिए गए खाद्येतर ऋण संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया खाद्येतर ऋण जो कि वर्ष 1995-96 में 2,44,224 करोड़ रुपये थे 1996-97 में बढ़कर 3,11,594 रु० हो गए।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्येतर ऋण•

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	बैंक का नाम	कि स्थिति के अनुसार बकाया		
		अप्रैल 1996	मार्च 1997	मार्च 1998
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	52846.2	57830.1	65557.9
2.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	9506.4	9509.5	10953.7
3.	पंजाब नेशनल बैंक	12632.0	13857.3	15615.9
4.	बैंक आफ इंडिया	11898.4	13833.0	16226.3
5.	बैंक आफ बड़ौदा	13844.0	14373.2	16981.6
6.	केनरा बैंक	12761.7	14555.1	16854.3
7.	सिंडिकेट बैंक	4746.0	4692.5	5634.7
8.	यूको बैंक	4181.4	4233.0	4774.8
9.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	8400.9	8942.7	10017.8
10.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3400.5	3620.0	3846.6
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	5692.9	5890.7	6910.5
12.	इण्डियन बैंक	7375.7	6753.7	6682.3
13.	देना बैंक	3354.0	4246.8	5325.8
14.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2962.0	3167.8	3752.2
15.	इलाहाबाद बैंक	4775.6	5057.9	5692.2
16.	आन्ध्रा बैंक	—	2858.9	3135.9
17.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3015.1	2945.2	3226.5
18.	विजया बैंक	—	2574.4	3243.2
19.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4667.0	4653.7	5890.3
20.	कार्पोरेशन बैंक	2339.9	2751.6	3853.2
21.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	—	4329.7	4652.0

1	2	3	4	5
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2554.5	3033.4	3457.5
23.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3513.1	3834.6	4065.1
24.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3358.9	3753.9	3943.5
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	—	2685.1	2908.1
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1828.0	1978.8	2310.9
27.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1494.3	1632.2	1863.1

•अनन्तिम।

पाथाखेड़ा कोयला खान में कोयले का उत्पादन

2615. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में वैस्टर्न कोलफील्ड की पाथाखेड़ा कोयला खान से कोयले के कुल उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस खदान में कोयले का उत्पादन कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) मध्य प्रदेश में "पाथाखेड़ा" नाम से कोई खान वेस्टर्न कोलफील्ड्स में नहीं है। तथापि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० मध्य प्रदेश में "पाथाखेड़ा" नाम की एक खान का प्रचालन कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पाथाखेड़ा कोयला खान से हुए कोयले के वर्ष-वार उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	(आंकड़े टनों में) (डाटा अनंतिम)
1995-96	5,75,500
1996-97	5,92,075
1997-98	5,99,069

(ख) जी, नहीं। जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, पाथाखेड़ा खानों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त सामान

2616. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान विभिन्न स्थानों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई और नीलाम की गई वस्तुओं का मूल्य और ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त जब्त वस्तुओं को किस तरीके से नीलाम किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) यह सूचित किया गया है कि पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गत छः माह के दौरान जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य 412.10 करोड़ रुपए आंका गया है। इसमें 66.19 करोड़ रुपए मूल्य का जब्त किया गया एक वायुयान भी शामिल है जिसे बाद में न्यायनिर्णयन होने तक बांड पर छोड़ दिया गया था। उसी अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कथित रूप से 31.11 करोड़ रुपए के मूल्य की वस्तुओं को नीलाम किया गया है। उक्त अवधि के दौरान जब्त की गई अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं में सोना, विदेशी मुद्रा, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, डाटा संप्रेषण उपकरण, बालबियरिंग, प्लास्टिक ग्रेनुअसस, सिले सिलाए वस्त्र, स्वापक औषधियां, घड़ियां, वाहन एवं सिल्क यार्न शामिल हैं। नीलाम की गई वस्तुओं में इलेक्ट्रानिक का सामान, वाहन, मसाले, कंप्यूटर के पुर्जे, पॉलियस्टर टेक्सटाइल यार्न एवं कुछ अन्य व्यापारिक वस्तुएं शामिल हैं।

(ख) अभिगृहीत/जब्त वस्तुओं को (उपभोक्ता वस्तुओं, कीमती वस्तुओं तथा स्वापक औषधियों को छोड़कर) सामान्यतया क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तावित वस्तुओं के लिए अधिकतम संभाव्य कीमत की वसूली एवं सर्वाधिक प्रतियोगी बोली को मूलतः सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुसरण के पश्चात् प्रेस के माध्यम से व्यापक प्रचार करके चैम्बर्स एवं सीमा शुल्क गृहों आदि को परिचालित करने के बाद निपटाया जाता है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंध

2617. **श्री पी०आर० किन्डिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला, खनिज और विद्युत जैसी निर्यात योग्य मदों के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सड़क सीमा व्यापार के महत्व की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने का जिससे दक्षिण एशियाई देशों तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच विद्यमान भौगोलिक तथा ऐतिहासिक संबंध सुदृढ़ होंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र से सीमा व्यापार की महत्ता को समझते हुए आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के तहत निम्नांकित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है :–

(i) जोखावतर, मिजोरम में म्यांमार के साथ व्यापार के लिए एक कम्पोजिट भवन का निर्माण : सी०आई०बी० योजना के तहत केन्द्रीय सरकार का संपूर्ण अंशदान अर्थात् 2.00 करोड़ रु० की राशि सीमा सड़क संगठन को जारी कर दी गई है, जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(ii) भारत, बंगलादेश सीमा पर करीम गंज से सुतारखंडी तक सुरमा, ट्रंक रोड़ का सुदृढ़ीकरण: इस परियोजना की कुल लागत 11.00 करोड़ रु० है और सी०आई०बी० योजना से अंशदान 5.50 करोड़ रु० का है।

(iii) राघना और अखौरा भू-सीमा शुल्क केन्द्रों में झूला वाले पुल बनाना : आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के अंतर्गत इस परियोजना के लिए 27 लाख रु० की धनराशि जारी कर दी गई है।

(iv) 82.00 लाख रु० की कुल लागत से त्रिपुरा में अग्नि शमन केन्द्र, चौमुहानी से अखौरा जांच चौकी तक सड़क सुधार/सी०आई०बी० योजना से अंशदान 41.00 लाख रु० का है जिसे राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है।

भारत ने म्यांमार के साथ सीमा व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भारत के थाइलैण्ड और इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार हैं और वह दक्षिण-पूर्व एशियायी क्षेत्र के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण व्यापार संबंध बनाए हुए है।

भारत बी०आई०एम० एस०टी०ई०सी० (बिम्सटेक) का भी एक सक्रिय सदस्य है जो एक उप-क्षेत्रीय पहल है, जिसमें भारत, श्रीलंका, थाइलैण्ड, बंगलादेश और म्यांमार शामिल हैं। इस समूहीकरण के उद्देश्यों में शामिल हैं : व्यापार, निवेश, परिवहन, बुनियादी सुविधा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

2618. **श्री के०पी० मुनूसामी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मूल्य की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(घ) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) दक्षिण भारत से हस्तशिल्प निर्यातों का अंश बढ़ाने हेतु उठाये गये कदमों में–प्रशिक्षण, पैकेजिंग, निर्यात विपणन एवं प्रलेखीकरण तथा डिजाइनिंग में कार्यशालाओं का आयोजन, तिरूअनन्तपुरम में काष्ठ संशोधण संयंत्र की स्थापना करना और प्रति वर्ष नई दिल्ली में होने वाले भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों (शरदकालीन तथा बसंतकालीन) में दक्षिण भारत में हस्तशिल्प निर्यातकों का भाग लेना शामिल है।

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान हस्तशिल्प का निर्यात क्रमश: 4621.64 करोड़ रुपये, 5594.86 करोड़ रुपये तथा 6457.69 करोड़ रुपये रहा।

(घ) हस्तशिल्प के निर्यात बढ़ाने हेतु उठाये गये कदमों में–डिजाइन विकास, निर्यात विपणन, पैकेजिंग आदि पर कार्यशालाओं का आयोजन, बिक्री-सह-अध्ययन दलों को विदेश भेजने हेतु प्रायोजित करना, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, प्रचार अभियान और प्रतिवर्ष नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों (शरदकालीन एवं बसंतकालीन) का आयोजन करना शामिल है।

[हिन्दी]

बुनकरों के ऋणों को माफ किया जाना

2619. **श्री अजीत जोगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत करघा बुनकरों और अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति के गरीब लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनके ऋण पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान माफ कर दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के ऋण माफ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये ऋण कब तक माफ कर दिए जाएंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय इस्पात निगम

2620. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय इस्पात निगम के पुनर्गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि० की पुनर्गठन योजना भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दोनों कम्पनियों के पुनर्गठन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर०आई० एन०एल०) और हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० (एच०एस० सी०एल०) के पुनरुद्धार/पुनर्संरचना के प्रस्तावों पर सरकार इस समय सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कोयला कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या में कटौती

2621. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कोयला कंपनियों विशेषकर ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के कर्मचारियों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) मंत्रालय के समझौता ज्ञापन के अनुसार कोल इंडिया लि० द्वारा स्वाभाविक रूप से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 तक समग्र श्रमशक्ति में कमी किए जाने की योजना है। विशेषकर यह ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० के लिए है।

(ख) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त योजना के अंतर्गत 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ईकोलि) और भारत कोकिंग कोल लि० (भाकोकोलि) में कर्मचारियों की संख्या में कमी के लक्ष्य के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :–

	1998-99	1999-2000
ईकोलि	3800	3300
भाकोकोलि	3800	3300

(ग) अधिशेष कामगारों में कमी लाने तथा उत्पादकता में वृद्धि (प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली) करने जिससे उत्पादन लागत में कमी आई है।

टी०सी०आई०एल० और आई०आर०पी० डिवीजन के संबंध में आई०डी०बी०आई० की रिपोर्ट

2622. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सितम्बर, 1998 के अंत तक भारतीय टायर निगम लिमिटेड और औद्योगिक रबर उत्पाद डिवीजन के बार में अलग-अलग व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (ङ) बी०आई०एफ०आर० एक अर्धन्यायिक निकाय है और इसने 24.6.98 को हुई अपनी सुनवाई में ऑपरेटिंग एजेन्सी अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) को कैनकिनारा (टायर) और टांगरा (आई०आर०पी०) दोनों इकाइयों के लिए अलग-अलग योजनाओं को सम्मिलित करते हुए टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (टी०सी०आई०एल०) के लिए 30.9.98 तक की तारीख निर्धारित करते हुए एक मसौदा पुनरुद्धार योजना तैयार करने का निदेश दिया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अभी तक बी०आई०एफ०आर० को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

केन्द्रीय ऋण

2623. श्रीमती रानी नरह :
श्री तारिक अनवर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 से राज्यों को सरकार द्वारा कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) 1998 से राज्यवार कुल कितना ऋण माफ किया गया;

(ग) आतंकवाद प्रभावित राज्यों की ओर से केन्द्र सरकार को कुल कितना ऋण अदा किया जाना है;

(घ) क्या सरकार का आतंकवाद प्रभावित राज्यों के पूरे ऋण को माफ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण-I)।

(ग) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार राज्यों पर बकाया ऋण संलग्न विवरण में दिया गया है (विवरण-II)। उक्त विवरण में सभी राज्यों को शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली ऋण राहत के संबंध में सिफारिशें करना आयोग का विशेषाधिकार है।

विवरण-I

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्वीकृत केन्द्रीय ऋणों तथा वर्ष, 1998 से माफ किए गए ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	राज्य सरकारों को स्वीकृत ऋण			1998-99 के दौरान माफ किया गया ऋण	
		1996-97	1997-98	1998-99 28.2.99 तक	विशेष ऋण राहत	सामान्य राहत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	128794	198585	203982	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4293	4531	5095	5.92	28.00
3.	असम	43411	32544	28553	129.28	194.00
4.	बिहार	132470	178945	242417	324.24	1148.08
5.	गोवा	7005	9074	11152	0.00	0.00
6.	गुजरात	153383	208981	295314	0.00	0.00
7.	हरियाणा	49722	80034	85929	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	33021	70938	35227	89.85	43.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	48142	37905	40520	81.60	703.88
10.	कर्नाटक	98558	111258	143008	0.00	558.84
11.	केरल	53300	58375	74498	0.00	278.84
12.	मध्य प्रदेश	98514	142135	188771	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	297851	382783	400749	0.00	0.00
14.	मणिपुर	3483	8597	3933	7.12	14.00
15.	मेघालय	2710	3893	4085	11.55	70.89
16.	मिजोरम	2829	3125	3154	7.59	14.00
17.	नागालैंड	3296	8417	4047	9.87	24.00
18.	उड़ीसा	83797	108348	108381	130.38	381.00
19.	पंजाब	144179	138221	154797	0.00	34124.48
20.	राजस्थान	112021	137818	175262	0.00	0.00
21.	सिक्किम	2320	2570	3059	5.81	17.81
22.	तमिलनाडु	127159	138408	135587	0.00	1858.99
23.	त्रिपुरा	5074	8188	10853	25.19	109.32
24.	उत्तर प्रदेश	298598	399255	52895	837.10	1522.00
25.	पश्चिम बंगाल	247664	380922	496130	0.00	0.00
	योग	2157574	2818428	3357235	1845.10	40880.70

विवरण-II

31.3.98 की स्थिति के अनुसार वित्त मंत्रालय से राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र०सं०	राज्य	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	11908.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	255.83
3.	असम	3777.81
4.	बिहार	10836.81
5.	गोवा	860.88
6.	गुजरात	11571.43
7.	हरियाणा	4093.22
8.	हिमाचल प्रदेश	2322.51
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3083.38
10.	कर्नाटक	7576.73
11.	केरल	4929.11
12.	मध्य प्रदेश	7515.37
13.	महाराष्ट्र	19039.95
14.	मणिपुर	261.24
15.	मेघालय	260.30
16.	मिजोरम	174.92
17.	नागालैंड	271.58
18.	उड़ीसा	5546.66
19.	पंजाब	11577.00
20.	राजस्थान	8108.28
21.	सिक्किम	155.96
22.	तमिलनाडु	9427.39
23.	त्रिपुरा	419.35
24.	उत्तर प्रदेश	24246.84
25.	पश्चिम बंगाल	16400.18
	योग	164556.35

राज्य वित्त निगमों में सुधार

2624. श्री विजय ह्यण्डिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अंतर्गत राज्य वित्त निगमों (एस०एफ०सी०) में सुधारों की सिफारिश करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति और इसके उद्देश्यों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) वित्तीय और प्रबंधकीय पुनर्गठन के अतिरिक्त पुन: पूंजीकरण की अतिशय आवश्यकता का सामना कर रहे राज्य वित्त निगमों की कौन-कौन सी मुख्य समस्यायें हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आलू और प्याज पर बिक्री कर

2625. श्री शकुनी चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आलू और प्याज पर बिक्री कर वसूली के क्या कारण हैं जबकि देश में अन्य किसी भी राज्य में यह वसूल नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसा बिक्री कर समाप्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) महोदय, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के अनुसार बिक्री-कर राज्य का विषय है। बिहार राज्य सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके जिन्सों पर तदनुसार बिक्री-कर लगाती है। अत: बिहार में आलू तथा प्याज पर बिक्री-कर लगाने अथवा इसे समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्णय बिहार सरकार द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर के ही लिया जाता है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन

2626. श्री के०एस० राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगों को लाभ पहुंचाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) कानूनों, विनियमों की समीक्षा और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की प्रक्रिया के दौरान सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की समीक्षा आरंभ कर दी है। एक विशेषज्ञ समूह, जिसका गठन शीर्ष उद्योग संघ के परामर्श से अधिनियम की समीक्षा करने के लिए किया गया है, इस बारे में परामर्श कर रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देना

2627. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सोने के धागों (जरी-जरदोजी) द्वारा बुनाई की कला के विकास संबंधी परियोजना का अनुमोदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक परियोजना स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उ०प्र० निर्यात निगम लिमिटेड कानपुर सें, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की जरी एवं जरदोजी के विकास हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से दिनांक 25.1.99 को विचार-विमर्श किया गया था। जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश निर्यात निगम से संशोधित प्रस्ताव 04.03.99 को ही प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में, परियोजना को मंजूरी देने का अभी उपयुक्त समय नहीं है।

[अनुवाद]

नागालैंड को फंड आवंटन

2628. **श्री के०ए० सांगतम** : क्या वित्त मंत्री नागालैंड राज्य को वित्त आवंटन के बारे में 10.7.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3251 और 4.12.1998 का अतारांकित प्रश्न संख्या 1145 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन सरकारी निगमों की वित्तीय देनदारियों के भुगतान में विलम्ब के कारण ये बंद होने के कगार पर हैं और इसके परिणमास्वरूप भारी ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है; और

(ङ) नागालैंड राज्य के इन निगमों के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए शीघ्र राशि दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां। यहां यह कहा जा सकता है कि माननीय सदस्य द्वारा शुरू में पूछा गया लिखित प्रश्न संख्या 3451 (3251 नहीं) तथा दिनांक 10.7.98 था।

(ख) ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पेपर और पल्प मिल नागालैंड के अपवादस्वरूप, माननीय सदस्य द्वारा अपने पिछले लिखित प्रश्न संख्या 3451 दिनांक 10.7.1998 में संदर्भित सभी उपक्रम राज्य सरकार के उपक्रम हैं। पेपर और पल्प मिल नागालैंड, केन्द्रीय सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की सहायक मिल है। इन सभी उपक्रमों को संभावित सीमा तक सहायता दी जा रही है। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए विवरण से भी इसे देखा जा सकता है।

विवरण

नागालैंड को निधियों के बारे में लोक सभा के दिनांक 10.7.1998 के लिखित प्रश्न संख्या 3451 और दिनांक 4.12.1998 के लिखित प्रश्न संख्या 1145 के संबंध में एकत्र सूचना निम्नानुसार है

नागालैंड राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार के निगमों की देनदारियां 31.3.1998 तक निम्नानुसार हैं :–

(लाख रुपए में)

(i)	नागालैंड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स लि०, तिजित	2388.00
(ii)	नागालैंड शुगर मिल्स कम्पनी, दीमापुर	1300.00
(iii)	नागालैंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन, दीमापुर	400.00
(iv)	नागालैंड इन्डस्ट्रियल रॉ मेटिरियल सप्लाई, दीमापुर	45.00

ऊपर निर्दिष्ट उपक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता राज्य सरकार से संबंध रखती है और यह निर्णय करना राज्य सरकार का काम है कि किस ढंग से इनकी अच्छी तरह से सहायता की जाए। ये सभी उपक्रम राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर निरन्तर आकर्षित करते रहे हैं।

नागालैंड पेपर एंड पल्प मिल्स :

यह केन्द्रीय सरकार के एक उपक्रम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की सहायक मिल है। ग्रिड से अनियमित बिजली आपूर्ति, व्यवधानग्रस्त कार्य-स्थितियों और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण नागालैंड पेपर एंड पल्स कम्पनी निम्न क्षमता उपयोगिता को प्राप्त कर रही थी तथा आरम्भ से ही इसमें घाटा हो रहा था। चूंकि ये घाटे शेयर पूंजी से भी अधिक थे इसलिए कम्पनी को दिनांक 7.4.92 को बी०आई० एफ०आर० को सौंप दिया गया था। चूंकि इस कम्पनी को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वित्तीय पुनर्गठन के आधार पर अप्रैल, 1993 के पूर्व प्रभाव से सी बी०आई०एफ०आर० के अधिकार क्षेत्र से नवम्बर, 1995 को मुक्त करवा लिया गया था किन्तु उस तारीख से पुन:प्रचलन स्कीम कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के कारण फलीभूत नहीं हो सकी। 31.3.1997 तक कम्पनी का निवल मूल्य शून्य हो जाने के कारण कम्पनी को 1997-98 में पुन: बी०आई०एफ०आर० को सौंप दिया गया था। 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार कम्पनी का संचित घाटा 146.37 करोड़ रुपए हो गया है। अक्टूबर, 1992 से यह यूनिट में उत्पादन नहीं हो रहा है। फिर भी इसके कामगारों को उनका वेतन नियमित रूप से दिया जा रहा है।

आई०टी०सी० द्वारा उत्पादन-शुल्क की चोरी

2629. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०टी०सी० द्वारा 803 करोड़ रुपये के उत्पादन शुल्क की चोरी का मामला सी०ए०जी०ए०टी० के पास लम्बे समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जापान द्वारा आर्थिक प्रतिबंध

2630. **डॉ० अशोक पटेल :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भी प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए चालू परियोजनाओं को प्रतिबंधों के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) जहां करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, वहां चल रही परियोजनाओं के लिए वितरण वर्तमान जापानी प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित नहीं होते। चल रही परियोजनाओं की दूसरी और अनुवर्ती ट्रांशों के संबंध में जापानी पक्ष ने सूचित किया है कि उनपर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं

2631. **श्री सी०पी०एम० गिरियप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और शाखाओं को खोलने के लिए अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त ग्रामीण बैंकों को खोलने की दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) अधिक शाखाएं स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर०आर०बी०) पर कोई प्रतिबंध सरकार ने नहीं लगाया है। अपने परिचालन के क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आवेदन पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है जिसमें विशेष रूप से ऐसी शाखाओं की वित्तीय अर्थक्षमता, ग्रामीण उधार देने का सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण और क्षेत्र में वर्तमान शाखा नेटवर्क पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान खोली गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर०आर०बी०) की नई शाखाएं खोलने के बारे में विवरण

क्रम सं०	राज्य	वर्ष के दौरान खोली गई शाखाएं
1	2	3
1.	हरियाणा	0
2.	हिमाचल प्रदेश	0

1	2	3
3.	जम्मू एवं कश्मीर	0
4.	पंजाब	0
5.	राजस्थान	10
6.	अरुणाचल प्रदेश	0
7.	असम	2
8.	मणिपुर	0
9.	मेघालय	0
10.	मिजोरम	0
11.	नागालैंड	0
12.	त्रिपुरा	0
13.	बिहार	3
14.	उड़ीसा	4
15.	पश्चिम बंगाल	0
16.	मध्य प्रदेश	0
17.	उत्तर प्रदेश	7
18.	गुजरात	6
19.	महाराष्ट्र	6
20.	आन्ध्र प्रदेश	16
21.	कर्नाटक	19
22.	केरल	0
23.	तमिलनाडु	1
	अखिल भारत	74

रबड़ का आयात

2632. श्री पी०सी० थामस :
श्री सुनील खां :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने देश में रबड़ बागान उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को हल करने के लिए रबड़ का आयात संबंधी अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रबड़ का आयात करने के कारण रबड़ के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में रबड़ बागान उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने दिनांक 20.2.98 से अग्रिम लाइसेंस के जरिये प्राकृतिक रबड़ के आयात की सुविधा को स्थगित कर दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

2633. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विलासपुर में बिज्यूर रेलवे साइडिंग पर बिखरे पड़े कोयले को उठाने के मुद्दे पर एस०ई०सी०एल० और रेल विभाग के प्राधिकारियों के बीच विवाद था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला चोरों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया है और इसके परिणामस्वरूप लाखों रुपए के कोयले की चोरी की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। को०इ०लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बिजूरी रेलवे साइडिंग पर बिखरे कोयले को उठाए जाने के मामले पर सि०को० कं०लि० और रेलवे प्राधिकारी के बीच कोई विवाद नहीं है।

तथापि सा०ई०को०लि० में हसदेव क्षेत्र के बिजूरी रेलवे साइडिंग पर दिनांक 7.12.98 को कोयले के वैगन के पटरी से उतर जाने का एक मामला था। वैगन के पटरी से उतर जाने की सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड को पटरी से उतरे वैगन के पास तैनात कर दिया गया, ताकि कोयले की चोरी न हो और उक्त स्थल पर कोयले की कोई चोरी नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

फिनॉल का आयात

2634. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक (सुरक्षा), बड़े पैमाने पर किये जाने वाले फिनॉल के आयात की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रसायनों के अलावा अन्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर किये जाने वाले आयात की भी ऐसी जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन मदों का ब्यौरा क्या है, जिनके आयात पर सरकार ने सुरक्षा-शुल्क या एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगाया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) जी, हां। महानिदेशालय (सुरक्षा) ने फिनॉल को बढ़े हुए आयात के संबंध में रक्षोपाय जांच आरंभ करने के लिए 2.2.99 को एक नोटिस जारी किया है। फिनॉल के अलावा, एसिटाइलीन ब्लैक, स्टाइरीन बूटाडीन रबड़, कार्बन ब्लैक, फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और हार्ड-बोर्ड के संबंध में भी रक्षोपाय जांच की गई है।

(घ) इस समय सरकार ने एसिटाइलीन ब्लैक, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलिओल पर रक्षोपाय शुल्क लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 25 वस्तुओं पर प्रति-पाटन शुल्क भी लगा दिया है, जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

वे वस्तुएं जिन पर प्रति-पाटन शुल्क लगाया गया है, निम्नानुसार हैं

1. बिसफिनोल ए
2. इसोबूटाइल बेनजीन
3. थियोफाइलीन और कैफीन
4. ट्राइमैथोक्सी बैंजालडिहाइड
5. पोटैशियम परमैंगेनेट
6. एक्राइलो नाइट्राइल बूटाइल रबड़
7. डी०बी०एम०
8. लो कार्बन फैरोक्रोम
9. सोडियम फेरीसाइनाइड
10. 8-हाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन्स
11. एक्रीलिक फाइबर
12. कैटालिस्ट्स
13. पी०टी०ए०
14. मैग्नीशियम
15. विटामिन-सी
16. ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स
17. मैटालर्जिकल कोक
18. पॉलिस्टाइरीन
19. कैल्शियम कार्बाइड
20. लोबास्टेटिन
21. सिट्रिक एसिड
22. आर्थो क्लोरो बैन्जालडिहाइड
23. एच०आर० कॉयल्स
24. इंडस्ट्रियल स्यूइंग नीडल्स और
25. पी० टर्ट बूटाइल कैटेकोल

[हिन्दी]

बैंकों की नई शाखाएं

2635. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खोली गई विभिन्न बैंकों की नई शाखाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) नई शाखाओं को खोलने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों की राज्यवार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में संख्या कितनी है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोली गई वाणिज्यिक बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार शाखाओं की संख्या (प्रशासनिक कार्यालयों के अलावा) तथा 1 अप्रैल, 1995 से 31 जनवरी, 1999 की अवधि के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों को शाखाएं खोलने हेतु दिए गए प्राधिकरणों/लाइसेंसों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) बैंक अपनी शाखाएं मूलभूत सुविधाओं आदि को पूरा करने के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्राधिकरणों/लाइसेंस के अनुरूप खोलते हैं।

विवरण

1 अप्रैल, 1995 से 31 जनवरी, 1999 की अवधि के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए जारी किए गए प्राधिकार/लाइसेंसों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान खोली गई वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या (प्रशासनिक कार्यालयों के अलावा)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए प्राधिकार/लाइसेंसों की संख्या	जनवरी से दिसम्बर के बीच खोली गई शाखाओं की संख्या		
			1996	1997	1998
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	137	58	65	65
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0	0	0
3.	असम	18	6	0	4
4.	बिहार	62	17	18	16
5.	गोवा	19	4	13	11
6.	गुजरात	101	37	39	34
7.	हरियाणा	72	27	38	27
8.	हिमाचल प्रदेश	17	3	7	6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	13	6	7	6
10.	कर्नाटक	144	62	67	67
11.	केरल	110	43	29	20
12.	मध्य प्रदेश	70	28	37	34
13.	महाराष्ट्र	280	88	111	73
14.	मणिपुर	—	0	0	0
15.	मेघालय	1	0	0	0
16.	मिजोरम	—	0	0	0
17.	नागालैण्ड	—	0	0	0
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	169	33	56	44
19.	उड़ीसा	47	5	18	17
20.	पंजाब	95	63	72	39
21.	राजस्थान	59	40	27	35
22.	सिक्किम	1	0	0	0
23.	तमिलनाडु	126	56	44	41
24.	त्रिपुरा	1	0	1	1
25.	उत्तर प्रदेश	209	74	66	78
26.	पश्चिम बंगाल	86	18	36	15
27.	अंडमान निकोबार	—	1	0	0
28.	चंडीगढ़	24	11	8	5
29.	दादर एवं नगर हवेली	2	0	2	1
30.	दमन एवं द्वीव	3	1	0	1
31.	लक्षद्वीप	—	1	0	0
32.	पांडिचेरी	4	1	0	3
	अखिल भारत	1870	683	761	643

यूको बैंक

2636. श्री तापस सिकदर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूको बैंक ने अपने 7000 कर्मचारियों को अतिरिक्त कर्मचारी घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बैंक को पुनर्गठित करने तथा इसे पुन: अर्थक्षम बनाने और कर्मचारियों की पुन: तैनाती करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) यूको बैंक ने अपने किसी अतिरिक्त स्टाफ की घोषणा औपचारिक रूप से नहीं की है। तथापि, अपेक्षित स्टाफ स्तर को निर्धारित करने वाले विभिन्न अध्ययनों/समितियों ने यह पाया है कि अतिरिक्त स्टाफ की संख्या 7000 से 10,000 के बीच होगी।

(ख) अतिरिक्त स्टाफ का कारण मुख्यत: पिछले दशक के दौरान बैंक के कारोबार में धीमी वृद्धि का होना तथा अस्सी के दशक में उदार भर्ती किया जाना है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक के पुनरुज्जीवन हेतु संभावनाओं का निदान अध्ययन करने तथा उसके लिए रणनीति का सुझाव देने के लिए 1994 में परामर्शदाता नियुक्त किए थे। बैंक ने आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए यूनियनों/संघों के साथ हुए समझौता

ज्ञापन के आधार पर त्रिवर्षीय रणनीतिक पुनरुज्जीवन योजना (एस०आर०पी०) (1997-98 से 1999-2000) तैयार की है। बोर्ड के निदेशकों द्वारा एस०आर०पी०) के अंतर्गत बैंक के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जा रही है तथा भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनरुज्जीवन हेतु उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अवैतनिक सलाहकार श्री एम०एस० वर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

बैंकिंग उद्योग का स्तर निर्धारित करना

2637. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1999 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" और "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "स्लगिश रिफार्म्स, बैंड लोन्स टू हिट बैंक्स: मूडीज" और "मूडीज प्रोजेक्ट्स डिसमल आउटलुक फार इण्डियन बैंक्स" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे समाचारों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विश्व में देश की छवि को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट के अनुसार, मूडी की इन्वेस्टर सर्विसेस लि० ने देश की बैंकिंग प्रणाली पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण तथा अविनियमन समेत, शुरू की गई सुधार प्रक्रियाओं की मन्दगति पर रेटिंग एजेंसी के अनुमान के आधार पर भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति को "एडीक्वेट डी" रेटिंग प्रदान की थी।

(ग) सरकार का विचार है कि भारत में सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली मूल रूप से सुदृढ़ है और इसका कार्यनिष्पादन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित स्पष्ट मानदण्डों के आधार पर, पारदर्शी है। यद्यपि यह क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र की निस्तेजता से उत्पन्न होने वाली बाधाओं से रहित नहीं है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र तेजी से अविनियमित तथा उदारीकृत किया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई दर से निश्चित रूप से अधिक सुदृढ़ है।

राज्य सरकारों द्वारा की गई वित्तीय गड़बड़ियां

2638. **श्री राजो सिंह :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री मदन पाटील :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष महाराष्ट्र में राजस्व घाटे में अविश्वसनीय ढंग से 700 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी उल्लेख किया है कि महाराष्ट्र में वित्तीय कुप्रबंधन बिहार से भी बदतर है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि अन्य राज्यों विशेषकर बिहार में भी यह वित्तीय संकट अत्यधिक गहरा है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किन-किन राज्यों की वित्तीय गड़बड़ियों का उल्लेख किया है;

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के विशेष कुप्रबंधन को रोकने हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं;

(च) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (छ) राज्य सरकारों के वित्तीय मसलों पर भारतीय रिजर्व बैंक के फरवरी, 1999 में प्रकाशित बुलेटिन के अनुसार वर्ष 1997-98 के बजट अनुमान में 869.60 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान में महाराष्ट्र का राजस्व घाटा 4821.10 करोड़ रुपए का रहा है। बिहार के मामले में 1997-98 के संशोधित अनुमान के 1562.80 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की तुलना में वर्ष, 1998-99 के बजट अनुमान का राजस्व घाटा 2627.60 करोड़ रुपए का है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, हाल ही में राज्यों की वित्तीय स्थिति, जैसा कि बढ़ते राजस्व घाटे से जाहिर है, तनाव में है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि व्यय संरचना के पुनर्निर्धारण, अलाभकारी अर्थ-सहायताओं (सब्सिडी) में कटौती, उपभोक्ता प्रभारों में बढ़ोतरी आदि को प्रमुख कार्यवाही का आधार बनाकर राजकोषीय समेकन के माध्यम से अपनी राजस्व स्थिति और सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक दृढ़ निश्चय होकर पहल करनी होगी।

कई राज्य सरकारों, जिन पर वेतनमानों के संशोधन भार आन पड़ा है, ने केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है। जबकि केन्द्र सरकार ने जरूरत के वक्त हमेशा ही राज्य सरकारों की मदद की है, राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्था को ठोस आधार देने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें प्रेरित भी करती रही है।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना

2639. **श्री ई० अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने संबंधी मानदण्डों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जो इस संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सके हैं;

(ग) बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण उपलबध न कराने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने चूक करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सामूहिक रूप से मार्च, 1998 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अपने निवल बैंक ऋण (एन०बी०सी०) के 43.67 प्रतिशत का प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्राप्त किया है। तथापि, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक ने उसी तारीख की स्थिति के अनुसार, उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक को निदेश दिया है कि वे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण आधारभूत विकास निधि-IV (आर०आई०डी० एफ०-IV) में इस कमी को जमा करायें जिसका उपयोग नाबार्ड, ग्रामीण आधारिक के संबंध में चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए करता है। आबंटित की गई राशियां ये हैं :–

इलाहाबाद बैंक	249.46 करोड़ रुपए
यूको बैंक	7.43 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बाक्साइट भंडार

2640. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीवा (मध्य प्रदेश) जिले की सिमरिया तहसील के अंतर्गत बाक्साइट का प्रचुर भंडार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन भंडारों के दोहन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या उस खनिज पदार्थ का अवैध उत्खनन हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे उत्खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) रीवा जिले की सिरमौर तहसील के सिमारिया क्षेत्र में बाक्साइट के 15,470 हजार टन प्राप्तियोग्य भंडार हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने व्हाइट क्ले और रेड ओकर सहित बाक्साइट खनिज के विदोहन के लिए खनन पट्टों की मंजूरी दी है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि इस क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुपर कलेन्डरिंग पेपर का ठेका

2641. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन सिक्युरिटी प्रेस, नासिक ने अशोक स्तम्भ वाटरमार्क्ड स्टाम्प बेस पेपर पर सुपर कलेन्डरिंग के लिए कोई ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ठेके के लिए निर्धारित नियम और शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1998-99 के दौरान, महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ने मै० सोमा पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लि० नासिक रोड को अशोक स्तम्भ वाटर मार्क्ड स्टैम्प बेस पेपर पर गमिंग और सुपरकलेन्डरिंग के लिए दो भिन्न-भिन्न संविदाएं मंजूर की हैं। इसमें अन्तर्निहित कुल मात्रा 1225 रील और संविदाओं का मूल्य 72,88,375/- रुपये है। सरकारी नियमों में विर्निदिष्ट सभी सामान्य शर्तों और निबन्धनों को उपर्युक्त संविदाओं में भी समाविष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

अफीन की फसल को नुकसान

2642. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी ओलावृष्टि और शीत लहरों से अफीम की फसल को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या नुकसान का मूल्यांकन समय पर नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इससे कुल कितने किसान प्रभावित हुये हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) महोदय, बहुत से कृषकों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वर्षा, ओलावृष्टि तथा पौधों में लगने वाले रोगों जैसे अनेकों कारणों की वजह से उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है तथा इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। उनमें से कुछेक ने यह भी आवेदन किया है कि उनकी फसल के क्षतिग्रस्त हिस्से को विभागीय पर्यवेक्षण में उखाड़ दिया जाए।

(ख) और (ग) विधिक उपबंधों के अनुसार, कृषक चिराई न की गई अफीम पोस्त की फसल के क्षतिग्रस्त हिस्से को विभागीय पर्यवेक्षण में उखाड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कार्य शीघ्र किया जाता है।

(घ) लगभग 6000 पोस्त कृषकों ने अपनी क्षतिग्रस्त फसल को उखाड़ने के लिए आवेदन किया है।

(ङ) नुकसान के सत्यापन के पश्चात् प्रभावित फसल को विभागीय पर्यवेक्षण में उखाड़ा जाएगा।

[अनुवाद]

आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता

2643. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विदेशी सहायता से कुछ कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) उन देशों और वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनसे आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध कराया गया; और

(घ) उनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधियों का वर्ष-वार, देश-वार तथा वित्तीय संस्था-वार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) निजी क्षेत्र में वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए किए गए निवेश के बारे में केन्द्रीय रूप से राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बी०आई०एफ०आर० द्वारा समीक्षा

2644. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग ने हाल ही में 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को समीक्षा हेतु भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा किन-किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश की गई है;

(ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा किन-किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किए जाने की सिफारिश की गई है;

(घ) पुनरुद्धार न किये जाने वाले इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का अन्य सरकारी विभागों में विलय करने हेतु उठाये गये/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु एक व्यापक नीति तैयार की है;

(च) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(छ) चालू वर्ष तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु क्या नयी पहल की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारी उद्योग विभाग के सरकारी क्षेत्र के 26 उपक्रम रुग्ण हैं और बी०आई०एफ०आर० में पंजीकृत हैं। सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के नामों की सूची जिनमें वे उपक्रम शामिल हैं जिनमें बी०आई०एफ०आर० ने पुनरुद्धार योजना को स्वीकृत किया है, की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रम रुग्ण हैं जिन्हें बी०आई०एफ०आर० ने बंद करने के लिए अस्थाई/अंतिम निर्णय लिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकारी विभागों में समयोजित कर पाना संभव नहीं है चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अलग कानूनी अस्तित्व रखते हैं और उनकी सेवा शर्तें भी अलग प्रकार की होती है।

(ङ) से (छ) कम्पनी का पुनरुद्धार करने या अन्य प्रकार का निर्णय लेने संबंधी सिफारिश करने को बी०आई०एफ०आर० विभिन्न अभिकरणों के साथ परामर्श करने के बाद और वर्तमान तथा भावी प्रत्याशित कार्यकलाप को देखकर ही अंतिम निर्णय लेता है। बी०आई०एफ०आर० एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसी प्रकार सरकार, क्रयादेश प्राप्त करने, कार्मिकों का युक्तिकरण करने और अलग-अलग मामलों में निष्पादन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए समय सीमा तक अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार ने चालू वर्ष में नेपा लि०, बर्न स्टैण्डड कम्पनी लि० और इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० के पुनरुद्धार/पुनर्संरचना प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। बी०आई०एफ०आर० द्वारा सरकारी क्षेत्र के अन्य 9 उपक्रमों के संबंध में स्वीकृत की गई पुनरुद्धार योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

विवरण-I

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के नामों की सूची जो बी०आई०एफ०आर० में पंजीकृत हैं तथा जिनमें वे उपक्रम शामिल हैं जिनमें बी०आई०एफ०आर० ने पुनरुद्धार योजना को स्वीकृत किया है

क्र०सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
1.•	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)
2.•	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड (बीबीवीएल)
3.•	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)
4.•	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीसीएल)
5.•	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड (आर एंड सी)
6.•	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)
7.•	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)
8.•	आर बी एल लिमिटेड (आरबीएल)
9.•	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप)
10.•	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)
11.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसी आईएल)
12.	टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को)
13.	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)
14.	भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल)
15.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)
16.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स मिलिटेड (एनआईएल)
17.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएएमसी)
18.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल)
19.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (एमएनपीएम)
20.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कं० लिमिटेड (एचपीएफ)
21.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)
22.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
23.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)
24.	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)
25.	नेपा लिमिटेड (नेपा)
26.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कारपो० लिमिटेड (एनपीपीसी)

• सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में बी०आई०एफ०आर० ने पुनरुद्धार योजनाओं को स्वीकृत किया है।

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के अजैव्य उपक्रमों के नाम

क्र०सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
1.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल)
2.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल)
3.	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)
4.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल)
5.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)
6.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएएमसी)
7.	टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को)
8.	भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल)

[हिन्दी]

उप-निदेशकों के पदों का सृजन

2645. श्री मदन पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर मुख्य आयुक्त/आयकर महा-निदेशक (प्रशा०) के प्रत्येक कार्यालय में उप-निदेशक (राजभाषा) के एक-एक पद का सृजन किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग के राजभाषा प्रभाग के लिए कोई संवर्ग समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो समीक्षा कब की गई और उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन सिफारिशों का क्रियान्वयन पूर्णरूपेण किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (छ) निदेशक (राजभाषा) के एक पद तथा उप-निदेशक (राजभाषा) के 4 पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव की समेकित वित्त प्रभाग के परामर्श से जांच की गई थी लेकिन उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था। इसलिए आयकर विभाग के राजभाषा प्रभाग की कोई संवर्ग पुनरीक्षा नहीं की गई।

[अनुवाद]

मसालों का निर्यात

2646. श्री मुस्तापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 में आज तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के मसालों का निर्यात किया गया;

(ख) भारत से मसाले आयात करने वाले मुख्य देश कौन से हैं; और

(ग) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान आज की तारीख तक निर्यात किए गए मसालों की मात्रा व मूल्य निम्नानुसार है :

निर्यात

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997-98	228,821	1408.31
1998-99 (अप्रैल-जनवरी)	157,240	1232.33

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता/पोतलदान बिल/निर्यातकों की विवरणी।

•अनुमानित।

(ख) भारत से मसालों के प्रमुख आयातक देश हैं – यू०एस०ए०, यू०के०, यू०ए०ई०, पाकिस्तान, सिंगापुर, बंगलादेश, जर्मनी, श्रीलंका, मलेशिया इत्यादि।

(ग) सामान्य व्यापार नीतिगत सुधारों के अतिरिक्त मसालों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाये गये कुछ कदमों में शमिल हैं—मसालों के निर्यात पर 0.5% की दर से उपकर को युक्तिसंगत बनाना ताकि उन्हें विदेशी बाजार में कीमत प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके; "लोगो संवर्धन" जैसी ब्राण्ड संवर्धन योजनाओं का कार्यान्वयन; गुणवत्ता युक्त उत्पादों के प्रसंस्कर्ता/निर्यातक की मान्यता के रूप में "मसाला गृह प्रमाण-पत्र" की मंजूरी; गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच के प्रयोजनार्थ प्रयोगशालाओं की स्थापना; प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण; प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास।

[हिन्दी]

कपड़ा उत्पादों का आयात

2647. श्री मोती लाल वोरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उत्पादों के आयात में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कपड़ा उत्पादों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए घटिया किस्म के कपड़ा उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने अथवा निवारक उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये सुरक्षोपाय कब तक लागू किए जाएंगे ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वस्त्र उत्पादों के आयात निम्नानुसार रहे हैं :–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु०)
1995-96	3137.10
1996-97	2639.87
1997-98	2975.47

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता।

विभिन्न विश्व व्यापार संगठनों के करारों में, किसी सदस्य देश में सस्ते आयातों के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को करने के लिए प्रावधान हैं। सरकार, वस्त्र उत्पादों की आयात प्रवृत्तियों पर निकट दृष्टि रखे हुए है तथा यदि आवश्यकता हुई तो सरकार वस्त्र उत्पादों के निम्न लागत के आयात को रोकने तथा घरेलू उत्पादों की सुरक्षा के लिए प्रतिकारी शुल्क, प्रतिपाटन शुल्क आदि जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक कदम के लिए कार्रवाई आरंभ करेगी।

[अनुवाद]

मिर्च का निर्यात

2648. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मिर्च के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिर्च बोर्ड स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में कब तक मिर्च बोर्ड स्थापित हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। मिर्च सहित मसालों के विकास, अनुसंधान और विपणन/निर्यात संवर्द्धन का कार्य इस प्रयोजन से स्थापित भारत सरकार के निम्नलिखित तीन संस्थानों द्वारा बखूबी निभाया जाता है।

(I) नारियल, अरिकानट और मसाला विकास निदेशालय, कालिकट;

(II) आईसीआर और इसके अनुसधान संस्थान; और

(III) मसाला बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय।

मसाला बोर्ड मुख्य रूप से मिर्च सहित सभी मसालों के निर्यात संवर्द्धन के लिए उत्तरदायी है। मिर्च की खेती के अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलुओं को कृषि मंत्रालय देखता है। मिर्च के लिए अलग से बोर्ड की स्थापना से कार्य की अनावश्यक पुनरावृत्ति होगी और इसके अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस विचार से यह महसूस किया गया है कि मिर्च के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना करना उचित नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋणों पर ब्याज दर

2649. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किस दर पर ब्याज की वसूली की जाती है;

(ख) क्या यह ब्याज दर अन्य विकासशील एशियाई देशों की तुलना में बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं से इस उच्च दर पर ब्याज की वसूली के क्या कारण हैं; और

(घ) प्राथमिकता क्षेत्र को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि फिलहाल ब्याज दर ऋण [विभेदी ब्याज दर (डी०आर० आई०) योजना के अन्तर्गत अग्रिमों को छोड़कर] के आकार से जोड़ा जाता है। 2 लाख रुपए तक ऋणों पर बैंकों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज दर को बैंक के मूल उधार दर (पी०एल०आर०) से अधिक नहीं होना चाहिए जो संबंधित बैंक के सर्वोत्तर उधारकर्ता को उपलब्ध है। 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा के मामले में, बैंक ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। फिलहाल, मुख्य बैंकों का पी०एल०आर० 12.75 प्रतिशत से 13.00 प्रतिशत के बीच है। क्योंकि कमजोर वर्गों/प्राथमिकता क्षेत्र के अधिकांश उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताएं 2 लाख रुपए के अन्दर ही होती है, 2 लाख रुपए की इस सीमा तक ऋणों के लिए उधार संरचना में पहले ही छूट दे दी गई है। उधार संबंधी ब्याज दर निर्धारण को नियंत्रित करने वाले नीति की सतत् आधार पर पुनरीक्षा की जाती है और यह उभरती हुई गतिविधियों के आधार पर आशोधन की शर्त के अधीन है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विश्व की दर की तुलना में भारत में प्रचलित ब्याज दर की तुलना अर्थपूर्ण नहीं होगी जब तक कि शेष विश्व की तुलना में भारत में मुद्रा-स्फीति की प्रचलित दर पर विचार नहीं किया जाए। कुछ एशियन देशों ने अपने देश की विशेष आर्थिक नीतियों पर विचार करते हुए, अपनी बट्टा-दरों में कमी की है।

प्रागा टूल्स लिमिटेड का पुनरुद्धार

2650. **श्री एस०एस० ओवेसी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के लिये पुनर्वास पैकेज सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के पास कब से यह प्रस्ताव लंबित है;

(ग) क्या इस कंपनी के कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने प्रागा टूल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी देने तथा कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या प्रबंधन ने कंपनी के नैमित्तिक मजदूरों को कहीं और नौकरी खोजने के लिये कहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने उनको नियमित करने के लिये क्या कदम उठाया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव, वी०आर०एस० के तहत ब्याज को त्यागने, नई इक्विटी जुटाने और पृथक्करण के लिए निधियों के जरिए वित्तीय पुनर्संरचना की परिकल्पना करता है। यह जुलाई, 1998 से सरकार के पास है।

(ग) कर्मचारियों के वेतन का पिछले दो माह से भुगतान नहीं किया गया।

(घ) सरकार ने पुनरुद्धार पैकेज को निर्णय के लिए अन्तर-विभागीय परामर्शदाताओं के जरिए तैयार किया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने कंपनी को 4 करोड़ रुपये की गैर-योजना वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

(ङ) और (च) नैमित्तिक मजदूरों को समय-समय पर कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार ही नियुक्त किया जाता है। चूंकि, कंपनी के पास कामगारों की संख्या कुल मिलाकर ज्यादा है इसलिए नैमित्तिक मजदूरों को नियमित कर पाना संभव नहीं होगा।

बाजार से ऋण जुटाना

2651. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने केन्द्र सरकार से बाजार से ऋण जुटाने की अनुमति मांगी है; और

(ख) किन-किन राज्यों को अनुमति दे दी गई है और किन-किन राज्यों का अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन उन सभी 25 राज्यों, जिन्होंने वार्षिक बाजार उधार कार्यक्रम के अनुसार बाजार से उधार लेने की अनुमति मांगी थी, को केन्द्र सरकार की सहमति प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

मिश्रित कपड़ा मिलों का सुधार करने हेतु केन्द्रीय नीति

2652. **श्री सुशील चंद्र वर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रित कपड़ा मिलें मुनाफा नहीं कमा रही हैं क्योंकि विद्युतकरघा द्वारा तैयार किया गया कपड़ा सस्ता होता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन मिश्रित मिलों के लिए कोई नीति तैयार की है क्योंकि उनका भविष्य इस पर ही निर्भर है;

(ग) देश में कितने विद्युतकरघे हैं और इनकी संख्या में प्रतिवर्ष किस दर से वृद्धि हो रही है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान मिश्रित कपड़ा मिलों तथा विद्युत-करघों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) मिल क्षेत्र और विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित फैब्रिकों की किस्मों में सामान्यतया तुलना नहीं की जा सकती है। विद्युतकरघा क्षेत्र को श्रमिक लागत, ऊपरी खर्चों आदि के क्षेत्र में मिश्रित मिलों की तुलना में कुछ अंतर्भूत लागत संबंधी लाभ प्राप्त हैं। मिश्रित वस्त्र मिलें अधिकांशत: उच्च मूल्य के फैब्रिकों का उत्पादन करती हैं जबकि विद्युतकरघे देश में व्यापक खपत के लिए फैब्रिकों का उत्पादन करते हैं।

(ख) इस समय श्री एस०आर० सत्यम की अध्यक्षता में वर्ष 1985 की वस्त्र नीति की पुनरीक्षा की जा रही है जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग के वर्तमान परिदृश्य के समग्र सापेक्ष महत्व का मूल्यांकन करना है। समिति उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता की जांच करेगी तथा वस्त्र उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता में सुधार लाने के लिए उपयुक्त नीति पर सुझाव देगी।

(ग) 31.12.98 तक की स्थिति के अनुसार विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 15,95,334 विद्युतकरघे स्थापित थे। वर्ष 1986 और 1998 के बीच वृद्धि की संयोजित वार्षिक दर (सी०ए०आर०जी०) 7.9 प्रतिशत बनती है।

(घ) वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्थापित की गयी है जो कि 1.4.99 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इस निधि के अंतर्गत वस्त्र उद्योग को वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज की दर की तुलना में 5 प्रतिशत बिन्दु के कम ब्याज की दर पर ऋण दिये जाएंगे तथा कपास जीनिंग और प्रेसिंग उद्योग के साथ-साथ उद्योग भी इन रियायती ऋणों का लाभ उठाने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त वस्त्र मंत्रालय सामान्यतया वस्त्र मिलों की वित्तीय स्थिति की मानीटरी कर रहा है तथा उचित समय में उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। वस्त्र एककों द्वारा सामना की जा रही वित्तीय समस्याओं का निवारण करने के लिए केन्द्रीय वस्त्र मंत्री तथा वस्त्र सचिव ने वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें की हैं तथा उन्हें वस्त्र क्षेत्र को शीघ्रता से ऋण देने की आवश्यकता के प्रति आग्रह किया गया है।

श्रीलंका के जरिये दवाओं की तस्करी

2653. **श्री मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका के जरिये हो रही स्वापकों की तस्करी के कारण देश के दक्षिणी भाग के तटीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के लिये स्वर्ग बनते जा रहे हैं;

(ख) क्या श्रीलंका के रास्ते पाकिस्तान से होने वाली तस्करी के कारण आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में अशांति पनप रही है; और

(ग) यदि हां, तो समुद्री रास्ते से तटीय प्रदेशों में हो रही तस्करी की प्रभावी रूप से निगरानी के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) श्रीलंका के जरिए भारत में स्वापक औषधियों की तस्करी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ताड़ी की बॉटलिंग का प्रस्ताव

2654. **श्री अमन कुमार नागरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से निर्यात हेतु ताड़ी (नारियल/ताड़ के पेड़ों से निकाली गई कम तीव्रता वाली देशी शराब) की बॉटलिंग का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शराब का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माल्ट अथवा शीरे से बने उत्पादों पर आधारित है। अन्य सामग्रियों पर आधारित उत्पादों की मांग को सुनिश्चित नहीं किया गया है क्योंकि विदेश के उपभोक्ता उन्हें प्राथमिकता नहीं देते हैं।

नया पेटेन्ट विधेयक

2655. **श्री विजय गोयल :**
श्री महबूब जहेदी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नए पेटेन्ट विधेयक के अध्यादेश के कारण मूल्यवान "क्रीपर्स" (लता), पौधे आधारित भेषज और गुणात्मक प्राणिविज्ञानीय संपदा की वृहत समृद्धताओं को खोने वाला है;

(ख) क्या हमारे देश की जैव-प्रौद्योगिकी का उच्चस्तरीय अत्याधुनिक उत्कृष्ट ढांचा विदेशों को हस्तांरित होने वाला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कामगारों के रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 में औषधीय तथा कृषि रसायनों के क्षेत्र में तथा कतिपय शर्तों को पूरा करने पर, पांच वर्षों की अवधि के लिये अथवा जब तक पेटेन्ट प्रदान नहीं किया जाता अथवा निरस्त नहीं किया जाता जो भी कम हो, नितान्त विवेचन अधिकार प्रदान करने के लिए उत्पाद पेटेन्ट आवेदनों को प्राप्त करने का प्रावधान है। इस प्रकार, इसका हमारे जैव-प्रौद्योगिकीय संरचना अथवा वन्य प्राणी सम्पदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कलपुर्जों की खरीद

2656. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान जनवरी 1999 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) द्वारा स्थानीय बाजार से कितने मूल्य के कलपुर्जे व उपकरण खरीदे गए;

(ख) उक्त अवधि में कलपुर्जों और उपकरणों की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या इन कलपुर्जों व उपकरणों की खरीद और मरम्मत में अनियमितता के बारे में कोई शिकायत सामने आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान जनवरी 1999 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) द्वारा स्थानीय रूप से खरीदे गए उपकरण और कलपुर्जों की कीमत क्रमशः 3,037.07 लाख रु० और 3,700.07 लाख रु० है।

(ख) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान जनवरी 1999 तक उपकरणों और कलपुर्जों की मरम्मत पर क्रमशः 5,360.68 लाख रु० और 4,520.71 लाख (अनंतिम) रु० खर्च किए गए।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लिमिटेड ने कलपुर्जों और उपकरणों की मरम्मत के संबंध में अनियमितताओं के निम्न मामलों की सूचना दी है।

(i) टाटा टिप्पर हेतु ऊंची कीमत पर कलपुर्जों की खरीद के लिए वरिष्ठ क्रेता अधिकारी कटरास परियोजना क्षेत्र और मेसर्स अग्रवाल एन्टरप्राइजेज कटरास, धनबाद (प्राइवेट) विरुद्ध संख्या पी०ई०/2(ए)/98 (डी) के अनुसार पुलिस अधीक्षक, सी०बी०आई०, धनबाद द्वारा पी०ई० दर्ज की गई। मामला जांच के अधीन है।

(ii) चार्ज विक्टोरिया क्षेत्र की कोलियरी, भा०को०को०लि० में "हैम" हेतु कलपुर्जों की खरीद में हुई अनियमितता की जांच सतर्कता विभाग द्वारा केस संख्या वी०आई०जी०/सी०बी०/13/98 के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

(iii) पी०सी०-300 शॉवल हेतु कलपुर्जों की खरीद में हुई अनियमितता के लिए तत्कालीन अपर मुख्य अभियंता (उत्खनन) और मेसर्स कुपरुम बगरोडिया लि०, कलकत्ता (प्राइवेट) के विरुद्ध पी०ई० 1 (ए)/99 (डी) के अन्तर्गत पुलिस अधिक सी०बी०आई०, धनबाद के द्वारा पी०ई० दर्ज की गई थी। मामला जांच के अधीन है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पंचाट मामले

2657. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काफी संख्या में पंचाट मामले निपटाने हेतु लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं और इस समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार इन लम्बित मामलों का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी धनराशि के दावे किए गए हैं;

(ग) लम्बित पंचाट-मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा शुरू किए गए/विचारधीन सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) 31.12.1998 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निपटान हेतु 42 पंचाट मामले लम्बित पड़े हैं। इन मामलों से सम्बन्धित राशि पंचाट अवार्ड पर निर्भर करती है। मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है। हाथ में लिए गए लेन-देन के मामलों की संख्या और सम्पन्न करारों को देखते हुए लम्बित मामलों की संख्या चिन्ताजनक नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विवरण

मध्यस्थता मामलों की सूची

1. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
   बनाम
   दिल्ली प्रशासन (पीडब्ल्युडी)

2. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
   बनाम
   सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

3. माइनिग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०
   बनाम
   राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

4. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
   बनाम
   भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
   (अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

5. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
   बनाम
   भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
   (अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

6. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
   बनाम
   ऑल इण्डिया रेडियो

7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लि०
   बनाम
   राजस्थान आवास बोर्ड

8. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
   बनाम
   भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०

9. इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लि० (इरकॉन)
   बनाम
   राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

10. इण्डियन ऑयल कारपो० लि०
    बनाम
    भारतीय नौवहन निगम लि०

11. भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि०
    बनाम
    तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि०

12. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०
    बनाम
    सीमा सुरक्षा बल

13. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
    बनाम
    भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

14. केनरा बैंक
    बनाम
    राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

15. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिएनोग्राफी
    बनाम
    भारतीय नौवहन निगम लि०

16. दूरसंचार विभाग
    बनाम
    ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लि०

17. कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट
    बनाम
    भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

18. भारतीय स्टेट बैंक
    बनाम
    टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० ऑफ इण्डिया लि०

19. भारतीय कपास निगम
    बनाम
    एयर इण्डिया लि०

20. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०
    बनाम
    एयर इण्डिया लि०

21. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
बनाम
नूमालीगढ़ रिफाइनरीज लि०

22. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि०
बनाम
दूरसंचार विभाग

23. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
बनाम
इण्डियन ऑयल कारपो० लि०

24. बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि०
बनाम
नेशनल एल्युमिनियम कं० लि०

25. पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम

26. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
बनाम
भारी जल बोर्ड

27. भारतीय कपास निगम लि०
बनाम
बैंक ऑफ बड़ौदा

28. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
बनाम
भारतीय पर्यटन विकास निगम

29. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इण्डिया लि०
बनाम
दूरसंचार विभाग

30. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इण्डिया लि०
बनाम
दूरसंचार विभाग

31. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०
बनाम
बेतवा नदी बोर्ड

32. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०
बनाम
नेशनल एल्युमिनियम कं० लि०

33. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०
बनाम
ऑल इण्डिया रेडियो

34. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०
बनाम
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

35. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
बनाम
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

36. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन
बनाम
एयर इण्डिया

37. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपो० लि०
बनाम
एयर इण्डिया

38. सीमा सड़क महानिदेशालय
बनाम
रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसिज लि०

39. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०
बनाम
भिलाई स्टील प्लांट (सेल)

40. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि०
बनाम
दूरसंचार विभाग

41. भारत पैट्रोलियम कारपो० लि०
बनाम
एयर इण्डिया

42. विद्युत वित्त निगम लि०
बनाम
यूको बैंक

राष्ट्रीय बीमा कम्पनी में घोटाला

2658. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड में कुल कर्मचारियों की कम्पनियों के झूठे दावों का भुगतान करने संबंधी 50 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में सम्मिलित व्यक्तियों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घोटाले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) घरेलू बीमा क्षेत्र में इस प्रकार के घोटालों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) दिल्ली में नेशनल इन्श्योरेंस कं०लि० के मंडल कार्यालय में समुद्री माल बीमा दावों के कपटपूर्ण निपटान किए जाने का पता लगाया गया है। तथापि इसमें अन्तर्ग्रस्त कुल राशि 29.16 लाख रुपए है न कि 50 करोड़ रुपए। आज की तारीख तक जांच-पड़ताल जारी है। संबंधित मंडलीय प्रबंधक और एक वरिष्ठ सहायक को इसमें अन्तर्ग्रस्त पाया गया है और इन्हें निलम्बित कर दिया गया है। जिन चार सर्वेक्षकों, ट्रेसरों और संबंधित बीमा एजेन्ट को इसमें ग्रस्त पाया गया है उन्हें काली सूची में डाल दिया गया है।

(ग) और (घ) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि० इस मामले की पहले ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आगे की जांच-पड़ताल करने हेतु बात कर चुकी है।

(ङ) कम्पनी के पास आन्तरिक जांच करने और अनियमितताओं तथा धोखेबाजी को नियंत्रित करने हेतु मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों में मजबूत आन्तरिक लेखापरीक्षा दल और सतर्कता दल हैं।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पुनरुद्धार और निगरानी के लिए संयुक्त समिति

2659. **श्री विकास चौधरी :**
श्री सुनील खां :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का पुनरुद्धार करने तथा उनकी निगरानी के लिए केन्द्र सरकार से एक संयुक्त समिति गठित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.98 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय संयुक्त प्रबोधन समिति का गठन किया गया। प० बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा समिति में कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०को०लि०) के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रारंभ में समिति में केवल एक मजदूर संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। प० बंगाल सरकार ने दिनांक 30.1.99 से लागू संशोधन के द्वारा समिति में पांच और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया। इस समिति के गठन से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयला मंत्रालय की सहमति नहीं मांगी थी। समिति के घटक एवं उसके विचारार्थ विषय के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वयं ही निर्णय किए गए थे, जिसमें कोयला मंत्रालय के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था।

चावल निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध

2660. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने चावल निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चावल के निर्यात से पहले इसके सुरक्षित भण्डार के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) चावल सहित कृषि उत्पादों से संबंधित आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और घरेलू उत्पादकों, उपभोक्ताओं और उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यक समझा जाता है तदनुसार, नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं। इस संबंध में, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और निर्यातकों/आयातकों के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श किए जाते हैं। वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार चावल (बासमती और और गैर-बासमती) दोनों का निर्यात मुक्त रूप से किया जाता है बशर्ते कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास संविदाएं पंजीकृत हों।

(ग) दिनांक 30.10.98 से नई बफर स्टॉकिंग नीति के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा रखे जाने वाले कुल न्यूनतम स्टॉक और उपलब्ध स्टॉक निम्नानुसार हैं :–

(मिलियन टन में)

तारीख	चावल		गेहूँ		योग	
	बफर मापदण्ड	सरकारी एजेंसियों के पास स्टॉक	बफर मापदण्ड	सरकारी एजेंसियों के पास स्टॉक	बफर मापदण्ड	सरकारी एजेंसियों के पास स्टॉक
1 अप्रैल	11.80	13.05	4.00	5.08	15.80	18.13
1 जुलाई	10.00	12.04	14.30	16.48	24.30	28.52
1 अक्तूबर	6.50	8.96	11.60	15.24	18.10	24.20
1 जनवरी	8.40	11.69	8.40	12.70	16.80	24.39

(स्त्रोत : खाद्य मंत्रालय)

[हिन्दी]

दालों का निर्यात

2661. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :
डा० राम कृष्ण कुसमरिया :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान आयात/निर्यात की गई दालों की मात्रा और किस्में कौन-कौन सी हैं;

(ख) इनके आयात और निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा खर्च/अर्जित हुई;

(ग) क्या सरकार का चने की दाल का निर्यात करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो 1999-2000 के दौरान देश-वार चने की दाल की कितनी-कितनी मात्रा का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार ने दालों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 और 1998-99 (अप्रैल-नवम्बर, 98) के दौरान आयात और निर्यात की गई दालों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :—

मात्रा : मीट्रिक टन में
मूल्य : करोड़ रु० में

वर्ष	आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1997-98	659396	833.64	160183	354.74
1998-99 (अप्रै०-नव०, 98)	208870	247.23	75050	160.96

(स्रोत : डी०जी०सी०आई० एंड एस०, कलकत्ता)

आयात की गई दालों की कुछ किस्मों में शामिल हैं :—मटर (पिसम सैटिवम) सूखी हुई और छिलकायुक्त, चिकपीज (गारबैन्जोस) सूखी हुई और छिलकायुक्त, एस०पी०पी० वाइगना मुंगो की बीन्स, हैपर, छोटी लाल बीन्स सूखी हुई और छिलकायुक्त, सफेद पी बीन्स सूखी हुई और छिलकायुक्त सहित मौंठ, मसूर, सूखी हुई और छिलकायुक्त, बाकला और होर्स बीन्स, सूखी हुई और छिलकायुक्त, चना (टूटा हुआ छोड़कर), सूखा हुआ और छिलकायुक्त, चना दाल (चना, टूटा हुआ), मूंग, तड़ और उड़द। निर्यात की गई दालों की कुछ किस्मों में शामिल हैं — मटर (पिसम सैटिवम) सूखी हुई और छिलकायुक्त, चिकपीज (गारबैन्जोस) सूखी हुई और छिलकायुक्त, एस०पी०पी० वाइगना मुंगो की बीन्स, हैपर या वाइगना राडियाटा, विलोजैक सूखी हुई और छिलकायुक्त, सफेद पी बीन्स सूखी हुई और छिलकायुक्त सहित मौंठ, अन्य बीन्स, मसूर, सूखी हुई और छिलकायुक्त, बाकला और होर्स बीन्स, सूखी हुई और छिलकायुक्त, चना (टूटा हुआ छोड़कर), सूखा हुआ और छिलकायुक्त, चना दाल (चना, टूटा हुआ), मूंग, तड़ और उड़द।

(ग) और (घ) वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार 5 कि०ग्रा० तक के उपभोक्ता पैकों में दालों (चना सहित) का निर्यात मुक्त रूप से किया जाता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान चना सहित निर्यात की जाने वाली दालों की मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों, निर्यातों के लिए उपलब्धता और विदेशी क्रेताओं के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में निर्यातकों की क्षमता पर निर्भर होगी।

(ङ) मूल्यवर्धित दालों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्यों से दिनांक 1.12.97 से उपभोक्ता पैकों में दालों के निर्यात को मुक्त कर दिया गया है। इस नीति को अब वर्ष 1998-99 के दौरान जारी रखा गया है।

[अनुवाद]

रद्दी कागज पर शुल्क

2662. **डा० एस० वेणुगोपालाचारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ने अखबारी कागज की कमी को पूरा करने के लिए रद्दी कागज का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है और अखबारी कागज का आयात करने के लिए खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए रद्दी कागज पर शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने बजट पूर्व ज्ञापन में रद्दी कागज के आयात पर मूल सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने का सुझाव दिया था।

(ग) रद्दी कागज पर आयात शुल्क की मौजूदा दर 5.5% है, जिसमें विशेष अतिरिक्त शुल्क शामिल नहीं है जहां कहीं भी वह लागू है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आयात शुल्क से छूट देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

मिनी टूल रूम्स और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

2663. **श्री गौरी शंकर बहुगुणा विशेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में "मिनी टूल रूम्स" और "प्रशिक्षण केन्द्रों" की स्थापना की योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से अब तक के दौरान किन-किन स्थान पर अभी तक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिये स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में "मिनी टूल रूम्स" और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कोई नहीं।

(ग) और (घ) जी हां, कर्नाटक तथा केरल से प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन संबंधी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के संबंध में राज्य सरकारों ने मिनी टूल रूम्स तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का अपना आशय बता दिया है लेकिन अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। उनके द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही उनके मामलों पर कार्यवाही की जायेगी।

वारंगल मिल को पुनः चालू करना

2664. **श्री चंदू लाल अजमीरा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वारंगल में आजमजाही मिल के मजदूर मिलों को पुनः चालू किए जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को पुनः चालू करने के लिए अन्य क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मजदूर संघों ने यह मांग की है कि प्रबंधकों द्वारा आवश्यक वित्त जुटाकर के तथा साथ ही मौजूदा मिल का आधुनिकीकरण करके एक मिश्रित मिल के रूप में मिल को शुरू किया जाना चाहिए।

एन०टी०सी० द्वारा किए गए एककवार अर्थक्षमता के आधार पर सरकार एन०टी०सी० के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ उनके अंतर्गत अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसमें बी०आई०एफ०आर० द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी०आई०एफ०आर० के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य

2665. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उदारीकरण की नीति को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के परिवर्तन की घोषणा के बावजूद वित्तीय वर्ष 1998-99 में विदेशी पूंजी निवेश लक्ष्य से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में दिसम्बर, 1998 तक कितना विदेशी निवेश हुआ और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 1996-97 के दौरान दिसम्बर, 1997 तक कितना विदेशी पूंजी निवेश हुआ; और

(घ) लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन तथा अन्तर्प्रवाह कैलेण्डर वर्ष के आधार पर परिकलित किए जाते हैं। वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन (जी०डी०आर० समाहित)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह (जी०डी०आर० समाहित)
1995	32072	6820
1996	36147	10389
1997	54891	16425
1998	30814	13320

[अनुवाद]

कोयला/खनिज आधारित उद्योग

2666. **कर्नल सोना राम चौधरी** :
प्रो० जोगेन्द्र कवाड़े :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला/खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कोई मुख्य परियोजना संबंधी योजना प्रतिपादित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेष रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) निकल के स्वदेशी भंडारों का विदोहन करने के लिए विकसित की गयी प्रौद्योगिकी को परखने और वाणिज्यिकृत करने के उद्देश्य से एक प्रारंभिक परियोजना हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संयुक्त रूप में 8 करोड़ रुपये की लागत से उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। कोयला आधारित अनेक उद्योग, विशेषतया सीमेंट, राजस्थान में पहले से ही विद्यमान है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

2667. श्री शांति लाल चपलोत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में कपास का कुल कितना उत्पादन किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कपास के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	उत्पादन (लाख गाँठ में–प्रत्येक गाँठ 170 कि०ग्रा०)
1995-96	169.20
1996-97	177.90
1997-98*	158.00

*कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा 18.2.1999 को हुई बैठक में लगाए गए अनुमान के अनुसार।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम०एस०पी०) की घोषणा करने के अतिरिक्त कपास का और उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना अर्थात् गहन कपास विकास कार्यक्रम कपास उपजाने वाले 11 प्रमुख राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को प्रौद्योगिकी का अंतरण, एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाना, नई किस्मों को लोकप्रिय करना, जल संरक्षण उपकरणों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाना, प्रजनक बीजों का उत्पादन तथा प्रमाणित बीजों का वितरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कपास विकास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जिसका उद्देश्य कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देना, विपणन अवस्थापना में सुधार लाना तथा जिनिंग और प्रैसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करना है।

बैंकिंग उद्योग का औद्योगिक क्षेत्र हेतु पैकेज

2668. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग का औद्योगिक क्षेत्र को मंदी से उबारने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिए सक्षम बनाने हेतु विशेष पैकेज बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक तथा ऋण नीति और समय-समय पर इसमें किए गए परिवर्तनों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को उधार देने संबंधी नीतियों सहित बैंकिंग उद्योग के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं। ऐसी नीतियां तैयार करने के लिए समष्टि आर्थिक विकास से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं विवेकपूर्ण मानदंडों और एक्सपोजर मानदंडों का अनुपालन करती हैं। तथा किसी परियोजना को ऋण उक्त प्रस्ताव पर उनके वाणिज्यिक प्रतिफलों पर आधारित होता है। इन नीतियों के अनुसरण में औद्योगिक क्षेत्र (बड़े व मझौले) को सकल बकाया बैंक ऋण मार्च 1996 के अंत के 93,053 करोड़ से बढ़कर मार्च, 1998 के अन्त में, 1,17,530 करोड़ रु० हो गया है।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का तुलनपत्र

2669. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए एक मानकीकृत तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा विवरण को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के लिए मानवीकृत तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा विवरण के फार्मेट को अन्तिम रूप देना उस समूह की सिफारिशों पर निर्भर है, जिसने पर्याप्त प्रकटीकरण के लिए फार्मेट को तैयार करने की कार्रवाई प्रारम्भ की है।

कोल इंडिया लि० में पेंशन योजना

2670. **श्री नरेश पुगलीया** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० और इसकी अनुषंगी कम्पनियां इस योजना के अन्तर्गत 1989 से उनके वेतन से 2 प्रतिशत राशि काट रही हैं;

(घ) यदि हां, तो कम्पनीवार आज तक कुल कितनी राशि उनके वेतन से काटी गई है;

(ङ) क्या यह धनराशि भविष्य निधि आयुक्त या किसी अन्य एजेंसी के पास जमा की गई है; और

(च) यदि हां, तो कम्पनीवार कुल धनराशि कितनी है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा 31.3.98 को कोयला खान पेंशन योजना को अधिसूचित किया गया है। यह योजना कोयला खान परिवार पेंशन योजना 1971 के बदले में है। योजना का विवरण दि० 5.3.98 की अधिसूचना संख्या 123 (ई) में उपलब्ध है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं :–

(i) अधिवर्षिता पेंशन

(ii) विकलांगता पेंशन

(iii) विधवा/विधुर पेंशन

(iv) शिशु/अनाथ पेंशन

(ग) और (घ) कोल इंडिया लिमिटेड और अनुषंगी कंपनियों द्वारा कुछ अधिकारियों, न्यायालय के मामले में लंबित निर्णय को छोड़कर 1.4.89 से पात्र कर्मचारियों के वेतन में से 2% राशि की कटौती की जा रही थी। इन मामलों में भी 1.4.89 से कटौती की जा रही है। दिनांक 31.3.98 तक की गई कटौती की राशि का कंपनीवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :–

कोयला कंपनी	करोड़ रु० में
ई०सी०एल०	191.8100
बी०सी०सी०एल०	182.8776
सी०सी०एल०	92.8282
डब्ल्यू०सी०एल०	90.8200
एस०ई०सी०एल०	103.5595
एन०सी०एल०	19.5900
एम०सी०एल०	20.9000
सी०एम०पी०डी०आई०एल०	4.3619
सी०आई०एल० (एन०ई०सी० सहित)	7.3322

कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोयला खान पेंशन स्कीम 1998 के अनुसार मासिक आधार पर 1.4.98 से कटौती की जा रही है।

(ङ) और (च) को०इं०लि० और उसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा कटौती की गई राशि को निरंतरता के आधार पर जमा किया जा रहा है। फरवरी 1999 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

कोयला कंपनी	करोड़ रु० में
ई०सी०एल०	16.0000
बी०सी०सी०एल०	शून्य
सी०सी०एल०	73.0000
डब्ल्यू०सी०एल०	90.8200
एस०ई०सी०एल०	103.5595
एन०सी०एल०	19.4826
एम०सी०एल०	20.9000
सी०एम०पी०डी०आई०एल०	1.8000
सी०आई०एल० (एन०ई०सी० सहित)	4.8873

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग में आरक्षित पदों का बैकलॉग

2671. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग में बकाया आरक्षित रिक्त पद कितने हैं; और

(ख) इन बकाया रिक्त पदों को 31 जनवरी, 1999 तक भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हॉट रोल्ड वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

2672. **श्री यू०वी० कृष्णमराजु :**
श्री जयराम आई०एम० शेट्टी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल और निजी क्षेत्र की बड़ी इस्पात कंपनियों ने हॉट रोल्ड वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल और अन्य बड़ी इस्पात कंपनियों ने अभी 23 महीने पूर्व हॉट रोल्ड वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण और इस प्रकार दोबारा वृद्धि करने का औचित्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू किए जाने और तदुपरान्त 16 जनवरी, 1992 से इस्पात के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने से इस्पात, जिसमें तप्त बेल्लित मदें भी शामिल हैं, के मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंदीयुक्त बाजार में बिक्री से निवल प्राप्ति में सुधार करने के प्रयास के लिए उत्पादकों द्वारा तप्त बेल्लित मदों के मूल्यों को हाल ही में समायोजित किया गया था।

"मोडवैट" का दुरुपयोग

2673. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में "मोडवैट" का अत्याधिक दुरुपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मोडवैट के अन्तर्गत राज्यवार शुल्क/कर अपवंचन के कुल मामलों तथा इसमें अंतर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) मोडवैट का दुरुपयोग रोकने के लिए वैधानिक और प्रशासनिक पक्षों के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान कितना अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया और चालू वर्ष के दौरान कितना राजस्व जुटाया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (घ) अद्यतन सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग

2674. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपना विदेशी मुद्रा विभाग आंशिक रूप से कलकत्ता से मुम्बई स्थानांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह निर्णय लेने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सोने के जेवरों का निर्यात

2675. **श्री सोहनवीर सिंह :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोने के जेवरों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान सोने के जेवरों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को सोने के जेवर निर्यात किए गए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश से स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल में उठाए गए कुछ अधिक महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं--(i) निर्यातोन्मुख एककों (ई०ओ०यू०)/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के एककों (ई०पी०जेड०) को पूर्ववर्त्ती वर्ष के निर्यात मूल्य का 10% सादे स्वर्ण आभूषणों के प्रति 10 ग्राम पर 400

रु० की रियायती शुल्क दर के भुगतान पर और जड़ित आभूषणों के संबंध में 5% के शुल्क पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी०टी०ए०) में बिक्री करने की अनुमति दी गई है; (ii) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना (ई०पी०सी०जी०) के अधीन शून्य शुल्क आयात के लिए आरंभिक सीमा को पूर्ववर्त्ती 20 करोड़ रु० के स्तर को घटाकर केवल 1 करोड़ रु० कर दिया गया है; (iii) मूल्यवर्द्धन और रद्दी संबंधी मानकों का युक्तीकरण; (iv) प्लैटिनम/चांदी आभूषणों को भी पुनः पूर्ति लाइसेंस योजना के तहत ला दिया गया है; (v) निर्यात संवर्द्धन दौरों के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर तक के आभूषणों के नमूने निजी तौर पर ले जाने की अनुमति; (vi) विदेशी बाजार में प्रदर्शनी/बिक्री के लिए ब्रान्डेड आभूषणों के निर्यात की स्वीकृति बशर्ते कि इसे 180 दिनों में नहीं बेचा जाता है तो उसके 45 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाए; (vii) निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के एककों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी०टी०ए०) एककों से सोना/चांदी/प्लैटिनम के बदले उप-संविदा आधार पर मशीन से निर्मित सोना/चांदी/प्लैटिनम आभूषण लेने की अनुमति दी गई है; (viii) भारतीय रिजर्व बैंक को कीमती धातुओं में व्यापार करने के लिए बैंकों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तद्नुसार, आर०बी०आई० ने आज की तारीख तक 13 बैंकों को नामित किया है; (ix) सरकार द्वारा नामित एजेन्सियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों द्वारा किए जाने वाले कीमती धातुओं के आयात और उनकी आपूर्ति संबंधी क्रियाविधि को सरल बनाया गया है; और (x) भारत सरकार द्वारा की गई पहल के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के जरिए सर्राफा की आपूर्ति पर से बिक्री कर को हटा लिया है और कुछ दूसरी राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा नामित अभिकरणों/आर०बी०आई० द्वारा प्राधिकृत बैंकों द्वारा सर्राफा की आपूर्ति पर वसूले जा रहे बिक्री कर की दर को काफी घटा दिया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए स्वर्ण आभूषणों के निर्यात लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, जिन प्रमुख देशों को स्वर्ण-आभूषणों का निर्यात किया गया था, उनके नाम हैं (i) संयुक्त राज्य अमरीका (ii) यूनाइटेड किंगडम (iii) संयुक्त अरब अमीरात (iv) जापान (v) कुवैत (vi) जर्मनी (vii) सिंगापुर (viii) हांगकांग (ix) आस्ट्रेलिया (x) बेल्जियम (xi) बहरीन (xii) कनाडा (xiii) नीदरलैंड (xiv) न्यूजीलैंड (xv) ओमान (xvi) कतार (xvii) रूस (xviii) स्विट्जरलैंड (xix) दक्षिण फ्रीका (xx) स्पेन (xxi) फ्रांस।

टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया

2676. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने पिछले 4 साल से वेतन न मिलने के कारण व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें वेतन दिलाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) टैफ्को को बंद करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश तथा सरकारी लिक्यूडेटर की नियुक्ति होने के फलस्वरूप, कंपनी का प्रबंधन कर्मचारियों को समय पर वेतन देने को सुनिश्चित कर पाने में असमर्थ रहा है और कुछ आंदोलन भी हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार ने कंपनी को गैर योजना निधियां जारी की हैं तथा कर्मचारियों को 60 दिनों की मजदूरी के समतुल्य तदर्थ भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योग इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि

2677. श्री आर०एस० गवई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु उद्योग इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एककों को अपनी उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक बनाने तथा उन्नत एवं अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान एक प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि (टी०डी०एम०एफ०) की स्थापना की गई है। इस उद्देश्य के लिए सिडबी द्वारा 200 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना में लघु उद्योग एककों तथा लघु उद्योग क्षेत्र से श्रेणीबद्ध हुए एककों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है। प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को टी०डी० एम०एफ० के अंतर्गत सिडबी द्वारा पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान की जाती है।

पिछले दो वर्षों (28 फरवरी, 1999 तक) में सिडबी ने पुनर्वित्त सहित टी०डी०एम०एफ० के अधीन 143.40 करोड़ रु० की सहायता प्रदान की है।

सीमेंट उद्योग में मंदी

2678. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों के दौरान देश का सीमेंट उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 में सीमेंट उद्योग की विकास दर क्रमश: 9.5% और 9.1% रही है। तथापि, चालू वर्ष में अप्रैल 1998 से फरवरी 1999 तक की अवधि में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी आने के कारण सीमेंट उद्योग की विकास दर घटकर 5.2% हो गई है जिसके परिणामत: मांग में कमी आई।

(ख) वर्ष 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने आवास निर्माण और सड़कों सहित अवसंरचनात्मक विकास के लिए भी एक व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इन उपायों से सीमेंट की मांग में सुधार आने की आशा है।

जम्मू और कश्मीर में पशमीना शिल्प को बढ़ावा देना

2679. श्री चमन लाल गुप्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार से पारम्परिक पशमीना शिल्प को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार को जम्मू व कश्मीर हथकरघा विकास निगम लि० से 1995-96 के दौरान पशमीना शिल्प के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम को 29.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे तथा 50% राशि जारी की गई थी। 200 नमूने विकसित किये गये हैं जिनको दिल्ली में प्रदर्शित किया गया था।

आवास और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2680. श्री ए० वैंकटेश नायक :
श्री नादेन्दला भास्कर राव :
श्री विष्णु तुपे :
श्री टी०आर० बालू :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आवास और शहरी बुनियादी सुविधाओं तथा कोयला क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें पृथक रूप से विदेशी निवेश की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पास आवास क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए मानदण्डों में और संशोधन के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) जी हां, सरकार ने दिसम्बर, 1998 तक आवास तथा शहरी बुनियादी क्षेत्र में कुल 789 प्रस्ताव तथा ईंधन क्षेत्र (कोयले सहित) में दोनों वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग संबंधी 526 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनमें क्रमश: 40658.89 करोड़ रुपये तथा 57779.65 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

निवेश के क्षेत्र उत्पत्ति तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त निवेश से संबंधित ब्यौरे एस०आई०ए० न्यूजलेटर में मासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं जिन्हें संसद पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

इस समय आवास क्षेत्र में कोई प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास लम्बित नहीं है।

(ङ) और (च) जी हां, सरकार ने आटोमोटिक रूट के अन्तर्गत हाइड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत संयंत्रों में उत्पादित विद्युत ऊर्जा के सृजन तथा संप्रेषण कार्यकलाप, कोयला लिग्नाइट आधारित 1500.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत वाले तेल आधारित तथा गैस आधारित ताप संयंत्रों और सड़कों, राजमार्गों, वाहन के पुलों, टोल मार्गों, वाहन सुरंगों पत्तनों और बन्दरगाहों के निर्माण तथा मरम्मत संबंधी कार्यकलापों के संबंध में भी विदेशी सहयोगों को 100% तक शेयरों को जारी करने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव

2681. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा० सुशील इन्दौरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्राप्त और स्वीकृत किए गए विदेशी

पूंजी निवेश के प्रस्तावों और स्वीकृत पूंजी निवेश की राशि की तुलना में देश में वास्तविक पूंजी निवेश बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान क्रमशः कुल कितनी राशि के पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि का वास्तविक निवेश किया गया; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कितनी राशि के विदेशी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है और अब तक वास्तव में कितनी राशि का विदेशी पूंजी निवेश किया गया है और स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश तथा वास्तविक निवेश की राशि के बीच अंतर के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) वर्ष 1995, 1996, 1997 तथा 1998 के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन तथा अंतर्प्रवाह निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन (सार्वभौमिक निक्षेप प्राप्तियां समाहित)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह (सार्वभौमिक निक्षेप प्राप्तियां समाहित)
1995	32072	6820
1996	36147	10389
1997	54891	16425
1998	30814	13320

कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह अनुमोदन अनुपात लगभग 29.3% हैं। अंतर्प्रवाहों तथा अनुमोदनों के बीच अंतर विशाल परियोजनाओं में अंतर्प्रवाहों में अपेक्षाकृत ज्यादा विलम्ब (जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों का लगभग 50% बनता है) के साथ अनुमोदित परियोजनाओं की तैयारी की परिवर्ती अवधियों के कारण है।

मध्य प्रदेश में साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परियोजनाएं

2682. डा० महंत चरण दास : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई परियोजनाओं का विशेषरूप से मध्य प्रदेश में स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना से इसकी स्थापना के पश्चात् से गत वित्तीय वर्ष के अंत तक वर्षवार कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया है; और

(ग) अब तक निकाले गए कोयले की बिक्री से अर्जित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) प्रारंभ से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा गठित परियोजनाओं के स्थलवार ब्यौरे और ऐसी परियोजनाओं से उत्खनित कोयले की वर्षवार मात्रा संलग्न विवरण में दशाई गई है। परियोजना, जिनके लिए संलग्न विवरण में सूचना दी गई है, को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :—

1. अब तक चालू परियोजनाएं — 32 परियोजनाएं
2. अब तक पूर्ण मानी गई परियोजनाएं लेकिन कंपनी के निगमन के बाद स्थापित की गई और पुनर्संगठन संबंधी परियोजनाओं को पूरा किया गया जोकि कंपनी के निगमन की तिथि को क्रियान्वयन के अधीन थे। — 49 परियोजनाएं
3. सीमांतक योजनाएं — 3 परियोजनाएं

जोड़ : 84 परियोजनाएं

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं से उत्खनित कोयले की बिक्री द्वारा अर्जित वर्षवार राशि के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :—

वर्ष	उत्पादन (मि० टन)	उत्पादन की बिक्री कीमत (करोड़ रु० में)
86-87	23.750	445.88
87-88	25.653	516.04
88-89	28.138	648.75
89-90	33.301	833.67
90-91	36.700	983.96
91-92	38.859	1112.22
92-93	40.775	1379.09
93-94	44.756	1645.77
94-95	45.186	1807.62
95-96	48.501	2065.03
96-97	50.686	2479.10
97-98	51.958	2839.24

बिक्री कीमत कंपनी की औसत बिक्री कीमत के आधार पर परिकलित की गई है।

विवरण

सा०ई०को०लि० की परियोजनाओं के उत्पादन कार्य-निष्पादन

क्रम सं०	परियोजना के नाम	स्थल		अंतिम क्षमता	स्वीकृत पूंजी		
		क्षेत्र	जिला			1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8
चालू परियोजनाएं							
1.	झिलीमिली भू०ग०	बैकुंठपुर	कोरिया	0.3000	14.3652	—	—
2.	चुर्चा वेस्ट पीएसएलडब्लू	-वही-	कोरिया	0.6500	48.6106	—	—
3.	भासकरपारा भू०ग०	-वही-	कोरिया	0.2400	19.3459	—	—
4.	बगोली भू०ग०	भटगांव	कोरिया	0.2100	19.4041	—	—
5.	कल्याणी भू०ग०	-वही-	सरगुजा	0.1200	9.6613	—	—
6.	अम्बा भू०ग०	-वही-	सरगुजा	0.1800	17.9526	—	—
7.	नवपारा भू०ग०	-वही-	-वही-	0.1800	19.1459	—	—
8.	शिवानी भू०ग०	-वही-	-वही-	0.2700	23.9300	—	—
9.	महान ओ०का०	-वही-	-वही-	0.3600	41.9500	—	—
10.	गायत्री भू०ग० आरपीआर	बिसरामपुर	-वही-	0.3000	21.8400	—	—
11.	न्यू कुम्दा भू०ग० आर०पी०आर०, पीएसएलडब्लू	-वही-	-वही-	0.6000	45.3194	—	—
12.	बलरामपुर भू०ग०, आर०पी०आर०, पीएसएलडब्लू	-वही-	-वही-	0.5400	47.7902	—	—
13.	रेहर भू०ग० आर०पी०आर०	-वही-	-वही-	0.3100	26.3000	—	—
14.	रानी अतरी भू०ग०	चिरीमिरी	कोरिया	0.1800	17.9506	—	—
15.	चिरीमिरी जीरो सीम आर०पी०आर०	-वही-	सरगुजा	0.4343	49.2130	—	—
16.	दीपिका ओ०का० विस्तार	गेवरा	कोरबा	10.0000	533.9600	—	—
17.	कुरजा भू०ग०	हसदेव	शहडोल	0.4000	18.9306	—	—
18.	बेहराबंद भू०ग०	-वही-	-वही-	0.6000	48.3883	0.02	0.043
19.	कपिलधारा भू०ग० औग०	-वही-	-वही-	0.5100	47.3068	—	—
20.	शीतलधारा भू०ग०	-वही-	-वही-	0.5100	48.2218	—	—
21.	बरतरई भू०ग०	-वही-	-वही-	0.2250	19.2463	—	—

विवरण

सा०ई०को०लि० की परियोजनाओं के उत्पादन कार्य-निष्पादन

(लाख टन में)

उत्पादन									
1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	0.01	0.09	0.26	0.43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.11	14.90	21.18	22.21	31.55	35.50	41.80	46.30	50.25	54.41
–	–	–	–	0.12	0.57	0.95	1.33	1.54	1.20
0.81	1.14	1.61	1.88	2.30	3.23	3.69	3.28	3.03	2.90
–	–	–	–	–	–	0.31	1.85	2.64	3.24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	अमादांद-ए भू०ग०	जे०एण्ड०के०	शहडोल	0.2400	19.8214	—	—
23.	विंध्या भू०ग० औग०	जोहिला	उमरई	0.5850	49.9025	—	—
24.	दिनौरा भू०ग० औग०	-वही-	-वही-	0.4800	49.9291	—	—
25.	उमरई भू०ग० आर०ओ०	-वही-	-वही-	0.3000	13.9460	—	—
26.	पिपरीया भू०ग० आर०पी०आर०	-वही-	-वही-	0.2400	17.6238	—	—
27.	सिंघाली भू०ग०	कोरबा	कोरबा	0.2400	15.8186	—	—
28.	बगदेवा भू०ग०	-वही-	-वही-	0.2400	18.5889	—	—
29.	बगदेवा ओ०का०	-वही-	-वही-	0.2000	11.6000	—	—
30.	करकटी भू०ग०	सोहागपुर	शहडोल	0.1650	15.4051	—	—
31.	नवागांव भू०ग० आर०सी०ई०	-वही-	-वही-	0.3000	16.4444	—	—
32.	राजेन्द्र भू०ग० आर०पी०आर० पी०एस०एल०डब्लू०	-वही-	-वही-	0.6400	48.5664	—	—
						0.02	0.43

कुल चालू परियोजनाएं
पूर्ण परियोजनाएं

1.	दुग्गा ओ०का०	भटगांव	सरगुजा	0.5000	46.0024	—	—
2.	महामाया भू०ग०	-वही-	-वही-	0.2700	18.5040	—	—
3.	भटगांव भू०ग० आर०सी०ई०	-वही-	-वही-	0.5000	19.9174	5.36	5.88
4.	बिसरामपुर भू०ग० आर०यो०	-वही-	-वही-	0.9000	6.7098	8.22	8.18
5.	बिसरामपुर ओ०का०	-वही-	-वही-	1.2500	22.2169	7.43	10.33
6.	चुर्चा विस्तार	बैकुंठपुर	कोरिया	1.0000	7.9321	9.00	6.80
7.	पांडवपारा भू०ग०	-वही-	-वही-	0.2100	19.3258	—	—
8.	चुर्चा वेस्ट आर०पी०आर० (बी० एण्ड पी०)	-वही-	-वही-	0.6000	43.2685	0.56	2.11
9.	करकोना री-अप्रैसल भू०ग०	-वही-	-वही-	0.2250	10.0002	1.72	1.70
10.	चुर्चा वेस्ट (एल०डब्लू०) भू०ग०	-वही-	-वही-	0.6000	32.6300	•एल०डब्लू० फेस	1990
11.	कुरासिया ओ०का० आर०पी०आर०	चिरीमिरी	कोरिया	1.0000	18.6276	9.24	9.15

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.77
—	—	—	—	—	0.11	0.58	1.03	1.26	1.31
—	—	—	—	—	—	—	0.55	1.06	1.42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.26	0.87	1.17	1.38	1.40	1.43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.92	16.04	22.79	24.09	34.23	40.28	48.51	55.61	61.44	68.86
0.48	1.50	1.62	1.75	2.01	2.42	2.92	3.24	4.03	5.02
—	—	—	—	0.04	0.47	1.10	1.79	2.53	2.87
6.27	5.80	5.28	5.07	4.21	4.43	4.24	4.03	4.10	4.11
8.89	9.07	8.95	8.90	7.99	8.57	8.75	9.05	8.97	6.53
10.72	10.34	10.10	11.29	11.30	10.99	12.42	11.96	12.50	12.61
6.87	7.31	7.36	6.89	6.79	3.97	2.70	3.86	4.43	4.56
—	—	—	—	0.06	0.24	0.79	1.23	1.40	1.67
2.40	2.04	2.92	2.47	3.15	3.83	4.16	4.44	4.74	4.86
1.90	2.12	2.20	2.13	2.13	2.28	2.25	2.35	2.78	2.90

शुरू किए गए। लेकिन तीन महीने के बाद गिर गए। उत्पादन क्र०सं० 8 में शामिल हैं।

8.01	8.18	7.90	7.40	7.77	8.17	8.20	8.21	7.23	7.40

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	एन०सी०पी०एच० आर०ओ० भू०ग०	चिरीमिरी	कोरिया	0.5800	8.3627	4.13	4.74
13.	चिरीमिरी ओ०का०	-वही-	-वही-	0.0000	18.7098	—	2.80
14.	वेस्ट चिरीमिरी भू०ग०	-वही-	-वही-	0.6000	9.3590	5.88	5.25
15.	दिपीका ओ०का०	गेवरा	कोरबा			दीपीका ओ०का० विस्तार में शामिल	
16.	गेवरा ओ०का० विस्तार/औग०	-वही-	-वही-	0.0000	224.3900	49.97	65.00
17.	सोमना भू०ग०	हसदेव	शहडोल	0.5500	44.8496	—	—
18.	वेस्ट जे०के०डी०बी० सीम भू०ग०	-वही-	-वही-	0.1600	7.3792	1.74	1.71
19.	बिजुरी भू०ग० आर०पी०आर०	-वही-	-वही-	0.4800	12.7541	5.02	5.00
20.	रामनगर भू०ग० आर०ओ०	-वही-	-वही-	0.7200	23.2273	9.24	8.35
21.	डोला ओ०का०	-वही-	-वही-	0.3500	15.3570	—	—
22.	राजनगर ओ०का०	-वही-	-वही-	1.0000	25.5394	11.78	12.49
23.	राजनगर आर०ओ० आर०सी०ई०	-वही-	-वही-	0.7220	19.9264	4.22	4.71
24.	विंध्या भू०ग०	जोहिला	उमरई	0.3000	18.3018	—	—
25.	पाली भू०ग०	-वही-	-वही-	0.5000	26.9817	0.59	1.15
26.	पिनौरा भू०ग०	-वही-	-वही-	0.3100	19.3108	—	—
27.	भद्रा भू०ग०	जे० एण्ड के०	शहडोल	0.2250	2.1671	1.18	1.41
28.	गोविंदा भू०ग० आर०ओ०	-वही-	-वही-	0.6000	12.8479	5.66	6.12
29.	कोटमा वेस्ट ओ०का०	-वही-	-वही-	0.2000	9.4718	—	—
30.	हरद इन्कलाइन	-वही-	-वही-	0.1200	4.4925	—	—
31.	जमुना ओ०का०	-वही-	-वही-	0.6000	18.0699	6.25	6.82
32.	जमुना भू०ग० आर०ओ०	-वही-	-वही-	0.3000	10.6003	1.63	1.58
33.	कोटमा भू०ग० आर०ओ०	-वही-	-वही-	0.6000	9.6697	5.34	5.12
34.	पवन इन्कलाइन	कोरबा	कोरबा	0.1200	6.9414	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.21	5.20	5.23	5.26	5.22	5.41	5.48	5.19	5.34	4.74
4.11	3.91	3.41	3.15	3.30	3.20	2.69	3.00	3.87	4.15
5.08	4.40	3.48	3.40	3.68	3.31	2.71	2.90	2.56	2.47
चालू परियोजना।									
82.10	97.10	112.11	12.00	133.02	140.45	146.29	154.45	168.33	178.81
—	—	—	—	—	—	2.44	2.72	2.88	3.17
1.82	2.03	1.87	1.75	1.65	1.49	1.51	1.45	1.33	1.20
5.03	4.56	4.17	3.82	4.26	4.74	3.44	3.47	3.53	4.17
8.54	7.81	7.55	6.76	7.46	7.16	6.59	5.98	6.34	6.37
—	0.03	9.90	11.73	—	—	—	—	—	—
13.00	13.00	2.50	1.46	13.90	14.36	18.66	15.53	14.60	14.12
5.80	6.69	8.26	7.60	7.42	7.58	8.06	8.36	7.78	7.40
—	—	—	—	—	—	0.04	0.54	1.22	1.79
1.41	2.34	3.00	3.06	3.20	3.60	3.57	3.60	3.40	3.14
—	0.05	0.62	1.50	1.80	2.03	2.21	2.03	2.56	2.45
1.52	1.47	1.40	1.56	1.73	1.53	1.50	1.51	1.31	1.12
6.52	6.98	6.79	6.24	5.56	3.93	3.35	3.22	2.97	2.72
—	—	—	—	—	—	1.08	2.53	4.82	3.70
—	—	—	—	0.02	0.15	0.65	0.83	0.92	0.91
7.22	6.80	8.38	8.44	7.96	4.89	5.50	9.71	8.00	9.43
2.15	2.10	2.51	3.02	3.49	3.56	4.13	4.47	4.69	4.05
5.59	5.65	5.48	5.38	5.29	4.77	4.47	4.91	4.89	4.21
—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.81	1.15

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	बालगी भू०ग०	कोरबा	कोरबा	0.6000	28.0044	1.86	1.60
36.	राजनगर भू०ग० आर०ओ०	कोरबा	कोरबा	0.3000	33.9245	2.62	2.44
37.	मनिकपुर ओ०का०	-वही-	-वही-	1.9400	10.9344	18.00	16.86
38.	दिलवाडीह भू०ग०	-वही-	-वही-	0.2700	15.3427	—	—
39.	लक्ष्मण ओ०का० औग०	कुसमुंदा	कोरबा	0.7000	16.6638	—	—
40.	लक्ष्मण ओ०का०	-वही-	-वही-	0.8000	19.1517	—	—
41.	कुसमुंदा ओ०का० आर०सी०ई०	-वही-	-वही-	6.0000	168.4500	51.15	47.03
42.	चल इन्कलाइन भू०ग०	रायगढ़	रायगढ़	0.1350	8.2204	—	—
43.	झरम पायलट इन्कलाइन भू०ग०	रायगढ़	रायगढ़	0.1350	8.2620	—	—
44.	सरदा ओ०का०	सोहागपुर	शहडोल	0.5000	18.7088	—	4.27
45.	धनपुरी ओ०का० आर०सी०ई०	-वही-	-वही-	1.2500	54.6950	6.23	4.45
46.	अमलई ओ०का० आर०सी०ई०	-वही-	-वही-	0.7000	46.6125	—	—
47.	न्यू चचई आर०ओ० भू०ग०	-वही-	-वही-	0.3100	12.3781	3.46	3.05
48.	बंगवार भू०ग० आर०पी०आर०	-वही-	-वही-	0.3600	27.5485	—	—
49.	नंद इन्कलाइन भू०ग०	रायगढ़	रायगढ़	0.1350	—	—	—
	कुल पूर्ण परियोजनाओं का जोड़ :					237.48	256.10
आंशिक योजनाएं							
1.	सुभाष इन्कलाइन	सोहागपुर	शहडोल	0.1500	—	—	—
2.	पालकीमारा	हसदेव	शहडोल	0.1100	—	—	—
3.	विवेकनगर इन्कलाइन	सोहागपुर	शहडोल	0.1000	—	—	—
	आंशिक योजनाओं का कुल जोड़ :					0.00	0.00

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.20	2.38	3.43	4.20	5.22	6.03	5.56	5.83	5.77	4.42
2.72	3.27	3.03	2.87	3.14	3.75	3.52	2.59	2.12	2.36
17.07	20.00	20.97	18.08	18.13	2.29	22.03	21.25	21.60	19.14
—	—	—	—	0.16	1.52	2.11	2.07	2.39	2.16
1.33	15.10	20.91	24.12	26.72	47.12	31.51	30.13	31.59	33.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.45	40.00	42.29	41.09	44.18	47.06	47.38	51.24	48.93	44.91
—	—	—	—	—	—	0.11	0.55	0.99	1.49
—	—	—	—	—	—	0.33	0.70	1.00	1.41
2.84	4.22	4.67	4.39	4.45	3.56	4.09	4.83	5.30	5.11
8.17	8.22	6.85	10.16	9.52	11.07	5.17	9.33	7.96	10.76
—	2.57	3.24	1.34	0.10	1.08	1.67	5.11	4.15	3.38
3.15	2.70	2.46	2.51	2.68	2.85	2.12	1.85	1.51	1.51
—	0.10	0.54	0.93	1.49	2.18	1.88	2.84	3.61	3.64
—	—	—	—	—	0.01	0.08	0.29	0.41	0.40
275.57	315.04	341.75	361.72	370.20	403.59	399.46	425.24	442.19	447.49
0.74	1.23	1.29	1.39	1.57	1.86	2.04	2.40	2.42	2.26
—	—	0.53	0.64	0.74	0.68	0.70	0.70	0.78	0.97
0.15	0.73	0.64	0.75	1.01	1.15	1.15	1.06	0.03	—
0.89	1.96	2.46	2.78	3.32	3.69	3.89	4.16	3.23	3.23

विदेशी बैंक

2683. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1997-98 और 1998-99 के दौरान काम कर रहे विदेशी बैंकों के घाटे/लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जून, 1998 से फरवरी, 1999 के दौरान विदेशी बैंकों ने भारतीय बैंकों से अधिक व्यवसाय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान, विदेशी बैंकों का लाभ और हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1998-99 के लिए तुलन-पत्र अभी देय नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) विदेशी बैंकों द्वारा संचालित बैंकिंग कारोबार के हिस्सा को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संचालित हिस्से से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अद्यतन वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। 1997-98 के दौरान 80% से अधिक का कारोबार किया।

विवरण

1997-98 के लिए विदेशी बैंकों का निवल लाभ/हानि

(करोड़ रु० में)

बैंक का नाम	राशि
1	2
आबूधाबी कमर्शियल बैंक लि०	2.05
ए०बी०एन० आम्रो बैंक एन०वी०	65.08
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि०	68.15
ए०एन०जेड० ग्रिंडलेज बैंक पी०एल०सी०	230.07
अरब बंगलादेश बैंक लि०	0.76
बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-9.06
बैंक आफ अमेरिका एन०टी० एंड एस०ए०	1.77
बैंक आफ बहरेन एंड कुवैत बी०एस०सी०	-15.24
बैंक आफ सिलोन	13.07
बैंक आफ नोवा स्कोटिया	7.07
बैंक आफ टोकियो मितसुबिसी लि०	-336.42
बैंक नेशनल द पेरिस	18.14
बारक्लेज बैंक पी०एल०सी०	5.07
ब्रिटिश बैंक आफ मिड्ल इस्ट	3.09
चैस मानहट्टन बैंक	3.14
चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0.002
सी०एच०ओ० हंग बैंक	4.12
सिटी बैंक एन०ए०	119.22
कमर्शियल बैंक कोरिया लि०	0.69
कामर्श बैंक ए०जी०	-0.84
क्रेडिट एग्रीकोल इंडोज्यूज	-14.74
क्रेडिट स्योनाइज	-5.51
ड्यूच बैंक ए०जी०	117.31
डेवलपमेंट बैंक सिंगापुर	1.49
ड्रेस्डनर बैंक ए०जी०	4.44
फुजी बैंक लि०	4.59
हानील बैंक	1.13
हांगकांग बैंक	72.74
आई०एन०जी० बैंक	10.75
कुंग थाई बैंक पब० कं० लि०	2.3
मश्रेक बैंक पी०एस०सी०	-9.02
ओमान इंटरनेशनल बैंक एस०ए०ओ०जी०	-3.25
ओवरसीज चाइनिज बैं०का०लि०	0.38
सान्वा बैंक लि०	3.7
स्यैम कमर्शियल बैंक	6.13
सोसायटी जनरल	10.35
सोनाली बैंक	1.8
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	66.7
स्टेट बैंक आफ मॉरिसियस बैंक	8.7
सकुरा बैंक लि०	1.57
सम्मसियोमो बैंक लि०	2.01
द टोटॉटो डोमिनिक्न बैंक	1.24
कुल	629.972

[हिन्दी]

बीमा कम्पनी के पास लंबित दावे

2684. **श्री रामटहल चौधरी :**
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक सामान्य बीमा निगम की प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी के पास लंबित दावों/प्रलेखों के मामलों की अनुषंगी कम्पनी-वार और राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त में से कितने मामले तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं और ऐसे मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का, ऐसी बीमा कम्पनियों पर दण्ड लगाने का प्रस्ताव है जिन्होंने ऐसे मामलों के निपटान में असाधारण विलम्ब किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि इसकी चारों अनुषंगी कम्पनियों में 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार लम्बित दावों/दस्तावेजों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :–

कम्पनी	31.12.98 की स्थिति के अनुसार लम्बित दावों/दस्तावेजों की संख्या (अनन्तिम)	
	दावे	दस्तावेज
नेशनल	1,63,296	2,06,920
न्यू इंडिया	2,53,307	3,79,156
ओरियन्टल	2,47,257	2,16,248
यूनाइटेड	2,83,735	5,78,544
योग	9,47,595	13,80,868

कम्पनियों द्वारा उपर्युक्त सूचना राज्यवार आधार पर नहीं रखी जाती है।

(ख) सूचित किया गया है कि 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की कुल संख्या 1,55,190 है जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत मामले मोटर तीसरे पक्षीय दावों से संबंधित हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में निर्णयाधीन हैं। दावों के निपटान में विलम्ब के लिए अन्य प्रमुख कारण हैं–(i) दावों की जटिल प्रकृति जिनके मूल्यनिर्धारण में अधिक समय लगता है; (ii) बीमाकर्ता की देयता और/अथवा मुआवजे की राशि विवादास्पद होते हैं; और (iii) मोटर तीसरे पक्षीय दावे जो मुकदमेबाजी के विषय होते हैं।

(ग) और (घ) जहां तक बीमा कम्पनियों पर जुर्माना आरोपित करने का संबंध है, उल्लेख किया जाता है कि बीमा के संविदा में दावे की राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं होता है और यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा तथा बीमा अधिनियम, 1938 के समनुरूप भी नहीं है। तथापि, ब्याज भुगतान केवल उसी स्थिति में किए जाते हैं जब मुकदमेबाजी के अन्तर्गत दावों के संबंध में सक्षम न्यायालयों द्वारा इन्हें अधिनिर्णीत किया गया हो।

उत्तर प्रदेश में कागज की मिलें

2685. **श्री शैलेन्द्र कुमार :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना बहुल क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में कागज की मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य में कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए कागज उद्योग की संभावनाओं पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कागज उद्योग लाइसेंस मुक्त है। उद्यमियों को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के औद्योगिक सहायता सचिवालय में केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई०ई०एम०) प्रस्तुत करना होता है। उत्तर प्रदेश में कागज मिलों की स्थापना करने के लिए 1991 से फरवरी, 1999 तक 3066 लाख टन वार्षिक क्षमता के 186 आई०ई०एम० दायर किए गए हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० द्वारा फैरी सिलिकान की आपूर्ति हेतु विश्वव्यापी निविदाएं

2686. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम (आर०आई०एन०एल०) ने वर्ष 1993-94 के दौरान अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए 11500 टन फेरी सिलिकान की आपूर्ति हेतु अप्रैल, 1993 में विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी अपनी वार्षिक आवश्यकता और उसकी पूर्ति के स्रोतों का अनुमान लगाने में असफल रही थी और

अगस्त, 1993 में घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को केवल 600 टन की खरीद हेतु आदेश दिया गया था;

(ग) क्या वार्षिक आवश्यकता का अनुमान लगाने में असफलता और निर्धारित अवधि में आदेश न देने के कारण 217.39 लाख रुपए व्यर्थ व्यय किए गए; और

(घ) यदि हां, तो इस अनावश्यक व्यय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर०आई०एन०एल०) वी०एस०पी०) ने वर्ष 1993-94 के लिए 11500 टन फैरो सिलिकॉन की अधिप्राप्ति के लिए अप्रैल, 1993 में विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की थीं। बोलियां जून, 1993 में खोली गई थीं। आयात की उतराई तक वी लागत स्वदेशी पेशकशों की तुलना में काफी कम पाई गई जिसके कारण आयात की ओर आकर्षण हुआ। हालांकि उस समय आर०आई०एन०एल० के पास आयात हेतु कोई अग्रिम लाइसेंस नहीं था। अत: अगस्त, 1993 में एक स्वदेशी सप्लायर को 600 टन फैरो सिलिकॉन के आर्डर दिए गए। फैरो सिलिकॉन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाते हुए इसको भी 1993-94 में संवेदनशील सूची में रखा गया था तथा इस मामले को सरकार के साथ उठाया गया था ताकि इसे इस सूची से हटाया जा सके। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान वी०एस०पी०, वी०ए०बी०ए०एल० के तहत आयातों की अनिश्चितता की दुविधा में था और उत्पादन जारी रखने के लिए फैरो सिलिकॉन की अधिप्राप्ति की आवश्यकता थी। अत: अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तदर्थ खरीददारी की गई।

ऋणों की वसूली

2687. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा वसूल की गई ऋण की धनराशि कितनी है;

(ख) इसकी तुलना में अन्य राज्यों में कितने ऋण की वसूली की गई तथा वसूल की गई यह धनराशि कम है या अधिक; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों के आदिवासियों को ऋण की और अधिक सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) मध्य प्रदेश के संयोजक बैंक सेंट्रल बैंक आफ इंड़िया ने सूचित किया है कि 1660.38 करोड़ रुपए की मांग की तुलना में राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा वसूल की गई ऋण की राशि 704.27 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 70 करोड़ रुपए जनजातीय क्षेत्रों और 280 करोड़ रुपए पिछड़े क्षेत्रों से वसूल किए गये थे।

(ख) अखिल भारतीय स्तर की तुलना में मध्य प्रदेश में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के संबंध में उपलब्ध वसूली की स्थिति (1997-98) निम्नलिखित है :–

(करोड़ रुपए में)

	मध्य प्रदेश	अखिल भारत
मांग	280.24	1693.44
वसूली	139.91	770.35
मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत	49.9	45.5

(ग) प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण प्रवाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों सहित कमजोर वर्ग के लिए ऋण राशि के प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक ऋण योजनाएं (ए०सी०पी०) तैयार की जाती है और उनके कार्यान्वयन की निगरानी अग्रणी बैंक योजना के तहत सृजित विभिन्न मंचों द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड पर बकाया राशि

2688. **डा० शकील अहमद :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 1999 के "बिजनेस स्टेन्डर्ड" में "सी०आई०एल० अवेट्स अवॉर्ड ऑफ सेंट्रल टीम ऑन ड्यूज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अद्यतन जानकारी के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की बकाया राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने बकाया राशि की वसूली करने के लिए कोई नए प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत और इस्पात क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति हेतु कोयला कंपनियों की बहुत अधिक देय राशि है। इनमें से कुछ देय राशि पर राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विवाद खड़ा किया गया है और सरकार द्वारा इस मामले पर दावों और प्रतिदावों की सुनवाई एवं निर्णय के लिए अधिनिर्णायकों की नियुक्ति की गई है।

अधिनिर्णायकों के नाम और राज्य विद्युत बोर्डों के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :–

क्रम सं०	अधिनिर्णायक का नाम	राज्य विद्युत बोर्ड जिनके लिए अधिनिर्णायकों की नियुक्ति की गई है
1.	श्री आर०के० टिक्कू	बीटीपीएस, पीएसईबी, डेसू (डीवीबी), एचएसईबी
2.	श्री वी० कृष्णन	केपीसीएल, यूपीएसईबी, आरएसईबी
3.	श्री बी० विजयराघवन	जीईबी, एमएचईबी, एमपीईबी
4.	श्री आर० श्रीनिवासन	टीएनईबी, एपीएसईबी
5.	श्री एस०एम० मुरशीद	बीएसईबी, डब्लूबीएसईबी, डब्लूबीपीडीसी, डीपीएल और डीबीसी

बीटीपीएस, केपीसीएल, एमएसईबी, आरएसईबी, जीईबी, एमपीईबी और टीएनईबी के संबंध में अधिनिर्णायकों द्वारा अंतरिम अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं। इसमें दिए गए सिद्धांतों के आधार पर कोयला कंपनियां और राज्य विद्युत बोर्डों को देय राशि का हिसाब लगाना होगा और उन्हें अंतिम अवार्ड के लिए अधिनिर्णायकों के समक्ष पुनः दावे प्रस्तुत करने होंगे।

(ग) 31.1.1999 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० की क्षेत्रवार देय बकाया राशि के ब्यौरे नीचे दर्शाएं गए हैं :–

(करोड़ रु० में) डाटा अनंतिम

क्षेत्र	विवादित बकाया राशि	अविवादित बकाया राशि	जोड़
विद्युत	1768.65	2818.37	4587.02
इस्पात	625.14	183.12	808.26
अन्य	100.44	43.44	143.84
जोड़	2494.23	3044.89	5539.12

(घ) और (ङ) बकाया राशि की वूसली के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :–

1. राज्यों द्वारा प्राप्त केन्द्रीय सहायता से राज्य विद्युत बोर्डों की ओर कोयला बिक्री बकाया राशि की वसूली।
2. बकाया देय राशि के निपटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के साथ कोल इंडिया लि० और उसकी अनुषंगी कंपनियां लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हैं।
3. कुछ विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में ऊर्जा बिलों के एवज में समायोजन के द्वारा देय राशि की वसूली।
4. राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं के प्रतिनिधि स्वरूप कोल इंडिया लि० और विद्युत उपयोगिता परिषद के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार आई०आर०एल०सी० अथवा अग्रिम भुगतान के एवज में ही कोल इंडिया लि० और उसकी अनुषंगी कंपनियां विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति करेगी।
5. प्रत्याभूतिकरण के माध्यम से देय बकाया राशि की वसूली।
6. कोल इंडिया लि० ने राज्य विद्युत बोर्डों को भी यह अनुरोध किया है कि वे पुराने बकाया राशि को निपटाने की निर्धारित तिथि के बारे में बताएं। यदि निर्धारित तिथि के अंदर देय राशि को नहीं निपटाया जाता है तो कोयला कंपनियां कोयले की आपूर्ति रोकने के लिए बाध्य हो जाएंगी।

देश में हवाला मामले

2689. श्री रामानन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्य सरकार के किन-किन भूतपूर्व मंत्रियों और राजनेताओं के विरुद्ध हवाला मामले न्यायालयों में लंबित हैं; और

(ख) किन-किन राजनेताओं/भूतपूर्व मंत्रियों को निर्दोष पाया गया है तथा न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) महोदय, निम्नलिखित भूतपूर्व मंत्रियों/राजनीतिज्ञों के विरुद्ध अदालतों में हवाला मामले लम्बित पड़े है :–

सर्व/श्री

(i) बलराम यादव,

(ii) शरद यादव और

(iii) देवी लाल।

(ख) अदालतों द्वारा दोषमुक्त किए गये राजनीतिज्ञों/मंत्रियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

सर्व/श्री

1. आरिफ मोहम्मद खान
2. अर्जुन सिंह
3. एल०के० आडवाणी
4. यशवंत सिन्हा
5. कल्पनाथ राय
6. वी०सी० शुक्ला
7. माधव राव सिन्धिया
8. कमल नाथ
9. अरविंद नेताम
10. एल०पी० साही
11. बूटा सिंह

सर्व/श्री

12. सी०के० जाफर शरीफ
13. बी०डी० धकाने
14. आर०के० धवन
15. एन०डी० तिवारी
16. रंजीत सिंह
17. के० नटवर सिंह
18. हरमोहन धवन
19. एम०एल० खुराना
20. चांद राम
21. पी० शिव शंकर
22. मोती लाल बोहरा
23. अजीत कुमार पांजा
24. कैलाश जोशी

स्टॉक निवेश योजना

2690. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्टॉक" निवेश योजना लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतया विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त योजना की समीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण

2691. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से भारत को हाल ही में मंजूर किए गए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस ऋण पर देय ब्याज दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के ऋण हेतु अपनी परियोजनाएं विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) विश्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1998 से फरवरी, 1999 की अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के ऋणों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं :–

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राशि (मि० अमरीकी डालर)
1.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास	76.4
2.	महिला और बाल विकास	300.0
3.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास	134.0
4.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना अं०वि० एजेंसी का भाग	241.9
5.	उत्तर प्रदेश विविधिकृत कृषि सहायता, अं०वि० एजेंसी का भाग	50.0
6.	उत्तर प्रदेश-क्षारीय भूमि सुधार	194.1

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के ऋण ब्याज रहित होते हैं लेकिन इनके संवितरित भाग पर 0.5 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगाया जाता है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाना एक अनवरत प्रक्रिया है और किसी भी समय पर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन रह सकती हैं। वर्तमान में, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, शहरी विकास और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं, जो अभी कार्यान्वयनाधीन हैं। ये परियोजनाएं विश्व बैंक द्वारा विचार किए जाने की विविध अवस्थाओं में हैं।

[हिन्दी]

नई इस्पात नीति

2692. **श्री आनन्द रत्न मौर्य**
श्रीमती सूर्यकांता पाटील
मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी ए०वी०एस०एम०
श्री भेरुलाल मीणा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में सभी इस्पात संयंत्रों को व्यवहार्य बनाने के लिए कोई नई इस्पात नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रुग्ण मिलों को पुनः चालू करना

2693. **श्री मोहन रावले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात पैकेज पैटर्न की गोल्डन हैंडशेक स्कीम के आधार पर 34 रुग्ण मिलों को पुन: चालू करने हेतु पता लगाया है जिसके लिए सरकार को 2000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का पता लगाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए थे और यह धन किस प्रकार जुटाया जाएगा;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) एन०टी०सी० द्वारा किए गए एककवार अर्थक्षमता के आधार पर सरकार एन०टी०सी० के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ उनके अंतर्गत अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसमें बी०आई०एफ०आर० द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी०आई०एफ०आर० के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

अतिलघु और लघु उद्योगों संबंधी भट्ट समिति

2694. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 के दशक में भट्ट समिति ने सिफारिश की थी कि देश में अति लघु और लघु इकाइयों के लिए एक पृथक विधान लागू किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) 25 जनवरी, 1972 को गठित भट्ट समिति को ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने को कहा गया था जहां लघु उद्योगों के लिए कानून बनाना तथा कानून संबंधी मसौदा निष्पादित किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार, आई०डी०आर० अधिनियम को लघु उद्योग में विनिर्माण के लिए मदों का आरक्षण करने के लिए कानूनी प्रावधान करने हेतु 1984 में संशोधित किया गया था। लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा आई०डी०आर० अधिनियम के तहत शासित है। विशेष रूप से केवल लघु उद्योगों के लिए विलंबित भुगतान अधिनियम को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 1993 में लागू किया गया था। इस अधिनियम को और प्रभावशाली बनाने के लिए 1998 में संशोधित किया गया है।

एच०ई०सी० उत्पादों का कोटि-उन्नयन

2695. **श्री कमलनाथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन अपने उत्पादों के कोटि-उन्नयन के लिए कतिपय विदेशी फर्मों के साथ बातचीत चला रही है;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं, जिनके साथ बातचीत चल रही है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस हद तक ये उत्पाद लाभप्रद साबित होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (ग) विभिन्न कंपनियों के साथ एच०ई०सी० का विचार-विमर्श केवल पद्धति स्थापित करने के लिए सेवा प्रदान करने वाला होता है। इस परिस्थिति में यह एच०ई०सी० के हित में नहीं होगा कि इन कंपनियों के नाम बताए। उत्पादों की लाभदायकता प्रौद्योगिकी विकल्प, प्रोसेस और सामग्री लागत जिनको विचार-विमर्श के प्रारम्भिक चरणों जिन्हें अभी तक जोड़ा नहीं गया है, जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

प्रौद्योगिकी के अन्तरण पर रायल्टी

2696. **श्री रवि सीताराम नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण पर रायल्टी की सीमा हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अनुमोदन स्वत: रूट के माध्यम से दिया जाता है। स्वत: रूट के माध्यम से अनुमोदित प्रस्तावों में घरेलू बिक्री हेतु 5% तथा निर्यात के लिए 8% की रायल्टी है करों को छोड़कर तथा सभी अन्य मामलों के लिए रायल्टी की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथा ऐसे मामलों पर सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर अनुमोदन हेतु विचार किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2697. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए गोल्डन हैंडशेक/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पांचवां वेतन आयोग

2698. **श्री पी० शंकरन** : क्या **वित्त मंत्री** पांचवें वेतन आयोग के बारे में दिनांक 18.12.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाग (ग) और (घ) के उत्तर के संबंध में उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उत्तर कब तक प्राप्त होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) संबद्ध नियामक (नोडल) अभिकरण के नाते कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों से संबंधित मांगों पर विचार किया जाना है। उस विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय के सहायकों के वेतनमान में संशोधन का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी उनके वेतनमान में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की कोई सिफारिश नहीं की थी।

उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में वृद्धि करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की विभागीय परिषद् में कर्मचारी पक्ष की मांग को संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे०सी०एम०) स्कीम के अंतर्गत विवाचन (मध्यस्थता) बोर्ड में भेजा गया था। बोर्ड ने इस मांग को अस्वीकृत कर दिया था।

परिवहन भत्ता न्यूनतम 100 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग को स्वीकार करने में बहुत अधिक वित्तीय जटिलताएं होंगी। संसाधनों पर पड़ रहा मौजूदा तनाव और प्रशासनिक व्यय कम करने की अपरिहार्य आवश्यकता इसकी स्वीकृति की आज्ञा नहीं देती। इसके अलावा सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित दरें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। इस अवस्था में इन दरों में संशोधन करना असामयिक होगा।

महिलाओं के ब्लाउजों पर अमरीकी प्रतिबंध

2699. **श्री डी०एस० अहिरे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत से महिलाओं के ब्लाउजों की खेपों पर इस श्रेणी के अंतर्गत वाशिंगटन द्वारा निर्धारित आयात कोटा अधिक होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को अमरीकी प्राधिकारियों के साथ सुलझाने हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अमरीकी प्राधिकारियों का निर्णय क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस कोटे का दुरुपयोग किए जाने के मामले की जांच करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका ने श्रेणी 341-वाई, जो कि श्रेणी 341 की उप श्रेणी है, के अंतर्गत पड़ने वाले महिलाओं के यार्न रंजित ब्लाउजों के भारत से लदान पर 4 नवंबर, 1998 से रोक लगा दी थी क्योंकि अमरीका के अनुसार इस उप श्रेणी का वार्षिक स्तर को पार कर गया था। श्रेणी 641 से श्रेणी 341 तक 5% की विशेष परिवर्तन को जोड़ते हुए, अमरीकी अधिकारियों ने उसे 341-वाई खंड के साथ नहीं जोड़ा।

(ग) से (ङ) सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीकी के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मामला उठाया था परंतु मामला सुलझाया नहीं जा सका। तथापि, रोक के कारण स्थगित लदान को 1999 में पहले ही मुक्त कर दिया गया था।

(च) और (छ) कोटाओं का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में कोयला भंडार

2700. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोयले के भंडार का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कुसहा कंजक क्षेत्र, पलामु जिले के राझौरा कोयला खान के समीप सीकी मेरोल विश्रामपुर और गढ़वा जिले के मंदादीशा प्रखंड में कोयले के भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त उद्धृत क्षेत्रों में कोयला खान खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) देश के कोयला क्षेत्र सामान्यत: एक से अधिक जिलों के अंतर्गत आते हैं और भंडारों का अनुमान कोयला क्षेत्रवार किया जाता है तथापि बिहार के विभिन्न जिला के विभिन्न कोयला क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली कोयला धरोहरों के श्रेणीकृत भंडारों के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :–

कोलफील्ड	क्षेत्र	भंडार (मिलियन टन में)			कुल
		प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	
1	2	3	4	5	6
रानीगंज	धनबाद	1409.23	547.77	90.10	2047.10
झरिया	धनबाद	15077.57	4352.49	0.00	19430.06
ई० बोकारो	बोकारो, गिरीडीह	2826.29	3178.73	0.00	6005.00
वै० बोकारो	हजारीबाग	3165.06	1556.45	34.42	4755.93

1	2	3	4	5	6
रामगढ़	हजारीबाग	367.76	545.15	58.05	970.96
एन० कर्णपुरा	हजारीबाग रांची, पलामू	6325.40	5373.40	2330.43	14029.11
एस० करनपुरा	हजारीबाग, रांची	2542.10	1963.12	1508.67	6013.97
औरंगा	पलामू	8.78	2484.92	503.41	2997.11
हुटर	पलामू	190.79	26.55	32.48	249.82
डाल्टनगंज	पलामू	83.86	60.10	0.00	143.96
देवगढ़	देवगढ़	326.24	73.60	0.00	399.84
राजमहल	गोड्डा, सहेबगंज, पकुर, डुम्का	2077.97	8258.55	1377.21	11713.73
जोड़		34401	28420.83	5934.77	68756.6

(ख) कुसाहा कजाक, सीकी मिराल, विश्रामपुर और मंडरिया के विशिष्ट स्थलों की पुष्टि की आवश्यकता है तथापि पलामू जिले के डॉल्टनगंज के सिंगरा मिराल नाम का एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक से कोयले के भंडार 27.62 मि० टन (प्रमाणित - 2.46 मि० टन) हैं। राजहरा क्षेत्र के कोयला भंडार 23.63 मि० टन है। जिसमें प्रमाणित और निर्दिष्ट श्रेणी के क्रमश: 23.35 मि० टन और 0.28 मि० टन भंडार शामिल हैं।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० द्वारा यह सूचना दी गई है कि संदर्भगत क्षेत्र विस्तृत अन्वेषण के अंतर्गत नहीं आते हैं। अत: इन क्षेत्रों में कोयला खानों को खोले जाने की कोई तत्काल योजना नहीं है।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों को देय बकाया राशियां

2701. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों को विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों या राज्यों की बड़ी देनदारियों का भुगतान क ।। है;

(ख) यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० की प्रत्येक सहायक कंपनी पर बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० ने बकाया देनदारियों के निपटान के लिए कोई उपाय करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० की अनुषंगी कंपनियों के पास विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की बहुत अधिक राशि नहीं है सिवाए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में जहां इस संबंध में विवाद है तथा यह पुन: समाधान के अंतर्गत है। कोयला कंपनियों के लेखे के अनुसार 30.9.1998 को भाकोकोलि, सेकोलि और ईकोलि के स्वीकृत कोयला बिलों के एवज में स्वीकृत ऊर्जा बिलों के देय बकाया राशि के निपटारे के बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की ओर 164.26 करोड़ रु० की राशि है।

30.11.1998 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार को भुगदेय रायल्टी और उपकर की देय राशि के अनुषंगीवार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :–

(करोड़ रु० में)
(डाटा अनंतिम)

रायल्टी

राज्य	ईकोलि	भाकोकोलि	सेकोलि	मकोलि	वेकोलि	साईकोलि	मकोलि	नाईको	जोड़
पं० बंगाल	0.00	0.01	–	–	–	–	–	–	0.01
बिहार	0.00	1.91	21.29	–	–	–	–	–	23.20
उड़ीसा	–	–	–	0.00	–	–	–	–	0.00
महाराष्ट्र	–	–	–	–	4.63	–	–	–	4.63
मध्य प्रदेश	–	–	–	–	0.00	0.00	0.00	–	0.00
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	0.00	–	0.00
असम	–	–	–	–	–	–	–	0.63	0.63
जोड़ :	0.00	1.92	21.29	0.00	4.63	0.00	0.00	0.63	28.47
सी०ई०एस०एस०									
पं० बंगाल	483.05	0.01	–	–	–	–	–	–	483.06

(ग) और (घ) 30.11.1998 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों की रायल्टी की देय बकाया राशि को दिसम्बर, 1998 के दौरान भुगतान कर दी गई। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, परस्पर सहमति के अनुसार पं० बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, पं० बंगाल विद्युत विकास निगम और दुर्गापुर परियोजनाओं लिमिटेड की कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि से प्रत्येक महीने 18 करोड़ रु० की राशि के उपकर को समायोजित किया जा रहा है।

बी०एच०ई०एल० द्वारा मलेशिया को डीजल व इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का निर्यात

2702. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को डीजल व इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के निर्यात के लिए मलेशिया से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स मित्सुबिसी हेवी इन्डस्ट्रिज (एम०एच०आई०) जापान ने मलेशिया में अपनी उर्वरक परियोजना के लिए 700 एच०पी० डीजल का एक इलैक्ट्रिक शन्टिंग लोकोमोटिव की आपूर्ति के लिए ''भेल'' को एक ऑर्डर दिया था।

(ग) लोकोमोटिव का विक्रय मूल्य 4,90,000 अमरीकी डालर था। सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है।

असम को ऋण

2703. **श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उग्रवाद के संदर्भ में दिए गए विशेष आवधिक ऋणों के भुगतान के भार से राहत दिलाने हेतु असम सरकार के लिए किसी विशेष राहत राशि की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो घोषित राहत धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसे राज्य में कब लागू किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उग्रवाद के संदर्भ में असम सरकार को कोई विशेष आवधिक ऋण नहीं दिए गए हैं।

हथकरघा/हस्तशिल्प के निर्यातकों को अनुदान

2704. **डा० सरोजा वी० :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा कपड़े और हस्तशिल्प के निर्यात हेतु निर्यातकों को अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कितनी अनुदान धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अनुदान प्राप्त करने वाली किन्हीं जाली एजेन्सियों का भी पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बैंक ऋण

2705. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 में अब तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी ऋण राशि दी गई है;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान ऋण की कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ग) बैंकों द्वारा अभी कितनी ऋण राशि वसूल किए जाने का अनुमान है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) वर्ष 1998-99 के दौरान 15 जनवरी, 1999 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया बैंक ऋण 172711.8 करोड़ रुपए के थे।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आर०आई०डी०एफ० में निजी बैंकों द्वारा अंशदान

2706. **डा० विजय सोनकर शास्त्री :**
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18.10.98 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''आर०बी०आई० आस्क्स नाइन प्राइवेट बैंक्स टु डिपाजिट रूपीज 562 करोड़ इन आर०आई०डी०एफ०,'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में चूक करने वाले बैंक कौन-कौन से हैं तथा ऐसे बैंकों के खिलाफ सरकार बैंक-वार क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों ने आई०आर०डी०पी०, पी०एम०आर०वाई० तथा केन्द्र सरकार की अन्य ग्रामीण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण करने में निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो निजी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने ऐसे निजी बैंकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है अथवा किए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर सरकारी क्षेत्र के उन नौ बैंकों को, जिन्होंने मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य नहीं प्राप्त किया था। संपूर्ण कमी के बराबर की राशि, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०-IV) में विनियोजित करने को कहा गया था। बैंकों तथा विनियोजित राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

क्रमांक	बैंक का नाम	विनियोजित राशि (करोड़ रु०)
1.	बैंक आफ राजस्थान लि०	42.27
2.	रत्नाकर बैंक लि०	9.69
3.	बनारस स्टेट बैंक लि०	13.42
4.	एस०बी०आई० कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि०	18.59
5.	यू०टी०आई० बैंक लि०	324.83
6.	आई०सी०आई०सी०आई० बैंकिंग कार्पोरेशन लि०	22.19
7.	सेन्चुरियन बैंक लि०	100.77
8.	बैंक आफ पंजाब लि०	13.15
9.	आई०डी०बी०आई० बैंक लि०	26.74
	कुल	571.65

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी०एम० और वाई०) के अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लक्ष्य का लगभग केवल 7 प्रतिशत दिया गया था जिसमें से उपलब्धि का स्तर, लक्ष्य का लगभग, 60 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निम्न स्तरीय उपलब्धि के लिए कुछ कारण प्रायोजित आवेदनों में से अर्थक्षम तथा बैंक योग्य प्रस्तावों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता, अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में वृद्धि का भय तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वसूली की खराब स्थिति हैं।

जहां तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन के संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। विभेदक ब्याज दर (डी०आर०आई०) योजना के अंतर्गत गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भी पिछले वर्ष की समाप्ति पर अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 1% उधार देना होता है। गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य के प्राप्त न किए जाने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :–उधारकर्त्ताओं द्वारा पूंजी सब्सिडी संबंधित कार्यक्रमों जैसे आई०आर०डी०पी०, पी०एम०आर०वाई० आदि को प्राथमिकता दिया जाना, अन्य योजनाओं में डी०आर०आई० के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम की उपेक्षा, अधिक मात्रा में ऋण सहायता की उपलब्धता तथा पात्रता निर्धारित करने के लिए नियत आय की निम्न उच्चतम सीमा। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे डी०आर०आई० योजना के कार्यान्वयन के निष्पादन को उन्नत बनाने के लिए तुरन्त उपाय करें।

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना होता है। मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सामूहिक आधार पर 40 प्रतिशत का प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। तथापि, ऊपर दर्शाए गए नौ बैंकों, जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था, को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा अनुरक्षित आर०आई० डी०एफ०-IV में विनियोजन करने को कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नौ बैंकों से आगे यह भी कहा है कि वे आर०आई० डी०एफ०-IV में तब जमा करें जब भी नाबार्ड को आवश्यकता हो जो कि आर०आई०डी०एफ०-IV के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्याशित संवितरण पर निर्भर करेगा।

बैंकों का विलय

2707. **डा० उल्हास वासुदेव पाटील :**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने छोटे, लाभकारी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों को बड़े और अधिक लाभकारी बैंकों को बेचने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या एस०बी०आई० में आर०बी०आई० के हिस्से को भी कम किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस विचार के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या नरसिम्हन समिति ने भी दक्षता का लाभ उठाने और विश्व चुनौती का सामना करने के लिए छोटे और बड़े बैंकों के विलय का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक शुरू कर दिया जायेगा; और

(च) क्या बैंकों के विलय में कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (च) बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के संबंध में नरसिंहम समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि "इस प्रकार के समामेलन संबंधित संस्थाओं के सानिध्य और स्थान तथा व्यवसाय के साथ जुड़ी पूरक बातों पर आधारित होने चाहिए और इनका सुदृढ़ वाणिज्यिक महत्व भी होना चाहिए।" समिति ने यह भी सिफारिश की कि "सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन की शुरूआत बैंकों के प्रबंध तंत्रों से होनी चाहिए और यह सरकार से मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि उभयनिष्ठ शेयरधारक के रूप में सरकार को समर्थक भूमिका निभानी होगी।" समिति ने नोट किया कि "समामेलन को सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए तुलनपत्रों और स्टाफ का अंकगणितीय समामेलन ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बैंकों को स्टाफ और शाखाओं के जाल को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने की दृष्टि से लाभदायकता का भी अर्जन होगा। जब तक ये लाभ प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन में बैंकों के प्रबंधतंत्र को परिचालनात्मक विषयों पर ही जोड़ा जा सकेगा।" समिति ने यह भी नोट किया कि "इस संबंध में यह उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है कि उचित आकार प्रदान करने और अधिशेष स्टाफ को पुनर्नियोजित करने की नीतियां तैयार की जाएं।"

(ङ) बैंकों के विलयन के लिए सरकार ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है क्योंकि ऐसे विलयन की शुरूआत बैंकों के प्रबंधन तंत्रों से होनी चाहिए, न कि सरकार की ओर से।

विद्युत करघा इकाइयां

2708. **श्री ए०सी० जोस** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी विद्युत करघा इकाइयां राज्यवार बंद की गई और ये कहां-कहां स्थित थी;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा कपास और धागे की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु विभिन्न राज्यों के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में विद्युतकरघा एककों के बंद होने के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) कपास और यार्न की कीमतें मांग और पूर्ति के बाजार प्रतिबलों द्वारा अधिशासित होती हैं तथा सरकार तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि उनमें असामान्य उतार-चढ़ाव न आए और कुछ समय से ऐसा नहीं हुआ है।

(घ) से (च) सरकार ने 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) शुरू करने की घोषणा की है जिसके अंतर्गत समस्त राज्यों के वस्त्र और पटसन उद्योग के पात्र एकक ब्याज की लागू दर, जो कि प्रचलित बाजार दर से कम होगी, पर नोडिए एजेंसियों से ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस योजना में किसी प्रकार के क्षेत्र/राज्य विशिष्ट निधियों का आवंटन करने का प्रावधान नहीं है। सरकार द्वारा क्रियान्वित अन्य विकासात्मक योजनाओं में निधियों का आवंटन राज्य-वार किया जाता है तथा कोई भी राज्य शर्तों को पूरा करने पर ऐसी योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है। इस प्रकार, सामान्यत: निधियों को राज्य-वार उद्दिष्ट नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

चंद्रपुर में रक्षित कोयला खान में खनन के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया

2709. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षित कोयला खानों जिसे इस्पात उद्योग, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र को सौंपा जाना था, के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया द्वारा लिया गया निर्णय क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : प्रोफेसर अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में गठित एक समिति के निष्कर्षों के आधार पर रक्षा मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में मैसर्स सेन्ट्रल इंडिया कोल कंपनी लि० द्वारा बरंज ब्लॉक में खनन प्रचालन किए जाने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त प्रतिबंधों में से तीन अति महत्वपूर्ण प्रतिबंध निम्न हैं।

(क) चंदा में आर्डीनेंस फेक्टरी की तीन किलोमीटर की परिधि के अन्दर खनन क्रिया-कलाप पर प्रतिबंध।

(ख) 400 कि०ग्रा० से कम अधिकतम चार्ज प्रति डिले के साथ 3 कि०मी० से अधिक दूरी पर ब्लास्टिंग पर 3 टन प्रति राउंड का प्रतिबंध।

(ग) अधिकतम खाई की 15 मीटर की गहराई।

कर संबंधी लंबित मामले

2710. **श्री सदा शिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान करों की वसूली से संबंधित कितने मामले लंबित और उनका वर्षवार, करवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) न्यायालयों में ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(ग) इन लंबित मामलों में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया कर राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित उगाही के मामलों का वर्ष-वार तथा कर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ये ब्यौरे राज्यवार नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की संख्या तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशि विवरण-II में दी गई है।

(घ) बकाया कर की वूसली एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसमें ब्याज लगाना, अर्थदंड का उद्ग्रहण, बैंक खातों को जब्त करना, चल तथा अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री एवं बैंक गारंटियों का प्रवर्तन शामिल हैं। अधिक मांग वाले मामलों की आवधिक समीक्षा तथा निगरानी भी की जाती है। स्थगन आदेश को रद्द कराने तथा/या मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करने के लिए न्यायालयों में अति आवश्यक याचिकाओं को दायर कर विशेष उपाय भी किए जाते हैं। विषयवार मामलों तथा न्यायालयों द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले के अंतर्गत आने वाले मामलों के समूहीकरण के द्वारा लंबित मामलों का निपटान करने के कदम भी उठाए गए हैं।

विवरण-I

(करोड़ रुपयों में)

कर-शीर्ष	1995-96	1996-97	1997-98
सीमा शुल्क	155.36	162.56	288.44
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	3155.67	3754.81	5908.20
आयकर	16536.00	10152.00	21168.00
निगमित कर	12434.00	15433.00	20062.00
धनकर	951.00	887.00	928.00
दानकर	52.00	61.00	90.00
व्यय कर	8.00	6.00	5.00
ब्याज कर	874.00	898.00	1028.00

विवरण-II

कर-शीर्ष	वर्ष	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
			(करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
सीमाशुल्क	1996-97	155	10.53
	1997-98	104	14.63
	1998-99	139	261.41
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1996-97	6976	2065.08
	1997-98	6793	2205.34
	1998-99	6663	2314.04
प्रत्यक्ष कर	31.3.1996 की स्थिति के अनुसार	62460	यह सूचना नहीं रखी जाती है।
	31.3.1997 की स्थिति के अनुसार	63086	
	31.3.1998 की स्थिति के अनुसार	62184	

[अनुवाद]

ओरिएंटल बीमा कम्पनी में नियुक्तियां

2711. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओरिएण्टल बीमा कम्पनी में प्रत्येक कैडर में राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) उक्त नियुक्तियों में से प्रत्येक कैडर में अ०जा०/अ०ज०जा० के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या राज्यवार और वर्षवार कितनी थी; और

(ग) अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित पदों में से कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हैं और इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नेपाल से वनस्पति तेल का आयात

2712. श्री सी०डी० गामीत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से वनस्पति का नि:शुल्क आयात किए जाने के कारण देश में हाईड्रोजनीकृत वनस्पति तेल उद्योग समाप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग की क्षमता उपयोगिता का प्रतिशत क्या रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार वनस्पति को घरेलू वनस्पति तेल उद्योग को बचाने हेतु नकारात्मक व्यापार सूची में शामिल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत नेपाल से वनस्पति तेल के शुल्क मुक्त आयात के कारण पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित भारतीय वनस्पति उद्योग की चिंता का मुद्दा संधि की व्यवस्था के अनुसार महामहिम नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है। जिसके फलस्वरूप उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने वनस्पति तेल के निर्यात पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 0.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया है और नए वनस्पति विनिर्माण एककों और मौजूदा एककों के विस्तारण के लिए आगे लाइसेंस देने बन्द कर दिए हैं। पिछले तीन तेल वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान इस उद्योग की प्रतिशत क्षमता उपयोगिता नीचे दी गई है :–

तेल वर्ष	क्षमता उपयोगिता
1995-96	37%
1996-97	36%
1997-98	30%

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि० में महिला कामगार

2713. **श्री अजीत जोगी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में महिला कामगारों की संख्या कंपनी-वार कितनी है;

(ख) इन कोयला कंपनियों में कार्यरत महिलाओं को कंपनीवार कितनी मजदूरी या वेतन का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा कोल इंडिया लि० में कार्यरत महिलाओं की दुर्दशा में सुधार करने हेतु क्या कारगर और ठोस कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० और उसकी अनुषंगी कंपनियों में अनुषंगी-वार कोयला कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :–

कंपनी	महिला कर्मचारियों की संख्या
1	2
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	9697
भारत कोकिंग कोल लि०	10816
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	6297
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	3671
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	3127
महानदी कोलफील्ड्स लि०	819
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	413
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	295
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०	141
दानकुनी कोयला काम्पलेक्स	20
कोल इंडिया लि० (मुख्यालय)	183
जोड़ :	35,479

(ख) महिला कर्मचारियों के भुगतान किए जा रहे वेतन/मजदूरी की औसत राशि अन्य पुरुष कर्मचारियों के समान है।

(ग) को०इं०लि० में कार्यरत महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्न है :–

(i) कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए महिला कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) विभिन्न ग्रुप की महिला कामगारों को उन कार्यशालाओं में ले जाया जाता है जहां अन्य महिला कर्मचारी तकनीकी कार्यों में संलग्न हैं।

(iii) महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं में मजदूर संघ एवं कामगारों के शिक्षा केन्द्र अंतर्ग्रस्त हैं।

"कनिहा" और "ईब" घाटी से कोयला निकालना

2714. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में "कनिहा" और "ईब" घाटी से कोयला निकालने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो खनन गतिविधियां आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) महानदी कोलफील्ड्स लि० (म०को०लि०) द्वारा तालचेर कोलफील्ड में कनिहा ओ०का०प० की खुदाई की योजना बनाई गई है तथा इस परियोजना के लिए अक्तूबर, 1995 में 6.38 करोड़ रु० की राशि से सरकार द्वारा एक अग्रिम योजना की अनुमति दी गई थी। म०को०लि० द्वारा विद्युत क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए ईब घाटी कोलफील्ड्स में परियोजनाओं की खुदाई के लिए भी आयोजना की गई है।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त की जानी है।

(ग) कनिहा परियोजना में खनन क्रियाकलापों को प्रशासनिक औपचारिकताओं, भूमि अधिग्रहण और अपेक्षित आधारभूत ढांचे के विकास

को पूरा किए जाने के बाद शुरू किया जाएगा। इसके लिए मुख्य श्रमशक्ति की व्यवस्था करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

नीलांचल इस्पात निगम स्टील प्लांट

2715. **श्रीमती जयंती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलांचल इस्पात निगम स्टील प्लांट में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य शेयरधारकों के शेयरों का क्या अनुपात है;

(ख) अब तक उक्त इस्पात संयंत्र द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इस्पात संयंत्र द्वारा कब से व्यावसायिक उत्पादन शुरू किये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) नीलांचल इस्पात निगम लि० में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य शेयरधारकों के शेयर निम्नानुसार हैं :–

शेयरधारक	प्रस्तावित शेयर (करोड़ रुपए)
केन्द्र सरकार	शून्य
राज्य सरकार	शून्य
अन्य :	
(i) एम०एम०टी०सी० (केन्द्र सरकार का उपक्रम)	100
(ii) आई०पी०आई०सी०ओ०एल० (राज्य सरकार का उपक्रम)	73
(iii) मेकन (केन्द्र सरकार का उपक्रम)	5
(iv) एफ०आई०आई०एस० उपस्कर-आपूर्तिकर्ता	130
(v) असुरक्षित ऋण/निजी रूप से दिए गए	50
(vi) पब्लिक इश्यू	245

(ख) अब तक हुई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) निर्माण कार्य	47%
(ii) संरचनात्मक कार्य	25%
(iii) अभियांत्रिक उपस्कर का उत्थापन	4%
(iv) विद्युत उपकरण लगाना	3%

(ग) इस्पात संयंत्र द्वारा अप्रैल, 2000 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की आशा है।

रक्षा उपकरणों पर उत्पाद शुल्क

2716. **श्री पी०आर० किन्डिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क के अध्याय 93 के अंतर्गत रक्षा उपस्कर संघटक/अतिरिक्त उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन पर 25% उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और इस पर 4% की दर से केन्द्रीय बिक्री कर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मदों को बिना सीमा शुल्क के आयात करने की अनुमति है और इन पर अतिरिक्त समतुल्य शुल्क की भी छूट है;

(ग) क्या सरकार का स्वदेशी रक्षा उपस्कर विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने और उन एककों को "डीमीड एक्सपोर्ट" का दर्जा देने का विचार है जो आयात की जाने वाली मदों के लिए वैकल्पिक मदों का निर्माण कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) रिवाल्वर, पिस्टल एवं शस्त्र को छोड़कर तलवार, खुखरी, बैनट, लांस तथा इसी तरह के अन्य सेना के हथियारों पर "शून्य" दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इससे संबंधित अन्य सभी गोला बारूद एवं पुर्जों तथा सहायक पुर्जों पर मूल्यानुसार 24% की उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर लगायी जाती है। तथापि, आयुध कारखानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्दिष्ट इकाइयों द्वारा विनिर्मित तथा प्रतिरक्षा सेवाओं के प्रयोग हेतु आपूर्ति किए गए सभी प्रकार के गोलाबारूद तथा इसके पुर्जों एवं सहायक पुर्जों पर दिनांक 16.3.95 की अधिसूचना संख्या 62/95-के०उ०शु० तथा 63/95-के०उ०शु० के तहत उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है। केन्द्रीय बिक्री कर (सी०एस०टी०) तभी लगता है जब अन्त:राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य किया जाता है तथा सी०एस०टी० की अधिकतम दर मूल्यानुसार 4% है।

(ख) गोला-बारूद एवं सेना के स्टोरों का आयात जब प्रतिरक्षा सेवाओं के प्रयोग के लिए किया जाता है तब कतिपय शर्तों के अधीन उस पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सहित आयात शुल्क से छूट दी जाती है।

(ग) और (घ) प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए संघटकों के निर्माण में लगी इकाइयों को "डिम्ड एक्सपोर्ट" का दर्जा देने के लिए फिलहाल किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विदेशों में तैनाती

2717. **श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के समूह "क" के अधिकारी तैनात किए गए हैं;

(ख) उनमें से कितने अ०जा०/अ०ज०जा० के हैं; और

(ग) विदेशी में तैनाती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धारित कोटे को पूरा करने के लिए कार्ययोजना क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) कुछेक देशों में भारतीय मिशनों

के कुछ पदों पर संवेदनशील स्वरूप के विशेष कार्यों के निष्पादन के लिए भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "क" सेवा के अधिकारियों की तैनाती की जाती है। इन पदों पर तैनाती के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधिकारियों के आरक्षण लागू नहीं हैं।

यूरोपीय संघ को वस्त्रों का निर्यात

2718. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 में यूरोपीय संघ को वस्त्रों का निर्यात करने के लिए चालू कोटा प्रणाली का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात कोटा प्रणाली के संबंध में कोई नई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) परिधान निर्यात हकदारी नीति (1997-1999) के अनुसार, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा को निर्यात के लिए परिधान उत्पादों के वार्षिक स्तरों को निम्नलिखित प्रणालियों में वितरित किया जाता है :

प्रणाली	वार्षिक स्तर का %
विगत निर्यात निष्पादन हकदारी	75
(जिसमें उच्च मूल्य हकदारी)	(5)
नव निवेशक हकदारी	10
प्रथम आगत प्रथम स्वागत हकदारी	10
गैर-कोटा निर्यातक हकदारी	5

अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (ए०ई०पी०सी०) ने एक ऑन-लाइन कम्प्यूटर नेटवर्क की सहायता से 8 सितम्बर, 1998 से इलैक्ट्रानिक अंतरण योजना (इ०टी०सी०) शुरू की है। तथापि, जनवरी, 1999 के दौरान कुछ शिकायतें मिली कि वे निर्यातक जिन्हें तात्कालिक लदान होना था, को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था क्योंकि इ०टी०एस० प्रक्रियाओं के कारण अंतरणों में, विशेषकर उन श्रेणियों में जहां पर्याप्त मात्रा उन कीमतों पर नहीं दी जाती थी जिसे अंतरणकर्ता उचित समझते थे, विलम्ब हो जाता था। इस प्रकार के विलंब से उत्पन्न होने वाली किसी समस्या से बचने के लिए, ए०ई०पी०सी० ने 8.2.1999 से 8.4.1999 तक की 60 दिनों की अवधि के लिए बिना किसी प्रतिबंध के पारस्परिक अंतरणों की अनुमति देते हुए हाल में इलैक्ट्रानिक अंतरण योजना में छूट देने की घोषणा की है।

कोल इंडिया लि० में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति उम्मीदवारों की भर्ती

2719. प्रो० जोगेन्द्र कवाडे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए कल्याण अधिकारियों/कार्मिक अधिकारियों (प्रशिक्षाणार्थी) और कनिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी (बिक्री और विपणन) के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत 25 नवम्बर, 1995 को एक विज्ञापन जारी किया था; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त पदों के लिए कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों की भर्ती की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28 अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती की गई, जिनका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :–

कल्याण अधिकारी (प्रशिक्षु)	अनु० जाति	14
	अनु० जनजाति	13
कनि० कार्यकारी प्रशिक्षु (बिक्री एवं विपणन)	अनु०जनजाति	01
जोड़ :		28

चाय की खेती

2720. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चाय की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण अथवा मिट्टी की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस तरह से सर्वेक्षण कराये गये हैं;

(ग) क्या इस संबंध में उड़ीसा में ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो चाय बागान के लिए वहां क्या संभावना पायी गयी है; और

(ङ) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में चाय बागान के लिए तैयार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) चाय बोर्ड ने एक तकनीकी सर्वेक्षण आयोजित किया है जिसमें निम्नलिखित राज्यों को ऐसे गैर-परंपरागत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है जो देश में चाय की खेती के लिए उपयुक्त है।

(1) अरुणाचल प्रदेश (2) मणिपुर (3) मेघालय (4) मिजोरम (5) नागालैंड और (6) असम का स्वायत्तशासी पहाड़ी जिला कारबी-आंगलोंग, असम की उत्तरी कछार पहाड़ी त्रिपुरा का दक्षिण जिला, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का कुमांऊ और गढ़वाल क्षेत्र, केरल का इडुक्की जिला, कर्नाटक का कोडागु जिला और तमिलनाडु का कोडाईकनाल जिला।

(ग) और (घ) चाय बोर्ड द्वारा समय-समय पर किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों से इस तथ्य का पता चलता है कि उड़ीसा राज्य के क्योंझर, कालाहांडी, फुलबानी और रायगढ़ जिले के कुछ क्षेत्र सूखे के महीनों में कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध होने पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त हैं।

(ङ) राज्य में चाय के चाय संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों को अब उड़ीसा कृषि संवर्द्धन एवं निवेश निगम (एपीकोल) द्वारा देखा जा रहा है। एपीकोल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे चाय बोर्ड की नई क्षेत्र विकास योजना के अधीन समायोजित किया जाएगा जिसके लिए बोर्ड की नौवीं योजना के प्रस्ताव में 2.50 करोड़ रु० का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

चाय और कॉफी बागान

2721. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अभी तक कितनी भू-क्षेत्र चाय और कॉफी बागान के अंतर्गत लाया जा चुका है;

(ख) 1997-98 और 1998-99 के दौरान आज तक राज्य में चाय और कॉफी का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और भू-क्षेत्र पर चाय और कॉफी के बागान लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पश्चिम बंगाल में चाय बागान के अंतर्गत लाया गया भू-क्षेत्र, हैक्टेयर में, निम्नानुसार है :–

वर्ष	चाय
1996	102,650
1997•	103,100
1998•	103,600

•अनुमानित।

जहां तक काफी का संबंध है, पश्चिम बंगाल में परीक्षण के आधार पर 25-30 हैक्टेयर क्षेत्र में काफी का रोपण किया गया है।

(ख) चाय का उत्पादन मिलियन कि०ग्रा० में निम्नानुसार है :–

वर्ष	चाय (अनुमानित)
1997-98	177.10
1998-99 (अप्रैल-दिसंबर)	183.93

इस राज्य में काफी का उत्पादन बहुत ही कम है, जो मुश्किल से 500-600 कि०ग्रा० प्रति वर्ष का होता है।

(ग) और (घ) भूमि की उपलब्धता प्रमुख सीमितकारी कारकों में से एक कारक है। चाय के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने के लिए प्रत्येक उपाय किये गये हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले की चोपड़ा और इस्लामपुर ब्लाक में और जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और सिलिगुड़ी क्षेत्र के कुछ पॉकेटों में अनेक नई इकाइयां पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले की अजोध्या पहाड़ियों में परीक्षण करने के लिए कदम उठाए गये हैं। चाय बोर्ड ने पुरूलिया जिले में परीक्षण आधार पर पच्चीस एकड़ के प्लाट क्षेत्र में चाय का रोपण करने के लिए पच्चीस लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है।

तथापि वाणिज्यिक आधार पर काफी की खेती करने के लिए इस राज्य में जलवायु संबंधी स्थितियां अनुकूल नहीं है।

इस्पात वित्त पोषण संबंधी प्रस्तावों के अध्ययन हेतु पैनल

2722. श्री के०एस० राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डी०बी०आई० ने इस्पात वित्त पोषण संबंधी सभी प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ऐसे पैनल गठित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह पैनल कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने सूचित किया है कि उसने अतिरिक्त वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए उसे भेजी गई इस्पात परियोजनाओं के संबंध में आम दृष्टिकोण तैयार करने के लिए निदेशक बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है। यह समिति अपनी सिफारिशें आई०डी०बी०आई० की कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करेगी।

उड़ीसा में अल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना

2723. श्री विक्रम देव केशरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड" ने उड़ीसा के पिछड़े जिले कालाहांडी में एक मिलियन लागत वाले अल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने संयंत्र की स्थापना हेतु स्थान का पता लगा लिया है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरम्भ की गई है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का उड़ीसा के

कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ में एक मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एलुमिना शोधन (रिफाइनरी) संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने कालाहांडी जिले में भूमि अधिग्रहण करने के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (आई०डी०सी०ओ०) को प्राधिकृत किया है। लेकिन, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण करने के लिए अभी तक मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) कंपनी के अनुसार परियोजना को प्रारम्भ करने के बारे में अभी कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

पेय पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क

2724. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधवितरकों के माध्यम से पेय पदार्थ बेचने वाले छोटे खुदरा विक्रेताओं से उत्पाद शुल्क वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सीमा उत्पाद शुल्क से कितना राजस्व एकत्र किए जाने का अनुमान है;

(घ) क्या लागतें और संसाधन अर्जित राजस्व के अनुरूप हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) सामान्यतया वातित जल को वेंडिंग मशीन के माध्यम से तैयार किया जाता है तथा बेचा जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए एवं बेचे गए वातित जल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार्य नहीं है। इन्हें दिनांक 10.12.98 की अधिसूचना संख्या 37/98-के०उ०शु० के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

रेशम बुनकरों को रेशम दिये जाने का प्रावधान

2725. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण वाराणसी का रेशम साड़ी उद्योग आयातित सिल्क का प्रयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बुनकरों को रेशम उपलब्ध कराने के लिए उन्हें खुला सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) सुविधा प्रदान करने का है;

(ग) क्या सीमा-शुल्क विभाग द्वारा जब्त किया गया तस्करी का रेशम उत्तर प्रदेश की विपणन संस्थाओं को उनके लाभार्थ देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सुविधा बुनकरों को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां। मुख्यत: विद्युतकरघा उद्योग द्वारा अपेक्षित उत्कृष्ट ताने वाली रेशम का अभाव है।

(ख) इस समय खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत अपरिष्कृत रेशम के आयात को रखने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अपरिष्कृत रेशम का शुल्कमुक्त आयात करने की सुविधा निर्यातकों को शुल्कमुक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके अलावा, अक्टूबर, 1998 में सरकार ने एस०आई०एल० के अंतर्गत ग्रेड-2ए एवं उससे ऊपर की शहतूती रेशम के आयात को इस शर्त के साथ अनुमति दी है कि सौंपे गए एस०आई०एल० के सी०आई०एफ० (लागत, बीमा एवं भाड़ा) मूल्य, आयातित मालों के सी०आई०एफ० मूल्य का तीन गुणा होगा।

(ग) से (ङ) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अपरिष्कृत शहतूती रेशम यार्न के निपटान की निर्धारित प्रक्रिया नीचे दर्शायी गई है :–

(1) निपटान के लिए परिपक्व अपरिष्कृत रेशम यार्न आम नीलामी अथवा निविदा में नहीं बेचा जाएगा।

(2) परिपक्व अपरिष्कृत रेशम कच्चा यार्न का जब्त किया हुआ भंडार संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जे०पी०सी०) द्वारा निर्धारित निपटान मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लि० (एन०सी०सी०एफ०) को निपटान के लिए दिया जाता है।

(3) मैसर्स एन०सी०सी०एफ० द्वारा उचित समय के भीतर दिए गए भंडार को उठाने के लिए, इच्छुक न होने अथवा उसको होने की स्थिति में न होने में भंडार को जे०पी०सी० द्वारा निर्धारित निपटान मूल्य पर समान 10 प्रतिशत छूट पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड अथवा किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार की सहकारी समितियों को दिया जाता है।

(4) उचित अवधि के भीतर भंडार उठाने में असफल रहने पर उपरोक्त (1) अथवा (2) की स्थिति में भंडार निर्धारित निपटान मूल्य से 10 प्रतिशत कम छूट देकर सीधे व्यक्तिगत बुनकर सहकारी समितियों को दिया जाता है।

[अनुवाद]

शीतल पेय उद्योग से राजस्व

2726. **श्री एन०चे० राव्वा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99

के दौरान आज तक शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों से अर्जित राजस्व की राशि कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : महोदय, उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क करों द्वारा वसूल किया गया राजस्व निम्नानुसार है :–

(रुपए करोड़ों में)

क्र. सं.	उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का ब्यौरा	1996-97	1997-98	1998-99 (नवम्बर, 98 तक)
(i)	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम खनिज तथा वायु मिश्रित जल से प्राप्त उत्पाद शुल्क	255.66	387.01	400.34
(ii)	पेय पदार्थों, स्पिरिट तथा सिरके से प्राप्त सीमा शुल्क	32.40	39.62	14.58
	कुल :	288.06	426.63	414.92

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अस्थाई कर्मचारी

2727. **श्री वैको :**
श्री ए० गणेशमूर्ति :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी०पी०एस०ई०) में बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्थाई आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 10 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार उद्यमों में कितने कर्मचारी अस्थाई अथवा मानदेय आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.3.1998 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नैमितिक तथा दिहाड़ी के कामगारों की संख्या 38,896 है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कामगारों/कर्मचारियों की अस्थायी अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धनों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आती है।

[हिन्दी]

ढांचागत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

2728. **डा० ए०के० पटेल :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व बैंक से महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के लिए तत्काल ऋण देना आरम्भ करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं को अन्तिम रूप प्रदान करना एक प्रकार से सतत् प्रक्रिया है और किसी भी समय कुछ परियोजनाओं पर कार्रवाई चलती रहती है। वर्तमान में, हरियाणा विद्युत क्षेत्र, इरेडा-II, पी०एस०डी०पी०-II, तमिलनाडु राज्य राजमार्ग, राजस्थान राज्य राजमार्ग, उड़ीसा राज्य राजमार्ग, मुम्बई शहरी विकास परियोजना, तृतीय मद्रास जलापूर्ति, हैदराबाद जलापूर्ति और स्वच्छता-II, राष्ट्रीय राजमार्ग-III परियोजना जैसे आधारभूत क्षेत्र में कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में, भारत सरकार के साथ विश्व बैंक द्वारा निरन्तर बातचीत की जा रही है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग की वस्तुओं का अनारक्षण

2729. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
डा० सुशील इन्दौरा :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से आबिद हुसैन समिति द्वारा तैयार की गई लघु उद्योगों की आरक्षण सूची की पुन:समीक्षा करने और इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट मापदण्ड एवं तर्काधार निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या लघु उद्योग व्यवस्था से और भी क्षेत्रों को निकाल कर अनारक्षित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं की कुल संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मदों का आरक्षण/अनारक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत गठित आरक्षण संबंधी परामर्शदायी समिति लघु क्षेत्र के लिये नितान्त रूप से आरक्षित मदों की सूची से मदों की नामावली में परिवर्तन करने सहित आरक्षित सूची में मदों को शामिल करने तथा हटाने के लिए सरकार को समय-समय पर संस्तुति करती है।

(ङ) इस समय, लघु उद्योगों के लिए नितान्त रूप से आरक्षित विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों की कुल संख्या 812 है।

पाटनरोधी और राज-सहायता-रोधी जांच

2730. **श्री विट्टल तुपे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आयोग ने भारत से होने वाले "हाट रोल्ड कॉयल्ड" इस्पात के आयात के संबंध में पाटन-रोधी (एंटी-डम्पिंग) और राजसहायता-रोधी (एंटी-सबसिडी) जांच कब शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) यूरोपीय समुदाय के आयोग ने नवम्बर, 98 में यूरोफर की शिकायत की एक प्रति अग्रेषित की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत मूल के अनएलायड इस्पात के कतिपय हॉट रोल्ड कॉयल्स के इमदादशुदा आयातों से इस समुदाय के उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंच रही है। भारत सरकार की ओर से इस शिकायत का प्रत्युत्तर निर्धारित समय के भीतर ब्रुसेल्स स्थित हमारे मिशन के जरिए इस आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया था। तथापि, आयोग ने दिनांक 11 जनवरी, 99 को अपनी मौखिक टिप्पणी के जरिए भारत सरकार को सूचित किया है कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने इमदाद-रोधी जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। आयोग ने इस मामले में इमदाद-रोधी कार्रवाई शुरू करने की एक सूचना 8 जनवरी, 1999 को प्रकाशित की थी। इमदाद-रोधी कार्रवाई शुरू करने के बारे में प्रश्नावली का एक सेट सरकार द्वारा प्राप्त किया गया था। भारत सरकार ने अपने कानूनी काउंसेल के जरिए 2 मार्च, 99 को उत्तर भेज दिया है।

साथ-ही-साथ, यूरोपीय आयोग ने भारतीय कंपनियों अर्थात्, मैसर्स एस्सार स्टील लि०, मुम्बई, मैसर्स लायड्स स्टील इण्डस्ट्रीज लि०, मुम्बई, मैसर्स स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि०, (सेल), नई दिल्ली, मैसर्स दि टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी लि०; (टिस्को), मुम्बई और मैसर्स टिनप्लेट कंपनी ऑफ इण्डिया लि०, कलकत्ता के खिलाफ इसी उत्पाद पर एक पाटनरोधी मामला भी शुरू किया है, जो पहले से ही कानूनी रूप से अपना बचाव कर रही है। सरकार ने इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के जरिए और अन्य तरीके से भारतीय उद्योग को आवश्यक सहायता प्रदान की है।

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

2731. **श्री सी०पी०एम० गिरियप्पा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों की कुल संख्या कितनी है जहां इस समय उत्कृष्ट श्रेणी के "नॉन कोकिंग" कोयले का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) उन कोयला खानों तथा उनकी धोवनशालाओं के आधुनिकीरकण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० में 339 यूनिट हैं जहां कि उत्तम ग्रेड के अकोककर कोयले (ग्रेड ए, बी और सी) उत्पादित किए जाते हैं।

(ख) कोयला खान और वाशरियों को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) एस०डी०एल० और एल०एच०डी० की शुरूआत करके भूमिगत खान में कोयला लदान का यंत्रीकरण।

(ii) लांगवाल खनन को प्रारंभ किया जाना जहां स्थिति अनुकूल हैं।

(iii) उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी अर्थात् बलास्टिंग गैलरी, केबल बोल्टिंग, अनवरत खनन आदि को शुरू किया जाना।

(iv) उच्च क्षमता वाले उत्खनन और परिवहन उपकरण के साथ विद्यमान ओपनकास्ट खानों को प्रोन्नत करना और नई खानों को खोलना।

उच्च ग्रेड के अकोककर कोयले को धोने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तथापि कोल इंडिया लि० ने अकोककर कोयले के परिष्करण हेतु पिपरवार और बीना में 2 अकोककर कोयला वाशरियों की स्थापना की है। दोनों ही वाशरियां नहीं हैं और उनके लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता नहीं है। गिडी स्थित अन्य वाशरी को कोककर कोयले से अकोककर कोयले की वाशरी में बदल दिया गया है। इस वाशरी के आधुनिकीकरण की कार्रवाई (बॉउम जिग्स को बदला जाना) प्रगति पर है।

"एस्सार" स्टील के लिए पैकेज

2732. **श्री वी०वी० राघवन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "एस्सार" स्टील को संकट से उबारने के लिए 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की है, जिसमें घरेलू वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1700 करोड़ रुपए का निवेश परिकल्पित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) इस्पात विभाग ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मीनार परियोजना

2733. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1999 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "ए मीनार ऑफ शैम: हाउ पी०एस० यूज ड्रेण्ड 150 क्रोर" समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (ग) जी, हां। स्कोप, समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति है। सरकार द्वारा स्कोप को कोई बजटीय सहायता अथवा सहायता अनुदान नहीं दिया जाता है। स्कोप के खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा करवाई गई थी। मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट (1998 की संख्या चार) में यह कहा है कि परियोजना की लागत में 50 करोड़ रुपए की आरम्भिक लागत से तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने स्थापना प्रभारों की अनियमित अदायगी, देरी से किए गए सिविल कार्य के कारण वृद्धि पर गैर-अनुमत्य अदायगी और मजदूरी वृद्धि फार्मूले पर संशोधन की अदायगी जैसी विभिन्न अनियमितताओं पर टिप्पणी की है। की गई अन्य टिप्पणियों में नकली अग्नि-शमन सामग्री का उपयोग, ठेकेदारों को अधिक भुगतान और स्थल की चौकीदारी पर की गई राशि की वसूली न किया जाना शामिल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लोक लेखा समिति के जांचाधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सलाहकार समिति

2734. **श्री जयराम आई०एम० शेट्टी :**
श्री यू०वी० कृष्णमराजु :
श्री नादेन्दला भास्कर राव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सलाहकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति तैयार करने के संबंध में सरकार को सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(घ) समिति की सिफारिश से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने और प्रशुल्क संबंधी अड़चनों को दूर करने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की पहली बैठक दिनांक 29 जनवरी, 1999 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और अगली बैठक 30 मार्च, 1999 को आयोजित की जानी है। ऐसी बैठकों में वार्ता करने से सरकार को बहुपक्षीय व्यापार नीति के मामलों के प्रत्युत्तर में युक्तिसंगत नीति बनाने में मदद मिलेगी।

(ग) समिति के चर्चा के विषय निम्नानुसार हैं : (i) डब्ल्यू० टी०ओ० में वार्ताओं और समझौताओं पर विशेष जोर देते हुए व्यापार संबंधी मामलों में बहुपक्षीय व्यापार निकायों के साथ-साथ दूसरे निकायों में चल रही वार्ताओं पर सामयिक चर्चा करना; (ii) व्यापार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर विधायी/प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा करना; (iii) भारतीय माल के विरुद्ध गैर-टैरिफ अवरोधों एवं टैरिफ अवरोधों की और ऐसी अवरोधों को समाप्त करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई की समय-समय पर जांच करना; (iv) भारतीय माल के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के प्रयोजन से कार्य योजना की सिफारिश करना; (v) उपयुक्त नीतिगत परिवर्तनों की सिफारिश करने के इरादे से विश्वव्यापी वाणिज्यिक परिदृश्य में विभिन्न परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण करना; और (vi) ऐसे कोई अन्य नीतिगत मामले जो वाणिज्य मंत्री जी विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहें।

(घ) समिति सरकार को नियमित आधार पर सलाह देगी। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जटिल क्षेत्र में कोई नीतिगत पहल करने के लिए स्वीकार्य परिणामों का स्पष्ट आकलन करने से पहले एक लम्बी चिन्तन अवधि की जरूरत है। इस प्रकार भारत के विदेश व्यापार पर समिति की सिफारिशों के दूरगामी प्रभावों का जायजा लेना होगा।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की कोयला खानें

2735. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कोयला खानों में उपलब्ध कुल कोयले की अनुमानित मात्रा क्या है और इन खानों से अनुमानत: कब तक कोयले के पूरे भंडार को निकाल लिया जाएगा; और

(ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा विकसित किए जा रहे नए कोयला क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार वे०को०लि० की विभिन्न कोयला खानों में कोयले के उत्खनन योग्य भंडारों की अनुमानित मात्रा 762.06 मिलियन टन है। यह आशा की जाती है कि इन भंडारों को 2036-37 तक उत्खनित किया जा सकता है।

(ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा निम्नलिखित नए कोयला क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है :–

1. काम्पटी
2. पाथाखेडा
3. वर्धा घाटी
4. पेंच कान्हन
5. उमरेर

पेटेन्ट कानून के अंतर्गत एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स

2736. **श्री के०पी० मुनूसामी :**
श्री महबूब जहेदी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी आयात के कारण नए पेटेंट कानून के अंतर्गत दिए जाने वाले एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स से औषधियों के मूल्यों में वृद्धि होगी तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के भण्डारों में कमी आएगी;

(ख) यदि हां, तो पटेंटों से उत्पन्न समुपास्थित संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या औषधियों के मामले में एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स के प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) नये पेटेंट कानून के तहत अनन्य विपणन अधिकार (ई०एम०आर०) 1 जनवरी, 1995 के बाद नये अणुओं पर आधारित भेषजों के लिए ही लागू होंगे। चूंकि पेटेंट से अलग अणुओं पर आधारित प्रतिस्थानी देश में उपलब्ध होंगे इसलिए इसके कारण औषधियों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि नहीं होगी।

(ग) से (ङ) अनन्य विपणन अधिकार (ई०एम०आर०) प्रदान करने का वास्तविक प्रभाव केवल ऐसे उत्पादों के भारतीय बाजार में आने के बाद ही मालूम पड़ेगा और मौजूदा उत्पादों की तुलना में इन उत्पादों के तुलनात्मक गुण और दोष पर निर्भर करेगा।

क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेलेन्स स्कीम

2737. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री डी०एम० अहिरे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेलेन्स स्कीम के अंतर्गत मोर्मूगांव पत्तन न्यास को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना की लागत कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना (सी०आई०बी०) के तहत मुर्मुगाओ पत्तन से राष्ट्रीय राजमार्ग-17 तक बाई-पास सड़क के निर्माण से संबंधित मुर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (एम०पी०टी०) की एक परियोजना की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की अनुमोदित लागत 3000 करोड़ रु० है। सी०आई०बी० योजना के तहत आबंटन 7.50 करोड़ रु० का है, जिसमें से 4.50 करोड़ रु० मार्च, 1998 में एमपीटी को जारी कर दिए गए हैं। इस परियोजना को सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एमपीटी ने भूतल परिवहन मंत्रालय से इस परियोजना की लागत को संशोधित करके 62.00 करोड़ करने का अनुरोध किया है।

खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं की अल्प आपूर्ति

2738. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1999 के "बिजनैस स्टैन्डर्ड" में "सप्लाई कॉन्सट्रेन्ट्स फूएल्ड प्राइस राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बुनियादी खाद्य पदार्थों एवं अखाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के आपूर्ति स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष कुछ आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर दालों, फलों और सब्जियों में दर्ज की गई मूल्य वृद्धि उनके अपेक्षाकृत कम उत्पादन के कारण थी। आलू के उत्पादन में 60 लाख टन (28 प्रतिशत) की और प्याज के उत्पादन में 7 लाख टन (16.9 प्रतिशत) की कमी आई। दालों की पैदावार 11 लाख टन (7.7 प्रतिशत) कम हुई और तिलहनों की पैदावार में 24 लाख टन तक की कमी हुई।

(ग) सरकार ने मुद्रास्फीति को कम रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त राज्यों को खुले बाजार में बिक्री के लिए गेहूं की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई। खाद्य तेलों और दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक उदार व्यापार नीति अमल में लाई जा रही है। खाद्य तेलों के मूल्यों को सन्तुलित रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1.5 लाख टन के अतिरिक्त खाद्य तेलों का अतिरिक्त मात्रा में आयात प्राधिकृत किया गया है। सरकार ने आपूर्ति की सम्भावित कमियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली अपनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना की है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को मॉनीटर करने के लिए और बाजार में दखलन्दाजी की आवश्यकता और गुन्जाइश का अनुमान लगाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य मॉनीटरिंग बोर्ड की स्थापना की गई है। मूल्य और उपलब्धता की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए एक संयुक्त मॉनीटरिंग समिति, जिसमें राज्यों की भी भागीदारी है, भी गठित की गई है। वर्ष 1999-2000 के बजट में शीतागारों और गोदामों के निर्माण के लिए एक नई ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम की घोषणा की गई है जिससे 12 लाख टन अतिरिक्त शीत भण्डारण क्षमता के निर्माण में मदद मिलेगी। 4.5 लाख टन प्याज भण्डारण क्षमता के सृजन का भी प्रस्ताव है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नियुक्ति के बारे में दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3251 के उत्तर मे शुद्धि करने वाला विवरण

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : मैं, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नियुक्ति से संबंधित दिनांक 18.12.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3251 के उत्तर के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर निम्न प्रकार से दर्शाए गए थे :–

"ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास ओवरमैन अधिशेष है। ओवरमैन की 1410 की स्वीकृत संख्या के एवज़ में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की उपस्थिति-पंजी पर 1500 ओवरमैन हैं। कनिष्ठ ओवरमैन का अलग से कोई पद नहीं है।"

प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के संशोधित उत्तर को निम्न प्रकार से पढ़ें :–

"ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास ओवरमैन अधिशेष हैं। 1410 ओवरमैन की स्वीकृति संख्या के एवज़ में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की उपस्थिति-पंजी (रोल) पर 1500 ओवरमैन हैं।"

विलंब के कारण

उत्तर, जिसे दिनांक 18.12.1998 को सदन पटल पर रखा गया था, को तैयार करने के बाद अब यह पता लगा है कि उक्त प्रश्न के भाग (ग) और (घ) में दिए गए उत्तर में असावधानीवश गलतियां रह गई थीं। चूंकि कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध कोयला कंपनियों से अपेक्षित स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण प्राप्त किया जाना था, अत: उक्त में सुधार किए जाने में विलंब हुआ है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) गृह मंत्रालय के वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड-1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) गृह मंत्रालय (विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र) के वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खंड-2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2594/99]

इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11-बी की उपधारा (3) के अन्तर्गत 10 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का०आ० 857(अ) जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों को लघु उपक्रम अथवा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम मानने के आधार से संबंधित है, में कतिपय संशोधन करने वाली प्रारूप अधिसूचना संख्या 10(6)97-आई०पी० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2595/99]

(2) एच०एम०टी० लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखावर्ष की समाप्ति के 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2596/99]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2597/99]

(5) (एक) फल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालघाट के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालघाट के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2598/99]

(7) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2599/99]

भारतीय माध्यस्थम् परिषद, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) भारतीय माध्यस्थम् परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय माध्यस्थम् परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2600/99]

(3) (एक) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2601/99]

(5) (एक) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2602/99]

विद्युत मंत्रालय तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : महोदय, मैं श्री पी०आर० कुमारमंगलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2603/99]

(2) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2604/99]

इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : महोदय, मैं इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2605/99]

बर्डस् जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कलकत्ता और नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उनके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) बर्डस् जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्डस् जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2606/99]

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2607/99]

(3) (एक) वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2608/99]

(5) (एक) सिन्थेटिक एण्ड रेयन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिन्थेटिक एण्ड रेयन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2609/99]

(7) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2610/99]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचनाएं इत्यादि

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 616(अ) जो 13 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अगस्त, 1995 की अधिसूचना संख्या 108/95-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 753(अ) जो 18 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 5/98-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 740(अ) जो 15 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 745(अ) जो 16 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 36/98-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 751(अ) जो 17 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 25(अ) जो 13 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 36/98-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि सूती प्रसंस्कृत टैक्सटाइल फैब्रिकों अथवा

मानव निर्मित फाइबरों के प्रसंस्कृत फैब्रिकों पर लेवी और शुल्क की उगाही की योजना लागू की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 27(अ) जो 13 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबंध हो सके कि प्रसंस्कृत फैब्रिक पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर उत्पाद शुल्क की उगाही और वसूली की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रचालन कर रहे इंडिपेंडेंट प्रोसेसर पर लागू नहीं होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 101(अ) जो 11 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अगस्त, 1995 की अधिसूचना संख्या 108/95-के०उ०शु० में छूट का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी निर्धारित करके प्रक्रियात्मक संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 743(अ) जो 16 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत अधिसूचित उत्पाद शुल्क की उगाही और वसूली की योजना के अंतर्गत आने वाले इंडिपेंडेंट प्रोसेसर की परिभाषा में संशोधन करना तथा ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोसेसरों जो प्राथमिक रूप से विनिर्दिष्ट फैब्रिकों के प्रसंस्करण में रत हैं, को उपर्युक्त योजना में शामिल करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 744(अ) जो 16 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 सितम्बर, 1996 को अधिसूचना संख्या 29/96-के०उ०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 26(अ) जो 13 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 41/98-के०उ०शु० (गै०टै०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) द हॉट एयर स्टेंटर इंडिपेंडेंट टैक्सटाइल प्रोसेसर वार्षिक क्षमता नियतन (संशोधन) नियमावली, 1999 जो 13 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 28(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1999 जो 13 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 29(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 30(अ) जो 13 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या 29/96-के०उ०शु० (गै०टै०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियमावली, 1999 जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 91(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2611/99]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा०का०नि० 754(अ) जो 18 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना संख्या 81/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 48(अ) जो 22 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान, स्पेन, पुर्तगाल और इटली में उद्भूत अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले एक्राइलिक फाइबर को भारत में आयात किए जाने पर अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 75(अ) जो 9 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणतंत्र में उद्भूत अथवा वहां से भारत में आयात किए जाने वाले पोटीशियम परमैगनेट पर अधिसूचना में निर्दिष्ट दरों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 76(अ) जो 9 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 137/95-सी०शु० को विखंडित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 100(अ) जो 11 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू किये

गये पुनर्विलोकन के निष्कर्ष आने तक अनन्तिम आकलन और बैंक गारंटी के अध्यधीन, विशिष्ट निर्यातकों से परिशोधित थेरेप्थेलिक अम्ल के आयात को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2612/99]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का०आ० 1007(अ) जो 26 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का०आ० 1008(अ) जो 26 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का०आ० 1100(अ) जो 23 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का०आ० 1129(अ) जो 30 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का०आ० 1130(अ) जो 30 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) का०आ० 5(अ) जो 6 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का०आ० 6(अ) जो 6 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का०आ० 42(अ) जो 28 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का०आ० 43(अ) जो 28 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का०आ० 51(अ) जो 1 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का०आ० 52(अ) जो 1 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का०आ० 74(अ) जो 3 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का०आ० 75(अ) जो 3 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2613/99]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 धारा 3क की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 653(अ) जो 3 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 'वनस्पति' के निर्माण के लिए आयात किए जाने वाले खाद्य ग्रेड के वनस्पति तेलों पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के लिए 1 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 56/98-सी०शु० में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2614/99]

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 737(अ) जो 14 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विकासशील देशों से आयातों पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाने के लिए ऐसे देशों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2615/99]

(6) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 1 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 713(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2616/99]

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2617/99]

(9) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :—

(एक) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2618/99]

(दो) सागर ग्रामीण बैंक, कलकत्ता

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2619/99]

(तीन) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2620/99]

(चार) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2621/99]

(पांच) इलाकई देहाती बैंक, श्रीनगर

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2622/99]

(छः) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2623/99]

(सात) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2624/99]

(आठ) परागज्योषित गौनलिया बैंक, नलबाड़ी

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2625/99]

(नौ) लखमी गौनलिया बैंक, गोलाघाट

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2626/99]

(दस) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, बीरभूम

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2627/99]

(ग्यारह) उत्तरबंग ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2628/99]

(बारह) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक, मुर्शीदाबाद

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2629/99]

(तेरह) पांड्यान ग्राम बैंक, विरुधूनगस

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2630/99]

(चौदह) वल्लालार ग्राम बैंक, कुड्डालोर

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2631/99]

(पन्द्रह) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2632/99]

(11) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2633/99]

(12) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन के सांख्यिकीय विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2634/99]

(14) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2635/99]

(15) वित्त मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2636/99]

(16) संसद्, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सचिवालयों की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2637/99]

कोयला मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : महोदय, मैं कोयला मंत्रालय के वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2638/99]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे वित्त (संख्यांक 2) संशोधन विधेयक, 1999 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 10 मार्च, 1999 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 1999 को पारित किए गए संसद सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.02½ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल (गोधरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन, कार्यवाही सारांश और दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : अध्यक्ष महोदय, (1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) - छोटे-छोटे ठेके देने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण सहित उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा रोजगार के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण

[श्री कड़िया मुण्डा]

संबंधी समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दो दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के मुख्यमंत्री ने यमुना लिंक कैनाल के बारे में गलत एक बयान दिया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति ने विधानसभा में ऐसा कहा है। यदि यमुना लिंक कैनाल पूरी नहीं हुई तो हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा। यह हरियाणा के लोगों के जीवन का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में चांस दूंगा। आप बैठिये।

श्री भजनलाल (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा का अहम मसला है। इनको बाद में टाइम दे दें।

अपराह्न 12.04 बजे

पेटेंट (संशोधन) विधेयक पर विधि आयोग की सिफारिशों के बारे में

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और इस सदन के समक्ष एक ऐसी गंभीर बात रखना चाहता हूं जिसे मैं समझता हूं कि संसदीय जनतंत्र में एक अनहोनी बात है।

अध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी को लॉ कमीशन ने सरकार को एक रिपोर्ट दी है कि राज्य सभा में जो पेटेंट बिल पास हुआ है, उसमें कुछ ऐसी बातें छोड़ दी गई हैं जो राष्ट्र हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को टी०आर०आई०पी० कानून के अंदर कर सकते थे लेकिन यह काम नहीं किया। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति है जिसमें हमने स्वयं इस विषय को लेकर बहस की है और बहस करने के बाद यह रिपोर्ट आपको भेजे रहे हैं। 26 फरवरी को यह रिपोर्ट विधि मंत्रालय को भेजी और उनसे कहा कि हम समझते हैं कि जब लोक सभा में प्रस्ताव आए तो इस पर विचार होना चाहिए, नहीं तो इससे राष्ट्र का बड़ा अहित होगा। मैं समझता हूं कि विधि आयोग का एक सम्मानित स्थान है। सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट दी गई है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लोक सभा में इस पर बहस होनी चाहिए लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि लोक सभा के स्पीकर को उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। मैं नहीं जानता सरकार ने किस स्तर पर उस पर बातचीत की। मुझे यह कहा गया कि कोई खत लॉ कमीशन को लिख दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसा करने में जब लॉ कमीशन ने यह रिपोर्ट दी थी तो इस रिपोर्ट पर कम से कम कैबिनेट को विचार करना चाहिए था। अगर कैबिनेट ने विचार नहीं भी किया, क्योंकि वे बहुत व्यस्त होंगे, अधिक काम उनके पास होगा और लॉ कामीशन की रिपोर्ट तथा पेटेण्ट विधेयक पर बात करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा, तो कम से कम स्पीकर को उस रिपोर्ट की एक प्रति जानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है। मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन इसका जो फॉरवार्डिंग लेटर है, उसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा :

[अनुवाद]

"मैं इसके साथ पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी 167वां प्रतिवेदन अग्रेषित कर रहा हूं।"

उपर्युक्त विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों की मौलिक महत्ता, तथा इस तथ्य के होते हुए कि राज्य सभा द्वारा इसे पहले ही पारित किया जा चुका है, की दृष्टि से विधि आयोग ने स्वत: उपर्युक्त विषय को चर्चा के लिये लिया है। विधेयक में कतिपय महत्वपूर्ण चूक को देखते हुए यह असाधारण कदम उठाया गया जिससे हमारे राष्ट्र हित को गंभीर खतरा है।

बजट सत्र के दौरान उपर्युक्त संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार और संसद द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर चर्चा की जा सकती है।

यह एक सिफारिश पत्र है। इसके प्रथम पैराग्राफ में कहा गया है कि :

"पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 (जिसे 16 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया तथा 22 दिसम्बर, 1998 को पारित किया गया था) में अंतर्विष्ट उपबंधों की मौलिक महत्ता, तथा इस तथ्य के होते हुए कि राज्य सभा द्वारा इसे पहले ही पारित किया जा चुका है, को देखते हुए भारत का विधि आयोग ने स्वत: इस विषय को अध्ययन के लिए लिया है। विधेयक में कतिपय महत्वपूर्ण चूक को देखते हुए यह असाधारण कदम उठाया गया है। उदाहरण के तौर पर व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित करार के अनुच्छेद 27 में सदस्य राज्य को कतिपय छूट का अधिकार दिया गया है जिसे विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। विधेयक में इस बात का लोप हमारे राष्ट्र हित को गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इसी तरह से इसमें अनेक खामियां हैं जिन्हें इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है। संशोधन विधेयक के उपबंधों पर गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् विधि आयोग यह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है। बजट सत्र के दौरान उपर्युक्त संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार और लोक सभा द्वारा चर्चा की जा सकती है।"

यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रतिवेदन पर लोक सभा में चर्चा किया जाए। इसे 26 फरवरी को सदन या सरकार को प्रस्तुत किया गया था जबकि हम विगत दो दिन से पेटेंट विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार कार्यक्षमता में असफल है तो शिष्टाचार निर्वाह करने का भी कर्तव्य नहीं होता ? क्या यह शिष्टाचार नहीं था कि (व्यवधान) मैं जब बोलता हूं तो बीच में मत बोलें।

अध्यक्ष महोदय, शिष्टाचार अगर नहीं बरता जाता है तो मैं समझता हूं कि कोई भी स्टैटुटरी कमीशन अगर एक रिपोर्ट सरकार को देता है और कहता है कि लोक सभा में डिसकस होनी चाहिए तो सरकार का यह फर्ज होता है कि चाहे वह कुछ करती लेकिन लोक सभा के स्पीकर को यह रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए थी। यदि लोक सभा के स्पीकर को यह रिपोर्ट भेजी गई होती तो आप इसे मैम्बरों के पास भी भेजते। मैं उन सुझावों को पढ़कर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक-एक क्लाज पर डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है। मैं नहीं जानता कि लॉ कमीशन के अलावा और कौन उससे बड़े और बुद्धिमान लोग हैं जो कानून के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, जिनकी राय मानना सरकार ने जरूरी समझा। ऐसा करके लॉ कमीशन की ही उपेक्षा नहीं की गई, बल्कि इस संसद की उपेक्षा की गई है, सारे संसदीय आचरण की उपेक्षा की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर विषय है इसी कारण मैं इसे उठा रहा हूं। मैं जानता कि यह रिपोर्ट आपको कब मिलेगी। मैं इसे रखना नहीं चाहता, चूंकि मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता। लेकिन आपको और सदन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मोहन सिंह जी ने इस सवाल को उठाया था, लेकिन उस समय लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, श्री चन्द्रशेखर द्वारा उठाये गए मुद्दों का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि मैंने प्रतिवेदन का अध्ययन किया है किंतु लोक सभा में इसके प्रस्तुतीकरण के दौरान मैंने इसका उल्लेख नहीं किया था। प्रतिवेदन में भारत सरकार को विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के अनुरूप संशोधन का सुझाव दिया गया है उदाहरण के तौर पर प्रतिवेदन में कहा गया है : विश्व व्यापार संगठन की धारा 27 में उल्लिखित मुद्दों को अपने संशोधन में शामिल किया जा सकता है। अत:, इसका आशय विश्व-व्यापार संगठन के निर्णय का अनुपालन न करने का अनुरोध करना नहीं है। इस प्रतिवेदन का आशय सुरक्षोपायों को सुदृढ़ करना है। विधि मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय ने इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया यह जानकर मुझे आश्चर्य होता है। लोक सभा को इस मामले में अंधकार में क्यों रखा गया ? सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस रिपोर्ट की कापी कल अनधिकृत स्रोतों से मिली। मैंने आज इसे प्रश्नकाल के दौरान उठाने की कोशिश की। माननीय मंत्री के जवाब से ऐसा लगा कि यह रिपोर्ट सरकार में भी सर्कुलेट नहीं की गई है। यह एक सामान्य शिष्टाचार है कि जब राष्ट्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी विधि विशेषज्ञों की ओर से मिल रही है और उस सवाल पर यह संसद बहस करने वाली है तो कम से कम उन पेपर्स से माननीय संसद सदस्यों को अवगत कराना चाहिए था, जिससे कि हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने विचार रख सकते। भारत के ऊपर किस तरह अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपनी गिद्ध दृष्टि लगाये हुए हैं और किस तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत के व्यापार पर कब्जा करना चाहती हैं और उस कब्जे पर अपनी मोहर लगाने के लिए पेटेन्ट एक्ट में जिस तरह संशोधन किया गया, यह निंदनीय है। इस संशोधन के खिलाफ विधि आयोग ने भारत सरकार और इस देश को चेतावनी दी। विधि आयोग की यह राय है कि इस तरह का संशोधन राष्ट्र हित में नहीं होगा। पहले विधि आयोग के इस विचार पर इस संसद को चर्चा करनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से और इस सदन से मांग करना चाहता हूं कि विधि आयोग की यह रिपोर्ट जो आज की तारीख में सार्वजनिक हो गई है, क्या भारत सरकार उस पर इस संसद में बहस करायेगी ? यदि सरकार बहस नहीं करायेगी तो यह उसका राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा का उदाहरण होगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट सदन के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए और इस पर अध्यक्ष महोदय आप कोई समय देकर इस सदन में चर्चा करायें।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, यदि मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान यह बताया होता कि विधि आयोग की ये सिफारिशें हैं और सरकार ने इन सिफारिशों को अमुक-अमुक कारणों से अस्वीकार कर दिया है, तो भी हमें अनेक अपत्तियां होती क्योंकि मंत्री जी को सभा में अपने भाषण में इस बारे में उल्लेख करना चाहिए था। उन्होंने विधि आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कुछ नहीं कहा तथा विधेयक पारित कर दिया गया।

श्री चन्द्रशेखर ने भी इसका उल्लेख किया है। क्या देश की संस्थाओं की अवहेलना करने का यही तरीका है। संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। यदि आप इसी तरह राष्ट्रहित से संबंधित मुद्दों पर संसद को अंधेरे में रखेंगे तो यह एक गंभीर बात है। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए। इस गलती को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, सभा द्वारा पारित विधेयक में ऐसे अनेक उपबंध हैं जोकि राष्ट्रहित में नहीं है। महोदय, विधि आयोग ने अपना प्रतिवेदन फरवरी के माह में प्रस्तुत किया था। विधि आयोग चाहता था कि विधेयक को पुर:स्थापित करने के पूर्व उसकी सिफारिशों पर सभा में चर्चा की जाए। लेकिन सभा के ध्यान में उसे नहीं लाया गया जो कि उचित नहीं है। सरकार, जिसने ऐसा करके सभा की अनदेखी की है, सभा के प्रति अब जवाबदेह है। यद्यपि सभा द्वारा विधेयक पारित किया जा चुका है, मैं मांग करता हूं कि विधि आयोग का प्रतिवेदन तथा सिफारिशों को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए और विधि आयोग के प्रतिवेदन तथा सिफारिशों पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : अध्यक्ष जी, जो सवाल चन्द्र शेखर जी ने सदन के सामने उठाया है, यह मामला संसदीय परंपरा के लिए एक गंभीर मामला है। मैं इस बात को पहले ही समझ रहा था। पेटेंट के बारे में हमारी क्या राय थी, हम सरकार की समर्थक पार्टी हैं, फिर भी हमारी एक अलग राय है और मेरी राय भी इस संबंध में अलग थी, लेकिन जब से यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट हमने देखी है, तब से हमारी यह बात और मजबूत हो गई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हालांकि पेटेंट बिल पास हो गया है, लेकिन इसको देखते हुए, इस पर पुनः एक बार बहस करने की जरूरत है। चूंकि लॉ कमीशन ने कहा था कि आपके पास भेजा जाए, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, सदन के सभी सदस्यों को दिया जाए। इसलिए सदन के हर सदस्य को यह रिपोर्ट मिले ताकि हम लोग गंभीरता से उसे पढ़कर उस पर पुनः सदन में एक बार विचार कर सकें। यह गुजारिश मैं आपसे करता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अध्यक्षपीठ द्वारा कुछ टिप्पणी की जा रही है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, हमारी सूचना अनुरूप, अनौपचारिक रूप से मैं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी बोलेंगे। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, क्या आप मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सदन को अंधेरे में रखकर संख्या बल के आधार पर बिल पास कराया है, जो उचित नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि यह सरकार की अज्ञानता या अक्षमता के कारण हुआ है या सरकार ने जानबूझकर किया है जिसके कारण लॉ कमीशन की रिपोर्ट से सदन को अवगत नहीं कराया गया है और पेटेंट बिल को सदन से पास करा लिया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पेटेंट बिल को रद्द किया जाए और सदन में लाकर उस पर पुनः बहस कराई जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाचम (बडागरा) : आप यह बात सभा को बतायें।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं नहीं बताऊंगा।

[हिन्दी]

सर, चन्द्र शेखर साहब ने जिस लॉ कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया है, जो करैस्पॉडेंस, जो मुझ से उनकी हो रही है, उसके बारे में है। कल मुझ से उन्होंने टैलीफोन पर यह सवाल पूछा था। मैंने उनको उस वक्त बता भी दिया था कि यह आया है और मैं उनसे सिर्फ करैस्पॉडेंस में नहीं हूं, बातचीत चल रही है, इंटरैक्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि क्या फैक्ट्स हैं, *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या फैक्ट्स हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने उनकी एक-एक बात का जवाब दिया है, अनदेखी नहीं की है। जब मेरी उनसे बातचीत खत्म होकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी और फिर आप चाहेंगे कि यहां पर उन नतीजों को लाया जाये, तो मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सभा के समक्ष इसे क्यों नहीं लाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया अपनी जगह पर बैठ जायें। जब अध्यक्ष बोल रहे हों तब आपको अपनी जगह पर बैठ जाना चाहिए। यह क्या है ? पहले आप अपनी जगह बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस सदन में कोई भी बात व्यक्तिगत बात हो जाती है। मैं अपने मित्र श्री सिकन्दर बख्त से कहता हूं कि वे गुस्सा मत दिखाएं, गुस्सा मुझे भी बहुत आता है लेकिन यह गुस्से का सवाल नहीं है। किसी व्यक्तिगत बात के लिए मैं आपसे सिफारिश नहीं कर रहा हूं। आपकी और रेड्डी साहब, जो वहां के जज हैं, की व्यक्तिगत बात नहीं है। अगर केवल रेड्डी साहब ने खत लिखा होता, तो यह सवाल नहीं उठता। यह सवाल लॉ कमीशन ने उठाया है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट आप अपने लैवल पर डील नहीं कर सकते। मैं आपकी क्षमता को जानता हूं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितना मुझे पार्लियामैंट का ज्ञान है, कैबिनेट को इस रिपोर्ट के बारे में अपने अंदर बहस करनी चाहिए थी और बहस करने के बाद यदि वे किसी निर्णय पर पहुंचते तो उस निर्णय को विधि आयोग को बताते। लेकिन जब उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक सभा में इस बात की चर्चा होनी चाहिए तो उस रिपोर्ट की कॉपी स्पीकर साहब को देना आपका अधिकार होता है और आपने यह नहीं किया।

[अनुवाद]

यह सरकार द्वारा कर्तव्य की अवहेलना है और आप मुझे संसदीय प्रक्रिया नहीं सिखा सकते हैं। यदि इस बात का स्पष्ट संदेश होता कि जब विधेयक पर चर्चा की जा रही हो तब लोक सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिए, तो यह आपका कर्तव्य होता है कि आप

पत्र अग्रसारित करते और अध्यक्ष से यह अनुरोध करते कि इस मुद्दे को सभा में न उठाया जाए। लेकिन यह कहने का आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप लोक सभा अध्यक्ष को इसकी प्रति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे। मंत्री जी को बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, इधर देखिए। *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, इस सरकार पर क्या भरोसा है। *(व्यवधान)* देश के हित के साथ सरकार द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। *(व्यवधान)* देश खतरे में है। *(व्यवधान)* संसद को अंधकार में रखकर पेटेंट बिल पास करवाया गया। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी ने जो बोला है, उसके बाद यदि आप पहले हमें सुनेंगे तो उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। *(व्यवधान)* एक ही बात में उनका प्रश्न पूरा हो जाएगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपको कुछ कहना है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वे उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : कई खंडों में नहीं है *(व्यवधान)* यदि ऐसे मामलों को खंडों में दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा। यह देश का मामला है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, श्री मोहन सिंह यह मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह अकेली पार्टी का सवाल नहीं है। *(व्यवधान)* यह देश का मामला है। अगर श्री मोहन सिंह बोले हैं तो क्या हम नहीं बोल सकते ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी से श्री मोहन सिंह बोले हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : श्री मोहन सिंह के बाद मंत्री जी ने बोला है। *(व्यवधान)* अगर हम बोलेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। *(व्यवधान)* क्या हम देश को बेचेंगे ? हम मर्यादा की बात करेंगे। *(व्यवधान)* आप इस तरह से देश की खेती को बेच रहे हैं और खेती बेचने के बाद पूरे देश को बेचेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) यह क्या है ? वह विधि आयोग के प्रतिवेदन का उदाहरण देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें। यह शून्य काल है। अब मंत्री

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : मैं पहले ही कह चुका हूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : जब तक हमको नहीं सुना जायेगा तब तक हम उन्हें नहीं बोलने देंगे *(व्यवधान)* हम देश को बेचने की इजाजत नहीं देंगे। आपके चेयर की मर्यादा पूरी है। *(व्यवधान)* देश की खेती बेची जायेगी। *(व्यवधान)* क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल संगठन के नाम पर पूरी खेती बेची जायेगी ? *(व्यवधान)* खेती बेचने का मतलब है पूरा देश बेचा जाएगा। पांच विद्वान जजों की रिपोर्ट है, एक व्यक्ति की, नहीं कमीशन की रिपोर्ट है। *(व्यवधान)* उस रिपोर्ट को यहां रखना चाहिए, बहस होनी चाहिए। मंत्री जी ने जो कहा कि बात चल रही है, मैं समझ नहीं सका कि किससे बात चल रही है, किस विदेशी शक्ति के दबाव में हैं। *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : देश के अहित में बिल पास करवाया गया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 275 को उद्धृत करना चाहता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 275 को उद्धृत करना चाहता हूं।

महोदय, माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर ने कहा है कि विधि आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा विधेयक पर विचार करने से पूर्व विधि आयोग के पास भेजा जाना चाहिये था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह आप यह भूल रहे हैं कि आप सभापति तालिका में सदस्य हैं कृपया समझने का प्रयास करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, कृपया मुझे समय दें। उनसे बैठने के लिए कहें *(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, विधि आयोग से परामर्श करना सभा के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 275 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि:

"(1) समिति निदेश दे सकेगी कि सम्पूर्ण साक्ष्य या उसका कोई अंश अथवा उसका सारांश पटल पर रख दिया जाये।

(2) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा दिये गये प्राधिकार के सिवाय मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश का, अथवा समिति के प्रतिवेदन या उसकी कार्यवाही का जो पटल पर न रखी गयी हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा।"

अत: महोदय, जैसा कि विधि आयोग ने संशोधनों का सुझाव दिया है भविष्य में अन्य विधेयक लाया जा सकता है, संशोधन किए जा सकते हैं तथा विधेयक में सुधार लाया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, जिस दिन मुझे इस पत्र की प्रति मिली *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : यह रिपोर्ट है *(व्यवधान)*

श्री सिकन्दर बख्त : एक मिनट रुकिये। मुझे प्रधानमंत्री का एक पत्र मिला जिसके साथ प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न थी संभवतया जिसे सीधे विधि आयुक्त द्वारा भेजा गया था। चाहे जैसे भी मिला हो, उसी दिन मुझे वह पत्र मिला, मैंने उसका उत्तर दिया मैंने न केवल 9 मार्च को प्रधानमंत्री को लिखा बल्कि विधि आयोग के अध्यक्ष को भी लिखा। मैंने जो पत्र लिखा था यदि आप चाहे तो मैं उसे पढ़ सकता हूं। महोदय, क्या मैं ऐसा करूं ? *(व्यवधान)*

मैं उद्धृत करता हूं :

"मुझे पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 के संबंध में भारतीय विधि आयोग के 167वें प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त हुई जिसकी जांच मेरे मंत्रालय द्वारा की गई जबकि हम विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विधि मंत्रालय से परामर्श भी करेंगे। मैं प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला टिप्पण संलग्न करता हूं :

जैव-विविधता की सुरक्षा के संबंध में प्रतिवेदन में व्यक्त की गई चिन्ताओं से मैं पूर्णतया सहमत हूं। तथा हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन को रोकने की आवश्यकता से मैं पूर्णतया सहमत हूं तथा मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्वास्थ्य देखरेख पर उचित बल दिया जाये और जनसाधारण को उचित मूल्य पर औषधियां उपलब्ध करायी जाये। तथापि, मैं यह बताना चाहता हूं कि पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 1998 इन सब पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार नहीं करता है, क्योंकि इसका अनुच्छेद 70 के अंतर्गत हमारी बाध्यताओं का अनुसरण करने का समिति उद्देश्य हैं" *(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : 'जी नहीं' *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : यह पत्र मेरा है। कृपया 'न' मत कहें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : यह पत्र मेरा है। अत: कृपया इसे सुनें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दें, आप मंत्री जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : मैं समझता हूं कि वे मुझे पूरा करने ही नहीं दे रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही प्रक्रिया नहीं है, इन्हें पूरा करने दें, यह आखों देखा हाल क्यों चल रहा है ?

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : मैं उद्धृत करता हूं :

"जैव-विविधता आदि के संबंध में प्रतिवेदन में उठाये गये मुद्दे क्रमश: जैव विविधता एवं पौधों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे विधान में और समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

तथापि, पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक में लोगों के हितों को बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। ये सुरक्षा उपाय मूल्य निर्धारण, अनिवार्य अनुज्ञप्तियों से संबंधित है।"

इसलिए यह पूरा पत्र एवं विवरण है जिसे पहले ही भेजा जा चुका है।

मुझे जस्टिस रेड्डी से अभी कोई प्रत्योत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : अभी एक मिनट रुकिये। वह पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने अभी ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) की औपचारिकताओं को पूरा किया है। उनको देश तथा संसद के प्रति कोई बाध्यता नहीं हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये।

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह ठीक नहीं है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है इन्होंने प्रधानमंत्री एवं इनके बीच हुए, पत्र व्यवहार का सन्दर्भ दिया है। सदन प्रक्रिया पर चर्चा कर रहा है, आप इस सदन के संरक्षक हैं आपको हमारे हितों की रक्षा करने का अधिकार है जब विश्व व्यापार संगठन पर यहां चर्चा हो रही है मुझे विधि आयोग से कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने क्या सिफारिश की है।

श्री बासवराज पाटील सेडाम (गुलबर्गा) : सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं ले लेती है विधि आयोग की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। आप यह क्यों कह रहे हैं ? क्या कोई सरकार इसे भेजेगी ? क्या यह कोई तरीका है ? एक बार जब आप सत्ता में हैं, आप क्या वही चीज करेंगे ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : हम लोगों ने जो बात कही है, उस भावना से हम लोग क्या कहना चाहते हैं, उसे देखें। इस हाउस को लॉ कामीशन की रिकमेंडेशन की जानकारी नहीं हुई, वह वायलेशन है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्री के बीच क्या निर्णय लिया गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। माननीय मंत्री ने इसे अपने भाषण में बताया होता कि विधि आयोग ने क्या सिफारिश की थी और सरकार ने क्या निर्णय लिया है। सरकार का निर्णय लेने का अधिकार है परन्तु सदन को सिफारिशों के बारे में अन्धेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। वही हमारा विचार है। हमारा विचार वहीं है जो सरकार ने किया है। महोदय, आपको यह निर्णय करना है, यह सरकार नहीं है, आपको यह निर्णय लेना है। आपकी व्यवस्था की जरूरत है सरकार ने इसकी अनदेखी क्यों की है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज.

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये। श्री बसुदेव आचार्य कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, मैं आपसे काफी गंभीरता से कह रहा हूं कि आप बार-बार सभा की कार्रवाई में व्यवधान डाल रहे हैं। यह उचित तरीका नहीं है। यह ठीक नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभापति तालिका में भी आपका नाम है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हुजूर, हम आपके हर हुक्म को मानते हैं, लेकिन आपने हमको मौका नहीं दिया। हम तो बराबर आपके कहने से बैठ जाते हैं, लेकिन उससे हमारा अहित हो जाता है। यह देश हित का मामला है, इसे सदन के अधिकार में रखें। कमीशन ने कहा था कि इन क्लाजों पर रिपोर्ट देने से देश हित को बचाया जा सकता है। इन्होंने और प्रधान मंत्री ने आपसी लिखा-पढ़ी की। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण इस समय मैं कोई व्यवस्था नहीं देने जा रहा हूं। इस विषय में हमें अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। माननीय सदस्यगण की मांग के अनुरूप मैं इस विषय पर विचार करूंगा। अब, श्री सुरेन्द्र सिंह।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : आपकी क्या व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था बाद में दूंगा।

श्री राजेश पायलट : क्या इस पर विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे मद पर जा चुका हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं सभा पटल पर प्रतिवेदन रखने के लिए तैयार हूं। क्या आप मुझे अनुमति देंगे ? मैं देने को तैयार हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैंने श्री सुरेन्द्र सिंह को बुलाया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, यह देश विरोधी काम हुआ है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

अपराह्न 12.32 बजे

[अनुवाद]

तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार देश को बेच रही है और पेटेंट कानून को ठीक नहीं किया गया, इसलिए हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.32½ बजे

तत्पश्चात श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुरेन्द्र सिंह को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, आज के अखबारों में रिपोर्ट आई है *(व्यवधान)*

श्री बासवराज पाटील सेडाम : इनको कोई अधिकार नहीं है, सरकार को अधिकार है। सरकार इसके बारे में विचार करेगी और जब आवश्यकता समझेगी तो स्पीकर को भी बताएगी, हाउस में भी लाएगी, अभी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम उसको कन्सीडर नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री जी और सरकार की कार्रवाई इस सभा की अवमानना के समान है। सभा को अन्धकार में रखा गया है। हमें इस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिला। हमें इस अवसर से वंचित रखा गया और यह नियमों का उल्लंघन है।

और यह इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है। इसके विरोधस्वरूप हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.35 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, कल पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने विधान सभा के सत्र में एक बयान दिया कि हरियाणा और पंजाब का जो वाटर डिस्प्यूट है, उसमें एस०वाई०एल० का जो हरियाणा का हिस्सा है, उस हिस्से का एक बूंद पानी भी हरियाणा प्रांत को नहीं दिया जाएगा। जो कैरियर चैनल एस०वाई०एल० वाटर को ले जाने के लिए निर्माणाधीन है, जिसका 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है, उसके बारे में भी पंजाब के मुख्य मंत्री जी ने कहा कि न तो आगे इस नहर का निर्माण किया जाएगा और न एक बूंद पानी हरियाणा के हिस्से का उसको दिया जाएगा। मेरा सब्मिशन यह है कि राजीव-लौंगोवाल एकार्ड के अनुसार हरियाणा को पानी दिया गया था, उसके पहले इराडी कमीशन ने भी हमें पानी में हिस्सा दिया था।

अपराह्न 12.36 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उसके पहले भी हरियाणा और पंजाब के जितने भी वाटर डिस्प्यूट हुए, वे केन्द्र सरकार को रेफर किए गए। उनमें भी हरियाणा का हिस्सा फिक्स किया गया। यह बड़े अफसोस की बात है कि वे न तो हमें पानी देंगे और न कैरियर चैनल जो हरियाणा को जा रहा है, उसका निर्माण कराएंगे।

भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पर वक्तव्य देना चाहिए तथा समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए। एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं, कैरियर चैनल का बाकी बचा पांच फीसदी कार्य कब तक पूरा किया जाएगा और हमारे हिस्से का पानी, जो हमें राजीव-लौंगोवाल एकार्ड के अनुसार दिया जाता है, उसको दिया जाए।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इंडोर्स कर रहे हैं ?

श्री किशन सिंह सांगवान : जी हां, आज के सभी समाचार पत्रों में यह छपा है कि पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बादल ने हमारे प्रदेश के हितों के खिलाफ बयान दिया है, जो देश हित में भी नहीं है। एस०वाई० एल० नहर, जिस पर हमारा हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ इंडोर्स करें।

श्री किशन सिंह सांगवान : यही माननीय कृषि मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि भारत सरकार दोनों

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्यों की सरकारों को बुलाकर समझौता कराएगी, लेकिन यह बयान उसका उल्लंघन है।

श्री भजन लाल (करनाल) : उपाध्यक्ष जी, मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप भी इंडोर्स कर रहे हैं ?

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष जी, आज के सभी पेपर्स से यह खबर आई है कि पंजाब अधूरी पड़ी नहर को पूरा नहीं करेगा। बादल जी ने कहा है कि हमारे पास पानी नहीं है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रोसैया, श्री भजन लाल इसी विषय पर बोल रहे हैं। फिर मैं आप पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : नहर के पानी का फैसला हरियाणा ने नहीं किया। हम पंजाब से भिक्षा के रूप में पानी नहीं मांगते। पंजाब और हरियाणा पहले एक ही प्रांत थे। बाद में दोनों का बंटवारा हुआ। बाकायदा राजीव-लौंगोवाल एकार्ड ने भी और पार्लियामेंट ने भी बिल पास करके ट्रिब्यूनल कायम किया। उस ट्रिब्यूनल ने पानी का फैसला किया। पंजाब सरकार ने भी इस ट्रिब्यूनल को माना और जमीन इक्वायर करने के लिए इन्हीं बादल जी ने हरियाणा सरकार से इसी काम के लिए दो करोड़ रुपए लिए थे। अब वह कहते हैं कि पानी नहीं है। यह हरियाणा के लोगों के साथ बड़ा अन्याय और ज्यादती है। इस बात के लिए लोगों में बड़ा भारी रोष है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार से आप कहें कि इस बारे में वह स्थिति स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं ? यहां क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल खंडूरी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : उपाध्यक्ष जी, यह एक गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कैंथ, क्या आप एनडॉर्स कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान : माननीय मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए। *(व्यवधान)* उन्हें वक्तव्य देना है। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सतनाम सिंह कैंथ (फिल्लौर) : कल पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो बयान दिया है, ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप एनडॉर्स कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सतनाम सिंह कैंथ : उपाध्यक्ष महोदय, जो पंजाब के मुख्य मंत्री जी ने कल विधान सभा में इश्यू रेज किया है कि पंजाब में एस०वाई०एल० नहर के पानी में हरियाणा का कोई हिस्सा नहीं है। चंडीगढ़ पंजाब का है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठिए। सभा की कार्रवाई चलाने के लिए मैं हूं, न कि आप।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने मंत्री जी से उत्तर देने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : कृपया राजस्थान के बारे में भी कुछ कहिए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों के माननीय सदस्यों ने जो बात यहां उठाई है, इस पर पहले एक दफा हमारे वॉटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने कहा है। चूंकि आज यह बात दोबारा यहां उठाई गई है, इसलिए मैं यह बात उनके ख्याल में लाऊंगा और जल्दी से जल्दी इस प्रकार की मीटिंग जो पहले भी उन्होंने की है, उसमें इस इश्यू को लाने के लिए मैं कहूंगा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में 500 रु० मूल्य के जाली नोटों के प्रचलन की बात सामने आई। एक बहुत बड़ी जालसाजी चल रही है। बड़ी संख्या में जाली नोट छपे गए हैं तथा ये प्रचलन में हैं। यह इस महान देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकर है। आन्ध्र प्रदेश में एक मामला दर्ज किया गया है। इसमें शामिल तथाकथित कुछ लोगों ने समर्पण कर दिया है। आन्ध्र प्रदेश की पुलिस ने एक खास सज्जन के लिए 6 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है। ... *(व्यवधान)*• वह पुलिस से बच निकले। उन्हें अंततः समर्पण करने की सलाह दी गई। वह पुलिस स्टेशन गए

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कोनिजेटी रोसैया]

तथा आत्मसमर्पण कर दिया। जाली नोट के मामले के दोषी के साथ किए गए व्यवहार को इस देश में कोई भी व्यक्ति देख सकता है। उनके साथ तेलंगाना के पूर्व निजाम या उससे भी बड़ी हस्ती के रूप में व्यवहार किया गया है, पुलिस के व्यवहार की बात तो छोड़ दीजिए। अत्यन्त ही गंभीर आरोप लगाया गया है कि कुछ मंत्री – मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, यह मेरे लिए उचित भी नहीं है – इस मामले में शामिल हैं। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री केन्द्र सरकार से सी०बी०आई० जांच के लिए अनुरोध कर चुके हैं। *(व्यवधान)* सच्चाई सामने आएगी। वे नाम कैसे ले सकते हैं ? *(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया : मैं इन सब चीजों को नहीं चलते रहने दूंगा। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, आप उनसे बैठने के लिए कहिए। *(व्यवधान)* चूंकि वह सरकार का समर्थन कर रहे हैं वह सभा को अपना पार्टी कार्यालय नहीं बना सकते हैं *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.46 बजे

इस समय श्री कोनिजेटी रोसैया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैं आपको मौका दूंगा। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.47 बजे

इस समय श्री कोनिजेटी रोसैया और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए

श्री के० येरननायडू : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या कहा था मैंने नहीं सुना। इसमें आपत्तिजनक क्या बात थी ?

(व्यवधान)

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, कृपया कार्यवाही वृत्तांत देखें। यदि कोई भी चीज असंसदीय है, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रोसैया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपसे नहीं। आप सब कृपया मुझसे सहयोग करें। मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें।

(व्यवधान)

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, मैं 25 वर्षों तक विधायक रहा हूं। मैं इस प्रक्रिया से वाकिफ हूं। मैं अपनी हद में ही हूं। कृपया कार्यवाही वृत्तांत को देखें यदि मैंने उसमें एक भी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है तो आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और प्राय: आप मुझे सदन से बाहर भी निकाल सकते हैं। मैं इसके लिए भी तैयार हूं। परन्तु इसके साथ-साथ मेरा एक अनुरोध है कि जब कभी हम एक विशेष मुद्दा उठाते हैं तो ये महाशय खड़े होकर चिल्लाते हैं और सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्होंने मंत्री महोदय का नाम लिया है, इसलिए मैंने आपत्ति जताई है। *(व्यवधान)* मैं भी 16 वर्षों तक विधायक रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं सदन की प्रक्रिया के बारे में जानता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, आपको भी अवसर दिया जाएगा। हम यहां पर अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एकत्र नहीं हुए हैं। यह एक बौद्धिक अभ्यास है।

(व्यवधान)

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, प्रत्येक सदस्य को नियमों के अनुसार मुद्दा उठाने का अधिकार है। मैं इस सूचना को पेटी में डालने के लिए 8.30 बजे पूर्वाह्न संसद भवन में आया ताकि मेरा नाम प्राथमिकता क्रम में आए। इसी प्रकार, उन्हें सभी अधिकार हैं। वह अनुभवी व्यक्ति हैं। उनका अत्यधिक प्रभाव है। वे आ सकते हैं और पीठ से समय ले सकते हैं। जब कभी भी चाहें, वे बोल सकते हैं। हर दिन उन्हें एक अथवा दो मुद्दे उठाने की अनुमति दी गई है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इससे निपटने दें। क्या आप कृपया मुझे इस सदन को चलाने की अनुमति देंगे ? कृपया मुझे यह बताएं कि श्री येरननायडू के भाषण में आपत्तिजनक बात क्या थी ?

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, जब मैं मामले के कुछ तथ्यों का उल्लेख कर रहा था तो उन्होंने इसमें बाधा पहुंचाई। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जैसाकि मैंने कहा है आप कार्यवाही वृत्तान्त और प्रैस से इसे देख सकते हैं। इसका देश में बहुत प्रचार हुआ है। वास्तव में मैंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ मंत्री इसमें शामिल हैं और मैं इस विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। मैंने यही कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस समय आपने कुछ कहा तो वे बहुत उद्वेलित हुए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इनसे समझने दीजिए। यदि आप तीनों बात करेंगे तो मैं कैसे समझ सकता हूं ? मैं उनसे पूछ रहा हूं।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, जब उन्होंने बीच में उठकर बाधा डालनी चाही तो मैंने कहा "आप मेरे भाषण में इस प्रकार बाधा नहीं डाल सकते। कुल मिलाकर आप बारह सदस्य हैं, हम 145 सदस्य हैं। आप हमें इस तरह बोलने से चुप नहीं कर सकते। यह कोई तरीका नहीं है। हर बार आप बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, जब उन्होंने यह कहा कि मंत्री भी इसमें शामिल हैं केवल तब मैंने आपत्ति की ··· *(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, मुझे अपनी आवाज उठाने का अधिकार है *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, हमने सी०बी०आई० जांच के आदेश दे दिये हैं और इससे सच्चाई का पता चल जायेगा ··· (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : वित्त मंत्री पर भी आरोप लगाए गए हैं। एक मंत्री का जिक्र करने में क्या गलत है ? ··· *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने किसी नाम विशेष का उल्लेख किया है ?

श्री कोनिजेटी रोसैया : नहीं, महोदय। आप कार्यवाही वृत्तांत को देख सकते हैं। मैंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है ··· *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैंने मंत्री महोदय से पूछा है कि क्या उन्होंने किन्हीं नामों का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है। अब आप कृपया बैठ जाएं। हमें सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्वक चलाना है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, ठीक है। मुझे आपके आदेशों का पालन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, मैं एक प्रकार से राज्य सरकार की सहायता करने का भी प्रयास कर रहा हूं। जो कुछ हुआ है उसका अभी पता चलाया जाना है। इन मामलों में विस्तृत जांच आवश्यक है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक करैंसी नोटों को छापने और उन्हें परिचालित करने के अभिरक्षक हैं। यदि इसका निजीकरण किया जाता है और लोगों को न केवल एक रुपये का नोट अथवा दस रुपये का नोट परन्तु 500 रुपये के सबसे बड़े मूल्यवर्ग के नोट छापने और उन्हें पूरे देश में परिचालित करने की अनुमति दी जाती है तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? इसलिए मैं इसे केन्द्र सरकार के ध्यान में लाने के लिए उत्सुक हूं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार विशेष रूप से वित्त मंत्री इस संबंध में उत्तर दें। यदि वित्त मंत्री यहां पर नहीं बैठे हैं तो भारत सरकार की ओर से कोई और उत्तर दे और इस सदन को आश्वासन दे कि उन पहलुओं की जांच करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश के सदन में हुई चर्चा के अनुसार एक महोदय श्री *(व्यवधान)** के ऊपर आरोप लगाया गया है कहा गया है कि वे सत्ताधारी तेलगूदेशम पार्टी के सदस्य हैं। यह उनका आरोप है मेरा आरोप नहीं है। मैं इस सदन में अथवा बाहर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु मेरा कहना केवल यह है कि सरकार मामले की गहन जांच करे। भारत सरकार यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती कि मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। यह कोई उत्तर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए आप यह मांग कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार इस मामले की जांच करे।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

महोदय, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी आँखें बंद करके न बैठे और ऐसे मामलों में कार्रवाई की बात किसी भी राज्य में निम्न स्तर की पुलिस चौकियों पर न छोड़े जैसा कि इस समय आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। भारत सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और इसकी गहराई तक जाना चाहिए। मुझे यह जानकारी है कि इन जाली नोटों को दिल्ली भेजा जा रहा है अथवा उन्हें दिल्ली, पुणे और मुम्बई भेजा गया है और वहां पर ये चलन में हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और इसका समुचित उत्तर दे।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : महोदय, एक हजार रु० के नोट छापने के लिए इस सदन में एक विधेयक लाया गया था। उस समय भी इसका उल्लेख किया गया था। मैंने इस बात को भी उठाया था। अत: सरकार को इसकी जानकारी है। वित्त मंत्री ने उस समय उत्तर दिया था ··· *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इस पर आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि यदि वह चाहे तो जवाब दे।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। नाम शामिल करने और नाम निकाल देने के बारे में कुछ बातचीत हुई, परन्तु अंत में जब वे बोले तो उन्होंने एक सदस्य के नाम का उल्लेख किया जो कि कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया गया है।

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

(व्यवधान)

श्री कोनिजेटी रोसैया : वह दोषी है। वह मंत्री नहीं है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे कुछ भी हो, कार्यवाही वृत्तांत में नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

डा० रवि मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, वह अपराधी है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली ?

श्री राम नाईक : नहीं।

श्री पी० उपेन्द्र : राज्य सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की है। वह अपराधी है, मंत्री नहीं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये सभी बातें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएंगी।

(व्यवधान)

श्री के०एस० राव (मछलीपतनम) : उन्होंने सिर्फ अपराधी का नाम लिया है। *(व्यवधान)*

डा० रवि मल्लू : राज्य सरकार ने छः लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम अपनी सभा में ऐसा नहीं करते हैं। मैं नहीं सोचता कि ऐसा किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा वह ठीक है। सरकार भी बहुत गंभीर है। यही कारण है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस विषय में सी०बी०आई० जांच के आदेश दे दिए हैं। यह मामला अत्यन्त ही संवेदनशील है तथा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से भी इस मामले में अनुरोध किया है जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो हमें केन्द्र सरकार की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं ताकि इस बारे में उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह विषय समाप्त है।

[हिन्दी]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व दलित महिला सांसद के इलाज की बात उठाना चाहता हूं। *(व्यवधान)* यह पार्लियामैंट की इज्जत की बात है। हम यहां दलितों की बहुत बात करते हैं। *(व्यवधान)* उस दलित महिला को यहां पूरा ट्रीटमैंट नहीं मिल रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज चूंकि सभा के पास अत्यधिक कार्य हैं इसलिए आज हम भोजनावकाश नहीं करेंगे।[

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० जोगेन्द्र कवाडे : उपाध्यक्ष महोदय, हमने परसों ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। यहां दलित महिला सांसद को पूरा ट्रीटमैंट नहीं मिल रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शैलन्द्र कुमार को पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भारत देश से जा रहे हज यात्रियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे भारत से 91 हजार हज यात्री जा रहे हैं। इनमें से 57 हजार हज यात्रियों को हज कमेटी भेज रही है। 34 हजार प्राइवेट टूर आपरेटर द्वारा आवेदित वीज़ा से जा रहे हैं। मैं सरकार को यह अवगत कराना चाहूंगा कि 57 हजार में से 9 हजार हज यात्रियों को हज कमेटी भेज नहीं पा रही है। इसलिए प्राइवेट टूर आपरेटर 34 हजार हज यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हफ्तों से हज यात्री दिल्ली की सड़कों और दूतावासों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है। हज यात्री संसद सदस्यों के घर में शिकायत कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि प्राइवेट टूर आपरेटरों द्वारा भेजे जाने वाले 34 हजार हज यात्रियों को तत्काल वीज़ा दिलाने की व्यवस्था की जाए। हज जाने में एक हफ्ता शेष रह गया है। मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इनके समर्थित दलों के जितने नेता हैं,

अपराह्न 1.00 बजे

उनके कहने पर हज यात्रियों को वीज़ा दिया जा रहा है। हम विपक्ष में बैठे हुये नेताओं के कहने पर उन लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझती हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे का वह जवाब दे रही हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझती हूं। इस विषय पर जितनी चिन्ता आपको है उतनी सरकार को भी है। इस वर्ष 91,000 यात्रियों को हज पर जाने की अनुमति दी गई थी। इसमें से 66,000 हज कमेटी को तथा 25,000 निजी टूर संचालकों को दिए गए। 66,000 में से लगभग 63,000 हजार को यात्रा की अनुमति वीज़ा हज कमेटी के माध्यम से दिया गया था। बाकी बचा हुआ कोटा निजी टूर संचालकों को दे दिया गया जिससे यह 25,000 से बढ़कर 28,000 हो गया। हमें 91,000 के लिए अनुमति प्राप्त है। इसकी अंतिम तारीख 5 मार्च को समाप्त हो गई, इसके बाद हमने किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी क्योंकि आप सभी यात्रा प्रबन्धों की जटिलता को समझते हैं। तथापि, ये 91,000 लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यात्रा करेंगे।

जहां तक उनकी राशि या उनका कोटा बढ़ाने का मामला है, इस समय सऊदी अरब सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है तथा हम आशा करते हैं कि संभवत: अगले वर्ष वे वह राशि बढ़ा देंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित लोगों के लिए यह घोर चिंता का विषय है। यह पता चला है कि सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के फर्टिलाइजर प्रोमोशन और एग्रीकल्चर रिसर्च डिविजन को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस बारे में एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है।

किसानों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में बहुमूल्य सेवा करके, इस डिविजन ने उर्वरक शिक्षा परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग तथा 98 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करके दो दशकों तक आत्मनिर्भर रूप से उपयोगी सेवाएं जारी रखी, यह अत्यन्त दुर्भाग्यजनक है कि इस संगठन का यह हश्र होगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में एफ०पी०ए०आर०डी० की गतिविधियों को जारी रखने के महत्व तथा औचित्य पर जितना बल दिया जाए कम है। संसदीय समितियों और कृषि विशेषज्ञों ने भी एफ०पी०ए०आर०डी० द्वारा चलाए जा रहे संतुलित उर्वरक उपयोग कार्यक्रमों के विस्तार की सिफारिश की है।

इन परिस्थितियों में मेरा अनुरोध है कि हमारे मंत्री हरसंभव सहायता दें तथा तत्काल कार्रवाई करें इसलिए मैं रसायन और उर्वरक मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसे बंद करने के फैसले को वापस ले लें तथा एफ०पी०ए०आर०डी० को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएं ताकि किसानों को एफ०पी०ए०आर०डी० के वैज्ञानिकों से उपयुक्त प्रशिक्षण तथा तकनीक का ज्ञान प्राप्त हो सके। मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में नीमच में स्थित नारकोटिक्स विभाग के उपायुक्त द्वारा मनमाने ढंग और दुर्भावनावश एक ऐसा आदेश निकाला गया जिससे एक लाख अफीम काश्तकारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। उन लोगों में अशान्ति और बेचैनी फैल गई है। अफीम का यह उत्पादन ऐसा है जिससे विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा। मेरी आशंका है कि इस आदेश के कारण विदेशी मुद्रा के अर्जन पर विपरीत असर पड़ा है। अत: मैं भारत सरकार और वित्त मंत्रालय से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे आदेश से जिसमें खण्डों के विभाजन के पुनर्निर्धारण की बात कही गई है, किसानों के सामने भंयकर संकट खड़ा होने वाला है, उस आदेश को वापस लेने की कृपा करें।

डा० शकील अहमद (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सूचना के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर बिहार विशेषकर मिथिलांचल की जो चीनी मिलें हैं, जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है, उनको भारत सरकार के शुगर डेवलपमेंट फंड से सहायता देकर उत्तर बिहार के मिथिलांचल की चीनी मिलों, विशेषकर रय्या, शकरी, लोहट के नवीकरण की व्यवस्था की जाए।

अपराह्न 01.05 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

पूरे उत्तर बिहार के गन्ना की खेती करने वाले किसानों की हालत खराब है। मोतिहारी, जगिया, मरहौरा, सुपौल, मोतीपुर, गुरौल चीनी मिलों की स्थिति खराब है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार के शुगर डेवलपमेंट फंड से बिहार में सभी जगह जो चीनी मिलों की स्थिति खराब है, विशेषकर उत्तर बिहार में मिथिलांचल में, उनको फंड देकर उनके उत्थान के लिए काम किया जाए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार में 15 चीनी मिलें बंद हैं। उनको चालू कराने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास करें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे (कोपरगांव) : सभापति महोदय, चीनी मिलों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। वर्ष 1998-99 के लिए चीनी मिलों हेतु लेवी मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है यद्यपि मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया गया परन्तु सार्वजनिक वितरण के प्रयोजन हेतु वर्ष 1998-99 में सरकार ने चीनी खरीदना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीनी मिलों को वर्ष 1997-98 के लिए अधिसूचित मूल्य पर ही भुगतान

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे]

किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 की फसल हेतु लेवी चीनी मूल्य की घोषणा होने के पश्चात् चीनी मिलों को अंतर मूल्य दिया जाना है।

इसके कारण, चीनी मिलों को अपने दावों को निपटाने में काफी परेशानी होगी तथा उनको भारी धनराशि का नुकसान होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त 1998-99 के मौसम हेतु लेवी चीनी मूल्य को निर्धारित करें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भविष्य में वह प्रत्येक पिराई मौसम की घोषणा के ठीक पहले ही लेवी चीनी मूल्य का निर्धारण कर दें क्योंकि मजदूरी, परिवहन, कृषि, विद्युत, कैमिकल्स, पैकेजिंग-सामग्री आदि की लागत में वृद्धि के कारण, चीनी उत्पादन की लागत में काफी वृद्धि हुई है, बहुत कम मूल्य पर लेवी चीनी को देने के कारण चीनी मिलों को काफी हानि हो रही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया पढ़िये नहीं, ऐसे ही बोलिए।

[अनुवाद]

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : महोदय, गन्ने का उत्पादन करने वाले कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मौसम में लेवी चीनी मूल्य में यथेष्ट रूप से वृद्धि करें, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाता हूं। हम सभी जानते हैं कि जनशक्ति निर्यात करने योग्य वस्तु है। भारत में, केरल सबसे अधिक जनशक्ति का निर्यात करने वाला राज्य है हजारों की संख्या में केरल के लोग खाड़ी के विभिन्न देशों जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, आबूधाबी, बहरीन तथा अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार इन लोगों पर 5 प्रतिशत सेवा कर लगा रही है यह अमानवीय है। हमारी नीति कहती है कि निर्यात संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त होना चाहिए तब यह जनशक्ति पर भी लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए ? क्या सरकार को इन निर्धन लोगों से 5 प्रतिशत सेवाकर लेना चाहिए ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री चमनलाल गुप्ता।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : वे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने श्री चमनलाल गुप्ता जी को बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, जो लोग, खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे हैं, वे देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। यह बिल्कुल उचित है कि इस कर को वापस ले लिया जाए। यह अवैधानिक है कोई भी इसे माफ नहीं करेगा, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, इस समय वैष्णो देवी की यात्रा पर 50 लाख से ज्यादा लोग प्रतिवर्ष जा रहे हैं। कटरा वैष्णो देवी का बेस कैम्प है। कटरा में इस समय पानी की इतनी दिक्कत है कि होटलों में एक-एक बाल्टी पानी दस-दस रुपये में मिल रहा है। चूंकि केन्द्रीय सरकार ने अपने नेशनल एजेंडा में पीने का पानी सब जगह पहुंचाने की व्यवस्था करना, यह [illegible] कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है, इसलिए मेरा सरकार से सबसे पहला निवेदन यही है कि कटरा में पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए एक एम्बीशियस प्लान बनाया जाए और जो देश के 50 लाख तीर्थयात्री वहां प्रति वर्ष पहुंच रहे हैं, उन्हें पानी की सुविधा दी जाए।

सभापति महोदय, इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दोमेल से कटरा तक जो सड़क है, उसे चार लेन की सड़क बनाया जाए, ताकि इन यात्रियों को असुविधा न हो। धन्यवाद।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : सभापति महोदय, आज यह सवाल एक महिला सांसद की जान बचाने से संबंधित है। श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने 9 फरवरी को पत्र द्वारा स्पीकर महोदय और हैल्थ मिनिस्टर को लिखा था कि श्रीमती मालती देवी को ट्रीटमेंट के लिए अमरीका भेजना बहुत जरूरी है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि श्रीमती मालती देवी को अमरीका भेजा जाए। लेकिन वह आदेश ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कल श्रीमती मालती देवी के पति ने जाकर इंक्वायरी की तो पता चला कि वह आदेश अंडर सैक्रेटरी के पास पड़ा हुआ है। इसके बाद वह डायरेक्टर के पास गये। डायरेक्टर ने एक फार्म दिया और कहा कि ट्रीटिंग डाक्टर रैना से यह भरवाकर ले आओ। वह जब डाक्टर रैना के पास गये तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं भर सकता। एक सांसद के पति को परेशान किया जा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने गलत ट्रीटमैंट दिया है। जहां केमोथिरैपी की 80 एम०जी० पड़नी चाहिए थी, वहां उन्होंने 120 एम०जी० दे रखी है। यहां 12 फरवरी को हम लोगों ने जब अमरीका के स्पेशलिस्ट से रिपोर्ट मंगाई तो उन्होंने कहा कि इस तरह का ट्रीटमैंट देने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने 80 एम०जी० के बदले 120 एम०जी० दे दिया। जिसकी वजह से उनकी झार्ट फैल होने की नौबत आ गई और किडनी डैमेज हो गई। यहां के आदेश के बाद भी ऐसा हो रहा है।

सभापति महोदय : निषाद जी, आप अपनी बात को संक्षेप में कहिये और मैम्बर्स भी बोलेंगे। आप डिटेल में मत जाइये।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : सभापति महोदय, हम एक दलित महिला एम०पी० के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जान बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। क्या सरकार यह चाहती है कि आर०जे०डी० का एक मैम्बर कम हो जाए, अपोजीशन का एक मैम्बर कम हो जाए।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि श्रीमती मालती देवी की जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत अमरीका भेजा जाए। साथ ही यह इंक्वायरी भी हो इस मामले में इस तरह का डिले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा क्यों हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यह संसद की एक माननीय सदस्या का मामला है *(व्यवधान)* उनका गलत इलाज हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, यह विषय अपनी एक सांसद श्रीमती मालती देवी जी से संबंधित है। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि उन्हें कैंसर हुआ है। वैसे आप भी जानते हैं कि चार वर्ष पूर्व मुझे भी कैंसर हुआ था, लेकिन मैं अब ठीक हो गया हूं। उनके ट्रीटमेंट के लिए व्यक्तिगत तौर पर टाटा अस्पताल, मुम्बई में जितना कहने और करने की आवश्यकता थी, वह हमने पूरी कोशिश की है। अब यह सवाल उठाया गया है। मैं इतना चाहता हूं कि उनके साथ टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में जिनको जाना है, उसके अनुसार उनके जाने-आने की सुविधा हमने कर दी है।

अब चूंकि यह सवाल हैल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित है। इसलिए मैं, जीरो आवर समाप्त होने के तुरन्त बाद इसको स्वास्थ्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले में जो भी वे कर सकते हैं और जिस प्रकार की सहायता दी जा सकती है, वह उन्हें दी जाए।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक विशेष समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। बिहार के शेखपुरा स्टेशन पर सार्वजनिक सुविधाओं का नितान्त अभाव है, लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शेखपुरा रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाना चाहिए और यहां पर प्रमुख गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे शेखपुरा जिले के निवासियों को यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सके। यहां पर अनेक सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन सुविधाओं की शीघ्र ही शेखपुरा स्टेशन पर व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति जी, रेल मंत्री सभी का जवाब देते हैं, हमसे क्यों नाराज हैं, जवाब दे दीजिए, कुछ करिए।

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन (कासरगोड) : सभापति महोदय, महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार का ध्यान खादी जोकि बड़े पैमाने का ग्रामोद्योग है में कार्यरत कर्मियों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री महोदय ने कल राज्य सभा में इस उद्योग को दी जाने वाली राजसहायता के संबंध में एक वक्तव्य दिया। मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर अपना विरोध प्रकट करता हूं क्योंकि यह इस असंगठित ग्रामोद्योग को बुरी तरह से प्रभावित करेगा।

पूरे देश में लगभग 60 लाख के लगभग लोग खादी उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। खादी उद्योगों में कार्य कर रहे कर्मकारों में अधिकांशतया महिलायें हैं आज यह उद्योग बाजार में कम मांग एवं कपास के अधिक मूल्य के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहा है।

भारत सरकार राजसहायता कम करके खादी के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण अपना रही है। खादी ग्राम सहकारिताओं और अन्य संस्थाओं को खादी आयोग से भारी राजसहायता दी जाती है। खादी उद्योग की समस्याओं का यह भी एक कारण है। इसलिए मैं उद्योग मंत्री एवं खादी आयोग से अनुरोध करता हूं कि वे खादी इकाइयों को देय समस्त राजसहायता बिना विलम्ब तुरन्त जारी करें।

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में डैंटल कॉलेज शिमला में है उसमें काफी समय से हड़ताल चल रही थी, लेकिन 3 तारीख को हड़ताल खत्म हो गई है। इसी प्रकार से प्रदेश में जो प्राईवेट कालेज हैं जैसे डी०ए०वी० कॉलेज सोलन जिले में है और एक सुन्दर नगर में है, जिनका उद्घाटन मुख्य मंत्री श्री धूमल जी ने किया। प्राब्लम यह हो गई है कि उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मैं कई बार हैल्थ डिपार्टमेंट में गया और कहा कि जो डैंटल कौंसिल से मान्यता प्राप्त कालेज हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों को प्रवेश देने हैं और परीक्षाएं देने की अनुमति दें, लेकिन अभी तक यह नहीं हो रहा है। वहां के जो चेयरमैन हैं उनके साथ हम वाजपेयी जी से मिले कि उन्हें प्रवेश देने और परीक्षाएं देने की अनुमति प्रदान की जाए और मुझे विश्वास है कि इस बारे में उन्होंने भी आदेश दिए होंगे, लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हैल्थ डिपार्टमेंट में कई अधिकारी ऐसे होंगे जो इस काम को नहीं होने देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में निर्देश दिए जाएं कि उन कालेजों के विद्यार्थियों को प्रवेश और परीक्षा की अनुमति दी जाए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में वायुयान सेवा हेतु हवाई पट्टी छोटी होने के कारण नहीं चलाई जा रही है जिसमें यात्रा करने वालों को बिलासपुर से रायपुर 150 किलो मीटर जाकर उक्त सेवा का लाभ ले पाते हैं। आने-जाने में कठिनाई भी होती है। कभी-कभी हवाई यात्रा करने में असफलता मिलती है। बिलासपुर जिला सबसे बड़ा औद्योगिक जिला है। कमिश्नर मुख्यालय है। कोल माइन्स का आफिस है। ताप परियोजनाएं कोरबा में हैं। स्पंज आयरन आफिस कंपनी, सीमेंट कारखाना तथा व्यापारिक केन्द्र भी है,

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

रेलवे का मुख्यालय है, बिलासपुर जिला बड़ा औद्योगिक केन्द्र है जिससे हवाई पट्टी का विस्तार न होने से वायुसेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं। अत: महोदय निवेदन है कि जिला बिलासपुर में हवाई पट्टी के विस्तार हेतु पूर्व में प्रकरण विचाराधीन है, कि जिला बिलासपुर मे हवाई पट्टी बनाने का आदेश प्रसारित करने का कष्ट किया जाए एवं पूर्ण आधुनिक हवाई पट्टी बनाई जाए और पुन: वायुयान सेवा प्रारंभ की जाए।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश शासन ने पिछले पांच-सात वर्षों से सिंचाई की सत्रह योजनाओं को केन्द्र शासन के पर्यावरण विभाग में भेज रखा है। एक तरफ हम सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सत्रह योजनायें अकारण ही केन्द्र शासन के पर्यावरण विभाग के पास लंबित हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि पर्यावरण मंत्री को निर्देश दिया जाये कि वे उन सत्रह योजनाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करके शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लें।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : माननीय सभापति जी, सत्र प्रारंभ होने के डेढ़ महीने पहले मैंने रीवा के कलैक्टर को एक पत्र लिखा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जितनी योजनायें हैं, उनको वर्ष 1997-98, 1998-99 में कितना पैसा भेजा है और वह किस-किस मद में खर्च हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा मुझे दिया जाये। मैंने कलैक्टर, रीवा को रिमाइंडर भी लिखा लेकिन कलैक्टर, रीवा जानबूझकर मेरे किसी भी पत्र का जवाब वहां के एक प्रभावशाली नेता के दबाव में नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं कलैक्टर के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते वहां के सरपंच को आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने एक लिखित नोटिस दिया था कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई, तो वह आत्मदाह कर लेगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार जानकारी का अधिकार आम नागरिक को भी है लेकिन एक संसद सदस्य जानकारी हासिल नहीं कर पा रहा है। कलैक्टर, रीवा उसके पत्रों का जवाब नहीं दे रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दें कि जब हम लोग पत्र लिखें तो हमें उन पत्रों का जवाब मिल जाये।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : सभापति महोदय, कोई भी महिला सदस्य यहां उपस्थित नहीं है परन्तु मैं महिलाओं से संबंधित समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास कर रही हूं।

बलात्कार के मामलों में हुई वृद्धि तथा मौजूदा कानून की अपार्याप्तता की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। हाल ही में, बलात्कार के मामलों में काफी वृद्धि हुई है आप जैसे ही समाचार पत्र खोलते हैं आपको वहां इसके बारे में कोई न कोई रिपोर्ट मिल जाएगी यहां तक की छोटी-छोटी लड़कियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसे मामलों की बढ़ती हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से मांग करती हूं कि वह बलात्कार से संबंधित कानून को अद्यतन करे क्योंकि यह बहुत पुराना हो चुका है।

माननीय गृह कार्य मंत्री जी ने यहां तक कहा है कि वह इस संदर्भ में मृत्यु-दंड की सिफारिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक विश्व में मृत्यु-दंड व्यवहार्य नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में ऐसा कठोर दंड, दिया जाए जो मृत्यु-दंड से कम न हो।

कानूनी बहस के कारण होने वाला प्रक्रियात्मक विलंब एक अन्य पहलू है, इसका भी ध्यान रखा जाए, मैं सरकार से मांग करती हूं कि बलात्कार संबंधी मौजूदा कानूनों को अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके तथा न्याय में देरी न हो और यह समय पर मिले।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय सभापति जी, समाजवादी पार्टी ने कल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में बंद का नारा दिया था। उस नारे के अन्तर्गत जो दुकानदार अपनी दुकान खोले हुए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता ने जुलूस बनाकर उन दुकानदारों को दुकान से खींचकर निकाला और उनको मारा। यह पूरे प्रदेश में अराजकता पैदा कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष के हाथ-पैर तोड़ दिये हैं। इसी प्रकार की घटना ऊरी और झांसी में की है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वे उत्तर प्रदेश सरकार से बात करने का काम करें। *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, समाजवादी पार्टी का कोई भी सदस्य यहां पर नहीं है। *(व्यवधान)* किसी पार्टी के खिलाफ बोलना उचित नहीं है। *(व्यवधान)* माननीय मिश्रा जी ने एक पार्टी के खिलाफ *(व्यवधान)* इसको कार्यवाही से हटा दिया जाये। *(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र : वहां व्यापारियों पर अत्याचार किया जा रहा है। *(व्यवधान)* समाजवादी पार्टी के लोगों ने व्यापारियों को निकालकर मारा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : सभापति महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि मैं शून्यकाल में कभी नहीं बोलता हूं जब तक कि मैं स्थिति से पूरी तरह से सम्बद्ध न हूं जब से मैंने अपना पद छोड़ा है, यह पहला अवसर है कि मैं सदन का ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकृष्ट करा रहा हूं जो कि हम सबके लिए, भले ही हम किसी भी दल के हों, भारी चिन्ता का विषय है।

मैं सरकार अथवा किसी दल की आलोचना करने के लिए नहीं बल्कि राजधानी में बढ़ रहे अपराध पर अपनी चिन्ता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुश्किल से ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब हम समाचारपत्र के प्रथम, द्वितीय, तीसरे पृष्ठ पर नहीं देखते कि अपराध संबधी घटनायें नहीं बढ़ रही हैं। राजधानी में एक बार जब स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाएगी — यहां पुन: मैं किसी पर आरोप

नहीं लगा रहा हूं कृपया इसे पक्षपात वाली दृष्टि से न देखें – मैं एक सजग नागरिक होने के नाते अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं, मेरा मानना है कि यह वह समय है कि जब हम एक साथ बैठें और इस पर अंकुश लगायें। हम जानते हैं कि इस संसार में, ऐसी बहुत सारी राजधानियां हैं जो बाद में माफियों का गढ़ बन गई हैं इसलिए बीमारी से निबटना मुश्किल है यह पहले से ही एक खतरा बन चुका है।

महोदय, मैं यहां पर आपका तथा देश का ध्यान इस पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह बहुत मुश्किल स्थिति है। हमने विभिन्न राज्यों के संबंध में अपनी चिन्ता अक्सर व्यक्त की है मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। परन्तु सबसे पहले राजधानी को बचायें। जब तक हम राजधानी को नहीं बचाएंगे तो इन चीजों पर काबू पाना कठिन हो जाएगा।

इसी प्रसंग में दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो यह चिन्ता कि इस प्रकार का सांस्कृतिक वातावरण प्रबल हो रहा है और उसमें प्रचार माध्यमों की भूमिका। मीडिया से मरा तात्पर्य है इलैक्ट्रानिक मीडिया और हिंसा, अपराध और बलात्कार के बारे में मन में बैठाने वाली मीडिया की संस्कृति की किस्म और इससे जो कुछ हमारी युवा पीढ़ी सीख रही है। यहां पर कोई नीतिगत ढांचा नहीं है।

इसका दूसरा आयाम जिसे आपने अभी देखा है। मैं पिता और दादा के रूप में अत्यधिक उदासी महसूस करता हूं। यह स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बसों की दुर्घटना के बारे में है। जब मैं पद पर था तो मैंने एक बैठक आयोजित की थी। मैंने दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया और मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया। मैंने कहा कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बसों के लिए विशेष नियम बनाये जाने चाहिए। इस संबंध में दो सप्ताह पहले मैंने दिल्ली की मुख्य मंत्री को भी पत्र लिखा है और दुर्भाग्यवश उन्होंने उस पर गौर नहीं किया है।

मैंने उस पत्र में तीन बातें लिखी हैं। एक यह है कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बसों को चलाने वाले ड्राइवर ड्राईविंग की एक विशेष परीक्षा पास करें और सरकार नियम बनाए ताकि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बस को चलाने के लिए सामान्य ड्राईवर अयोग्य न हों और विशेष परीक्षा को ऐसा बनाया जाए ताकि इसमें अन्य कदाचार न आ सके।

दूसरी बात यह है कि हम सभी ने विदेश यात्रा की है, और यदा-कदा हमने नोट किया है कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली प्रत्येक बस में एक बड़ा साईन बोर्ड होता है जिसमें लिखा है कि यह एक स्कूल बस है और इसमें रात के लिये लाईट की व्यवस्था भी है। 'स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बस को ओवरटेक करना एक अपराध है' इसके लिये भी एक नियम बनाया जाए। कोई बस जो स्कूली बच्चों को स्कूल जे जा रही है अथवा घर छोड़ने जा रही है, को कोई भी ओवरटेक न करे। इसके लिए मैंने नियम बनाए हैं परन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा मैं पार्टियों की निन्दा नहीं कर रहा हूं। इसलिए इसे दलगत रवैये के रूप में न लिया जाए। मैं इसे एक नागरिक और ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जिसने इस राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में कुछ किया है। महोदय, मैं आपके और इस सदन के माध्यम से सुझाव देता हूं कि हम सर्वसम्मति से अपनी चिंता व्यक्त करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, दिल्ली में लूटपाट, छीना-झपटी और बलात्कार के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाई (बालासोर) : आप हर बार उठकर चिल्लाते हैं, आपको आदत पड़ गई है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पूर्व प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है, उसका रिकार्ड कर रहे हैं, जरा शांति से सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात भी सुनी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने इन तीन मामलों के बारे में गहन चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस संबंध में अपने विचारों को विस्तृत रूप से अभिव्यक्त किया है। एक तो बढ़ते हुए अपराध के बारे में है और उस दृष्टि से उन्होंने कहा है कि हम राजधानी को कैसे बचा सकते हैं।

उनका दूसरा विषय इलैक्ट्रानिक मीडिया के प्रभावों के बारे में है और तीसरा विषय स्कूल बसों के बारे में है कि ड्राईवरों की परीक्षा उचित रूप से ली जाए, आदि। मैं आशा करता हूं कि सभी इस चिंता में समान रूप से भागीदार हैं। मैं गृह मंत्री को उचित कार्रवाई हेतु इस बारे में सूचित करूंगा।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, मैं श्री इन्द्र कुमार गुजराल द्वारा उल्लिखित किए गए विषयों में एक विषय और जोड़ना चाहता हूं।

वाहन से होने वाले प्रदूषण और अन्य प्रदूषणों के होते हुए दिल्ली को अति प्रदूषित शहर माना गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है। श्री इन्द्र कुमार गुजराल और श्री राम नाईक द्वारा उल्लिखित किए गए सभी विषयों के अतिरिक्त प्रदूषण के विषय को भी शामिल किया जाए। प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ विशेष प्रयास और उपाय किये जाएं। *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, श्रीनगर काश्मीर में स्थित विश्व प्रसिद्ध डल झील दयनीय स्थिति में है। यह सौभाग्य है कि श्री इन्द्र कुमार गुजराल सदन में उपस्थित हैं। श्री इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने उस झील के संरक्षण का वचन दिया था और 290 करोड़ रु० की राशि आवंटित की थी। यह सरकार इस परियोजना के बारे में न केवल सुस्त ही है बल्कि इससे पीछे हट रही है। अब गुजराल सरकार ने 290 करोड़ रु० का वचन दिया उस समय चुनाव निकट भविष्य में थे। इसलिए, मंत्रिमंडल यह न कह सका कि यह धनराशि प्रदान की जाए। परन्तु योजना

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

आयोग ने तुरन्त 87 करोड़ रु० दिये। उसमें से 27 करोड़ रु० राज्य सरकार को दिये गये। परन्तु आज क्या स्थिति है ? वर्तमान सरकार इस प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार करना चाहती है। पिछली सरकार ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया। चूंकि चुनावों की घोषणा हो गयी थी इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके बारे में काश्मीर के लोगों में निराशा व्याप्त हो गई। यह झील राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यटकों को आकर्षित करती है। मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय संरक्षण सूची में शामिल किया गया है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह कल अथवा अन्य किसी दिन वक्तव्य दे कि पिछली सरकार के वचन को यह सरकार भी स्वीकार करेगी और धनराशि प्रदान की जाएगी। मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। वे यहां वक्तव्य दे सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। यदि वह कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं।

श्री राम नाईक : यह सरकार भी जम्मू और काश्मीर में स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। इस सरकार ने काश्मीर में स्थिति सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तो वे इसे मंत्रालय में प्रस्तुत कर सकते हैं *(व्यवधान)* इसकी सूचना सरकार को दे दी जाएगी। वे इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि इस बारे में क्या किया जा सकता है।

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, मैं श्री राम नाईक से अनुरोध करता हूं कि जो बात मैं इस सभा में कहना चाहता हूं उसे श्री वाजपेयी को सूचित करें। यह कोरापुट-बोलांगिर-कालाहांडी के लिए के०बी०के० परियोजना के बारे में है जो कि उड़ीसा का अत्यंत पिछड़े क्षेत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं नरसिम्हा राव सरकार ने 4557 करोड़ रु० के परिव्यय की सात वर्षीय योजना को स्वीकृति दी थी परन्तु वाजपेयी सरकार ने परिव्यय को बढ़ाकर 6251 करोड़ रु० कर दिया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परियोजना के परियोजना प्रशासक ने 25 फरवरी को उड़ीसा के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है कि वह इस पद पर नहीं रहना चाहते क्योंकि उनके पास कोई कानूनी, प्रशासनिक अथवा वित्तीय शक्तियां नहीं है। वह कहते हैं कि मात्र केन्द्र सरकार को संतुष्ट करने के लिए राज्य सरकार ने धनराशि के प्रावधान के बिना उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि गांवों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहां पर चल स्वास्थ्य देखभाल इकाइयाँ विद्यमान हैं उन्होंने यह भी कहा है कि सुक-तेल परियोजना सुलझाने के बजाय अधिक समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। वे कहते हैं कि परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है। तो पैसा कहां जा रहा है ? पैसे का क्या हो रहा है ? यह उड़ीसा का अति समस्या का क्षेत्र है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार क्या कर रही है यदि परियोजना प्रशासक कहता है कि परियोजना मात्र कागज पर लिखे होने के अलावा कुछ नहीं है।

श्री राम नाईक : चूंकि मामला नियोजन से संबंधित है और मैं योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री हूं, मैं इस शिकायत की जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी : सभापति जी, अभी श्याम बिहारी मिश्र जी ने जो मामला उठाया वह मेरे संसदीय क्षेत्र का है, मैं उस पर केवल एक मिनट कुछ कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : आप बैठिए, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन एकोमोडेट करना सम्भव नहीं है, हरेक सदस्य को बोलने देंगे तो काफी कठिनाई होगी। हो सकता है कुछ सदस्यों को मौका न मिले। यदि कोई सदस्य महत्वपूर्ण विषय उठाता है तो हम उसे मौका देंगे।

श्री गंगा चरण राजपूत : आपने कई सदस्यों को दोबारा बुलाया है, जो कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापित महोदय : आप बैठिए। श्री बसुदेव आचार्य।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, भारतीय खाद्य निगम में गेड-II तथा ग्रेड-III में काफी संख्या में लोग कार्यरत हैं। उन्हें गत बीस वर्षों से कोई प्रोन्नति नहीं मिली है, जबकि अफसरों को चार या पांच वर्षों में प्रोन्नति मिलती रही है। श्री शशि मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी जिसने अपनी रिपोर्ट 1994 में दी। लेकिन इस संबंध में कोई भी अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है। अत: भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों में काफी आक्रोश है।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन प्रमुख कर्मचारी संघ से कोई वार्ता नहीं कर रही है। एफ०सी०आई० कर्मचारी संघ एफ०सी०आई० का प्रमुख प्रतिनिधि संगठन है। उसके बावजूद, प्रबंधन छोटे (अल्पसंख्यक) कर्मचारी संघों से वार्ता कर रही है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का उल्लंघन है। नैमेत्तिक कर्मियों की भी संख्या अत्यधिक है। काफी संख्या में गोदामों को विभागीय नहीं बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, वहां अभी भी ठेके पर काम हो रहा है और वहां के सभी मजदूर ठेके पर काम करने वाले ही हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जा रही है। मेरी मांग है कि सभी गोदामों में सीधे भुगतान प्रणाली की शुरूआत की जाए तथा ग्रेड-दो, तीन तथा चार कर्मचारियों की प्रोन्नति जो रुकी पड़ी है उसे ठीक किया जाए। उन्हें प्रोन्नति मिलनी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ गठित की गई समिति जिसने अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब सदन में नियम 377 के आधीन विषयों पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.41 बजे

इस समय श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : मेरा अनुरोध है कि आप अपनी सीट पर जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सदन में नियम 377 के अधीन विषयों पर चर्चा होगी। श्री चन्द्रशेखर साहू।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : यह क्या बात हुई कि कुछ मेम्बर्स पूरे सत्र में नहीं बोलेंगे और कुछ रोज बोलेंगे ? यह क्या अन्याय है ?

सभापति महोदय : हमें हाउस को कंडक्ट करना है। हाउस क्या आपके हिसाब से चलेगा ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चन्द्रशेखर साहू की बातों के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट ग्रहण करें।

अपराह्न 1.42 बजे

इस समय श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।

अपराह्न 1.42½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा, 1999 में बैठने हेतु अवसरों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु में दो वर्ष की वृद्धि करने के बाद केन्द्रीय सेवा व अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि की। इसी निर्णय के तारतम्य में सिविल सेवा परीक्षा 1999 में अधिकतम आयु सीमा में भी दो वर्ष की वृद्धि अर्थात् सामान्य वर्ग के लिए 28 से 30 वर्ष की गयी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें तीन वर्ष की व एस०सी० व एस०टी० के लिए पांच वर्ष की छूट दी गयी परंतु इसमें सम्मिलित होने के अवसर (अटेम्पट) संख्या में वृद्धि नहीं की। इससे आयु सीमा में वृद्धि का सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए सरकार यदि उन्हें अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि कर लाभ देना चाहती है तो सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अवसर (अटेम्पट) संख्या (जो कि क्रमशः 4 व 7 हैं) में भी वृद्धि की जाए तभी उन्हें लाभ होगा तथा तत्संबंधी संशोधन के साथ सिविल सेवा परीक्षा 1999 का पुनः विज्ञापन दिया जाए ताकि उक्त छूट का फायदा उठाते हुए परीक्षार्थी उक्त परीक्षा में सम्मिलित हो सकें।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : सरकार ने जो 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की थी वह अभी तक नहीं आयी है ... *(व्यवधान)* चूंकि मंत्री महोदय सभा में उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : श्री जनार्दन मिश्रा की बातों को छोड़ कर और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

(दो) सीतापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु शारदा नदी के दोनों किनारों पर तटबंध का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर) : महोदय, बाढ़ की विभीषिका से प्रति वर्ष देश में भीषण तबाही होती है। इस वर्ष 1998 में बाढ़ से उत्तर प्रदेश में भारी क्षति हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र सीतापुर में इस वर्ष बाढ़ से भारी तबाही हुई है। सीतापुर में बहने वाली नदियां शारदा, घाघरा, चौका, सिवानी व सरायन से बिसवां, लहरपुर, महमूदाबाद, सीतापुर तहसीलों का प्रत्येक गांव बाढ़ से प्रभावित हुआ है। जिससे ग्रामों में भवन गिर गए, फसलें नष्ट हो गई हैं और वहां के लोग भुखमरी का जीवन जी रहे हैं। शारदा नदी की विशेषता यह है कि बाढ़ आने पर अपना रास्ता बदल देती है और रास्ता बदल देने के कारण जो गांव उसकी धारा में पड़ जाते हैं उन्हें काट कर ले जाती है। जिस कारण प्रति वर्ष तमाम गांव कट कर नदी के पेट में समा जाते हैं तथा फसलें भी नदी के कटाव में चली जाती हैं। प्रति वर्ष राहत व पुनर्वास में करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है। यदि इसके स्थायी हल के लिए शारदा नदी के दोनों ओर तटबंध बना दिया जाए तो नदी का कटाव रुक सकता है और उस क्षेत्र के लोगों को काफी

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र]

राहत मिलेगी तथा हर वर्ष बरबादी से बच सकेंगे। इसका लाभ लखीमपुर, बहराइच व सीतापुर जिलों को मिलेगा। वर्ष 1994-95 में इसका सर्वेक्षण करा कर एक कार्य योजना तैयार की गई थी लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अत: मेरा जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि बाढ़ से स्थाई हल व शारदा नदी के कटान से बचाने के लिए नदी के दोनों ओर तटबंध बनवाने का कष्ट करें जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोग बर्बादी से बच सकें। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

(तीन) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन से जामनगर को बी-2 का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : महोदय, आपकी अनुमति से लोक सभा में नियम 377 के अनुसार एक अति लोक महत्व का मामला रख रहा हूं। गुजरात के जामनगर शहर की पापुलेशन अब करीब 6-7 लाख को होने के बावजूद जामनगर के सरकारी कर्मचारियों को एच०आर०ए० क्लास बी-2 के अनुसार नहीं दिया जाता जबकि एच०आर०ए० बी-2 क्राईटेरिया पापुलेशन का 4 लाख है। जामनगर को स्पेशल केस गिन कर 1.1.1989 से सी०सी०ए० दिया जाता है। जब भी सांसद एवं संस्था केन्द्र को रिप्रैजेंटेशन करते हैं तो जवाब दिया जाता है कि 1991 के सेंसस के अनुसार जामनगर की बस्ती 3,75,000 है। अब 1991 नहीं है, 1998-99 है, तो स्पेशल केस गिन कर बी-2 बना कर एच०आर०ए० दिया जाये।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एस्सार उद्योग एवं अनेक उद्योग वहां अभी-अभी आए हैं। 40,000 करोड़ रुपए का इनवेंस्टमेंट उनके हुए, जिससे उनके डेढ़ लाख मजदूर कर्मचारी बाहर से वहां आए। आर्मी, नैवी एवं एअर फोर्स कर्मी की संख्या भी एक लाख पच्चीस हजार की है जो उपरोक्त 1991 के सेंसस में गिनी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से सेंसस कर्मचारियों को गिनती के लिए अंदर जाने नहीं दिया। एशिया में सबमे बड़ी औद्योगिक बस्ती जामनगर है। गुजरात में सबसे ज्यादा मकान का किराया जामनगर का अब है। स्क्वेयर फीट जगह का मकान का किराया करीब 12 रुपया है। विश्व प्रसिद्ध यात्रा धाम द्वारका एवं कृष्ण भगवान का निवास स्थान, ओखा बेंट पवित्र स्थान पर देश-विदेश से हर साल यहां लाखों यात्री आते हैं। इन सब प्रमाणों के बावजूद जामनगर को बी-2 सरकारी कर्मचारियों को एच०आर०ए० नहीं दिया जाता।

अत: केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि जामनगर को बी-2 स्पेशल गिन कर एच०आर०ए० दिया जाए।

(चार) ग्राम स्वास्थ्य रक्षकों को दी जा रही मानदेय राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : महोदय, मध्य प्रदेश में विगत 21 वर्षों से लगभग 30,000 जन स्वास्थ्य रक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनको मासिक पारिश्रमिक मात्र 50 रुपए दिया जाता है। आज केन्द्रीय शासन में चतुर्थ श्रेणी की मासिक आय लगभग 4000 से भी ज्यादा है। उसकी तुलना में 50 रुपए नितांत कम है। इस मामले की केन्द्रीय मंत्री जी से बहुत बार चर्चा की, किन्तु एक ही जवाब प्राप्त होता रहा कि जन स्वास्थ्य रक्षकों की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट मिलने पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

अत: मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अविलंब इस गंभीर प्रकरण का शीघ्र ही निर्णय करें एवं 30,000 कर्मचारियों को भुखमरी से बचाएं।

(पांच) उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में पलिया कलां के पास बने हवाई अड्डे को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : मान्यवर, जनपद खीरी के विख्यात दुधवा नेशनल पार्क के निकट कस्बे पालिया कलां के पास एयर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एयर पोर्ट का निर्माण किया गया, जोकि तैयार हो गया है, परन्तु उसे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में जो भी बाधाएं हों, उनका शीघ्र ही निदान करके हवाई अड्डे पर आवागमन चालू कराने की दिशा में कार्य करें।

(छः) बिहार के वैशाली में भगवान बुद्ध का अस्थिकलश स्थापित करने हेतु भवन के निर्माण के लिए बिहार राज्य सरकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भूमि तथा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, बिहार राज्य में वैशाली भगवान बुद्ध की कर्म-भूमि एवं भगवान महावीर की जन्म-भूमि तथा लिच्छिवी गणराज्य का ऐतिहासिक गौरवशाली स्थान है। वहां पर खुदाई में आज से 2-3 हजार वर्ष पहले के सिक्के, बर्तन, भगवान की मूर्तियां एवं भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि कलश मिला है जो पटना के संग्रहालय में रखा हुआ है। राज्य सरकार ने साढ़े तीन करोड़ रुपये का भवन बनाकर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को रखने की योजना बनाई है लेकिन जिस स्थान पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की स्थापना होनी है वह जमीन भारत सरकार के पुरातत्व विभाग (आर्केलॉजी डिपार्टमेंट) की है। वैशाली का पर्यटन के हिसाब से विकास के लिए सरकार को ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए कि वहां पर हर वर्ष हजारों-हजार जापान तथा अन्य देशों से बौद्ध मतावलम्बी आते रहते हैं।

अत: मैं मांग करता हूं कि भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि कलश की स्थापना के लिए आर्केलॉजी डिपार्टमेंट से जमीन मुहैया करायी जाये और भवन निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि का उपबंध भी किया जाये। साथ ही पर्यटन स्थल के विकास के लिए उस स्थान का उसी तरह से विकास किया जाये जिससे अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को आने-जाने, ठहरने में वहां सहूलियतें हो सके एवं आम्रपाली के नाम पर एक आम्रवाटिका का सृजन भी किया जाये।

(सात) चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर लगी रोक को हटाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 1992 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की सिफारिशों के अनुरूप चंदन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप चंदन-लकड़ी का काफी भंडार एकत्रित हो गया है। इस प्रतिबंध के कारण तमिलनाडु सरकार को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक का घाटा हो रहा है।

केवल सूखी हुई चंदन की लकड़ी को ही लेकर उसकी सफाई कर लोगों को बेचा जाता है। इससे दुरस्त इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। चंदन वृक्ष का पुनर्उत्पादन पर्याप्त रूप से होता है और यदि इसकी समुचित रक्षा की जाए तो चंदन वृक्ष की खेती वाले प्राकृतिक क्षेत्रों से चंदन उत्पादन का पर्यावरण पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की चंदन की लकड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण इंडोनेशिया/अस्ट्रेलिया की चंदन की लकड़ी जो कम गुणवत्ता वाली है उसकी बिक्री हो रही है। इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद की उपलब्धता समाप्त हो गई है। अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पुन: स्थान बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा और इससे देश की अपूर्णीय क्षति होगी।

गोदामो में इतनी मात्रा में माल पड़े रहने से न केवल पैसों की हानि है बल्कि उसे आग लगने का खतरा भी बना हुआ है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री को 6.1.99 को पत्र लिखा, पर्यावरण तथा वन मंत्री ने इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक तमिलनाडु सरकार को इस बारे में किसी अनुकूल निर्णय की जानकारी नहीं दी गई है। अत: सरकार से मेरी मांग है कि वह इस मामले पर विचार कर यथाशीघ्र अनुकूल निर्णय लेते हुए चंदन की लकड़ी के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाए।

(आठ) देश में परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हालांकि हमारे देश में कुछ खेलों यथा क्रिकेट, टेनिस, फुटबाल, हॉकी इत्यादि को महत्व दिया जाता है, फिर भी हम भारतीय मूल के कुछ खेलों को उचित पहचान दे पाने में विफल रहे हैं। अनेकों ऐसे खेल हैं जो सीमित साधनों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जा रहे हैं। ये खेल हमारी संस्कृति, इतिहास, भूगोल तथा भारतीय स्थितियों से जुड़े हैं। इन खेलों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

नदन पांडु काली केरल में खेले जाने वाले ऐसे ही खेलों में से एक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी स्थानों पर खेला जाता था तथा इसे युवा तथा बूढ़े सभी खेलते थे। लेकिन अब यह खेल समाप्त होता जा रहा है क्योंकि कोई भी खेल परिषद् अथवा खेल प्राधिकरण इसमें रुचि नहीं ले रही है। थालिया पांडु, कुट्टियम कीकुम इत्यादि ऐसे ही अन्य खेल हैं जिन्हें लोग भूलते जा रहे हैं। इसी तरह के अन्य खेल पूरे देश में खेले जाते हैं।

मेरा खेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वे घरेलू मूल के इन खेलों के बारे में गंभीरता से विचार करे जिनकी स्थानीय पहचान है। भारत के इन खेलों को उचित महत्व देने के लिए एक प्रकोष्ट का निर्माण किया जा सकता है।

(नौ) असम के हेलाकांडी जिले में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री नेपाल चन्द्र दास (करीमगंज) : महोदय, असम के हेलाकांडी जिले के लिए रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों का वर्ष 1996 से 1998 के दौरान समुचित उपयोग नहीं हुआ है। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुछ योजनाओं का तत्स्थानिक अध्ययन यह बताता है कि केवल 20 से 30 प्रतिशत कार्य ही हुआ है तथा रोजगार गारंटी योजना की 70% धनराशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं हो पाया है। डी०आर०डी०ए० को हेलाकांडी विभाग ने भी आम लोगों की जानकारी हेतु स्कीम की प्रकृति को दर्शाने वाला कोई साईन बोर्ड नहीं लगाया है।

हेलाकांडी के उपायुक्त ने भी वर्ष 1996 से 1998 के दौरान रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा, उनसे अनुरोध करने के बावजूद नहीं दिए हैं।

वर्ष 1998-99 के लिए स्कीमें स्थानीय संसद सदस्यों से परामर्श किये बिना अथवा पिछले सत्र के दौरान बिना परामर्श किये अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 1998 के दौरान, योजनाओं की रूप रेखा तैयार किये बिना काफी बड़ी संख्या में अनिर्दिष्ट योजनायें शुरू की गई। इस संबंध में, मैंने तथा हमारे दल के हेलाकांडी से विधायक दोनों ने संयुक्त रूप से जून, 1998 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा केन्द्रीय दल से जांच कराने के संबंध में ग्रामीण विकास एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सचिव के पास शिकायत दर्ज कराई। परन्तु हमारी शिकायत को असम सरकार को भेज दिया गया जिसके विरुद्ध हमने शिकायत की थी हमें असम सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय अनुदानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तुरन्त इस वर्ष के दौरान हेलाकांडो में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शुरू कराए गए कार्य को रुकवायें तथा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-98 के दौरान व्यय हुई धनराशि की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के आदेश भी दें।

अपराह्न 01.59 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — *जारी*

सभापति महोदय : सदन अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा।

अब मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी बोलेंगे।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले हमारी तरफ से माननीय सुषमा जी और श्री पांजा जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने विशेष उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उसके बाद विपक्ष के दो वरिष्ठ सम्मानित और वैटरन लीडर्स ने अपने विचार रखे।

अपराह्न 2.00 बजे

मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं श्री शरद जी का पूरा भाषण नहीं सुन पाया, केवल अंत का हिस्सा सुन पाया क्योंकि उसके पहले मैं एक मीटिंग में गया हुआ था। मैंने श्री चटर्जी का भाषण पूरा सुना। विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना, उसकी कमियों को बहुत मुखर रूप से उजागर करना तथा समय-समय पर उसे कटघरे में रखने का होता है। लेकिन जब असत्य और गुमराह करने वाली ऐसी बातें कही जायें, जो सिद्धांत की बात करें लेकिन जब कभी सिद्धांत को महत्व न दें तो आश्चर्य होता है। इससे पहले कि मैं अपनी सरकार की गत 11 महीनों की उपलब्धियों की चर्चा करूं, इस सदन में दो वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो बिन्दु उठाये गये हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण देने के लिये अपना पक्ष रखना चाहूंगा।

अपराह्न 02.01 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

सबसे पहली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार के बारे में काफी माहौल बनाये जाने की कोशिश की जा रही है। इस सरकार और हमारे नेताओं पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं। मेरी पार्टी और मेरी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में किसी से पीछे नहीं है। इसके लिये आज हमारे वक्तव्य की जरूरत नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। लेकिन जब से भ्रष्टाचार की बातें करने वाले लोग हमें सलाह देते हैं और उससे गंभीर चीजों के ऊपर अनदेखी करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये कोई भी राय या सहमति नहीं देगा लेकिन आज जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गुरूस्वामी या एडमिरल भागवत प्रकरण के संदर्भ में चर्चा हो रही है, वहां दूसरी तरफ इस सदन में एक ऐसी बात हुई है जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। श्री सोमनाथ ने लीडर्स मीटिंग की चर्चा करते हुये कहा कि सरकार पर एडमिरल भागवत ने आरोप लगाये हैं, सरकार ने उस पर मजबूरी चर्चा करने की स्वीकृति दी है। मैं श्री चटर्जी से जानना चाहूंगा कि जब इस सदन में या मीटिंग में फर्जी मतदान के बारे में चर्चा हो रही थी तो उस समय उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया। यह मॉरिल टर्पिट्यूड की बात है, हमारे चरित्र हनन की बात हो रही है। अगर लोक सभा में फर्जी मतदान का आरोप है तो जब तक हम इस आरोप को पूरे तौर पर स्पष्ट नहीं कर देते, यह हम लोगों के लिये शर्म की बात होगी। लेकिन इस बारे में चर्चा करना तो दूर, बात तक नहीं होने दी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग दोहरा मुखौटा रख रहे हैं, वह ठीक नहीं है। यदि हम भ्रष्टाचार करते हैं, आप आरोप लगाते हैं, आप प्रमाणित कीजिये और हमें सजा दीजिये लेकिन दोहरा चरित्र मत अपनाइये।

सभापति जी, आज देश में चर्चा इस बात की है कि फर्जी मतदान क्यों हुआ। हम उसके ऊपर स्पष्ट बात क्यों नहीं कहना चाहते हैं ? हम क्यों टालमटोल कर रहे हैं ? आप स्पष्ट कराइये। अगर गलत है तो इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि इस सदन के अंदर फर्जी मतदान नहीं होता है। अगर फर्जी मतदान किया है तो सख्त से सख्त कदम उठाइये। चुनाव सुधार के बारे कहा जाता है कि यह सदन चर्चा करेगा, फर्जी मतदान के बारे में यह सदन चर्चा करेगा, हम लोगों को इस पर चर्चा करने का क्या मौलिक अधिकार है। मैं यह बात बहुत ही चिन्ता और दुख के साथ कह रहा हूं। जब मॉरिल टर्पिट्यूड की बातें करते हैं, ये नेता लोग चुप्पी साध जाते हैं। उस मीटिंग में इन लोगों को सांप सूंघ गया और वह चर्चा नहीं होने दी। मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा की गरिमा को रखने के लिये इस आरोप के मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाये तो अच्छा है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने ऊपर देखिये। दूसरों की आंख में तिनका देखने से पहले अपने आंख में बल्लियां पहले देखिये।

सभापति जी, माननीय शरद जी ने 2-3 बिन्दुओं पर बात की थी जिनका मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल में धोखाधड़ी की हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। माननीय सदस्यों ने देखा कि इस मुद्दे पर इस सदन के अंदर मारकाट की नौबत आई। यह देश के लिये शर्म की बात है। उस समय कांग्रेस के हमारे साथी क्या कर रहे थे जब यहां पर मार-काट हो रही थी ? चुपचाप बैठे थे। और जब आगे चलने की बात आई तो उस समय उन्होंने एक और शर्त उसके बीच में जोड़कर लगा दी। पहले कहा था कि बिल जिस स्थिति में है उस स्थिति में पास होगा, परंतु जब देखा कि माहौल ठीक नहीं है तो एक शर्त लगा दी बीच में। उस शर्त का मतलब था उस बिल को ठंडे बक्से में डालना। ठीक है, आपने अपने राजनीतिक सिद्धांतों से या राजनीतिक कारगुजारियों से वह शर्त लगाई लेकिन आप कम से कम आरोप तो मत लगाइए, आप झूठे आरोप तो मत लगाइए। आपकी वजह से, कांग्रेस की वजह से वह बिल उस दिन यहां पर नहीं आ पाया क्योंकि उन्होंने ऐसी शर्त लगा दी थी जिस शर्त से पूरे बिल का उद्देश्य बदल जाता और पूरे बिल को दोबारा से बनाना पड़ता। और आज आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, बड़ी देर वहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। यह दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। कम से कम माननीय शरद पवार जी से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। कल उन्होंने किसी संदर्भ में एक मुहावरा कहा कि अंधों में काना राजा। उसी संदर्भ में मैं उनको दूसरा मुहावरा कहना चाहता हूं कि महिला बिल का मामला ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती आपने की है और आंखें भारतीय जनता पार्टी और सरकार को दिखा रहे हैं।

दूसरी बात उन्होंने बिहार के बारे में कही। मैं मानता हूं मुझे नहीं मालूम कि ऊपर के स्तर पर क्या हुआ लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे सलाह नहीं

ली। ठीक है, सलाह लेनी चाहिए, विपक्ष के सब लोगों के साथ सलाह-मशविरा होना चाहिए लेकिन वे अपने दोषों को क्यों नहीं देखते ? उनकी अध्यक्षा ने खुले आम पब्लिक में कहा कि—इस सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। इसका क्या मतलब है ? और वह ऐसी अध्यक्षा हैं जो सिर्फ अध्यक्षा नहीं हैं, बल्कि वह ऐसी हैं जिनकी इच्छा को नकारने की किसी कांग्रेस वाले में हिम्मत नहीं है। वे उनकी इच्छा नकार नहीं सकते। और इसलिए अगर इस प्रकार से लोगों ने समझा कि कांग्रेस की इच्छा है और कांग्रेस उस पर सहमति दे रही है तो शायद उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी ये लोग बता रहे हैं। इनकी भी उसमें गलती है। आज ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा था कि मौरल अधिकार नहीं है, हमने ऐडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार की बात कही है। शब्दों की हेराफेरी चलाने की कोशिश मत कीजिए। कांग्रेस के लोग आर्थिक हेराफेरी में बहुत माहिर हैं लेकिन शब्दों की हेराफेरी में भी इतने माहिर हैं यह हमें अब पता चला। यह हेराफेरी से नहीं चलता। आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा।

तीसरी बात माननीय शरद जी ने अटल जी की लाहौर यात्रा की चर्चा की थी। उन्होंने बड़े दबे मन से, दुखी मन से जैसा मुझे लगा, बेमन से कहा कि अच्छा काम किया, लेकिन साथ ही जोड़ दिया कि जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जम्मू कश्मीर के बारे में आरोप लगाया तो उन्हें इस प्रकार रियैक्ट नहीं करना चाहिए था। उनकी सलाह से व्यक्तिगत रूप से शायद मैं भी सहमत हो सकता हूं लेकिन किस स्थिति में वह आरोप लगाया उस बात को उन्होंने गायब कर दिया। जिस दिन पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जम्मू कश्मीर के बारे में वक्तव्य दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता जोगी जी ने खुले आम जेहाद छेड़ दी कि भारत के प्रधान मंत्री बताएं क्या बात हुई है, भारत के साथ अन्याय हो रहा है, भारत की जम्मू और कश्मीर की जो नीति है, उसको बेचा जा रहा है, यह आपके प्रवक्ता ने कहा। मैंने टीवी में स्वयं उनको सुना। आपे पहले तो हमसे जवाबदारी मांगते हैं और उसके बाद अगर हमारे प्रधान मंत्री ने छोटा सा स्पष्टीकरण दे दिया तो आप उसके लिए भी हम पर दोषारोपण करते हैं। आप अपनी पार्टी वालों को समझाइए। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो मैं सदन को और कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं कि आज जम्मू-कश्मीर की जो हालत है, आज अगर जम्मू और कश्मीर का आधा हिस्सा हमारे पास नहीं है तो इसके लिए शत-प्रतिशत जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। मैं दो बातें सदन के सामने लाना चाहता हूं। 1947 में जब पाकिस्तान के हमलावरों ने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की थी और भारतीय सेना वहां गई थी तो 1948 के अंत तक उनको खदेड़ दिया गया था और 1948 के दिसंबर में यह स्थिति थी कि पूरा जम्मू और कश्मीर हमारे हाथों में आने वाला था। 1948 के दिसंबर के अंत में सेना ने कहा था और जो रेकार्ड की बात है कि हमें 96 घंटे दे दीजिए और पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में होगा। पाकिस्तान के हमलावर भाग चुके थे और सिर्फ जमीन और पहाड़ियों पर आदमियों को भेजकर फिजिकल ऑक्यूपेशन करना था। भारत के प्रधान मंत्री ने हमें 96 घंटे की इजाजत नहीं दी। वह 96 घंटे सेना को मिलते तो आज जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं होता। पूरा कश्मीर हमारा होता। आपकी सरकार ने क्या किया ? फौज को जाने से रोका, फौज को वापस बुलाया। और इतना ही नहीं, चले गए यू०एन०ओ० में। भाषण दे दिया प्लेबिसाइट का। कश्मीर की आज की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ? आज हमारा लाखों-करोड़ों रुपया जम्मू-कश्मीर में सेना को रखने तथा अन्य चीजों पर खर्च हो रहा है। इसके जिम्मेदार कांग्रेस वाले हैं। जम्मू-कश्मीर की समस्या इन्होंने विरासत में दी है। आज जब इस समस्या को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर छींछालेदर करते हैं, हमारे ऊपर गलत तरीके से दोषारोपण करते हैं। यह आपकी पैदा की हुई समस्या है।

सभापित महोदय, 1971 में 90 हजार कैदी हमारे पास थे और हर एक कैदी के पाकिस्तान में परिवार के दस-दस लोग थे। पाकिस्तान में स्वर्गीय भुट्टो के ऊपर दबाव था। उस समय हम जो चाहते वह समझौता करवा सकते थे, उस समय वह मजबूर थे। हमारे पास 90 हजार कैदी थे, भारत की सेना ने अपना खून-पसीना बहाया, न जाने कितने लोग मरे, उनके बलिदान का आपने क्या सदुपयोग किया। पाकिस्तान में उससे दस लाख आदमी प्रभावित थे। हमारे नेताओं ने तब क्या किया। मुझे दुख है, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत काबिल नेता थी। वह मौका क्यों हाथ से जाने दिया, कोई मजबूरी रही होगी जो हमें नहीं मालूम, लेकिन कम से कम उस मजबूरी को समझिये तो सही।

श्री नरेश पुगलीया (चन्दपुर) : 1971 में सरकार ने गलती की थी तो आप फौज से रिजाइन देकर बाहर क्यों नहीं आ गये ?

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : फौज के बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए यह बात जवाब देने के काबिल नहीं है। श्रीमान जी, 1971 की लड़ाई मैंने लड़ी है, उसमें मेरे बहुत से साथी मरे हैं और मैंने जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में ही लड़ाई लड़ी है।

सभापति महोदय : मिलिट्री के लोग मरते नहीं, शहीद होते हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : धन्यवाद, मैं उसकी शुद्धि करता हूं। सभापति महोदय, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, चूंकि इसकी चर्चा यहां की गई हैं, नहीं तो मैं इसकी चर्चा नहीं करता। यह चर्चा करके मैं रिकार्ड ठीक कर रहा हूं। आज पूरे देश को चाहिए कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति को ठीक करे। लेकिन जब हम कोशिश कर रहे हैं तो बजाय खुले दिल से तारीफ करने के आप ऊपरी मन से तारीफ कर रहे हैं और मीन-मेख तथा दोष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। श्री शरद पवार जी जो डिफैंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्हें पूरी स्थिति मालूम है, मुझे आशा थी कि वह खुले दिल से तारीफ करेंगे। यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण था, इसकी पूरा विश्व तारीफ कर रहा है लेकिन हम लोग आपसी राजनीति में उलझ रहे हैं और राष्ट्र हित के मुद्दों को पीछे धकेल रहे हैं, यह चिंता की बात है।

सभापति महोदय, माननीय सोमनाथ चटर्जी ने काफी बातों का उल्लेख किया, उन्होंने हम पर दोषारोपण किये, उनका अधिकार है, उन्हें करना चाहिए, यह राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन पर मैं चाहूंगा कि उनको अपनी पार्टी के बारे में भी विचार करना चाहिए, अपनी अंतर्रात्मा को टटोलना और झकझोरना चाहिए। उन्होंने भाजपा पार्टी की सिद्धांत विहीनता की बात की कमिटमैंट टू प्रिंसिपल्स, उन्होंने राजनीतिक आचरण पोलिटीकल मोरेलिटी की बात हमारे ऊपर

[मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम]

ताने कसते हुए कही कि पिछले 11 महीने में इस सरकार ने क्या किया। उन्होंने राष्ट्रीय एजेंडा का चिट्ठा खोलकर बार-बार पढ़ा और उस पर हमारे ऊपर काफी तानेबाजी की, बड़े जोश-ओ-खरोश के साथ अच्छा-खासा भाषण दिया। सभापति महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश को और भाजपा को ऐसे लोग देशभक्ति और सिद्धांतों का सबक देने की कोशिश कर रहे हैं जिनका अपना स्वयं का आचरण एक प्रश्नचिन्ह है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन पार्टियों की जड़ें विदेश में हैं और जिनका राष्ट्रीय हित के मामले में 1962 में चाइना वार में क्या आचरण रहा, वे लोग आज हमें मोरेलिटी और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। यह उचित नहीं है। राष्ट्र हित के बजाय अंतर्राष्ट्रीय पार्टी को ज्यादा महत्व देना, यह इन लोगों का आचरण है, जो कल हमें भाषण दे रहे थे।

सभापति महोदय, विकास के बारे में इन्होंने हमें भाषण दिया। आप लोग तो 11 महीने का चिट्ठा खोल रहे थे और पूछ रहे थे कि 11 महीने में अपने क्या किया, उस पर मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप तो वैस्ट बंगाल में 25 साल से हैं। आज वहां क्या स्थिति है ?

सभापति महोदय, पिछले साल मुझे सुन्दरवन क्षेत्र में जाने का मौका मिला था। आज जो ये लोग विकास की बात रहे हैं, वहां के लोगों को आर्सेनिक का पानी पिला रहे हैं, जिससे लोग मर रहे हैं, यह वहीं ऐसा पानी पिला रहे हैं।

अपराह्न 2.15 बजे

[श्री वी० सत्यमूर्ति *पीठासीन हुए*]

कलकत्ता से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर सुन्दरवन की तरफ जाइये, वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मकान नहीं है और ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि पिछले 11 महीने में हमने क्या किया।

सभापति जी, सोमनाथ चटर्जी हमसे पूछ रहे हैं कि हमने पिछले 11 महीनों में क्या किया। वह हिसाब तो हम उनको देंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने और उनकी सरकार ने पश्चिम बंगाल में 25 वर्षों में क्या किया ? आप वहां जाकर देखिए कि आपने कितना विकास किया है। मैं समझता हूं कि यदि भविष्य में कोई ऐसा अवसर मिले, तो इनका वह काम गिनीज बुक में रिकार्ड किया जाएगा। इन्होंने 25 साल में वहां चुनाव प्रक्रिया को इतना परफैक्ट आर्ट आफ बोगस वोटिंग बना दिया कि उसका उल्लेख गिनीज बुक में होने की स्थिति यदि कभी भविष्य में आती है, तो वह हो जाएगा। इन्होंने विकास के नाम पर वहां विनाश किया है और ऐसा काम किया है जिससे फर्जी वोटिंग के जरिए हमेशा सत्ता में ये बने रहें ओर कोई भी इन्हें किसी प्रकार से हरा न सके। यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, चटर्जी साहब ने अपने भाषण में हमारी पार्टी को सिद्धान्तहीन बताया और कहा कि हम अपने एजेंडे को छोड़कर इधर-उधर घूम रहे हैं। यदि महोदय इसी बात पर चर्चा करनी हो, तो काफी चर्चा हो सकती है और उसका कोई अन्त नहीं है, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक ही बात के बारे में पूछना चाहता हूं कि वे बार-बार समाजवाद की बात करते हैं और सिद्धान्तों पर चलने का बखान करते हैं, वे क्यों मल्टी नैशनल्स के चक्कर लगा रहे हैं, वे क्यों विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशों में भाग रहे हैं ? माननीय चटर्जी साहब, तो स्वयं ऐसी एक संस्था के अध्यक्ष हैं और वे विदेशों में क्यों घूम रहे हैं, वे क्यों विदेशी पूंजी उगाहने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, फिर आपके समाजवाद के सिद्धान्त का क्या हुआ ? उनके एक वरिष्ठ नेता सुबह, रोज सूर्योदय के समय से ही क्यों कांग्रेस सरकार को अपनी सरकार बनाने के पक्ष में प्रतिदिन बयान देते हैं ? वे क्यों कांग्रेस से कहते हैं कि आप अपनी सरकार बनाइए ? एक अखबार में तो कार्टून छपा कि अब सुबह के नौ बजे हैं, यह ठीक है, अब फलाने साहब का वक्तव्य आएगा कि कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी चाहिए, उसे आगे आना चाहिए, आप पढ़िए अखबारों को ऐसा आता रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे अपने और कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को पढ़ें, उन्होंने अपने घोषणापत्र में क्या कहा है और कांग्रेस ने क्या कहा है, यदि आप देखेंगे, तो वे एक दूसरे की विरोधी बातें से भरे हुए हैं, लेकिन यहां मिलकर सरकार चलाने की बात करते हैं, ऐसा क्यों ? जब आप सिद्धान्त की बात करते हैं, तो सिद्धान्तों पर चलिए, फिर राजनीतिक एक्सपीडिएंसी में चलते रहिए। *(व्यवधान)* मैं कोशिश कर रहा हूं सचाई बताने की, यदि आपको सुनने में कष्ट हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मोहन सिंह जी उन्होंने आपको क्या कहा है वह भी पढ़ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि सिद्धान्तों की बात कर रहे हैं, तो सिद्धान्तों पर आइए, नहीं तो राजनीतिक एक्सपीडिएंसी में चलते रहिए। फिर आप घोड़े पर सवार होकर राजनीतिक एक्सपीडिएंसी की बात कर के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों करते हैं ? इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब आपने यह देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार अच्छी प्रकार से चल रही, हम शक्तिशाली बन रहे हैं, तो आप बौखला गए, घबरा गए और आपने कांग्रेस से कहा कि आपै सरकार बनाइए और इनसे हमारा पिंड छुड़ाइए, आप कांग्रेस के पास जा रहे हैं। आप स्वयं ऐसा काम कर रहे हैं, अपनी बात भूल गए और हमें पाठ पढ़ाने चल दिए और हमें बराबर भाषण देना शुरू कर दिया।

सभापति महोदय, तीसरी बात धारा 356 के बारे में यहां कही गई और हमें अपने सिद्धान्तों की बात याद दिलाई गई और कहा गया कि हम किस प्रकार से इसका विरोध हमेशा करते रहे और अब किस प्रकार से हमने उसका प्रयोग करके बिहार की सरकार को बर्खास्त करने का काम किया। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि आपने कल्याण सिंह सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए केवल 36 घंटे का समय दिया, वह बात आप भूल गए और आपने यह कोशिश की थी कि बहुमत सिद्ध नहीं हो पाए क्योंकि 19 में से 17 विधायक तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ों के थे जो वहां से 36 घंटे में लखनऊ पहुंच भी नहीं पाते। आपने कोशिश यही की कि बहुमत सिद्ध न हो सके, लेकिन बहुमत सिद्ध हो गया उसके बाद गवर्नर ने राष्ट्रपति जी को क्यों कहा कि वहां पर धारा 356 लगा दी जाए, उस समय तो आपकी सरकार थी। फिर वही बात आती है, सिद्धान्तों की बात आप करते हैं और राजनीतिक एक्सपीडिएंसी में चलते हैं, यह ठीक नहीं है और खासतौर से वरिष्ठ लोगों को ऐसे करना शोभा नहीं देता और हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।

सभापति महोदय, सोमनाथ जी ने सिद्धान्त की बातों के अतिरिक्त बहुत सी बातें कही हैं, मैं दूसरी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वे बहुत बड़े और योग्य वकील हैं और मैं जानता हूं कि वे कैसे सही को गलत और गलत को सही करने की आर्ट जानते हैं और इसको करने की एज ए लॉयर उनकी काबुलियत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये बातें भले ही अदालत में चल जाएं, लेकिन जनता की अदालत में नहीं चलती हैं। जिस प्रकार से सही को गलत और गलत को सही करने की दलीलें आप कोर्ट में देते हैं, वैसी दलीलें जनता की अदालत में नहीं चलती हैं। जब आप जनता की अदालत में जाएंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा।

माननीय सभापति जी, मैं कांग्रेस की, अन्य विपक्षी दलों की और माननीय सोमनाथ चटर्जी जी की परेशानी को समझ सकता हूं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये अठारह दलों वाली सरकार चलेगी और किसी प्रकार का काम कर पायेगी। आज वह सरकार चल रही है और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए अच्छा काम कर रही है, सख्त कदम उठा रही है और वह कदम उठा रही है जिसको शक्तिशाली सरकारें पिछले पचास वर्षों में भी नहीं उठा पाईं। इससे उनको बौखलाहट हो गई है। ये घबरा रहे हैं और उस घबराहट के अंदर उनका मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। बौखलाहट में ऐसे कदम ले रहे हैं जो उनकी अपनी पार्टी के लिए अहितकर हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। कांग्रेस ने जिस प्रकार बिहार के बारे में अपना निर्णय लिया, वह बौखलाहट और मानसिक संतुलन खोने का ही एक उदाहरण है। उसी प्रकार कम्युनिस्ट लोग जिस प्रकार से अपने सिद्धांतों और सैल्फ रिसपैक्ट को छोड़कर कांग्रेसियों की खुशामद कर रहे हैं, उसी का नतीजा यह देख रहे हैं कि सरकार अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है, अच्छा काम कर रही है। इसी बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, एक बिंदु कीमतों के संबंध में भी आया था। मैं उसमें ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चार राज्यों के चुनाव के समय जिस प्रकार से आर्टिफिशियल कीमतें बढ़ाई गई, नमक के दाम बढ़ाने की कोशिश की गई, उसका चिट्ठा खुला। इस प्रकार के राजनीतिक हथकंडों से समाज अच्छी तरह से जानकार है।

मैं बहुत सूक्ष्म में इस सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सरकार को और सहयोगी दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि नैशनल एजेंडा में पृथक उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ बनाने की जो बात कही गयी थी, उनका बिल पिछले सत्र में लाये हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस सत्र के अंदर वे तीनों बिल पास होंगे।

मेरे दृष्टिकोण में चंद विशेष उपलब्धियां हैं, उसमें सबसे पहली उपलब्धि पोखरण का परमाणु परीक्षण है। अपनी तरफ से और देशवासियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह साहस का कदम उठाया है, जो अनेक सरकारें चाहते हुए भी पिछले दस-पन्द्रह साल में नहीं उठा पाई। अल्पमत सरकार और मिली जुली सरकार होने के बावजूद भी हमने यह साहसिक निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में न आकर, उनकी परवाह न करके ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके लिए भारत गौरवशाली है और भविष्य की पीढ़ियां इसके लिए इस सरकार को हमेशा धन्यवाद देंगी। मैं अपने साइंटिस्टों को और डी०आर०डी०ओ० के लोगों को, आर्म्ड फोर्सिस को इस काम के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जैसा कहा जा चुका है कि हम अपनी यह शक्ति किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अपने देश की रक्षा के लिए हमारी न्यूनतम जरूरतें हैं और उसके लिए हमने ऊर्जा का इस्तेमाल किया है। इसके चलते एक और बड़ी क्षमता देश के अंदर उभरी है। आर्थिक प्रतिबंध के बारे में हमको जो डराया-धमकाया जाता था, उसका भी हमने बड़े साहस के साथ सामना किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता चल गया कि भारत को किसी भी आर्थिक प्रतिबंध के तहत दबाया या डराया नहीं जा सकता।

जम्मू कश्मीर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। वहां पर जिस प्रकार से इस साल पर्यटकों की भरमार रही है, जिस प्रकार का वातावरण रहा है, वह अच्छी पहल है। यह सरकार की एक उपलब्धि है। हमारी आशा है कि भविष्य में अच्छे तरीके से वे आगे बढ़ेंगे और वहां की पूरी स्थिति ठीक होगी।

इस सरकार ने नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया है और हमें आशा है कि वे सुदृढ़ रूप से, अच्छे तरीके से काम करेगी। फॉरन अफेयर्स के बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी की जो ऐतिहासिक यात्रा हुई है, जिसका पूरा देश और विश्व ने स्वागत किया है, वह एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। खास तौर से उन परिस्थितियों में जब कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के रिश्ते खराब हो रहे थे। उस समय ऐसा कदम उठाना और रिश्तों को सुधारना, इस देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते, इस यात्रा के द्वारा जिसकी शुरूआत हुई, आगे भी अच्छी तरह से बढ़ेंगे और उसका अंत अच्छा होगा।

यह खुशी की बात है कि चीन से हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और मुझे आशा है कि इन रिश्तों को सुधारने में हमें सफलता मिलेगी। सौभाग्य की बात है कि हमारे अन्य देशों के वरिष्ठ नेता भी हमारे देश में आए हैं। नेपाल के महाराजा 26 जनवरी, 1999 को हमारे मुख्य अतिथि थे, बंगलादेश के प्रधानमंत्री जून में हमारे पास आए और भूटान नरेश अक्टूबर, 1998 में आए। ये सब कुछ अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की एक महत्वपूर्ण शुरूआत है।

एक और बड़ी उपलब्धि कावेरी जल विवाद है। जो जल विवाद अनेक स्तर पर कोर्ट में आपसी बातचीत द्वारा नहीं सुलझ पाया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चारों प्रदेशों को बुलाकर एक बहुत बड़ा काम इस देश के हित के लिए किया है। आश्चर्य की बात यह भी है कि उन चारों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं था जो यह कहा जाता है कि दबाव डालकर उनको मनाया गया। इसलिए इस प्रकार की उपलब्धि एक शुरूआत है। हमें आशा है कि इस प्रकार के अनेक विवाद, जिनकी चर्चा आज भी प्रश्न काल में हुई, को उसी तरह से यह सरकार सुलझाती रहेगी। कावेरी जल विवाद का सुलझाना हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

[मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंण्डूरी, एवीएसएम]

जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, अन्य वक्ताओं ने उस पर विशेष रूप से कहा है लेकिन मैं दो छोटी-छोटी बातें ध्यान में लाना चाहता हूं। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब एक-डेढ़ साल में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि भारत की आर्थिक स्थिति देखी जाए तो हमारे वित्त मंत्री और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इस देश को कंगाली की स्थिति से बचाया है। जिस प्रकार अच्छे-अच्छे समृद्धिशाली ब्राजील जैसे देश, जिनके ऊपर फारेन मनी का रन हुआ और वे कंगाली के दर पर पहुंचे, उन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के होते हुए भी हमारे देश ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया और उसे काबू में रखा, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खासकर उन परिस्थितियों में जबकि पिछले दस महीने में जितनी भयंकर बाढ़, भूस्खलन, गलत समय पर बारिश और अन्य प्राकृतिक विपदा आई, ऐसा इस शताब्दी में कभी नहीं हुआ। फसलों का इतना भारी नुकसान होने के बावजूद जिस प्रकार सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति पर काबू रखा, यह सरकार और वित्त मंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

कीमतों के बारे में मैंने कहा। कृत्रिम कीमतें चार चुनावों के समय बढ़ाई गई थी, शायद वह भी एक राजनैतिक हथियार था जिसका इस्तेमाल किया गया लेकिन जब नमक का हथियार इस्तेमाल किया गया, उस समय इनकी पोल खुली और तब लोगों को पता लगा कि किस प्रकार कृत्रिम कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।

विपक्ष के माननीय नेता ने आरोप लगाया था कि किसानों के बारे में कुछ नहीं किया गया, यह पहले भी कहा गया है। लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूं कि नैशनल फोरकास्टिंग सैंटर, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैरा 19 में लिखा गया है, उसकी सोच इस सरकार ने पिछले ग्यारह महीने में की है, क्यों नहीं यह पिछले पचास सालों में हुआ, इसकी चिन्ता पहले क्यों नहीं की गई। जिस प्रकार वित्त मंत्री जी ने इस देश में बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने का काम किया है, यह किसानों और देश के हित में है। इस प्रकार की अनेक उपलब्धियां जो पिछले पचास सालों में नहीं की गई, वे इस साल में की गई है।

चुनाव सुधार के बारे में माननीय इंद्रजीत गुप्त जी की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी बनाई है और हमें पूरी आशा है कि चुनाव सुधार में भी उस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार काम होगा।

माननीय सभापति जी, अनेक उपलब्धियां हैं लेकिन समय सीमा में रहते हुए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि आज इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके ऊपर इस देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गर्व है। एक ऐसा निष्काम कर्मयोगी, जिसके मन में इस देश के हित के लिए, इस देश की उन्नति, तरक्की के लिए पीड़ा है, जो पूर्ण रूप से ईमानदार व्यक्ति है और जिसका देश के हित के अलावा दूसरा और कोई स्वार्थ नहीं है। इस प्रकार का प्रधानमंत्री जो आज सौभाग्य से हमारे देश को उपलब्ध हुआ है, यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन उपलब्धियों के साथ इस आशा से कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर सब लोग अपनी सहमति देंगे, मैं एक बार पुन: समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, कल जिस धूम-धड़ाके के साथ हमारी बहन सुषमा जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, वह सरसता, वह धूम-धड़ाका इस अभिभाषण में नहीं है।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को इस बात के लिए जरूर धन्यवाद दूंगा कि बीमार रहते हुए भी उन्होंने इतना बोरिंग और एक लम्बा भाषण संसद् के दोनों सदनों के सामने रखा। इस अभिभाषण में इस बात का दावा किया गया है कि राष्ट्र के नाम जो एजेण्डा है, यह सरकार उसी के आधार पर काम कर रही है। मैं राष्ट्रीय एजेण्डे के कुल तीन, यों तो मेरा आरोप है कि इस सरकार और इस सरकार को चलाने के जो पिछलग्गू दल हैं, सभी के अपने एजेण्डे हैं और सभी अपना एजेण्डा चलाने के लिए, जो शासन चला रही मुख्य पार्टी है, उसके ऊपर दबाव डालते रहते हैं। इसीलिए जिस तरह कछुआ अपनी मुंडी को, अपनी गरदन को बाहर और भीतर करता रहता है, पिछले एक साल से यह सरकार उसी तरह अपनी गरदन को आगे और फिर पीछे करती रहती है।

एक घोषणा हो जाती है और घोषणा के बाद फिर उससे पीछे कदम उठना, पिछले एक साल का एक लम्बा सिलसिला है और इसीलिए यह सरकार जो घोषित एजेण्डा है, उसके आधार पर कोई काम नहीं कर रही। लेकिन मैं सारे एजेण्डे की बात नहीं करता, अभी एजेण्डे के कुल तीन बिन्दुओं को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसकी दिशा में एक रत्ती भी बढ़ने का काम पिछले एक साल में सरकार ने नहीं किया है। नम्बर 74—

[अनुवाद]

> "हम निरक्षरता को पूरी तरह से मिटाने के लिए वचनबद्ध हैं। हम जी०डी०पी० के 6 प्रतिशत तक शिक्षा पर सरकारी एवं गैर सरकारी व्ययों में धीरे-धीरे वृद्धि करके योजनाओं को बनाएंगे एवं कार्यान्वित करेंगे। यह सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए है। हम प्राथमिक शिक्षा को पांचवे दर्जे तक अनिवार्य एवं निशुल्क करके संवैधानिक उपबंधों को कार्यान्वित करेंगे।"

[हिन्दी]

यह अजीब बात है कि दर्जा पांच तक की पढ़ाई को नि:शुल्क और अनिवार्य किया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा एक गैर-सरकारी विधेयक है, जिस पर तीन बार से बहस चल रही है और सरकार उस पर कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है। मेरा यह विधेयक इसी नेशनल एजेण्डे को पूरा करने के सिलसिले में है। इसके सम्बन्ध में सरकार ने कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम आज तक अपनी तौर पर घोषित नहीं किया। प्राइमरी शिक्षा के बारे में मैं पहले ही अपने उस भाषण में कह चुका हूं कि इस देश में प्राथमिक शिक्षा जितनी महंगी है, उतनी महंगी दुनिया के जो सबसे सम्पन्न राष्ट्र हैं, उन देशों में भी इतनी महंगी प्राथमिक शिक्षा नहीं है। मैं निजी तौर पर कह सकता हूं कि नर्सरी की पढ़ाई पर भी हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में, जिस देश के बारे में दुनिया की पंचायत यह पास कर रही है, दुनिया को यह बताने का काम कर रही है कि हिन्दुस्तान में दुनिया की 14 फीसदी आबादी है, लेकिन दुनिया में जो दरिद्रों की संख्या है, उसमें हिन्दुस्तान का प्रतिशत 28 है। इसी रिपोर्ट के अनुसार मानव

संसाधन विकास के मामले में दुनिया के 175 देशों में हिन्दुस्तान का नम्बर 139वां है, यानी नीचे से दुनिया में 139 नवम्बर पर हम हैं, जहां तक मानव विकास का सवाल है। उस देश में जब सरकार यह कहती है कि हम इस एजेण्डे के जरिये इस देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क कर देंगे, तब हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस देश में प्राइमरी शिक्षा के ऊपर 30 हजार रुपए महीने की फीस है। इसी दिल्ली शहर में ऐसे प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जहां नर्सरी में दाखिला कराने पर एक महीने की ट्यूशन फीस 30 हजार रुपए है, यह एक सच्चाई है। इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया, यह मैं जानना चाहता हूं।

इनके एजेंडे में दूसरी बात है हाउसिंग फार आल। इसमें आने वाले एक वर्ष में भारत सरकार जो समाज के गरीब लोग हैं, उनको नेशनल हाउसिंग स्कीम के तहत 20 लाख एडीशनल मकान हर साल के हिसाब से बनाकर देगी। यह आपने नेशनल एजेंडा में कहा है। इस दृष्टि में जो पहला कार्यक्रम इस सदन के सामने आया, वह है अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट को खत्म करना। जब इस एक्ट को खत्म कर दिया, अब आपके नियंत्रण में शहर के भीतर कोई भूमि नहीं है तो जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए 20 लाख घर बनाने हैं, वह कैसे बनाएंगे, यह सरकार को बताना चाहिए ?

दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, यह भी आपने कहा है। यह एजेंडा का 20वां नम्बर है। नए राज्यों को बनाने से सम्बन्धित सभी पांचों विधेयक सदन के सामने आ गए हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : इंदिरा आवास योजना बनाएंगे।

श्री मोहन सिंह : इंदिरा आवास योजना में हर ब्लाक में दो-दो मकान बनाने के लिए अभी आदेश गए हैं। जहां बाढ़ के कारण लोगों के घर गिर गए, उन सारे घरों को इंदिरा आवास योजना के तहत बनाकर देंगे और हिन्दुस्तान के हर ब्लाक में 110 घर बनाने है, यह निर्देश अभी गया है। इसमें 20 लाख घर बनाने की बात को आप कैसे पूरा करेंगे, यह हमें बताएं ?

फिर सरकार कहती है कि हमने इमोशनल इंटीग्रेशन देश में स्थापित किया है। इमोशनल इंटीग्रेशन शुरू हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को मुख्य धारा में लाना है इसलिए इस दृष्टि से हमने इम्फाल में राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन किया गया। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना। लेकिन इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए बड़े भाई पांजा जी ने स्वयं अपने भाषण में इस बात का प्रतिवाद कर दिया, जिसकी धूमधाम से तारीफ हमारी बहन सुषमा जी ने की थी। उन्होंने कहा कि मैं पूर्वोत्तर राज्यों में गया। वहां असम में मैंने देखा कि हर चौराहे पर और हर जगह पैरा मिलिटरी फोर्स खड़ी है। यह बात पांजा जी ने स्वयं अपने भाषण में कही। जब इम्फाल में खेलों की शुरूआत हुई तो वे खेल पैरा मिलिटरी फोर्स और मिलिटरी की सुरक्षा के साये में सम्पन्न हुए। मेरे राज्य के एक गरीब गड़रिये परिवार से आई०ए०एस० अधिकारी बसरत पाल, जो वहां तैनात थे, उनकी दफ्तर में जाकर फिरौती के लिए हत्या कर दी गई। यह घटना होने के बावजूद यदि यह सरकार दावा करे कि पूर्वोत्तर राज्यों में काफी अमन-चैन हो गया है, वहां के लोगों को इमोशनल इंटीग्रेशन जरिए भारत की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं तो कौन यकीन करेगा। इमोशनल इंटीग्रेशन कोई ऐसी चीज है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के पूजा स्थल हैं, धर्म स्थान हैं, उन पर हमला करके, उनकी भावनाओं को कुरेदकर, उनके धर्म स्थलों को गिराकर भावनात्मक एकता इस देश में कैसे कायम की जा सकती है। इस सरकार की पार्टी के जो आनुवांशिक संगठन हैं, वे सालभर इस देश में भावनात्मक एकता को खत्म करने में लगी हुई हैं इसलिए यदि आप अपने भाषण में इस बात का दावा करें तो कौन यकीन करेगा।

मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात कही गई।

> "सरकार धर्मनिरपेक्षता, जिसकी हमारे समाज तथा राजनीति में गहरी जड़ें हैं, को बनाये रखने के लिए वचनबद्ध है।"

इस वाक्य को इस अभिभाषण में रखने की कौन सी आवश्यकता पड़ी, यह मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जो सरकार में बैठते हैं, भारत के संविधान की हम रक्षा करेंगे, इसका हलफ और सबक लेने के बाद ही सरकार में प्रधान मंत्री पद और मंत्री पद पर कोई व्यक्ति बैठ सकता है। भारत के संविधान का जो अविभाज्य अंग है, जो आवश्यक तत्व है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, वह हमारी प्रिएम्बल का, प्रस्तावना का एक हिस्सा है। जो सरकार और सरकार के मंत्री संविधान की शपथ लेकर मंत्री के ओहदे पर बैठते हैं, उस सरकार की ओर से इस वक्तव्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण में रखने का क्या महत्व है, यह मैं जानना चाहता हूं। इसकी भावना क्या है और इस दृष्टि से अभी जो गुजरात के पुलिस महानिदेशक ने एक बात कही है जिसे मैं आपके सामने इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार इस देश में सैक्युलरिज्म को अपहोल्ड कर रही है, यह इसका जीता-जागता नमूना है। भारत के कानून के मुताबिक देश की जनगणना का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है और संविधान के अनुसार दस साल के बाद राष्ट्रीय सेंसस भारत सरकार की ओर से पूरे देश में आयोजित किया जाता है और साम्प्रदायिक हिसाब से भी उसकी गणना होती है। जो विभिन्न धार्मिक प्रजातियां हैं, उनकी गणना हम अलग से करते हैं लेकिन पहली बार एक राज्य सरकार इस आधार पर अपने राज्य की सेंसस करवा रही है और उस सेंसस के लिए पुलिस महानिदेशक ने जो आदेश प्रसारित किया है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं।

ईसाइयों की कुल आबादी के लिए है। सभी जिलाधिकारियों और सभी पुलिस कमिश्नर्स को गुजरात के पुलिस महानिदेशक का यह जारी किया हुआ एक सरकुलर है जो मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में उन्होंने जारी किया और वह सूचना चाहते हैं :

> "ईसाइयों की कुल आबादी कितनी है ? वे किन-किन स्थानों पर रहते हैं ? उनकी मिशनरियां किन-किन स्थानों पर हैं ? विदेशों में किन देशों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिलता है ? किन देशों से और कितनी मात्रा में उन्हें अनुदान मिलता है ? आपके जिले में ईसाइयों की आबादी तालुकावार, ग्रामवार क्या है ? उनके मुख्य नेताओं के नाम और पते, टेलीफोन नम्बर इत्यादि की सूचना दें। पिछले पांच वर्ष में हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच कितने वर्ग-युद्ध आपके जिले में हुए अदालत में उनका क्या नतीजा रहा ? कितने ईसाई अपराधी मामलों में लिप्त हैं ? इस तरह के कुल कितने अपराधी हैं ? आपसे अनुरोध है कि उन अपराधियों के नाम और पते लिखकर भेजें। आपके जिले में ईसाई मिशनरियों के द्वारा

[श्री मोहन सिंह]

किस तरह की चालाकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ? वे किस तरह की गंदगी फैला रहे हैं ? वे किस तरह इन गति-विधियों का विस्तार कर रहे हैं ? उनके पास किस तरह की और कितनी गाड़ियां हैं ? उनमें से कितनों के पास हथियारों के लाइसेंस हैं ? ये हथियार उन्हें कब जारी किये गये ? उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था की ? आपसे ऐसे सभी ईसाइयों का विवरण-पत्र भेजने का अनुरोध किया जा रहा है जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं और इसी तरह का आदेश उन्होंने मुसलमानों के लिए भी प्रसारित किया। जिस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के क्रिडेंशियल्स के ऊपर सरकार क्वश्चन लगाती हो, उस सरकार की भी सैक्युलरिज्म के बारे में सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं। इसलिए जब यह सरकार समझती है कि केवल लाहौर की यात्रा से इस देश में इमोशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, केवल प्रधान मंत्री जी द्वारा पाकिस्तान में जाने से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे, यदि यह कल्पना करती है तो मैं समझता हूं कि यह एक दिवास्वप्न है।''

मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो अंतिम बात कहीं गई, वह अंतिम बात क्या कही गई ? यह बहुत अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति जी जैसे महत्वपूर्ण पद पर, हमारे संविधान के अंतर्गत सारे संविधान का जो कस्टोडियन है, सरकार का सारा कार्यक्रम जिनके नाम से प्रसारित होता है, उनके जरिए एक ऐसी असत्य बात कही गई जिसकी इस सरकार के ऊपर एक जबर्दस्त जवाबदेही है और वह क्या कहा गया :

[अनुवाद]

''शीघ्र चुनाव कराने के लिए राज्य विधान सभा (गोवा) को भंग करने के लिए विधान सभा सदस्यों की लगभग सर्वसम्मति सिफारिश थी। बिहार में हाल ही में निर्दोष लोगों के नरसंहार की घटनाएं इसकी साक्षी हैं। उनमें से अधिकतर दलित लोग हैं, इस नरसंहार से हमें अत्यधिक दुख हुआ तथा सब में आक्रोश व्याप्त है। किसी भी सरकार का पहला कर्त्तव्य नागरिकों विशेषकर उन नागरिकों जो निर्धन तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, की जान माल की रक्षा करना है।''

[हिन्दी]

अब यह बात राष्ट्रपति जी से कहलवा दी गई लेकिन उनसे कहलवाने के बावजूद इस सरकार को साहस नहीं हुआ कि संसद के दूसरे सदन में जिस बात को राष्ट्रपति जी के मुंह से इस सरकार ने कहलवाई, संसद के दूसरे सदन में उसे ले जाकर राष्ट्रपति जी द्वारा कही हुई बात को डिफेंड कर देती और उसे पारित कराने का काम करती लेकिन इतना बड़ा काम आपने कर दिया। यह करने के बावजूद आप कहते हैं कि उसको हम अपहोल्ड करेंगे। बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। उसके अनुसार कोई भी राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा धारा 356 के अंतर्गत, यदि उस राज्य के अंदर कानून-व्यवस्था की हालत खराब हो गई, मंत्रियों में भ्रष्टाचार और घोटाला है तो इन दो चीजों को आधार बना कर बरखास्त नहीं किया जा सकता। यह बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट के कांस्टीट्यूशनल बैंच का दिया हुआ साफ निर्णय है। उस निर्णय को जानते हुए आपने बिहार की सरकार को बरखास्त कर दिया। लेकिन उस निर्णय का दूसरा पहलू यह है कि वह संपूर्ण कांस्टीट्यूशनल बैंच केवल कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त करने के बारे में नहीं बना था। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में नहीं बना था, इन तीनों राज्य सरकारों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह है कि संविधान की मूल धारा, संविधान की आत्मा, यह संविधान का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यदि धर्मनिरपेक्षता के उस सिद्धांत के ऊपर किसी राज्य की सरकार हमला करती है या अपने किसी क्रियाकलाप से कोई हानि पहुंचाती है तो केन्द्र सरकार का कर्तव्य है कि ऐसी राज्य सरकार को बर्खास्त करे, यह उसी निर्णय में है। होना तो यह चाहिए था कि गुजरात की सरकार बर्खास्त होती लेकिन आपने बिहार की सरकार को बर्खास्त किया। इस दोहरे मापदंड के लिए आपने राष्ट्रपति जी के जरिए, इसका उनके अभिभाषण में उल्लेख कराकर राष्ट्रपति जी और भारत के संविधान का अपमान किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार संविधान को भंग करने वाली है, संविधान की धाराओं का अपमान करने वाली है। राष्ट्रीय एजेंडा में एक बात कही गई है कि भारत के संविधान को रिव्यू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए हम एक ज्यूडिशियल कमीशन बनाएंगे, जिसमें हिन्दुस्तान के मान्यता प्राप्त विद्धान, संविधान विशेषज्ञ रखे जाएंगे। लेकिन एक साल हो गया उसका कुछ नहीं हुआ। उसका आपने गठन क्यों नहीं किया ? अक्तूबर और जुलाई महीने में जब यह सवाल गृह मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अक्तूबर में इसको गठित कर देंगे। अक्तूबर में पूंछा गया तो कहने लगे कि दिसम्बर में गठित कर देंगे। जब दिसम्बर में पूछा गया तो सवाल और जवाब दोनों ही बंद हो गये और वह उसके ऊपर मौन हो गये। यह सरकार उन सारे मानव सिद्धांतों की हत्या कर रही है जिनके लिए पिछले 50 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लड़ते रहे हैं। मुझे ठीक से याद है, यहां चौबे जो बैठे हैं। हमारे साथ इमर्जेंसी में 20 महीने जेल में रहे। लोकतंत्र स्थापित हो, तानाशाही न आए, इसके लिए संघर्ष करने वाले लोगों में से यह भी रहे हैं और हम भी रहे हैं। भाई वीरेन्द्र सिंह जी भी रहे हैं। हम दोनों ने साथ-साथ इमर्जेंसी में 20-20 महीने जेल काटी थी। *(व्यवधान)* लेकिन उसकी शुरूआत कहां से हुई, उसकी शुरूआत यहां से हुई कि भारत सरकार ने तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों के वरिष्ठता-क्रम को समाप्त कर किसी जूनियर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। उस समय आपने इल्जाम लगाया कि भारत में लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही आ रही है। लेकिन अब भारत की न्यायपलिका को अपने घुटनों के नीचे रखने का काम भारत सरकार कर रही है। आपने इतना कर दिया कि एक हाई कोर्ट का जज अपने किसी मामले में अपनी सफाई भी नहीं दे सकता। उसके लिए सरकार इतना भी इंतजार नहीं कर सकती कि वह अदालत में बैठा हुआ है। जब वह अदालत से उठ कर आए तो उसे बर्खास्तगी का नोटिस थमाया जाए। उसे बर्खास्त करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी का होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी तरफ से उसे नोटिस भेजते, लेकिन इस सरकार का एक मंत्री ही अदालत में नोटिस सर्व कराता है और जज साहब अदालत में बैठे-बैठे वहां से उठ कर चले जाते हैं। वे दुनिया के सामने प्राकृतिक न्याय की गुहार करते हैं कि हमें भी सुनने का अवसर दिया जाए। मुझे सुने बिना भारत

सरकार ने उसे अपने पद से अदालत में ही बर्खास्त कर दिया। यह क्या हो रहा है ? जिन लोगों ने न्यायपालिका की सुव्यवस्था के लिए, न्यायपालिका सरकार के घुटने के नीचे न रहे, इसके लिए संघर्ष किया, आज उस काम को उससे भी आगे बढ़ कर ये लोग कर रहे हैं। आप बार-बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आपके भ्रष्टाचार दूर करने की मुहीम के ऊपर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यह होना चाहिए। लेकिन अखबारों में मैं कई महीने से पढ़ रहा हूं कि प्रधान मंत्री ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दे दिया। उन्होंने कहा है कि शपथ लेने के एक महीने के भीतर हिन्दुस्तान के इतिहास में हमारी अकेली सरकार होगी जिसके सारे मंत्री अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देंगे। लेकिन प्रधान मंत्री का हुक्म कोई नहीं मान रहा। प्रधान मंत्री ने इस वर्ष के बीतने से पहले 31 तारीख डैड-लाइन नियुक्त कर दी कि कृपा-पूर्वक सारे मंत्री अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दे दें। लेकिन हिन्दुस्तान और विश्व के संसदीय इतिहास में यही एक सरकार है जिसका संसद के भीतर कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, एक के बाद एक हनन करती है। इसका कोई भी मंत्री प्रधान मंत्री के नियंत्रण में नहीं है और उनकी घोषणा के बावजूद क्या भारत सरकार के किसी भी मंत्री ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दिया है। जब यह सही-सही ब्यौरा देंगे तो अकूत सम्पत्ति का पूरा खुलासा हिन्दुस्तान के सामने हो जाएगा। इस बात को ये कहना नहीं चाहते हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : यह ठीक नहीं, हमने ब्यौरा दिया है।

श्री मोहन सिंह : ठीक है, आपने दिया है और कई लोगों ने दिया है। ईमानदार लोगों ने दिया होगा। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप तो हमारे आंगन में खेले-कूदे हैं, आपने दिया होगा। लेकिन मैं सम्पूर्ण मंत्रिमंडल के बारे में कह रहा हूं, जिसके बारे में प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी। आज तक इस सरकार ने सारी मान्यताओं को बर्बाद करने का काम किया है। प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा की उपलब्धि का बयान ये लोग बहुत जोर-शोर से करते हैं। उसके बारे में आज से दो-तीन दिन पूर्व जो कुछ आया, मैं उस इल्जाम में नहीं जाना चाहता हूं। हमारी पार्टी के लोगों ने जब कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान का बंटवारा साम्राज्यवादी ताकतों की साजिश के तहत हुआ। इसलिए पाकिस्तान और भारत के अच्छे रिश्ते होने चाहिए। तब आप अपनी पार्टी के सम्मेलनों में प्रस्ताव पास करके दुनिया से अपील करते थे कि पाकिस्तान टैरेरिस्ट स्टेट है और इसको दुनिया में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। जब आप इस बात को कह रहे थे तब भी हम आपको सलाह देते थे कि वह टैरेरिस्ट स्टेट नहीं है। वहां हुकूमत करने वाले कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका स्वार्थ भारत और पाकिस्तान को आपस में लड़ाने का हो सकता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का अवाम भाई-भाई है, इसलिए उनके भाई-चारे को बनाए रखने के लिए भारत सरकार उनको कुछ मदद दे। जब हमने यह बयान दिया तो आपने अपनी तरफ से बयान दिया कि इस तरह की बातें कहने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। ये शब्द आपके कुछ संगठनों ने इस्तेमाल किए थे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : हमने आपकी बात को माना।

श्री मोहन सिंह : हमारी बात को माना है तो उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाइये। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनके हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, तभी हमारे आपसी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा किए गए उल्लेख पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में एक जगह भूलचूक से यह कह दिया कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह असत्य कहा है। इसलिए मैं इस तरफ माननीय सभापति जी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि "असत्य" शब्द का प्रयोग प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : सच्चाई के बारे में 26 अप्रैल, 1995 का लोक सभा का एक विनिर्णय है जो सही है।

[हिन्दी]

श्री वशिष्ट नारायण सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के राष्ट्रीय अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझ से पहले माननीय श्री मोहन सिंह जी ने सरकार की कुछ खामियों और तथ्यों की चर्चा की। मोहन सिंह जी की यह खूबी है कि जब वह बोलते हैं तो सत्य से दूर भी बात हो तो उसे इस तरह सजा कर रखने का प्रयास करते हैं जिससे लगता है कि वह सत्य के काफी निकट हैं। मैं उनकी दो बातों पर असहमति जताना चाहता हूं। उन्होंने प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा पर अपनी राय रखते हुए कुछ टिप्पणी की है दूसरी और उन्होंने सहयोगी दलों की भूमिका की भी चर्चा की है। मैं दोनों बातों पर पूर्णतः असहमति रखते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं।

आज देश की राजनीति में कॉलिशन पॉलिटिक्स यथार्थ बन गया है। हम माने या न मानें लेकिन देश का कोई भी जागरूक व्यक्ति इस पर अपनी सहमति प्रकट करेगा कि आने वाले समय में कॉलिशन पॉलिटिक्स से छुटकारा पाने वाला दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। कॉलीशन पॉलिटिक्स की इसकी कुछ खूबियां और खामियां हैं। इससे क्षेत्रीय विषमताओं का एक सीमा तक निदान हो सकता है।

जहां तक प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा पर टिप्पणी करने की बात है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की यात्रा से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध सुधरेंगे ही। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत के प्रधान मंत्री ने आजादी के इतने वर्षों बाद एक साहसिक कदम

[श्री वशिष्ट नारायण सिंह]

उठाया। उन्होंने सम्बन्धों को सामान्य और बेहतर बनाने के लिए तथा सम्बन्धों को नई दिशा देने के लिए प्रयास किया। इसका कुछ मतलब है। क्या आप यह चाहते हैं कि कटुता, वैमनस्यता और दुश्मनी और बढ़ जाए ? क्या इन सब को ऐसे ही छोड़ दिया जाए ?

राजनेता की एक भूमिका होती है और उसके ऐसे साहसिक निर्णय न केवल राष्ट्र के मस्तिष्क को झकझोरने का काम करते हैं बल्कि विदेश में रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में अच्छा असर पैदा करने का भी काम करते हैं। भारत के प्रधान मंत्री के साहसिक भ्रमण से ऐसा काम हुआ है। जिस समय भारत और पाकिस्तान के प्रधान बोर्डर पर मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बरसों से चली आ रही वैमनस्यता सद्भाव और प्रेम में बदल रही है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। मैं विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि वह इस बात को समझने का प्रयास करें। यह अच्छी दिशा में उठाया गया एक प्रयास है। जरूरी नहीं है कि उसके परिणाम निश्चित रूप से अभी से रेखांकित किए जाएं लेकिन इस प्रयास की महत्ता स्वीकार करनी चाहिए।

आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। और सदन में भारत का बजट भी प्रस्तुत हो चुका है। मैं मानता हूं कि इससे पहले कोई ऐसी पहल नहीं हुई थी जिस के नतीजे अच्छे आए हों। मैंने जब वित्त मंत्री के मुंह से सुना और जब समाचार पत्रों में आया कि देश में अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज पूरा देश इस पर संतोष व्यक्त कर सकता है। मैं सहयोगी दल का सदस्य होने के नाते केवल सरकार की खूबियों की चर्चा नहीं करूंगा। कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन्हें पहले लेना चाहिए था। जिन चीजों के परिणाम देश में अच्छे आने थे, उनको नहीं लिया गया इस बार। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं इसके लिए सरकार को बार-बार धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिये विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि लेबर कमीशन की स्थापना की घोषणा की गई है यह आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड लेबर्स के हितों की सुरक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। यही नहीं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिये बजट में तिगुनी राशि का प्रावधान किया गया है। मैं सरकार की इस संदर्भ में भी प्रशंसा करना चाहता हूं। आज देश आर्थिक संकट में है। मैं इस पक्ष और उस पक्ष के लोगों से चाहूंगा कि वे इस मामले में ठंडे दिमाग से विचार करेंगे। जब वित्त मंत्री कहते हैं या समाचार पत्रों में टिप्पणी आती है कि राजकोषीय घाटा ज्यादा हो गया है तो यह निश्चित रूप से चिन्ताजनक है इसके लिये बेहतर प्रबंधन की जरूरत है, मैं इस सदन में राजकोषीय घाटे के सवाल को जानबूझकर उठा रहा हूं, फॉरेन रिजर्व तो बहुत अच्छा हो गया है लेकिन राजकोषीय घाटा बढ़ा है। सरकार ने इसके लिये जितने प्रयास किये हैं, उससे अधिक कठोर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं कि मितव्ययिता के लिये न केवल केन्द्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी कठोर उपाय किये जाने की जरूरत है। सरकारी खर्चे में कैसे कटौती की जाये जिससे राजकोषीय घाटे का मुकाबला किया जा सके। लेकिन हम आज कहां पहुंच गये हैं ? इस सरकार के आने से पहले कुछ सिग्नल इस देश में पैदा हुये हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है—एक बार प्याज के मूल्य, फिर नमक के मूल्य बढ़ गये, इसके बाद सरसों का तेल के मूल्य बढ़े, एक बार पेट्रोल प्राइसेज बढ़े, प्याज के दाम बढ़े। इससे सत्ता परिवर्तन तक हो गया। ऐसी कौन सी शक्ति है जो अफरा-तफरी मचाने का काम करती है ? इस षड्यंत्र के खिलाफ सरकार को सुनियोजित और दीर्घकालीन राजनैतिक एवं प्रशासनिक निर्णय लेना पड़ेगा। जब प्याज के दाम बढ़े तो बहुत चर्चा की गई लेकिन जब दाम कम हो रहे हैं तो कोई चर्चा नहीं करता। आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिये। यद्यपि सरकार ने घोषणा की है कि फूड डिपार्टमेंट में एक सैल गठित किया गया है जो प्राइसेज की मानिटरिंग करेगा। इसी प्रकार कृषि मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये पहले से एक सैल बनाया गया है। मैं श्री सोहन सिंह और श्री रघुवंश प्रसाद जी की इस बात से सहमत हूं कि किसानों द्वारा उत्पादित सामान और कारखाने से पैदा होने वाली चीजों का मूल्य तय करने के लिये एक-सी नीति होनी चाहिये, एक-सा मापदंड होना चाहिये, तभी देश में वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

सभापति जी, मैं एक बात आपके माध्यम से भारत के वित्त मंत्री और सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रवेश हो चुका है। हमारे देश में कई ऐसी आइटम्स हैं जिसमें उनमें भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रवेश कर गई। यहां तक कि राजस्थान की भुजिया पर भी उनकी नजर चली गई है। मैसूर का संदल सोप एक बेहतरीन साबुन है इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यह देश पर एक खतरा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि विश्व में डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन की चर्चा होती है, तो भारत की अस्मिता की रक्षा करने के लिए कुछ ठोस निर्णय लेना होगा। ऐसा निर्णय श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर जाकर नयी शुरूआत कर सकते हैं, जब सरकार ने निर्णय से फॉरेन रिजर्व बढ़ सकता है। हमें विदेशी दबाव से सदा सतर्क रहना चाहिये कहीं विश्व के प्रेशर में हम कोई ऐसी मजबूरी न दिखाएं कि भारत के अंदर पैदा होने वाले सामानों के क्षेत्र में भी हम विदेशियों को आने का मौका न दें। क्योंकि इससे भारतीय अस्मिता और संस्कृति पर चोट पहुंच सकती है।

सभापति महोदय, यहां बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग और विद्वान साथी बैठे हैं। एक ही बात मैं चेयर से और सारे दलों के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इतने वर्षों की आजादी के बाद मुल्क में कुछ चीजें स्पष्टतः लगता है कि तय हो चुकी हैं। उस पर एक नीति, एक राय बनाने की जरूरत पड़ गई है। सभी लोग मानते हैं कि आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। सभी लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। सभी लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार आज राजनीतिक जीवन को बरबाद कर रहा है। सभी लोग मानते हैं कि आज देश में क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है और सभी लोग मानते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार, जिससे मैं आता हूं, वहां केन्द्रीय पैसा यदि जाएगा भी तो उसका उपयोग नहीं हो सकता है। कारण यह है कि मैचिंग ग्राण्ट्स वहां नहीं मिल पाएगी और जब मैचिंग ग्राण्ट्स नहीं मिल पाएगी तो केन्द्रीय योजनाओं का भी पालन नहीं हो पाएगा। सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

बिहार आज किस हालत में है, केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में चाहे झारिया हो या बरौनी, अमझोर हो या सिन्दरी हो, सभी मरणासन्न हालत में आज डालमिया नगर बंद हैं। मैं बिहार की योजनाओं की बात नहीं करता। चाहे हटिया है या बरौनी है, चाहे अमझोर है या डालमिया नगर है, आज सारे बिहार में केन्द्रीय परियोजनाएं डालमिया नगर और सिन्दरी को छोड़कर मरणासन्न हालत में है। यदि बिहार पर ध्यान नहीं दिया गया, विशेष योजनाएं नहीं दी गई और पिछड़े राज्यों के लिए एक नीति नहीं बनाई गई तो खतरनाक परिणाम आएगा मल्टीनेशनल्स के आने के बाद कि जो राज्य संपन्न हैं, वह और संपन्न होते जाएंगे और जो गरीब राज्य हैं, वे गरीबी की खाई में गिरते जाएंगे। इन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि काफी संख्या में माननीय सदस्य हैं जो बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा समय सीमित है। अत: मैं राष्ट्रपति जी के पूरे अभिभाषण को परिदृश्य में न लेकर उसके दो अथवा तीन पहलुओं पर ही टिप्पणी करना चाहता हूं क्योंकि इतने कम समय में उन सब पहलुओं पर टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है इसलिए मैं दो या तीन विषयों पर विचार करने जा रहा हूं तथा इसका मतलब यह नहीं है, अन्य मामलों पर जिन्हें मैं शामिल नहीं कर रहा हूं मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।

समयाभाव के कारण, मैं सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभिन्न दलों के नेताओं के साथ कल हुई बैठक जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा रक्षामंत्री आदि भी उपस्थित थे का हवाला देता हूं। इस बात पर विचार चला कि किस प्रकार से नौ-सेनाध्यक्ष की बर्खास्तगी के मामले पर सदन को विचार करना चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं सुझाव दिए गए थे। महोदय अन्तत: एक प्रस्ताव, जो मूल रूप से देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर द्वारा रखा गया, वह यह है कि एक पांच अथवा छह अथवा सात सदस्यों की छोटी सी समिति बनाई जाए तथा समिति से यह कहा जाना चाहिए कि वह उन बातों पर विचार करें कि चर्चा के कौन-कौन से मानदंड होने चाहिए। जिन पर सदन द्वारा एडमिरल भागवत की बर्खास्तगी संबंधी मुद्दे पर विचार किया जा सके तथा कोई निर्णय लिया जा सके तथा वे कौन-कौन से विषय हैं जिन्हें चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए अथवा शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

इस मामले पर किस प्रकार से विचार किया जाए इस संदर्भ में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बल्कि आज सुबह मुझे प्रेस के माध्यम से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हमारे युवा संसदीय कार्य मंत्री, श्री कुमार मंगलम ने काफी लंबी सफाई दी है कि जो कुछ भी कल तय हुआ अथवा नहीं हुआ। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जो मामले उन्होंने तैयार किए वह उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है जो कुछ बैठक में हुआ है। जैसाकि मैंने कहा है कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उस बैठक में हमने पूछा था कि गठन की जाने वाली समिति का क्षेत्र क्या होगा, इसके विचारणीय मुद्दे क्या होंगे, कौन-कौन इसके सदस्य होंगे, यह किस तरह से कार्य करेगा इत्यादि-इत्यादि। उनमें से किसी विषय पर भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया निपटाया नहीं गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, पिछले तीन दिनों से 'शून्य काल' के दौरान इस विषय पर चर्चा हो रही है। अध्यक्षपीठ ने इस विषय पर सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया है। नेताओं के साथ बैठक में कुछ फैसला किया गया है। इस समय सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप वस्तुत: किस ओर इंगित कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि इस विषय पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए हमें अंतिम फैसला किए जाने तक इस विषय को उठाने की छूट है। इस विषय पर मुझे या अन्य सदस्यों को विचार प्रकट करने से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए, महोदय मैं आपकी अनुमति से इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं जिससे रक्षा संबंधी गुप्त बातों का खुलासा होगा; वर्गीकृत सूचना के दायरे में आने वाले किसी भी विषय पर नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय : आप इस मामले के गुण-दोष की समीक्षा किए बिना इसका हवाला दे सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस मामले के गुण-दोषों पर बाद में फैसला किया जाएगा किंतु मैं सिद्धान्तों की बात कर रहा हूं। मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि हम लोगों की और कम से कम मेरी रुचि व्यक्ति विशेष में नहीं है। मैं श्री भागवत या किसी अन्य व्यक्ति की परवाह नहीं करता हूं। कोई भी व्यक्ति थल-सेनाध्यक्ष या नौ-सेनाध्यक्ष बन सकता है। मैं व्यक्ति विशेष की चिन्ता नहीं कर रहा हूं। मुझे वास्तव में संस्था की चिन्ता है।

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त, आप अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य हैं। अध्यक्षपीठ ने इस पर निर्णय किया और प्रधान मंत्री ने भी यह कहा था कि अध्यक्ष द्वारा चुने गए नेताओं से परामर्श करने के पश्चात् यह तय किया जाएगा कि मुद्दा सभा में बहस करने के उपयुक्त है अथवा नहीं। तथापि, आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि सेना प्रमुख का बर्खास्त किया जाना उचित है अथवा नहीं। इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर निर्णय लिया था कि क्या चर्चा नियम 193 या नियम 194 के अंतर्गत अलग से होगी। किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अपने भाषण के दौरान इस विषय को उठाने पर कोई पाबंदी नहीं है। कृपया कार्यवाहियों को देखिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि कल बैठक से आप यही समझते हैं कि इस विषय को सभा में उठाए जाने की कतई अनुमति नहीं दी जा सकती है तो मुझे खेद है, मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं बैठ जाऊंगा। यदि इतने गंभीर विषय को *(व्यवधान)* से हटा देना है।

सभापति महोदय : जहां तक मेरी जानकारी है सरकार की ओर से यह कहा गया है कि नौसेनाध्यक्ष की बर्खास्तगी पर सभा पटल पर चर्चा की जाए या नहीं इस पर निर्णय लिया जाना है। इस पर अभी निर्णय नहीं किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, महोदय मेरा इस पर भिन्न विचार है।

सभापति महोदय : कुछ नामनिर्दिष्ट नेताओं के द्वारा कुछ अभिलेखों की समीक्षा के बाद उन्हें यह निर्णय लेना होगा कि क्या इस पर सभा पटल पर चर्चा कराई जाए अथवा नहीं। इस समय इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस समय नौसेनाध्यक्ष की बर्खास्तगी के संबंध में चर्चा की अनुमति देना मेरे लिए न्यायसंगत नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : पिछले तीन दिनों में जो प्रश्न उठा है वह यह है कि क्या अध्यक्षपीठ को किसी नियम विशेष के तहत सार्थक चर्चा की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। यह किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए देश की शासन व्यवस्था से संबंधित किसी विषय का उल्लेख करने से नहीं रोकता है। इतना ही नहीं बजट पर जब चर्चा होगी तो हम रक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे क्योंकि बजट के दायरे में सरकार के सभी विभाग आते हैं। बजट चर्चा और राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में देश की शासन व्यवस्था से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा किया जा सकता है और इस विषय पर बोलने से किसी माननीय सदस्य को कोई नहीं रोक सकता है।

सभापति महोदय : इस विषय विशेष के मामले में ···

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। एक अलग महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी है तथा ऐसा नहीं है कि वह रक्षा संबंधी मामलों का बिल्कुल ही उल्लेख नहीं कर सकता। *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रश्न यह है कि एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अनुमति दी जाए या नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : हां, यही मुद्दा है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : सिर्फ यही प्रश्न है जिसे माननीय अध्यक्ष ने विचार किया है। किसी माननीय सदस्य द्वारा अपने भाषण के दौरान ऐसे मामलों को उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उन्हें कैसे रोका जा सकता है? यह हमारा अधिकार है *(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अनुमति दी जाए या नहीं।

सभापति महोदय : जबकि इस सभा में इस मुद्दे को विपक्ष के अनेक सदस्यों तथा नेताओं द्वारा उठाया गया तो सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की थी।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, आप अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था को पढ़ दें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि उन्हें नियम 193 और नियम 194 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है। सिर्फ उसका हवाला देते हुये उन्होंने व्यवस्था दी थी। उन्होंने यह व्यवस्था नहीं दी कि अन्य कोई इस विषय का उल्लेख नहीं करे।

सभापति महोदय : इस सभा में इस विषय को नियम 193 और 194 के अंतर्गत उठाने की अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। संबंधित नेताओं द्वारा अभी निर्णय किया जाना है कि इसे अनुमति दी जाए अथवा नहीं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नियम 193 या 194 के अंतर्गत नहीं बोल रहा हूं। *(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : महोदय, मुझे एक मिनट का समय दें। मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं।

सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि जहां तक सिर्फ इसी प्रश्न का संबंध है मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ सहमत हो सकता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त इस सभा के पिता के समान हैं। वह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। वह बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि वह किसी सीमा तक जा सकते हैं और बोल सकते हैं। इस समय नियम 193 या 194 का प्रश्न नहीं है। भूतपूर्व नौसेनाध्यक्ष की बर्खास्तगी के विषय के संबंध में अहम कारण यह है कि कतिपय मुद्दे संवेदनशील हैं तथा उनसे संबंधित सूचनाएं वर्गीकृत श्रेणी की हो सकती हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सशस्त्र सेनाओं के मनोबल पर दुष्प्रभाव डाल सकती हैं।

अपराह्न 03.18 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

इसलिए नेताओं ने यह तय किया था कि वे इन सभी बातों को देखेंगे। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सदस्य इस विषय का उल्लेख नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि हम लोगों की ओर से यह कहा जाना अनुचित होगा। मुझे कतई संदेह नहीं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त जी इस मामले से निपटना मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने जब इतना लम्बा और विस्तृत अभिभाषण दिया है हमें इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना होगा कि इसमें नौसेनाध्यक्ष की बर्खास्तगी जैसी गंभीर घटना के परिणामस्वरूप जो हुआ उसका उल्लेख तक नहीं है। इसका कोई उल्लेख नहीं है और मैं इसी की ओर ध्यान दिला रहा हूं। महोदय, अभी-अभी मैंने जो कहा है, निःसंदेह मैं सहमत हूं कि उन मामलों पर जिन्हें वर्गीकृत सूचना या रक्षा संबंधी गुप्त जानकारी या ऐसी ही कोई जानकारी कहा जा सकता है पर चर्चा नहीं की जा सकती। मेरा ऐसी किसी भी बात पर चर्चा करने का विचार नहीं है। किंतु महोदय मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं कि क्योंकि आज ही पहले यहां किसी ने कहा था कि नौसेनाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई नौसेना अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह कार्रवाई करने में नौसेना अधिनियम के तहत अधिकारों का प्रयोग किया गया था।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं गृह मंत्री था तो कुछ समय के लिए मैं मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति का सदस्य भी रहा था और मैं यह बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जब रक्षा सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यतया रक्षा सेनाओं के प्रमुख के पद पर नियुक्ति

का प्रश्न हो तो इस विषय में अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए कि किसी नियम अथवा अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो। यह सच है। मैं यह बताना चाहता हूं कि नौसेना विनियम के नियम 134 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है कि उप (डिप्टी) नौसेनाध्यक्ष की नियुक्ति नौसेना अध्यक्ष की सिफारिश के आधार पर की जाए। अध्यक्ष सिफारिश करता है। नियुक्ति समिति उस सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यह भी सच है। किसी एक अथवा दूसरे कारण से वे यह कह सकते हैं कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे उस स्थिति में कुछ नए नाम अग्रेषित किए जाते हैं अथवा एक नई नामसूची बनाई जाती है और अध्यक्ष से दोबारा परामर्श किया जाता है और तब अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। परन्तु यह अभूतपूर्व स्थिति है कि एक व्यक्ति जिस के नाम की सिफारिश अध्यक्ष ने नहीं की है बल्कि जिस पर अध्यक्ष से गंभीर आपत्ति जताई है, ऐसा नाम उन पर थोपा गया है और यह अपेक्षा की गई है कि वह इस पर अपनी सहमति दें चाहे वे उसे पसन्द करते हैं अथवा नहीं। यह नौसेना नियमों के अंतर्गत भी अनुज्ञेय नहीं है।

अत: मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक जनता जानती है जिसके लिए प्रैस धन्यवाद की पात्र है, हमारे पास जानकारी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दिसम्बर माह के अंत से जब नौसेना प्रमुख को हटाया गया था तो हमें सरकार की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कोई सरकारी बयान अथवा वक्तव्य नहीं मिला है। न ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने सदन को विश्वास दिलाया है। मेरी यह शिकायत है। हम सूचना के अधिकार के बारे में बहुत बात करते हैं कि इस देश में लोगों को कानून बनाकर सूचना का अधिकार दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए विधान बनाया गया है। परन्तु यह आश्चर्य-जनक है कि संसद, जो कि इस देश में संप्रभु निकाय है, को ऐसे महत्वपूर्ण मामले में सूचना के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

मैं यह नहीं समझता कि किसी भी रक्षा सेवा के अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह एक ऐसे उपाध्यक्ष के साथ कार्य करें जिस पर उसे विश्वास नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है वह आपरेशनल कमांडर हैं। वह नौसेना का चपड़ासी अथवा रसोईया नहीं है। वह आपरेशनल कमांडर हैं जिसके तहत हजारों व्यक्ति कार्य करते हैं और यह एक ऐसी सेवा है जो कि इस देश की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में हमारी सशस्त्र सेनाओं के अपने साहस, शौर्य और बलिदान के बल पर इस देश की कितनी बार रक्षा की है ? प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है। यदि अभी ऐसा किया जाता है तो यह आपसी समझबूझ को कमजोर करेगा, सशस्त्र बलों के अनुशासन और मनोबल भी कमजोर करेगा, इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

मेरी मुख्य शिकायत यह है कि संसद को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मैं यह नहीं समझता कि इस चर्चा के दौरान भी अब सरकार की ओर से कोई सूचना दी जायेगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री ने संसद में नहीं प्रैस और मीडिया में सार्वजनिक तौर पर ब्यान दिया है कि इस अध्यक्ष को जिसको सेवा से हटा दिया गया है, सुरक्षा संबंधी जोखिम बन गया था। एक अत्यंत गंभीर आरोप लगाया गया है।

यदि ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति सुरक्षा संबंधी जोखिम बन जाता है तो यह पूरे देश के लिए एक खतरा है और यदि वह सुरक्षा संबंधी जोखिम बन गया है तो उसके खिलाफ पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई ? यदि वह देशद्रोही है तो उसके खिलाफ बहुत पहले कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उस पर आरोप लगाये जाने चाहिए थे, जांच की जानी चाहिए थी और यदि वह चाहता तो उसे अपनी सफाई देने का अवसर भी दिया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया अब अचानक जब उसे बर्खास्त कर दिया है तो माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया है। न केवल माननीय सदस्य जिज्ञासु हैं परन्तु इस संबंध में देश भर में व्यापक जिज्ञासा है। थल-सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी और सेवा-निवृत्त अधिकारी वक्तव्य दे रहे हैं, प्रैस को लिख रहे हैं और इस कार्रवाई से सशस्त्र सेनाओं के मनोबल गिरने की आशंका को व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनके नाम दे सकता हूं परन्तु अब यह आवश्यक नहीं है।

मैं समझता हूं कि देश में कुछ संस्थाएं ही बची हैं जिन्होंने वास्तव में इस अवधि में अनुशासन और मनोबल को बनाए रखा है, जब हम प्रतिदिन भ्रष्टाचार और हमारे समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक ऐसी संस्था है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई कार्रवाई न करें जो कि सशस्त्र सेनाओं के मनोबल और अनुशासन को प्रभावित करें।

मैं भ्रष्टाचार के उन आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि पूर्व नौसेना अध्यक्ष ने रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय पर लगाए हैं। मेरा इरादा उन आरोपों के बारे में बात करने का नहीं है। यदि इस मामले पर अलग चर्चा की जाती है तो अधिकांश माननीय सदस्य इस विषय पर बोलेंगे। परन्तु मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका खंडन नहीं किया गया है। ये आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाए गए थे और रक्षा मंत्री ने इनका खंडन भी नहीं किया है। मेरी राय में यह संसद की अवमानना है। आप इस तरह भाग नहीं सकते। आपको कहना चाहिए 'मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं, ये निराधार है' उन्हें कुछ कहना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है, 'मैं इनकी परवाह नहीं करता।' आप इनकी अनदेखी नहीं कर सकते। ये वे मामले हैं जो इस देश की रक्षा संरचना के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए, जब हम पिछले एक वर्ष में इस सरकार की उपब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे यह कहते हुए खेद है कि जिस तरीके से उन्होंने यह कार्रवाई की है, या जिस तरीके से उन्होंने इस काम को किया है, जिस प्रकार यह किया है इससे अंतत: समूचा ढांचा अस्थिर हो जायेगा जिससे यह देश अब तक बचता चला आ रहा है।

यह एक गंभीर मामला है। मैं दोबारा दोहराता हूं कि मैं श्री विष्णु भागवत अथवा किसी अन्य का बचाव करने पर नहीं तुला हुआ हूं परन्तु मैं निश्चित रूप से थलसेना अथवा नौसेना अथवा वायुसेना के अध्यक्ष के पद के बचाव के लिए बहुत चिंतित हूं, चाहे जो कुछ भी हो और यह देखना है कि इन सेनाओं को हतोत्साहित और कमजोर करने और राजनीतिक बनाने से बचाया जाए जिन्हें जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि राजनीति का खेल भी चल रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह एक गंभीर

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

चूक है कि इसका उल्लेख नहीं किया गया है। शायद, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार किया है उन्होंने उसे जानबूझकर छोड़ दिया है। वे यह नहीं चाहते कि इसका उल्लेख किया जाए। परन्तु यह एक अभूतपूर्व कार्रवाई है। देश के आजाद हो जाने के बाद से कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इसलिए, जिस तरीके से इस मामले से निपटा गया उस पर मैं अपना घोर विरोध दर्ज कराना चाहता हूं। सदन और देश इसे गंभीरता से ले और यह देखे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे। मैं यह नहीं जानता कि यह जो गलती हुई है इसे कैसे सुधारा जाए। यह सरकार पर निर्भर है कि यदि वह चाहे तो निर्णय ले।

दूसरा प्रमुख मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूं वह देश की अस्थिरता से संबंधित है। कुछ दिन पहले मैंने माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य को पढ़ा। अब मैं स्मरण नहीं कर सकता कि क्या उन्होंने संदन में बहस के दौरान उत्तर देते समय – इस सदन में नहीं, शायद दूसरे सदन में – अथवा प्रश्न का उत्तर देते समय वक्तव्य दिया परन्तु उन्होंने कहा कि हमारा देश उन करोड़ों लोगों की शरणस्थली है जो विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, अनेक भाषाओं और विभिन्न भूलों से सम्बन्धित हैं और यही भारत की शक्ति है। भारत एक शक्ति बन कर उभरा है, भारत की शक्ति यह है कि यहां विभिन्न मतों और धर्मों के लोग आपस में मिल कर रह रहे हैं। मैं इस मत से पूर्णत: सहमत हूं। यह अनेकता में एकता की अवधारणा है जिसे हम प्रारंभ से मानते आए हैं।

एक बहुवादी समाज जिसके बारे में हमने हमेशा कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और अनेकता में एकता भारत की परम्परागत छवि है। यदि इस छवि को तोड़ा जाता है अथवा कमजोर किया जाता है तो मुझे भय है कि अंतत: इससे समाज और देश अस्थिर होगा।

इस सरकार - यानि भाजपा सरकार - के विरुद्ध मेरी शिकायत यह है। मुझे विश्वास नहीं है कि बहुत सी घटनाएं जो हो रही हैं के लिए प्रधानमंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं। हम सभी जानते हैं कि यह सरकार अपने इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। प्रधान मंत्री कार्य करने हेतु स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें सदैव अपने मित्र दलों, मित्रों, इस सरकार में अपने साझेदारों पर नजर टिकाए रखनी होती है। इसका हवाला दिया जा चुका है, उनकी अपनी मांगें हैं, उनके अपने विचार हैं तथा उनका अपना कार्यक्रम है, और जब सरकार का कार्यक्रम इसके अनुरूप नहीं होता है तो वे सरकार पर दबाव बनाने तथा यह धमकी देने कि वे अपना समर्थन वापस ले लेंगे या कुछ और करेंगे में तनिक भी नहीं झिझकते हैं। उनकी मांगें जब तक स्वीकार नहीं कर ली जातीं यह एक तरह से ब्लैकमेल है। बाधाएं हैं। कोई भी सरकार जब इस तरह की बातें हो रही हों काम नहीं कर सकती हैं।

दूसरी बात यह है कि यह विश्व हिन्दू परिषद् जो कि सरकार का अंग नहीं है, जो कि औपचारिक रूप से भाजपा का अंग नहीं है, किंतु निश्चित तौर पर वे भाजपा या सरकार जो कि हिन्दुत्व के सिद्धान्तों के आधार पर सत्ता में आई है के विरोधी नहीं हैं। जो विभिन्न मुद्दों पर सरकार के साथ रहते हैं। वे उसी भाषा में नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर प्रधान मंत्री की आलोचना की है। इनमें से एक यह है हाल ही के चुनावों में भाजपा की हार हो गई है क्योंकि उनके अनुसार सरकार और प्रधान मंत्री हिन्दुत्व के सिद्धान्त से पीछे हट रही है, इसके कारण लोगों में उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई है और इसी कारण लोग उनके विरुद्ध वोट डाल रहे हैं – उन्हें करना यह है कि उन्हें अपने पुराने रास्ते, और दृष्टिकोण तथा तौर तरीके अर्थात् साम्प्रदायिकता की ओर वापस लौट आना चाहिए और सिर्फ इसी से हिन्दू जनता का समर्थन तथा वोट प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने कई चीजें की हैं। यह कहा गया कि देश के कई भागों में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर इस समय ईसाइयों पर होने वाले ये सभी हमले तथा अत्याचार ईसाइयों पर सबसे पहले नहीं हुए हैं : नि:संदेह जब यह सरकार सत्ता में नहीं थी तभी शुरू हो गए हैं। यह बाबरी मस्जिद के ध्वंस के साथ शुरू हुआ। उस समय भाजपा या इसके किसी भी मित्र संगठन ने उस घटना की आलोचना नहीं की।

मैं समझता हूं कि इससे निश्चय ही दुनिया की नजरों में हमारी पारम्परिक छवि कलुषित हुई है। अब निशाना ईसाइयों के विरुद्ध है जो कि कुल जनसंख्या के मात्र 2.6 प्रतिशत हैं तथा ये किसी भी दूसरे समुदाय के लिए भय का कारण नहीं हैं। सहज ही प्रधान मंत्री ने प्रधानमंत्री के तौर पर इन हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ा तथा दण्डित किया जाएगा। किंतु उन्होंने इन हमलों के लिए जिम्मेदार संगठनों का खुला और निर्भय विरोध नहीं किया। यदि भाजपा नेतृत्व यह मानती है कि भाजपा यह नहीं कर रही है तो हम यह स्वीकार कर लेंगे। किंतु विश्व हिन्दु परिषद् और बजरंग दल जैसे दूसरे संगठनों का क्या कहा जाए जो कि सीधे लोगों को उकसाने में लगे हुए हैं ? क्या प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे सीधे उनकी निंदा करें। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया न तो प्रधानमंत्री ने और न ही गृह मंत्री ने ऐसा किया। अपितु वे यह कह कर कि कोई साक्ष्य और सबूत नहीं है उनका बचाव किया। वर्षों से भारत के अस्तित्व की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता तथा बहुलवाद जिसके वजह से इन पिछले वर्षों के दौरान भारत का अस्तित्व बना रहा की परम्परा पर यह घातक प्रहार है।

इस विश्व में अनेक लोग यह सोचते हैं कि इस देश का अस्तित्व नहीं बचा रह सकेगा। हमारे पूर्व शासक ब्रिटेन को विश्वास था कि जब वे धर्मनिर्पेक्षता से हट जायेंगे तो यह देश कई खंडों में विभक्त हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। हमें इस सच्चाई पर गर्व है। इसका बुनियादी कारण यह है कि हमारा देश सहिष्णु देश है तथा हमारे लोग सहिष्णु हैं जिन्होंने दूसरे अनेक धर्म और संस्कृति के लोगों के साथ रहना सीखा है। हमारी सफलता का यही रहस्य है। इस अवधारणा को तोड़ने या कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए।

ऑस्ट्रेलियाई और उसके बच्चों की हत्या पर उनके देशों में हमारे प्रतिकूल टिप्पणियां हुईं। यह विषय ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में उठाया गया तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यह उठाया गया है। वे कह रहे हैं कि भारत सरकार को इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि यह जारी रहता है, तो मुझे भय है कि हमारा देश न सिर्फ बदनाम हो जायेगा तथा इसकी विश्वसनीयता घटेगी अपितु हजारों वर्ष में जिस मिश्रित समाज के विचार का निर्माण

हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। यदि यह नष्ट हो जाता है तो हमारा यह देश खंड-खंड में विभक्त हो जाएगा। हम एक अखंड देश के रूप में नहीं रह सकेंगे। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि यह ऐसा कुछ है जो देश की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है।

इसलिए, मैं इन दो मुद्दों पर जोर डालना चाहूंगा। एक चीज धर्मनिरपेक्षता तथा बहुलवाद पर हमला है तथा दूसरी चीज सशस्त्र बलों के मनोबल तथा अनुशासन के साथ खतरनाक ढंग से खिलवाड़ करना है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन दो विषयों पर पर्याप्त रूप से प्रकाश नहीं डाला गया है। इसमें से एक पर तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं की गई है।

इसलिए, इसकी ओर ध्यान दिलाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं ताकि हम सामूहिक रूप से ऐसी बातों को रोक सकें ताकि हमारा देश बचाया जा सके।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के संबंध में अल्पकालिक चर्चा हेतु, सूचना दी थी। यह पिछले शुक्रवार की कार्यवाही सूची में शामिल था। आपने चूंकि मुझसे यह कहा था कि नियम 193 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के संबंध में चर्चा होगी, इसलिए मैंने इस पर जोर नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं नियम 193 के तहत उक्त विषय पर बोल सकूंगा। ···*(व्यवधान)* अब मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हमें नियम 193 के तहत चर्चा करना चाहिए। मैं इस सभा में यह साबित कर सकूंगा कि ऐसा किसने किया। हम इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं ? मैं उड़ीसा राज्य का हूं। मेरे पास सारे तथ्य मौजूद हैं। यदि ईसाइयों पर अत्याचार पर चर्चा की अनुमति दी जाती है ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : हमने कार्यमंत्रणा समिति में इस पर विचार किया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, विपक्ष के सदस्य हमेशा यही बोल रहे हैं मानों हमने ही सब कुछ किया है। हमारे पास सारे तथ्य हैं। आप कृपया इस पर चर्चा की अनुमति दीजिए। ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति में इस पर चर्चा हो चुकी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई : हर दिन वे खड़े होते हैं तथा बोलते हैं मानों संघ परिवार अपराधी है। ··· *(व्यवधान)* आप इस पर कब चर्चा की अनुमति देने जा रहे हैं ? ··· *(व्यवधान)* आपको परमिशन देनी चाहिए नहीं तो हर रोज ऐसे ही बोलते रहेंगे। ··· *(व्यवधान)*

महोदय, अत्यन्त ही अनुचित है। आपने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी है।

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : मैं सूचना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा नाम है या नहीं है। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)•

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : हाउस में हर रोज ही इस बात की चर्चा होती है। संघ परिवार पर एक बार बहस क्यों नहीं हो जाने दीजिए ? समय तय कर दीजिए, हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। ··· *(व्यवधान)*

डा० शकील अहमद : जो बात पूरे देश में साबित हो चुकी है। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, यह ठीक नहीं है, आपने अभी तक कोई *निर्णय* नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने दल के नेताओं से पूछें। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० शकील अहमद : जो बात पूरे देश में साबित हो चुकी है कि अल्संख्यकों पर अत्याचार किया गया है, इसमें चर्चा की क्या आवश्यकता है ? ··· *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : हमने इस विषय पर नोटिस दिया हुआ है। ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)•

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर समर्थन करने के लिए और कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का प्रस्ताव हमारी पार्टी की तरफ से सुषमा स्वराज जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया। समर्थन अजीत कुमार पांजा जी ने किया और उसके बाद चर्चा विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने की, मोहन भाई ने की, मैंने उसके भाषण को सुना। भाषण हो रहा था तो उधर से एक सज्जन ने पेटेंट और स्वदेशी की चर्चा उठाई। आज स्वदेशी की चर्चा इसलिए उठानी पड़ रही है

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

क्योंकि जब आप लोग इधर बैठे थे और सरदार मनमोहन सिंह जी का बजट का प्रस्ताव आ रहा था तो मुझे याद है कि मैं उधर बैठा करता था। मुझे याद है जब पहला बजट का प्रस्ताव सरदार मनमोहन सिंह जी ने प्रस्तुत किया था तो कहा था कि बापू मोहनदास कर्मचन्द गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मैं यह बजट लाया हूं। तब कहा गया था कि तीन साल में हिन्दुस्तान का नक्शा बदल जाएगा और हिन्दुस्तान के गांव गांव में बापू के सपनों का गांव बन जाएगा लेकिन तीन साल नहीं आठ साल हो गए, सरदार मनमोहन सिंह जी के सपनों का भारत नहीं बना। गांधी जी के सपनों का भारत नहीं बना लेकिन गरीबों के भारत में आज क्या हो रहा है, आज गांवों में जाकर देखिए, मल्टी-नेशनल कंपनियां आपको वहां मिलेंगी। इसको सब लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। जब स्वतंत्रता की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो मैं नहीं था। मैं उस समय भाषण सुन रहा था जब यहां से आपके नेता, राव जी बोल रहे थे– ग्रामीण स्वराज का सपना साकार करना है। वे बापू मोहनदास कर्मचंद गांधी जी के चर्खे की बात कह रहे थे कि स्वावलम्बी भारत का निर्माण इस तरह होगा। उस समय मुझे लग रहा था कि द्वापर का दुर्योधन किसी द्रोपदी का चीरहरण कर रहा है, त्रेता का रावण वेद पाठ कर रहा है। जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह जी का बजट प्रस्तुत हुआ था और देश में पं० दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के भारत पर कुठाराघात हो रहा था तब आप यहां बैठे थे और हमसे आप स्वदेशी के सपनों की बात कहते हैं। हमें कहते हैं कि पेटेंट का क्या हुआ। उस समय शरद जी रक्षा मंत्री थे, उस समय यह गांधी जी की बात नहीं करते थे। *(व्यवधान)*

आप स्वदेशी की बात हमें मत सिखाइए। हम लोग स्वदेशी किसी विवशता में नहीं हैं, हम स्वभाव से स्वदेशी हैं। मोहन सिंह जी जो बात कर रहे थे, हमारी सरकार की नीतियों, लाहौर यात्रा की बात कर रहे थे। आप तो लोहिया जी के शिष्य रहे हैं। जब पंडित दीनदयाल और डा० लोहिया इलाहाबाद के मैदान में भाषण देते थे और कहते थे कि वह दिन कब आएगा जब भारत और पाकिस्तान की एकता का संगठन बनेगा। मैं बहुत सी चीजों से सहमत नहीं हूं लेकिन डा० लोहिया की शिष्य मंडली में आप भी थे, जब आप एस०वाई०एस० में काम करते थे। मुझे याद है आप कहते थे कि भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनने का सपना अगर किसी ने साकार किया तो वह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी थे। पेटेंट के बारे में आप कह रहे थे। पेटेंट किस का सपना है, किस की नीति है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आज भी इस पर चर्चा हुई है और भविष्य में भी होगी। मेरा कहना है कि चाहे हम या आप पेटेंट का कानून बना लें। बहुत से जनतांत्रिक देशों में सदन में बहुमत के आधार पर कानून पारित कर दिया लेकिन जब वह कानून राष्ट्रहित में नहीं बना तो जनता ने उसे मानने से इनकार कर दिया, चाहे जर्मनी या फ्रांस की संसद ने पास किया हो या भारत की संसद ने पास किया हो। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर 700 लोगों के हाथ में इस देश की तकदीर लिखने का अधिकार मिला है तो यह अधिकार नहीं मिला है कि जब मर्जी आए तब आप कानून पास कर दें और देश की करोड़ों जनता उसे मानने को तैयार हो जाएगी। जगजीवन राम जी इमर्जेंसी का प्रस्ताव लाए थे, कानून बना था लेकिन लाखों लोगों ने जेल में हाजिरी देकर इमर्जेंसी के कानून को तोड़ा था और बाद में विवश होकर जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें हेगड़े जी जनरल सैक्रेट्री थे, तो फिर से इमर्जेंसी के प्रस्ताव को बदलना पड़ा था। हम या आप पारित कर दें, लेकिन अगर पेटेंट का कानून जनहित और राष्ट्रहित में नहीं होगा तो आप और हम लोग भी जानते हैं कि चाहे कितने ही बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर देंगे तो वह नहीं हो पाएगा। इस देश की जनता सड़कों पर खड़े होकर कहेगी कि हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 700 लोगों के हाथ में इस देश की तकदीर लिखने का अधिकार जरूर है लेकिन यह अधिकार नहीं है कि इस देश की विवशता की स्थिति में धकेलें। चिदम्बरम साहब, मैं आपको सुनना चाहता हूं। *(व्यवधान)* चिदम्बरम साहब, आप कहां जा रहे हैं। आपने और मनमोहन सिंह जी ने तो हमें कहने के लिए विवश कर दिया है। . . .(व्यवधान) हम लोग तो गांव के आदमी हैं, आप तो ज्यादा जानते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : आपने जो कहा मैंने अनुवाद के जरिये सुना है। कृपया मेरी बात सुनें।

दो बातें हुई हैं, पेटेन्ट विधेयक का विरोध वामपन्थियों द्वारा किया गया तथा उन्होंने पेटेन्ट विधेयक का विरोध करना जारी रखा। मुझे खुशी है कि तीन वर्षों के पश्चात्, विधेयक को पारित किया। आपके मंत्री तथा अन्य सदस्यों द्वारा विधेयक का जोर-शोर से समर्थन किया गया, मुझे नहीं मालूम कि आपके विचार भी उसमें शामिल हैं या आपके अलग विचार हैं परन्तु याद रखें कि आपकी सरकार ने जो तीन वर्ष का समय लिया है राष्ट्र को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आपके दल द्वारा इसे समझने में तीन वर्षों का समय लेने की कीमत राष्ट्र को चुकानी पड़ेगी अब जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह वित्त मंत्री ने जो बजट में करने का प्रयत्न किया ठीक उसका उल्टा है। पिछला बजट *स्वदेशी* के नाम पर था। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि इस बजट में वे सावधानीपूर्वक 'स्वदेशी शब्द' से बचे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : हमारे वित्त मंत्री के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। जब स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गांव-गांव घूम-घूम कर स्वदेशी का संदेश लोगों को दे रहे थे। *(व्यवधान)* कल उस पर चर्चा चलनी है। इस देश में बड़े-बड़े अफसर, चाहे सेना के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, पुलिस या किसी और बड़ी सर्विस के हों, जिनका सार्वजनिक पैसे के बल पर प्रशिक्षण होता है, वे आज मल्टी-नेशनल कंपनीज में मोटी-मोटी तनख्वाहों पर नौकरी करते हैं। उस समय सदन की चिंता कहां रहती है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मोहन गुरूस्वामी को किसने *(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : सब्जी काटने वाले चाकू को क्या म्यान में रखते हैं ? *(व्यवधान)* इस सरकार के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी

वाजपेयी ने किसानों के ऋण के बारे में जो घोषणा की है कि किसानों को दिये गये ऋण पर चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगेगा, यह एक सराहनीय कदम है। इससे किसानों के बीच हर्ष है। वित्त मंत्री जी आप भी अपने भाषण में जरूर घोषणा कर दीजिएगा कि किसानों को उनके यंत्र और फसलों के लिए दिए जाने ऋण पर जो चक्रवर्ती ब्याज लगता है वह नहीं लगेगा।

अपराह्न 3.53 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए]

इससे किसानों में खुशी है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, सिंचाई के बारे में और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जो जिक्र है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मोहन भाई जल नीति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वे उसकी प्रशंसा कर सकें। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस सरकार ने कावेरी का समझौता किया, वह सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कदम है। टिहरी बांध के बारे में चर्चा चल रही थी तो हमारे मित्र ने कहा कि उस पर फैसला हो चुका है। मुझे लगता है कि आप केवल सरकार का विरोध करने के लिए ही विरोध स्वरूप भाषण कर रहे थे। शरद जी यहां बैठे नहीं हैं, केवल शिवशंकर जी ही उपस्थित हैं। आपको पता होगा कि नरसिंह राव जिस समय प्रधान मंत्री थे उस समय आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने यही किया कि किसानों को जो ऋण दिया जाता था उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगता था। यह उस समय किया गया था जब नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे। मैं आंकड़े देकर बता सकता हूं लेकिन समय नहीं है। अगर आप निजी तौर पर पूछना चाहेंगे तो बता दूंगा।

मैं राष्ट्रीय कृषि नीति की चर्चा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की घोषणा की। अभी वशिष्ट नारायण जी अपनी बात कह रहे थे। मैं मोहन भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि डाक्टर लोहिया कहते थे कि कारखनिया और खलहनिया माल का एक ही तरह से मूल्यांकन होगा। इस बात को बहुत से लोग नहीं जानते कि यह कौन सा माल होता है ? खलहनिया वह माल है जो किसान अपने खलिहानों में रखता है। कारखनिया माल वह होता है जो कारखाने में सरमायेदार पैदा करता है। मैंने कृषि नीति के बारे में कृषि मंत्री से चर्चा की थी। उनके साथ बातचीत में सहमति हुई थी। उन्होंने कहा था कारखनिया और खलहनिया माल का मूल्यांकन एक तरह से किया जाएगा। आप कम से कम इसकी प्रशंसा कर देते। आप केवल विरोध करने के लिए यहां खड़े हुए थे।

आप कह रहे थे कि दशरथ पाल सिंह की मणिपुर में हत्या हो गई। दशरथ पाल सिंह गरीब परिवार से था। वह मेरे संसदीय क्षेत्र का आई०ए०एस० लड़का था। उसकी आतंकवादियों ने मणिपुर में हत्या कर दी। आतंकवाद हमारी सरकार की देन नहीं है। यह कई वर्षों से हमारे देश में चल रहा है। इसके लिए किसी एक पार्टी पर दोषारोपण करना सही नहीं है। सारे सदन और देश को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आज दशरथ पाल सिंह मारा गया है, कल कोई दूसरा मारा जाएगा। सरकार पर दोषारोपण करके इससे बरी नहीं हुआ जा सकता।

मोहन सिंह जी ने न्यायपालिका की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश को जबर्दस्ती बर्खास्त किया गया। प्रयाग उच्च न्यायालय में इनकी पार्टी के लोगों ने 'हल्ला बोल' आन्दोलन किया था। उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के 'हल्ला बोल' आन्दोलन ने न्यायपालिका पर हल्ला बोल दिया। उस समय आपका समाजवाद कहां गया और न्यायपालिका पर आक्रमण कहां गया ? आज प्रयाग उच्च न्यायालय की यह हालत है कि गांव का कोई आदमी मुकदमा लड़ने जाता है तो उसका पास नहीं बनता। वह टकटकी लगा कर देखता रहता है। बाहर खड़े दलालों को पैसा देकर उसका पास बनता है। किसी को जबर्दस्ती बर्खास्त करना उचित नहीं है। आप अपने लोगों को भी यह चीजें सीखने के लिए कहें। 'हल्ला बोल' आन्दोलन कर इस व्यवस्था को चरमराने की व्यवस्था न करें।

यहां बिहार के बारे में चर्चा हुई। इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जिक्र हुआ। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर बहुत हल्ला हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना चाहिए लेकिन इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यह बात कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने कही।

श्री पी० शिव शंकर (तेनाली) : उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी जी दलितों पर होने वालों हमलों की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें। *(व्यवधान)* इसका यह मतलब नहीं था कि धारा 356 लगा दी जाए।

[अनुवाद]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : मैंने यह बात स्टार टेलीविजन समाचारों में सुनी है। श्री शिन्दे आपके महासचिव ने कहा है :

बिहार सरकार बर्खास्त होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था संविधान में है तो यह भी तय होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन कब और कहां लागू होगा ? अगर इसका ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो संविधान से यह व्यवस्था हटा देनी चाहिए। धारा 356 के बारे में बहुत बहस होती है। मैं नहीं जानता कि धारा 356 उचित है या अनुचित ? वह कहां और कैसे लागू होगी ?

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन यह तय हो जाये कि राष्ट्रपति शासन कहां लगेगा। इस संघीय व्यवस्था में जहां देश टूटने की बात आयेगी तो संविधान में लिखा हुआ है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जायेगा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। यदि किसी राज्य में अराजकता होगी, प्रदेश जल रहा होगा या संघीय व्यवस्था को खतरा पैदा हो जायेगा तो राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के अलावा और क्या उपाय रह जायेगा। यदि हिंसा होगी तो इस सदन को सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रपति शासन कहां लगाया जाये। यदि किसी प्रदेश में हत्याओं के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उसी तरह की घटना किसी अन्य राज्य में होने पर क्या मानदंड होगा ? यद्यपि बिहार के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिये मैं बिहार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पंचायतों और नगरपालिकाओं के अधिकारों का जिक्र किया गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वर्गीय बापू के सपनों का जो भारत था, उसे पूरा करने के लिये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जब तक ग्राम पंचायतें और नगरपालिकायें सक्षम नहीं होंगी, तब तक यह सदन सक्षम नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, चुनाव सुधारों की बात की जाती है कि हम फर्जी मतदान को रोकेंगे। मैं शिव शंकर जी से पूछना चाहता हूं कि लोक सभा में बिहार प्रकरण पर अब्दुल गनी खां चौधरी साहब उपस्थित नहीं थे, उनके नाम पर फर्जी मतदान किया गया। अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा कि श्री चौधरी उपस्थित नहीं हैं फिर भी उनके नाम पर फर्जी मतदान किया गया। यह रिकार्ड में दर्ज है (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह नियम में लिखा हुआ है कि एक बार जो बात उठाई गई, उसे बार-बार न उठाया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, हमने नियम तो नहीं पढ़े हैं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : वीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्जी मतदान करने पर उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी का साथ दिया है जो बिहार में खुद बूथ कैपचरिंग करके चुनाव जीतता है। उसमें लालू जी का कुछ नाम तो आना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, शायद बिहार की बात आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं अंतिम बात कहने जा रहा हूं। मैं शिव शंकर जी से पूछ रहा था कि क्या आप इस कुकर्म से बरी नहीं होना चाहते हैं जो लोक सभा में फर्जी मतदान कराया गया। जब लोक सभा में फर्जी मतदान होगा तो आप कैसे इस देश की जनता को आम चुनावों में फर्जी मतदान करने से रोक पायेंगे। यदि आप यहां ऐसा करेंगे तो देश की जनता आपकी इस बात को बेमानी कहेगी और आप अपनी बात दर्ज करने के लिये कैसे फर्जी मतदान को रोक सकते हैं। सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, मुलायम सिंह यादव, बसुदेव आचार्य जैसे लोगों को हम टकटकी लगाकर देखते रहेंगे। माननीय गृहमंत्री श्री आडवाणी चाहे जितना चुनाव सुधार की बात कर लें, कांग्रेस द्वारा इस सदन में श्री गनी खां चौधरी के नाम पर फर्जी मतदान करेंगे तो इस देश में फर्जी मतदान को नहीं रोक सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव बहन सुषमा जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप भी मेरे भाषण पर ताली बजाइएगा क्योंकि मैंने भी आपके भाषण पर ताली बजाई थी।

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : सभापति जी, हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष की बातें सुनने को मिल रही हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं बिहार से आता हूं और वीरेन्द्र बाबू हमारे संबंधी भी हैं। एक सज्जन ने और कुछ रिमार्क किया, उनको भी मैंने ध्यान से सुना है। धारा 356 और बिहार की बात, बिहारियों की बात और बिहार की अवमानना की बात परंपरा बनती जा रही है और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को समझना देश को समझना है। देश से बिहार को अलग करके सोचना, बिहार की तौहीन की बात करना, आम चर्चा का विषय संसद में बनाना इस मुल्क के लिए दुख की बात होगी।

आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान को बनाने में बिहार का काम कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। हिन्दुस्तान जो इतना बड़ा और महान बना है, उसमें बिहार की बड़ी साहसिक भूमिका रही है। लेकिन छोटी-छोटी बातों में बिहारी की बात की जाती है, बिहार की बात की जाती है और बिहार की परंपराओं की बात की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धारा 356 का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया गया है। सरकारी आंकड़ों के तहत विरोधी पक्ष के नेता ने इस बात को उजागर किया था कि सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉबलम दूसरे राज्यों में है, बिहार छठे स्थान पर है। लेकिन सवाल है कि अपने राष्ट्रपति शासन वहां क्यों लगाया। राष्ट्रपति शासन लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नहीं लगाया। राष्ट्रपति शासन अपनी राजनीतिक मानसिकता के तहत लगाया। जब आपने देखा कि वहां गरीबों की सरकार है और उस सरकार को अस्थिर करने की साजिश आपने दिल्ली में बैठकर की। आप कितना भी भाषण दें हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

एक बात का जिक्र आपने सुना होगा। लोक सभा में बहस हो रही थी तो बहस के क्रम में बात आई कि उत्तरांचल बनेगा। उत्तरांचल बनेगा तो हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में रायशुमारी करके पता लगाया जाएगा कि आम जनता की राय क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उत्तरांचल बना रहे हैं और लोगों की राय जानना चाहते हैं, वैसे ही वनांचल बना रहे हैं तो क्यों नहीं रांची में, धनबाद में, टाटानगर में आप रायशुमारी की बात करते हैं ? इसे जबर्दस्ती क्यों वहां पर लाद रहे हैं ? इस तरह से आप दूसरी-दूसरी बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं कि 11 महीने में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। अगर अच्छा काम किया तो भाजपा का शासन यहां पर है और भाजपा के अलाइज का कई राज्यों में शासन है, आप अपनी स्थिति मजबूत कर लेते। बढ़िया काम कर लेते तो आपकी भाजपा की अकेले ही सरकार बन जाती। लेकिन 11 महीनों के शासन में प्याज के दाम बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से और आपकी सरकार के प्रति प्रतिक्रिया के स्वरूप तीन राज्यों में आपको चुनावों में सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसलिए यह मत समझिए कि आप मजबूत हो रहे हैं। आप कमजोर हो रहे हैं।

आप विदेश नीति की बात कहते हैं। विदेश नीति में आपने बस डिप्लोमेसी की बात की है। बस चलाकर दोनों देशों की जनता को आप इकट्ठा करना चाहते हैं, नेतृत्व को इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन दिल इकट्ठा करने का काम भी कीजिए। आप बस से लाहौर चले जाइए, कोई ऐतराज़ नहीं है, दोनों देशों में एकता हो, कोई ऐतराज़ नहीं है लेकिन माइनॉरिटी के सवाल पर, ईसाइयों के सवाल पर रोज दंगें हों, उससे आंख मूंद लें तो क्या होगा ? पाकिस्तान के अखबारों में यह प्रतिक्रिया आई है कि बहुत दिनों के बाद कश्मीर में जिस प्लैबिसाइट की बात को पंडित जवाहर लाल नेहरू ठुकराया करते थे, आज उसी प्लैबिसाइट का प्रस्ताव फिर से किसी ने रखा है। दूसरी चीज यह कही है, आडवाणी जी और अटल जी को इसे ठीक करना चाहिए। यह बयान भी अखबारों में आया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति में ऐसा दिखायी देता है कि जितने नॉन अलाईड कंट्रीज थे, जिनसे हमारा अच्छा तालमेल था, श्रीमती इंदिरा

गांधी जिनकी अगुवाई करती थी, जिनसे उनको बल तथा सम्मान मिलता था, उस पर चोट हुई है। आज नॉन अलाईड कंट्रीज हम पर इतना भरोसा नहीं करते। इसलिए हमारी विदेश नीति में पिछली बातों का समावेश भी करना चाहिए और देश को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (अनन्तनाग) : चेयरमैन साहब, मैं पहले दो दिनों से यहां जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोगों ने अपने ख्यालातों का इजहार किया, सुन रहा था। मैं समझता हूं कि पिछले चुनाव में भारत की जनता ने बी०जे०पी० को एक विकल्प और ऑल्टरनेटिव के तौर पर अपना वोट दिया। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा जो बी०जे०पी० ने अपने घोषणा पत्र में रखी हैं, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका देश की एकता और यूनिटी पर असर पड़ सकता था। मुझे इस बात की खुशी है कि कोएलीशन पार्टनर्स की वजह से इन्होंने एक नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेन्स बनाया। इनकी कुछ बातें विदेशी और स्वदेशी की थी जिन बातों को ये अपनी चुनाव के प्रोग्राम में बहुत अहमियत देते थे। मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को याद दिलाना चाहता हूं कि 'एनरोन' के साथ जो महाराष्ट्र की कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसमें तीन बिलियन डालर्स पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट था, जिसकी वहां काफी चर्चा चली, कितने आंदोलन चले, लेकिन उस सरकार को उस आन्दोलन को वापस लेना पड़ा और इनको भी इस बात का एहसास हुआ कि जिस आर्थिक नीति की कांग्रेस ने चर्चा की थी, जिसका ये लोग विरोध करते थे, इनको भी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से यह मालूम हुआ कि इन्हें भी उस पर चलना है।

चेयरमैन साहब, इनकी दूसरी और सबसे प्यारी बात नये स्टेट्स को बनाने की थी, चाहे वह वनांचल, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ का मामला हो। मुझे मालूम है इनको भी इस देश की हालत मालूम है, यह मुल्क कितना बड़ा है, इसकी समस्याएं और मसाइल कितने बड़े हैं, इनको भी उसका ख्याल आया होगा। इन्होंने एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : जनता दल के मेनिफेस्टो में इसका जिक्र था, आप भी सहमत थे।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अगर आपके पास कोई काम हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके जराय हैं वे कितने हैं, डुप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पास जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं, और स्टेट्स बनने लगेंगी तो उससे क्या फायदा होगा। मैं यह कहना चाहता हूं और इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद सबसे अच्छी स्टेट जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आइडियल था, वह तमिलनाडु स्टेट थी। वहां कामराज मुख्य मंत्री हुआ करते थे और उनकी कैबिनेट में चार मंत्री थे।

सभापित महोदय, स्टेट का छोटा होना, बड़ा होना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि ये कौन-सा इंतजाम देते हैं, कौन-सा सिस्टम देते हैं। आपने यह पिंडोराज बॉक्स खोल दिया है। आप तो ऊधम सिंह नगर में फंसे हुए हैं। आपका जो राज्य बनाने का जोश था, उसमें अब फर्क पड़ा है।

दूसरी बात यह है कि आपने वोट लिया था कि गवर्नमेंट विद डिफरेंस होगा, आप व्यवस्था में चेंज लाएंगे, तब्दीलियां लाएंगे, आप सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, मीडिया में, टी०वी० में, दूरदर्शन में, रेडिया में और उनको आजादी देंगे, लेकिन मीडिया को आजादी देने का जो काम युनाइटेड फ्रंट सरकार के दौरान हुआ, उसको जो एक औटोनॉमी मिली थी उसको आप बरकरार नहीं रख सके और बोर्ड के एक मैम्बर ने ही शिकायत की है कि आपके मंत्री उनके काम में इंटरफीयर करते हैं। इसलिए मैं बी०जे०पी० के मैम्बरान से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि इनकंवेंसी प्राब्लम हर सरकार को होती है। उसमें तीन साल लगते हैं। हमारे एक सूबे वैस्ट बंगाल में 1977 से सी०पी०एम० की सरकार चल रही है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि किसी ने कुछ कह दिया और मैं उसे मान लूं। यह इनकंवेंसी फैक्टर है। आपकी सरकार के खिलाफ लोगों को पांच माह में ही मायूसी हो गई।

सभापति महोदय, हमें इस देश के किसान पर नाज है। इस देश को कुदरत ने मालामाल किया है, यहां इतने नैचुरल रिसोर्सेस हैं और यहां की जमीन इतनी जरखेज़ है कि यहां का किसान ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा इतना पैदा कर सकता है कि वह सारी दुनिया को खिला सकता है। हमारे किसान ने इतना आलू, गन्ना, प्याज पैदा कर दिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। आपके जमाने में तो ऐसेंशयल कमोडिटीज भी नहीं मिलती थी और ऐसा नजर आता था कि जैसे देश में अकाल पड़ गया है, ऐसा हुआ है। आपने देख लिया कि यहां कोई प्रौडक्शन की प्राब्लम नहीं थी बल्कि आपके मिसमैनेजमेंट का सवाल था। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं जैसा आज कहा जा रहा है कि बी०जे०पी० में आज ज्यादातर दुकानदार लोग हैं और ऐसा होर्डिंग के कारण हुआ है, लेकिन आपने देख लिया कि इतने कम वक्त में जो चुनाव हुए, वे चाहे मध्यप्रदेश में हों, राजस्थान में हों या दिल्ली में हों, क्या हाल हुआ। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि लोगों का जो विश्वास था वह चार-पांच महीने के अंदर आपने खो दिया।

लॉ एंड आर्डर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली की क्या हालत है, दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है और यहां आज के अखबार में पढ़ लीजिए, क्राइम के आंकड़े देख लीजिए कि कितने बढ़ गए हैं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन्होंने यह कह दिया कि क्रिश्चियन्स पर जो अटैक हुए, वो एक ऐजटेशन है, मिशनरीज पर अटैक हुए। मैं कहता हूं सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, कम्युनल डिस्टरबेंसेस हुए, लेकिन इससे जितना नुकसान हमें हुआ, उतना हमें कभी नहीं हुआ। मत पूछिए चाहे ग्राहम स्टेन्स सोशल वर्कर और उसके बच्चों का कत्ल हुआ और चाहे गुजरात में चर्चेज पर हमले हुए, इनसे सारी दुनिया में भारत की इमेज को नुकसान पहुंचा। मैं कहना चाहता हूं कि जैसा शरद पवार जी ने कहा कि यहां हिन्दुस्तान में क्रिश्चियनों की ऐसी आबादी है, जो बहुत ठीक है। आप केरल में जाकर देख लीजिए, आज तक जितनी भी सेंसस आई हैं, उनसे पता लगेगा कि केरल की आबादी की ग्रोथ नैशनल एवरेज से कम है। उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है बल्कि कम हो रही है। इसी तरह से हमें इस बात पर बहुत दुख हुआ जब प्रधान मंत्री जी गुजरात गए और उन जगहों को देखने पर उन्होंने कह दिया कि कन्वर्जन का जो मुद्दा है उस पर डिबेट करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसी है जो अपनी आईडेंटिटी को अलग नहीं रखती। उस जगह का अगर ट्राइबल है तो उसका अपना कल्चर है। वे जहां-जहां

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

रहते हैं, वहां अपनी आईडेंटिटी को ऐसे जोर से एनफोर्स नहीं करते। उनकी आजादी भी कम है। उनके खिलाफ किस तरह कैम्पेन चलाया जा रहा है, इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद ने खासकर ट्राइबल एरियाज में कैम्पेन चलाया है। यह बात सही है कि जो ट्राइबल क्रिश्चियन्स हैं, वे पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति औरों के मुकाबले में ठीक है। हमें देखना चाहिए कि हमारे जो गरीब लोग, ट्राइबल इलाकों में हैं, क्रिश्चियन्स में कितने हैं वह हम तय करें, उनको तालीम देकर, शिक्षा देकर, हुनर सिखाकर उनके लिए ऐसा इकोनॉमिक पैकेज दें, ऐसा आंदोलन चलायें जिससे सब लोगों की हालत ठीक हो। हमें इस बात का गर्व है, फख्र है कि जितना क्रिश्चियन्स मिशनरीज ने एजुकेशन में और हैल्थ सर्विसेस में काम किया है, उतना किसी और आर्गनाईजेशन्स ने नहीं किया। जो आंकड़े होम मिनिस्टर साहब ने दिये कि बाहर से कितनी मदद क्रिश्चियन्स इन्स्टीट्यूशन के लिए आई है। कम्युनिटी को आती है, मैं कहता हूं कि वह जरूर आनी चाहिए। वह पैसा भारत को ऊपर उठाने के लिए खर्च होता है। उससे लड़के शिक्षा हासिल करते हैं।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हालात इतने खराब रहे, प्रॉक्सी वार रहा लेकिन श्रीनगर शहर में अगर कोई इंस्टीट्यूशन चला तो वह बहरहाल, बिस्को मैमोरियल कानवेन्ट चलते रहे। जो कि क्रिश्चियन मिशनरी इंस्टीट्यूशन था, जो बिस्को मैमोरियल था, वह प्रैजेंटेशन कान्वेंट था। उन्होंने उसको कभी भी बंद नहीं किया। हमारे पास एक भी मिसाल ऐसी नहीं कि उन्होंने एक भी आदमी को कन्वर्ट किया हो। इस तरह से कम्यूनल सिचुएशन के बारे में प्रैजीडैंट ने कह दिया कि It is an aberration. मेरा कहना है कि जो भी आर्गनाईजेशन्स हों, बहुत सारे शकूक पैदा होते हैं जैसे उड़ीसा में इंसीडैंट हुआ, गुजरात में इंसीडैंट हुआ, उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसकी तहकीकात की जाएगी। जहां तक श्री स्टेन के कत्ल का सवाल है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को मुकर्रर किया गया है ताकि हकीकत सामने आ जाये और आगे ऐसी हालत न हों।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में नार्थ ईस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। वहां आजादी के बाद ही इंसर्जेंसी का माहौल शुरू हो गया था चाहे वह नागालैंड था, मिजोरम था या अन्य एरियाज थे। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस हकूमत ने जहां इंसर्जेंसी का बहुत इफैक्टिव तरीके से मुकाबला किया, वहीं डायलॉग की बात की। श्री लाल डेंगा जो मिजोरम के लीडर थे, उनसे बातचीत हुई। इसी तरह से आसाम में जब डिस्टर्बेन्स था, तो राजीव गांधी के वक्त ए०जे०पी० के साथ एकॉर्ड हुआ था। जैसे कहा जाता है कि वहां की सिचुएशन काफी डिस्टर्बिंग है। वहां श्री देवगौड़ा ने एन०एस०सी०एन० के साथ बातचीत शुरू की थी। सुनने में आया कि प्राइम मिनिस्टर ने पैरिस में भी उनसे बात की। मुझे लगता है कि इसमें चाहे वह बोडोज की प्रौब्लम है, चाहे नागालैंडी की प्रौब्लम है जहां इंसर्जेंसी को सिक्योरिटी फोर्सेज से डील किया जाना जरूरी है। जहां आपने नार्थ ईस्ट के लिए इकोनॉमिक पैकेज एनाउंस किया, वहीं डायलॉग होना भी जरूरी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां एक ऐसी बात हुई है, श्री सिन्हा जो वहां के गवर्नर मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जी को जो रिपोर्ट दी है, उसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"घुसपैठ से पूर्वोत्तर में पृथकता को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जनरल ने आशंका व्यक्त की कि यदि आवागमन (घुसपैठ) को नहीं रोका गया तो वे असम के लोगों को प्रभावित कर लेंगे तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से अलग कर देंगे ....।"

"राज्य के जनसंख्या संबंधी परिवर्तन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि असम में मुसलमानों की जनसंख्या 1951 में 24.68 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 28.42 प्रतिशत हो गई है।"

[हिन्दी]

बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का फीगर्स दिया है जहां मुसलमानों की पौपुलेशन बढ़ चुकी है। हमारे जमाने में जब श्री वी०पी० सिंह की सरकार थी, वहां 4-5 साल से, 1985 से ए०जी०पी० की सरकार चल रही थी। ए०जी०पी० उसी इल्लीगल इमीग्रैंट के मुद्दे ईशू पर पावर में आई। जब हमने जांच शुरू करनी चाही तो 5-7 हजार से ज्यादा लोग नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब ने जो रिपोर्ट दी है, वह कौन्फीडैंशल रिपोर्ट है जो बहुत सारे पेपर्स में रिलीज की गई है। उससे ऐसा लगता है भारत में जहां मुसलमान रहता है, अगर वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो वह अलग होगा। बंगलादेश मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ, दोनों में मुस्लिम आबादी थी या यह सिर्फ मजहब की बुनियाद पर ही हो सकता है। हम भी देख चुके हैं। अगर भारत सरकार, भारत के गृह मंत्री श्री आडवाणी को इनफिल्ट्रेशन या बाहर से घुसने वाले लोगों को रोकना है, हमारे वक्त में भी पूरी सरहद की फैंसिंग शुरू हुई, उसके लिए बंगलादेश सरकार से बात करने की जरूरत है लेकिन ऐसा माहौल पैदा करना जिससे उसमें और तल्खी पैदा हो, इससे भी सिचुवेशन को डील करने में मुश्किलात पैदा होंगे।

कल जहां श्रीमती सुषमा स्वराज ने कावेरी डिसीजन का खैरमकदम किया कि यह अच्छा कदम है वहीं उन्होंने पोखरन में जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसकी चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं कि 1974 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस मुल्क की वजीरे आजम थी, उन्होंने यह करके दिखाया। भारत में इतनी शक्ति है, हमारा साइंटीफिक और टैक्नोलौजीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, कही भी श्री राजीव गांधी और श्री नरसिंह राव बटन दबाकर इसे कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया ? आपके पास करने को ताकत है लेकिन आपने यह नहीं कहा कि किसने इसे ताकतवर बनाया। भारत को साइंस और टैक्नोलौजी में इतना महान् देश किसने बनाया ? फिर आपने क्यों नहीं किया ? आपने किया। देश में रहने वाले हर इंसान को गर्व से, फख्र से कहना पड़ा कि यह हुआ। लेकिन उस ब्लास्ट का जो फॉल आउट हुआ, श्री जसवंत सिंह श्री टैलबॉट के साथ आठ राउंड बातचीत कर चुके हैं। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। जब चीन, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस के पास ऐटम बम होगा, हमारी शक्ति होगी। हमारे पास क्यों नहीं होगा। लेकिन आपका यह आरग्यूमैंट आने लगा कि सब-कौन्टीनैंट न्यूक्लियर फ्लैश प्वाइंट पर आ गया है। हमारी जो सुपीरियॉरिटी थी, पाकिस्तान के साथ कन्वैंशनल फोर्सेस में न्यूक्लियर में आपने उसे पैरिटी दी। बाहर के

मुल्कों के सब लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियर फ्लैश प्वाइंट को ऐवॉयड करना चाहिए। इसे मैं आप पर छोड़ना चाहता हूं कि किस तरह से सी०टी०बी०टी० साइन करने के बाद भी वे कोई कंडीशन रखते हैं। मेरा कहना है न्यूक्लियर ब्लास्ट का जो फॉल आउट हुआ, उसे अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि लाहौर की जो डिक्लेरेशन है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बस यात्रा में गये थे, मैं समझता हूं कि जो भी हमारे यहां मुल्क के अन्दर की दिक्कतें हैं, उसमें एक नफरत का माहौल है, इसमें सबसे बड़ी वजह कश्मीर की है। कश्मीर की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन इसी वजह में हमारी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस ओर यह सबसे बड़ा कदम है। दुनिया में दीवारें गिर रही हैं, यूरोप एक हो रहा है, हम रोज देख रहे हैं, अमेरिका एक हो रहा है, एशियन एक हो रहे हैं। यहां जितना हमारा आपस में माहौल है, उसमें जितने भी कॉन्फीडेंस बिल्डिंग मैजर्स किये जायें, अच्छा है। लेकिन यह रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है, यह जिगजैग रास्ता है। इससे पहले भी फैसले हुए, ताशकन्द डिक्लेरेशन हुआ, इन्दिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट करके इस इश्यू को कश्मीर के इश्यू को बाइलेटरल बना दिया। बाहर के किसी फोरम में नहीं जाता है अगर कोई मुद्दा हो, कोई मसला हो, कोई प्राब्लम हो, दो मुल्क आपस में बात करें *(व्यवधान)*

मेरा टाइम तो काफी है, मुझे बोलने दीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां गये तो वहां की एक पार्टी ने पूरे बन्द की कॉल दी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों मुल्कों में दोस्ती का एक जज्बा है और जो नफरत का माहौल है *(व्यवधान)*

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : देश के प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में सम्मानसूचक शब्द तो कह दो, अटल जी कह दो, प्रधान मंत्री जी कह दो। कृपा करके सम्मान के साथ उनको सम्बोधित करो।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं कह दूंगा, वजीरे आजम, प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बस यात्रा में गये, उसमें वहां भी लोगों का विरोध है, लेकिन खुशकिस्मती है कि जिस पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी वजीरे आजम हैं, हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी यह कदम उठाती तो वह पार्टी उसके विरोध में हो जाती।

आपको याद होगा, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने कह दिया कि एक्चुअल लाइन ऑफ कण्ट्रोल को क्यों रखा। मैं कहता हूं कि यह हुकूमत है। यह भाजपा ही थी, जिसने धारा 370 को चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन हमारे वजीरे आजम जब कश्मीर गये तो कश्मीर में उन्होंने यह ऐलान किया कि धारा 370 को कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए हुकूमत बनने के बाद आपको हुकूमत का एहसास हुआ है कि हुकूमत क्या है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपको वह याद नहीं दिलाना चाहता हूं कि जो आपका चुनावी मंसूर में है, चुनाव घोषणा-पत्र में है, बल्कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो आपने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ कंसेंसस इवोल्व की है, वह आप भूल गये हैं। मैंने कहा कि जो मुद्दे देश को बांटने वाले हैं, उनको छोड़कर जो आपमें कई लोगों की बात है, जो यहां के लोगों की गरीबी की, बेरोजगारी की बात है, उस तरफ आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि देश दलदल में फंसा है, जो हमारी और पाकिस्तान की दुश्मनी रही, उससे सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के लोगों को हुई। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर यह कहते रहे हैं कि कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, जो राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कह दिया है :

[अनुवाद]

> "सुरक्षा बलों, राज्य प्रशासन के निरन्तर दबाव, चौकसी एवं संयुक्त कार्यवाही तथा लोगों के सक्रिय सहयोग के कारण, वर्ष 1998 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में चारों ओर स्पष्ट बदलाव आया है जो अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटक यातायात में बढ़ोत्तरी, जो पिछले दशकों में प्राय समाप्त हो गई थी, को परिलक्षित होता है। सरकार राज्य में शान्ति बहाल करने के लिए निरन्तर प्रयास करती रहेगी ....।"

[हिन्दी]

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार बनी और आडवाणी जी होम मिनिस्टर बने, उन्होंने प्रो एक्टिव पालिसी कह दिया, उन्होंने हार्ट परसूट की बात की कि जो उस तरफ ट्रेनिंग मिल रही है, उनका हार्ट परसूट किया जाए। पिछले 11 साल से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज मिलिटेंसी का मुकाबला कर रही हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मुझे 40 मिनट दिए गए हैं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को आज एक घंटा मिला है। कल विपक्ष के नेता, आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने एक घंटा 15 मिनट लिए थे। आज इसके लिए कुल आठ घंटे निश्चित हैं। चार घंटे बहस हो चुकी है, उसमें आपकी पार्टी का समय 30 मिनट है, जिसमें से 25 मिनट आप बोल चुके हैं, अब केवल पांच मिनट बचे हैं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थिति में क्या सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

पिछले वर्षों में सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के दौरान हताहत सुरक्षा सेनाओं के जवानों की संख्या में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

पहले के मुकाबले 1998-99 में हमारे ज्यादा जवान, काम आए।

[अनुवाद]

कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी की बजाय वहां से काफी लोग छोड़के आ रहे हैं।

[हिन्दी]

जो बचे हैं, बी०जे०पी० वाले कह रहे थे कि अपने ही मुल्क के लोग अपने ही मुल्क में मुहाजिर हो गए हैं, रिफ्यूजी हो गए हैं। कश्मीरी

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

पंडित जो वैली में रहते थे, उन्होंने भी अब जम्मू की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है।

यहां 1996 में चुनाव हुए, बहुत अच्छा माहौल बना। कश्मीर के लोगों ने मिलीटेंसी के खिलाफ नार्मेलसी के हक में वोट दिया, लेकिन वहां की सरकार उस चीज को कंसोलिडेट नहीं कर पाई। वहां के हालात जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क है, पीने का पानी है, बिजली है, हास्पिटल हैं, सब खराब हो गया है। अब कहा जा रहा है कि खजाना खाली है। किसी महिला का खाविंद मारा गया, चाहे मिलिटेंट्स के हाथों मारा गया या सिक्योरिटी फोर्सेज की वजह से बेगुनाह मारे गए, उन विधवाओं को एक-एक लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। फिर कहते हैं कि खजाना खाली है। वहां की सरकार ने पिछले दिनों अपना बजट पेश किया, जिसमें कैरोसीन पर, डीजल पर और एल०पी०जी० पर टैक्स लगा दिया। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही इसलिए हमारा खजाना खाली है। कश्मीर के मामले में सबसे बड़ी बात है समस्या का समाधान रक्त बहाकर नहीं हो सकता है। 11 साल से आप हालात का मुकाबला कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने पिछले दस साल के आंकड़े दिए हैं। जिसमें बताया गया है कि 20 हजार सिविलियन मारे गए।

श्री राजवीर सिंह : पिछले 13 सालों में आप भी होम मिनिस्टर थे।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : पांच हजार के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान मारे गए। हम कहते हैं कि कश्मीर हिन्दुस्तान का इंटेग्रल पार्ट है। जो मारे गए, उनमें विदेशी कितने हैं, वे सैंकड़ों में नहीं होंगे।

आप इस समस्या का समाधान गोली के द्वारा नहीं कर सकते हैं। जहां भी कोई ऐसी समस्या उठी, कांग्रेस ने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि हमें कश्मीर की जमीन की जरूरत है या कश्मीर के लोगों की जरूरत है। जमीन रखने के लिए भी लोगों को साथ चलाना पड़ता है। वहां के आर्मी के ऑफीसर्स कहते हैं कि मुफ्ती सईद, हमारी समस्या, मिलिटेंसी को कंटेन करने की थी। लेकिन हम इस समस्या का समाधान गोली से नहीं कर सकते हैं।

यह मसला पोलिटिकल-प्रोसैस से, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से हल होगा। 1,50,000 के करीब वहां ऐसे लोग हैं जो तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान हैं। यह नेशनल समस्या है तो सब पार्टीज को इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे अफसोस है कि जब तक फारुख अबदुल्ला नेशनल कांफ्रेस के लीडर, लैफ्ट के साथ थे तब तक वह कश्मीर की बात करते थे लेकिन अब लैकट वाले रूठे हुए हैं, वहां हीलिंग टच की जरूरत है, वहां लोग बेसहारा हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूं वहां प्रधान मंत्री जी आए, वहां मिनिस्टर आए लेकिन कोई सियासी लीडर नहीं आया। पिछले साल कांग्रेस की लीडर श्रीमती सोनिया गांधी परानकोट, ऊधमपुर गईं। श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ था जिसमें सौ मकान जले थे। वहां के लोगों ने वहां के हालात बताए, वहां के सीन बताए। वहां परानकोट में दस लाख मुआवजा दिया गया, एक गांव में दस लाख दिये गये। वहां लोगों के पास बर्तन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, उनके बच्चों के लिए किताब खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। मेरा यह कहना है कि जहां प्रधान मंत्री जी नवाज शरीफ जी से बात करें, वहीं अपने लोगों के साथ भी बातचीत करने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यह मसला सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए नहीं, इस जख्म को मरहम करने की जरूरत है भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री आई०के० गुजराल ने पंजाब में ऐलान किया था कि 8000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा, जैसे इस सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक पैकेज के बारे में एनाउंस किया था, बंगाल के लिए एक पैकेज एनाउंस किया। कश्मीर जो टर्मोइल में है, वहां के हालात बहुत खराब हैं लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। वहां माननीय प्रधान मंत्री ने जाकर आश्वासन दिया कि धारा 370 को कोई नहीं हटा सकता। हमारे नरसिंह राव जी ने कश्मीर के बारे में कह दिया :

इसकी कोई सीमा नहीं है।

यह मसला बंदूक से हल नहीं होगा, यह मसला बातचीत से हल होगा। जो लोग हमसे अलग हो गए हैं, उनको वापस कॉमी-दायरे में लाना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी) : सभापति महोदय, सईद साहब कह रहे थे कि यह मसला बातचीत से हल होना चाहिए, बंदूक और गोलियों से नहीं। मैं भी उनकी बात से सहमत हूं। मसला बातचीत से ही हल होना चाहिए, बंदूक और गोलियों से हल नहीं होना चाहिए लेकिन पिछले पचास सालों में जो कुछ हिन्दुस्तान में हुआ और खास तौर से माइनॉरिटीज के सवाल पर जो पिछली सरकारों ने और खास तौर से कांग्रेस की सरकारों ने किया, क्या वह बातचीत के जरिए था ? क्या वह बातचीत के जरिए लोगों के दिलों पर मरहम लगाने का काम हो रहा था ? क्या लोगों के जख्मों को भरने के लिए प्यार और मोहब्बत का फाया लगाने का काम हो रहा था ? नहीं। सिर्फ लोगों को डरा-धमका कर और खौफ जताकर उनके वोट हासिल करने का काम किया जा रहा था। उनको वोट के बाजार में खड़ा करके नीलाम करने का काम किया जा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की कयादत और नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको एक साल हो गया है। इस एक साल में इतना हम जरूर कह सकते हैं, जैसे सईद साहब ने कहा है कि हमने लोगों से बातचीत करके, उनमें मोहब्बत पैदा करके और लोगों में विश्वास पैदा करने का काम किया है। पूरे मुल्क में हिन्दू-मुसलमानों के बीच में, सिखों, ईसाइयों, हर कौम और मजहब के बीच में विश्वास कायम हुआ है। हिन्दू और मुसलमानों के बीच में डर और खौफ था, जिस तरह से हिन्दू और मुसलमानों को डराया एवं धमकाया जाता था, उनके सड़कों पर खून बहवाए जाते थे, वह काम नहीं हुआ। इससे निश्चित तौर से उस तरफ के लोगों को चिन्ता एवं परेशानी हो रही है और परेशानी होना वाजिब है, क्योंकि उन्होंने 50 सालों में अब तक जो वोट हासिल किए हैं, वोट की सियासत की है वह लोगों की लाशों के ढेर पर की है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, उनके सहयोगी दल इस बात पर यकीन करते हैं कि बातचीत और मोहब्बत के जरिए लोगों के दुख-दर्द और जख्मों पर मरहम लगा कर मुल्क में लोगों में प्यार और मोहब्बत पैदा किया जा सकता है। *(व्यवधान)*

आपने गुजरात, उड़ीसा के सवाल को उठाया। आप सारी प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिए, चाहे अल्पसंख्यकों के इश्यू पर बहस हो या किसी भी सवाल पर बहस हो, उसमें यह जरूर रहता था कि इस जगह पर इतने अल्पसंख्यक लोगों की लाशें गिरी, इतने लोगों की हत्याएं हुई और घर जले। इतने लोग घर से बेघर किए गए, इतनी महिलाओं के साथ जुल्म हुआ, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा है और न ही कह सकता है कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की हत्याएं की गई हैं, उनके घर जलाए गए हैं, उनके दिलों में डर पैदा किया गया है। उनमें डर एवं खौफ नहीं है, उनमें विश्वास पैदा हुआ है। लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि वे हिन्दुस्तान के एक नम्बर के नागरिक हैं। उनमें डर और खौफ की भावना खत्म हुई है। यह बात सही है कि अब आपके अंदर डर एवं खौफ की भावना पैदा हुई है। हम चाहते हैं कि यह डर और खौफ की भावना देश के लोगों में, अल्पसंख्यकों में हमेशा के लिए खत्म हो, चाहे आपके अंदर जितनी भी डर एवं खौफ की भावना पैदा होती रहे। चाहे गुजरात या अल्पसंख्यकों का सवाल हो या हिन्दुस्तान के किसी भी तबके का सवाल हो, उसको अगर गलत तरीके से पेश किया जाता है तो उसमें किसी राजनैतिक पार्टी का, दल का या सरकार का नुकसान नहीं होता बल्कि उसमें पूरे हिन्दुस्तान में रह रहे लोगों का नुकसान होता है और पूरे देश का सिर शर्मिन्दगी से झुक जाता है। हम सदन में कहते हैं कि हिन्दू मारा गया तो वह हिन्दू नहीं है। बल्कि वह भारतीय है। जब मुसलमान मारा जाता है तो उसका भी खून भारतीय है, ईसाई या दलित मारा जाता है तो उसको भी भारतीय की हैसियत से देखा जाना चाहिए। हम जिस दिन अपनी बातें यह सोच कर रखेंगे कि किसी भी हिन्दुस्तान के व्यक्ति का खून बह रहा है, जो परेशान है, जिसके घर जल रहे हैं, वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं है तो निश्चित तौर से मेरा मानना है कि लोगों के दिमाग बदलेंगे, हमारी संकीर्ण विचारा-धाराएं टूटेंगी। इसकी वजह से कभी-कभी जब हमारा सिर दुनिया में झुकता है तो वह कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना या बी०जे०पी० का सिर नहीं झुकता है, वह सारी पार्टियों के साथ-साथ सारे देश का सिर झुकता है। इसलिए ऐसे जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर हमें ईमानदारी बरतनी होगी। हमें ऐसे मुद्दों पर सोचना होगा कि किस तरह से मुल्क को चलाया जाए और लोगों में विश्वास पैदा किया जाए। हमारी सरकार आने के बाद मुल्क में ऐसा विश्वास पैदा हुआ है कि आज हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से नहीं डरते हैं, आज छोटी और बड़ी बिरादरी के बीच में डर और नफरत नहीं है। नवम्बर में चार-पांच राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में हमारे ईसाई भाई काफी तादाद में रहते हैं। चाहे गोवा हो, सिक्किम हो, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, यहां ईसाई भाई बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो उन्हें लगा कि ईसाई भाइयों के वोटों को हासिल करने के लिए उनमें भय और खौफ पैदा करो, ऐसा माहौल बनाना अब बंद करना होगा। अब वह चीजें 50 सालों की नहीं चलने वाली हैं। अंग्रेजों की गुलामी से हमने छुटकारा पाया लेकिन अगर हम लोगों को संकीर्ण मानसिकता में जकड़ेंगे और वोट की सियासत करेंगे, तो वह अच्छा नहीं होगा, संवेदनशील मुद्दों पर हमें ईमानदारी से सोचना होगा। सरकार ने जो चीजें की हैं, जो सामने दिखाई दे रही हैं उन पर बहस होनी चाहिए। हम कहते हैं कि उन पर बहस होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। आज मकानों के दाम, जमीनों के दाम तमाम बड़े-बड़े महानगरों में गिरे हैं, जमीन पर आ गये हैं। सोना-चांदी के दाम नीचे आ गये हैं। आप कहेंगे कि इससे आम-जनता को, गरीब आदमी को क्या मतलब है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट लोग थे वे उन पर कब्जा करके बैठे थे, उन पर भारत सरकार ने अंकुश लगाने का काम किया है। ऐसे लोग आज अपने घरों में बैठ गये हैं या जेलों में बंद हैं, इसलिए ये दाम घटे हैं। अभी हमारे चार साल बाकी हैं और हमें एक साल अभी पूरा नहीं हुआ है। इन चार सालों में ऐसे लोगों को जो साम्प्रदायिकता और भ्रष्टाचार के माध्यम से मुल्क को तोड़ने का काम करते रहे हैं उनको एक सबक मिलेगा। ऐसे लोगों को उनका सही स्थान दिखाया जाएगा।

100 रुपये किलो नमक और 200 रुपये किलो प्याज हो गयी। ऐसे इश्यू पर हमारे कांग्रेस के भाई प्याज की माला पहनकर घूमने लगे थे। पूरे देश में जैसे गैंदे और गुलाब की मालाएं खत्म थी। विधान सभा चुनाव खत्म होते ही प्याज के दाम जमीन पर आ गये। कई चीजों के दाम महंगे हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि उन चीजों की मालाएं भी पहनकर घूमें। हमारी सरकार और उसके काम से लोगों में निश्चित रूप से विश्वास बढ़ा है। लोगों में यह विश्वास भी बढ़ा है कि यह मुल्क तरक्की के रास्ते पर जा रहा है।

अभी काश्मीर के बारे में कहा जा रहा था। काश्मीर में बहुत दिनों से दहशतगर्दी और आतंक का माहौल है। किसके जमाने में हुआ, क्यों हुआ, यह सईद साहब और सोज साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन लोगों के इर्द-गिर्द भी रहे हैं। कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री राजवीर सिंह : इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है।

श्री मुख्तार नक्वी : 10-12 सालों में पहली बार मैंने अखबारों में देखा कि आम सवाल, बेसिक इश्यू पर लोग सड़कों पर आए और वहां स्ट्राइक हुई। इससे पहले हड़ताल पाकिस्तान के समर्थन में होती थी। इससे पहले झंडे जलते थे और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। इससे पहले आतंकवादियों के समर्थन में हड़ताल होती थी। आज टैक्स और रोजी-रोटी तथा मूलभूत समस्याओं के सवाल पर हड़ताल हो रही है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसे मानें या न मानें लेकिन यह सही बात है। हम शुरू से छात्र आन्दोलन से जुड़े हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि जब ऐसे सवालों को लेकर लोग सड़कों पर आते हैं तो एतमाद पैदा होता है और लगता है कि मूलभूत समस्याओं के सवाल पर आवाज उठ रही है तथा उससे लोग जुड़ रहे हैं। इससे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और भय का माहौल खत्म हुआ है। उन्होंने आतंकवादियों को पूरी तरह नकार दिया है।

जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, प्रधान मंत्री बस से लाहौर गए। वह सिर्फ बस नहीं थी। इससे खुशी का वातावरण पैदा हुआ था। जब हमारा डैलिगेशन पाकिस्तान गया तो उसका यह मतलब नहीं था कि पाकिस्तान को खुश करना था और कोई सियासी फायदा उठाना था। हमने मजबूती से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इससे पहले रोज पाकिस्तान से बयान आते थे कि अगर हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। पाकिस्तान कहता था कि हम चाहे तो कराची में बैठ कर हिन्दुस्तान के आधे हिस्से को खत्म कर सकते हैं। आज ऐसा एक भी बयान नहीं आता। बिन भय प्रीत नहीं होती। हमने अपनी शक्ति पूरी दुनिया को दिखा दी है।

[श्री मुख्तार नक्वी]

हमने पोखरण टैस्ट के बाद पूरे संसार को दिखाया हिन्दुस्तान में वह हाथ और दिमाग है कि अगर वह पूरी दुनिया में है तो हिन्दुस्तान में भी है। इससे पहले जो सियासी पार्टियां अल्पसंख्यकों की बातें करती थीं उन्होंने आज तक हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम बना कर दिखाई। हमने तीन महीने में हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर अबुल कलाम जैसे साईंटिस्ट के रूप में दिखायी। उन्होंने पोखरण टैस्ट करके पूरी दुनिया को बताया कि हिन्दुस्तान के मुसलमान हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम नहीं हैं। वह अबुल कलाम जैसा वैज्ञानिक है। इसे पूरी दुनिया देख रही है। आपने क्या दिखाया और हमने क्या दिखाया, यह पूरी दुनिया देख रही है। *(व्यवधान)*

डा० शकील अहमद : आप इतने बड़े वैज्ञानिक की इनसल्ट मत कीजिए। *(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : हमने कलाम जी को नाम दिया। पोखरण टैस्ट से इनकी प्रसिद्धि हुई। आप दाऊद इब्राहिम से दोस्ती करके प्रसिद्धि कर रहे हैं।

डा० शकील अहमद : श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट मंगा कर देखिए। *(व्यवधान)*

श्री मुख्तार नक्वी : सभापति जी, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि देश के सामने जो सवाल है, वह किसी सियासी पार्टी का सवाल नहीं है, वह किसी सरकार विशेष का सवाल नहीं है। इसके प्रति सभी लोगों को चिन्ता होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसके जिम्मेदार हैं, कुछ लोग इस बात को महसूस करते हैं और उन्हें चिन्ता है। वह अक्सर इस बात को अनुभव करते हैं। यह बात सही है कि कुछ सियासी कारणों से वह उस चिन्ता को स्वीकार न करते हों और इस सदन में उस चिन्ता के प्रति गम्भीर न हों। जब ऐसे सवाल हों तो सदन में और बाहर लोगों को चिन्ता करनी चाहिए।

मेरा मानना है कि आज देश में हालात बेहतर हो रहे हैं। आज सभी क्षेत्र प्रगति के मार्ग पर जा रहे हैं। सभी लोगों को इस सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए और इस बात का स्वागत करना चाहिए। इस दृष्टि से मेरा मानना है कि सभी लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत और समर्थन करें।

अपराह्न 05.00 बजे

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू (मद्रास-दक्षिण) : महोदय, आरंभ में, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का विस्तृत तथा वृहद भाषण को धैर्यपूर्वक पढ़ने के लिए धन्यवाद करता हूं इससे संसद सदस्यों के साथ-साथ देश को भी एक अनूठा अनुभव हुआ है।

इस अभिभाषण में गरीबी उन्मूलन अथवा जनसंख्या नियंत्रण का उल्लेख नहीं। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की टिप्पण नीति के सिवाय कुछ नहीं है।

महोदय, मैं सीधे अपने विषय पर आना चाहता हूं जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण में पृष्ठ-2 पैरा 4 पर परमाणु नीति के संबंध है, उन्होंने कहा है :

> "भारत किसी गैर-परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र के विरुद्ध अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करेगा और न कभी किसी परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र के विरुद्ध इनके प्रयोग में पहल करेगा।"

यह, इस बात पर बल दिया गया है कि परमाणु बम युद्ध की स्थिति में प्रयोग के लिए हैं। मेरे पास यहां दूसरा अभिभाषण है जिसे भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस पर पढ़ा था यह गणतन्त्र दिवस का भाषण है, पृष्ठ सं० 5, पैरा सं० 2 में उन्होंने कहा है कि :

> "और हम, विनाश के समस्त हथियारों को नष्ट करने सहित पूर्ण एवं व्यापक निरस्त्रीकरण में हमेशा की तरह धैर्यपूर्वक विश्वास करते हैं।"

महोदय, यहां उन्होंने विनाश के समस्त हथियारों को नष्ट करने की बात कही है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति का अभिभाषण इस सरकार का नीति संबंधी टिप्पण है जबकि गणतन्त्र दिवस का अभिभाषण माननीय राष्ट्रपति के स्वयं के विचारों का प्रतिबिम्ब था। इन दो भाषणों में अत्यधिक अन्तर है। इस सरकार का विश्वास है कि परमाणु बम का उपयोग युद्ध समय में उपयोग करने के लिए है जबकि भारत के राष्ट्रपति विनाश के समस्त हथियारों को नष्ट करने की बात कर रहे हैं।

गणतन्त्रण दिवस के इसी भाषण में माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता के कथन को उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है हम "हर एक आंख के आंसू पोछेंगे"। माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपिता के कथन को उद्धृत करना उनकी सच्ची भावना को दर्शाता है।

महोदय, हाल ही में दिल्ली में ही एक विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ सैन्य अधिकारी के साथ-साथ कुछ नागरिकों की भी जानें गई थीं। वहां विलाप कर रही एक महिला जिसने उक्त दुर्घटना में अपने दो बच्चे तथा अपनी बूढ़ी मां को खो दिया था, के पास जब एक पत्रकार पहुंचा तो उसने बताया, "मैंने अपने दो बच्चे ही नहीं खोए बल्कि मेरी तीन सालों की कमायी 3,500 रुपये की राशि भी गुम हो गई।" महोदय, मैं यहां उस महिला की तीन सालों की कमायी तथा उसके पति के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दो भारतीय, जो गरीब हैं उन्होंने तीन साल की अवधि में केवल 3,500 रुपये कमाये। इस तरह से एक गरीब आदमी प्रतिवर्ष कितना कमाएगा ? यह आंकड़ा 583 रुपया प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आता है। यह गरीब भारतीयों की आर्थिक दशा बतलाती है। जहां तक राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का सवाल है क्या इसमें कहीं गरीबी उन्मूलन की चर्चा है ? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के गरीब लोगों के बारे में किसी प्रभावी कार्यक्रम की कोई चर्चा नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रही है। अर्थव्यवस्था इस कदर खराब हो रही है कि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं।

महोदय, देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में एक पंक्ति का भी

उल्लेख है ? नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल की बैठक में तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने कहा :

"मेरा निश्चित तौर पर मानना है कि केन्द्र सरकार राज्य की दूरगामी जनसंख्या नीति की प्रशंसक है। लेकिन जनसंख्या के मुद्दे पर प्रशंसनीय कार्यों से कभी-कभी राज्य को अनचाहा नुकसान भी होता है। जब कभी भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा लोक सभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से जनगणना करायी जाती है, तो राज्य को घाटा होता है। उदाहरणस्वरूप, यदि वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा तो तमिलनाडु को कुछ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का नुकसान होगा और इससे राज्य द्वारा अपनायी गयी प्रगतिशील जनसंख्या नीति को झटका लगेगा। मेरा सुझाव है कि भविष्य में ऐसे किन्हीं प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाना चाहिए। जिस तरह, विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में मतदाताओं की संख्या अलग-अलग होती है उसी तरह मेरा सुझाव है कि राज्यों में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भविष्य में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को ध्यान किए बिना उनकी वर्तमान लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बनायी रखी जानी चाहिए।"

महोदय, हमारे मुख्य मंत्री ने किस भाव तथा पीड़ा से यह बात कही ? उनकी पीड़ा है कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण का पूरी तरह से पालन करते हैं उन्हें दण्डित किया जा रहा है। हमारे यहां 41 लोक सभा सीटें थीं। आज वहां केवल 39 सीटें हैं क्योंकि हमने जनसंख्या नियंत्रण नीति का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया। यदि नवीनतम जनगणना के आंकड़ों को परिसीमन का आधार बनाया गया तो निश्चित रूप से हमारे राज्य में तीन अथवा चार लोक सभा सीटें कम हो जाएंगी। क्या प्रभावी ढंग से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को यही प्रोत्साहन दिया जा रहा है ? वास्तव में आप इन राज्यों की हानि कर रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के हमारे बहुत से मित्र जो भा०जा०पा० सरकार की सहयोगी पार्टियों में शामिल हैं, वे इस उम्मीद में हैं कि शासन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। मुझे उन मित्रों पर तरस आता है। यह सरकार अपने दोहरे मानदण्डों के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। जहां तक इस विषय का प्रश्न है, मैं पार्टीगत भेदभाव से उठकर तमिलनाडु के सभी सदस्यों को सम्बोधित कर रहा हूं। सभी को यह मांग करनी चाहिए कि तमिल जो एक प्राचीन भाषा है उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। हमारी पार्टी डी०एम०के० ने यह संकल्प लिया है और केन्द्रीय सरकार से अनेक बार यह अनुरोध किया है कि वह संविधान में आवश्यक संशोधन करके सभी क्षेत्रीय भाषाओं को राज-भाषा के समकक्ष लाया जाए।

अत: मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह संविधान में संशोधन करके सभी क्षेत्रीय भाषाओं को राज-भाषा का दर्जा दिलाएगी।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपने यह क्यों नहीं किया ?

श्री टी०आर० बालू : महोदय, भा०जा०पा० ने अपने घोषणा-पत्र में 'हिन्दुत्व' की बात कही थी। हिन्दुत्व क्या है ? उनका कहना है, 'यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है।' मैं इससे असहमत हूं। मैं ही नहीं इससे सभी असहमत होंगे। राष्ट्रवाद और कुछ नहीं बल्कि लोगों की भाषा, परम्परा, संस्कृति को मिलाकर उनका ही समुच्चय है।

महोदय, हमारे राज्य की संस्कृति केरल की संस्कृति से भिन्न है, हांलाकि हम एक ही भाषा परिवार से आते हैं। हम केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में रहने वाले लोग एक ही भाषा परिवार से आते हैं, फिर भी हमारी संस्कृति भिन्न-भिन्न है।

हमारा भोजन इडली, डोसा तथा वड़ा है जबकि पैरू, पुलू तथा पापड़म केरलवासियों का भोजन है। हमारी परम्परागत पोशाक *धोती* है जबकि उनकी मुण्डू है।

श्री वी० सत्यमूर्ति : लेकिन यहां आपने सफारी पहन रखी है और आप कहते हैं कि आपकी परम्परागत पोशाक *धोती* है ... *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : इस प्रकार, हममें सांस्कृतिक भिन्नता है। एक ही भाषा परिवार का होते हुए भी हम सांस्कृतिक रूप से भिन्न हैं। भाषा के आधार पर प्रत्येक राज्य की संस्कृति भिन्न है। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषा है, उनके राज्य की अपनी राज-भाषा है।

महोदय, यहां सरकार की दलील, भा०ज०पा० की दलील ... *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : आपकी संस्कृति डोसे के आकार के साथ बदलती है ... *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैं सत्तापक्ष के सदस्य श्री सत्यपाल जैन तथा अन्य सदस्यों से आदरपूर्वक कहना चाहता हूं *(व्यवधान)* श्री जैन यह अतिसंवेदनशील मामला है। यदि आप भाषा के विषय से खिलवाड़ करना चाहते हैं – निश्चय आप भारत को एक नहीं रख पाएंगे। देश बिखर जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनकी बातों पर प्रतिक्रिया जाहिर न करें। कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैं पूरी दुनिया के इतिहास का हवाला देना चाहूंगा। भाषा एक विशिष्ठ तथा संवेदनशील हथियार है। पाकिस्तान में क्या हुआ, आप उससे अवगत हैं। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान धर्म के नाम पर भारत से अलग हुआ था। लेकिन धर्म उन्हें जोड़ कर नहीं रखा पाया। पाकिस्तान तथा बंगलादेश जिस आधार पर बंटे वह आधार 'भाषा' थी। पाकिस्तान की भाषा उर्दू है जबकि बंगलादेश की भाषा बंगाली है। राज-भाषा के मुद्दे पर ही देश दो हिस्सों में बंट गया।

आप मलाया का उदाहरण लें। मलाया दो हिस्सों सिंगापुर तथा मलेशिया में बंट गया। सिंगापुर की राज-भाषा चीनी है जबकि मलेशिया की भाषा मलाया है।

सभापति महोदय : अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी०आर० बालू : सभापति महोदय, मैं जब भी बोलता हूं आप मुझे समाप्त करने के लिए कहते हैं।

सभापति महोदय : आप पहले ही निर्धारित समय से दुगुना समय ले चुके हैं।

श्री टी०आर० बालू : नहीं महोदय, यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा।

सभापित महोदय : कृपया संक्षेप में बोल कर समाप्त करें।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, इसी तरह रूस 16 भागों में बंट गया। यूगोस्लाविया चार राज्यों — सर्बिया, क्रोयोशिया, बोस्नीया तथा मैसीडीनिया में बंट गया। चेकोस्लाविया — चेक गणराज्य तथा स्लोवाक दो देशों में बंट गया। यह सब विघटन भाषा के मुद्दे पर हुआ। लेकिन जर्मनी का एकीकरण हुआ। पश्चिम जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी मिलकर जर्मनी हो गया। यह जर्मन भाषा के कारण हुआ।

श्री सत्यपाल जैन : अब आप संयुक्त मोर्चे की सरकार में मंत्री थे तो आपने क्या किया ? *(व्यवधान)* जब आप मंत्री थे तो आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी से बहस करते समय श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा :

> "आपके (कांग्रेस) चुनाव घोषणा-पत्र में है कि यदि हम सत्ता में आए तो हम बिहार में अनुच्छेद 356 लगायेंगे। और हमने ऐसा किया है।"

महोदय, कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि 'यदि वे सत्ता में आयेंगे तो बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी अनुच्छेद 356 लगायेंगे।'

परन्तु श्री जार्ज फर्नान्डीज ने चतुराई से कहा : "आपने केवल अनुच्छेद 356 लगाने के बारे में पूछा है। इसलिए हमने बिहार सरकार को बरखास्त किया है।" उत्तर प्रदेश का क्या हुआ ? उन्होंने उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 नहीं लगाया है। परन्तु एक बात यह कि अब जो कुछ हो रहा है इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि इसके बाद भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है चाहे वह सत्ता पक्ष में हो अथवा कोई अन्य, कोई भी भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लगाने का साहस नहीं करेगा।

अल्पसंख्यकों की बात लीजिए, ईसाई मिशनरियों पर हमेशा हमले किये जाते हैं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को छः मिनट का समय मिला है। अब आप अपनी पार्टी को मिले समय का तीन गुना समय ले रहे हैं।

श्री टी०आर० बालू : ईसाई स्कूलों को गिरा दिया गया। बाईबल पुस्तकों को जलाया गया। गिरजाघरों पर हमले किये गये। सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री ग्राहम स्टैंस और उसके दो बच्चों को जला दिया गया। यह केवल उसी राज्य में ही नहीं हो रहा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में यह दिन प्रतिदिन की घटना हो गयी है। इस खतरे को रोकने के लिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

हरिजनों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। प्रधान मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के प्रश्न की समीक्षा और इस पर एक बार फिर चर्चा की जाए। *(व्यवधान)* श्री सत्यपाल जैन आप भाजपा की मनोवृत्ति को समझ सकते हैं। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 यह कहता है कि भारत में धर्म का पालन करना और इसका प्रचार करने की अनुमति है। चाहे वह कोई भी धर्म हो। परन्तु अब क्या हो रहा है ? प्रधान मंत्री इस मामले की समीक्षा करना चाहते हैं। गृह मंत्री घटनाओं पर नजर नहीं रखे हुए हैं। इस मामले में, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह ईसाइयों का मामला नहीं है। यह मुस्लिमों का मामला नहीं है। भाजपा की ओर से यह पूर्णतया एक राजनीतिक मामला है। यदि आप भाजपा, जोकि एक फासीवादी पार्टी है, को अनुमति देते हैं तो एक दिन अल्पसंख्यकों और भाषा के मामले पर यह सरकार समस्त राष्ट्र को खंडित करेगी और इसलिए इस सरकार को बोरिया बिस्तर समेटकर चले जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, मैं शिव सेना के पक्ष की ओर से राष्ट्रपति महोदय के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। शुरू में ही मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं वह बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत नाम लेती है, विपक्ष के नेता ने उनका बहुत नाम लिया और कहा कि उन्होंने संविधान बनाने में बहुत योगदान दिया और उनके नाम पर वे वोटों की भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उसी क्षेत्र से बाबा साहब आम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था और उनको कांग्रेस वालों ने ही हराया था।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मोहन रावले जी, यह बात भी आप बोलिए कि जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, तब बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको मंत्री बनाया गया।

श्री मोहन रावले : विपक्ष के नेता श्री शरद पवार जी का भाषण मैं सुन रहा था। *(व्यवधान)* जिस गहराई से, ताकत से शरद जी बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वह हिन्दुस्तान के क्रिश्चियन्स के लिए नहीं बल्कि सारे विश्व के क्रिश्चियन्स को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। उनके नेता का उन पर प्रभाव कितना है, वह यहां बतायेंगे। मैं भी उनसे प्रभावित हुआ। उनका भाषण सुनने के बाद मेरे मन में भी परिवर्तन आया। मुझे ऐसा लगा कि अभी आप इंडियन नैशनल कांग्रेस का नाम बदलकर इटेलियन कांग्रेस रख देंगे। *(व्यवधान)* मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस प्रभाव में चल रहे हैं।

श्री भोतीलाल धोरा (राजनांदगांव) : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में या किसी भी पार्टी के बारे

में किसी शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। इन्होंने अभी जो इटेलियन कांग्रेस कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह तो इन्होंने सुझाव दिया है कि आप नाम बदल लो। अगर आप नहीं बदलते तो मत बदलो। *(व्यवधान)* अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल लें नहीं तो मत बदलो। वह जोर नहीं दे रहे हैं।

श्री मोतीलाल बोरा : आपके सुझाव की जब आवश्यकता होगी तब हम ले लेंगे लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : मैंने कहा कि मेरे दिल में परिवर्तन हुआ। *(व्यवधान)* यहां बहस चल रही है। *(व्यवधान)* मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण सुना। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि आस्ट्रेलियन पार्लियामैंट में यह मामला उठाया गया। जिनकी हत्या हुई, उसकी हम शिव सेना की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं। उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन इस सदन में उस तरफ से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। इस सदन में आपके कार्तिक नाम के एक आदिवासी मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण एक फसाद की गंगोत्री है। फसाद का कारण क्या है, वह सोच लीजिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए, तो क्या गलत कहा ? श्री शरद पवार जी कह रहे थे कि वे बहस कराकर किस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस पर बहस तो होनी चाहिए। इनके कार्तिक नाम के जो आदिवासी मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासियों के धर्मांतरण के ऊपर अंकुश रखना चाहिए। *(व्यवधान)* श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्टेटमैंट दिया था कि विदेशी पैसा आ रहा है और सी०आई०ए० की साजिश हो रही है। उनका कहना था कि मिशनरीज इस पैसे का इस्तेमाल करती है। महात्मा गांधी जी को भी ईसाई बनाने की कोशिश की गई थी। कलकत्ता में मिशनरीज के बीच बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि उस समय मैं हिन्दू धर्म और ईसाई धर्म के बीच डगमगा रहा था। जब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हुआ तब मैंने अनुभव किया कि मेरी मुक्ति हिन्दू धर्म में ही संभव है। तब से मेरी हिन्दू धर्म में आस्था और ज्यादा गहरी हो गयी। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को ईसाई बनाने के लिए प्रयास किया गया था। इंदिरा जी को एक सूचना मिली थी कि प्रोग्राम ऑफ काम्पैक्ट फॉर रिजिम के तहत हजारों डालर आज हिन्दुस्तान में आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं और श्री शरद पवार जी ने कहा है कि अगर यहां बलपूर्वक धर्मांतरण करवाया जाये, तो उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। 1961 में हिन्दुओं की संख्या 20.3 बढ़ी, मुसलमानों की संख्या 25.6 परसैंट बढ़ी, क्रिश्चियन्स की संख्या 27.4 परसैंट बढ़ी। इसी तरह 1971 में हिन्दुओं की संख्या 23.7 परसैंट बढ़ी और मुसलमानों की संख्या 30.8 परसैंट बढ़ी।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उन्हें दस्तावेज का नाम देना चाहिए।

श्री मोहन रावले : यह "ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पापूलेशन" से लिया गया है *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्हें दस्तावेज का नाम देना चाहिए जिसमें से वे उद्धरण दे रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह) : आप नाम बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले : यदि आप चाहते हैं तो मैं इन दस्तावेजों को आपको दे दूंगा। यह "रिलीजियस फ्रीडम एंड कन्वर्जंस इन इंडिया" से लिया गया है। यह "ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पापूलेशन बाई मेजर रिलीजंस इन इंडिया" पर भारत सरकार की रिपोर्ट है। ये आंकड़े भारत की जनगणना, 1961; भारत की जनगणना, 1971; भारत की जनगणना, 1981 और भारत की जनगणना, 1991 से लिए गए हैं।

[हिन्दी]

अगर आप चाहें तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। इसकी हिम्मत नहीं है लेकिन आज ये बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि दलित धर्मांतरण कर रहे हैं। दलित गरीब लोग हैं। क्या क्रिश्चियन लोगों की हिम्मत है कि वे किसी मुस्लिम समाज में धर्मांतरण करा सकें ? आज भारी संख्या में एस०सी०, एस०टी० लोग हैं। *(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं बहुत दिनों बाद बोल रहा हूं। मेरी बाई पास सर्जरी हुई है, इतना तो सोच लीजिए, मुझे बोलने का थोड़ा मौका तो दीजिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रैजीडैंट्स ऐड्रैस सरकार का पॉलिसी स्टेटमैंट है, जिस पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उस पर ही आपको बोलना है।

श्री मोहन रावले : ये हमारी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं इनको आंकड़े बता रहा हूं। *(व्यवधान)* यदि नॉर्थ-ईस्ट राज्यों पर नजर डालें तो 1981-91 के मध्य क्रिश्चियन और मुस्लिम जनसंख्या के आंकड़े चौका देने वाले हैं। त्रिपुरा में 1941 में क्रिश्चियन की जनसंख्या सिर्फ 1323 थी, 1961 में 10,039 हुई, 1981 में 24,732 हुई, 1982-85 में मध्य क्रिश्चियन 30,050 हो गए, 19085 से 1024 ट्राईबल क्रिश्चियन हो गए – उनका धर्मांतरण किया गया। क्या बढ़ते हुए धर्मांतरण के पीछे विदेशी पैसा नहीं है? जब उन्हें आजादी मिली तो वे अपना बोरिया-बिस्तर लेकर जा रहे थे लेकिन आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, उनकी जनसंख्या इस तरह से बढ़ने लगी। प्राईवेट फौरेन डोनेशन का 70 प्रतिशत हिस्सा पिछले अक्टूबर-दिसम्बर के मध्य में क्रिश्चियन मिशनरीज को मिला। अक्टूबर-दिसम्बर में 19.8 करोड़ रुपये से 14 करोड़ रुपये अधिक मिशनरीज के मिले।

मैं लाहौर यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं। शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी में इस बारे में डिफरैंसेस थे, मैं मानता हूं लेकिन हमारा विरोध इसलिए था क्योंकि हमारे मुल्क में आतंकवाद हो रहा है, सिर्फ कश्मीर में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सारे हिन्दुस्तान में बम फट रहे हैं, आई०एस०आई० और पाकिस्तान बम के धमाके कर रहा था, टैरोरिज्म कर रहा था। शिव सेना प्रमुख, श्री बाला साहेब ठाकरे ने यही कहा था कि पहले टैरोरिज्म बंद करें, फिर बोलना शुरू

[श्री मोहन रावले]

करें। इससे एक बात साफ है कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। हम अटल जी का आदर करते हैं। वे लाहौर में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। शिव सेना यह नहीं चाहती कि दोनों में बातचीत न हो, हम दोनों के बीच संबंध सुधारना चाहते हैं लेकिन यह सब कुछ टैरोरिज्म खत्म करके होना चाहिए। हमने इसलिए क्रिकेट मैच का विरोध किया था। इससे पहले इजराइल में डैविस कप फाइनल में हमारी टीम गई थी, उस समय हमने बॉय-कॉट किया था, साउथ अफ्रीका के समय हमने बॉय-कॉट किया था।

अभी यहां श्री शरद पवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले हिन्दूवाद के नाम पर मस्जिद तोड़ी गई। देश के बहुत बड़े महानगर मुम्बई शहर में हिन्दूवाद के नाम पर आग लगी थी। मुम्बई शहर में जब आग लगी थी, इनकी रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट में किसी ने यह नहीं बताया कि शिव सेना ने हमला किया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मुम्बई शहर के जोगेश्वर में एक राधाबाई चाल है, हम श्रीमती सोनिया गांधी का आदर करते हैं, वे वहां गईं। उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। राधाबाई चाल में नौ हिन्दुओं को जिन्दा जलाया गया। अभी जो विपक्ष के नेता हैं, वे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। इनकी सरकार थी, इनका कोई मुख्य मंत्री वहां नहीं जा सका। रक्षा मंत्री वहां नहीं जा सके। 1993 में हमारी सरकार डिमौलिश कर दी गई। इन्होंने धारा 356 लगाकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को गिरा दिया, लेकिन कांग्रेस के राज में गुजरात में 300 से ज्यादा आदमी मारे गये, महाराष्ट्र में 338 आदमी मारे गये तो इन्होंने कभी किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। *(व्यवधान)* आप श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को लाइये, हमारे पास 22 रिपोर्ट्स हैं, हमने बताया, हमारी पार्टी ने भी बताया, हमारे मुख्य मंत्री ने भी बताया। और भी कितनी ही रिपोर्ट्स हैं। यहां विपक्ष के नेता नहीं हैं, हमारे जो शिव सेना के नेता थे, माधव कमीशन कि रिपोर्ट में उनके ऊपर यही चार्ज लगा था, जो बाला साहेब ठाकरे जी के ऊपर चला गया, उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं आपने बाला साहेब ठाकरे जी को गिरफ्तार किया और *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड करिये। आपको क्या बोलना है, अब आपका भाषण समाप्त हो गया। यह सब मैं उनके हित में कह रहा हूं।

श्री मोहन रावले : मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मेरा लास्ट पाइंट है। आप बोलिये कि आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने किसने क्या किया। आप बताइये, कांग्रेस ने हमें रिपोर्ट दी थी, हमारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी थी। उस समय कमीशन ने ऐसा नहीं कहा था कि यह झगड़ा शिव सेना ने किया था। आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। *(व्यवधान)* बाबरी मस्जिद के बारे में अभी कितने दिन और बहस करने वाले हैं? वह तो एक ढांचा था। हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में 3000 से ज्यादा मंदिर फोरेनर मुस्लिमों ने तोड़े, लेकिन किसी हिन्दू ने मस्जिद नहीं तोड़ी, यह बात ध्यान में रखिये। हमारा जो एक मंदिर था, जो एक भावना थी *(व्यवधान)*

डा० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : हिन्दुओं का एक भी मंदिर किसी बादशाह ने, किसी मुसलमान ने नहीं तोड़ा। *(व्यवधान)*

[डाक्टर शफीक उर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : हिन्दुओं का एक भी मंदिर किसी बादशाह ने, किसी मुसलमान ने नहीं तोड़ा...(व्यवधान)]

श्री मोहन रावले : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिये न। अभी विदेशी लोगों के ऊपर इनका ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक विदेशी आई०ए०एस० नेवल आफिसर था, कोई हिन्दुस्तानी आफिसर नहीं था, ब्रिटिश राज में उन्होंने लखनऊ के गजट में लिखा हुआ था कि यहां मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यह उन्होंने लिखा था, इसलिए यह हमारी भावना थी। इसके लिए लोगों ने जान दी, अभी तक 1,75,000 लोगों ने अपनी जानें कुरबान कर दीं। अपने एक मंदिर के लिए उन्होंने जाने दीं। उसमें उनकी क्या गलती है, अपनी मंदिर वे मांग रहे थे।

दो-तीन बातें मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। मुम्बई शहर में मैंने एक बार फाइनेंस मिनिस्टर से कांग्रेस के जमाने में सवाल पूछा था, उन्होंने यह जवाब दिया था कि 17,944 करोड़ रुपये मुम्बई शहर से इन्हें टैक्स के रूप में मिल रहे हैं। हमने इनसे उस वक्त मांग की थी, अभी भी हम राष्ट्रपति जी प्रधान मंत्री जी से मेरी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय मांग है कि कम से कम मुम्बई शहर में हर दिन एक हजार लोग आते हैं, झुग्गी-झोंपड़ी बसाते हैं। उनके पानी का खर्चा, उनकी एजुकेशन का खर्चा, उनके स्वास्थ्य का खर्चा, सारा बोझ, रास्ते का बोझ हमारे ऊपर आता है। हमारे मुम्बई शहर के लिए कम से कम 1800 करोड़ रुपये तो दीजिए। हम सरकार को यह पैसा देना चाहिए। टैक्स का 10 परसेंट तो हमें मिलना चाहिए।

अपराह्न 5.34 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मिल मजदूरों के बारे में बार-बार मैं इस सदन में कांग्रेस के जमाने से आवाज उठा रहा हूं। एन०टी०सी० की जो मिलें है, वे मिले ज्यादा से ज्यादा मेरे क्षेत्र में हैं और मुम्बई क्षेत्र में हैं। अभी उन्हें कपास नहीं दी जाती है, उन्हें रॉ-मैटीरियल नहीं दिया जाता है। वस्त्र मंत्री यहां बैठे हुए हैं, उन्हें वर्किंग कैपिटल नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एफीशिएंट वर्कर्स हैं, उन्हें मिल चलाने में दिक्कत हो रही है। यहां जो भूतपूर्व वस्त्र मंत्री वेंकटस्वामी जी थी, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण एन०टी०सी० की मिलें बर्बाद हो रही हैं, उन्हें घाटा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि इसे तुरन्त रिवाइव करने के लिए आप कुछ प्रोग्राम बनाओ। सरकार की तरफ से अगर प्रोग्राम बन जायेगा तो जो आइडियल वर्कर्स हैं, एफीसिएंट वर्कर्स हैं, वे अच्छी तरह से मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। मैं भी एक मिल मजदूर का बेटा हूं। मेरे पिताजी ने 46 साल मिल की सर्विस की। मेरे क्षेत्र में प्राइवेट मिल्स हैं, मैं सरकार से अपील कर रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे क्षेत्र में एक स्वान मिल है उसके मजदूरों को 60 माह से वेतन नहीं मिला, इसी तरह से खटाऊ मिल के कर्मचारियों को पिछले दो साल से वेतन नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह भूतपूर्व सरकार ने उनके बारे में कदम

उठाए थे, काशी राम राणा जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी वैसे कदम उठाएं, ताकि उन लोगों को वेतन मिल सके।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कम वेतन मिलता है, जबकि एन०टी०सी० में जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको ज्यादा वेतन मिलता है। मेरी मांग है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी वही वेतन, ग्रेचुअटी और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए।

कांग्रेस के राज में कितने दंगे हुए, यह मैं बताना चाहता हूं। 1976 से 1985 तक 3402 इंसिडेंट्स हुए और 3168 लोग मारे गए। उसके बाद वाले सालों के आंकड़े भी मेरे पास हैं, जिनसे मालूम होता है कि इनके राज में ज्यादा दंगे हुए। जबकि महाराष्ट्र में बी०जे०पी० और शिव सेना के राज में एक भी हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो बताएं।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : नहीं हुआ।

श्री मोहन रावले : सुल्तानपुरी जी बता रहे हैं कि नहीं हुआ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास 1991 से 1996 के भी आंकड़े हैं। इस तरह मैं बता सकता हूं कि इनके राज में ज्यादा दंगे हुए और अब ये हमें सिखा रहे हैं।

शरद पवार जी ने कल अपने भाषण में सरकार से शूगर के बारे में अपील की थी। मैं भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, मैक्सिको और ब्राजील से जो शूगर आती है, सरकार को उस पर 60 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगानी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तथा मेरी पार्टी शिव सेना राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती है।

[अनुवाद]

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सिलसिले में मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्रथागत अभिभाषण दिया है।

सरकार ने देश के सामने आई विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस योजना और कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। राष्ट्रपति जी के आशावादी वक्तव्य को कार्य रूप दिया जाये। सरकार की विश्वसनीयता का आकलन इसके निष्पादन और उपलब्धियों से किया जाएगा। पिछले 11 महीनों के दौरान यह सरकार सभी मोर्चों पर असफल रही है। भिन्न-भिन्न विचारधाराओं और चुनावी घोषणा-पत्रों वाली पार्टियां सरकार बनाने के लिए इकट्ठी हो गई हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय हित के मामलों पर सामूहिक निर्णय लेने के लिए उन्हें कठिनाई होती है। अपने मतभेदों को दूर करने और निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। उनका एक मत नहीं है। इस विशाल देश की समस्या इस विस्तृत और विशाल देश के 100 करोड़ लोगों की समस्या है।

लोग गरीबी, बेरोजगारी, आश्रय, जनस्वास्थ्य, पानी, निरक्षरता सम्बंधी और जनसंख्या विस्फोट जैसी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने होंगे। औद्योगिक वृद्धि में गिरावट के साथ-साथ उद्योगों में निवेश में भी कमी आई है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों के मूल्य भी बढ़े हैं। एल०पी०जी०, गेहूं, चीनी आदि के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र को छोड़कर वे सभी क्षेत्रों में असफल रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 50 में यह कहा गया है कि सरकार ने श्रीलंका सहित सार्क देशों के साथ कुछ समझौते किए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समझौते से केरल, कन्याकुमारी जिला और अन्य स्थानों के नकदी फसलों की खेती करने वाले किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह इसलिए क्योंकि श्रीलंका और मलेशिया से रबड़ जैसी कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता है। इस कारण रबड़ के मूल्य में गिरावट आई है। क्योंकि रबड़ के कम मूल्य के कारण इसकी खेती करने वाले किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अत: वे लोग रबड़ का दूध नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए, कृषकों को रबड़ और अन्य नगदी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए इस दिशा में कुछ सुधार करना होगा।

महोदय, हमारा एक बहु-भाषीय, बहु-धर्मी तथा बहु-जातीय देश है। हमें अपने राष्ट्र की अनेकता में एकता और देश की अखण्डता को सुरक्षित रखना होगा। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार हरेक को कोई भी धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इस देश के प्रत्येक नागरिक का यह एक संवैधानिक अधिकार है।

हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सरकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के प्रति वचनबद्ध है। राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई भावना स्वागत योग्य है। परन्तु इस दिशा में उठाये गए कदम अन्य घटनाएं इससे भिन्न हैं।

उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में घटी दुखद घटनाओं से पता चलता है कि इन घटनाओं से देश की धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को आघात पहुंचा है। ईसाइयों और उनकी संस्थाओं, स्कूलों, औषाधालयों तथा गिरजाघरों पर हमला किए जाने की घटनाएं सामने आयी हैं। बाईबल और उनके नए विधान को जलाया गया। ननों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। धर्म गुरूओं की हत्या की गई। अस्ट्रेलियायी मिशन के श्री स्टेन्स, जो कि कुष्ठ रोग के डाक्टर थे, की उनके दो बेटों के साथ उस समय जलाकर हत्या कर दी गई जब वे अपनी गाड़ी में सो रहे थे। यह अपराध एक धर्म अर्थात् हिन्दुत्व के नाम पर किए गए जोकि सहिष्णुता की पाठ पढ़ाता है। लेकिन प्रेस रिपोर्टों के कारण इन अत्याचारों को विश्व समुदाय से छुपाया नहीं जा सकता है। इन अत्याचारों की अस्ट्रेलिया की सरकार तथा विश्व की अन्य सरकारों द्वारा निन्दा की गयी है।

हम अपने गांव में पूरी शांति, सद्भाव और सहिष्णुता से रह रहे हैं। धर्म के नाम पर हमें बंटना नहीं चाहिए अपितु इसके माध्यम से हमें सकारात्मक प्रयत्न और योगदान से आपस में एक होना चाहिए।

धर्मांतरण पर चर्चा करने का एक प्रस्ताव आया है। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की रूपरेखा तैयार करते समय इन पहलुओं पर पूरी तरह से चर्चा की गई थी। अपने धर्म को मानने तथा उसका प्रचार-प्रसार करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह अफवाह कि

[श्री एन० डैनिस]

भारी संख्या में लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो रहा है, एक मिथ्या खबर है और यह गलत है। 1961 की जनगणना में देश में ईसाइयों की प्रतिशतता 2.4 थी, किन्तु 1991 में यह घटकर 2.32 प्रतिशत हो गई। अत: बड़े पैमाने पर किया जा रहा यह प्रचार मिथ्या है। इस वास्तविकता के बावजूद कि ईसाई धर्म पहली शताब्दी, अर्थात् सेंट थॉमस के समय से ही तथा ब्रिटिश शासन के तीन सौ सालों के दौरान भी विद्यमान था, ईसाइयों की संख्या 2.32 प्रतिशत ही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ईसाइयों का योगदान अत्यधिक है। यह धर्मांतरण के उद्देश्य से नहीं अपितु सेवा के उद्देश्य से किया गया है।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ही धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र तथा देश की एकता की सुरक्षा है। इसलिए दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों को मिले संवैधानिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना तथा वे एक धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं इसका एहसास कराना सरकार का कर्तव्य है।

जहां तक विदेशों के साथ हमारे देश के संबंध का सवाल है, वे हमें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर कदम उठाना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन शिमला समझौता को फिर से दुहराने के अतिरिक्त इस यात्रा से और कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हुई। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उसी दिन जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 25 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। कश्मीर की समस्या का समाधान तथा इन दोनों देशों की अन्य समस्याओं के समाधान में कोई प्रगति नहीं हुई। अपने पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों के साथ हमें अच्छा संबंध बनाए रखना है। जिससे कि जापान की भांति हम अपने रक्षा व्यय में कटौती कर सकें।

महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक या दो मुद्दे पर और बोलना चाहूंगा।

जहां तक पोखरण परमाणु परीक्षण का संबंध है, यह बताया गया है कि यह सरकार की एक उपलब्धि है लेकिन इसका परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया और पश्चिम के देशों ने हमारा विरोध किया तथा हमारे देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया जिससे हमें आर्थिक और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जहां तक परिवार नियोजन कार्यक्रमों का संबंध है, इन्हें अभी भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है। जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे विकास कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है। मैं उस बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता था किंतु समयाभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, मेरे मित्र ने बताया है कि वहां परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से लागू किए जाने के परिणामस्वरूप विगत की 41 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र घट कर 39 रह गए हैं तथा ऐसा समझा जाता है कि भविष्य में होने वाले परिसीमन कार्य के फलस्वरूप दो या तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कम हो जाएंगे। ऐसी ही स्थिति केरल की भी है। मेरा कहना है कि प्रोत्साहन देने के बजाय सरकार वहां सीटें कम कर रही है। यहां सीटों को कम करने की संभावना के लिए सजा दी जा रही है। इसे रोका जाना चाहिए। तमिलनाडु में विद्यमान 39 सीटों को बरकरार रखना चाहिए तथा जहां तक केरल और अन्य राज्यों, जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया है, का संबंध है, उनकी भी विद्यमान स्थिति बरकरार रखनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बी०एम० मेनसिंकाई को बोलने के लिए कहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों का नाम ले रहा हूं जिनके दलों ने चर्चा में भाग नहीं लिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मेरा नाम उसमें है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपका भी नाम उसमें है। मुख्य-मुख्य दल अपना समय लगभग पूरा कर चुके हैं।

श्री बी०एम० मेनसिंकाई, कृपया अपना भाषण शुरू करें। मैं आपको पांच मिनट दूंगा।

•**श्री बी०एम० मेनसिंकाई** (धारवाड़ दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 22 फरवरी, 1999 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण का समर्थन करता हूं। अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कुछ अतिमहत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं।

हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस द्वारा लाहौर की यात्रा की और विश्व में भाईचारा का संदेश दिया। मैं प्रधान मंत्री की इस यात्रा से अत्यंत खुश हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि अमन और शांति का संदेश फैलाने के लिए वह ऐसी ही यात्रा बंग्लादेश की भी करें।

अंग्रेजों का सिद्धान्त था 'फूट डालो और शासन करो'। पाकिस्तान और बंग्लादेश का निर्माण उसी अंग्रेजी शासन का परिणाम है। अब हमारे प्रधान मंत्री का यह दायित्व है कि वह इन दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़े तथा सर्वत्र शांति का वातावरण तैयार करें। ऐसा करने से रक्षा व्यय में भारी कमी आएगी जिसका उपयोग हम अपने देश के गरीब लोगों के उत्थान पर कर सकते हैं।

हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या कृषकों की हैं तथा वे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। उन्हें अपने उत्पाद के लिए वैज्ञानिक लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इस तथ्य का उल्लेख राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के पैरा सं० 19 में किया गया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अभिभाषण में स्कूल तथा कॉलेजों में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण जीवन मूल्यों में हो रहे ह्रास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। केन्द्र को अच्छी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर तक लड़के

•मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तथा लड़कियों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षकों के पद पर महिलाओं को वरियता दी जानी चाहिए।

श्री टी०आर० बालू : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस वक्त सभा में कोई केन्द्रीय मंत्री उपलब्ध नहीं हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : उपाध्यक्ष महोदय, एक केबिनेट मंत्री, श्री काशीराम राणा सदन में उपस्थित हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू चार अथवा पांच मंत्री सदन में उपस्थित हैं। कृपया आप इनके भाषण में व्यवधान न डालें। हमारे पास समय नहीं है।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, सदन में विनोदशीलता नहीं है। हम यहां नीरस नहीं बैठ सकते।

श्री राम नाईक : महोदय, उन्होंने नीरस सदन का सजीव सदन में बदल दिया है। हमें इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अब सजीव है। श्री मेनसिंकाई, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री बी०एम० मेनसिंकाई : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बालू ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित मामला उठाया है। मैंने इस मामले पर संशोधन का प्रस्ताव किया है। हमें स्कूलों और कालेजों में शिक्षा की ऐसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जहां हमारी युवा पीढ़ी को नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए।

महिलाएं राज्य विधान सभाओं और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रही हैं। वास्तव में उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करनी चाहिए क्योंकि उनकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत है। वास्तव में हमारे नेता श्री रामकृष्ण हेगड़े ने वर्ष 1983 में पंचायत में 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का विचार प्रस्तुत किया था और बाद में वर्ष 1987 में जब वे मुख्य मंत्री थे तो कर्नाटक राज्य में यह अधिनियम बन गया।

हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारे संविधान में हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मैं इसमें संशोधन का सुझाव देना चाहता हूं। ''धर्म का पालन करने और इसके प्रचार करने की स्वतंत्रता'' के स्थान पर यह ''धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता'' होना चाहिए। अगर यह नहीं किया जाता है तो धर्म परिवर्तन और हत्याओं सहित साम्प्रदायिक तनाव भी होते रहेंगे।

महोदय, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में आठ संशोधनों का सुझाव दिया है। चूंकि ये सभी बातें हमारी सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडा में सम्मिलित कर ली गयी हैं, मैं इन्हें वापस लेता हूं और इच्छा करता हूं कि मेरे प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार विचार करेगी।

भारत सरकार मितव्ययिता के उपायों को कठोरता से लागू करे। इसे विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में विशाल और अनावश्यक खर्च पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।

महात्मा गांधी ने सादा जीवन और उच्च विचार का उपदेश दिया और इसका पालन किया। हमें राष्ट्रपिता द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मद्यनिषेध संबंधी उनकी नीति को भी पूरे देश में कठोरता से लागू किया जाए। मद्यनिषेध लागू करके प्रत्येक राज्य में लाखों परिवारों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू करना सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

योजना आयोग के तत्वाधान में गठित आधारभूत संरचना संबंधी कृतिक बल ने सिल्चर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाला पूर्व-पश्चिम कोरीडोर और काश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला उत्तर-दक्षिण कोरीडोर सहित छः मार्गों वाली राष्ट्रीय एकीकृत हाईवे परियोजना के निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। यह दूसरी उपलब्धि है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

सायं 6.00 बजे

गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ा जाए और पानी भी दक्षिण की नदियों की ओर बहना चाहिए। वास्तव में स्वर्गीय श्री मोरार जी देसाई ने, जब वे भारत के प्रधान मंत्री थे, यह प्रस्ताव रखा। केन्द्र सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मेनसिंकाई, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बी०एम० मेनसिंकाई : महोदय, मैं दो, तीन, चार मिनट लूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट और बोल सकते हैं। कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री बी०एम० मेनसिंकाई : महोदय, मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में न्यायपालिका के महत्व को उजागर नहीं किया है। विलम्ब से दिया गया न्याय अर्थहीन है। इस देश की लगभग सभी अदालतों में हजारों मामले लंबित हैं। गरीब लोग अदालत आना असंभव मान रहे हैं। सरकार प्रक्रिया संबंधी विधि में संशोधन करके इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल उपाय करे।

धनराशि का आवंटन भी दोषपूर्ण है। गांवों को अल्प धनराशि आवंटित की जाती है यद्यपि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। धनराशि का समान वितरण किया जाए और ग्राम स्तर पर धनराशि का वितरण पंचायतों के माध्यम से किया जाए।

जनसंख्या विस्फोट हमारे देश की प्रगति में दूसरी बड़ी बाधा है। यह योजना प्रक्रिया को प्रभावित करता है और इस प्रकार गरीबी बढ़ती है। इस पहलू को भी राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल किया गया है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से कठोर कदम उठाए। अन्यथा बहुत कम समय में हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ तक पहुंच जायेगी।

[श्री बी०एम० मेनसिंकाई]

प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह निश्चित रूप से समुदाय के जीवन मूल्यों को प्रभावित करेगा और यह अमीर और गरीब के अंतर को बढ़ाता है। सरकार को इस बुराई को दूर करने के लए तत्काल समाधान ढूंढना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए।

लाटरी टिकट एक अन्य खतरा है जो कि कैंसर की तरह हमारे देश में फैल रहा है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जीवन के नैतिक मूल्यों में सुधार लाने के लिए पूरे देश में लाटरी बंद करने के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि बिना किसी विलम्ब के पूरे देश में लाटरी टिकटों की बिक्री बंद करें और उन करोड़ों लोगों के जीवन को बचाएं जो कि लाटरी टिकटों के पीछे पागल हो गये हैं।

महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में मैंने पाया कि तीन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है जिन्हें मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जम्मू और काश्मीर राज्य की समस्याओं को बारीकी से देखने से पहले मैं उन तीन क्षेत्रों को उजागर करना चाहता हूं जिन पर अभिभाषण में ध्यान नहीं दिया गया है, पहला, न्यायिक सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस देश में गरीब जनता के लिए न्याय बहुत महंगी चीज है और हजारों मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। स्वयं राष्ट्रपति जी इसके बारे में चिंतित थे और एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बारे में वे चिंतित हैं।

इस अभिभाषण में मैंने देखा है कि न्यायपालिका की समस्याओं में सुधार है जिन पर कानून निर्माताओं को विचार करना चाहिए, पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है।

अगला है जनसंख्या। जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। मैं इन सभी वर्षों और इस क्षण तक पैदा हुए बच्चों को अच्छाई की कामना करता हूं। हमारे संसाधन अपार हैं। परन्तु अब तक हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं शायद जनसंख्या का 20 प्रतिशत - जनसंख्या के उस स्तर से संबंध रखने वाले बच्चे नाश्ते में अंडे का सेवन कर सकते हैं। परन्तु 80 प्रतिशत जनसंख्या को अंडे उपलब्ध नहीं हैं। भारत में बच्चों के लिए नाश्ता उपलब्ध नहीं है। वास्तव में गरीबी के स्तरों की जांच करने के लिए अध्ययन नहीं किए गए हैं। और मूल रूप से यह गरीबी जनसंख्या के भयंकर विस्फोट से उत्पन्न हुई है। इस पर भी ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है।

मैं महाराष्ट्र में अपने शिव सेना मित्रों की अच्छाई की कामना करता हूं। वे एक दस्तावेज से उल्लेख कर रहे थे जिसे पुस्तकालय में तैयार किया गया है। यह किसी अन्य व्यक्ति का लेख था। वास्तव में उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया था। मैं बहस नहीं करना चाहता। परन्तु अपनी जानकारी के लिए उसे जानना चाहिए कि हाल के वर्षों में जनसंख्या विस्फोट कहां हुआ है। इसका अर्थ है कि पिछले दो दशकों में हिन्दी क्षेत्र में निरन्तर जनसंख्या बढ़ रही है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दर सबसे ज्यादा थी।

इस सम्माननीय सभा को विस्मय नहीं होना चाहिए कि कश्मीर मुस्लिम बहुसंख्य राज्य है। परिवार नियोजन का जहां तक संबंध है हम केरल के बिल्कुल करीब हैं। हिन्दु बहुल क्षेत्र में जनसंख्या विस्फोट गंभीर बात है। आप उस तरह से उनका हवाला दें। इसलिए हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मैं श्री मोहन रावले को इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। वह यहां आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे जिससे सिर्फ यही पता चलता है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही थी या ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ रही थी यह गुमराह करने वाली बात है।

भारत के संविधान के अनुसार हमें 1960 तक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना था। इसमें हम बुरी तरह से असफल हुए। हम बहुत बड़ी अनपढ़ आबादी के साथ 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर बहुत ज्यादा है। इस सभा ने शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की उपेक्षा की। मैं यह अत्यन्त ही उत्तरदायित्व की भावना से बोल रहा हूं क्योंकि यहां मेरा यह चौथा कार्यकाल है। बीच में मैं सदस्य नहीं था। क्योंकि मैं उस समय राज्य सभा का सदस्य था। किन्तु मैंने पाया कि लोक सभा ने शिक्षा की उपेक्षा की है। बजट में कुछ लुभावनी बातें हैं। किन्तु यथार्थ यह है कि : क्या भारत सबों के लिए शिक्षा चाहता है ? मैंने इसे बजट प्रस्तावों में और इस अभिभाषण में भी देखा है। उत्तर है 'नहीं'। हम सबों को शिक्षा देने के प्रति गंभीर नहीं हैं। यदि सरकार या यह सभा पददलितों और निर्धनतमों के लिए कुछ ठोस करना चाहती है तो यह शिक्षा, सबों के लिए शिक्षा है।

अभी मैं, इस अभिभाषण में जो मैंने कहा तीन बातें नहीं पाता हूं। मैं इस सभा और विशेषकर सत्ता पक्ष का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य की घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस अभिभाषण में भारत के संविधान की सीमाओं में स्व-शासन या स्वायत्तता की बात नहीं कही गई है। हमें अधिक खुश नहीं होना चाहिए। हम खुश हैं कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण पा लिया गया है। मैं अपनी सम्माननीय बहन, श्रीमती सुषमा स्वराज, जो यहां नहीं हैं को आगाह कराना चाहता हूं। उन्होंने कश्मीर में स्थिति के सामान्य होने का पूरा श्रेय ले लिया है। उन्होंने यह श्रेय भाजपा के लिए लिया। मेरा इस पर भाजपा से कोई झगड़ा नहीं है। भाजपा सरकार श्रेय ले सकती है उसने श्रेय लेने के लायक काम किया है। मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को श्रेय दिया। वह इसके प्रति अत्यन्त गंभीर थे। वह इस समय भी इसके प्रति अत्यन्त गंभीर हैं। सामान्य स्थिति के बहाल होने का कुछ श्रेय कश्मीर की जनता और सशस्त्र बलों को भी है। किन्तु कश्मीर की जनता जिसने पूरी तरह से आतंकवाद को नकार दिया के बारे में उनके भाषण में कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने जब भाजपा सरकार को श्रेय दिया तो उन्हें डा० अब्दुल्ला को भी कुछ श्रेय देना चाहिए था। किसी भी व्यक्ति का उनके साथ कितना भी मतभेद हो सकता है किंतु उन्होंने जंग लड़ी है, उनकी पार्टी ने जंग लड़ी है तब कहीं स्थिति सामान्य हुई है। स्थिति सामान्य होने

के साथ हम संकट का समाधान कैसे करें, इस पर सोचना चाहिए। विलय पर कोई विवाद नहीं है। जनता को बार-बार यह कहना शोभा नहीं देता कि कश्मीर अटूट है, कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। हां, यह भारत का अखंड भाग है। एक मराठी या आन्ध्रवासी के लिए यह कहना मजबूरी नहीं है कि महाराष्ट्र या आन्ध्र भारत का अटूट हिस्सा है। सिर्फ यह कहना कि यह भारत का अभिन्न अंग है पर्याप्त नहीं हैं आपको इस बात का पक्का विश्वास होना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर के लोगों ने हमेशा के लिए भारत के संघ में विलय को स्वीकार किया था। हम भी भारत के उतना ही अभिन्न अंग हैं जितना कि मराठी, आन्ध्रवासी या तमिल या किसी अन्य राज्य के लोग हैं। स्वायत्तता का जहां तक सवाल है, इस बारे में हमारा केन्द्र सरकार से विवाद है न कि जम्मू और कश्मीर राज्य से बाहर रहने वाले शेष भारत के लोगों से। इसलिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के आग्रह पर समय पर विचार करना चाहिए। संविधान में इसके लिए कई विकल्प हो सकते हैं। श्री नरसिंह राव जब प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने राज्य सभा में वक्तव्य दिया था, "आजादी को छोड़ कर भारत के संविधान के अंतर्गत कुछ भी दिया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।" इसलिए जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के संविधान की सीमाओं में अपने लिए जगह चाहते हैं। उन्हें यह देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। इस सरकार को तथा अन्य सभी दलों के दिग्गज नेताओं को इस पर बारीकी से विचार करना चाहिए।

फिर, इस अभिभाषण में एक और बात का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति जी ने विस्थापितों खासकर कश्मीरी पंडितों की बात नहीं की। वे अपने ही देश में शरणार्थी हैं। इस सम्माननीय सभा का सदस्य होना मजाक नहीं है। आप कब तक ये हथियार देंगे ? आप हथियारों की संख्या 1800 से बढ़ा कर 2500 कर सकते हैं किंतु यह समस्या का समाधान नहीं है। यह सभा भारत तथा जम्मू-कश्मीर की जनता की अंतिम आशा है। आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिसके जरिए कश्मीरी पंडित – चूंकि मुस्लिम और अन्य विस्थापित भी हैं – जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं कश्मीर की घाटी में अपने घरों में सम्मान के साथ वापस लौट आएं। यह सम्मान तभी वापस लौट सकता है जबकि यह सभा उनकी सुरक्षा के निश्चित उपाय करे। किंतु इस अभिभाषण में उस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर असंख्य बच्चे अनाथ हो गए हैं। असंख्य महिलाएं विधवा हो गई हैं। कंगन के निकट एक गांव है जहां सिर्फ तीन पुरुष हैं शेष सभी या तो स्त्रियां हैं या फिर बच्चे हैं। इस सरकार को अनाथों व विधवाओं की संख्या, उनके रहने का स्थान और उनकी समस्याओं को जानने के लिए सर्वेक्षण कराना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य में पुनर्वास परिषद् है। उसकी स्थापना उन बच्चों के लिए की गई है जो आतंकवादियों की कार्रवाइयों में अनाथ हो गए हैं। मैंने इस सभा में अनाथों, विधवाओं तथा उनकी संतानों के बारे में प्रश्न उठाया था। यहां तक कि मारे गए आतंकवादियों के बेटे-बेटियां भी इनमें शामिल हैं। हम जम्मू-कश्मीर के लोगों के बच्चों और आतंकवादियों के बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वे हमारे बच्चे हैं। वे अनाथ हैं। सरकार को इस प्रश्न की बारीकी से जांच करनी चाहिए तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में अनाथों तथा विधवाओं के पुनर्वास, उनके जीवनयापन तथा उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए। इस समस्या को अभी तक नहीं समझा गया है।

अब कुछ विशेष समस्याएं हैं। मैंने मुफ्ती मोहम्मद सईद का भाषण नहीं सुना।

[हिन्दी]

मुफ्ती साहब को मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन जब मैं आ रहा था, तो उन्होंने एक सेंटेंस बताया, हालांकि मैं उनसे कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं था, उन्होंने यह बताया कि फारूख साहब लोगों से रूठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि फारूख साहब लोगों से रूठे हुए नहीं हैं बल्कि इस गवर्नमेंट ने फारूख साहब के लिए कुछ मुश्किलात पैदा की है।

مفتی صاحب کو میں نے پورا نہیں سنا لیکن جب میں آرہا تھا تو انہوں نے ایک سینٹینس بتایا، حالانکہ میں ان سے کوئی لڑائی لڑنے والا نہیں تھا انہوں نے یہ بتایا کہ فاروق صاحب روٹھے ہوئے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق صاحب لوگوں سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس گورنمنٹ نے فاروق صاحب کے لئے کچھ مشکلات پیدا کی ہیں۔

[अनुवाद]

मैं यह मुद्दा तब उठाऊंगा जब बजट पर चर्चा होगी। मुझे आशा थी कि श्री सिन्हा यहां होंगे किंतु कुछ वरिष्ठ लोग यहां हैं और वे माननीय प्रधान मंत्री, माननीय गृह मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में इस बात को लाएंगे।

दो लाख से अधिक शिक्षित युवक हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला है। इस अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है तथा उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं है। पाकिस्तान ने सीमापार आतंकवाद में हमारे बेरोजगार युवकों का इस्तेमाल किया। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दो लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। कश्मीर अत्यन्त ही छोटी सी जगह है तथा यहां दो लाख से अधिक शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। इस बात को देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान किसी भी गलत काम में उनका इस्तेमाल न कर सके।

कश्मीर में पनबिजली की असीम संभावनाएं हैं और यह सरकार काउंटर गारन्टी देने से मना कर देती है इसलिए हम अधिक बिजली पैदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि मुफ्ती साहब यहां होते तो मैंने उनसे कहा होता हां, केन्द्र सरकार ने कठिनाइयां पैदा की हैं जो मोटे तौर पर जम्मू-कश्मीर में वित्तीय कठिनाई के रूप में देखी जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बताया गया है कि पी०टी०वी० भी अपने टेलीवीजन पर वही नाटक कर रहा है। इस सरकार ने ऐसी स्थिति क्यों बनाई ?

वित्तीय स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अनेक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। अनेक विभागों के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है। ऐसा क्यों हो रहा है ?

वहां कुछ परियोजनायें थीं। श्री बालू ने प्रश्न उठाते हुए कहा था कि सभा में कोई केन्द्रीय मंत्री उपस्थित नहीं है। लेकिन मैंने श्री राणा को वहां मौजूद देखा। अत: यह श्री राणा का कर्तव्य था कि

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

वे इस बारे में अपने वरिष्ठ लोगों को अवगत कराते। वहां पर दो महत्वपूर्ण परियोजनायें थीं। एक तो रेल परियोजना है जिसके अंतर्गत वे जम्मू-कश्मीर तक रेल को ले जाना चाहते हैं। श्री देव गौड़ा ने दो-तीन जगहों पर शिलान्यास किया था। तत्पश्चात् श्री गुजराल ने भी वहां जा कर दो-तीन स्थलों पर शिलान्यास किया। वे शिलान्यास पत्थर तो वहां पर मौजूद हैं पर रेल उधमपुर से आगे नहीं बढ़ पायी। यह उधमपुर भी नहीं पहुंची। मैंने ऐसा सुना है। श्री चमन लाल गुप्ता तथा उनके मित्रों को यह जानकर दुख होता होगा कि विगत पंद्रह वर्षों में यह उधमपुर तक भी नहीं पहुंच पायी। इसके लिए वे दोषी नहीं हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : यह सरकार पांच साल में रेलवे पहुंचा देगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह पांच साल की बात नहीं है। आपका इरादा वहां रेल पहुंचाने का नहीं है।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا) : یہ پانچ سال کی بات نہیں ہے۔ آپ کا ارادہ وہاں ریل پہنچانے کا نہیں ہے۔

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल खण्डूरी कृपया उन्हें न उकसायें अन्यथा वह कुछ देर तक और बोलेंगे। और फिर समस्या हो जाएगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : भारत सरकार द्वारा एक परियोजना तैयार की गई थी। मुझे आशा है कि वह इस बात को समझेंगे कि श्री देव गौड़ा और श्री गुजराल भी इस देश के प्रधान मंत्री थे। उन्होंने 2,500 करोड़ रुपये की इस योजना को स्वीकृति दी थी। सरकार चार, पांच या छह वर्षों में इस धन का उपयोग कर सकती है। लेकिन वह वहां रेल नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वैसा करने की उसकी मंशा नहीं है और इसलिए इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करती।

क्या हो रहा है ? मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। प्रारंभिक तौर पर बजट में 200 करोड़ उपलब्ध कराया गया था। दो-तीन महीनों के पश्चात् 125 करोड़ रुपए कम कर दिये गये। मेरे बोलने तक 75 करोड़ रुपये भी व्यय नहीं किये गये थे। भूमि अधिग्रहण पर 40 करोड़ रु० से कम व्यय किया गया।

मैंने एक प्रश्न उठाया था। यदि आप वर्ष में 100 करोड़ रुपये व्यय करते हैं तो कश्मीर तक रेल ले जाने में कितना समय लगेगा ? आप बतायें। कश्मीर के लोगों की इच्छा है कि वहां जल्द से जल्द रेल आये। उन्होंने अपनी भूमि उन्हें देने की पेशकश की थी। वे घाटी में इस रेल का स्वागत करना चाहते हैं तथा रेल वहां के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि लोग सही मायने में एकता चाहते हैं तो श्रीनगर से दिल्ली के लिए प्रतिदिन रेल चलायी जानी चाहिए। इनका कोई लक्ष्य नहीं है और यह सरकार उससे अपना मुंह मोड़ रही है। यह एक खतरनाक प्रवृति है।

उपाध्यक्ष महोदय चूंकि आप घंटी बजाने वाले हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन यह सत्य है कि आपके लिए आवंटित समय समाप्त हो चुका है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसी तरह एक अन्य परियोजना है। श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने डल झील की संरक्षण के लिए 291 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। अब, यह सरकार उससे मुंह मोड़ रही है। वह एक विश्वविख्यात झील है जिसे देखने पर्यटक आते हैं। यदि पर्यटन के द्वारा आय अर्जित की जाती है तो केन्द्रीय सरकार को इसकी अधिकतर राशि प्राप्त होगी और राज्य सरकार को ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होगा। महोदय, यह डल झील सम्बन्धी परियोजना भी खराब हालत में है। मैंने 'शून्य काल' के दौरान भी इसे उठाया था। अत: हमारे समक्ष अनेक समस्यायें हैं।

महोदय, कश्मीर को एक बहुत ही गलत संदेश गया है। मैं माननीय मंत्री से, जो कि श्री काशीराम राणा के साथ-साथ बैठे हैं, आग्रह करता हूं कि वह इस संदेश को भारत के प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री के पास पहुंचायें कि कश्मीर के लोगों में यह गलत संदेश गया है कि यह सरकार जम्मू-कश्मीर राज्य, विशेषकर काश्मीर घाटी, के आर्थिक विकास में रुचि नहीं रखती है क्योंकि काश्मीर के लोग कश्मीर में रेल और डल परियोजना चाहते हैं। यदि आप वहां रेल और डल परियोजना की संरक्षण का कार्य करते हैं तो इसका श्रेय आपको मिलेगा और वहां की जनता, तहेदिल से आपको इसका श्रेय देंगी।

अत:, डा० अब्दुल्ला को आपकी सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता है लेकिन वित्तीय संकट के कारण वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। यदि आप चाहते हैं कि वित्तीय कठिनाई के कारण राज्य सरकार कार्य-निष्पादन न करें और यदि यही आपका राष्ट्रीय हित है तो आप यह प्रवृत्ति जारी रख सकते हैं। लेकिन कल यदि वित्त मंत्री खड़े होकर काश्मीर को नया संदेश देते हैं तथा डा० अब्दुल्ला और उनकी सरकार की वित्तीय संकट दूर करने में सहायता देने के लिए वचन देते हैं तो इसका समाधान हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महीने की 22 तारीख को राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में अपना अभिभाषण पढ़ा। किसी भी राष्ट्रपति या गवर्नर का अभिभाषण उसकी सरकार के कार्यकलापों और नीतियों का एक पत्र होता है। राष्ट्रपति जी ने मौजूदा सरकार की नीतियों और पिछले कार्यों का पढ़ा, उसमें कृषि और गांवों के विकास का बहुत उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में यह माना जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। इस देश में 80 परसेंट लोग खेती करते हैं या खेतीहर मजदूर हैं। किसान की, खेती की बातें तो सभी करते हैं लेकिन उसकी तरक्की के लिए, उसके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया जाता। मौजूदा सरकार ने किसानों के बारे में कोई नीति अभी तक लागू नहीं की है। यहां इस बात पर बहुत चर्चा चली कि नई कृषि

नीति बनाई जायेगी, लागू की जायेगी। उस नीति का विवरण क्या है ? वह नीति क्या होगी, कैसे लागू होगी और उसमें क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी, इस विषय में केवल खोखला नारा देकर इस देश के किसान को, गरीब लोगों को गुमराह किया जाता है। किसान को केवल चार चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली आवश्यकता पानी की है। दूसरी बिजली की है। तीसरी खाद और बीच व चौथी आवश्यकता अपनी उपज का पूरा मूल्य मिले, की है। इन चारों चीजों पर इस सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले दिनों आलू, प्याज की बड़ी चर्चा चली। जब किसान अपनी फसल मंडी में लेकर जाता है तो कोड़ियों के भाव उसकी फसल जाती है। फिर वह व्यापारी के पास जाती है, उसकी होर्डिंग हो जाती है जिससे उपभोक्ताओं को महंगा खरीदना पड़ता है और किसानों को सस्ता बेचना पड़ता है। इस सरकार के पास मूल्य निर्धारण करने के लिए कोई नीति नहीं है और न ही उसका कहीं उल्लेख किया गया है। जब किसान के भाव का सवाल आता है, जब किसान संघर्ष करता है कि उसे पूरा भाव दिया जाए तो दूसरा सवाल पैदा कर दिया जाता है कि यदि किसान को अच्छा भाव मिल गया तो उपभोक्ता भुगतेगा, गरीब लोगों पर मार पड़ेगी। लेकिन जब इंडस्ट्रीज का भाव तय किया जाता है तब कोई भी उपभोक्ता का ख्याल नहीं करता। आखिर कारखानों में जो माल पैदा होता है, उसे भी गरीब लोग खरीदते हैं, लेकिन वहां मूल्य निर्धारण के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब किसान की फसल के भाव देने की बात आती है तब सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि अनाज कैसे मिलेगा, हम कैसे खाएंगे। किसान के साथ यह बहुत ज्यादती होती है।

हमारे वित्त मंत्री जी का आज भी बयान छपा है। उन्होंने चैलेंज करके बयान दिया है कि हम खाद और डीजल के रेट्स कम नहीं करेंगे। यह बड़े खेद का विषय है। एक तरफ वह कहते हैं कि हम किसानों की तरक्की करेंगे, ग्रामीण विकास करेंगे लेकिन दूसरी तरफ किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। सबसिडी आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि सबसिडी खत्म कर दी जाए, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो रही है। फिसकल डैफीसिट के नाम पर सारा बोझ किसानों पर डाला जा रहा है। जहां तक किसानों को दी जाने वाली सबसिडी की बात है, फर्टीलाईजर की सबसिडी की बात है, किसान को कोई सबसिडी नहीं दी जाती, नाम किसान का होता है लेकिन सबसिडी कारखानों को दी जाती है। किसान को डायरैक्ट कोई सबसिडी नहीं मिल रही। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस देश में जितनी फर्टीलाईजर फैक्ट्रियां हैं, उमसें कुछ सरकारी कौआपरेटिव सैक्टर में भी हैं जैसे इफको, कृभको, एन०एफ०एल०। आप पिछले दस सालों के कोई भी आंकड़े निकालकर देख लें, एफ० आई०सी०सी० खाद के रेट तय करती है। उसके लिए क्या क्राईटेरिया होता है ? अलग-अलग फैक्ट्रियों के लिए अलग-अलग रेट हैं। प्राइवेट सैक्टर की फर्टीलाईजर फैक्ट्रियों का रेट 8400 रुपये प्रति टन, किसी का 7800 रुपये प्रति टन, इफको, कृभकों का 4500 रुपये प्रति टन यानी रेट्स में इतना डिफरैंस है। इससे यह बात साफ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ घोटाला है। सरकार करोड़ों रुपये देती है लेकिन वे किसान को नहीं मिलते, कारखानों को सबसिडी दी जा रही है। एफ०आई०सी०सी० जो रिटैंशन प्राइस तय करती है, उसमें बड़ी भारी चोरी है। जो क्राईटेरिया फिक्स किया जाता है, हर कारखाने की रिटैंशन प्राइस की जो इवैलुएशन होती है, वह 90 प्रतिशत प्रोडक्शन के आधार पर और साढ़े बारह प्रतिशत मुनाफा लगाकर तय की जाती है। आप प्रोडक्शन का रिकार्ड निकालकर देखें, हर कारखाने में 130 प्रतिशत कर प्रोडक्शन होता है। जो ऐक्सैस प्रोडक्शन होता है, कारखानेदार केन्द्र सरकार से उसका मुनाफा भी सबसिडी की शक्ल में वसूल करती है लेकिन नाम किसान का लिया जाता है। अभी 17 रुपये प्रति बैग फर्टीलाईजर का रेट बढ़ा दिया गया। उस हिसाब से किसान के ऊपर कितना भारी बोझ पड़ा है। एक तरफ किसान को खुशहाल करने की बात की जाती है लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी कमर टूट गई है। पिछले दिनों सारे भारतवर्ष के अलग-अलग प्रान्तों में बड़ा भारी फ्लड आया। कहीं लोग सूखे से मरते हैं, कहीं फ्लड की वजह से लोग मरते हैं, लेकिन इस सरकार ने फ्लड का जो नुकसान हुआ है, उसमें भी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, किसी तरह की सहायता नहीं दी। खास तौर से हमारे हरियाणा स्टेट को नहीं मिली, आंसू पोंछने वाली बात भी नहीं हुई। ये सारी किसान विरोध नीतियां चल रही हैं। मैं तो इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं, इससे प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसान इस देश का सबसे बड़ा भागीदार है, इस देश का मालिक है, उसके विरोध में यदि नीतियां बनती रहीं तो यह देश बर्बाद हो जायेगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि आज देश में गेहूं के उत्पादन में हमारा देश तीसरे नम्बर पर है। आज तो हम तीसरे नम्बर पर हैं, लेकिन अगर इस सरकार की ऐसी ही नीतियां किसान विरोधी चलती रहीं तो अगले वर्ष आप रिकार्ड देख लेना, हमारा यह नम्बर 9-10 पर चला जायेगा, क्योंकि जब तक किसान को सहायता नहीं मिलेगी, वह बर्बाद हो जायेगा। उसकी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं *(व्यवधान)* अभी तो एक किसान की बात ही हुई है। मुझे बोलने का मौका दीजिए।

पिछले दिनों आपने सुना होगा, सारे देश में यह मामला बड़ा चर्चित हुआ था। तेल में मिलावट का मामला आया, उससे बहुत से लोगों की जान चली गई। सरकार ने रेड की और जितने ऑयल मिल्स थे, वे बन्द हो गये। ऑयल मिल्स बन्द होने से किसान की सरसों की फसल रुक गई और किसान की सरसों के भाव की पिटाई हुई। उससे किसान बर्बाद हुआ। गलती होर्डर्स की थी, लेकिन उसका भुगतान किसानों ने किया। उससे किसानों की कमर टूट गई, इसलिए सारी जो नीतियां बन रही हैं, ये किसान विरोधी बन रही हैं।

जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़े, लम्बे-चौड़े दावे किये गये, लेकिन जब से मल्टीनेशनल कम्पनीज आई हैं, उस वक्त से हमारे देश की सारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल फेल हो गई हैं। अब आप किसी भी प्रान्त में पूछ लें, इंडस्ट्री में इतना घाटा आया हुआ है, इतना प्रोडक्शन कम हो गया है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। छोटे उद्योग-धन्धों की बात हुई, आप लुधियाना में चले जायें, पानीपत में चले जायें, जहां पर 20-20 हजार हैण्डलूम की छोटी-छोटी फैक्टरीज हैं, जहां गरीब लोग काम करते हैं, वहां सारा व्यापार चौपट हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन देने की बात नहीं की गई। हमारे देश में विदेशों से पूंजी आती थी, उसमें भी कमी आई है। जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, चाहे लुहार हो, चाहे खाती हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे

[श्री किशन सिंह सांगवान]

धोबी हो, चाहे सुनार हो, सब का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। पूंजीपति लोगों ने, मल्टीनेशनल कम्पनीज ने गरीब लोगों को बेरोजगार करके उनको घर बिठा दिया है। नौकरियां हैं नहीं, जमीन है नहीं।

दूसरी बात, आज भी शून्य काल में हमें पूरे तरीके से अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। आज के अखबारों में छपा है, हमारे पंजाब के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने विधान सभा में बयान दिया है कि हरियाणा को एस०वाई०एल० नहर हम बनाने नहीं देंगे। हरियाणा को उसका पानी नहीं देंगे। हमारे पास कोई फालतू पानी नहीं है, यह बहुत बर्निंग इश्यू है। हम इस बात की वाजपेयी जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने कावेरी जैसा मामला, चार स्टेटों का डिस्प्यूट सुलझाकर इस देश के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा तो 2-3 स्टेट्स का मामला है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का मामला है। यह मामला पिछले 32 साल से लगातर पैंडिंग है। कावेरी वाले मामले में तो दूसरी बात थी कि वह पानी अपने स्टेट्स में जाता था, चाहे कोई स्टेट ज्यादा लेता हो, लेकिन हमारे साथ तो ज्यादती यह है कि हमारा पानी, इस देश का पानी, हरियाणा का पानी पाकिस्तान में जा रहा है और यहां कोई सुनवाई नहीं करता। उसके लिए सरकार ने कोई पहले नहीं। पूरा एक वर्ष हो रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार ने इन तीन-चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कोई मीटिंग नहीं बुलाकर इस समस्या का समाधान नहीं किया। जो बयान बादल साहब मे दिया है हम उसकी घोर निन्दा करते हैं। हम उनके छोटे भाई हैं, उनको बड़े भाई की तरह सलूक करना चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए।

जहां तक ला एंड आर्डर की बात है, सारे देश की ला एंड आर्डर की स्थिति के बारे में यहां कई माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से बताया है। आप देखें उड़ीसा में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। हरियाणा में भी पिछले दो-ढाई साल से ला एंड आर्डर की स्थिति बुरी हो गई है। वहां शराब माफिया का एक गैंग खड़ा हो गया था। दिल्ली में जो वारदातें हो रही हैं, उनमें से 50 प्रतिशत वारदातें हरियाणा का यह गैंग यहां आकर करता है। हरियाणा में सरेआम गुंडागर्दी, बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : सांगवान जी, आपको मालूम होना चाहिए कि ला एंड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है।

श्री किशन सिंह सांगवान : मैं जानता हूं। अगर यह राज्य का विषय है तो यहां बिहार का मामला क्यों उठा था। वहां धारा 356 लागू की गई, लेकन हमारे यहां की बात कोई नहीं करता, क्योंकि यहां बी०जे०पी० उस सरकार के साथ है। जहां तक व्यापार की बात है, दिल्ली देश की राजधानी है। इसके आसपास उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का सारा व्यापार चौपट हो गया है। वह इसलिए हो गया है कि देश की राजधानी होने के कारण यहां सेंटर की तरफ से ग्रांट ज्यादा मिलती है और टैक्सों के रेट बहुत कम हैं। इसलिए आसपास के राज्यों का अनाज यहां की मंडियों में आता है। हमारे हरियाणा की सारी मंडियां बेकार हो गई हैं, व्यापारी घर बैठे हैं, क्योंकि यहां टैक्स के रेट में फर्क है इसलिए हमारे यहां का व्यापारी बर्बाद हो रहा है। इस सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे गरीबों का, देश का भला हो सके। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, यह आम परम्परा है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में चर्चा होती है तब माननीय प्रधान मंत्री हमेशा यहां उपस्थित होते हैं। यह सदन की परम्परा है। यदि प्रधान मंत्री उपस्थित नहीं होते तो कम से कम एक या दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते हैं *(व्यवधान)* मैं किसी रैंक या अन्य चीज की बात नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री और वस्त्र मंत्री यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : पहली बार हम ऐसी चीज देख रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, मुझे इसका उत्तर देना चाहिए। जैसा कि कल हुआ माननीय प्रधान मंत्री यहां काफी समय तक मौजूद थे। अब केन्द्रीय मंत्री यहां मौजूद हैं। लेकिन यदि आप अपनी ओर देखें तो आपके नेता तथा उप-नेता कोई यहां मौजूद नहीं हैं। क्यों ? क्या उन्हें इसमें भाग नहीं लेना चाहिए ? *(व्यवधान)* आपको व्यावहारिक होना चाहिए। यह क्या हो रहा है ? *(व्यवधान)* बड़े और छोटे का यहां कोई भेद नहीं है *(व्यवधान)*

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा अथवा नहीं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परांजपे आपको देर तक बैठना होगा। आप बैठ जायें। जब आपकी बारी आएगी मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया मुझे सहयोग करें। मैं उपलब्ध समय के अनुसार कार्य कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री दादा बाबूराव परांजपे : लेकिन आप सूची के क्रम से नहीं चल रहे हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरी अपनी प्राथमिकता है। और तदनुसार मैं चल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति और वक्तव्य होता है।

[हिन्दी]

हम लोग जानते हैं कि सरकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा आगामी एक साल में क्या करना चाहती है, उसके सम्बन्ध में नीति और कार्यक्रमों की घोषणा करती है। राष्ट्रपति जी के मुंह से संयुक्त अधिवेशन में वह अपनी बात कहलाती है। हम लोगों ने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखा है। मैं उसके अंत से अपने भाषण की शुरूआत करना चाहता हूं। उसमें धारा 356 के प्रयोग का इन्होंने वर्णन किया

है लेकिन यह छूट गया कि धारा 356 इन्होंने पिछले साल ही लागू करने की कोशिश की थी लेकिन राष्ट्रपति जी ने उसे नारायज समझकर अमान्य कर दिया। इस पर भी ये लोग नहीं मानने वाले हैं, गलत काम बार-बार करते रहते हैं लेकिन फिर इन्होंने दोबारा लागू करने की कोशिश की और हमने देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ, इन्हें राष्ट्रपति शासन वहां से हटाना पड़ा और इन्हें राज्य सभा में जाने की हिम्मत नहीं हुई। यहां से तो संख्या बल के प्रयोग से इन्होंने पास करा लिया था।

बिहार में जो अवैध राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, संसदीय प्रणाली में और समूचे इतिहास में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलता जैसा अनर्गल और नाजायज काम इनकी सरकार ने किया। हमने संशोधन किया है कि इस क्लॉज को इसमें से हटा देना चाहिए और जो इन्होंने गलत काम किया था, उसके लिए देश से इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह का काम हम दोबारा नहीं करेंगे। शैडयूल्ड कास्ट्स और कुछ लोगों की जो हत्याएं हुई थी, उसका आधार बनाकर इन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया था लेकिन देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की हत्याएं न हों, इसके लिए विधि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम लोग अपेक्षा करते थे कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस संबंध में कुछ न कुछ सहयोग करेगी, अपनी तरफ से नीति बनाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। हमारे प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय से जो जवाब आया, बिहार की राज्य सरकार ने पैरा मिलिट्री फोर्सेज की तीस कंपनियों की मांग की थी लेकिन चार कंपनियां दी गईं। हाल ही में वहां से फैक्स आया है और राज्य सरकार ने मांग की कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो उग्रवादी और एक्सट्रीमिस्ट आधुनिक हथियारों से लैस हैं, ऐसे लोगों को दबाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेज रेपिड एक्शन फोर्स होनी चाहिए लेकिन ये लोग बराबर ख्याल में रहते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार को निरुत्साहित किया जाए जिससे इन्हें राष्ट्रपति शासन लागू करने का मौका मिल जाए, ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं। एक उदाहरण विधि व्यवस्था का मुझे मालूम है। यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की कठिनाइयों को नहीं देखेगी तो और कौन देखेगा क्योंकि राज्य सरकारों के पास लिमिटेड साधन होते हैं। इतना ही नहीं, केवल पैरा मिलिट्री फोर्सेज के मामले में ही भेदभाव और उपेक्षा पूर्ण व्यवहार केन्द्र सरकार नहीं करती, अनेक मामले, जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं कि 73वें और 74वें संविधान में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में संशोधन हुआ और कहा गया कि पंचायत में एक तिहाई स्थान महिलाओं को मिलेंगे। अनेक स्थानों में पिछड़े-वर्ग और एस०सी० के आरक्षण के लिए कहा गया कि राज्य सरकार तय करेगी। 73वें और 74वें संशोधन के मुताबिक अपना एक्ट बनाने में जो राज्य सरकार उचित समझे, वह आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है। बिहार की राज्य सरकार ने 73वें संशोधन के मुताबिक पिछड़ा-वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और प्रावधान करने के पश्चात् इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाया गया और हाईकोर्ट में आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी भी लम्बित है। अब दसवें वित्त आयोग ने कहा है कि बिहार को सवा दो सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पंचायती राज के लिए दिया जाएगा जो देश के अन्य राज्यों को मिल रहा है। वहां कहा जा रहा है कि आपने चुनाव नहीं कराए। इसमें हम पैसा नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि वहां की राज्य सरकार से इनको दुश्मनी है, वहां की राज्य सरकार इनको पसंद नहीं है इसीलिए इन्होंने उसे बर्खास्त भी किया। वहां की दस करोड़ जनता, पंचायत और बिहार से इनको दुश्मनी है, ऐसा लगता है। जनता का सबसे बड़ा कोर्ट यहां पर है। मैं कहना चाहता हूं कि 30 करोड़ रुपए चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने खर्च किया। बैलट बक्से बन गये, लेकिन कोर्ट में मामला जाने के कारण चुनाव नहीं हो सका तो इसमें राज्य सरकार का क्या कसूर है, बिहार की जनता का, पंचायतों का क्या कसूर है ? दसवें फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि दस करोड़ आबादी वाली पंचायत के लिए सवा दो सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने चाहिए। इन्होंने 1996-97, 1997-98 और 1998-99 से पैसा रोक कर रखा हुआ है, दे नहीं रहे हैं। इसका जवाब इनके पास है तो बताएं कि जब राज्य सरकार खर्चा कर रही है और चुनाव कराना चाहती थी, कोर्ट के लिटिगेशन के चलते जो सुप्रीम कोर्ट में कानून लम्बित है, वह कानून ही खत्म हो गया। कानून जो एक्ट बना, उसके प्रावधान को क्वेश कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। इसमें राज्य सरकार का, बिहार की जनता का क्या कसूर है, जो दसवें वित्त आयोग से रुपए मिलने चाहिए, उसे यह रोके हुए है। इनके मंत्रिमंडल में कोई माईबाप है तो वह बताए कि बिहार का क्या कसूर है और बिहार की जनता का क्या कसूर है ? वहां कोयला और खान का उत्पादन होता है, वहां खान-खनिज है। इससे संबंधित जो सरकार की कमेटी है उसने 1997 में अनुशंसा की थी, लेकिन 1998 भी बीत गया और अब 1999 के तीसरे महीने में बातचीत कर रहे हैं। कमेटी ने अनुशंसा की कि जो कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है उस राज्य का पिछड़ापन एड वैलोरम नहीं होने के कारण है। वहां खान-खनिज एवं कोयले की जो रायल्टी मिलती है वह वजन के आधार पर मिलती है, मूल्य के आधार पर नहीं मिलती। कमेटी ने अनुशंसा की है कि वह मिलनी चाहिए, एड वैलोरम मूल्य के आधार पर मिलनी चाहिए, क्योंकि वजन के आधार पर मिलने से कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों का बड़ा भारी नुकसान होता है। *(व्यवधान)* उस रिपोर्ट को, जो सरकारी कमेटी ने अनुशंसा की और जो न्यायसंगत है उसे एड वैलोरम क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, यह भी इनको बताना चाहिए। अन्य राज्यों का हिसाब जोड़ कर देखा जाएगा लेकिन बिहार की 1800 करोड़ सालाना की बर्बादी हो रही है। ये कह रहे हैं कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है, मैं साबित करना चाहता हूं कि केन्द्र के सौतेले व्यवहार के चलते देश में क्षेत्रीय विषमता फैल रही है और बिहार, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है उसका आर्थिक संकट और बढ़ रहा है, क्योंकि उसको केन्द्र से न्याय नहीं मिला है। जो बजट बनता है, फार्मूले के आधार पर उसमें 15 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान है। बिहार के लिए उस फार्मूले के आधार पर बजट की तैयारी होनी चाहिए और जो केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए, वह केन्द्र सरकार नहीं दे रही है और बिहार के साथ अन्याय कर रही है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में ड्राफ्ट डाक्यूमेंट में कहा गया कि गांवों का विद्युतीकरण कराया जाएगा। देश भर में 85 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 15 प्रतिशत का अभी बाकी है। लेकिन बिहार में तो केवल 50 प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आर०ई०सी० जो केन्द्र सरकार का संस्थान है उसने

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

1996-97 में 40 करोड़ रुपये की ग्रामीण विद्युतीकरण कराने के लिए स्वीकृति दी। उसमें कहा गया कि राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए। राज्य सरकार ने 31 मार्च 1998 को गारंटी भी दे दी, फिर भी रुपया क्यों रोका हुआ है। कोई भी मंत्री मंडल का माननीय सदस्य है जो उसका जवाब दे सके। जो रुपया आर०ई०सी० का मंजूर था वह अभी तक क्यों नहीं मिला है। बिहार पहले ही पिछड़ा है इससे क्षेत्रीय विषमता और बढ़ेगी। *(व्यवधान)* इससे तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है और केन्द्र और राज्य के संबंधों के लिए भी खतरा है। *(व्यवधान)* सरकारिया आयोग ने केन्द्र और राज्यों के संबंध मजबूत करने के लिए कहा लेकिन इन्होंने उसको भी ताक पर रख दिया। उसकी भी इन्होंने राज्यपाल की बहाली में धज्जियां उड़ा दीं। इन्होंने कहा था कि राज्यपालों की नियुक्ति में राजनीतिक व्यक्ति बहाल नहीं होगा, लेकिन बिहार में ऐसे राज्यपाल को बहाल कर दिया गया। माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि हम गैर-राजनीतिक व्यक्ति को भेजेंगे। फिर क्षमा वगैरह *(व्यवधान)* समय कम है, इसलिए मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा।

बिजली के लिए बाढ़ और नाथ करणपुरा में ये 2 हजार मैगावाट का शिलान्यास किए हैं। कारो में 732 मैगावाट पन-बिजली का मंजूर है। टैक्नो-इक्नोमिक कमेटी, फिजीबिलिटी कमेटी और कैबिनेट ने इसे मंजूर किया हुआ है लेकिन अभी तक उसको चालू करने का, शुरू करने का पैसा यह सरकार रोके हुए है। केन्द्र सरकार ने तीन शर्तें निर्धारित की थीं जो राज्य सरकार ने पूरी कर दी। लेकिन 732 मैगावाट पन-बिजली, जो सस्ती होती है, कोल-कारो की परियोजना को चालू नहीं किया है। लेकिन वहां पर और शिलान्यास किए जा रहे हैं कि हम बिहार की बड़ी भारी मदद कर रहे हैं। सिंदरी यूनिट की ई०आई०ए० और आई०सी०आई०सी०आई० ने बिहार में अनुशंसा की कि यह एशिया का सबसे अच्छा कारखाना है। इसका पुनरोद्धार किया जाए। *(व्यवधान)* सब हिसाब लगाकर जोड़ते हैं तो जल निकासी की योजना केन्द्र सरकार में लम्बित है। उसमें भी केन्द्र सरकार कहती है कि हम एक पैसा मदद नहीं करेंगे। केन्द्र सरकार पर राज्य सरकार का साढ़े 22 हजार करोड़ रुपया बकाया है। केन्द्र सरकार यह रुपया नहीं दे रही है। जबकि केन्द्र सरकार कहती है कि हम अच्छा काम और गरीबों के लिए काम करते हैं। *(व्यवधान)* टार्गेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 10 किलो प्रति परिवार, प्रति माह, आधे दाम पर अनाज देना था। लेकिन इन लोगों ने दाम बढ़ा दिये। फिर यह इससे पीछे हट गए। अनाज 10 किलो से 15 किलो करना था, नहीं किया जबकि अनाज का बहुत भंडार है। इन्होंने अनेक आवश्यक चीजों के दाम बढ़ा दिए। अभी टेलीफोन का किराया बढ़ाया। इससे पहले यूरिया के दाम बढ़ाए थे। इन्होंने किसानों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। दूध के मामले में कहा गया कि दुनिया में भारत का स्थान ऊपर हो जाएगा। दूध का उत्पादन पर-कैपिटा कम से कम 220 ग्राम होना चाहिए लेकिन वह 197 ग्राम पर-कैपिटा पर पहुंचा। यह अमेरिका में 900 ग्राम पर-कैपिटा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी खत्म करें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार का संकल्प था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख कोआपरेटिव डेयरीज बनाई जाएंगी। उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया। यह इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए।

सुषमा जी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि पोखरण टैस्ट होने से देश के लोग खुशी में कूदने लगे और हम सीना तान कर खड़े हुए। मैं सुषमा जी से पूछना चाहता हूं कि पोखरण में टैस्ट होने के बाद इनकी पार्टी राजस्थान में क्यों चुनाव हार गई ? वहां जनता ने उन्हें पछाड़ दिया। इन्होंने कहा कि पोखरण टैस्ट के बाद देश को बहुत भारी फायदा होगा। *(व्यवधान)* आपने पाकिस्तान की तरफ से आया बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम कोई बात आगे नहीं करेंगे। *(व्यवधान)* यहां प्रधान मंत्री की बस से लाहौर जाने की यात्रा का बहुत जिक्र हुआ। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करिए। आप तो चेयर पर बैठते हैं। आपको सब रूल्स मालूम हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : पोखरण टैस्ट के बाद इन्होंने अपने हाथ से पीठ थपथपाई। उन्होंने ऐसा करके पड़ोसी देशों से सम्बन्ध बिगाड़ लिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण खोखला है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इससे गरीबी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, गैर-बराबरी बढ़ेगी और विषमता बढ़ेगी। आज अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। पहले इस साम्प्रदायिक सरकार को 13 दिन में जाना पड़ा था। 11 महीने बीत गए हैं। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह 13 महीने में इस साम्प्रदायिक सरकार को चकनाचूर कर दे। इस सरकार को गिरना चाहिए, धराशाही होना चाहिए, नहीं तो देश को बड़ा भारी खतरा पहुंचेगा। इससे समस्याएं बढ़ेंगी। आज किसान, मजदूर और नौजवान निरुत्साहित हो रहे हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सब पार्टियों का समय समाप्त हो गया है। छोटी-छोटी पार्टी के मैम्बर्स बचे हैं। मैं उन्हें पांच-पांच मिनट दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभी दलों का समय समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : सभी दलों को पर्याप्त समय दिया गया है लेकिन जब छोटे दलों की बात आती है तो आप उनपर समय की पाबंदी लगा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, आपको भी समयानुसार बोलने का अवसर मिलेगा। आपके साथ भेदभाव नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे : आदरणीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में कल जो प्रस्ताव आया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। यहां आम तौर पर एक दूसरे को काटने के सिवाय कोई स्थायी चीज सामने नहीं आई।

सायं 7.00 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, मैं बेसिकली मिलिट्री का आदमी हूं। राजनीति में बाद में आया और यहां चार बार चुनकर आ चुका हूं। मेरा विचार दूसरे ढंग का है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस भारत का नागरिक हूं जो विश्व में सबसे प्रमुख गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। आज भारत को आजाद हुये 50 साल से ज्यादा हो गये। मैं गुलाम भारत में भी रहा हूं। आजादी के पचास वर्ष देख चुका हूं जिसमें कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अमर सेनानी नेताजी श्री सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में सैनिक था और इस बात का गर्व है कि बर्मा के युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और दोनों टांगों में गोली लगी। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैंने आज तक सरकार से किसी प्रकार की पेंशन या जमीन इसलिये नहीं ली क्योंकि आजाद हिन्द फौज में रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना था। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने अपना खून तो दे ही दिया परन्तु अंग्रेज कम्पनी के खिलाफ आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ था। अगर कई गर्व की बातें हैं तो कई दुख की बातें भी हैं। 55 साल पहले के इतिहास के समय जब मेरे साथियों ने बर्मा युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिये और जब उनकी आत्माओं से बात होती है तो लगता है कि भारत में जो अपेक्षित था, वह नहीं हुआ है। यहां प्रगति जरूर हुई है लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से हुई है। मैं अंग्रेजों के साथ भी काफी रहा, उन्हें नजदीक से देखा। फिर मन में आता है कि अपना बेटा काला-कलूटा क्यों न हो, अपने बीच में रहता है। इसलिये अंग्रेजों की अधिक तारीफ नहीं करना चाहता।

सभापति जी, समय कम है फिर भी अपनी बात चंद मिनटों मे कहना चाहता हूं। 11 महीने की सरकार ने जो कुछ किया, वह सामने आया है। मैं कावेरी जल विवाद की बात नहीं करता क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं अणुबम विस्फोट की बात जरूर करूंगा। अणुबम विस्फोट से दो बातें हुई हैं। एक तो यह हुआ कि पाश्चात्य देश, जिन्होंने विज्ञान को डेवलेप किया, उन्हें इस बात पर गर्व था कि दुनिया में होने वाली कोई भी बात उन तक एक मिनट में पहुंचेगी लेकिन इतना बड़ा अणुबम विस्फोट हुआ और उन्हें पता तक नहीं चला। इससे सिद्ध हुआ कि भारत अपने आप में एक अद्वितीय राष्ट्र है। दूसरा, दुनिया के कई अमीर राष्ट्र हमें भिखमंगा कहकर पुकारते थे परन्तु अब उन्हें समझ में आ गया है कि हम छः राष्ट्रों की तुलना में आ गये हैं और आज दुनिया हमारा लोहा मानती है।

सभापति महोदय, जब मैं दिल्ली से अपने क्षेत्र जाता हूं, आमतौर पर लोग पूछते हैं कि दिल्ली दरबार का क्या हाल-चाल है। सब हाल-चाल टी०वी० रेडियो और समाचार-पत्रों से मिल जाता है परन्तु आम धारणा है कि अंदर की बात कुछ और है। मुझे सतयुग का एक प्रातः स्मरणीय कहना पड़ता है :

अहिल्या, द्रोपदी, सीता, तारा और मंदोदरी,
पंच कन्याम् स्मरणेतम् महापातक नाशम्।

अर्थात् अहिल्या, द्रोपदी, सीता, तारा और मंदोदरी - इन पांच कन्याओं के नाम इतने पावन और पवित्र हैं कि सारे पाप हरण हो जाते हैं। आज दिल्ली दरबार में भी पांच कन्यायें हैं। इनके नाम ममता, मायावती, जयललिता, राबड़ी और सोनिया गांधी हैं। इन सबको मैं नमन करता हूं और हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इनका नाम स्मरण करके सरकार चला रहे हैं, यह अच्छी बात है। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि अब हम एक पार्टी का शासन नहीं ला पाएंगे। अनेक पार्टियों का शासन चलेगा और इसलिए इसी प्रकार के तालमेल से काम करना पड़ेगा।

सभापति जी, मैं आजाद हिन्द फौज का आदमी हूं और उनकी पीड़ा आपको बतलाना चाहता हूं। 36,000 ऐप्लीकेशन लगीं पेंशन के लिए, 24,000 को पेंशन मिली और 8000 बाकी हैं जो मारे-मारे फिर रहे हैं। 75 वर्ष के ऊपर आयु हो गई। मैं भी 77 साल का जवान हूं। मैं उनकी हालत देखता हूं। उसी प्रकार मुम्बई और कराची में नायक हड़ताल 1946 में हुई थी। विप्लव हुआ था और हजारों की तादाद में नायक डिसमिस कर दिये गए, निकाल दिये गए आज उनमें से अनेकों मारे-मारे फिर रहे हैं। काफी तो स्वर्ग सिधार गए हैं। परन्तु मैं चाहूंगा कि आज इस माध्यम से आपसे निवेदन करूं कि केन्द्रीय शासन एक विशेष समिति बनाए और उस समिति को यह सारा काम सौंपे ताकि उन आई०एन०ए० के लोगों को कुछ राहत मिल सके जिन्होंने आजादी दिलवाई। मैं देखता हूं कि हजारों की तादाद में लोग मारे गए। मेरी अपनी रेजिमेण्ट 1001 की थी। उसमें डेढ़ लोग जिन्दा वापस आए। मैं तो आधा जिन्दा था और आधा मरा, एक और आदमी था जो वापस आए थे। देश की आजादी के रथ के दो पहिये थे। एक पहिया था महात्मा गांधी प्रणेत अहिंसा का मार्ग। उस पर जो चला उनको हमने सब कुछ दिया – पेन्शन दी, जमीनें दीं – बहुत अच्छा हुआ, परन्तु आजाद हिन्द फौज के लोगों के साथ न्याय होना ही चाहिए, यह आग्रहपूर्वक मैं कहूंगा। इसके साथ मैं माननीय अटल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लगभग 12 महीने पूरे किये हैं। आम धारणा देश में यह है आजाद हिन्द फौज के लोगों की कि अटल जी पांच वर्ष तक चलेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण इतना निराशाजनक है कि इसके बारे में न तो विपक्ष और न ही सत्तापक्ष की ओर से किसी टिप्पणी की आवश्यकता है। मैं इस बात से अवगत हूं कि गठबंधन सरकार में शमिल सभी सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं। भा०ज०पा० नेतृत्व वाली ग्यारह महीने की इस पुरानी सरकार ने आम आदमी की समस्याओं के समाधान में केवल अपनी अक्षमता तथा अयोग्यता का ही परिचय दिया है सरकार को विरोधी दलों पर आरोप लगाने अथवा आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रतिपक्ष को यह अधिकार है कि वह सरकार की विफलताओं के लिए उसका विरोध करे, उसकी विफलताओं को उजागर करे और उसे अपदस्त करे।

सरकार को यह याद रखना चाहिए कि उसे अपने सहयोगियों से ज्यादा समर्थन विपक्ष से मिल रहा है। यदि आपके सहयोगी आपसे

[श्री ई० अहमद]

जुड़ के रहते अथवा आपका सहयोग करते होते तो आपकी यह दयनीय स्थिति नहीं होती। जब भा०ज०पा० विपक्ष में थी तो वह विशेषकर वर्तमान विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह हमेशा नारा लगाते थे — "शुचिता और जवाबदेही।" जहां तक इस सरकार का सवाल है शुचिता और जवाबदेही कहां है ? आपने राष्ट्रपति से उनके अभिभाषण में कहलवाया जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "संसद, जो देश की सर्वोच्च निर्वाचित निकाय है और जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पथप्रदर्शक है उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह इस राष्ट्रीय शक्तियों को उक्त प्रयासों की ओर मार्गनिर्देशित करे।"

यह संसद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पथप्रदर्शक है। इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्या इस सरकार ने संसद का सम्मान रखा है ? क्या हो रहा है ? सब कुछ मीडिया द्वारा ही पता चलता है। नौसेना अध्यक्ष की बर्खास्तगी का पता भी समाचारपत्रों एवं मीडिया के अन्य माध्यमों से ही चलता है। रक्षा मंत्री को इतनी शिष्टता भी नहीं है कि वह उक्त बात की जानकारी सदन को दें। क्या यही उनका देश की संसद के प्रति सम्मान है ? क्या संसद तथा देश के प्रति उनकी यही जिम्मेदारी बनती है ? जब तक प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इस मामले को नहीं उठाया, रक्षा मंत्री ने इस सर्वोच्च निर्वाचित निकाय के समक्ष एक शब्द भी नहीं बोला। क्या इसी तरह वे देश के लोगों के प्रति अपनी शुचिता तथा जवाबदेही प्रदर्शित कर रहे हैं ?

उनका निर्णय लेने का ढंग सर्वविदित है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात्, बड़े-बड़े नेता, प्रशासक, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और श्री नीतिश कुमार इस निर्णय के पक्ष मे एकजुट हो गए। उनका एक निर्णय था : "राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति हैं; हमें उनके स्थान पर एक अराजनीतिक राज्यपाल चाहिए।" यदि अराजनीतिक राज्यपाल चाहिए होता तो आप किसी और को नियुक्त करते। लेकिन उन्होंने क्या किया ? सरकारी प्रवक्ता तथा गृह मंत्री ने प्रेस के सामने घोषणा की कि वे राज्यपाल बदलने जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया ? संभवत: गृह मंत्री की उन लोगों को एक संकेत देने की मन्शा रही हो जिनका अपना "छुपा एजेण्डा" है। राज्यपाल, जो अपना बोरिया-बिस्तर लेकर यहां चले आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया है। क्या स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण रहा है जब किसी राज्यपाल के साथ ऐसा बर्ताव हुआ हो, जहां किसी राज्य के साथ ऐसा रवैया अपनाया गया हो ? उनकी शुचिता तथा जवाबदेही का क्या हुआ ? क्या देश के लोकतंत्र के प्रति उनका व्यवहार यही रहेगा ? इस सरकार के पास न शुचिता है न जवाबदेही न प्रतिष्ठा है और न ही लोगों के प्रति कोई जवाबदेही।

मैं अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हूं। मेरी पार्टी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका हमे गौरव है। हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। हमारा रिकार्ड सर्वविदित तथा पारदर्शी है। गत पचास वर्षों में, मेरी पार्टी 'इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग' ने सिर्फ इस देश में अपितु विश्व में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिमों की खुशहाली के लिए कार्य कर रही है। उनका मुसलमानों के प्रति कैसा व्यवहार रहा है ? क्या यह सत्य नहीं है कि — कृपया मुझसे नाराज न हों— बजरंग दल तथा भा०ज०पा० इन सबके लिए जिम्मेदार हैं ? माननीय गृह मंत्री हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं। उनको इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि वे भा०ज०पा० के वही पुराने अध्यक्ष हैं जिन्होंने रथ-यात्रा निकाली थी। वे अब गृह मंत्री हैं। पुलिस बल उनके अधीन है, सुरक्षा बल उनके अधीन है। वे सार्वजनिक रूप से कहते हैं, "मैं बजरंग दल को जानता हूं, वे लोग ऐसे नहीं हैं।" उन्होंने क्या संकेत दिया है जब खुराना जी मंत्री थे तो उन्होंने उड़ीसा में हुए उक्त वारदात में बरजंग दल के शामिल होने की बात कही। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मामला न्यायिक आयोग के समक्ष है। मैं इसका सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उन लोगों को 'अच्छा चरित्र प्रमाणपत्र' कैसे दे दिया जिसके बारे में मीडिया, अधिकारियों तथा सभी लोगों के द्वारा आक्षेप लगाए गए *(व्यवधान)*।

मेरे पास अधिक समय नहीं है, लेकिन मैं देश के प्रमुख साप्ताहिक फ्रंट लाइन के 12 फरवरी, 1999 के अंक में जो कुछ भी छपा है उसका उल्लेख करना चाहूंगा। ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध हमले की विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा अन्य सभी स्थानों पर कितनी घटनाएं हुई ? घटनाओं की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुद पता है कि गुजरात में क्या हुआ *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक मिनट में आपनी बात समाप्त करें।

श्री ई० अहमद : महोदय, सभी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया गया है। कम से कम मेरे साथ भी न्याय हो, और मुझे कुछ और समय दिया जाए।

किसी ने यहां इन बातों का उल्लेख नहीं किया। अल्पसंख्यकों पर हमला होने के समय मैं 15 अगस्त 1998 को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था गुजरात में था। संजेली, रांधिकपुर, नदियाद और नान्देन्पेडा के लोगों पर हमला किया गया था। मैंने इनमें से कुछ स्थानों का दौरा किया था। उनके घरों को लूटा गया तथा नुकसान पहुंचाया गया। कई अन्य स्थानों पर भी ये घटनाएं घटीं। सिर्फ रांधिकपुर में ही 400 मुस्लिम परिवारों को अपना घर छोड़ कर भागना पड़ा। मैं गृह मंत्री के पास गया। उसके बाद क्या हुआ ? संजेली में बजरंग दल और विश्व हिन्दु परिषद् के लोगों की एकत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को 50 राउण्ड गोली चलानी पड़ी। उन्होंने उनके घरों को लूटा तथा तहस नहस कर दिया। इसी समय एक आशा की किरण थी वह यह कि जिन पर हमले किए गए उनकी सहायता हिन्दु समुदाय के ही एक भूतपूर्व सरपंच द्वारा की गई। यही भारत है। वह मेरे पास आए तथा मुझे बताया कि उनके साथी हिन्दुओं ने क्या किया है। मैं सभी हिन्दुओं पर दोषारोपण करना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ उन अति सम्प्रदायवादी और फासीवादी तत्वों को जिम्मेदार ठहराता हूं जिन्हें इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अल्पसंख्यकों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की भांति व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोई भी देश चाहे वह फ्रांस हो या स्पेन या जर्मनी जिसने अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया था का विनाश हो गया, वे पिछड़ गए तथा राष्ट्रों के समुदाय से अलग-थलग पड़ गए। इतिहास हमें यही शिक्षा देता है।

ईसाइयों के कितने पूजास्थल जला दिए गए थे ? गांधीनगर के निकट कपड़वंज में दो अवसरों पर ईसाइयों के शरीर को खोद कर निकाला गया।

सभापति महोदय : श्री अहमद, कृपया समाप्त कीजिए। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार ने वहां से अनेक लोग भेजे। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यहां जो कुछ कहा जा रहा है वह बिल्कुल झूठ है। *(व्यवधान)* क्या आप मुझे गांधीनगर में स्थान का नाम बताएंगे ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री हरिन पाठक, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : महोदय, वह यहां कोई भी और हर बात नहीं कर सकते। वह यहां किसी के भी विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा सकते। क्या वह गांधीनगर में उस स्थान का नाम बता सकते हैं जहां यह घटना हुई ? गांधीनगर में एक भी घटना नहीं हुई है। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : ठीक है, चिन्ता मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अहमद के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : श्री अहमद, कृपया पीठ को संबोधित करें।

श्री हरिन पाठक : महोदय, श्री आरिफ मोहम्मद खान द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत जब प्रस्ताव रखा था तो मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया था कि गांधीनगर में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुईं। *(व्यवधान)* यहां जो कुछ कहा जा रहा है उसमें तथ्य को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ दिया गया है। यह इस तरह से नहीं चल सकता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अहमद, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ई० अहमद : महोदय, समय उन्होंने ले लिया है, अत: मुझे कुछ और समय दिया जाये।

सभापति महोदय : जी नहीं, कृपया समाप्त कीजिये।

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं सिर्फ इस देश के बारे में कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों के नामपर शिवसेना के लोगों ने बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर निकाल दिया। सीमा पर विपक्षी एम०एल०ए० श्री घोष जो आर०एस०पी० के हैं ने कहा कि वे हमारे देश के ही हैं तो उन्हें नहीं जाने दिया। हमारा भारत ऐसा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ई० अहमद : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अलग-अलग नहीं रह सकते। हमें एक साथ रहना है।

सभापति महोदय : श्री अहमद, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : श्री अहमद, क्या आप कुछ समय के लिए मेरी बात सुनेंगे ? *(व्यवधान)* क्या आप कश्मीर के हजारों पंडित जो अपने घरों से विस्थापित हो गए के बारे में भी कुछ कहेंगे ? क्या आप उनके घरों के जलाए जाने के बारे में भी कुछ कहेंगे ? क्या आप उनके बारे में एक भी शब्द कहने जा रहे हैं ? पिछले 12 वर्षों में उन्हें परेशान किया गया है। क्या आप इन बातों के बारे में एक भी शब्द कहेंगे ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री ई० अहमद : हमारे देश में कई स्थानों पर अल्पसंख्यक मुस्लिम और अल्पसंख्यक ईसाई मारे गए थे। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : क्या आप कश्मीर में अल्पसंख्यकों के बारे में बोलेंगे ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिन पाठक : महोदय, उनकी आंखों में उनके लिए कोई आंसू नहीं है। वह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अहमद, कृपया अपने सीट पर बैठिए।

श्री ई० अहमद : महोदय, मेरे आंसू सच्चे हैं तथा मैं दूसरों की भांति घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहा हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पहले ही दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह चुका हूं। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सरकार अल्पसंख्यकों से दूसरे दर्जे के नागरिक की भांति व्यवहार नहीं कर सकती। इसका प्रतिरोध किया जाएगा। वे इस देश के लोग हैं। उनका जन्म इस देश में हुआ है, वे इस देश में रहते हैं और इसी देश में मरेंगे।

मैं प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा का समर्थन करता हूं। वह एक सकारात्मक, यथार्थवादी तथा व्यावहारिक कदम था। प्रधान मंत्री अपनी लाहौर यात्रा की साहसिक निर्णय के लिए बधाई और शुभ कामना के पात्र हैं। पाकिस्तान को प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के मीनार में जो बातें कहीं उसे स्वीकार करना चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की समृद्धि तथा एकता भारत के सर्वोच्च हित में है। वह स्वयं ही भारत की ओर से युद्ध नहीं करने की घोषणा है। *(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री अहमद, कृपया अपनी बात समाप्त करें। अन्यथा, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : मैं आशा करता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री द्वारा की गई पहल पर पाकिस्तानी नेतृत्व निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : मैं इन कुछ शब्दों के साथ, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरदुआर्स) : माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री जोवाकिम बखला : चूंकि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सच्चाई से दूर है और इसमें कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। हमारे संविधान में यह अंगीकार किया गया है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी लेकिन हमारे देश में निरक्षरों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। निरक्षरता एक अभिशाप के रूप में हमारे सामने आई है। हम जानते हैं कि जब तक हम निरक्षरता को दूर नहीं करेंगे तब तक अपने देश को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते। भले ही भाजपा व अन्य सहयोगी दल अपने को गौरवान्वित महसूस करते हों कि उन्होंने पोखरण विस्फोट करके बहुत बड़ा काम किया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह उनकी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की एक शैली है। मैं जानता हूं कि पोखरण टैस्ट करने के बाद आप लोगों ने सोचा होगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा काम शासक दल ने किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो किसान हमको अनाज देता है, उसकी आज क्या स्थिति है ? किसान को क्या हम सिंचाई के लिए पानी दे सके हैं ? जो किसान 720 लाख टन दूध का उत्पादन करता है, उसे क्या हम रहने को जगह दे सके हैं ? जो किसान हमको अनाज देता है, क्या उसे हम शुद्ध पानी दे सके हैं ? इन सवालों पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में हमने काफी विकास किया है। हम कृषकों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वे ही हरित क्रांति लाये। हम अपने आपको बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं लेकिन क्या उनकी दशा पर हमने कभी नजर डालने की कोशिश की है ?

श्रमिकों की हालत भी आज हमारे देश में बहुत बुरी है। कुछ देर पहले श्री रावले जी ने अपने भाषण में कहा कि इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उद्योग बंद हो गये हैं। ये केवल महाराष्ट्र में ही बंद नहीं हुए हैं बल्कि और जगहों में भी बंद हुए हैं। इसका कारण है कि केन्द्रीय सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण वे कारखाने बंद हुए हैं। उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास हमारी केन्द्र सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार को दोषी ठहराता हूं क्योंकि इस ओर उनका ध्यान अभी तक नहीं गया, भले ही वे प्रशंसा कर रहे हैं कि ग्यारह महीने में उन्होंने बहुत सारे काम किए। मैं समझता हूं कि कारखानों के श्रमिक जो भूखे मर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं दे पा रहे और दर-दर भटक रहे हैं, उनकी देखभाल करने का दायित्व केन्द्र सरकार का है और उन कलकारखानों को पुनर्जीवित करने का दायित्व भी उनको लेना पड़ेगा।

आज हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है लेकिन इस अभिभाषण में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि जनसंख्या को किस तरह कंट्रोल किया जाए। यदि उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी कोशिश करें, ग्रास रूट के श्रमिकों को उन्नति के रास्ते पर ले जाने में आप असमर्थ रहेंगे।

हम धर्मनिर्पेक्षता की बात करते हैं। शासक दल के मंत्री श्री नक्वी ने कहा कि हम सब धर्मों के लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहते हैं, हम सबको भारतीय की दृष्टि से देखना चाहते हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके जो नेता हैं, सहयोगी दल हैं, जो सिस्टर और्गनाईजेशन्स हैं, यदि उनको भी इस तरह की सुबुद्धि आए तब मैं समझूंगा कि वे सही रास्ते पर आ जाएंगे।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खेलकूद के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अभी इम्फाल में राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन किया गया। हमारे देश के बच्चों में इतनी प्रतिभा है लेकिन केन्द्र सरकार की उनको चुनने की कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, राष्ट्रीय लैवल पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लैवल पर खेलकूद के लिए जो प्रतियोगी यहां से जाते हैं, उनका फल अच्छा हो और हमारे देश का नाम हो।

बेरोजगारी को किस तरह दूर करना चाहिए। अभिभाषण में बेरोजगारी का उल्लेख किया गया है लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया कि सरकार उसके लिए क्या-क्या उपाय और पहल करने जा रही है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन नहीं बल्कि पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा और जिन्होंने उसका समर्थन किया, वे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अनुपस्थित हैं। मैं श्री राम नाईक जी की बात से सहमत हूं, वे चले गए हैं लेकिन प्रस्तावक को रहना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी भी राष्ट्र और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम उसे हल्के ढंग से ले रहे हैं। अभी माननीय नीतीश कुमार जी आ गए। एक गांव में एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी मां उसे हर रोज कहती थी कि बेटा, दुबारा शादी कर लो तो घर में कम से कम तीन लोग हो जाएंगे। उसने शादी कर ली लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई तो वें दो लोग ही रह गए। पहले श्री काशी राम राणा और श्री राम नाईक थे।

श्री राणा चले गए और श्री नाईक आ गए। इस तरह से दो के दो ही रहे, इससे अधिक संख्या मंत्री परिषद के लोगों की नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 सहयोगी दलों की सरकार पिछले 11 महीनों में अगर जनता की कसौटी पर खरी उतरती तो हम निश्चित रूप से उन्हें धन्यवाद देते, साधुवाद देते। लेकिन जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। *(व्यवधान)* आपको तो मैंने कल ही धन्यवाद दिया है और कल भी दूंगा। जो समाजवादी समाज रचना के लोग हैं, जो समाजवादी पृष्ठभूमि से आये हैं, उनका एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है, अलग-अलग दल का अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उस पर आज किसी चर्चा में पड़ना नहीं चाहता।

परमाणु परीक्षण दूसरी बार हुआ। 1974 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो दुनिया के सभी देशों ने उसकी सराहना की थी और आज हम फिर कह सकते हैं कि इस सरकार ने परमाणु परीक्षण करने के बाद अपनी क्षमता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि तीन महीने में कोई भी सरकार आकर ऐसा काम नहीं कर सकती। इसमें देश के वैज्ञानिकों का, इस देश के तकनीशियनों का बड़ा भारी योगदान है।

आप फिर आ गये, बहुत अच्छा हुआ। मैं एक गांव का किस्सा सुना रहा था, वह आपको बाद में बता दूंगा, जब अकेले में मिलेंगे। मेरा किस्सा था कि दो के दो ही रहे, लेकिन अब तीन हो गये।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहा था कि परमाणु परीक्षण करने के बाद वाजपेयी जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने साहस जुटाया। सुषमा स्वराज जी ने कल कहा कि कम से कम हमारे प्रधान मंत्री जी ने साहस जुटाया। इसमें साहस जुटाने का सवाल नहीं था, दुनिया की और देश की स्थिति इस प्रकार थी कि परमाणु परीक्षण करने वाले बहुत बड़े-बड़े राष्ट्रों के पास इतने अस्त्र-शस्त्र थे, अणु बम के साथ-साथ उनकी शक्ति बहुत थी, वे न्यूक्लियर पावर थे। भारत ने भी 1974 में और फिर 1998 में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से उन्हें बधाई दूंगा, लेकिन इस परमाणु परीक्षण के बाद आखिर देश की स्थिति क्या हुई। मैं बहुत सी तफसील में, बहुत से विवाद में और बहुत से विस्तार में नहीं जाना चाहता कि दुनिया के कितने राष्ट्रों ने सैंक्शन लगाई और सैंक्शन के क्या परिणाम निकले। जिस तेलगूदेशम दल के सहयोग पर इनकी सरकार चल रही है, सैंक्शन लगाने के बाद चन्द्रबाबू नायडू ने कहा था कि सैंक्शन लगाने के बाद में जितने विश्व बैंक की योजनाएं और दूसरे राष्ट्रों से मिलने वाले धन पर आधारित योजनाएं थीं, वे सब योजनाएं ठप्प हो गई हैं। अब हमें मार्केट से बोरोइंग करनी पड़ेगी, मार्केट से धन लेना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई देश हिन्दुस्तान के पूंजी निवेश में दिलचस्पी नहीं लेगा। अगर आप देखें तो पाएंगे :

[अनुवाद]

"संयुक्त राज्य द्वारा क्रेडिट और प्रतिभूतियों को समाप्त करना। दो मिलियन डालर - टी०डी०ए० अनुदान लंबित। चार बिलियन डालर - आयात-निर्यात प्रतिभूति लंबित; उधार लेने में रोक लगाई जाएगी। शेष काल्पनिक है जो कि दर्शाए गए ब्याज संबंधी प्रस्ताव पर आधारित है। ओपेक संभाव्य बीमा और वित्त 10.2 मिलियन डालर काल्पनिक ब्याज; बड़ी प्रमुख क्षेत्र परियोजनाओं में संयुक्त राज्य के भागीदारों के लिए लागत बढ़ी।"

[हिन्दी]

दुनिया के कितने देशों ने सैंक्शन लगाये और आज तक यह सरकार इस बात को कहने की स्थिति में नहीं है कि दुनिया के कितने राष्ट्रों ने जो सैंक्शन लगाये थे, उसमें इनको कितनी राहत मिली। चाहे यसवन्त सिंह जी टालबोट से कितनी ही बात कर लें, लेकिन अमेरिका ने भी एक शर्त लगा दी है कि जब तक सी०टी०बी०टी० पर आप हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक हम आपको किसी तरह के सैंक्शन को लिफ्ट नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि :

[अनुवाद]

"संयुक्त राज्य, जापान और कुछ यूरोपीय देशों ने (इंग्लैंड और फ्रांस को छोड़कर) द्विपक्षीय सहायता के स्थगन की घोषणा की है। 'एड इंडिया कंसार्टियम' की अंतिम बैठक के दौरान दिए गए वचन के अनुसार यह सहायता लगभग तीन बिलियन डालर थी और इस वर्ष भी इतनी धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद थी। तथापि, इस वर्ष जून में टोकियो में होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि विस्फोटों के बाद जापान ने मेजबानी करने से मना कर दिया है और कोई अन्य देश इसकी मेजबानी के लिए तैयार नहीं है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है जो प्रतिवर्ष लगभग 1.5 बिलियन डालर से अधिक की सहायता करता है।"

यहां अधिकांश देश हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप सात मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : मैं इस सरकार को उसकी जानकारी के लिए पिछले नौ महीनों में उनकी कमजोरियों से अवगत करा रहा हूं और इस सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। हमें सभी सदस्यों को समय देना है।

श्री मोतीलाल वोरा : हां महोदय, मैं सहमत हूं कि हमें सभी सदस्यों को समय देना चाहिए।

[हिन्दी]

परमाणु परीक्षण के बाद राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि देश में शांति है। किस बात की शांति है, शांति इस बात की है कि देश में रहने वाले सभी जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग अमन-चैन से रह रहे हैं। इस देश में पंथ के साथ चलने की नीति रही है, उसमें पूरी तरह से लोग विश्वास करते हैं। गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, वे देश के नाम पर कलंक हैं। मैं गुजरात की बात करना चाहूंगा। गुजरात में दस दिन में जितना जुल्म ईसाइयों पर हुआ, उतना देश में आजादी के 51 सालों में किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर (वडोदरा) : ये सदन को जो बताना चाहते हैं, वह सदन को गुमराह करने वाली बात है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? वह अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मोती लाल वोरा के भाषण के सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री मोतीलाल वोरा : मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहा हूं। मैं यहां सभी ब्यौरे दे रहा हूं *(व्यवधान)* महोदय, 25 दिसम्बर, 1998 से 3 जनवरी, 1999 के दौरान डांग जिले में ईसाई आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा के मामलों के दौरान 16 गिरजाघरों को जलाया और गिराया गया, यहां गिरजाघरों को गिराने और उन पर हमला करने की आठ घटनाएं हुईं और यदि आप और ब्यौरा चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं। परन्तु ब्यौरा देने के लिए समय नहीं है। स्कूलों पर हमला करने और उन्हें ध्वस्त करने की तीन घटनाएं हुईं। उनमें से एक आहवा कस्बे का दीप दर्शन स्कूल और लड़कों का छात्रावास था जिसे 25 दिसम्बर, 1998 को क्षति पहुंचाई गई थी। यहां पर मकानों और दुकानों को क्षति पहुचाने और लूटने के छः मामले हुए। आदिम ईसाई व्यक्तियों पर हमले, उन्हें पीटने और चोट पहुंचाने के नौ मामले हुए। यह देश में भाजपा द्वारा चलाई जा रही सरकार की वास्तविक तस्वीर है। यद्यपि मामला न्यायालय के समक्ष *विचाराधीन* है। मैं कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में यह मामला वधवा आयोग के पास लंबित है और यदि आप देखेंगे कि कौन-कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे तो आपको पता लगेगा कि वे विश्व हिन्दू परिषद् के सदस्य हैं *(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव : उड़ीसा में कांग्रेस सरकार ईसाइयों की रक्षा न कर सकी *(व्यवधान)* इसलिए श्री गोमांगो को लोक सभा छोड़नी पड़ी और उड़ीसा जाना पड़ा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री देव, आप सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोतीलाल वोरा : मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि इस देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लोक सभा में 3 दिसम्बर, 1955 को ईसाई धर्म के बारे में क्या कहा था *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मोतीलाल वोरा, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। मैं समझता हूं कि यह आपकी अंतिम बात है।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा : मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महोदय, आप मुझे इस बारे में स्मरण न कराएं! मैं तीन-चार मिनट के बाद तत्काल बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, ठीक है। मैं इसका पालन करूंगा। मैं हमेशा पीठ के निदेश का पालन करता हूं।

मैं उन शब्दों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्हें पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ईसाई धर्म के बारे में लोक सभा में कहा था। उन्होंने कहा और मैं उल्लेख करता हूं :

"भारत में ईसाई धर्म उतना ही पुराना है जितना की स्वयं धर्म पुराना है और एक धर्म के रूप में ब्रिटेन, पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों में जाने से पहले इसकी जड़े भारत में थी

ईसाई धर्म भारत के अन्य धर्मों की तरह ही भारत देश का धर्म है।"

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ईसाई धर्म के बारे में लोक सभा में यह कहा था।

अब मैं दूसरी बातों को लेता हूं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री जी की लाहौर यात्रा अच्छी हुई। बस डिप्लोमेसी से इस यात्रा की शुरूआत हुई। इससे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संबंध बिगड़ गए थे, वे सुधरेंगे। इंदिरा गांधी के जमाने में जो शिमला पेक्ट हुआ था, उसके बाद लाहौर पेक्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान की नीयत अभी भी साफ नहीं है।

महोदय, दो दिन पहले जम्मू-काश्मीर के रामगढ़ सैक्शन में आई० एस०आई० के लोगों ने जिस प्रकार से हमला किया, हमारी चौकियों को ध्वस्त किया और हमारी आर्मी के लोगों को घायल किया। कल वाजपेयी जी ने कहा है कि उन्हें भी अपने तौर-तरीकों से हिन्दुस्तान के प्रति वफादार रहना होगा। सरकार के कारनामों को देखने के बाद, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह दिशाहीन है, जिसमें दिशा नहीं है, दृष्टिहीन है, इसकी आंखें नहीं हैं। हिन्दुस्तान में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आपने अनाज के भाव घटा दिए। *(व्यवधान)* महोदय, मध्यम श्रेणी का आदमी कहां जाएगा। यूरिया में 400 रुपए प्रति टन की बढ़ोत्तरी की। मेरा केवल इतना ही कहना है कि इस सरकार को सत्ता में रहने का एक दिन भी हक नहीं

है। जब तक यह सरकार सत्ता में रहेगी तब तक देश में साम्प्रदायिक ताना-बाना हमेशा बिगड़ता जाएगा। देश में साम्प्रदायिक सदभाव की जरूरत है। *(व्यवधान)* विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल का जबर्दस्त हाथ रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री वी० सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य को भी बोलना है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनका नाम सूची में है। उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा। आप कार्यवाही में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? चिंता न करें।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए आपको धन्यवाद देती हू।

महोदय, राष्ट्रपति जी के प्रति अत्यधिक आदर की भावना होने के बावजूद भी हम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कोई व्यक्तिगत अनादर की भावना है।

यह इतिहास की विडम्बना तथा भारत का दुर्भाग्य है कि जब हम अपने गणतंत्र की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं तो यह सरकार सत्ता में है। इस सरकार को संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है। यह सरकार संवैधानिक शुचिता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को रौंदने निकल पड़ी है। यह हमारे असंतोष का समय है हमारी स्वतंत्रता के इतिहास में इस देश का सबसे अंधकारमय समय है। किंतु मैं अत्यधिक आशावादी हूं क्योंकि मुझे रोमांटिक कवि पी०बी० शेली की ये पंक्तियां याद हैं :

'इफ विंटर कम्स, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइन्ड ?''

इस अवसर पर मैं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहूंगी कि श्री राजनारायण ने इस देश की महानतम प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हराया था। उनके बारे में यह कहा जाता था कि वह अपनी मंत्रिमंडल में एकमात्र पुरुष थीं और उस महिला प्रधान मंत्री को श्री राजनारायण ने एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में हराया जो उनका परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र था। मैंने आप सबको यह इसलिए याद कराया कि मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि इस देश के लोग अत्यन्त महान हैं। इस देश की जनता की आस्था लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में है। जनता के निर्णय की जब भी आवश्यकता हुई, देश की जनता द्वारा यह सहर्ष दिया गया।

मुझे खेद है कि श्रीमती सुषमा स्वराज सरकार में नहीं हैं। काश वो वहां होतीं, वह अभी ईर्ष्या की पात्र नहीं हैं। मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता हूं। पहले कुछ समय ईर्ष्या तक करती था। अब वह उस स्थिति में नहीं रहीं। मुझे वास्तव में खेद है कि उन्हें अप्रिय कार्य देकर अप्रिय स्थिति में रख छोड़ा गया है। यह पहली बार नहीं है। उन्हें यह अप्रिय कार्य दिल्ली में चुनाव के समय दिया गया था और यह कार्य दिल्ली की पिछली सरकार न कि वर्तमान सरकार की छवि निखारने का था। क्या हुआ ? इस भूमिका में उन्होंने स्वयं को अत्यन्त ही दीन स्थिति में पाया तथा उन्हें दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका था। यह बताता है कि हमारा भविष्य अभी भी उज्जवल है। यही कारण है कि मैंने यह उद्धृत किया कि इफ विन्टर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइन्ड ?

वस्तुत: मैंने सभी बिन्दुओं पर बोलने की तैयारी की थी किंतु समय की कमी के कारण और सभापति महोदय *(व्यवधान)* कृपया व्यवधान न डालें। यदि आप बीच में टोका-टाकी करेंगे तो मुझे ज्यादा समय लगेगा।

कल, जब श्री सोमनाथ चटर्जी हमारी पार्टी की ओर से बोले तो उन्होंने कतिपय अप्रिय सच्चाइयों को उजागर किया जिसे लोग सहन नहीं कर सके। यह सत्तापक्ष की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह बोलने के अधिकार, धर्म और सुनने के अधिकार के प्रति असहनशीलता की फासिस्ट प्रवृत्ति का ही एक उदाहरण है। धर्म के अधिकार के संबंध में मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण में उन्होंने पैरा 8 में निम्नलिखित बातें कहीं हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए इसे उद्धृत कर रहा हूं।

> ''पंथ निरपेक्षता की जड़ें हमारे समाज और राजव्यवस्था में बहुत गहरी हैं इसलिए सरकार इसे बनाए रखने के लिए पूर्णत: वचनबद्ध है।'' *(व्यवधान)*

उन्होंने इसका उल्लेख किया है। क्रोधित मत होइये। उन्होंने आपकी ओर से इसका उल्लेख किया है। श्रीमती सुषमा स्वराज के अनुसार यह इस सरकार की नीति दस्तावेज हैं। मैं इस वक्तव्य से असहमत हूं। फिर भी मैं उन्हें इसलिए उद्धृत कर रही हूं कि उन्होंने कहा कि यह नीति दस्तावेज हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी ओर से असहिष्णु होने की कोई जरूरत नहीं है। तत्पश्चात् महामहिम राष्ट्रपति ने आगे कहा। मैं उद्धृत करती हूं :

> ''हाल ही में गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हुई कुछ घटनाएं हमारे लिए वेदना और चिंता का विषय रही हैं।''

मुझे आश्चर्य है कि सत्तापक्ष के किसी भी सदस्य को इसकी चिन्ता है।

तत्पश्चात् महामहिम राष्ट्रपति जी ने आगे कहा। मैं उद्धृत करती हूं :

> ''तथापि इन्हें विपथन के रूप में देखा जाना चाहिए।''

यह झूठ है। यह सच नहीं है। मैं फिर दोहराती हूं कि यह झूठ है क्योंकि यह विपथन नहीं है, यह एक ऐसी घटना नहीं है जो आकस्मिक रूप से घटित हो गई है। यह एक संदिग्ध योजना है। मैं दोहराता हूं कि यह भारत के अल्पसंख्यकों के संबंध में कोई संदिग्ध योजना है। विशेषकर हाल ही के दिनों में यह अल्पसंख्यक, ईसाइयों के विरुद्ध है। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : यह आपका विचार है। *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : हां, यह मेरा मत है। मैं अपना विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हूं।

सभापति महोदय : श्री हरिन पाठक, कृपया व्यवधान न डालें।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : मैं पुन: कहती हूं कि यह विपथन नहीं है। यह अत्यन्त ही संदिग्ध योजना है क्योंकि क्रिसमस के दिन गुजरात में डांग नामक स्थान पर जिससे आप केरल के किसी व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा परिचित होंगे ईसाइयों के साथ यदि अत्यन्त सरल शब्दों में कहा जाए अत्यन्त ही असहिष्णु रूप से व्यवहार किया गया है। उनके साथ तथाकथित हिन्दुओं ने बहुत ही घृणित व्यवहार किया है। मैं जन्म से हिन्दु हूं। ईसाई समुदाय के प्रति "इन हिन्दुओं" द्वारा प्रदर्शित असहिष्णुता की भावना का मैं समर्थक नहीं हूं।

6 दिसम्बर, 1992 को क्या हुआ ? हमारे वर्तमान माननीय गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार थे। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। वहां से शुरू करके यह कोई गुप्त एजेन्डा नहीं है अपितु सर्वज्ञात एजेन्डा है। महामहिम राष्ट्रपति, मैं दोहराती हूं, महामहिम राष्ट्रपति को इन शब्दों के प्रयोग के लिए बाध्य किया गया। यह इन लोगों के द्वारा जो कि नीति दस्तावेज है।

श्री विक्रम केशरी देव : सभापति महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह असंसदीय है और इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से पढ़ रही हूं सबसे पहले मैंने कहा था कि इससे मेरा मकसद महामहिम राष्ट्रपति की अवमानना करना नहीं है। वह क्यों संयम खो रहे हैं ? कल जब श्री सोमनाथ चटर्जी ने कुछ कटु सत्यों का खुलासा किया तो वे उसे नहीं बर्दाश्त कर सके। *(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, वे शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक बात है तो मैं देखूंगा।

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैं उनके भाषण में विघ्न नहीं डालना चाहता हूं। किन्तु उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, इस सरकार को धन्यवाद देने के लिए क्या है ? नीति दस्तावेज क्या है ? वास्तव में, भाजपा नेतृत्व वाली यह सरकार विरोधाभासों और परस्पर विरोधी दलों की सरकार है तथा यह हमेशा दबाव की राजनीति से दबी है। दबाव की राजनीति का फलित ही ये पैकेज हैं।

महोदय, आज के 'द हिन्दु' दैनिक समाचारपत्र में दो बड़े ही आकर्षक कार्टून हैं। मैं यहां समाचारपत्र लाई हूं। मुझे आशा है कि आप सभी इस कार्टून को देखेंगे जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से दबाव की राजनीति को दिखाया गया है।

•अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री टी०आर० बालू : सभापति महोदय, वे पैकेज क्या हैं ? उन्हें बताना चाहिए। *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मुझे उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। वे ममता, समता और जयललिता हैं और वह उनके बारे मे जानते हैं। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : सभा को उनके द्वारा बताए गए पैकेजों के बारे मे जानकारी मिलनी चाहिए। *(व्यवधान)*

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, आज के दैनिक समाचारपत्र 'द हिन्दु' में दो सुंदर कार्टून छपे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी जिस दबाव में हैं वह उनसे बिल्कुल स्पष्ट है। वह दबाव में हैं। कल्पनाशील और युगद्रष्टा कवि, श्री वाजपेयी जब प्रधान मंत्री बने तो उनकी कल्पनाशीलता और दृष्टि जाती रही। सिर्फ पैकेजों का दबाव है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मैं केवल एक या दो मिनट का समय लूंगी।

महोदय, दिल्ली, चेन्नई एवं कलकत्ता दो शहरों का उपग्रह बन गया है। अब यह राजधानी नहीं रही है। जब अंग्रेज यहां पर थे, राजधानी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता बदला गया था तथा पुन: वर्ष 1911 में इसे कलकत्ता से दिल्ली बदला गया अब दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता की ओर घूमने वाला उपग्रह शहर बन गया है। *(व्यवधान)* कभी-कभी ये वाशिंगटन की ओर घूमता है, कभी-कभी पेरिस की ओर घूमता है और कभी-कभी यह लदंन की ओर घूमता है।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि चेन्नई के लिए क्या पैकेज है और कलकत्ता के लिए क्या पैकेज है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया आप अपनी सीट ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : महोदय, मैं दक्षिण चेन्नई लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए इनको यह बताना चाहिए कि चेन्नई के लिए क्या पैकेज है

सभापति महोदय : आप बाद में उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं अब कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री वी० सत्यमूर्ति : सभापति महोदय, वह उनके भाषण में व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं ? वह मुख्य वक्ता हैं, वह उनको परेशान क्यों कर रहे हैं आपको उन्हें कहना चाहिए कि उनके भाषण में व्यवधान न पहुंचाएं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, आप क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ? कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया सदन का समय बर्बाद न करें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रो० प्रेमाजम, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : महोदय, मैं एक बात बताकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

महोदय, वे सीता, तारा तथा और मुझे मालूम नहीं, के नाम को बता रहे हैं। ये नाम मुझे याद नहीं हैं। मुझे स्वयं सहित इस देश की महिलाओं की स्थिति याद है परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी विधेयक, जिसमें इस देश की महिलाओं के लिए समस्त विधान बनाने वाले निकायों में 33% सीटें आरक्षित होगी के लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया है।

वे सीता तथा तारा के मामले में काफी सजग हैं परन्तु इस देश में रह रही महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है परन्तु मैं उसके लिए सजग हूं वे कुल जनसख्या की 50% हैं।

मैं शिक्षा के क्षेत्र उनकी राजनीतिक विचारधारा के रंग के बारे में कुछ कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय : मैं पहले ही श्री परमशिवम राजा को बोलने के लिए कह चुका हूं।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : मैं अपनी पूरी शक्ति तथा जोरदार तरीके से श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करती हूं। और उनकी स्थिति काफी नाजुक है तथा वह अलग-थलग पड़ गई हैं।

•**श्री परमशिवम राजा (पुडुक्कोट्टई)** : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्मानीयं सभा में राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों में दिए गए अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा मैं अन्नाद्रमुक की ओर से बोल रहा हूं।

पिछली मई 11 एवं 12 को हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया जिसका निर्णय हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। हमारा देश अब परमाणु बम वाले देशों की श्रेणी में आ गया है। राष्ट्रों के समुदायों में अब हमने साबित कर दिया है कि हम सुपर शक्ति के रूप में ऊभर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये कदमों ने अब हमें नए आयाम दिये हैं। मैं शुभकामनायें देता हूं तथा हमारी परमाणु क्षमता साबित करने के लिये उठाये गये उनके कदमों की सराहना करता हूं। सरकार एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसके लिए बधाई देना चाहिये।

पिछली 20 एवं 21 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने लाहौर पाकिस्तान के लिए एक बस सेवा शुरू की। मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत एवं पाकिस्तान दोनों के बीच संबंध सुधारने हेतु नई शान्ति पहल करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान बस यात्रा इन दोनों देशों के बीच आगे और अधिक तनाव को दूर करने संबंधी कार्य है जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध को रोका जा सकेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह सुस्पष्ठ पहल मित्रता के एक नये युग की पहल होगी। हम सबको अपने देश के दोस्ताना व्यवहार पर गर्व है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई बस यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है। हमारे नेता डा० पुरात्ची थालेवी ने हमारे प्रधानमंत्री को बधाई दी है तथा अपने बधाई के सन्देश में, हमारे प्रधानमंत्री की स्पष्ट पहल का गुणगान किया हैं तथा यह बताया गया है कि यह उपलब्धि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी।

इन ग्यारह महीनों में, श्री वाजपेयी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने देश को गर्व करने के लिए विभिन्न उपाय किए। बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुनिश्चित करने के लिए हमने अच्छे वातावरण का सृजन किया है हमारे देश को विश्व-समुदाय में सम्मान मिला है।

इसी प्रकार, इस सरकार ने जम्मू और कश्मीर में शान्ति की स्थापना की तथा वहां हालात लगभग सामान्य हुये हैं। आतंकवाद वैसा नहीं बढ़ रहा है जैसाकि पहले बढ़ रहा था, आतंकवादी गतिविधियां रुकी हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लोग अब सामान्य जीवन जी रहे हैं पर्यटकों ने वहां जाना शुरू कर दिया है, केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के कारण, स्थानीय लोग जो जम्मू-कश्मीर से बाहर चले गये थे उन्होंने अपने मूल निवास स्थान पर वापस आना शुरू कर दिया है, यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने कश्मीर में आना शुरू कर दिया है क्योंकि सरकार ने पुनः अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं।

हमारे देश के बहुत सारे नेताओं इस स्वप्न कि विश्वस्तर की सड़कों से हमारे देश के चारों कोनों से जोड़ा जाये को साकार करने का कार्य अब पूरा किया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी, सिल्चर से सौराष्ट को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राष्ट्रीय द्रुतगामी राजमार्ग निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। चेन्नई, कलकत्ता, मुम्बई और दिल्ली जैसे मुख्य महानगरों को प्रथम चरण में 4 लेन सुपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इन कदमों को उठाने के लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं। ये उन्नत सड़कों के सम्पर्क वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा इसके साथ ही आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में मदद करेंगे। इस समय, मैं यह कहना चाहूंगा कि गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने के कार्य को शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे सिंचाई और पीने के पानी की जरूरत को आने वाली काफी दीर्घ अवधि तक पूरा करेगा। यह सही है कि बहुत सारे नए औद्योगिक कार्य शुरू किए जा रहे हैं तथा सरकार औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकता को सुधारने के लिए उत्सुक है। यह भी सत्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है।

बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उत्पादन को उन्नत बनाने के लिए यह सरकार अपनी कृषि संबंधी नीति के माध्यम से नई दिशा दे रही है। जहां तक खाद्यान्न का संबंध है हम शीघ्र ही पहले स्थान पर होंगे तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा देश शीघ्र ही विश्व में दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों के शीर्ष पर होगा तथा दुग्ध उत्पादन 7.20 लाख टन होगा जोकि एक नया रिकार्ड होगा।

•मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रात्रि 8.00 बजे

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदय, जैसा कि आपको विदित होगा कि कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है कि सभा की बैठक अब हर रोज रात्रि आठ बजे तक होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि इसका उत्तर सोमवार को प्रश्नकाल के पश्चात् दिया जाएगा। इसे देखते हुए मैं समझता हूं कि अब मात्र तीन सदस्य बोलने के लिए शेष रह गए हैं।

अत: मेरा सुझाव है कि सोमवार 12 बजे इसका उत्तर दिया जाए। इस पर बीस मिनट या आधा घंटा के अंदर चर्चा पूरी कर ली जाए। अत: सभा की कार्यवाही को आधे घण्टे तक बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या सभा की यह राय है कि सभा का समय 8.30 बजे तक बढ़ाया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : कल 11 बजे रेल बजट पर चर्चा की जाएगी तथा सभा की कार्यवाही सब कुछ अर्थात्, उत्तर, मतदान विनियोग आदि पूरा होने तक जारी रहेगी। अत: कल हम रेल बजट पर चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय : मुझे उम्मीद है कि कल इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

श्री टी०आर० बालू : माननीय श्री नीतीश कुमार सोमवार को उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री परमशिवम आप एक मिनट के अंदर अपना भाषण समाप्त करें।

श्री परमशिवम राजा : बांध की ऊंचाई में जब वृद्धि की जाती है तब खेतों में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। जब सिंचाई जल स्तर में वृद्धि होता है तब खाद्यान्न उत्पादन भी ज्यादा होता है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। उन्नत जीवन स्तर एक अच्छे प्रशासन को दर्शाता है। इसका उल्लेख प्राचीन तमिल संगम साहित्य में किया गया है। इसके परिपेक्ष्य में केन्द्रीय सरकार अपने कृषि – अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में अनेक कदम उठा रही है जिससे ग्रामीण विकास, सुनिश्चित हो रहा है तथा हमारी पंचायती राज संस्थायें भी सुदृढ़ हो रही हैं। इस दिशा में अनेक उपाय करने के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

मैं बताना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार में तमिलनाडु से 9 मंत्री थे और वे सभी तमिल भाषा तथा तमिलनाडु के लोगों की आवाज बुलंद करने में असफल रहे थे। केवल हमारे योग्य नेता डा० पुराची थलावी ने आगे आकर अपनी मांग रखकर तमिल भाषा के स्तर को ऊंचा उठाया और तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिये मांग की। जब यह सरकार सत्ता में आयी थी तब उन्होंने सरकार के सामने छ: मांगे रखी थी। उनमें से पहली मांग सेतू समुद्रम परियोजना की थी जिस पर सरकार द्वारा कार्य अब शुरू किया जा रहा है।

सरकार ने इस परियोजना संबंधी उपयुक्त अध्ययन को पूरा करने के लिए अब धन निर्धारित किया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना हेतु और धन आवंटित किया जाए जिससे कि इसे इसी वर्ष पूरा किया जा सके। इसी तरह हमारी नेता डा० पुराची थलावी ने महिलाओं हेतु 33% आरक्षण किये जाने के लिए विधान बनाये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने सामाजिक दृष्टि से सभी पिछड़े वर्गों के लिए 69% आरक्षण की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग को दोहराया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि शासन हेतु निर्धारित राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसार उनकी मांगों को पूरा किया जाए।

मैं एक बार पुन: संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जारी धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदय, जैसा कि विदित है कि कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया था कि सभा हर दिन रात्रि आठ बजे तक बैठेगी। यह भी निर्णय लिया गया था कि सोमवार को प्रश्नकाल के पश्चात् उत्तर दिया जाएगा। इसे देखते हुए मैं समझता हूं कि अब मात्र तीन सदस्य बोलने के लिए शेष रह गए हैं।

अत:, मेरा सुझाव है कि सोमवार 12 बजे इसका उत्तर दिया जाएगा। इस पर बीस मिनट या आधा घंटा के अंदर चर्चा पूरी कर ली जाए। अत: सभा की कार्यवाही आधे घण्टे तक बढ़ा दी जाये।

सभापति महोदय : क्या सभा की राय है कि सभा का समय 8.30 बजे तक बढ़ाया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : कल 11 बजे रेल बजट पर चर्चा की जाएगी तथा सब कुछ अर्थात् उत्तर, मतदान, विनियोग आदि पूरा होने तक जारी रहेगा। अत: कल हम रेल बजट को चर्चा के लिए लेंगे।

सभापति महोदय : मुझे उम्मीद है कि कल इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

श्री टी०आर० बालू : माननीय श्री नीतीश कुमार सोमवार को उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री परमशिवम, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया आप बोलें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम इस शताब्दी से अगली

शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं और चाहे जिस पार्टी की भी सरकार आये, रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में सरकार अपनी बात कहती है। सभी सरकारें जनकल्याण, आर्थिक विकास को त्वरित गति से आगे ले जाने तथा आंतरिक और बाह्य खतरों से अपने को मजबूत करने के लिए घोषणाएं करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश में प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, तूफान, भूकम्प और चक्रवात से समय-समय पर जान और माल की भी हानि होती है। इसके लिए मैं सेना, सशस्त्र बलों और तमाम स्वयं सेवी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी मेरे से पूर्व सम्मानित सदस्यों ने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, यह बात सत्य है। चाहे वह गुजरात हो या मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश, वहां भी इस प्रकार की असुरक्षा की भावना पूरे अल्पसंख्यक समुदायों में बनी हुई है *(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : उत्तर प्रदेश को बीच में क्यों घसीट रहे हो ?

श्री शैलेन्द्र कुमार : उत्तर प्रदेश को मैं इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि अभी अयोध्या में जिला प्रशासन से यह आदेश हुआ है कि वहां शवों को दफन न किया जाए। वहां कुछ कब्रिस्तानों पर ट्रैक्टर चलाकर उनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ है। *(व्यवधान)* शून्यकाल में यह विषय आ चुका है। वहां अल्पसंख्यकों के बीच में असुरक्षा की भावना है। दारासिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो कि आपके ही संगठन का एक सदस्य है। यह सभी को मालूम है *(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : यह गलत है, वह हमारे संगठन का सदस्य नहीं है *(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपको तो मालूम ही होगा।

सभापति महोदय, बेरोजगारों की संख्या पूरे देश में बढ़ी है। समय समय पर तमाम सम्मानित सदस्यों के विचार आये हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि यह सरकार रोजगार के साधन सृजित नहीं कर रही है। दूसरी तरफ मंहगाई बढ़ी है। जमाखोरी, कालाबाजारी अपनी चरम सीमा पर है। मिलावट भी हुई है। यह देश के सामने बिल्कुल उजागर है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व सरकार ने गरीबों को मिलने वाले सस्ते अनाज और आवश्यक वस्तुओं के दामों को बढ़ाया है। डीजल के दाम भी बढ़े हैं। जबकि सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि डीजल ऐसा फ्यूल है जिस पर पूरे देश के किसानों का भविष्य निर्भर है, चूंकि वह पम्प सैट चलाकर, इंजिन चलाकर अपने खेतों की सिंचाई करता है और उनसे अनाज का उत्पादन करता है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि सिंचाई जल संसाधन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 11 प्रोजेक्ट्स केन्द्र सरकार के विचाराधीन लम्बित पड़े हुए हैं। यदि केन्द्र सरकार उन पर निर्णय ले ले तो 11 सिंचाई से संबंधित परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तीन सौ करोड़ रुपये का गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। किसानों को अपने उत्पादों का मूल्य नहीं मिल रहा है, इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी।

सभापति महोदय, इसी प्रकार प्रधान मंत्री रोजगार योजना की धनराशि को बढ़ाया जाए। महंगाई बढ़ी है। आज का नौजवान उतने पैसे में अपना रोजगार शुरू नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मिनिमम वेजिज एक्ट में मजदूरी के दाम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से सम्मानित सदस्यों के सुझाव आये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी लड़कियों को बी०ए० तक की शिक्षा मुफ्त दी जाए।

सभापति महोदय, इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि ब्लॉक स्तर पर इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाएं। दूसरी तरफ आपने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए वित्त विकास निगमों की स्थापना की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्षरूप से इन सभी समुदाय के लोगों को इन निगमों से लाभ नहीं मिलता है और उसे दलाल तथा बिचौलिए खा जाते हैं। इस पर भी गौर करना है। ग्रामीण महिला विकास आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग का आपने गठन किया है, लेकिन इन तमाम आयोगों का चाहे महिला आयोग हो या बाल आयोग, मेरा कहना है कि इनका काम सुचारू रूप से चलना चाहिए और महिला तथा बालकों को मुफ्त शिक्षा तथा मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए। वृद्धों को उनकी आकांक्षाओं के अनुसार पूरे देश में मुफ्त यात्रा तथा स्वास्थ्य सुविधा देनी चाहिए। चुनाव सुधार में क्वालीफिकेशन और अपराधीकरण के मामलों में मैं विरोध करता हूं। ग्राम पंचायतों को पंचायतीकरण प्रणाली के माध्यम से मजबूत करना होगा, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अधिकार देने होंगे।

सभापति महोदय, मैं समाप्त करते हुए मात्र एक बात कहना चाहता हूं और वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बस यात्रा के बारे में है। अटल जी ने दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा की जिसका आपकी सरकार बहुत ढिंढोरा पीट रही है। मैं कहना चाहता हूं :–

1. "अटल जी क्या यह आपको सूझी।
बस की डिप्लोमेसी।।
ना हिप्पोक्रेसी से चलती।
देश की डिप्लोमेसी।।

2. ना इससे घट जाएगी।
दिल्ली लाहौर की दूरी।।
जब तक न घटती है।
दोनों ओर दिलों की दूरी।।

3. विगत पचास वर्षों में केवल।
नफरत है फैलाई।।
हिन्दू मुस्लिम भेदभाव की।
ही नित अलख जगायी।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी, कृपया अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी (बारपेटा) : सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से अपने भाषण को पांच मिनट में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं अपने भाषण को शालीनता से समाप्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में इस सदन में हमारे विख्यात सांसदों के विचार-विमर्श को सुनने के बाद कल जब मैं सदन से बाहर जा रहा था तो मैंने अनेक देशों से आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल को देखा जिसके सदस्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ खड़े थे। मेरे मन में यह विचार आया कि वे महात्मा गांधी को देखने आए हैं क्योंकि उन पश्चिमी देशों ने ग्राहम स्टैंस के साथ उसके दो छोटे बच्चों के चित्र को देखा होगा। अपने दिल में उस छवि को देखकर मैंने महसूस किया कि यह राष्ट्रपति 12वीं लोक सभा के पहले अभिभाषण और उसके दूसरे अभिभाषण में अन्तर था।

बहस का मुद्दा क्या था ? एक है पोखरण जिसके बारे में मैं और अधिक नहीं कहना चाहता। पिछले 11 महीने से सामाजिक अशांति फैली हुई है जिसने हमे परेशान किया है। ग्राहम स्टैंस एक उदाहरण है।

गांधी जी को देखो, जब नोआखली में अशांति थी तो उन्होंने वहां की कठिन यात्रा की। जब बिहार में अशांति थी तो उन्होंने लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए दूरस्थ गांवों की दुर्गम यात्रा की। सामाजिक वातावरण में ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ है ? इसका क्या कारण था ? मैंने अचानक अनुभव किया कि ईसाई धर्म एक मुद्दा बन कर उभरा है। हम समझते हैं कि ऐतिहासिक कारणों से इस देश में हिन्दुओं और मुसलमानों में अंतर है – यह न्यायसंगत नहीं है। परन्तु इस देश में कार्य कर रहे ईसाई मिशनरियों विशेषरूप से स्टैंस जैसे लोगों की, जिन्होंने 35 वर्ष तक कुष्ठ रोगियों की सेवा की, नृशंस हत्या की गई। मैं किसी भी राजनीतिक दल के नाम को इसके साथ नहीं जोड़ रहा हूं।

परन्तु हमारे देश में असहिष्णुता की भावना बढ़ती जा रही है। आज सदन में बैठे हुए मैंने एक माननीय सदस्य की बात सुनी कि जिस संगठन ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया था उसे अपना नाम बदल लेना चाहिए। इसका नाम ''इटेलियन कांग्रेस'' रखा जाए। क्या मैं सम्माननीय सदन के सदस्यों को स्मरण करा सकता हूं कि उस संगठन अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व पहले ओक्टोवियन ह्यूम ने किया था। क्या हम, हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ-साथ हमारे सांस्कृतिक आन्दोलन में विदेशियों के योगदान को भूल गये हैं ? क्या हम उस महान महिला एनी बेसेंट को भूल गये हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी ? अंत में क्या हम उस महिला सिस्टर निवेदिता को भूल गये हैं जो कि स्वामी विवेकानन्द के सांस्कृतिक आन्दोलन से जुड़ी थी ? हम गर्व से इनका उल्लेख करते हैं। इसलिए हमें इस सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण और दूसरे अभिभाषण के बीच क्या गुणात्मक परिवर्तन हुआ है ? जब तक हम मेल-मिलाप से इन बुराइयों को खत्म नहीं कर देते, चाहे हम विपक्ष में हों अथवा सत्ता में हों, हमारे लिए आगे बहुत कठिन दिन होंगे। आखिर भारत क्या है ? चाहे भोजन की कमी अथवा बहुत से भौतिक सुखों की कमी के कारण यदि हम कष्ट उठाते हैं तो हम इसे सहन कर सकते हैं। परन्तु जब विदेशियों के आगे और पूरे विश्व में आपकी आत्मा प्रभावित होती है और जब आपकी छवि विकृत होती है तब यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। विदेशियों के दिल में भारत की एक विशिष्ट छवि है। प्राय: आज भी वे महात्मा गांधी की प्रतिमा को देखने जाते हैं। इसलिए, महोदय मैं आपके माध्यम से सत्तापक्ष के सदस्यों, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण को सारी स्थिति का जायजा लेने का माध्यम बना रहे हैं, उनसे अपील करता हूं कि वे इस स्थिति पर विचार करें क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हमसे अधिक है।

महोदय, अंत में मैं उस बात का उल्लेख करता हूं जिसे श्री बालू ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वे इस प्रकार के हिन्दूवाद को नहीं समझ सकते यदि कोई समुदाय इस प्रकार के अत्याचारों के लिए उत्तरदायी है। एक मुस्लिम होते हुए मैं भी इस प्रकार के हिन्दूवाद को नहीं समझता। मैं इस प्रकार के कथन के आलोक में हिन्दूवाद को समझता हूं।

[हिन्दी]

''यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्यूत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं
परित्राणाय साधूनां विनाशय च दुष्कृताम
धर्म संस्थाप्नार्थाय संभवामि युगे-युगे।''

[अनुवाद]

इस प्रकार के हिन्दूवाद को समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय सभापति जी, सम्मानीय सदस्यगण, आज मैं टूटी-फूटी हिन्दी में अपने दिल की बात बोलने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप के जरिए आदरणीय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रीपरिषद के लोग हमारी बात अच्छी तरह से सुनेंगे और हमारे जो मसले हैं, उनका तुरंत समाधान निकालने के लिए रास्ता निकालेंगे। कंक्रीट स्टेप लेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में एक गंभीर, उसका समाधान निकालने के लिए जो पालिसी डिसीजन होना चाहिए, उस बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया है।

सिर्फ मैं ही कुछ की बात नहीं करना चाहता बल्कि उत्तर पूर्वी भारत की लाखों आम जनता के दिल में भी बहुत कुछ की लहर बह रही है। इसलिए मैं आपके जरिए आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक बर्निंग बोडोलैंड टैंगल इशू का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक भारत सरकार उत्तर पूर्वी भारत में शांति लाने के लिए, उसके विकास के लिए जितना भी प्रयत्न करें, जितनी भी पॉलिसी बनाई जाएं, हमारे उत्तर पूर्वी भारत में सदा के लिए शांति लाना, लोगों के दिल में यकीन पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बोडोलैन्ड की मांग तो अतिशीघ्र स्वीकार करके भारत

के लाखों ट्राइबल लोगों से अपने यीशु के प्रति विश्वास जगाने का मौका देना चाहिए।

[अनुवाद]

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि ज्वलंत बोडोलैंड समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए एक स्पष्ट, सकारात्मक और व्यावहारिक नीति को अपनाए और अलग बोडोलैंड राज्य का सृजन करे जो कि बहुत न्यायसंगत है और जो हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है।

इस ज्वलंत मांग के अलावा मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि देश के जनजातीय और अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण और विकास के सम्बंध में स्पष्ट नीति और कार्यक्रम होना चाहिए। परन्तु महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ऐसी किसी स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस देश के जनजातीय लोगों, समस्त अनुसूचित जाति के पद-दलित लोगों की सुरक्षा और उनके बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ठोस निर्णय ले। पिछले 11 महीनों से हम देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने जनजातीय लोगों की नृशंस हत्या की जा रही है। यदि हमारे देश में ऐसी स्थिति है तो जनजातीय लोग कैसे जीवित रह सकते हैं ?

इसलिए, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि जनजातीय लोगों के विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाए। मैं भारत सरकार से दोबारा अपील करता हूं कि वह ठोस और सकारात्मक नीति अपनाए और भारत की एकता और अखंडता, विशेषरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संबंध में, को सुनिश्चित करने के लिए और बोडो लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल बोडोलैंड की मांग को स्वीकार करें।

सभापति महोदय : श्री विजय हान्दिक, कृपया संक्षेप में बात कहें, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री विजय हान्दिक : पांच मिनट में मैं किसी भी बात पर पूरा नहीं बोल सकता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करते हुए इसके प्रति मैं अपना प्रतिवाद दर्ज कराने के लिए में एक बात का हवाला देता हूं।

अभिभाषण में सरकार ने एक अन्य अध्याय खोला है जो कि धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को परेशान करने और उनके प्रति हिंसा की गतिविधियों के संबंध में है।

सरकार आई०एम०डी०टी० अधिनियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। हमने पिछले कई वर्षों में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि हम विदेशियों के आगमन और उनको शरण देने के खिलाफ हैं। विदेशियों का पता लगाने और उन्हें बाहर भेजने के बहाने किसी भारतीय को परेशान किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही हमारी धारणा है।

असम को ऐसा त्रासदीपूर्ण अनुभव हो चुका है। विदेशियों का पता लगाने के लिए हम निरन्तर न्यायिक प्रक्रिया अपनाए जाने का समर्थन कर रहे हैं और इसलिए 1983 में आई०एम०डी०टी० अधिनियम संसद में पारित किया गया था ताकि अधिकरण इस मामले का निर्णय करे न कि पुलिस। हमें याद है कि लाखों भारतीय लोगों पर यह आरोप लगाते हुए नोटिस तामील किये गये कि वे विदेशी हैं। परन्तु मात्र कुछ हजार विदेशियों की पहचान की गई और देश के बटंवारे, जिसमें हिन्दु और मुस्लिम दोनों प्रभावित हुए, के आलोक में इस स्थिति के ऐतिहासिक कारणों को भुलाया नहीं जा सकता।

एक और बात है जिसके औचित्य को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। आई०एम०डी०टी० अधिनियम के उपबंधों के अनुसार साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कि संदेहास्पद व्यक्ति विदेशी है, के सबूत का भार शिकायतकर्त्ता पर होता है। जब अधिनियम को रद्द किया जायेगा तो शिकायतकर्त्ता का दायित्व केवल उन व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करना होगा कि वे विदेशी हैं और उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। और जिन व्यक्तियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे विदेशी हैं उन्हें अपने भारतीय होने के सबूत प्राप्त करने के लिए मारे-मारे फिरना पड़ता है। असम समझौते पर हस्ताक्षर के समय भी आई०एम०डी०टी० एक्ट को स्वीकार किया गया था। असम समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हम विदेशी नागारिकों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धता कायम है। इस प्रकार का अन्याय तथा परेशानी जो मुख्यत: धार्मिक भावनाओं पर आधारित है, से हमारे उस बहुवादी समाज पर आघात पहुंचता है जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं। इसी तरह आज हमारे बहुवादी समाज, जिसके प्रति पूरा राष्ट्र प्रतिबद्ध है, के समक्ष गंभीर खतरा पैदा हो गया है। तीसरे विश्व में राष्ट्र राज्य की अवधारणा की अपनी सीमाओं तथा अपूर्णता के बावजूद इसका कोई वैकल्पिक मॉडल नहीं है और पूर्व में एकीकरण के लिए इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा, समाज जितना अधिक बहुवादी होगा, उसे एक बनाये रखने की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। भारत इसका सटीक उदाहरण है बहुवाद हमारे लोकतंत्र का आवश्यक गुण है। बहुसंख्यकों की पृथक पहचान के लिए बहुवादी समाज में कोई स्थान नहीं। बहुवादी समाज वाला कोई भी राज्य सिर्फ बहुसंख्यक लोकाचार को राष्ट्रीय लोकाचार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता और न हीं उस समाज की प्रमुख संस्कृति को मुख्य संस्कृति बनाया जा सकता है। अत: बहु-धार्मिक आस्था वाले समाज के संचालन हेतु धर्मनिर्पेक्षता ही एकमात्र मानवीय और लोकतांत्रिक विकल्प है। बहुधार्मिक आस्था वाले समाज में धर्मनिर्पेक्षता के बिना वास्तविक लोकतंत्र, विचारों की स्वतंत्रता, आस्था के इजहार तथा सभी नागरिकों के लिए समान दर्जा और समानता के अवसर की कल्पना नहीं की जा सकती।

महोदय, मुझे उम्मीद है कि सरकार विवेक से काम लेगी और हमारे बहुवादी समाज की नींव डिगने व गिरने न पाए इस बात को सुनिश्चित करेगी। इक्कीसवीं सदी, नयी शहस्त्रावदि का यही संदेश है।

[हिन्दी]

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : चेयरमैन साहब, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सभापति महोदय : जल्दी, 2-3 मिनट के अन्दर समाप्त करें।

श्री नकली सिंह : मैं इस प्रस्ताव का, इस मोशन का, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए प्रस्तुत हुआ है, उसकी पुरजोर हिमायत करता हूं, उसकी ताईद करता हूं और उसका समर्थन करता

[श्री नकली सिंह]

हूं। भारत माता के वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय पुत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी काम किए हैं, उनमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जिसके लिए हमें प्रायश्चित करना पड़े।

सूरज करता नहीं दोस्ती तारों से, अंधियारे से,
पानी करता नहीं दोस्ती शोलों से, अंगारों से।
शेर मरता हाथ नहीं कभी जंगल के सियारों से,
राष्ट्रभक्ति समझौता करती नहीं कभी गद्दारों से।।

समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहता हूं। श्री वी०पी० सिंह की सरकार के समय श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। वे यहां अभी नहीं हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जब वे कश्मीर की बात कर रहे थे।

डा० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, समय हो गया है। आप या तो खत्म कराएं या फिर हमें भी समय दें।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآدآباد) : چیئرمین صاحب، وقت ہو گیا ہے۔ آپ یا تو ختم کرائیں یا پھر ہمیں بھی وقت دیں

रात्रि 08.32 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

श्री नकली सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री मुफ्ती मोहम्मद वजीरे दाखिला के ओहदे पर थे, जिस पर कभी सरदार पटेल बैठते थे, अब आडवाणी जी हैं, उन्होंने अपने समय में कश्मीर में जब कुछ आतंकवादियों ने उनकी पुत्री रुबैया का अपहरण कर लिया था, तो उन्होंने उसके एवज में पाकिस्तान से आए और यहां पकड़े गए पांच आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। उस समय सरदार पटेल की आत्मा स्वर्ग में बैठी आंसू बहा रही होगी। किस मुंह से वे आज हमारे वजीरे दाखिला को ऐसी बात कह रहे हैं।

छाज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद।

अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने देश में अमन-चैन कायम किया और देश के मान-सम्मान को बढ़ाया है। जब हम लोग चीन से युद्ध में 1962 में पराजित हो गए थे तो आने वाली एक सौ साल की तरक्की को हमने मटियामेट कर दिया था। हमने जो परमाणु विस्फोट किए, वे किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं किए, बल्कि इसलिए किए कि अगर हम पर कोई आक्रमण करना चाहेगा तो उसे पहले सौ बार सोचना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान कितनी बड़ी ताकत है।

अंग्रेजों के जमाने से कावेरी नदी के पानी का झगड़ा चला आ रहा था। कितने ही प्रधान मंत्री आए और चले गए, पंडित नेहरू से लेकर गुजराल साहब तक आए, लेकिन किसी ने भी इस विवाद को हल नहीं किया। लेकिन आज देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मामले को हल कर दिया। हरियाणा लोकदल के माननीय सांसद यहां कह रहे थे कि हमारी समस्या हल नहीं हुई। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे धैर्य रखते, सरकार से समर्थन वापस नहीं लेते, उनकी भी समस्या हल हो जाती। जब कावेरी इश्यू की चार राज्यों की समस्या हल हो गई, तो आपकी दो राज्यों के बीच पानी की समस्या भी हल हो जाती।

हमने जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किए तो पाकिस्तान उत्तेजित हो गया था। उत्तेजना में उसने छः विस्फोट किए। लेकिन यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही कारनामा है कि ऐसे उत्तेजित देश और उसके वजीरे आजम नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बस से लाहौर की यात्रा करके ठंडा कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : नकली सिंह जी आप समाप्त करें।

श्री नकली सिंह : अभी करता हूं। जो लोग देशभक्ति में विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। देशभक्ति क्या होती है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक पेड़ पर आग लग गई। पेड़ जल रहा था, एक मुसाफिर वहां से गुजरा तो उसने उस पेड़ पर रह रहे पक्षियों से कहा :—

आग लगी इस वृक्ष में, जल जाता है पात
ऐ पक्षियों, तुम क्यों जलो, जब पंख मिले साथ।

इस पर पक्षियों ने उस मुसफिर से कहा :—

फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात
धर्म हमारा यही है जलें इसीके साथ।

इस तरह देशभक्ति उन पक्षियों से सीखी जा सकती है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक शेर कहना चाहता हूं :—

तेज कर तलवार को कुछ अरमान न रह जाए
बिस्मिल के ऊपर तेरा कोई एहसान न रह जाए।

इसलिए मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अटल जी की सरकार द्वारा रखे गए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को बड़ी भारी हिम्मत के साथ पारित करें।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब बोलने के लिए केवल दो सदस्य शेष हैं। इनमें से दोनों पांच-पांच मिनट बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरा सहयोग करें। हम लोग उनकी बात सुनें। श्री के०डी० सुल्तानपुरी।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, मैंने सब के भाषण सुने और सब को सुनने के बाद अब यह बात है कि हमारी लड़ाई आखिरी दौर पर है। सबसे पहले मैं यहां कहना चाहता हूं कि एक-दूसरे के खिलाफ हमें टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। रिकार्ड में सारी टिप्पणियां एक-दूसरे के खिलाफ आ गईं — कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सब पार्टियों के लोग जो एक-दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका सारा लेखा-जोखा लिया जाए तो इसमें कई अयोग्य भाषण मिल

जाते हैं। इसमें हिली एरिया का कोई जिक्र नहीं आया। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं – जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और यू०पी० का पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे कृषि क्षेत्र में पानी के सोर्स नीचे हैं, क्योंकि नदियां नीचे बहती हैं, लेकिन हमारी खेतीबाड़ी पहाड़ पर होती है। देश की रक्षा करने के लिए हमारे पहाड़ी लोग भी प्लांटेशन करते हैं, फोरेस्ट की फार्मिंग करते हैं। उसमें हम सेब लगाते हैं और फलदार वृक्ष लगा कर अपने खर्चे पूरे करते हैं, उदर पूर्ति करते हैं।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खेतीबाड़ी और छोटे किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही गई, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमारे पास बहुत से साधन हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पनबिजली योजनाएं बन सकती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 22,000 मेगावट बिजली तैयार हो सकती है लेकिन अगर सरकार उन कोयले के भंडारों को, जो हमारी सम्पत्ति है उसे ही उपयोग में लाना चाहती है तो यह अच्छी बात नहीं है। मेरा कहना है कि आपको ज्यादा हाइडल प्रोजेक्ट तैयार करने चाहिए। आज भाखड़ा कितनी सस्ती बिजली देश को देता है। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां वाटर रेसोर्सेस हैं, उसका इस्तेमाल करके पहाड़ी क्षेत्रों में पनबिजली तैयार करनी चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है। हमारे लोग एजिटेशन कर रहे हैं। मैं पहाड़ी लोगों के लिए कहना चाहता हूं। पिछले भाषण में था कि उत्तराखंड बनेगा, बिहार में और मध्य प्रदेश में भी कोई क्षेत्र बनेगा, लेकिन इस दफा उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र के साथ गढ़वाल का क्षेत्र लगता है उसे उत्तराखंड में शामिल किया जाए ताकि उनको लखनऊ की दूरदराज राजधानी में न जाना पड़े और वहीं उनके विकास के कार्य हो सकें। उधमसिंह नगर उत्तरखंड में जाना चाहिए। हरिद्वार और देहरादून का इलाका भी जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

जहां तक सरकार का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया और कहा कि हमारा 1500 करोड़ रुपया हरियाणा और पंजाब की तरफ बाकी है वह दिलाया जाए। विभाजन के समय हिमाचल सरकार का एग्रीमेंट पंजाब और हरियाणा के साथ हुआ था, उसमें 7.2 परसेंट बिजली हमें देने की बात की गई थी लेकिन हमें 2.2 परसेंट ही मिल रही है। हमारा पांच परसेंट ये लोग खा रहे हैं और यहां सबसे ज्यादा यही बोलते हैं। अब तो आपकी सरकार यहां भी है और वहां भी है। आप 1500 करोड़ रुपया हमें दिला दें। आज हिमाचल के लोगों में अमन, चैन और सुख है। वे एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। वहां भ्रष्टाचारियों के कारण आपने 13 दिन संसद नहीं चलने दी और विधान सभा भी ठीक से नहीं चली। *(व्यवधान)* मेरा कहना है कि चाहे कोई भी सरकर बने, यह कहे कि हम भ्रष्टाचारियों को साथ नहीं लेंगे। तो बात बनती है। आपने 13 दिन वहां बंद रखा और उसके तकिये के नीचे चार करोड़ मिले, वह करप्शन नहीं तो क्या वह ईमानदार है ? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहां नेता शांताकुमार जी बैठे हैं वे हिमाचल प्रदेश के लीडर हैं *(व्यवधान)* और *(व्यवधान)*• मैं कहना चाहता हूं कि *(व्यवधान)*• को भी उन्होंने ही बनाया है। जिनके खिलाफ करप्शन में एफ०आई०आर० हुई है प्रदेश में, उनको आपने चेयरमैन बना दिया। आपके वर्कर क्या सोचते होंगे। हमें जो शिकायतें आती हैं उस पर हम केवल आपके सामने दुख प्रकट कर सकते हैं। आपको अपने लोगों की मोनिटिरिंग करनी चाहिए कि कौन से आदमी हमारे छूट गये। यह नहीं कि यह शांता कुमार जी का रहे यह का रहे। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्टेट का जो बकाया रुपया है उसे केन्द्र सरकार दिलाए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारा जिक्र नहीं है। *(व्यवधान)* मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : को जेल जाना पड़ेगा अगर इंक्वायरी हुई।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : अगर आप उनको जेल में भेज सकते हैं तो मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करके दिखाएं। *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : को जेल जाना पड़ेगा अगर इंक्वायरी हुई।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : अगर आप उनको जेल भेज सकते हैं तो मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करके दिखाएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ से उल्लेख किए गए ऐसे सदस्यों के नाम जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किये जाएंगे। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, अत: आपको संयम बरतना चाहिए।

•**श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या** (तुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ बेहतरीन काम किए हैं। जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। मैं प्रधान मंत्री को तब से जानता हूं। वे 15 वर्ष पहले हमारे शहर तुमकुर आए थे। तब वे तुमकुर के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद के घर ठहरे थे। उस शिक्षाविद ने गौरव से कहा कि वे भविष्य के प्रधान मंत्री का आतिथ्य कर रहे हैं। चार महा पूर्व जब प्रधान मंत्री जी हमारे चुनाव क्षेत्र में गए, तो मैंने उन्हें उस घटना की याद दिलायी। दरअसल, हमारे देश के बहुत से प्रमुख लोग अटल जी के प्रधान मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे। अब यह हकीकत बन गयी है। प्रधान मंत्री जी देश को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सही दिशा में ले जा रहे हैं।

मैं कर्नाटक में राज्यपाल के अभिभाषण पर होने वाली बहस में गत 19 वर्षों से हिस्सा लेता रहा हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा में, गत 5 वर्षों से हिस्सा लेता रहा हूं। अब अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान यह दूसरा वर्ष है जबकि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। चर्चा में भाग लेने के दौरान हमें कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ सकता है इससे लोगों के बीच कुछ भ्रांति भी पैदा हो सकती है।

महोदय, कुमाराधारा नदी का उदगम सकलेशपुरा, कुर्ग से है। इस नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाना है ताकि नदी का पानी तुमकुर तथा इसके पड़ोसी जिलों को मिल सके। इससे हमारे चुनाव क्षेत्र के एक बड़े भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे क्षेत्र के लोगों कि यह एक बहुत पुरानी लंबित मांग भी है और मुझे यह उम्मीद है कि केन्द्र इस दिशा में तत्काल उपाय करेगा।

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

•मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या]

मेरे चुनाव क्षेत्र के बहुत से किसान ड्रिप सिंचाई पर निर्भर करते हैं। केन्द्र को इस क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन देना चाहिए। किसानों को दी जाने वाली राजसहायता अपर्याप्त है, अत: इसमें यथाशीघ्र वृद्धि की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की जा रही है। दुर्भाग्यवश, उक्त पूरी राशि का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए नहीं किया जा रहा है। कभी-कभी उक्त राशि का अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाता है। हाल में वित्त मंत्रालय द्वारा आर०डी०पी० मंत्रालय से 608 करोड़ रुपये वापस ले लिए गए। वह राशि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई थी जो राज्य सरकार द्वारा खर्च नहीं की जा सकी। बजट सत्र के दौरान घोषणा होती है लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित सड़कें एवं विद्यालय भवनों की व्यवस्था नहीं है। कर्नाटक के विशेषकर तुमकुर जिले के गांवों में पेयजल की अत्यधिक कमी है। मेरे क्षेत्र के अधिकांश लोग 'झुग्गियों' एवं 'झोपड़ियों' में रहते हैं। बेरोजगारी गांवों की दूसरी गंभीर समस्या है। जहां स्थिति ऐसी हो, फिर आवंटित राशि को कैसे अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाता है ? यह लोगों को धोखा देने से कम नहीं है। पेयजल की समस्या को इस सम्माननीय सदन में कई बार उठा चुका हूं।

हमारे समाज का आर्थिक रूप से कमजोर तबका इस समस्या से जूझ रहा है। दरअसल, यह केन्द्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराए। अत: मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि वह कर्नाटक के ग्रामीण लोगों के पेयजल के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए।

महोदय, एक भाषा समिति है जिसका कार्य पूरे देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करना है। इस दिशा में कोई ईमानदार प्रयास नहीं हो रहा है। कई वर्षों पहले कर्नाटक के स्कूलों में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी। विद्यार्थी भी इस भाषा को रुचि से सीखते थे। अब, विद्यार्थियों में इस भाषा के प्रति न तो कोई रुचि है और न ही सरकार की ओर से इसके लिए कोई प्रोत्साहन है। हिन्दी शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों को भरा जाना है और विद्यार्थियों को हिन्दी सीखने के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इससे देश की अखण्डता मजबूत होगी।

मंत्रियों के अधीन कार्यरत अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठन संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं मुझे यह कहते दुख होता है। मेरा यह 26 वर्षों का अनुभव है। हमारे टेलीफोन का भी समुचित जवाब नहीं दिया जाता है। उक्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी सांसदों तथा विधान सभा सदस्यों की भी अनदेखी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मल्लिकार्जुनय्या जी, कृपया समाप्त करें।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : महोदय, कृपया मुझे केवल दो मिनट का समय दें।

महोदय, उन कार्यालयों तथा संगठनों में जिनसे आम जनता का वास्ता पड़ता है वहां आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को पूरे देश के सभी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केन्द्र इन कार्यालयों में आमूल-चूल परिवर्तन करेगी ताकि वे विधायकों तथा आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय कर्नाटक।

डा० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, शुक्रिया। आपने मुझे आखिर में बोलने का समय दिया। मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं।

"उस कलम को खुदा रोशनाई न दे,
जो सजाएं तो लिखे, रिहाई न दे,
उस बुलंदी से महफूज रखे खुदा,
जिस पर आहो फुगान भी सुनाई न दे।"

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुंद) : लोक सभा से जल्दी जुदाई न दे।

डा० शफीकुर्रहमान बर्क : ऐसा मालूम हो रहा है कि आपको जुदाई का ज्यादा ख्याल है।

उपाध्यक्ष महोदय : नौ बजे से पहले इस चर्चा को समाप्त करना है। नहीं तो खाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

डा० शफीकुर्रहमान बर्क : मैं जल्दी खत्म करूंगा। मैं सदर जम्हूरिया के खुतबे के मौके पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। शुक्रिया प्रस्ताव को मैं अपोज करता हूं। हिन्दुस्तान में जब से भाजपा की सरकार आई है और जो हालात इस देश के हुए हैं, उससे देश की बड़ी बदनामी हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है, फिरकके वारियत बढ़ी है। यह सरकार हर महाज पर फेल हो गई है। इसके रिजल्ट सब के सामने हैं। पिछले दिनों जब नवम्बर में इलैक्शन हुए तो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी कई जगहों में इनकी टोटली हार हो गई। उन्होंने जो नेशनल एजेंडा तैयार किया था, इसके पीछे हिडन एजेंडा था जिसपर ये लोग काम कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह बी०जे०पी० की सरकार नहीं, आर०एस०एस० की सरकार है। वे जिस तरह से हिदायत करते हैं, ये उसी पर चलते हैं। इन्होंने पोखरण में ऐटमी टैस्ट किया जिससे पूरे देश में बदनामी हुई। उससे महंगाई बढ़ी और अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से जो विकास के काम हो रहे थे, वे सारे के सारे बंद हो गये। हम आज भी इस बात से परेशान हैं क्योंकि वे सी०टी० बी०टी० पर दस्तखत कराना चाहते हैं। उसके पहले भी हमें रिहाई मिल सकती है।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, उसकी हालत यह कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 240 कार्यकर्त्ता और नेता मारे गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में जहां सैंट्रल गवर्नमेंट है

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माफिया के जो लोग मारे गये, क्या वे आपके कार्यकर्त्ता थे ?

डा० शफीकुर्रहमान बर्क : मैं कह रहा था कि इस देश में अकलियतों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है। खासकर

इस वक्त मुसलमानों और ईसाइयों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद मुसलमान इस जुल्म को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लाखों मुसलमान इसके शिकार हो चुके हैं लेकिन अब गुजरात और उड़ीसा के अंदर ईसाइयों के साथ जो जुल्म हुआ है, यह काबिले अफसोस और काबिले मजाम्मत है। राष्ट्रपति जी ने अपने खुतबे के अंदर इन चीजों का जिक्र नहीं किया। जब वे खुतबा पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में उनको टोका था और उनसे गुजारिश की थी कि कम से कम 2000 करोड़ रुपया मुसलमानों, अकलियतों की तालीम के लिये मुकर्रर किया जाये। लेकिन उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। जब तक इस मुल्क में अकलियतों को तालीम नहीं दिलायेंगे, लोगों को तालीमयाफ्ता नहीं बनायेंगे, उस वक्त तक न गरीबी दूर हो सकती है और न अमन-चैन और सुकून हो सकता है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादतियां की गई हैं। उनके साथ यहां तक नाइन्साफी की गई है कि तालीम के मैदान में उनके लिये रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अगर प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं, माइनॉरटीज के स्कूल खोले जाते हैं तो उन्हें मदद नहीं दी जाती है। उसमें तरह-तरह की रुकावटें खड़ी की जाती हैं। अगर मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं, उस वक्त उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जाता है। सैंकड़ों-हजारों मस्जिदें मुसलमानों के कब्जे में नहीं हैं। बहरहाल उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बकरीद आ रही है, इस वक्त यह आवाज उठी है कि हम कुर्बानी नहीं होने देंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले को देखे। ऐसा न हो कि सरकार की बदनामी हो। अगर कुरबानी होने से रुकती है तो फसादात हो सकते हैं। यह मुसलमानों का जानकार त्यौहार है जिसे सारी दुनिया में मनाया जाता है। ऐसे मौके पर न केवल हिन्दुस्तान बल्कि सारी दुनिया से लोग हज करने जाते हैं। आज हज का मसला उठा कि हाजियों को वीज़ा नहीं मिल रहा है और वे सड़कों पर घूम रहे हैं। उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वे लोग घर छोड़कर यहां पड़े हुये हैं। आज हाजियों की तादाद 20-30 हजार है जिनको अभी तक वीज़ा नहीं दिया गया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों को वीज़ा दिया जाये और बकरीद के मौके पर, कुरबानी के मौके पर जगह-जगह महफूज इन्तजामात कराये जायें। तालीम के मैदान में उनकी मदद की जाये।

इन्हीं अलफाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बी०जे०पी० के लोग दिल्ली में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहरहाल अपनी नीति को बदलेंगे और यह साबित करके दिखायेंगे। वह अपनी नीति को बदलने के लिए यह साबित करके दिखाएंगे कि इस देश के अंदर रहने वाले लोग जितने भी हैं, वह सब बराबरी का हक रखते हैं। उनके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد) : محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، شکریہ۔ آپ نے مجھے آخر میں بولنے کا وقت دیا۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔

اُس قلم کو خدا روشنائی نہ دے
جو سزائیں تو لکھے، رہائی نہ دے
اُس بلندی سے محفوظ رکھے خدا
جس پر آہو سُرغابی سنائی نہ دے

شری چندر شیکھر ساہو (مہا سومند) : لوک سبھا سے جلدی رہائی نہ دے۔

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد) : ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو جُدائی کا زیادہ خیال ہے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب : نو بجے سے پہلے اس چرچا کو ختم کرنا ہے۔ نہیں تو کھانے کی ذمے داری لینی پڑیگی۔

[डा० शफीकुर्रहमान बर्क]

श्री चन्द्र शेखर साहू (महा सुमन्द) : लोक सभा से जल्दी रिहाई दे दे।

डाक्टर शफीक उर रहमन बर्क (मुरादाबाद) : ऐसा मालूम हो रहा है कि आप को जुदाई का ज्यादा ख्याल है।

डेपुटी स्पीकर साहब : नौ बजे से पहले इस चर्चा को खत्म करना है। नहीं तो खाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

डाक्टर शफीक उर रहमन बर्क (मुरादाबाद) : मैं जल्दी खत्म करूंगा। मैं सदर जमहूरिया के खिताब के मौके पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। शुक्रिया की तहरीक की मैं मुखालफत करता हूं। हिन्दुस्तान में जब से भाजपा की सरकार आई है और जो हालात इस मुल्क के हुए हैं, इस से मुल्क की बड़ी बदनामी हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है, फिरकावारियत बढ़ी है। यह सरकार हर महाज पर फेल हो गई है। इसके नतीजे सब के सामने हैं। पिछले दिनों जब नवम्बर में इलेक्शन हुए तो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी कई जगहों में इनकी मुकम्मल हार हो गई। इन्होंने जो नेशनल एजेंडा तैयार किया था, इसके पीछे हिडन एजेंडा था जिस पर यह लोग काम कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि यह बी जे पी की सरकार नहीं, आर एस एस की सरकार है। वह जिस तरह से हिदायत करते हैं, उसी पर चलते हैं। इन्होंने पोकरान में एटमी टेस्ट किया जिस से पूरे मुल्क में बदनामी हुई। इस से मंहगाई बढ़ी और अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से जो वर्क्स के काम हो रहे थे, वह सारे के सारे बन्द हो गए। हम आज भी इस बात से परेशान हैं कि वह सी टी बी टी पर दस्तखत कराना चाहते हैं। इसके पहले भी हमें रिहाई मिल सकती है।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, इसकी हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के २४ वर्कर और नेता मारे गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में जहां सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): माफिया के जो लोग मारे गए, क्या वह आप के वर्कर थे?

डाक्टर शफीक उर रहमन बर्क (मुरादाबाद) : मैं यह कह रहा था कि इस मुल्क में अकलियतों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है। खास कर इस वक्त मुसलमानों और ईसाइयों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद मुसलमान तो इस जुल्म को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। लाखों मुसलमान इसके शिकार हो चुके हैं लेकिन अब गुजरात और उड़ीसा के अन्दर ईसाइयों के साथ जो जुल्म हुआ है, वह काबिले मजम्मत है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब के अन्दर इन चीजों का जिक्र किया, जब वह खिताब पढ़ रहे थे तो मैं ने बीच में इनको टोका था और इन से गुजारिश की थी कि कम से कम २००० करोड़ रुपया मुसलमानों, अकलियतों की तालीम के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन इन्होंने इसका

اقلیتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ خاص کر اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد مسلمان تو اس ظلم کو برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمان اسکے شکار ہو چکے ہیں لیکن اب گجرات اور اڑیسا کے اندر عیسائیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے خطبے کے اندر ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، جب وہ خطبہ پڑھ رہے تھے تو میں نے بیچ میں انکو ٹوکا تھا اور ان سے گذارش کی تھی کہ کم سے کم ۳۰۰۰ کروڑ روپیہ مسلمانوں، اقلیتوں کی تعلیم کے لئے مقرر کیا جائے۔ لیکن انہوں نے اسکا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جب تک اس ملک میں اقلیتوں کو تعلیم نہیں دلائیں گے، لوگوں کو تعلیم یافتہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک نہ غریبی دور ہو سکتی ہے اور نہ امن و چین اور سکون ہو سکتا ہے۔ اسلئے میری گذارش ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتیاں کی گئی ہیں۔ انکے ساتھ یہاں تک ناانصافی کی گئی ہے کہ تعلیم کے میدان میں انکے لئے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اگر پرائیویٹ اسکول کھولے جاتے ہیں، مائنورٹیز کے اسکول کھولے جاتے ہیں تو انہیں مدد نہیں دی جاتی ہے۔ اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اگر مسلمان مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس وقت انہیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مسجدیں مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہیں۔ بہر حال انکا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ عید الضحیٰ آ رہی ہے اس وقت یہ آواز اٹھی ہے کہ ہم قربانی نہیں ہونے دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ سرکار اس معاملے کو دیکھے۔ ایسا نہ ہو کہ سرکار کی بدنامی ہو۔ اگر قربانی ہونے سے رکتی ہے تو فسادات ہو سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا باوقار تہوار ہے جسے ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ آج حج کا مسئلہ اٹھا کہ حاجیوں کو ویزا نہیں مل رہا اور سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ لوگ گھر چھوڑ کر یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ آج حاجیوں کی تعداد ۲۸۔ ۳ ہزار ہیں جنکو ابھی تک ویزا نہیں دیا گیا ہے۔ میری سرکار سے گذارش ہے کہ ان لوگوں کو ویزا دیا جائے اور عید الضحیٰ کے موقع پر، قربانی کے موقع پر جگہ جگہ محفوظ انتظامات کرائے جائیں۔ تعلیم کے میدان میں انکی مدد کی جائے۔

ان ہی الفاظ کے ساتھ میں آپکا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بی جے پی کے لوگ دہلی میں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، بہر حال اپنی پالیسی کو بدلنے کے لئے یہ ثابت کر کے دکھائیں گے۔

وہ یہی سبق کو بدلنے کے لئے یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ اس دیش کے اندر رہنے والے لوگ چاہے کسی بھی دھرم سے ہوں برابری کا حق رکھتے ہیں۔ انکے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہئے۔

श्री बासवाराज पाटील सेडाम (गुलबर्गा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

बार-बार संसद में पोखरण के विषय को लेकर वाजपेयी जी की नीति के बारे में चर्चा की जाती है और सैक्शन्स का उल्लेख किया जाता है। एक स्वाभिमानी राष्ट्र को किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता है। विपदाएं अच्छे राजनीतिज्ञ के लिए वरदान बना करती हैं। उसी प्रकार मेरे मन में ऐसा आता है कि सैक्शन्स के कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। डिटरजेण्ट इंडिया बॉण्ड के नाम पर विश्व के अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों ने तीन सप्ताह में 18 हजार करोड़ रुपये जमा किये। इतना ही नहीं, दस साल से डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य गिरता जा रहा था। आज उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं आई। लगभग 30 पैसे अब रुपये की कीमत बढ़ गई है। मैंने मूल्य आकलन किया है जिसके कारण भारत सरकार एक साल में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये बचत कर चुकी है। यह स्टेबिलिटी आर्थिक स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े गौरव की बात है। साथ ही साथ लोग उद्योग के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, युवकों को काम देने के बारे में सोचते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने 58 प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिए पैसा लेने की कोशिश की है जिसके कारण गांव के अंदर रोजगार बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। लगभग 18000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने से और आठ महानगरों को जोड़ने से डायमंड हाईवे, सुपर हाईवे बनाने से 36 हजार करोड़ रुपये आने वाले तीन साल में खर्च किये जाएंगे जिसके कारण इस देश में लाखों लोगों को उद्योग मिलेगा और काम मिलेगा। इसी प्रकार से हर साल 20 लाख मकान बनाने हैं। इससे भी लोगों को काम मिलेगा। उद्योग के संबंध में एक लाख सत्रह सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा कई उद्योगों को जीवनदान दिया जा सकता है। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा में भी 100 से 160 करोड़ रुपये किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में 55 करोड़ रुपये का प्रावधान करके नये-नये रिसोर्स बड़े और छोटे को प्रोत्साहन देने का काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। इन सबके बावजूद वाजपेयी जी की सरकार के बारे में पहले दिन से जो बात कही जा रही है कि यह सरकार अब गिरती है, तब गिरती है, हमें तो संतोष है। ऐसा कहने वाले हमेशा हमारे सामने रहने चाहिए। क्योंकि उसी फूल की सुगंध खिलती है जो कांटों के बीच में पलता है। हमारे शत्रु पत्थर फैंकते रहें। उसी पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं जो फल देता है। वैसे ही फल देने वाले एक महान नेता इस देश में वाजपेयी हैं। लोग चार बात कहेंगे तो वह देश को भलाई देंगे, बुराई नहीं देंगे।

एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि "जाको राखे सांइयां मार सके न कोय", जिनकी भगवान रक्षा करने वाला है, उसका अंत कोई नहीं करने वाला है। इस देश की राजनीति में विश्वामित्र के रूप में इस सदन में इस सरकार को संकट देने के लिए कई लोग आएंगे परंतु राजा हरिश्चन्द्र की सत्य की गरिमा के समान वाजपेयी जी की गरिमा और अधिक बढ़ेगी, यही बात कहते हुए मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

रात्रि 9.00 बजे

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहन सुषमा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, उस पर मैं भी अपनी दो बातें कहना चाहता हूं। महोदय आपने देखा है कि शताब्दी के दहाने पर हिन्दुस्तान का 50 वर्षों का लोकतंत्र बहुत से नये-नये अनुभवों से गुजर रहा है। जिस तरीके से पूर्वाग्रह की मानसिकता लेकर हमारे कुछ भाई सत्ता में आये हैं, उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर इस राष्ट्र की प्राथमिकताओं को बदला है और उसके जो परिणाम सामने आने लगे हैं, उनसे हम सभी को दो-चार होना है और कम से कम उन पर अपनी निगाह बनाये रखनी है। आज हमने देखा है कि जिस तरह से विदेश नीति में परिवर्तन किया गया है, उससे जिन संसाधनों की रचना हो रही थी, वह रचना आज नहीं हो पा रही है और एक बड़ा दबाव हमारे हिन्दुस्तान पर बन रहा है, हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर बन रहा है। उसका सीधा-सीधा प्रतिफल हमने देखा कि डब्ल्यू०टी०ओ० के प्रभाव के अंतर्गत जिस तरीके से सरकार ने एक समझौतापूर्ण नजरिया अख्तियार करते हुए समझौते किये हैं और यहां से पेटेन्ट एक्ट पास कराया है, उसके दूरगामी परिणाम हम सभी को भोगने पड़ेंगे। एक पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है, जिस तरीके से अंग्रेज हिन्दुस्तान में आये, यहां की आत्म-निर्भरता को नष्ट करके, यहां की आधी आबादी जो क्राफ्ट्स पर डिपेन्डेंट थी, उसको तोड़ा और अपनी एक नई अर्थव्यवस्था कायम की थी। अपने कारखानों के लिए यहां से कच्चे माल की व्यवस्था की थी और यहां की जनता को महज एक उपभोक्ता के तौर पर उन्होंने स्थापित किया था। आज ऐसा लगता है कि फिर वही परिस्थितियां बन रही हैं जब एक बार पुनः हम लोगों का और हिन्दुस्तान का वजूद एक उपभोक्ता के तौर पर पहचाना जाएगा और जो हमारी मानसिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता रही है, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगने की संभावना पैदा हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो समाज की ताकतें हैं वे आज समाज में बहुत बड़ी अस्थिरता पैदा कर रही है। आज अपराध इतने बढ़ चुके हैं कि अपराधी जेल में सुरक्षित हैं, लेकिन मुदई घर पर सुरक्षित नहीं है, गवाह कचहरी या सड़क पर सुरक्षित नहीं है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सरकार की विल पावर पर उसकी इच्छाशक्ति पर सीधा प्रश्न पैदा करते हैं। चूंकि सरकार के सामने यह पहली चुनौती होती है कि जो उसकी प्रजा है, प्रजाजन हैं, उनको कम से कम व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध होती रहे। यही उसकी कसौटी होती है। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशासनिक अक्षमता की जो आज स्थिति बनी हुई है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भाई चाहे वे सांसद हों, विधायक हों या चाहे प्रधान ही क्यों न हों, नियोजक के तौर पर उनका जो मूल चरित्र है, उनको अपने इलाके का नियोजक होना चाहिए, वे पूरी तौर पर फंक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। समाज में व्याप्त असुरक्षा का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो लॉलैसनैस फैली हुई है, जो सिक्युरिटी की प्रॉब्लम है, उसे फैसिलिटेट करने में आम आदमी का और हमारा 80 परसेंट समय जाया हो जाता है ताकि हम आम आदमी को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। हमारा नीतियों के मूल्यांकन, नियोजन, अध्ययन और डाटा कलेक्शन के लिए जो समय बचाना चाहिए, निश्चित रूप से उससे हमें बड़ा नुकसान होता है। उसका प्रतिफल हमारी संसदीय संस्थाएं भुगत रही हैं। उनका वजन हल्का हो रहा है। आज हमें इस पर विचार करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी प्रतिबद्धताएं संविधान के प्रति होती हैं, इसे हम सभी जानते हैं। लेकिन

आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि प्रतिबद्धताएं बदल रही हैं। वे व्यक्तिगत रूप से किसी नेता के साथ, जाति के साथ या पावर ग्रुप के साथ जुड़ रही हैं। मुझे खास तौर से यह भी कहना है कि हिन्दुस्तान में प्रशासन का जो गिरता हुआ स्तर है, उसके पीछे चाहे कोई भी सरकार रही हो चाहे उसके पहले कोई भी सरकार रही हो, यदि उसकी परफॉर्मेन्स का स्तर गिरता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है और हमें उस स्तर को देखना चाहिए कि यदि किसी भी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की परफार्मेन्स का स्तर गिर रहा है तो उसके क्या कारण हैं ? मुझे अफसोस है पता नहीं किस कारणवश सरकार इन चीजों को नहीं देख सकी। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन चीजों को तरजीह नहीं मिल सकी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं का सवाल है, मुझे निश्चित रूप से यह कहना है कि हम लोग तो महिला विरोधी के तौर पर बदनाम किये गये हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि परिवार में अगर महिला को विशिष्ट तौर पर नहीं पहचाना गया, परिवार के प्रति उसकी सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया, अगर सरकार और समाज ने उसको सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के तौर पर प्रतिफल नहीं दिया तो हम चाहें उन्हें कहीं भी पहुंचा दें, हमारी सारी उपलब्धियां अधूरी रह जायेंगी। हिन्दुस्तान की आधी आबादी महिलाओं के रूप में हमारे घरों में निवास करती हैं और उन्हें परिवार में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, समाज को जिस तरह से उन्हें प्रतिबद्धताएं देनी चाहिए, वे नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि हमारी माताओं और बहनों ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, मगर उसके बावजूद जो सही सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उन्हें परिवार में मिलनी चाहिए, जो मान्यता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, घर के अंदर काम करने वाले महिलाएं जो घर में परिवारों को पालती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनकी प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के तौर पर परवरिस करती हैं, ऐसी महिलाओं को सरकार के विभिन्न आयकर प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको अलाउंस दिया जाना चाहिए ताकि उनको प्रापर एवार्ड मिल सके, उनको मान-सम्मान मिल सके।

जहां तक हमारे देश के किसानों का संबंध है, हमारे देश की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि कृषि के साथ बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज जितनी सुविधाएं, सेवाएं, मार्केट और मैनेजीरियल फेसिलिटीज उद्योगों को उपलब्ध हैं, उनका छठा भाग भी कृषि को उपलब्ध नहीं है जबकि उसके ऊपर इस देश की 80 प्रतिशत आबादी निर्भर करती है। आज की तारीख में जब यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान खुलेपन और उदारीकरण की नीति के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे अनपढ़ और पुरानी तकनीकी पर खेती करने वाले काश्तकार हैं, जो संगठित नहीं हैं और असंगठित सैक्टर में हैं, वे बड़े-बड़े पहलवानों के साथ मुकाबला कैसे करेंगे। इस सवाल पर विचार करने की बहुत जरूरत है। मुझे डर है कि कल कहीं खेती महंगी होने के कारण लोग खेती का काम छोड़कर शहरों की तरफ भागेंगे और एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हो जाएगी, तो उस हालत में सारी व्यवस्था का क्या होगा, उसका कोई खुलासा हमारे पास नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े-बड़े कार्पोरेशन हिन्दुस्तान में घुसने के लिए तैयार हैं और एक्स्क्लूसिव मार्केटिंग राइट्स की ओर देख रहे हैं। इसलिए हमें यह भी ख्याल रखना है कि आज हमारे हिन्दुस्तान के अंदर जो उपभोक्ता हैं वे संगठित नहीं हैं और अमरीका तथा यूरोप की तरह शिक्षित और संगठित नहीं हैं, वह कैसे बड़े-बड़े पहलवानों के रूप में आने वाली मल्टीनैशनल कंपनियों का मुकाबला करेंगे और उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेचारे असंगठित क्षेत्र के उपभोक्ताओं का क्या होगा, उनके हितों की रक्षा कैसे होगी ? इन सवालों पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की अधिकांश आबादी अशिक्षित है और कंजूमर बिहेवियर से वाकिफ नहीं हैं और हम सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इससे ग्रस्त है और यह भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में ज्यादा समस्याएं आबादी के कारण नहीं हैं बल्कि बेरोजगारी के कारण हैं। आज हमारे अधिकांश नौजवान बेरोजगार हैं जिनके पास कर्मशक्ति है, कल्पनाशक्ति है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं। इस 100 करोड़ की आबादी के सामने उन अवसरों की रचना कैसे होनी है, हमें उसके बारे में विचार करना है। हिन्दुस्तान में 16 से लेकर 28 साल तक के जो नौजवान हैं जिनके पास आज कर्मशक्ति है, कल्पनाशक्ति है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। उदारीकरण के इस दौर में विदेशों में 16 साल का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और हिन्दुस्तान में 30 साल का नौजवान भी आज बेरोजगारी के कारण अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नेपाल चन्द्र दास। श्री दास, आप मात्र दो मिनट ही बोलेंगे। इस चर्चा पर बोलने वाले वे अंतिम वक्ता हैं।

श्री नैपाल चन्द्र दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं करीमगंज आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जो कि हर दृष्टि से पिछड़ा है। लेकिन मैं अपने भाषण में असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित कुछ समस्याओं का ही जिक्र करूंगा।

स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बाद भी पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड के शिक्षित तथा अशिक्षित युवक विद्रोही ग्रुपों में शामिल हो गए हैं जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद की गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

पूर्वोत्तर राज्यों को एफ०डी०आई० शेयर से कैसे वंचित रखा गया, इसके बारे में मैं मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1991 से दिसम्बर 1998 तक भारत में कुल 7,399.11

[श्री नेपाल चन्द्र दास]

करोड़ रु० के एफ०डी०आई० शेयर निवेश में से असम का शेयर केवल 1.5 करोड़ रु०, मणिपुर का 3.19 करोड़ रु०, नागालैण्ड का 3.68 करोड़ रु० तथा त्रिपुरा का 0.68 करोड़ रुपए है।

यह इन राज्यों में विद्रोह के आधार पर किया गया है। असम की बराक घाटी एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। फिर बराक घाटी में एफ०डी०आई० क्यों नहीं कराया गया ? मैं केन्द्रीय सरकार से इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि भविष्य में विद्रोह को दलील के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों को विशेषकर असम को एफ०डी०आई० से वंचित न रखा जाये।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसद सदस्य इस बात से प्रसन्न हैं कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात की पेशकश की है की वहां स्थापित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के उद्योग में निवेश करने वालों को दस वर्ष की कर छूट दी जाएगी। मैं केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में आगे आने का अनुरोध करते हुए यह भी मांग करता हूं कि इस दस वर्ष की अवधि को बढ़ाकर बीस वर्ष कर दिया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को इस ओर आकर्षित किया जा सके और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित विद्यमान उद्योगों को भी इसका लाभ मिले। यहां विद्यमान कुछ उद्योग रुग्ण हो गए हैं जबकि अन्य किसी न किसी कारणवश रुग्णता के घेरे में आ रहे हैं। ऐसे सभी उद्योगों की हालत सुधारने के लिए तथा अगले बीस वर्षों तक कर राहत से लाभ प्राप्त करने हेतु मैं केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक असम में सिंचाई का संबंध है, मेरा कहना है कि यद्यपि असम राज्य में नदी द्वारा सिंचाई की जाती है फिर भी वहां सिंचाई सुविधाओं की कमी है। आज भी असम में 12 प्रतिशत से कम भूमि तथा बराक घाटी में 6 प्रतिशत से कम भूमि पर सिंचाई होती है। वहां पर छोटे, मझौले तथा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की काफी संभाव्यतायें हैं। यदि वहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं तो असम को चावल के लिए अन्य राज्यों की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए तथा असम में, विशेषकर बराक घाटी में, छोटी, मझौली और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने हेतु विशेष अनुदान भी दिया जाना चाहिए।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य गरीब लोगों के मकान जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। अधिकतर लोग बेघर हैं। स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी हमारे गांवों की स्थिति ऐसी है। यद्यपि, सरकार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को धन देती है लेकिन उस धन का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता और लाभार्थियों का सही चयन न होने के कारण यह धन वास्तविक गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन स्थानीय विधान सभा सदस्य या संसद सदस्य या उनके अपने प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना किया जाता है। अतः, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को शामिल किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची में उल्लिखित सभी सदस्य बोल चुके हैं। इस चर्चा पर उत्तर सोमवार को दिया जाएगा। अब सभा की बैठक कल शनिवार 13 मार्च, 1999 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 13 मार्च, 1999/22 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।